



आर्थिक सर्वेक्षण

2017-18

खंड- ।



वित्त विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

वित्त विभाग

आर्थिक सर्वेक्षण

2017 – 18



प्रस्तावना

हमारी सरकार ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 से प्रस्तुत करना शुरू किया और वर्तमान सर्वेक्षण इस शृंखला का बारहवां सर्वेक्षण है। स्वाभाविक है कि सरकार गत वर्षों में हासिल राज्य की अर्थव्यवस्था के आवेग को सबके सामने लाना चाहती है। सर्वेक्षण में सरकार और नीति निर्माताओं को फीडबैक देने के साथ-साथ सभी लोगों को बहुमूल्य सूचनाएं देने का प्रयास किया गया है।

जैसा कि आप अवगत ह, बिहार में 2005-06 में शुरू हुई विकास की प्रक्रिया एक दशक से भी अधिक समय तक जारी रही है और 2016-17 में दो अंकों में 10.3 प्रतिशत विकास दर के रूप में दर्ज हुई है। वित्तोय अनुशासन और उसके पूरक 'सात निश्चय' ने राज्य की अर्थव्यवस्था के चिरस्थायी विकास को बढ़ावा दिया है।

बारहवें आर्थिक सर्वेक्षण में पहले के सर्वेक्षणों की तुलना में अधिक विस्तार से सूचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। मुझे पूरी आशा है कि विद्वज्जनों, शोधकर्ताओं और इच्छुक हितधारकों को यह सर्वेक्षण अत्यंत उपयोगी लगेगा।

नीतीश कुमार

सुशील कुमार मोदी
वित्त मंत्री, बिहार



पटना

आमुख

बिहार ने 2016-17 में 10.3 प्रतिशत की दो अंकों वाली विकास दर हासिल की है। हालांकि विकास का यह आवेग बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि राज्य सरकार कुल विकासमूलक व्यय को लगातार बढ़ाती रहे। वर्ष 2016-17 में विकासमूलक व्यय 91,362 करोड़ रु. था जो कुल व्यय का लगभग 72 प्रतिशत था जबकि 2015-16 में यह 70 प्रतिशत था। राज्य सरकार विकासमूलक व्यय बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है और आने वाले वर्षों में भी ऐसा ही करती रहेगी।

आर्थिक सर्वेक्षण का यह नया अवतार अधिक व्यापक है जिसमें सभी क्षेत्रों की विस्तृत सूचनाएं मौजूद हैं। पाठकों की सुविधा को महत्व देते हुए सर्वेक्षण दो खंडों में प्रस्तुत किया जा रहा है। मुझे आशा है कि नीति निर्माता और अन्य सभी लोग बाहरवें सर्वेक्षण को अत्यंत बहमूल्य पाएंगे।

सुशील कुमार मोदी

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	तकनीकी शब्दावली एवं संक्षेप का शब्द-संग्रह	i-iii
	तालिका सूची	iv-xiii
	कार्यकारी सारांश	xiv-xxvi
अध्याय 1 :	बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन	1-10
1.1	जनसांख्यिक विवरणी	2-3
1.2	राज्य घरेलू उत्पाद	3-8
1.3	क्षेत्रीय विषमता	8-9
1.4	वर्ष 2016 और 2017 में मुद्रास्फीति की दरें	9-10
अध्याय 2 :	राजकीय वित्तव्यवस्था	11-70
2.1	वित्तीय स्थिति का अवलोकन	13-21
2.2	सजाकोषीय प्रदर्शन	21-29
2.3	घाटा प्रबंधन	29-33
2.4	ऋण प्रबंधन	33-36
2.5	कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात	36-37
2.6	राजस्व लेखा : प्राप्ति और व्यय	38-41
2.7	संसाधन प्रबंधन	41-51
2.8	कर विषयक विभागों का प्रदर्शन	52-55
2.9	व्यय प्रबंधन	56-59
2.10	राजस्व व्यय	59-60
2.11	वेतन और पेंशन पर व्यय	60-61
2.12	व्यय की गुणवत्ता	61
2.13	क्षेत्रगत व्यय	62-65
2.14	2017-18 के बजट अनुमान और 2016-17 की वास्तविक रकमों की तुलना	65-67
2.15	राजकीय सार्वजनिक उपक्रम और निगम	67-70
अध्याय 3 :	कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र	71-94
3.1	वर्षापात	71-73
3.2	भूमि उपयोग	73-75
3.3	फसल पैटर्न	75
3.4	उत्पादन और उत्पादकता	76-85
3.5	सिंचाइ	85
3.6	कृषि लागत सामग्रियाँ	85-89
3.7	कृषि ऋण	90-91
3.8	पशुपालन	91-94

अध्याय 4 : उद्यम क्षेत्र	95-126
4.1 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण	96-100
4.2 छठी आर्थिक गणना, 2013	100-103
4.3 कृषि आधारित उद्योग	103-108
4.4 गैर-कृषि आधारित उद्योग	108-115
4.5 सहयोगदाता संस्थाएं	116-119
4.6 बिहार औद्योगिक निवेश अधिनियम, नियमावली एवं नीति, 2016	119-122
4.7 बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017	122-123
4.8 व्यवसाय करने की सुगमता	123-125
4.9 खनन एवं प्रस्तर खनन	125
4.10 पर्यटन	125-126
अध्याय 5 : अधिसंरचना	127-159
5.1 सड़क	127-137
5.2 पुल क्षेत्र	137-139
5.3 पथ परिवहन	139-143
5.4 रेलमार्ग	143-144
5.5 वायु मार्ग	144-145
5.6 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी	145-152
5.7 सिंचाई	152-159
अध्याय 6 : ऊर्जा क्षेत्र	160-180
6.1 बिजली की उपलब्धता	160-161
6.2 बिजली की जरूरत का अनुमान	161-164
6.3 विद्युत क्षेत्र का संस्थागत ढांचा	164-166
6.4 वितरण कंपनियाँ	166-167
6.5 कार्य संचालन और वित्त संबंधी स्थिति	167-168
6.6 विद्युतीकरण और वितरण योजनाओं के कार्यक्रम	168-171
6.7 संचरण	171-172
6.8 उत्पादन	172-175
6.9 नई योजनाएं/ परियोजनाएं	176-177
6.10 विद्युत क्षेत्र में हाल में हुए विकास	177-178
6.11 बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा)	178-180
6.12 बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड	180

अध्याय 7 : ग्रामीण विकास	181-197
7.1 गरीबी	181-182
7.2 ग्रामीण विकास कार्यक्रम	182-190
7.3 पंचायती राज संस्थाएं	190-192
7.4 गृहभूमि वितरण	193-195
7.5 आपदा प्रबंधन	195-196
7.6 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	196-197
अध्याय 8 : नगर विकास	198-216
8.1 शहरीकरण का स्तर	198-202
8.2 नगर विकास पर व्यय	203
8.3 नगर विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)	203-208
8.4 नगर विकास कार्यक्रम (केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित)	208-215
8.5 नगरपालिकाओं की वित्तव्यवस्था	215-216
अध्याय 9 : बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र	217-243
9.1 बैंकिंग अधिसंरचना	218-222
9.2 जमा और ऋण	223-231
9.3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राप्त अग्रिमों में क्षेत्रवार हिस्सा	231-238
9.4 वित्तीय संस्थाएं	238-240
9.5 ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ)	240-241
9.6 बिहार में सूक्ष्मवित्त	242-243
अध्याय 10 : मानव विकास	244-293
10.1 स्वास्थ्य	245-259
10.2 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता	259-263
10.3 शिक्षा, कला, संस्कृति एवं युवा काय	263-276
10.4 समाज कल्याण	277-283
10.5 महिला सशक्तीकरण	283-289
10.6 श्रम संसाधन एवं कल्याण	289-291
10.7 वृद्धों और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा	291-293

शब्द संक्षेप संग्रह

अजा	अनुसूचित जाति
अजजा	अनुसूचित जनजाति
अपिजा	अति पिछड़ी जाति
अनु.	अनुपस्थित
पु.अ.	पुनरीक्षित अनुमान
ब.अ.	बजट अनुमान
उ.प्रा.	उच्च प्राथमिक
उ.प्रा.	उच्च माध्यमिक
एडीपीसी	एशियाई आपदा तत्परता केंद्र
एआइबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
एएनएम	सहायक नर्स एवं धाई
एएसईआर (असर)	वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट
एएसएचए (आशा)	प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एएसआइ	वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण
एडब्ल्यूसी	आंगनवाड़ी केंद्र
एडब्ल्यूडब्ल्यू	आंगनवाड़ी सेविका
बीआइएडीए (बिआडा)	बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार
बीआरईडीए (ब्रेडा)	बिहार ऊर्जा नवीकरणीय विकास अभिकरण
बीआरजीएफ	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
बीएसडीएम	बिहार कौशल विकास मिशन
बीएसईबी	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
बीएसएचपी	बिहार राज्य उच्चपथ कार्यक्रम
बीएसएचपीसी	बिहार राज्य जलविद्युत निगम
बीएसडब्ल्यूएएन (बी-स्वान)	बिहार राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क
बीयूडीसीओ (बुडको)	बिहार नगर विकास निगम
सीएजीआर	वार्षिक चक्रवृद्धि दर
सीबीएस	कोर बैंकिंग सेवाएं
सीएलआरआइ	केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान

सीटीएमए	संकुल अनुश्रवण एवं तकनीकी सहयक
सीओएमएफईडी (कॉम्फेड)	सहकारी दुर्गत उत्पादक महासंघ लिमिटेड
सीपीडब्ल्यूडी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
सीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर
डीडीयूजीजेवाइ	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डीआइसी	जिला उद्योग केंद्र
डिस्कॉम	वितरण कंपनी
ईएचडब्ल्यू	नियुक्त श्रमिक युक्त उद्यम
एफआरबीएमए	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम
जीडीडीपी	सकल जिला घरेलू उत्पाद
एचयूडीसीओ (हुडको)	आवास एवं नगर विकास निगम
आइएवाइ	इंदिरा आवास योजना
आइसीडीएस	समेकित बाल विकास योजना
आइजीएमसीवाइ	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना
आइएचएसडोपी	समेकित आवास एवं मालिन-बस्ती विकास योजना
केजीबीवी	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
केवीआइसी	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
एमसीसी	मॉडल कैरियर केंद्र
एमएनआरईजीएस (मनरेगा)	महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएमजीएसवाइ	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
एमएनएसवाइ	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना
एमओपीएस (मॉप्स)	बहुविकल्पीय भुगतान प्रणाली
एमएसएमई	अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम
एनएबीएआरडी (नाबार्ड)	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनडीआरएफ	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल
एनएचएआइ	राष्ट्रीय भारतीय उच्चपथ प्राधिकरण
एनआईएलआइटी	राष्ट्रीय इलक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीणा पेयजल कार्यक्रम

एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन
एनएसएपी	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
पीएसीएस (पैक्स)	प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएमईजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीपीपी	सार्वजनिक-निजी साझेदारी
पीआरआइ	पंचायती राज संस्था
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
आर-एपीडीआरपी	पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
आरएवाइ (राय)	राजीव आवास योजना
आरजीपीएसए	राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान
आरजीएसईएजी	राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना
आरआइडीएफ	ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष
आरयूएसए (रूसा)	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
एससीएडीए (स्काडा)	पर्यवेक्षकीय नियंत्रण एवं आंकड़ा अधिग्रहण
एससीएआरडीबी	राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एसजेवीएनएल	सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड
एसएलबीसी	राज्य-स्तरीय बैंकर समिति
एसएनपी	पूरक पोषण कार्यक्रम
एसआरआर	बीज प्रतिस्थापन दर
एसआरआइ (श्री)	चावल सघनीकरण प्रणाली
एसआरएस	प्रतिदर्श (नमूना) निबंधन प्रणाली
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
यूडीएवाइ (उदय)	उज्ज्वल डिस्कॉम ऐस्यूरेंस याजना
यूआइडीएसएसएमटी	लघु एवं मध्यम नगर नागर अधिसंरचना विकास योजना
यूआइजी	शहरी संरचना एवं अभिशासन

तालिका सूची

तालिका सं.	विषय सूची	पेज नं.
अध्याय 1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन		
1.1	भारत और बिहार की जनसांख्यिक विवरणी और प्रशासनिक ढांचा (2001 और 2011)	2
1.2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत वृद्धि दरें	5
1.3	2011-12 के मूल्य पर प्रमुख राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद	6
1.4	स्थिर (2011-12) मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) की क्षेत्रगत संरचना	7
1.5	बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और पिछड़े जिले	9
1.6	उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए मुद्रास्फीति की राज्यवार वार्षिक दरें (आधार : 2012 = 100)	10
अध्याय 2 : राजकीय वित्तव्यवस्था		
2.1	प्राप्ति और व्यय	15
2.2	प्रमुख राजकोषीय सूचक	24-25
2.3	राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक	28
2.4	राज्यों की घाटा/ अधिशेष की स्थिति	29
2.5	सकल राजकोषीय घाटा	30
2.6	बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना	31
2.7	सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण	32
2.8	बकाया देनदारियां	33
2.9	संचित निधि में बकाया देनदारियों की संरचना	34
2.10	लोक ऋण अदायगी संबंधी दायित्व	35
2.11	प्राप्त शुद्ध लोक ऋण	36
2.12	राज्यों के कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2015-16)	37
2.13	राजस्व लेखा	38
2.14	व्यय पैटर्न	39
2.15	व्याज भुगतान तथा प्राप्ति	40
2.16	राजस्व बनाम पूंजीगत परिव्यय	40

2.17	केंद्र सरकार से होने वाला संसाधनों का अंतरण	41
2.18	राजस्व प्राप्ति	43
2.19	विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व	43
2.20	कर राजस्व की संरचना	44
2.21	कर राजस्व की वृद्धि दरें (प्रतिशत)	45
2.22	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा	45
2.23	प्रमुख करेतर राजस्व	46
2.24	करेतर राजस्वों की संरचना	47
2.25	करेतर राजस्वों की वृद्धि दरें	47
2.26	कर और करेतर राजस्वों की अनुमानित और वास्तविक बसूली में अंतर (2016-17)	48
2.27	कर संग्रहण व्यय	49
2.28	कर और करेतर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में	49
2.29	महत्वपूर्ण कर और करेतर राजस्व स्रोतों की उत्फुल्लता	50
2.30	केंद्र सरकार से अनुदान तथा अंशदान प्राप्ति	50
2.31	राज्य बजट का दरकिनार करके राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को केंद्रीय धनराशि का प्रत्यक्ष अंतरण	51
2.32	विभिन्न अधिनियमों के तहत कर संग्रहण	52
2.33	कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा	52
2.34	बिक्री कर का तुलनात्मक सामग्री आधारित संग्रहण	53
2.35	स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व	54
2.36	स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व, 2017-18 (सितंबर 2017 तक)	55
2.37	संचित निधि से व्यय	56
2.38	सरकारी व्यय की संरचना	57
2.39	कुल व्यय की संरचना (प्रतिशत)	58
2.40	व्यय की वृद्धि दरें	58
2.41	राजस्व व्यय का ब्योरा	59
2.42	वेतन और पेंशन व्यय	60
2.43	व्यय की गुणवत्ता के मापदंड	61

2.44	सामाजिक सेवाओं पर व्यय	62
2.45	आर्थिक सेवाओं पर व्यय	64
2.46	सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय	65
2.47	वास्तविक रकम (2016-17) और बजट अनुमान (2017-18) का सारांश	66
2.48	संचित निधि का प्रतिशत वितरण : प्राप्ति तथा व्यय	67
2.49	राज्य सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश	68
2.50	सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यशील और अकार्यशील कंपनियों में निवेश (31 मार्च, 2016 तक)	68
2.51	क्षेत्रवार सरकारी कंपनियां और निगम (2015-16)	69

अध्याय 3 : कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

3.1	विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात	72
3.2	बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न (2010-11 से 2014-15)	74
3.3	बिहार में फसल पैटर्न	75
3.4	बिहार में मुख्य फसलों के उत्पादन स्तर	77
3.5	मुख्य फसलों की उत्पादकता का स्तर	78
3.6	मुख्य फसलों के उत्पादन/ उत्पादकता के आधार पर जिलों का वर्गीकरण	79
3.7	बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन	82
3.8	बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन	83
3.9	प्रमाणित बीजों का वितरण और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें	86
3.10	उर्वरकों की खपत	87
3.11	सब्सिडी पर वितरित कृषि यंत्रों की संख्या	88
3.12	कृषि ऋण का प्रवाह	90
3.13	पशु संपदा (2003, 2007 और 2012)	91
3.14	बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन	92
3.15	बिहार में पशुधन सेवाएं	93

अध्याय 4 : उद्यम क्षेत्र

4.1	बिहार में 2011-12 के मूल्य पर द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक विकास दरें	95
4.2	2011-12 के मूल्य पर सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान	96
4.3	कारखानों और चालू कारखानों की संख्या	97

4.4	बिहार में उद्योग	98
4.5	बिहार और भारत में उद्योगों के संरचना अनुपात	99
4.6	औद्योगिक क्षेत्रों का राज्यवार विवरण (2014-15)	100
4.7	बिहार में आर्थिक उद्यमों की गणना (2005 और 2013)	101
4.8	बिहार में प्रतिष्ठानों की कुल जिलावार संख्या	102
4.9	चीनी मिलों का प्रदर्शन	104
4.10	विभिन्न दुर्घ संघों/ परियोजनाओं के तहत दुर्घ उत्पादन सहयोग समितियों की संख्या	105
4.11	दैनिक दुर्घ संग्रहण में संघों और परियोजनाओं की प्रगति	106
4.12	प्रति कार्यशील दुर्घ उत्पादन सहयोग समिति दुर्घ संग्रहण	106
4.13	कॉम्फेड की गतिविधियां	107
4.14	बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले	108
4.15	अद्वितीय पहचान संख्या दिए गए हथकरघों की संख्या	109
4.16	प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य और उपलब्धियां	110
4.17	रेशम क्षेत्र की उपलब्धियां (2013-14 स 2017-18)	112
4.18	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन	114
4.19	उद्योगों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय	116
4.20	उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां	116
4.21	सितंबर, 2017 में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की जमीन और इकाइयों का व्योरा	117
4.22	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की जमीन और गतिविधियों के विवरण (सितंबर, 2017)	118
4.23	प्रथम चरण की अनापत्ति प्राप्त निवेश प्रस्तावों की क्षेत्रवार संख्या (जनवरी 2018 तक)	120
4.24	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत स्वीकृत क्षेत्रवार वित्तीय अनापत्ति	121
4.25	इनक्यूबेटरों और उनसे जुड़े स्टार्ट-अप की संख्या	123
4.26	बिहार में खनिजों से प्राप्त राजस्व	125
4.27	पर्यटन विभाग का व्यय विवरण	126
4.28	तालिका 4.28 : बिहार में पर्यटकों का आगमन	126

अध्याय 5 : अधिसंरचना

5.1	2011-12 के मूल्य पर सकल मूल्यवर्धन में परिवहन और संचार क्षेत्रों का योगदान	127
5.2	बिहार में सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक निवेश	128
5.3	भारत के प्रमुख राज्यों का सड़क नेटवर्क और पथ घनत्व (मार्च 2015 में)	129
5.4	बिहार में सड़कों की लंबाई	130
5.5	बिहार में सड़क नेटवर्क की स्थिति (सितंबर 2017 तक)	130
5.6	राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई और उनके विकास तथा रखरखाव पर हुआ व्यय	131
5.7	राष्ट्रीय उच्चपथों के चौड़ीकरण की स्थिति	132
5.8	राज्य उच्चपथों के चौड़ीकरण कार्य का विवरण	134
5.9	निर्मित ग्रामीण पथों की कार्यक्रम-वार लंबाई (सितंबर 2017 तक)	137
5.10	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत निर्मित पुल (2016-17)	138
5.11	राज्य पुल निर्माण निगम लि. का विवरण	139
5.12	भारत के प्रमुख राज्यों में निर्बंधित मोटर वाहनों की कुल संख्या (2014-15)	140
5.13	निर्बंधित वाहनों की संख्या और राजस्व संग्रहण में वार्षिक वृद्धि	141
5.14	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ढोए गए यात्रियों की संख्या और राजस्व संग्रहण	143
5.15	भारत के प्रमुख राज्यों में रेलमार्ग के नेटवर्क का फैलाव (मार्च 2016)	144
5.16	पटना हवाईअड्डा पर वायुयानों की आवाजाही, यात्रियों की संख्या और माल दुलाई	145
5.17	सर्विस प्लस फ्रेमवर्क की ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत ऑनलाइन सेवाएं	146
5.18	प्रमुख भारतीय राज्यों के दूरभाष घनत्व	148
5.19	बीएसएनएल बिहार : दूरसंचार जनसार्विकी (सितंबर 2017 में)	149
5.20	भारत के प्रमुख राज्यों में डाक सुविधाओं का विस्तार (31 मार्च, 2016 को)	150
5.21	डाकघरों में खातों और बाकी शेषों की संख्या (मार्च 2016 में)	151
5.22	बिहार में चरम, सृजित और उपलब्ध सिंचाई क्षमता	153
5.23	वृहद एवं मध्यम सिंचाई के तहत सिंचाई क्षमता सूजन (2016-17)	154
5.24	बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग दक्षता	154
5.25	कृषक समितियों की स्थिति	155
5.26	बिहार में लघु जल संसाधनों की स्थिति	156

5.27	लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्र	156
5.28	वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य के अंदर नदी संबंधन का कार्यक्रम	159
अध्याय 6 : ऊर्जा क्षेत्र		
6.1	विद्युत परिदृश्य (2011-12 से 2016-17)	160
6.2	जिलावार खपत	161
6.3	ग्रामीण और शहरी घरों के लिए बिजली की वार्षिक आवश्यकता	162
6.4	राज्य की परिधि में बिजली की चरम और ऊर्जा की वार्षिक मांग	162
6.5	क्षमता विस्तार के वर्षवार और स्रोतवार विवरण	163
6.6	विद्युत और ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (2017-18 से 2019-20)	163
6.7	विद्युत और ऊर्जा का अनुमानित अधिशेष/ कमी (2017-18 से 2019-1920)	164
6.8	बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. के तहत धनराशियों का आबंटन	166
6.9	प्रभावी उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या (बिलिंग के आंकड़ों के अनुसार)	166
6.10	विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति	167
6.11	बिहार में संचरण एवं वितरण हास (उत्तर + दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनियां)	168
6.12	पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का पूँजीगत व्यय	169
6.13	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती राजोव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के तहत कार्य की प्रगति	170
6.14	बिजली की अनुमानित वांछित क्षमता (2017-18 से 2019-20)	171
6.15	संचरण के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्ययोजना	172
6.16	विद्यमान उत्पादन क्षमता (मार्च 2017)	172
6.17	विद्यमान और योजना वाली उत्पादन इकाइयाँ के विवरण	175
6.18	ब्रेडा की उपलब्धियां	179-180
अध्याय 7 : ग्रामीण विकास		
7.1	बिहार और भारत में गरीबी अनुपात	182
7.2	जीविका की प्रगति	183
7.3	सितंबर 2017 तक कौशल विकास और नियोजन की स्थिति	184
7.4	मनरेगा का प्रदर्शन	185
7.5	मनरेगा के तहत पूर हुए कार्य	186
7.6	प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रदर्शन	187

7.7	जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि	189
7.8	बिहार में जन वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं का आबंटन और उठाव	189
7.9	बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण	191
7.10	पंचायती राज संस्थाओं का व्यय स्तर	192
7.11	अभियान बसेरा कार्यक्रम की नवंबर 2017 तक स्थिति	194
7.12	बिहार में जोतें	194
7.13	बाढ़ और चक्रवात के लिए आर्बिट रकम	196
अध्याय 8 : नगर विकास		
8.1	बिहार और भारत में शहरीकरण का रुझान	199
8.2	शहरी आबादी का उनके आकार आधारित श्रेणीकरण के अनुसार वितरण	199
8.3	बिहार में जिलावार शहरीकरण (2001 और 2011)	200
8.4	बिहार में शहरों के आकार के अनुसार बुनियादी शहरी सेवाओं की उपलब्धता (2011)	201
8.5	बिहार के शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी और शौचालय की उपलब्धता	202
8.6	बिहार के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और नालियों की स्थिति	202
8.7	बिहार में नगर विकास एवं आवास का व्यय का पैटर्न	203
8.8	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की मुख्य विशेषताएं	204
8.9	योजना की जिलावार प्रगति	205
8.10	घर तक पक्की गली नाली योजना का वर्षवार लक्ष्य	206
8.11	घर तक पक्की गली नाली योजना की मुख्य विशेषताएं	206
8.12	घर तक पक्की गली नाली योजना का जिलावार लक्ष्य और उपलब्धि	207
8.13	नमामि गंगे योजना के तहत परियोजनाओं की संक्षिप्त स्थिति	208
8.14	2016-17 में सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास के तहत उपलब्धियां	209
8.15	2016-17 में कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती के जरिए रोजगार के तहत उपलब्धियां	210
8.16	2016-17 में वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां	210
8.17	2016-17 में पथ विक्रेता सहायता के तहत उपलब्धियां	211
8.18	शहरी स्थानीय निकायों के आश्रयों के निर्माण के लिए धन के वर्षवार आबंटन	212
8.19	2016-17 में शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय (सुह) के तहत स्थिति	212
8.20	दिसंबर 2017 तक प्रगति	213

8.21	प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए घर के तहत प्रगति	213
8.22	जलापूर्ति, जल निकासी और पार्क परियोजनाओं के विवरण	214
8.23	स्वीकृत जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति	214
8.24	हृदय का विवरण	215
8.25	बिहार के 35 शहरों में नगरपालिका की वित्तीय स्थिति	216
अध्याय 9 : बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र		
9.1	व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण (2012-17)	219
9.2	विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का वितरण (मार्च 2017 तक)	219
9.3	राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या (31 मार्च को)	220
9.4	बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या (सितंबर 2017 के अंत में)	221
9.5	जमा के प्रकार के अनुसार अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ग्रामीण जमा (मार्च 2016 के अंत में)	221
9.6	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण (मार्च, 2016)	222
9.7	भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च)	223
9.8	बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	224
9.9	बैंक समूह और क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात (2016-17)	226
9.10	मार्च के अंत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	227
9.11	जिलावार ऋण-जमा अनुपात	228
9.12	राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात	229
9.13	निजी व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (2016-17)	230
9.14	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात	231
9.15	वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत अग्रिमों का क्षेत्रवार हिस्सा (2015-16 और 2016-17)	232
9.16	वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धियाँ – सभी बैंक	233
9.17	वार्षिक ऋण योजनागत उपलब्धियों का अभिकरण-वार विश्लेषण	233
9.18	कृषिगत ऋण प्रवाह	234
9.19	बकाया कृषिगत अग्रिम	234
9.20	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा सूचक (31 मार्च, 2016)	235

9.21	राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम	236
9.22	राजकीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य परिणाम	237
9.23	बैंकों द्वारा जारी (नए) किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या	238
9.24	नाबांड द्वारा क्षेत्रवार पुनर्वित्तीयन	239
9.25	नाबांड द्वारा बिहार में क्षेत्रवार निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन के विवरण	240
9.26	मार्च 2017 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत बिहार में स्वीकृति और वितरण	241
9.27	भारत के चुनिंदा राज्यों में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क (मार्च 2017)	242
9.28	बिहार में स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन	243

अध्याय 10 : मानव विकास

10.1	सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान	245
10.2	जन्मकालीन जीवन संभाव्यता	246
10.3	बिहार और भारत के चुनिंदा स्वास्थ्य विषयक सूचक	247
10.4	सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या	248
10.5	स्वास्थ्य अधिसंरचना की समग्र स्थिति	249
10.6	एक दिन में अस्पताल पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की जिलावार औसत संख्या	250
10.7	स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या	251
10.8	जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों की संख्या	252
10.9	12 से 23 महीने उम्र के पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत	253
10.10	एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन	254
10.11	बिहार में मुख्य रोगों की व्यापकता	255
10.12	स्वास्थ्य समितियों को संवितरित धनराशि	256
10.13	समेकित बाल विकास योजना में कर्मियों की संख्या	257
10.14	समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग	258
10.15	प्रदूषण वाले जिलों का मानचित्रण	260
10.16	जलापूर्ति एवं स्वच्छता के तहत उपलब्धियां	261
10.17	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति	262
10.18	राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में वित्तीय प्रगति	262
10.19	राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में भौतिक प्रगति	262

10.20	भारत और बिहार में साक्षरता दरों के रुझान	264
10.21	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर कुल नामांकन	266
10.22	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें	267
10.23	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें	268
10.24	शिक्षा पर व्यय	269
10.25	मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन	270
10.26	विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि और किए गए व्ययों की स्थिति	273
10.27	असर की रिपोर्ट के आधार पर अधिगम परिणामों का प्रतिशत	274
10.28	उच्च शिक्षा के संस्थान	275
10.29	अजा एवं अजजा कल्याण हेतु परिव्यय आबंटन का अवलोकन	278
10.30	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम की उपलब्धियाँ (2016-17)	280
10.31	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की वित्तीय प्रगति	281
10.32	पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के भौतिक और वित्तीय विवरण	282
10.33	जेंडर बजट का सारांश	284
10.34	जेंडर बजट का विवरण	285
10.35	लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली प्रमुख योजनाएं	286
10.36	सामाजिक सशक्तीकरण के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या	288
10.37	भारत के प्रमुख राज्यों में मुख्य श्रमिकों की संचना (2011)	289
10.38	नियोजन कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति	291
10.39	वृद्धों, विधवाओं और निःशक्त जनों के लिए पेंशन योजनाएं	292

कार्यकारी सारांश

बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन

1. अर्थव्यवस्था ने आवेग प्राप्त कर लिया क्योंकि संपर्कों के प्रभावों ने विकास की प्रक्रिया को प्रेरित किया। उच्च विकास, खास कर सेवा क्षेत्र में उच्च विकास के कारण अर्थव्यवस्था में ढाँचागत रूपांतरण भी हुआ। पिछले दशक में (2004-05 से 2014-15) के बीच स्थिर मूल्य पर राज्य की आय 10.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। हाल के समय में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2015-16 में 7.5 प्रतिशत और 2016-17 में 10.3 प्रतिशत रही। ये वृद्धि दरें लगभग 7.0 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं।
2. वर्ष 2016-17 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3.32 लाख करोड़ रु. था जिससे प्रति व्यक्ति आय 29,178 रु. होती है। वर्तमान मूल्य पर 2016-17 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.38 लाख करोड़ रु. अनुमानित है जिससे प्रति व्यक्ति आय 38,546 रु. ठहरती है। वर्ष 2011-12 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय स्थिर और वर्तमान (2011-12), दानों मूल्यों पर 23,525 रु. थी।
3. पिछले पांच वर्षों (2011-16) के दौरान बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास के वाहक क्षेत्र खनन एवं प्रस्तर खनन (67.5 प्रतिशत), विनिर्माण (25.9 प्रतिशत), परिवहन, भंडारण और संचार (13.5 प्रतिशत) तथा वित्तीय सेवाएं (10.1 प्रतिशत) थे। इन सारे क्षेत्रों की विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक दर्ज हुई है जो समग्र विकास दर से काफी अधिक है।
4. प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में राज्यों के बीच अच्छी-खासी असमानता मौजूद है और वैसी ही विषमता बिहार के जिलों के बीच दिखती है। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से पटना, मुंगेर और बेगूसराय सर्वाधिक उन्नतिशील जिले हैं। वहीं, दर्जे में सबसे नीचे के जिले मधेपुरा, सुपौल और शिवहर हैं। अगर हम पटना जिले को भी को छोड़ भी दें, जहां राज्य की राजधानी अवस्थित है, तो दूसरे सर्वाधिक उन्नतिशील जिले मुंगेर की प्रति व्यक्ति आय सबसे गरीब जिले शिवहर से तीनगुनी से अधिक है।
5. अक्टूबर 2017 में ग्रामीण भारत की 3.4 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर के मुकाबले बिहार की मुद्रास्फीति दर सिर्फ 2.2 प्रतिशत थी। हालांकि शहरी मुद्रास्फीति दर भारत के लिए 3.8 प्रतिशत थी और बिहार के लिए 2.5 प्रतिशत। मुद्रास्फीति दरें कम होने के कारण बिहार में मुद्रास्फीति की समग्र दर भी कम है - संपूर्ण भारत के 3.6 प्रतिशत के मुकाबले 2.2 पतिशत।

राजकीय वित्तव्यवस्था

1. आदर्श स्थिति तो यही है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राजस्व लेखों में अधिशेष होना चाहिए। बिहार लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखने वाला राज्य रहा है। राजस्व अधिशेष 2012-13 के 5,101 करोड़ रु. से बढ़कर 2016-17 में 10,819 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2017-18 में राजस्व अधिशेष 14,556 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है।

2. वर्तमान राजस्व शेष का सकारात्मक होना दर्शाता है कि राज्य सरकार के राजस्व में विकासमूलक व्यय को पूरा करने के लिए अधिशेष धनराशि मौजूद है। बिहार में वर्तमान राजस्व शेष काफी धनात्मक रहा है जो 2012-13 के 14,128 करोड़ रु. से बढ़कर 2016-17 में 27,804 करोड़ रु. हो गया और 2017-18 के बजट अनुमान में इसके 31,320 करोड़ रु. तक पहुंच जाने का अनुमान है।
3. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 खंखला) के नए अनुमान के अनुसार 2016-17 में सकल राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.8 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया। वर्ष 2016-17 में सकल राजकोषीय घाटा में 4,418 करोड़ रु. वृद्धि हुई है जबकि 2015-16 में उसमें मात्र 883 करोड़ रु. की वृद्धि हुई थी। पूंजीगत परिव्यय और प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्र के व्ययों में काफी वृद्धि होने के कारण वर्तमान वित्तवर्ष (2017-18 के बजट अनुमान में) में उसके 18,112 करोड़ रु. तक पहुंच जाने का अनुमान है। प्राथमिक घाटा 2015-16 के 4,964 करोड़ रु. से बढ़कर 2016-17 में 8,289 करोड़ रु. पहुंच गया और वर्तमान वर्ष में इसे और भी बढ़कर 8,521 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है।
4. वर्ष 2016-17 में कुल ऋणग्रहण 21,577 करोड़ रु. था जो गत वर्ष से 3,194 करोड़ रु. अधिक था। इस रकम का उपयोग आर्थिक विकास को टिकाए रखने के लिए सामाजिक और भौतिक अधिसंरचना के निर्माण में किया गया है। वर्ष 2016-17 में बकाया देनदारी गत वर्ष के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30.6 प्रतिशत से बढ़कर 31.7 प्रतिशत हो गई। वर्तमान वित्तवर्ष में उसके और भी बढ़कर 33.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। वहीं, 2016-17 में ब्याज भुगतान 8,191 करोड़ रु. था जो राजस्व प्राप्ति का 7.8 प्रतिशत था।
5. राज्य सरकार का कर राजस्व 2016-17 में 8,251 करोड़ रु. बढ़ा जबकि पिछले साल 16,659 करोड़ रु. बढ़ा था। इसी प्रकार करेतर राजस्व 217 करोड़ रु. बढ़ा जबकि पिछले साल 628 करोड़ रु. बढ़ा था। मद्य निषेध नीति के प्रभाव के बावजूद (वह कीमत जिसे सरकार सामाजिक लाभ की तुलना में काफी कम मानती है), कर और करेतर राजस्व, दोनों की वृद्धि में ठहराव संभवतः राज्य में आर्थिक गतिविधियों के समग्र धीमापन का सूचक है जिसका आंशिक कारण नोटबंदी है जिसने स्थावर संपदा और अनौपचारिक क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। वर्ष 2016-17 में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 9,958 करोड़ रु. और सहायता अनुदान 993 करोड़ रु. बढ़ा जिससे राज्य सरकार के राजस्व में समग्र वृद्धि 9,462 करोड़ रु. हो गई। राज्य सरकार के कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने राजस्व का हिस्सा 25 प्रतिशत और केंद्रीय करों का हिस्सा 56 प्रतिशत था जबकि शेष 19 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय अनुदानों का था।
6. वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच विकासमूलक राजस्व व्यय 79 प्रतिशत बढ़कर 35,817 करोड़ रु. से 64,154 करोड़ रु. हो गया जबकि विकासेतर राजस्व व्यय इस अवधि में अपेक्षाकृत कम गति से (47 प्रतिशत) बढ़ा और 23,801 करोड़ रु. से 34,935 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2016-17 के कुल पूंजीगत परिव्यय 27,208 करोड़ रु. में से 21,526 करोड़ रु. (79 प्रतिशत) का व्यय आर्थिक सेवाओं पर किया गया - सड़कों एवं पुलों की परिवहन अधिसंरचना के निर्माण पर 5,326 करोड़ रु. (25 प्रतिशत), विद्युत परियोजनाओं पर 5,739 करोड़ रु. (27 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 1,796 करोड़ रु. (8 प्रतिशत) तथा शेष अन्य क्षेत्रों में। सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 3,592 करोड़ रु. था। इसमें से 24 प्रतिशत हिस्सा (870 करोड़ रु.) राज्य में स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं में सुधार पर, 32 प्रतिशत (1,164 करोड़ रु.) जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार पर और 30 प्रतिशत (1,074 करोड़ रु.) शैक्षिक अधिसंरचना में सुधार पर खर्च हुआ।

- सरे मापदंडों के आधार पर हाल के वर्षों में बिहार में व्यय की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। विगत वर्षों में पूँजीगत परिव्यय का हिस्सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जैसे बढ़ा है वैसे ही कुल व्यय में भी बढ़ा है जबकि राजस्व व्यय को अबाध बढ़ने नहीं दिया गया है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच विकासमूलक राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक 75 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया जो दर्शाता है कि बिहार में लोक वित्त का प्रबंधन विवेकपूर्ण ढंग से किया जा रहा है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है और राज्य के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

- 93.6 लाख हेक्टेयर विस्तार वाले बिहार राज्य में तीन स्पष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं – (1) 13 जिलों वाला उत्तर-पश्चिम जोन जिसमें 1040 से 1450 मि.मी. तक वार्षिक वर्षा होती है और मिट्टी बलुई दोमट है; (2) 8 जिलों वाला उत्तर-पूर्व जोन जिसमें वार्षिक वर्षापात 1200 मिमी से 1700 मिमी के बीच रहता है और मिट्टी दोमट या चिकनी दोमट है; तथा (3) 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन जिसमें 990 से लेकर 1300 मिमी वार्षिक वर्षा होती है और मिट्टी बलुई दोमट, दोमट, चिकनी दोमट और चिकनी मिट्टी है।
- राज्य में फसल सघनता 2010-11 के 1.37 से 2014-15 में 1.45 हो गई। फलतः इस अवधि में सकल बुआई क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है जो 2010-11 के 71.94 लाख है। से 2014-15 में 76.73 लाख है। हो गया।
- राज्य में अनाजों का कुल उत्पादन 2011-12 के 173.64 लाख टन से बढ़कर 2016-17 में 180.99 लाख टन हो गया। मुख्य अनाजों में मक्के का उत्पादन 2015-16 के 25.17 लाख टन से बढ़कर 2016-17 में 38.46 लाख टन हो गया जो 52.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि का अधिकांश श्रेय 2016-17 में रबी और गरमा मक्का के उत्पादन में वृद्धि को दिया जा सकता है।
- चावल का उत्पादन 2016-17 में 82.39 लाख टन था जो गत वर्ष से 21.1 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है बिहार को 2013 में चावल उत्पादन के लिए और 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। गेहूं का उत्पादन भी 2015-16 के 47.36 लाख टन से 2016-17 में 59.86 लाख टन हो गया जो 26.4 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।
- बिहार में कुल मोटे अनाजों के उत्पादन में भी प्रचुर वृद्धि हुई जो 2011-12 के 25.95 लाख टन से 2016-17 में 38.75 लाख टन हो गया। दलहन के मामले में भी उत्पादन में वृद्धि का रुझान रहा। दलहनों का उत्पादन 2015-16 के 4.21 लाख टन से थोड़ा बढ़कर 2016-17 में 4.62 लाख टन हो गया।
- राज्य की कृषि-जलवायु संबंधी स्थितियां अनेक प्रकार की सब्जियों के उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। कुल सब्जी उत्पादन 2015-16 के 142.42 लाख टन से बढ़कर 143.62 लाख टन हो गया। वर्ष 2016-17 में सब्जियों के कुल उत्पादन में आलू का हिस्सा 63.78 लाख टन, प्याज का 12.48 लाख टन, टमाटर का 10.09 लाख टन, गोभी का 10.03 लाख टन, पत्तागोभी का 7.26 लाख टन, बैंगन का 11.41 लाख टन, लौकी का 6.34 लाख टन और मूली का 2.47 लाख टन था।
- वर्ष 2014-15 में बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 41.66 लाख टन थी जो तीन वर्षों में 11.4 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 45.83 लाख टन हो गई। किसानों द्वारा प्रयुक्त उर्वरकों में यूरिया सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उर्वरकों की पूरी खपत में इसका लगभग 43.1 प्रतिशत हिस्सा है।

8. सकल ऋण प्रवाह 2012-13 में 21,566 करोड़ रु. था जो 2016-17 में बढ़कर 41,076 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2016-17 में तीन प्रमुख ऋण स्रोतों का हिस्सा इस प्रकार था - व्यावसायिक बैंक 60.9 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बंक 34.7 प्रतिशत तथा केंद्रीय सहकारी बैंक 4.4 प्रतिशत। यह दर्शाता है कि बिहार में कृषि ऋण का बड़ा हिस्सा व्यावसायिक बैंक उपलब्ध कराते हैं।
9. पशुपालन, दूध उत्पादन और मछली पालन बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूध इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। दूध का उत्पादन 2012-13 के 68.45 लाख टन से 27.2 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 87.10 लाख टन हो गया। अंडों का उत्पादन भी 2011-12 के 83.72 करोड़ से 32.8 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 111.17 करोड़ हो गया।
10. वर्ष 2012-13 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 4.00 लाख टन था जो 2016-17 में 5.09 लाख टन हो गया। राज्य में मत्स्यबीजों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए 121 सरकारी मत्स्यबीज फार्म के अलावा 10 निजी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र (हैचरी) भी काम कर रहे हैं।

उद्यम क्षेत्र

1. बिहार की समग्र अर्थव्यवस्था का विकास जहाँ 4.9 प्रतिशत की दर से हुआ है, वहाँ द्वितीयक क्षेत्र का विकास 8.6 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का 5.3 प्रतिशत की दर से हुआ। हाल के वर्षों में द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर में काफी उत्तर-चढ़ाव रहा है - 2012-13 में (-)13.2 प्रतिशत, तो 2015-16 में 27.8 प्रतिशत। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग का हिस्सा 20 प्रतिशत से नीचे है जबकि 2016-17 में राष्ट्रीय औसत 31 प्रतिशत से अधिक था।
2. वर्ष 2014-15 में बिहार में 3,530 औद्योगिक इकाइयां थीं जबकि उससे एक वर्ष पहले उनकी संख्या 3,420 थीं। यह एक वर्ष में 3.1 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। बिहार में 2014-15 में 3,530 में से 2,942 (83.3 प्रतिशत) कारखाने चालू थे जबकि संपूर्ण भारत में 2.30 लाख में से 1.89 लाख (82.2 प्रतिशत) कारखाने चालू थे।
3. वर्ष 2013 में राज्य में 17.07 लाख आर्थिक उद्यम थे जबकि 2005 में उनकी संख्या 12.25 लाख ही थी। इसका अर्थ 8 वर्षों में 39.4 प्रतिशत अर्थात् 4 से 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है। यह बात उत्साहप्रद है कि आर्थिक उद्यमों की संख्या में वृद्धि शहरी क्षेत्रों (30.3 प्रतिशत) की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में (43.7 प्रतिशत) अधिक है। यह भी पाया गया कि उजरती श्रम वाले उद्यमों (ईएचडब्ल्यू) की 35.9 प्रतिशत वृद्धि दर स्वत्रम उद्यमों (ओएई) की वृद्धि दर से अधिक है जो 2013 में 12.4 प्रतिशत थी।
4. अभी राज्य में 11 चीनी मिल हैं जिनमें से निजी क्षेत्र में 9 चीनी मिल चल रहे हैं और बिहार राज्य चीनी निगम के तहत 2 नए चीनी मिल हैं जिन्हें 2011 में दीर्घकालिक लीज के आधार पर एचपीसील को सौंप दिया गया था। बिहार में 2016-17 में 571 लाख किवंटल ईख की पेराई हुई जिससे 52.48 लाख किवंटल चीनी का उत्पादन हुआ। उत्पादन का यह स्तर 2015-16 से 11 प्रतिशत अधिक है जब 515 लाख किवंटल ईख की पेराई हुई थी। हालांकि 2016-17 में चीनी प्राप्ति की दर 9.2 प्रतिशत थी जो एक वर्ष पहले के 9.8 प्रतिशत से कम है।
5. वर्ष 2016-17 में राज्य में 20.7 हजार दुग्ध सहकारी समितियां थीं जिनकी संख्या एक वर्ष पूर्व 19.5 हजार थी। इसका अर्थ 6.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है। वर्ष 2016-17 में कुल दैनिक दुग्ध संग्रहण 1,613 हजार किग्रा था और पिछले पांच वर्षों के दौरान इसमें 6.7 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज हुई है।

6. मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के तहत काशी क्षेत्र के सात जिलों (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया) को मलबरी उत्पादन के प्रोत्साहन के लिहाज से चुना गया था। इस योजना के तहत सिंचाई, कराई किट, कराई घर, विसंक्रामक, प्रशिक्षण और अध्ययन यात्रा के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के लिए 2016-17 में 22.05 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए।
7. अधिसंरचना विकास प्राधिकार राज्य में सार्वजनिक-निजी साझीदारी वाली परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी है। शुरू की गई सार्वजनिक-निजी साझीदारी वाली कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में मेदांता समूह द्वारा पटना के कंकड़बाग में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जयप्रभा हॉस्पीटल का निर्माण, और पटना में सूचना प्रौद्योगिकी टावर का निर्माण शामिल हैं। अधिसंरचना विकास प्राधिकार ने पटना के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) और पटना के अरण्य भवन जैसे विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा सौंपी गई कई अधिसंरचनात्मक परियोजनाएं पूरी की हैं। गत दशक में बिहार में औद्योगिक अधिसंरचना के विकास में अधिसंरचना विकास प्राधिकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
8. बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में 5 वर्षों की अवधि में सक्षमकारी अधिसंरचना निर्माण के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। कुछ मुख्य उपायों में शामिल हैं - नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, एयर कार्गो कंप्लेक्स और कंटेनर फ्रेट टर्मिनल, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर को प्रोत्साहन, समेकित विनिर्माण संकुलों को प्रोत्साहन, बिजली की गुणवत्तापूर्ण/ विश्वसनीय आपूर्ति में वृद्धि, गैस पाइपलाइन नेटवर्क की स्थापना, संभावित अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम संकुलों में सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, औद्योगिक भूमि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निजी भागीदारी और निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन शामिल हैं।
9. पर्यटन विभाग ने बिहार में इन 8 पर्यटन परिपथों की पहचान की है - बौद्ध परिपथ, जैन परिपथ, रामायण परिपथ, शिव-शक्ति परिपथ, सूफी परिपथ, सिख परिपथ, गांधी परिपथ और प्रकृति/ वन्यजीव परिपथ। वर्ष 2017 में 334.97 लाख पर्यटक बिहार आए थे जिनमें से 10.83 लाख (3 प्रतिशत) विदेशी पर्यटक थे और 324.1 लाख देशी। हालांकि बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या इन वर्षों के दौरान लगभग समान रही है, लेकिन देशी पर्यटकों का रुझान बिहार के पर्यटन क्षेत्र के लिए बहुत सकारात्मक है।

अधिसंरचना

1. अधिसंरचना का विकास कृषि क्षेत्र सहित समग्र अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी जरूरत है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन क्षेत्र का योगदान 2011-12 के 4.65 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 6.41 प्रतिशत हो गया। अधिसंरचना के एक अन्य घटक संचार के क्षेत्र में भी ऐसा ही रुझान दिखता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संचार क्षेत्र का योगदान 2011-12 के 2.21 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 3.20 प्रतिशत हो गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में दो अंकों में विकास दर दर्ज हुई है।
2. बिहार में प्रति 100 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्रफल पर सड़क नेटवर्क का घनत्व 218.8 किमी है जो केरल (501.5 किमी) और पश्चिम बंगाल (333.5 किमी) के बाद सबसे अधिक है और 139.1 किमी के राष्ट्रीय औसत से तो काफी अधिक है। बिहार में प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई 5.0 किमी है जो देश में हरियाणा (5.2 किमी) के बाद सबसे अधिक है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए ग्रामीण सड़कों में निवेश किया है और अन्य पथों के नेटवर्क के घनत्व में काफी सुधार हुआ है।

3. राष्ट्रीय उच्चपथों की कुल लंबाई 2005 के 3,537 किमी से काफी बढ़कर 2015 में 4,701 किमी हो गई। राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई में 2010 और 2015 के बीच 1,059 किमी की वृद्धि हुई जबकि 2005 से 2010 के बीच मात्र 105 किमी वृद्धि हुई थी। बिहार के कुल सड़क नेटवर्क में लोक निर्माण विभाग के अन्य पथों और ग्रामीण पथों का संयुक्त हिस्सा लगभग 90 प्रतिशत है। वर्ष 2005 से 2015 के बीच लोक निर्माण विभाग के अन्य पथों और ग्रामीण पथों की लंबाई कुल 1.5 लाख किमी से बढ़कर 1.86 लाख किमी हो गई। अधिकांश राष्ट्रीय उच्चपथ (71.3 प्रतिशत) और राज्य उच्चपथ (66.4 प्रतिशत) दो या अधिक लेन वाले हैं। इस पर गौर करना उत्साहवर्धक है कि दो और दो से अधिक लेन वाली सड़कों का हिस्सा बिहार में विगत वर्षों में बढ़ता गया है।
4. सितंबर 2017 तक बिहार में राज्य उच्चपथों की कुल लंबाई 4,006 किमी थी। लगभग 65.8 प्रतिशत राज्य उच्चपथ दो लेन वाले, 14.3 प्रतिशत मध्यवर्ती लेन वाले और 19.4 प्रतिशत एक लेन वाले थे। 0.6 प्रतिशत राज्य उच्चपथ ही दो से अधिक लेन वाले थे। सितंबर 2017 में राज्य में मुख्य जिला पथों की कुल लंबाई 11,145 किमी थी जिसमें अधिकांश (54 प्रतिशत) एक लेन वाले थे। हालांकि राज्य में वर्तमान परिवहन घनत्व के लिए यह चौड़ाई नितांत अपर्याप्त है। कुल मुख्य जिला पथों में से 4,956 किमी को मध्यवर्ती या दो लेन चौड़ाई वाली सड़कों में तथा 166 किमी को दो से अधिक लेन वाली सड़कों में बदल दिया गया है।
5. राज्य में 2011-12 से 2016-17 के बीच निर्बंधित मोटर वाहनों की कुल संख्या 11.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। निर्बंधित वाहनों की वृद्धि के शीर्ष तीन वाहक हैं – बस (17.0 प्रतिशत), ट्रेलर (14.9 प्रतिशत) और ट्रक (14.2 प्रतिशत)। देश के रेलमार्गों में बिहार का 5.6 प्रतिशत हिस्सा है। प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर रेलमार्ग घनत्व बिहार में 39.6 किमी और संपूर्ण भारत के स्तर पर 20.3 किमी है। बिहार में वायुयानों का आवागमन 2004-05 के 3,844 से लगभग चौगुना बढ़ा और 2016-17 में 15,508 हो गया। इसी प्रकार, यात्रियों की संख्या भी 2005 के 1.76 लाख से लगभग बारहगुना होकर 2016-17 में 21.12 लाख पहुंच गई जिसका अर्थ इस अवधि में प्रतिदिन 483 यात्री से बढ़कर 5,787 यात्री हो जाना है। माल ढुलाई भी छःगुना से अधिक बढ़ी है।
6. राज्य सरकार के सात निश्चयों के तहत सुशासन कार्यक्रम के उद्देश्य से मुफ्त वाइ-फाइ सेवा शुरू की गई है। इस योजना के तहत विभिन्न सरकारी शैक्षिक संस्थानों, जैसे कि 16 विश्वविद्यालयों, 273 संघटक महाविद्यालयों, 3 अभियंत्रण महाविद्यालयों, 9 चिकित्सा महाविद्यालयों, 8 कृषि महाविद्यालयों और 10 अन्य शैक्षिक संस्थानों में वाइ-फाइ हॉटस्पॉट लगाए जा रहे हैं। इस योजना के 2015-20 तक की पंचवर्षीय अवधि में क्रियान्वयन के लिए बेल्ट्रॉन (बिहार राज्य इलक्ट्रॉनिक विकास निगम लि.) को कुल 165.54 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।
7. टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या 2001 के 10 लाख से असाधारण रूप से बढ़कर 2010 में 448 लाख हो गई थी। बाद में 2017 में यह संख्या 448 लाख से लगभग दूनी होकर 849 लाख हो गई। फलतः हाल के वर्षों में बिहार में दूरभाष घनत्व में काफी वृद्धि हुई है जो 2001 के 1.2 था जो 2017 में 61.0 हो गया।
8. मार्च 2016 में बिहार में कुल 9,037 डाकघर मौजूद थे जिनमें से 8,573 (95 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 464 (5 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में। डाकघर बैंकों में 271 लाख से अधिक खाताधारी हैं और वे बिहार में 9,037 डाकघरों के नेटवर्क के जरिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। बिहार के कुल 271 लाख खातों का पूरे देश के डाकघर खातों में 7 प्रतिशत हिस्सा था। बिहार में बचत

खातों में बकाया शेष 13,232 करोड़ रु. और सभी खातों को मिलाकर कुल बकाया शेष 22,923 करोड़ रु. था। संपूर्ण भारत में बिहार का हिस्सा इस प्रकार था - जमा में 5.9 प्रतिशत, निवेश में 3.3 प्रतिशत, मासिक जमा योजना में 3.9 प्रतिशत और कुल बकाया शेष में 4.7 प्रतिशत।

9. सिंचाई सुविधाओं के बेहतर साज-संभाल के कारण बिहार में सिंचाई क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हुई है। मार्च 2017 तक सृजित सिंचाई क्षमता 70.48 लाख है, थी जो चरम सिंचाई क्षमता का 60.0 प्रतिशत है। प्रयुक्त सिंचाई क्षमता 63.42 लाख है, है जो सृजित सिंचाई क्षमता का 90.0 प्रतिशत और चरम सिंचाई क्षमता का 54.0 प्रतिशत है।

ऊर्जा क्षेत्र

1. बिहार में बिजली की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है - 2011-12 के 1712 मेगावाट से 2016-17 में (अक्टूबर 2016 तक) 3769 मेगावाट; अर्थात पिछले छ: वर्षों में बिजली की उपलब्धता में लगभग 120 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 तक लगभग 30 प्रतिशत की सर्वोच्च कमी (पीक डेफिसिट) रहती थी। वर्ष 2016-17 तक यह कमी घटकर लगभग 14 प्रतिशत रह गई। बिजली की औसत उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में 6-8 घंटे से बढ़कर 14-16 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 10-12 घंटे से बढ़कर 20-22 घंटे हो जाने के कारण राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2011-12 के 134 किलोवाट आवर से बढ़कर 2016-17 में 272 किलोवाट आवर हो गई। यह पांच वर्षों में लगभग 103 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।
2. अपने सभी नागरिकों को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराना निस्संदेह सामाजिक समानता का पर्यायवाची है। इस संकल्प के जरिए राज्य सरकार जारी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के साथ मिलकर 2018 के अंत तक राज्य के सभी परिवारों को बिजली उपलब्ध कराएगी। वर्ष 2018-19 तक बिहार में बिजली की मांग लगभग 5,200 मेगावाट और ऊर्जा की वार्षिक मांग 2806.9 करोड़ यूनिट होना अनुमानित है।
3. मार्च 2017 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 3,904 मेगावाट थी। बढ़ी हुई मांग को पूरी करने के लिए राज्य सरकार 2018-19 तक विभिन्न स्रोतों से 1,659 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना पहले ही बना चुकी है। वर्ष 2018-19 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 5,563 मेगावाट हो जाने की आशा है, जिसमें से 4,593 मेगावाट पारंपरिक बिजली होगी और शेष 970 मेगावाट अपारंपरिक।
4. वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य विद्युत होलिंडंग कंपनी लि. और इसकी अनुषंगी कंपनियों - बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभियान (ब्रेंडा) और बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) के लिए धनराशि का आबंटन 3,110.92 करोड़ रु. था जो 2016-17 में बढ़कर 7514.64 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2017-18 के लिए परिव्यय 8,271.59 करोड़ रु. है।
5. बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद (केंद्रीय वितरण जनित हास को छोड़कर) 2013-14 के 1400.2 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2016-17 में 2,302.7 करोड़ यूनिट हो गई। बिजली की खरीद बढ़ने के साथ राजस्व संग्रहण भी बढ़ा है। पिछले चार वर्षों में लागत वसूली भी उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. के मामले में 90 प्रतिशत से अधिक और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. के मामले में 85 प्रतिशत से अधिक हो गई है। फलत: दोनों कंपनियों का वित्तीय घाटा बहुत कम हो गया है।

- विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति संचरण नेटवर्क के जरिए होती है जिसमें उच्च विभव वाली बिजली को निम्न विभव वाली में बदलना भी शामिल होता है। संचरण नेटवर्क विद्युत उत्पादन और वितरण के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। अभी बिहार में संचरण व्यवस्था में लगभग 12,441 सर्किट किलोमीटर अति उच्च विभव वाली (ईएचवी) संचरण लाइनें, तथा 220/ 132 केवी स्तर पर कुल 6,590 एमवीए और 132/33 केवी स्तर के 10,980 एमवीए रूपांतरण क्षमता वाले 129 गिड उप-केंद्र हैं।
- बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. ने अगले कुछ वर्षों में प्रचुर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसने 2021-22 तक 4,630 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मार्च 2017 तक राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3,825 मेगावाट थी। इसमें से 86.4 प्रतिशत कोयला आधारित तापविद्युत, 9.7 प्रतिशत जलविद्युत और शेष 3.9 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से उपलब्ध थी।
- मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत 'हर घर बिजली लगातार' की प्राप्ति के लिए गरीबी रेखा से नीचे के सारे परिवारों को ग्रामीण विद्युतीकरण के फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और गरीबी रेखा से ऊपर के (एपीएल) सारे ग्रामीण परिवारों को मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिसंबर 2018 तक सभी परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध करा देने का लक्ष्य है। इस परियोजना का अनुमानित व्यय 1,897. 50 करोड़ रु. है।

ग्रामीण विकास

- बिहार में गरीबी अनुपात 2004-05 के 54.4 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 33.7 प्रतिशत रह गया अर्थात् इस बीच 20.7 प्रतिशत अंकों की कमी हुई। इस अवधि में संपूर्ण भारत के स्तर पर 15.3 प्रतिशत अंकों की ही कमी आई थी - 37.2 प्रतिशत से 21.9 प्रतिशत। साथ ही बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात में आई कमी (21.6 प्रतिशत अंक) शहरी क्षेत्रों में आई कमी (12.5 प्रतिशत अंक) से अधिक है। इस पर गौर करना भी दिलचस्प है कि शहरी क्षेत्रों में बिहार और भारत के बीच के अंतर (17.5 प्रतिशत अंक) के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में अंतर (8.4 प्रतिशत अंक) काफी कम है।
- 10 वर्षों की अवधि में जीविका ने स्वयं सहायता समूहों के जरिए सशक्त और टिकाऊ संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। इन समूहों को ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संगठनों में संबद्ध किया जाता है। मिशन सितंबर 2017 तक 79.12 लाख परिवारों को 6.76 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर चुका है। इस अवधि तक 41,660 ग्राम संगठनों और 577 संकुल स्तरीय संघों का भी गठन किया गया। साथ ही, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2017 तक 4.55 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ जोड़ा गया है और वे कुल 3,729 करोड़ ऋण प्राप्त करने में सफल हुए हैं।
- वर्ष 2016-17 में मनरेगा के तहत 142.2 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए और उस वर्ष 16.4 प्रतिशत जॉब कार्ड-धारकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। हालांकि जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, उनमें से 0.6 प्रतिशत लोगों को ही 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2015-16 में यह आंकड़ा 4.0 प्रतिशत था। धनराशि का उपयोग विगत वर्षों के दौरान बढ़ता गया है और पिछले दो वर्षों में देखें तो 2015-16 में यह 99.9 प्रतिशत और 2016-17 में 89.7 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 में कुल 873.4 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजन हुआ जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा 671.8 लाख व्यक्ति-दिवस था। इसका अर्थ 30.0 प्रतिशत वृद्धि है। कुल मिले रोजगार में

महिलाओं का हिस्सा 2016-17 में 43.9 प्रतिशत था जबकि 2015-16 में उनका हिस्सा 40.8 प्रतिशत था।

4. 'प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण' का लक्ष्य गृहविहीन या कच्चे अथवा जीर्णशीर्ण मकानों में रहने वाले सभी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना है। वर्ष 2016-17 में योजना के तहत 89.0 प्रतिशत भौतिक उपलब्धि हासिल हुई जबकि 2015-16 में यह मात्र 21.0 प्रतिशत थी।
5. जन वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्तक्षेपों में से एक है। आबंटन के प्रतिशत में उठाव वाले खाद्यान्नों की मात्रा जन वितरण प्रणालो के कामकाज का एक महत्वपूर्ण सूचक है। गेहूं के मामले में आबंटन की मात्रा 2013-14 के 10.6 लाख टन से दूनी होकर 2016-17 में 21.6 लाख टन हो गई। चावल के मामले वृद्धि और भी अधिक थी - 2013-14 में 13.4 लाख टन से लगभग 143 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 32.5 लाख टन। आबंटन की तरह ही दोनों अनाजों के मामले में उठाव में भी वृद्धि हुई है। फलतः, चारों वर्षों में गेहूं और चावल, दोनों के उठाव का प्रतिशत 100 प्रतिशत के आसपास रहा है।
6. बिहार पंचायत अधिनियम, 2016 के अनुसार, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। पांचवें राज्य वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20) की अनुशंसाओं के अनुसार हर वर्ष विगत वर्ष में हुए कुल वास्तविक व्यय के 2.75 प्रतिशत और राज्य के अपने कर राजस्व के 8.50 प्रतिशत भाग का अंतरण पंचायती राज संस्थाओं को किया जाएगा। कुल अंतरित राशि का तीनों स्तरों पर इस रूप में बंटवारा किया जाएगा - ग्राम पंचायतों को 70 प्रतिशत, पंचायत समितियों को 10 प्रतिशत और जिला परिषदों को 20 प्रतिशत। पंचायतों को होने वाला कुल अंतरण (प्रतिनिधान + अनुदान) 2016-17 में 1,081.11 करोड़ रु. था और 2017-18 में स्वीकृत बजट अनुमान के अनुसार 2,162.31 करोड़ रु. ह।
7. बाढ़ और चक्रवात आपदा के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए राज्य ने पिछले दो वर्षों में काफी रकम आर्बंटि की है। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों पर 1,701 करोड़ रु. आर्बंटि किए जो 2015-16 में 1,288.85 करोड़ रु. था। इस आबंटन का बड़ा भाग (95.9 करोड़ रु.) नगद सहायता के लिए था। कुशल आपदा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने 15-वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) रोडमैप तैयार किया है।
8. बिहार ने हाल में बिहार जलवायु परिवर्तन विषयक कार्ययोजना (बीएपीसीसी) बनाई है जिसमें जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों की पहचान की गई है और 10 क्षेत्रों में प्राथमिकता वाली 320 कार्रवाइयों को सूचीबद्ध किया गया है। इस दस्तावेज से राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलित होने और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वैश्विक कमी में योगदान करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, 2016 में वित्तीय रूपरेखा हेतु राज्य कार्ययोजना (सैपफिन) भी तैयार की गई थी।

नगर विकास

1. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर महज 11.3 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 31.2 प्रतिशत है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत में शहरीकरण के स्तर में 3.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई और शहरी आबादी 2001 के 27.8 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31.2 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत, बिहार में इस बीच इसमें 0.8 प्रतिशत अंकों की ही वृद्धि हुई और यह 2001 के 10.5 प्रतिशत से 2011 में 11.3 प्रतिशत तक ही पहुंची।

- नगर विकास पर व्यय 28.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है जो हाल के वर्षों में इस क्षेत्र पर राज्य सरकार के गंभीर ध्यान होने को दर्शाता है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि नगर विकास एवं आवास पर बजट आबंटन के प्रतिशत के बतौर वास्तविक व्यय का स्तर हाल के वर्षों में ऊंचा अनुपात रहा है। वर्ष 2015-16 में यह 86.2 प्रतिशत के संतोषजनक स्तर पर था। अकेले नगर विकास के लिए यह अनुपात उससे भी अधिक - 94.9 प्रतिशत था।
- पवकी नली-गली योजना के तहत 2019-20 तक 3,65,490 मकान आच्छादित होंगे। धनराशि की जरूरत पूरी करने के लिए 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा वाली धनराशियों के लिए आरक्षित रखा गया है और शेष की पूर्ति राज्य योजना की धनराशि से की जाएगी।
- राज्य सरकार उन 35 स्थानीय नगर निकायों के आंकड़े संग्रहित करती रही है। नगरपालिका निकायों की कुल राजस्व आय में राजस्व अनुदानों का काफी बड़ा हिस्सा होता है। वर्ष 2015-16 में उनकी कुल 114.11 करोड़ रु. की आय में राजस्व अनुदानों का हिस्सा 111.93 करोड़ रु. (77 प्रतिशत) था। जब तक नगरपालिका निकायों की स्वयं अर्जित आय तेजी से नहीं बढ़ती है, तब तक राजस्व अनुदानों पर उनकी काफी निर्भरता काफी समय तक बनी रहेगी।

बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र

- मार्च 2017 में बिहार में स्थित व्यावसायिक बैंकों की कुल 6,844 शाखाएं थीं। वर्ष 2013-14 में अप्रत्याशित रूप से खुलने वाली 638 नई शाखाओं की तुलना में 2016-17 में मात्र 183 नई शाखाएं खुलीं। उनका वितरण दर्शाता है कि 51.0 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 28.5 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 20.5 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं।
- बिहार में 2015-16 में कुल जमा राशि में गत वर्ष की तुलना में 12.1 प्रतिशत (26,263 करोड़ रु.) की अच्छी-खासी वृद्धि हुई। इसके साथ-साथ, 2015-16 में ऋण में भी 8,348 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है जो 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है जो गत वर्ष की 16.7 प्रतिशत वृद्धि से कम है। वर्ष के दौरान संबंधित राष्ट्रीय औसत के आंकड़े जमा के मामले में 7.5 प्रतिशत और ऋण के मामले में 9.4 प्रतिशत हैं।
- सितंबर 2017 के अंत में बिहार में सभी बैंकों का कुल जमा 2,89,017 करोड़ रु. था और कुल ऋण 1,28,901 करोड़ रु। इससे ऋण-जमा अनुपात 44.6 प्रतिशत हुआ जो मार्च 2017 के ऋण-जमा अनुपात 46.4 प्रतिशत से थोड़ा कम है। हालांकि ऋण-जमा अनुपात में हाल के वर्षों में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन इसकी निम्न वृद्धि दर से बिहार का बैंकिंग परिदृश्य लगातार पीड़ित है।
- वर्ष 2016-17 और 2017-18 (सितंबर तक) के बीच ऋण-जमा अनुपात के मामले में जिलों के बोच काफी अंतर है। यह सारण और सीवान के लिए मात्र 26.7 प्रतिशत है तो कैमूर के लिए 69.9 प्रतिशत। राज्य के 38 में से कम से कम 5 जिलों (मुंगेर, भोजपुर, गोपालगंज, सारण और सीवान) में यह अनुपात 30 प्रतिशत से कम था। वहीं, बेहतर प्रदर्शन करने वाले (50 प्रतिशत से अधिक ऋण-जमा अनुपात वाले) जिले रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया थे।
- वर्ष 2016-17 में राज्य में बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों में 75 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अग्रिमों का था। कुल अग्रिमों में कृषि का हिस्सा 48 प्रतिशत था जो गत वर्ष 52 प्रतिशत था। देखा जा सकता है कि 2016-17 में कुल वितरित ऋण में जहां कृषि की प्रधानता थी, वहीं लघु और

मध्यम उद्योगों को दिए गए अग्रिमों का हिस्सा मात्र 15 प्रतिशत था जो 2015-16 में दर्ज 16 प्रतिशत से थोड़ा कम है।

6. मार्च 2016 में बिहार में 8,463 पैक्स थे जिनका संपूर्ण भारत के पैक्स में 9.1 प्रतिशत हिस्सा था। लेकिन जमा और ऋणग्रहण के मामले में बिहार के पैक्स अन्य राज्यों से बहुत पीछे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के कुल 8,463 पैक्स में से 3,962 घाटे में चल रहे हैं जिनका कुल घाटा 94 लाख रु. पहुंच गया है जबकि 1,180 पैक्स ने कुल 6 करोड़ रु. लाभ अर्जित किया है। सारे पैक्स का कुल जमा महज 175 करोड़ रु. था और उन पर कुल बकाया ऋण 501 करोड़ रु. हो गया था।
7. वर्ष 2016-17 में बैंकों द्वारा 2016-17 में जारी किसान क्रेडिट कार्डों के मामले में उपलब्ध मात्र 38.7 प्रतिशत थी। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों ने 2016-17 में अपने लक्ष्य की मात्र 46.7 प्रतिशत उपलब्ध हासिल की जबकि एक वर्ष पहले उपलब्ध दर 52.7 प्रतिशत थी। वहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्ध दर में तेज गिरावट आई जो 2015-16 के 51.0 प्रतिशत से गिरकर 28.4 प्रतिशत रह गई। केंद्रीय सहकारी बैंक भी अपने लक्ष्यों से काफी पिछड़े रहे और 2016-17 में उनकी उपलब्ध दर 2015-16 के 18.7 प्रतिशत की तुलना में महज 14.1 प्रतिशत थी।
8. नाबाड़ द्वारा मार्च 2017 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के 22 ट्रैंच जारी किए गए हैं। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष द्वारा पहले ट्रैंच से 22वें ट्रैंच तक संचयी आबंटन 2,67500 करोड़ रु. पहुंच गया जिसके मामले में कुल स्वीकृति 2,87,129 करोड़ रु. की थी और कुल संवितरण 2,15,605 करोड़ रु। इसमें ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के बारहवें से पंद्रहवें ट्रैंच तक भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए जारी 18,500 करोड़ रु. की धनराशि भी शामिल है। संचयी धनराशि में सर्वाधिक 43 प्रतिशत हिस्सा कृषि और संबंधित क्षेत्रों का रहा है और उसके बाद 41 प्रतिशत ग्रामीण पथ एवं ग्रामीण पुल सहित ग्रामीण पथसंपर्क का तथा 16 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं का।
9. अभी तक पहुंच से दूर रहे गरीबों के वित्तीय समावेश के लिए स्वयं सहायता समूह-बैंक ऋण संपर्क कार्यक्रम सबसे पसंदीदा और सक्षम मॉडलों में से एक बन गया है। बिहार में 2015-16 के अंत तक 4.41 लाख स्वयं सहायता समूह बैंक ऋण संपर्कित थे जो देश के कुल बैंक ऋण संपर्कित स्वयं सहायता समूहों का लगभग 5.1 प्रतिशत ठहरते हैं। इन समूहों द्वारा कुल 626.6 करोड़ रु. की बचत की गई थी और इन्हें वर्ष 2016-17 में इन्हें लगभग कुल 1,323.1 करोड़ रु. का कुल बैंक ऋण प्राप्त हुआ था।

मानव विकास

1. बिहार में अर्थव्यवस्था की विकास दर हाल के वर्षों में ऊंची रही है और कुछ वर्षों में तो विकास दर दो अंकों में भी रही है। राज्य के प्रति व्यक्ति विकास व्यय (PCDE) में 2011-12 से 2016-17 के बीच लगातार ऊपर जाने का रुझान रहा है। वर्ष 2011-12 में यह व्यय 1,878 रु. था जो 2016-17 में 14.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2016-17 में 3,767 रु. हो गया। इसी अवधि में पूरे देश के स्तर पर प्रति व्यक्ति विकास व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 15.6 प्रतिशत थी जो बिहार से थोड़ा अधिक है।
2. बिहार में हाल के वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या 10,496 है जो 2012 में 9,863 ही थी। यह अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। बिहार में संस्थागत प्रसवों की संख्या 2012-13 में 14.9 लाख थी जो 2016-17 में बढ़कर 15.45 लाख हो गई।

3. समेकित बाल विकास योजना राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। समेकित बाल विकास योजना के लिए बजट प्रावधान लगातार बढ़ा है और 2012-13 के 1,393.30 करोड़ रु. से 19 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 1,494.10 करोड़ रु. हो गया है। वर्ष 2016-17 में 91 प्रतिशत विमुक्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा धनराशि के कुशल उपयोग को दर्शाता है।
4. वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत 6.4 हजार चापाकल लगाए गए हैं और 1.3 हजार छूटे हुए टोलों को शामिल किया गया है। वर्ष 2016-17 में प्रमुख उपलब्धि व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आइएचएचएल) के निर्माण के मामले में दर्ज की गई है। कुल 8.72 लाख बने व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों में से 5.5 लाख (63.3 प्रतिशत) गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए हैं और 3.2 लाख (36.7 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए। धनराशि का उपयोग लगातार बढ़ता गया है और 2011-12 के 82.6 प्रतिशत से 2016-17 में 84.9 प्रतिशत हो गया है।
5. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार का एक मिशन है। बिहार में समग्र स्वच्छता आच्छादन 39.5 प्रतिशत है और 38 जिलों में 13 प्रखंड तथा 2,646 गांव खुले में शौच से मुक्त हैं। राज्य में स्वच्छता की प्रगति को प्रभावित करने वाली जुलाई 2016 और 2017 में आई भारी बाढ़ों के बावजूद लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत 14.3 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया जिसके लिए 597.91 करोड़ रु. खर्च हुए।
6. राज्य ने गत दशक में साक्षरता दर के मामले में काफी सुधार किया जो 2001 के 47.0 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 61.8 प्रतिशत हो गई। यह 14.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाती है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों को मिलाकर कुल नामांकन 2011-12 के 207.25 लाख से 3.3 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़कर 2015-16 में 235.67 लाख पहुंच गया। साथ ही, इस अवधि में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन 4.4 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। इन वर्षों के दौरान प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल भी घटता गया है। प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 2011-12 में 34.8 प्रतिशत थी जो 2015-16 में 25.0 प्रतिशत रह गई।
7. वर्ष 2012-13 में प्राथमिक स्तर पर योजना का आच्छादन 57.7 प्रतिशत था जो 2016-17 में बढ़कर 63.3 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में योजना का आच्छादन 2012-13 और 2016-17, दोनों वर्षों में लगभग 57 प्रतिशत रहा। कुल मिलाकर, दोनों ही स्तरों पर योजना का आच्छादन हाल के वर्षों में बढ़ा है हालांकि हस्तक्षेप वाले वर्षों के दौरान आच्छादन में कमी भी आई।
8. अभी राज्य में 23 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं जिनमें से 22 पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं और एक मुक्त विश्वविद्यालय है। राज्य में 15 शोध संस्थान भी हैं। वर्ष 2016 में राज्य में कुल 276 राजकीय महाविद्यालय और 478 स्थानीय निकाय महाविद्यालय थे। वर्ष 2016 में राज्य में 60 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान थे जबकि वर्ष 2013 में इनकी संख्या 43 ही थी। अभी राज्य में 87 महाविद्यालयों और 7 विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की मान्यता प्राप्त है।
9. वर्ष 2016-17 में छात्रवृत्ति योजना के तहत विभिन्न जिलों में 738.80 करोड़ रु. वितरित किए गए। जिससे 32.8 लाख अजा/ अजजा विद्यार्थी लाभान्वित हुए। वर्ष 2017-18 में इसके लिए 622.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। हर आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 17.60 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2017-18 में अभी तक 91.80 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं और 23,513 अजा/अजजा विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

10. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत दिसंबर 2017 तक 9,337 अल्पसंख्यक लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुल 98.16 करोड़ रु. आवंटित किए गए। अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार के लिए वर्ष 2017-18 में गत वर्ष के 25 करोड़ रु. के स्थान पर अगले पांच वर्षों के लिए 100.00 करोड़ रु. वार्षिक स्वीकृत किए गए हैं।
 11. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत महिला विकास निगम ने सेवा-उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं आर लगभग 23,000 प्रशिक्षुओं को रोजगार लायक कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया है। उनके लिए नालंदा जिले के बिहारशरीफ में हथकरघा सामान्य सुगमीकरण केंद्र शुरू किया गया है। नारी सशक्तीकरण नीति, 2015 के हिस्से के बतौर बाल विवाह और दहेज विरोधी अभियान भी शुरू किया गया है। अभी शिवहर छोड़कर शेष 37 जिलों में महिला सशक्तीकरण कार्यालय भवन निर्माणाधीन हैं।
 12. केंद्र सरकार द्वारा संशोधित बीड़ी श्रमिक समेकित आवास योजना, 2016 का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत घर बनाने के लिए बीड़ी श्रमिकों को 3 किलों में 1.50 लाख रु. अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में योजना के लिए 40.0 लाख रु. आवंटित किए गए जिससे 1,000 बीड़ी श्रमिक प्रति मकान 4,000 रु. से लाभान्वित हुए।
-

अध्याय 1

बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन

बिहार में 2005-06 में शुरू हुई विकास प्रक्रिया एक दशक से भी अधिक समय तक जारी रही है। राज्य सरकार की टिकाऊ प्रतिबद्धता के कारण शुरुआत के वर्षों में हुए विकास के प्रदर्शन के बाद मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही संपर्कों के प्रभावों ने विकास की प्रक्रिया को प्रेरित किया, अर्थव्यवस्था ने आवेग प्राप्त कर लिया। उच्च विकास, खास कर स्थावर संपदा और निर्माण के क्षेत्रों में उच्च विकास के कारण अर्थव्यवस्था में ढांचागत रूपांतरण भी हुआ। हाल में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 2011-12 का आधार वर्ष के बतौर उपयोग करते हुए किए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के अनुमानों की नई गुंखला जारी की है जिसमें सामग्रियों के समुच्चय को भी संशोधित किया गया है। नए अनुमानों के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर गत वर्ष 10.3 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए यह आंकड़ा 7.0 प्रतिशत था। राज्य में हासिल उच्च वृद्धि दर के अनेक सकारात्मक प्रभाव हुए। खास कर गरीबी अनुपात 2004-05 के 54.4 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 33.7 प्रतिशत रह गया। आने वाले वर्षों में इस अनुपात में और भी गिरावट आने की संभावना है। इस विकास प्रक्रिया के पूरक के रूप में राज्य सरकार ने सात निश्चय घोषित किए हैं जिनमें युवा कल्याण, महिलाओं को रोजगार, सभी घरों को बिजली की आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, पथ संपर्क, शौचालय सुविधा और उच्च तकनीकी शिक्षा शामिल हैं।

राज्य सरकार के वित्तीय अनुशासन के फलस्वरूप 2005-06 से 2016-17 के बीच किए गए उच्च-स्तरीय निवेश ने अर्थव्यवस्था की टिकाऊ विकास दर को आवेग प्रदान किया है। राज्य इन सारे वर्षों में प्रचुर शजस्व अधिशेष सृजित करते रहने में सफल रहा जिससे प्रचुर सार्वजनिक निवेश हो पाया। पिछले साल हुई शराबबंदी की घोषणा के कारण शुरू में तो वाणिज्य करों के संग्रहण में संभावित कमी के कारण राजकोषीय मोर्चे पर परेशानी आई लेकिन संसाधनों की कमी से निपटने के लिए वैकल्पिक तरीका तलाशकर राज्य सरकार विकास का आवेग बरकरार रखने में सफल रही।

वर्ष 2017-18 के इस आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की समग्र अर्थव्यवस्था और उसके विविध क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत की गई है। हर क्षेत्र में किए गए विकास के विश्लेषण के जरिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों और उनके कारण प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही बाधाओं को भी रेखांकित किया गया है ताकि उपचारों उपाय किए जा सकें। इस आर्थिक अध्याय के अलावा इस सर्वेक्षण में नौ और अध्याय हैं - राज्य की वित्तव्यवस्था, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, उद्यमिता क्षेत्र, अधिसंचना, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, बैंकिंग एवं सहवर्ती क्षेत्र तथा मानव विकास।

1.1 जनसांख्यिक विवरणी

तालिका 1.1 में 2001 और 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार और भारत की मुख्य जनसांख्यिक विवरणी प्रस्तुत है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी जो पूरे देश की जनसंख्या (121.06 करोड़) का 8.6 प्रतिशत होती है। जनसंख्या के वर्तमान विकास दर के अनुसार 1 अप्रैल 2018 को बिहार की जनसंख्या 11.9 करोड़ होगी। तालिका 1.1 में देखा जा सकता है कि बिहार की जनसांख्यिक विवरणी पूरे देश की जनसांख्यिक विवरणी के साथ तुलनीय नहीं है। सबसे पहले तो 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर बिहार में 25.1 प्रतिशत थी जबकि संपूर्ण देश के लिए 17.6 प्रतिशत। बिहार को अभी भी जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर का कारण बनने वाले अनेक सामाजिक और आर्थिक कारकों से पार पाना होगा। दूसरा, राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है जो पूरे देश के जनसंख्या घनत्व (382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) से काफी अधिक है। जनसंख्या का ऐसा दबाव राज्य के विकास के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। फिर बिहार में शहरीकरण की दर मात्र 11.3 प्रतिशत है जो 31.2 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। यह भी गौरतलब है कि बिहार में शहरी आबादी की दशकीय वृद्धि दर मात्र 0.8 प्रतिशत रही है जो पूरे देश के औसत (3.4 प्रतिशत) से काफी कम है। लिंग अनुपात भी बिहार में 918 हैं जो संपूर्ण भारत के 943 से कम है। लेकिन उत्साह की बात है कि बिहार का बाल लिंग अनुपात 935 है जो राष्ट्रीय औसत (919) से अधिक है।

तालिका 1.1 : भारत और बिहार की जनसांख्यिक विवरणी और प्रशासनिक ढांचा (2001 और 2011)

जनसांख्यिक सूचक	बिहार		भारत	
	2001	2011	2001	2011
जनसंख्या (करोड़)	8.29	10.41	102.87	121.06
लिंग अनुपात (महिला प्रति हजार पुरुष)	919	918	933	943
बाल लिंग अनुपात	942	935	927	919
घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	880	1106	325	382
शहरीकरण (प्रतिशत)	10.5	11.3	27.8	31.2
दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)	28.6	25.1	21.5	17.6
जिलों की संख्या	37	38	593	640
विकास प्रखंडों की संख्या	533	534	5463	5924
(वैधानिक/ जनगणना) शहरों की संख्या	130	199	5161	7935
गांवों की संख्या	45098	39073	638596	597369

स्रोत : भारत की जनगणना, 2001 और 2011

बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 1.1) में प्रस्तुत की गई है। तालिका में जनसंख्या, समग्र लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व, दशकीय वृद्धि दर और शहरीकरण के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। आंकड़ों से जिलों के बीच सूचकांकों के मामले में काफी अंतर का पता चलता है। जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर के लिहाज से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिले अरवल, गोपालगंज और दरभंगा हैं जिनमें से प्रत्येक में दशकीय वृद्धि दर 20 प्रतिशत से नीचे रही है। लिंग अनुपात के मामले में आंकड़ा मुंगेर के न्यूनतम 876 से गोपालगंज के अधिकतम 1021 के बीच है। बाल लिंग अनुपात के मामले में जिलों के बीच आंकड़ों में काफी समरूपता है लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है। राज्य के 38 में से 10 जिलों में जनसंख्या घनत्व काफी अधिक - 1,400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी अधिक है। ऐसे अधिकांश जिले उत्तर बिहार के हैं।

1.2 राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य घरेलू उत्पाद (स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) के अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) और निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी), दोनों के लिए अलग-अलग तैयार किए जाते हैं। दोनों ही अनुमान वर्तमान मूल्य पर अलग तैयार किए जाते हैं और स्थिर मूल्य पर अलग। सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 1.2) में वर्तमान मूल्य और 2004-05 के स्थिर मूल्य पर 2004-05 से लेकर 2014-15 तक के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रस्तुत हैं। तालिका के दूसरे भाग में (तालिका के निचले आधे हिस्से में प्रस्तुत) वर्तमान मूल्य और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2011-12 से लेकर 2016-17 तक के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान दिए गए हैं। सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 1.3) में 2011-12 से लेकर 2016-17 तक के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्षेत्रवार आंकड़े वर्तमान मूल्य पर प्रस्तुत हैं और सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 1.4) में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर। इसी प्रकार, सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 1.5) में निवल राज्य घरेलू उत्पाद के उसी अवधि के क्षेत्रवार आंकड़े वर्तमान मूल्य पर प्रस्तुत हैं और सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 1.6) में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर।

वर्ष 2016-17 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3.32 लाख करोड़ रु. था जिससे प्रति व्यक्ति आय 29,178 रु. होती है। वर्तमान मूल्य पर 2016-17 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.38 लाख करोड़ रु. अनुमानित है जिससे प्रति व्यक्ति आय 38,546 रु. ठहरती है।

राजकीय आय में वृद्धि

पिछले दशक में (2004-05 से 2014-15) के बीच स्थिर मूल्य पर राज्य की आय 10.01 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। हाल के समय में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2015-16 में 7.5 प्रतिशत और 2016-17 में 10.3 प्रतिशत रही (तालिका 1.2)। हालांकि यह वृद्धि दर लगभग 7.0 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के बीच इस दर का घटकर 4.9 प्रतिशत रह जाना अनुमानित है

लेकिन गौरतलब है कि विभिन्न आधार वर्षों (2004-05 और 2011-12) वाले सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तुलनीय नहीं हैं क्योंकि आधार वर्ष में परिवर्तन के अलावा कुछ प्रविधीय परिवर्तन भी किए गए हैं। पिछले छः वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत धीमी विकास दर का कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का धीमापन भी है। नवंबर 2016 में नोटबंदी की घोषणा ने भी राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। नोटबंदी के बाद पूंजी बाजार को झटका लगा था क्योंकि अचानक प्रख्यापन के कारण व्यावसायिक पूंजी की आपूर्ति में कमी आ गई थी जिससे निवेश योग्य अधिशेष में गिरावट आ गई थी। अतीत में राज्य की वृद्धि दर को गति देने वाले कुछ क्षेत्र (स्थावर संपदा, निवास स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं) विकास प्रक्रिया में अवतरण के कारण सर्वाधिक प्रभावित हुए। तेकिन पहले भी कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर अभी भी उच्च स्तर पर कायम है और बिहार देश के सबसे तेज विकास दर वाले राज्यों में से एक है।

क्षेत्रों की विकास दरों का व्यवहार

राज्य की आय में मुख्य योगदाताओं की पहचान करने वाले को चाहिए कि वह क्षेत्रों की वृद्धि दरों के मध्यकालिक व्यवहार की जांच करे (तालिका 1.2)। इस तालिका में स्थिर और वर्तमान, दोनों मूल्यों पर 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के लिए क्षेत्रों की विकास दरों प्रस्तुत की गई हैं। विभिन्न क्षेत्रों की विकास दरों पर नजर डालने से पता चलता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास के वाहक संभवतः ये क्षेत्र हैं -खनन एवं प्रस्तर खनन (67.5 प्रतिशत) विनिर्माण (25.9 प्रतिशत), परिवहन, भंडारण और संचार (13.5 प्रतिशत) तथा वित्तीय सेवाएं (10.1 प्रतिशत)। इन सारे क्षेत्रों की विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक दर्ज हुई है जो समग्र विकास दर से काफी अधिक है।

अन्य राज्यों के बरअक्स बिहार के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति की जानकारी के लिए विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के साथ बिहार के प्रति व्यक्ति आय की तुलना करना जरूरी है। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर विभिन्न राज्यों के 2011-12 से 2016-17 के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद तालिका 1.3 में प्रस्तुत हैं। उच्च विकास की परिघटना (2005-06 से 2014-15) के बावजूद प्रति व्यक्ति आय की तालिका में बिहार की स्थिति अभी भी राज्यों के बीच सबसे नीचे बनी हुई है। वर्ष 2015-16 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत के औसत का 31.6 प्रतिशत थी, जो 0.8 प्रतिशत बढ़ कर 2016-17 में 32.4 प्रतिशत हो गया। इसलिए बिहार की प्रति व्यक्ति आय और संपूर्ण भारत की प्रति व्यक्ति आय के बीच मौजूद अंतराल को अगर कम करना है, तो बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास का आवेग आने वाले काफी वर्षों तक बनाए रखना होगा। यह स्वीकार्य तथ्य है कि जैसे ही विकास की प्रक्रिया उच्च बिंदु पर पहंचती है, अर्थव्यवस्था के अंदर जुड़ाव के प्रभाव काम करने लगते हैं और वृद्धि की प्रक्रिया उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। फिर भी आने वाले वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था को विकास के उच्च धरातल पर ले जाने के लिए निवेश के मामले में कुछ बड़े आवेगों की जरूरत है, चाहे निवेश सार्वजनिक हों या निजी।

तालिका 1.2 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत वृद्धि दरं

क्र. सं.	क्षेत्र	2015-16		2016-17		2011-12 से 2015-16	
		वर्तमान मूल्य	स्थिर मूल्य	वर्तमान मूल्य	स्थिर मूल्य	वर्तमान मूल्य	स्थिर मूल्य
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	7.3	2.7	14.3	6.9	6.6	-1.7
1.1	फसल	6.3	0.8	16.9	8.2	1.4	-6.4
1.2	पशुधन	10.0	6.0	12.5	6.8	17.3	8.4
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	9.9	3.2	9.1	3.2	8.2	0.7
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	4.0	5.6	5.8	0.4	21.9	10.0
2.	खनन एवं प्रस्तर खनन	192.4	177.9	2.5	-5.9	88.6	67.5
	प्राथमिक	9.3	4.4	13.9	6.6	7.2	-1.2
3.	विनिर्माण	6.8	9.3	0.3	-1.3	30.0	25.9
4.	विद्युत, गैस, जलाधार्ति एवं अन्य जनापयोगी सेवाएं	41.2	-2.6	16.2	6.4	2.0	3.2
5.	निर्माण	1.1	-5.4	6.9	-0.1	5.8	-1.7
	द्वितीयक	5.7	1.6	4.5	-0.2	13.9	8.5
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	22.4	17.2	30.6	25.1	8.6	1.7
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	23.0	17.8	32.0	26.4	8.7	1.7
6.2	होटल एवं जलपानगृह	12.8	8.0	8.5	3.9	8.0	1.1
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	13.7	12.2	11.5	10.2	20.2	13.5
7.1	रेलवे	6.9	2.2	6.9	2.2	16.9	10.9
7.2	पथ परिवहन	12.9	11.7	12.9	11.8	20.7	13.7
7.3	जल परिवहन	-20.6	-21.5	0.0	-1.0	-20.8	-25.4
7.4	वायु परिवहन	95.0	93.0	42.4	40.9	42.4	34.2
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	12.9	11.7	12.9	11.7	20.8	13.8
7.6	भंडारण	13.1	8.1	13.0	7.9	8.4	1.4
7.7	संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं	17.9	17.7	10.8	10.8	21.2	14.6
8.	वित्तीय सेवाएं	14.3	11.4	14.3	11.4	12.0	10.1
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	2.2	0.4	2.9	0.7	7.7	2.7
10.	लोक प्रशासन	4.1	-2.2	37.2	31.4	7.3	-1.2
11.	अन्य सेवाएं	18.0	12.9	14.5	9.6	19.0	9.6
	तृतीयक	13.9	10.1	18.7	14.5	12.1	5.3
12.	आधारिक मूल्य पर कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए)	11.2	7.0	15.0	9.8	11.2	4.3
13.	उत्पादों पर कर	28.2	21.9	28.2	21.9	17.9	17.4
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	34.7	22.2	34.7	22.2	19.8	13.5
15.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	11.2	7.5	14.8	10.3	11.2	4.9

तालिका 1.3 : 2011-12 के मूल्य पर प्रमुख राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

राज्य	प्रति व्यक्ति आय (रु.)					
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
आंध्र प्रदेश	69000	68865	72254	78039	86118	95566
बिहार	21750	22201	22776	23223	24572	26693
छत्तीसगढ़	55177	56761	61293	64841	67185	71214
गुजरात	87481	96683	102589	111370	122502	-
हरियाणा	106085	111648	119522	124302	133591	143211
झारखण्ड	41254	44176	43779	48781	50817	54201
कर्नाटक	90263	94417	101918	106245	113506	120403
केरल	97912	103551	107846	112444	119763	-
मध्य प्रदेश	38550	41257	42654	44110	46783	51852
महाराष्ट्र	99173	103426	109364	113629	121514	-
ओडिशा	47632	49543	52551	54926	57616	61678
पंजाब	85577	88915	93238	95546	99372	103726
राजस्थान	57391	58526	60315	63123	66342	-
तमिलनाडु	92984	96937	101591	106186	111454	118915
उत्तर प्रदेश	32002	32908	34044	34583	36883	39028
भारत	63462	65538	68572	72862	77803	82269

स्रोत : केंद्रीय सार्वियकी संगठन, भारत सरकार

अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव

आर्थिक विकास पर उपलब्ध साहित्य बताते हैं कि आर्थिक विकास के साथ ढांचागत बदलाव अपरिहार्य हो जाता है। यह उपभोग के पैटर्न में प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं से द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के उत्पादों की दिशा में बढ़ जाता है। तालिका 1.4 में दिए गए आंकड़ों के अध्ययन से यह प्रत्याशित रुझान काफी स्पष्ट दिखता है। इस तालिका में वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत संरचना प्रस्तुत की गई है। वर्ष में 2011-12 में कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का 25.8 प्रतिशत हिस्सा था जबकि द्वितीयक क्षेत्र का 18.3 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का 55.5 प्रतिशत हिस्सा था। सबसे हाल के वर्ष अर्थात् 2016-17 में परिवर्तित हिस्सा इस प्रकार है- प्राथमिक क्षेत्र 21.0 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र 18.0 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र 61.0 प्रतिशत। इससे पता चलता है कि पांच वर्षों की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में लगभग 5 प्रतिशत अंकों की गिरावट आ गई। इसी अवधि में तृतीयक क्षेत्र के हिस्से में लगभग 6 प्रतिशत अंकों का उछाल आया और वह 61.0 प्रतिशत के करीब पहुंच गया। हालांकि द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा लगभग समान ही रहा।

तालिका 1.4 : स्थिर (2011-12) मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) की क्षेत्रगत संरचना

क्र. सं.	क्षेत्र	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अनंतिम)	2016-17 (त्वरित)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	25.7	27.0	22.8	22.0	21.1	20.6
1.1	फसल	17.6	18.9	14.2	13.1	12.3	12.1
1.2	पशुधन	5.0	5.0	5.4	5.7	5.6	5.5
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	1.3	1.5	1.6	1.7	1.7	1.5
2.	खनन एवं प्रस्तर खनन	0.1	0.1	0.5	0.2	0.6	0.5
	प्राथमिक	25.8	27.1	23.4	22.2	21.7	21.0
3.	विनिर्माण	6.1	3.9	7.2	9.6	9.8	8.8
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	1.5	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4
5.	निर्माण	11.2	10.2	10.5	9.7	8.5	7.8
	द्वितीयक	18.8	15.6	19.3	20.9	19.8	18.0
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपान गृह	18.2	18.6	17.5	15.8	17.3	19.7
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	17.0	17.5	16.4	14.8	16.3	18.8
6.2	होटल एवं जलपानगृह	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	7.3	8.1	9.0	9.7	10.1	10.2
7.1	रेलवे	1.1	1.3	1.5	1.5	1.4	1.3
7.2	पथ परिवहन	3.5	4.0	4.4	4.7	4.9	5.0
7.3	जल परिवहन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.4	वायु परिवहन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
7.6	भंडारण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.7	संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं	2.2	2.3	2.6	2.9	3.2	3.2
8.	वित्तीय सेवाएं	3.7	3.8	3.9	4.3	4.5	4.6
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	11.6	11.4	11.4	11.4	10.7	9.8
10.	लोक प्रशासन	5.6	5.3	4.9	4.9	4.5	5.3
11.	अन्य सेवाएं	9.2	10.1	10.5	10.8	11.4	11.3
	तृतीयक	55.5	57.2	57.3	56.9	58.5	61.0
12.	आधार मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन का योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

तीनों प्रमुख क्षेत्रों (प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक) के अंदर भी कुछ खास उप-क्षेत्र ढांचागत रूपांतरण में मुख्य योगदाता हैं। प्राथमिक क्षेत्र में ‘फसल’ उप-क्षेत्र का योगदान घटा है जबकि ‘पशुधन’ उप-क्षेत्र का योगदान थोड़ा बढ़ा है। इस अवधि में तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह उप-क्षेत्र का हिस्सा 18.2 प्रतिशत से बढ़कर 19.7 प्रतिशत हो गया लेकिन ‘स्थावर संपत्ति, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवा’ उप-क्षेत्र में गौरतलब गिरावट दिखी है (11.6 प्रतिशत से 9.8 प्रतिशत)।

1.3 क्षेत्रीय विषमता

प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में राज्यों के बीच अच्छी-खासी असमानता मौजूद है। बिहार के जिलों को प्रति व्यक्ति आय की तुलना करने पर उनके बीच भी वही परिघटना दिखती है। सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 1.7) में दिए गए प्रति व्यक्ति आय के जिलावार आंकड़ों को ध्यान से देखने पर जिलों के बीच मौजूद विषमता का आसानी से पता चल जाता है। इस तालिका में 2004-05 के मूल्य पर 2007-08 से 2011-12 तक के प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़े दर्शाए गए हैं। अब ताजातरीन आंकड़ों की गणना 2011-12 के मूल्य पर की जा रही है। सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 1.7) में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जिलों का दर्जा भी दिया गया है। प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से पटना, मुंगेर और बेगूसराय सर्वाधिक उन्नतिशील जिले हैं। वहाँ, दर्जे में सबसे नीचे के जिले मधेपुरा, सुपौल और शिवहर हैं। अगर हम पटना जिले को भो को छोड़ भी दें, जहां राज्य की राजधानी अवस्थित है, तो दूसरे सर्वाधिक उन्नतिशील जिले मुंगेर की प्रति व्यक्ति आय सबसे गरीब जिले शिवहर से तीनगुनी से अधिक है।

प्रति व्यक्ति आय के विश्लेषण के अलावा, पेटॉलियम उत्पादों (पेट्रॉल, डीजल और रसोई गैस) की खपत से भी विकास के मामले में जिलों के बीच मौजूद विषमता का पता चलता है। सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 1.8) में विभिन्न जिलों में विभिन्न पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत के 2015-16 और 2016-17 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तालिका में इन दोनों वर्षों में खपत का औसत स्तर, कुल खपत में जिलों के हिस्से और जनसंख्या में उनके हिस्से भी दर्शाए गए हैं। अगर किसी जिले में खपत का हिस्सा उसकी आबादी के हिस्से से अधिक है तो हम उस जिले को अपेक्षाकृत समृद्ध जिला कहते हैं। तीन सर्वाधिक समृद्ध जिलों के नाम तालिका 1.5 में प्रस्तुत हैं। तीनों पेटॉलियम उत्पादों के लिहाज से पटना सबसे समृद्ध जिला है। आबादी में 5.6 प्रतिशत हिस्से की तुलना में पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत में उसका हिस्सा है – पेट्रॉल 13.1 प्रतिशत, डीजल 10.2 प्रतिशत और रसोई गैस 14.2 प्रतिशत। विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि तीनों पेटॉलियम उत्पादों के मामले में पटना के बाद मुजफ्फरपुर और पूर्व चंपारण का स्थान है। इन सूचकों के आधार पर सबसे पिछड़े जिले शिवहर, अरवल और झेखपुरा हैं।

विभिन्न जिलों के डाकघरों और लोक भविष्य निधि में रखी गई लघु बचत की जमा राशियां भी जिलों की सापेक्ष समृद्धि पर प्रकाश डाल सकती हैं। ऐसी जमा राशियों के आंकड़े सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 1.9) में प्रस्तुत हैं। तालिका में ऐसी जमाराशियों के 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के औसत को गणना की गई है। ये औसत त्रिवर्षीय औसत हैं जो जिलों की सापेक्ष स्थिति दर्शाने के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्थिर सूचक हैं। तालिका में राज्य की कुल बचत में हर जिले के प्रतिशत हिस्से को भी प्रस्तुत किया गया है। जिलों की सापेक्ष स्थिति का पता करने के लिए इनकी तुलना जनसंख्या में हिस्से के साथ की गई है। इस लिहाज से समृद्ध जिले पटना, सारण और नालंदा हैं (तालिका 1.5)। दूसरी ओर, इसी सूचक के आधार पर सबसे पिछड़े जिले किशनगंज, अररिया और खगड़िया हैं।

तालिका 1.5 : बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और पिछड़े जिले

मापदंड	तीन शीर्षस्थ जिले	तीन सबसे पीछे के जिले
सकल जिला घरेलू उत्पाद	पटना, मुंगेर, बेगूसराय	मधेपुरा, सुपौल, शिवहर
पेट्रॉल	पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण	शिवहर, अरवल, शेखपुरा
डीजल	पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण	शिवहर, अरवल, शेखपुरा
एलपीजी	पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्व चंपारण	शेखपुरा, शिवहर, अरवल
लघु बचत	पटना, सारण, नालंदा	किशनगंज, अररिया, खगड़िया

1.4 वर्ष 2016 और 2017 में मुद्रास्फीति की दरें

थोक मूल्य सूचकांक पूरे भारत के लिए उपलब्ध होते हैं लेकिन सौभाग्यवश, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) भारत के साथ-साथ राज्यों के लिए भी उपलब्ध होते हैं। तालिका 1.6 में अक्तूबर 2016 के मुकाबले सितंबर 2017 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के लिए राज्यवार मुद्रास्फीति दरें प्रस्तुत की गई हैं। तालिका 1.6 में प्रस्तुत आंकड़ों के अध्ययन से देखा जा सकता है कि अक्तूबर 2016 के मुकाबले सितंबर 2017 में मूल्यवृद्धि ग्रामीण बिहार में संपूर्ण भारत की अपेक्षा धीमी थी। ग्रामीण भारत के लिए मुद्रास्फीति की दर 3.4 प्रतिशत थी जबकि बिहार के लिए 2.2 प्रतिशत ही थी। अपेक्षाकृत अधिक मुद्रास्फीति दरों वाले राज्य हैं - केरल (7.7 प्रतिशत), तमिलनाडु (6.0 प्रतिशत), महाराष्ट्र (5.8 प्रतिशत) और पंजाब (3.9 प्रतिशत)। शहरी क्षेत्रों पर गौर करने पर भी बिहार में मुद्रास्फीति की दर संपूर्ण भारत के मुकाबले कम थी। भारत के लिए मुद्रास्फीति की दर 3.8 प्रतिशत थी जबकि बिहार के लिए 2.5 प्रतिशत। ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति दरें कम होने के कारण बिहार में मुद्रास्फीति की समग्र दर भी कम है - संपूर्ण भारत के 3.6 प्रतिशत के मुकाबले 2.2 प्रतिशत।

तालिका 1.6 : उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए मुद्रास्फीति की राज्यवार वार्षिक दरें (आधार : 2012 = 100)

राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र का नाम	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
	अक्तूबर 16 का सूचकांक (अंतिम)	अक्तूबर 17 का सूचकांक (अनंतिम)	मद्रास्फीति की दर (%)	अक्तूबर 16 का सूचकांक (अंतिम)	अक्तूबर 17 का सूचकांक (अनंतिम)	मद्रास्फीति की दर (%)	अक्तूबर 16 का सूचकांक (अंतिम)	अक्तूबर 17 का सूचकांक (अनंतिम)	मद्रास्फीति की दर (%)
आंध्र प्रदेश	137.5	143.0	4.0	131.7	135.6	3.0	135.4	140.3	3.6
बिहार	135.7	138.7	2.2	128.2	131.4	2.5	134.6	137.6	2.2
छत्तीसगढ़	139.1	142.9	2.7	127.8	132.6	3.8	134.7	138.9	3.1
गुजरात	136.0	139.9	2.9	125.8	128.6	2.2	130.2	133.5	2.5
हरियाणा	131.3	135.5	3.2	124.5	131.1	5.3	128.1	133.4	4.1
झारखण्ड	138.9	143.1	3.0	128.3	132.8	3.5	134.9	139.2	3.2
कर्नाटक	134.6	140.0	4.0	134.9	139.3	3.3	134.8	139.6	3.6
केरल	130.5	140.5	7.7	131.3	138.4	5.4	130.8	139.8	6.9
मध्य प्रदेश	129.7	133.1	2.6	128.1	133.1	3.9	129.0	133.1	3.2
महाराष्ट्र	134.6	142.4	5.8	125.1	129.6	3.6	128.3	133.9	4.4
ओडिशा	139.7	141.3	1.2	127.2	131.7	3.5	136.2	138.6	1.8
पंजाब	130.0	135.1	3.9	126.7	129.6	2.3	128.5	132.6	3.2
राजस्थान	135.6	139.6	3.0	130.1	135.8	4.4	133.6	138.2	3.4
तमिलनाडु	131.2	139.0	6.0	130.7	137.9	5.5	130.9	138.4	5.7
उत्तर प्रदेश	132.3	133.4	0.8	128.9	133.5	3.6	131.1	133.4	1.8
पश्चिम बंगाल	134.4	137.0	1.9	129.7	134.7	3.9	132.2	135.9	2.8
संपूर्ण भारत	133.8	138.3	3.4	128.6	133.5	3.8	131.4	136.1	3.6

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक और श्रमिक ब्यूरो, भारत सरकार

अध्याय 2

राजकीय वित्तव्यवस्था

देश की सार्वजनिक वित्तव्यवस्था के वार्षिकांकों में वित्त वर्ष 2016-17 को केंद्र सरकार द्वारा लीक से हटकर शुरू किए गए सुधारों के वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। इन बदलावों को सहकारी संघवाद के विरल उदाहरण के बतौर सभी राज्य सरकारों का समर्थन मिला। सबसे पहले तो यह वर्ष योजना आयोग की समाप्ति के जरिए केंद्रीकृत योजना निर्माण युग की समाप्ति का साक्षी बना। फलतः इसके बाद से योजना और योजनेतर व्यय के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा और राज्य सरकारों का केंद्र सरकार द्वारा अंतरित धनराशियों पर अधिक नियंत्रण होगा। पहले इन अंतरणों का बड़ा हिस्सा योजनागत योजनाओं से जुड़ा होता था। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय धनराशि का प्रत्यक्ष अंतरण (ट्रांसफर) पहले ही समाप्त कर दिए जाने से हमारी सार्वजनिक वित्तव्यवस्था में केंद्रकृत योजना निर्माण तंत्र द्वारा किए गए विरूपणों के बड़े हिस्से में सुधार आ गया था।

दूसरे, इस वर्ष सबसे महत्वपूर्ण विकास 112वें संविधान संशोधन के अधिनियमन के जरिए संपूर्ण भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत का प्रावधान था। इसने एकल एकीकृत कर व्यवस्था के तहत पूरे देश के लिए साझा बाजार की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। नया कर बाद में 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर विधेयक संसद द्वारा अगस्त 2016 में पारित किया गया और अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा उसके पुष्टिकरण के बाद 8 सिंतंबर, 2016 को उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई। जुलाई 2017 तक सभी राज्यों ने इसका पुष्टिकरण हो नहीं कर दिया, अपने राज्यों के संबंधित राज्य वस्तु एवं सेवा कर विधेयक भी पारित कर लिए। बिहार विधानमंडल ने बिहार वस्तु एवं सेवा विधेयक, 2017 (2017 का अधिनियम 12) अप्रैल 2017 में ही पारित कर दिया। सभी राज्यों के अधिनियम एक जैसे हैं और विभिन्न सामग्रियों के लिए करों की दरें भी समरूप हैं। वस्तु एवं सेवा कर गंतव्य आधारित कर है जिसमें पूर्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संग्रहित होने वाले अधिकांश अप्रत्यक्ष कर समाहित हो गए हैं। अंतिम उपभोक्ता से आपूर्ति शृंखला के अंतिम विक्रेता द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लिया जाएगा और सभी पूर्ववर्ती चरणों में क्षतिपूर्ति संबंधी लाभ उपलब्ध होंगे। राज्यों को समर्थन देने के उपाय के बतौर पेट्रोलियम उत्पादों, मानव के उपयोग वाले अल्कोहल, तंबाकू, स्थावर संपदा और बिजली को वस्तु एवं सेवा कर के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। निससंदेह, अल्कोहल को बेचने से उत्पाद शुल्क प्राप्ति के मामले से बिहार को कोई फर्क नहीं पड़ता है जिसने व्यापक सामाजिक भलाई के मद्देनजर पूर्ण नशाबंदी लागू कर रखी है।

वस्तु एवं सेवा कर में कुल मिलाकर 17 केंद्रीय और राजकीय कर तथा 13 सेस समाहित कर दिए गए हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर में समाहित केंद्रीय कर और शुल्क हैं : केंद्रीय उत्पाद कर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्ववान वस्तुएं), अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (वस्त्र एवं वस्त्र उत्पाद), चिकित्सीय एवं प्रसाधन संबंधी निर्मित सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क (प्रतिशुल्क), और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क। समेकित वस्तु एवं सेवा कर में केंद्रीय बिक्रो कर भी समाहित हो जाएगा। राजकीय वस्तु एवं सेवा कर में समाहित होने वाले राजकोय कर और शुल्क हैं : राज्य मूल्यवर्धित कर/ बिक्रो कर, मनोरंजन कर (जो स्थानीय निकायों द्वारा लगाया गया नहीं हो), विलासिता कर, लॉटरी पर कर, सट्टेबाजी और जुआ पर कर, विज्ञापन कर,

चुंगी, प्रवेश कर और क्रय कर। वस्तु एवं सेवा कर में समाहित होने वाले करों/शुल्कों में वस्तुओं/ सेवाओं पर कर की पकृति वाले केंद्रीय अधिभार और सेस (जैसे रबर, चाय, कॉफी, राष्ट्रोय आपदा विषयक शुल्क आदि) तथा अभी तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित राज्य के सेस और अधिभार भी हैं।

नई कर व्यवस्था में दो कर होंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष करों की जगह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्य के प्रत्यक्ष करों की जगह राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)। दुहरा मॉडल सुनिश्चित करता है कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण केंद्र सरकार द्वारा और राज्य वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और उनकी साझेदारी अधिनियमों में वर्णित तरीके से तय की जाएगी। साथ ही, एक अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी) भी होगा जो केंद्रीय बिक्रो कर की जगह लेगा और अंतर-राज्य व्यापार के क्रम में सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाएगा। वस्तुओं या सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति माना जाएगा और इसलिए उस पर लागू होने वाले सीमा शुल्कों के साथ-साथ अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर भी आरोपित होगा। निर्यात पर शून्य दर पर कर लगेगा। वस्तु एवं सेवा कर में समाहित किए गए सेस और अधिभार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इनमें केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर पर लगाया जाने वाला कृषि कल्याण कर और स्वच्छ भारत सेस, उत्पाद शुल्क-योग्य वस्तुओं पर लगने वाला शिक्षा सेस तथा चाय, चीनी और जूट जैसी चीजों पर लगने वाले अन्य अल्पज्ञात सेस भी शामिल हैं। हालांकि सात सेस पहले की ही तरह लगते रहेंगे। इनमें शिक्षा सेस, आयातित वस्तुओं पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा सेस, और पेटॉलियम उत्पादों, तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों पर लगने वाले कर शामिल हैं। वस्तु एवं सेवा कर में शामिल होने के बावजूद ये सेस केंद्रीय सूची में उत्पाद शुल्क-योग्य वस्तुओं में शामिल हैं। वस्तु एवं सेवा कर का मार्ग प्रशस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क और सेवा कर सहित 26 सेस पहले ही समाप्त कर दिए गए थे।

वस्तु एवं सेवा कर की नई व्यवस्था में कुछ कर पहले की तरह जारी रहेंगे। ये हैं - मूल सीमा शुल्क, संपदा कर, स्टांप शुल्क एवं निबंधन शुल्क, मोटर वाहन कर, विद्युत कर तथा कुछ वस्तुओं (जैसे कि मानव उपयोग हेतु अल्कोहल, पेटॉलियम और पेटॉलियम उत्पाद) पर कर। इनमें से पेटॉलियम उत्पादों को भविष्य में वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाया जाएगा जिसकी तिथि वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा बाद में अधिसूचित की जाएगी। यह परिषद वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन का शीर्ष निकाय है जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं और उसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। अभी पेटॉलियम उत्पाद वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के दायरे में है लेकिन शून्य कर के साथ। सेवाओं में से 87 (पूर्व की सूची में नकारात्मक सूची में शामिल कुछ सेवाओं सहित) सेवाएं वस्तु एवं सेवा कर से मुक्त रहेंगी। इन करमुक्त सेवाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं तथा दातव्य गतिविधियों से संबंधित सेवाएं भी शामिल हैं।

जून 2017 तक संसद ने वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक चारों विधेयक पारित कर दिए थे : केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, समेकित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, केंद्रशासित क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर विधेयक तथा वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) विधेयक। 101वें संविधान संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 269, 270, 271 और 279 को संशोधित किया गया। चूंकि वस्तु एवं सेवा कर अनेक करों की जगह ले लेता इसलिए भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची को भी साथ-साथ संशाधित किया जाना था। राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे की बात कर, तो वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआबजा) अधिनियम, 2017 में राज्य सरकारों को इसके क्रियान्वयन से होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए एक खास अवधि तक क्षतिपूर्ति करनी है जिसकी अवधि पांच वर्षों तक हो सकती है। किसी वित्त वर्ष में क्षतिपूर्ति की रकम की गणना के लिए 2015-16 को आधार वर्ष माना जाएगा। अगले पांच वर्षों के लिए राज्य के राजस्व की वृद्धि दर 14 प्रतिशत मानी जाएगी।

आधार वर्ष के कर राजस्व में राज्य मूल्यवर्धित कर (वैट) केंद्रीय बिक्रो कर, प्रवेश कर, चुंगी, स्थानीय निकाय कर, विलासिता कर, विज्ञापन कर आदि से प्राप्त होने वाले राज्य सरकार के कर राजस्व शामिल होंगे। हालांकि अल्कोहल और पेटॉलियम उत्पादों से प्राप्त होने वाले राजस्व को आधार वर्ष के राजस्व के अंग के रूप में नहीं शामिल किया जाएगा। इस रकम को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर से छूट की अधिकतम सीमा 20 लाख रु. (विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रु. जम्मू कश्मीर को छोड़कर) है जबकि मिश्रित (कंपोजिट) अधिकतम सीमा 75 लाख रु. (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 50 लाख रु.) तय की गई है। ये सीमाएं अंतर-राज्य आपूर्ति, सेवा प्रदाताओं (जलपानगृह सेवा छोड़कर) और विशेष श्रेणी के विनिर्माताओं पर लागू नहीं होंगी।

2.1 वित्तीय स्थिति का अवलोकन

बाद के खंडों में राज्य सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण सबसे पहले तो राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों का सार-संक्षेप प्रस्तुत करके (तालिका 2.1) और उसके बाद बिहार तथा अन्य प्रमुख राज्यों से संबंधित 8 प्रमुख प्रदर्शन सूचकों (परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स) की तुलना करके (तालिका 2.2) किया गया है। बिहार के लिए वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के लिए वास्तविक आंकड़ों का उपयोग किया गया है और 2017-18 के लिए बजट अनुमान (बी.ई.) का उपयोग किया गया है। हालांकि अन्य राज्यों के लिए वास्तविक आंकड़ों का उपयोग 2015-16 तक ही किया गया है। वर्ष 2016-17 के लिए पुनरीक्षित अनुमान (आर.ई.) का और 2017-18 के लिए बजट अनुमान का उपयोग किया गया है।

वर्ष 2004-05 से ही, जब महज 1,076 करोड़ रु. का राजस्व अधिशेष उपलब्ध हुआ था, बिहार लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखने वाला राज्य रहा है। राजस्व अधिशेष 2012-13 के 5,101 करोड़ रु. से बढ़कर 2015-16 में 12,507 करोड़ रु. के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था जो 2016-17 में घटकर 10,819 करोड़ रु. रह गया। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में राजस्व अधिशेष पुनः बढ़कर 14,556 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है। राजस्व शेष में 2016-17 में कमी लगभग सारे बिक्रो कर, वस्तु एवं यात्रों कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टांप शुल्क एवं निबंधन शुल्क, खान-खनियों पर रॉयलटी आदि कर और करेतर राजस्वों की वृद्धि दरों में कमी आने के कारण आई। इसी गिरावट का एक कारण मद्यनिषेध था। दूसरे बकाया संग्रहण के कारण कच्चे तेल के लिए कर संग्रहण 2015-16 में असामान्य रूप से अधिक था। कर राजस्व में सिर्फ मोटर वाहन कर और करेतर राजस्व में ब्याज प्राप्ति में पिछले साल से कुछ वृद्धि र्ज द्द हुई। राज्य उत्पाद कर में सबसे अधिक कमी आई जो राज्य की मद्यनिषेध नीति के कारण 2015-16 के 3,142 करोड़ रु. से घटकर सिर्फ 30 करोड़ रु. रह गया। वर्ष 2016-17 के पहले वाले साल में 30 करोड़ रु. बकाया वसूला गया था। इसी प्रकार, इन निषिद्ध वस्तुओं पर मूल्यवर्धित कर भी इस वर्ष मात्र 37 करोड़ रु. था जो उसके पिछले साल 1,353 करोड़ रु. था।

कुल कर राजस्व में 2016-17 में सिर्फ 8,251 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 16,659 करोड़ रु. थी। इसी प्रकार, करेतर राजस्व सिर्फ 217 करोड़ रु. बढ़ा जो पिछले साल 628 करोड़ रु. बढ़ा था। मद्य निषेध नीति के प्रभाव के अलावा, कर और करेतर राजस्व, दोनों की वृद्धि में ठहराव संभवतः राज्य में आर्थिक गतिविधियों के समग्र धीमापन का सूचक है जिसका आंशिक कारण नोटबंदी है जिसने स्थावर संपदा और अनौपचारिक क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। स्थावर संपदा क्षेत्र से संबंधित स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क वस्तुतः 2015-16 के 3,409 करोड़ रु. से घटकर 2016-17 में 2,982 करोड़ रु. रह गए।

राजस्व घाटे में कमी से राज्य सरकार के प्राथमिक लेखे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले तो 2016-17 में सकल राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.8 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 में खला) के नए अनुमान के लिए एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन) अधिनियम द्वारा विहित 3 प्रतिशत की सीमा के अधिक है। दूसरे, प्राथमिक घाटा भी 2015-16 के 4,964 करोड़ रु. से बढ़कर 2016-17 में 8,289 करोड़ रु. पहुंच गया जिसका वर्तमान वर्ष में और भी बढ़कर 8,521 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है।

राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय 2015-16 के 83,616 करोड़ रु. से 11,149 करोड़ रु. बढ़कर 2016-17 में 94,765 करोड़ रु. हो गया। यह वृद्धि विकासगत व्यय में 8,495 करोड़ रु. की वृद्धि के कारण थी जिसका राजस्व व्यय की वृद्धि में 76 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्ति में हासिल 23 प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी जिसका लगभग पूरा (94 प्रतिशत) हिस्सा कुल कर राजस्व में 29 प्रतिशत वृद्धि के कारण प्राप्त हुआ था। यहां तक कि राज्य सरकार के अपने राजस्व में भी 2015-16 में उसके पिछले वर्षों के दौरान कर प्राप्ति में आए ठहराव से उत्तरते हुए 23 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। इसके विपरीत, 2016-17 का साल कम विकास का साल था। राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति में 10 प्रतिशत से भी कम वृद्धि हुई जबकि कुल कर राजस्व सिर्फ 11 प्रतिशत बढ़ा। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में वस्तुतः 1,707 करोड़ रु. (7 प्रतिशत) की गिरावट दर्ज की गई जो 2015-16 के 25,449 करोड़ रु. से 2016-17 में 23,742 करोड़ रु. रह गया। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के द्वारा केंद्रीय विभाज्य कोष से राज्यों को होने वाला सकल संवितरण 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने के बाद केंद्रीय करों में राज्य सरकार का हिस्सा बढ़ा है। हालांकि यह वृद्धि केंद्रीय अनुदानों में ठहराव के कारण अंशतः कम हो गई है जो 2015-16 के 19,566 करोड़ रु. से मामूली बढ़कर 2016-17 में 20,559 करोड़ पहुंचा है। वर्तमान वित्तवर्ष में जहां कर राजस्व में 18 प्रतिशत और करेतर राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, वहीं केंद्रीय अनुदान में काफी अधिक (80 प्रतिशत) वृद्धि का अनुमान है जिसके 2016-17 के 20,559 करोड़ रु. से 2017-18 में 36,956 करोड़ रु. पहुंच जाने की आशा है। यह प्रचुर वृद्धि बिहार के लिए केंद्र सरकार से अनुदान के विशेष पैकेज की प्राप्ति की आशा में किया गया है।

केंद्रीय करों में बिहार का हिस्सा 2014-15 में मात्र 36,963 करोड़ रु. था जो उसके पिछले साल से मात्र 2,134 करोड़ रु. बढ़ा था। लेकिन चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के 2015-16 में प्रभावी होने के बाद यह तत्काल 32 प्रतिशत बढ़कर 48,923 करोड़ रु. पहुंच गया। वर्ष 2016-17 में इस घटक में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई और यह 58,881 करोड़ रु. हो गया। वर्तमान वित्तवर्ष में इसके 11 प्रतिशत बढ़कर 65,326 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है।

वर्ष 2016-17 में सकल राजकोषीय घाटा में 4,418 करोड़ रु. वृद्धि हुई है जबकि उसके पिछले वर्ष उसमें मात्र 883 करोड़ रु. की वृद्धि हुई थी। यह इस वर्ष राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के कमज़ोर होने के व्यक्त करता है। पूंजीगत परिव्यय और प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्र के व्यय में काफी वृद्धि होने के कारण वर्तमान वित्तवर्ष में उसके 16,480 करोड़ रु. तक पहुंच जाने का अनुमान है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.9 प्रतिशत है। वर्ष 2016-17 में कुल ऋणग्रहण गत वर्ष से 3,194 करोड़ रु. बढ़कर 21,577 करोड़ रु. हो गया जबकि ब्याज भुगतान गत वर्ष से 1,093 रु. बढ़कर 8,191 करोड़ रु. पहुंच गया। वर्ष 2016-17 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले ऋण का स्तर उसके पिछले वर्ष के 30.6 प्रतिशत से बढ़कर 31.7 प्रतिशत हो गया। वर्तमान वित्तवर्ष में उसके और भी बढ़कर 33.4 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। विगत छः वर्षों (2012-18) के दौरान राजकीय वित्तव्यवस्था के रुझान और सारांश तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.1 : प्राप्ति और व्यय

(करोड़ रु.)

क्रम सं.	मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 ब.अ
1	कूल प्राप्ति - राजस्व लेखा	59567	68919	78417	96123	105585	137158
a	कर राजस्व	48153	54790	57713	74372	82623	97327
b	करतर राजस्व	1135	1545	1558	2186	2403	2875
c	सहायता अनुदान एवं अंशदान	10278	12584	19146	19566	20559	36956
2	कूल व्यय - राजस्व लेखा	54466	62477	72570	83616	94765	122603
a	सामान्य सेवाएं, जिसमें	18645	22018	26408	27972	30607	41603
b	व्याज भगतान	4428	5459	6129	7098	8191	9591
c	सामाजिक सेवाएं	23107	26395	31713	35943	40737	53306
d	आर्थिक सेवाएं	12710	14060	14445	19696	23417	27688
e	सहायता अनुदान	4	4	4	4	4	5
3	राजस्व घटा	-5101	-6441	-5847	-12507	-10819	-14556
4	पंजीयन प्राप्ति	9579	9922	15411	18402	21600	23881
a	लोक ऋण आदि	9554	9907	13918	18383	21577	23863
b	ऋण एवं अग्रिम वसूली	25	15	1493	19	23	18
5	पंजीयन व्यय, जिसमें	14740	17928	22128	28712	31537	37483
a	पंजीयन परिव्यय	9585	14001	18150	23966	27208	32196
b	ऋण एवं अग्रिम	2086	807	369	621	114	490
c	लोक ऋण	3070	3120	3609	4125	4215	4797
6	कूल व्यय	69207	80405	94698	112328	126302	160086
a	योजना व्यय	28381	33678	43939	53732	60840	81267
b	योजनेतर व्यय	40825	46728	50759	58596	65462	78818
7	सकल राजकोषीय घटा	6545	8352	11179	12062	16480	18112
8	प्राथमिक घटा	2117	2893	5050	4964	8289	8521
9	कूल ऋणग्रहण	9554	9907	13918	18383	21577	23863
a	आंतरिक ऋणग्रहण	9046	9357	13199	17565	20065	21703
b	केंद्र सरकार से ऋण	508	550	718	818	1512	2160
10	लोक ऋण अदायगी	3070	3120	3609	4125	4215	4797
11	बकाया लोक ऋण	76503	86939	99056	116578	138722	155537
12	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	282368	317101	342951	381501	438030	466365

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में

1	कूल प्राप्ति - राजस्व लेखा	21.1	21.7	22.9	25.2	24.1	29.4
a	कर राजस्व	17.1	17.3	16.8	19.5	18.9	20.9
b	करतर राजस्व	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
c	सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.6	4.0	5.6	5.1	4.7	7.9
2	कूल व्यय - राजस्व लेखा	19.3	19.7	21.2	21.9	21.6	26.3
a	सामान्य सेवाएं, जिसमें	6.6	6.9	7.7	7.3	7.0	8.9
b	व्याज भगतान	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1
c	सामाजिक सेवाएं	8.2	8.3	9.2	9.4	9.3	11.4
d	आर्थिक सेवाएं	4.5	4.4	4.2	5.2	5.3	5.9
e	सहायता अनुदान	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	राजस्व घटा	-1.8	-2.0	-1.7	-3.3	-2.5	-3.1
4	पंजीयन प्राप्ति	3.4	3.1	4.5	4.8	4.9	5.1
a	लोक ऋण आदि	3.4	3.1	4.1	4.8	4.9	5.1
b	ऋण एवं अग्रिम वसूली	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
5	पंजीयन व्यय, जिसमें	5.2	5.7	6.5	7.5	7.2	8.0
a	पंजीयन परिव्यय	3.4	4.4	5.3	6.3	6.2	6.9
b	ऋण एवं अग्रिम	0.7	0.3	0.1	0.2	0.0	0.1
c	लोक ऋण	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0
6	कूल व्यय	24.5	25.4	27.6	29.4	28.8	34.3
a	योजना व्यय	10.1	10.6	12.8	14.1	13.9	17.4
b	योजनेतर व्यय	14.5	14.7	14.8	15.4	14.9	16.9
7	सकल राजकोषीय घटा	2.3	2.6	3.3	3.2	3.8	3.9
8	प्राथमिक घटा	0.7	0.9	1.5	1.3	1.9	1.8
9	कूल ऋणग्रहण	3.4	3.1	4.1	4.8	4.9	5.1
a	आंतरिक ऋणग्रहण	3.2	3.0	3.8	4.6	4.6	4.7
b	केंद्र सरकार से ऋण	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5
10	लोक ऋण अदायगी	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0
11	बकाया ऋण	27.1	27.4	28.9	30.6	31.7	33.4


स्रोत : राज्य सरकार के बजट

राजस्व लेखा

पहले भी चिन्हित किया गया है कि 2016-17 के बजट अनुमान में अधिशेष कर और करेतर, दोनों राजस्वों में कमों के कारण बिहार का राजस्व घटा है। जहां कर राजस्व में 8,251 करोड़ रु. की वृद्धि हुई वह करेतर राजस्व मात्र 217 करोड़ रु. और केंद्रीय अनुदान 1,003 करोड़ रु. बढ़ा। इस प्रकार, कुल राजस्व प्राप्ति में ५,462 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जिसमें ८७ प्रतिशत वृद्धि हिस्सा अकेले कर राजस्व में वृद्धि का था। कर राजस्व में यह वृद्धि वस्तुतः करों में राज्य के हिस्से में वृद्धि के कारण हुई क्योंकि राज्य का अपना कर राजस्व वर्ष के दौरान वस्तुतः घटा है। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में 1,707 करोड़ रु. की अप्रत्याशित गिरावट आई है जबकि पिछले साल इसमें 4,699 करोड़ रु. (28 प्रतिशत) वृद्धि हुई थी। यह गिरावट वर्ष के दौरान मुख्यतः सरकार की मद्द निषेध नीति के कारण अल्कोहल पर राज्य उत्पाद शुल्क की प्राप्ति में लगभग 3,100 रु. की कमी के चलते है हालांकि इस कीमत को सरकार सामाजिक लाभ की तुलना में काफी कम मानती है। वर्ष 2016-17 में करेतर राजस्व में 217 करोड़ रु. की मामूली वृद्धि के बावजूद राज्य सरकार के अपने कुल राजस्व में 1,490 करोड़ रु. की गिरावट आई। लेकिन वर्ष 2016-17 में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा तथा सहायता एवं अनुदान क्रमशः 9,958 करोड़ रु. एवं 993 करोड़ रु. बढ़ गया। इससे राज्य सरकार के राजस्व में समग्र वृद्धि ५,462 करोड़ रु. हो गई। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति में राज्य सरकार के अपने राजस्व का हिस्सा 25 प्रतिशत है जो पिछले साल 29 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 में कुल राजस्व प्राप्ति में ५६ प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय करों के हिस्से का है जो 2015-16 में ५१ प्रतिशत था। वहाँ, इस वर्ष कुल राजस्व में शेष १९ प्रतिशत (2015-16 में २० प्रतिशत) हिस्सा केंद्रीय अनुदानों का है।

वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय में 2015-16 की अपेक्षा 11,149 करोड़ रु. की वृद्धि हुई जिसमें सामाजिक सेवाओं का 4,794 करोड़ रु. (43 प्रतिशत), आर्थिक सेवाओं का 3,721 करोड़ रु. (33 प्रतिशत) और सामान्य सेवाओं का 2,635 करोड़ रु. (24 प्रतिशत) हिस्सा था। इस वृद्धि से 2016-17 में कुल राजस्व व्यय में सामाजिक सेवाओं का 43 प्रतिशत, आर्थिक सेवाओं का 25 प्रतिशत और सामान्य सेवाओं का 32 प्रतिशत हिस्सा हो गया। ये आंकड़े 2015-16 में क्रमशः 43 प्रतिशत, 24 प्रतिशत और 33 प्रतिशत थे। यह दर्शाता है कि इनके सापेक्ष हिस्सों में कोई ढांचागत परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्ष 2016-17 में इस वृद्धि में से सामान्य सेवाओं में 2,635 करोड़ रु. वृद्धि हुई जिसमें अकेले ब्याज भुगतान के लिए 1,093 करोड़ रु. अतिरिक्त व्यय करना पड़ा। वर्ष 2015-16 में इसमें 969 करोड़ रु. ही अतिरिक्त व्यय हुआ था। पेंशन भुगतान पर भी 658 करोड़ रु. अतिरिक्त व्यय हुआ जो वर्ष 2015-16 में 506 करोड़ रु. था। इस प्रकार, 2016-17 में सामान्य सेवाओं पर कुल व्यय में हुई वृद्धि में इन दोनों शीर्षों का संयुक्त हिस्सा 66 प्रतिशत था। हाल के वर्षों में राज्य सरकार की पेंशन देनदारी तेजी से बढ़ती गई है और लगभग 11 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए 2012-13 के मात्र 8,364 करोड़ रु. से 2016-17 में 12,508 करोड़ रु. पहुंच गई है। वर्ष 2016-17 में राजस्व व्यय बढ़ने में राज्य सरकार के कर्मचारियों को होने वाले वेतन भुगतान का भी 860 करोड़ रु. योगदान है जो 2015-16 में 316 करोड़ रु. था। वर्ष 2016-17 में वेतन भुगतान 15,784 करोड़ रु. पहुंच गया। राज्य सरकार के वेतन और पेंशन व्यय पर इस अध्याय में बाद में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

चार्ट 2.1 : बिहार सरकार का राजस्व लेखा (करोड़ रु.)



विकासमूलक राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय


वर्ष 2016-17 में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकासमूलक राजस्व व्यय गत वित्तवर्ष से 8,514 करोड़ रु. बढ़ा। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच विकासमूलक राजस्व व्यय 79 प्रतिशत बढ़कर 35,817 करोड़ रु. से 64,154 करोड़ रु. हो गया। वहीं, विकासेतर राजस्व व्यय इस अवधि में अपेक्षाकृत कम गति से (47 प्रतिशत) बढ़ा और 23,801 करोड़ रु. से 34,935 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2016-17 के कुल पूंजीगत परिव्यय 27,208 करोड़ रु. में से 21,526 करोड़ रु. (79 प्रतिशत) का व्यय आर्थिक सेवाओं पर किया गया – सड़कों एवं पुलों की परिवहन अधिसंरचना के निर्माण पर 5,326 करोड़ रु. (25 प्रतिशत), विद्युत परियोजनाओं पर 5,739 करोड़ रु. (27 प्रतिशत), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर 1,796 करोड़ रु. (8 प्रतिशत) तथा शेष अन्य क्षेत्रों में। सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 3,592 करोड़ रु. था। इसमें से 24 प्रतिशत हिस्सा (870 करोड़ रु.) राज्य में स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं में सुधार पर, 32 प्रतिशत (1,164 करोड़ रु.) जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार पर और 30 प्रतिशत (1,074 करोड़ रु.) शैक्षिक अधिसंरचना में सुधार पर खर्च हुआ।

राजस्व लेखे के अधिशेष ने बिहार की विकास गाथा में शुरू से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन पहले ही कहा जा चुका है कि 2016-17 में राजस्व अधिशेष की प्रक्रिया धीमी हुई जिसका मुख्य कारण मद्य निषेध नीति के कारण अल्कोहल से प्राप्त होने वाले उत्पाद कर और मूल्यवर्धित कर का प्रचुर राजस्व वसूलना रोक देना था। राजस्व अधिशेष मुख्यतः राजस्व प्राप्ति बढ़ाने और राजस्व व्यय को रोक रखने के कारण हासिल होता था। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी (जो पिछले 5 वर्षों की अवधि में 17 प्रतिशत थी) जबकि उस अवधि में राजस्व व्यय भी 15 प्रतिशत की उसी दर से बढ़ा (जो पिछले 5 वर्षों की अवधि में 16 प्रतिशत था)। फलतः, राजस्व अधिशेष में टिकाऊ परिघटना के कारण राज्य सरकार अपने पूंजीगत परिव्यय को 2012-13 से लगातार जिस दर से बढ़ा पा रही थी उसका वहीं आवेग बनाए नहीं रख सकी। इस प्रक्रिया से मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय को धक्का लगा और इसकी वृद्धि दर 2015-16 के 32 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 14 प्रतिशत रह गई।

वर्ष 2016-17 में पूंजीगत परिव्यय सहित कुल विकासमूलक व्यय 91,362 करोड़ रु. था जो 2015-16 के 70 प्रतिशत की तुलना में कुल व्यय का लगभग 72 प्रतिशत था। राज्य सरकार राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों में विकास व्यय की उच्च वृद्धि दर बरकरार रखने के लिए कृतसंकल्प है। यह 2017-18 के बजट अनुमान में भी प्रतिबिंबित होता है जिसमें इसका पिछले वर्ष से 24 प्रतिशत अधिक बढ़कर 1,13,067 करोड़ रु. होना अनुमानित है। विकासेतर सामान्य सेवाओं पर व्यय भी 2016-17 में 2015-16 के 27,972 करोड़ रु. से बढ़कर 30,607 करोड़ रु. पहुंच गया जो गत वर्ष से मात्र 9 प्रतिशत अधिक है।

बिहार की सार्वजनिक वित्तव्यवस्था के सुधार की प्रक्रिया 2006-07 में शुरू हुई थी जब पूंजीगत परिव्यय उसके पिछले वर्ष के महज 2,084 करोड़ रु. से बढ़कर 5,211 करोड़ रु. हो गया था। वर्ष 2006-07 से ही राज्य सरकार ने हर बजट में पूंजीगत परिसंपत्तियों पर निवेश करने पर ध्यान केंद्रित किया जो बहुगुणक प्रभाव के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था के तेज विकास में रूपांतरित हो गया। वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के पिछले पांच वर्षों के दौरान पूंजीगत परिव्यय 30 प्रतिशत की वार्षिक दर से और कुल विकासमूलक व्यय 19 प्रतिशत की दर से बढ़ा। वर्ष 2016-17 में पूंजीगत परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 6.2 प्रतिशत था जबकि 2012-13 में यह मात्र 3.4 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय में इसका हिस्सा 22 प्रतिशत था जबकि उससे पिछले वर्ष यह 21 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 में यह हिस्सा 14 प्रतिशत था। राज्य सरकार इस बात से अवगत है कि पूंजीगत व्यय और भी बढ़ाना निहायत जरूरी है। इसीलिए 2017-18 के बजट अनुमान में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 18 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान किया गया है और यह कुल व्यय का लगभग 20 प्रतिशत होगा।

चार्ट 2.2 : बिहार सरकार का पूंजीगत लेखा (करोड़ रु.)



संसाधन एकत्रीकरण

राज्य सरकार का कुल कर राजस्व 14 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2012-13 के 48,153 करोड़ रु. से 2016-17 में 82,623 करोड़ रु. हो गया। इस अवधि में राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 10 प्रतिशत (जो

इसके पिछले 5 वर्षों की अवधि में 19 प्रतिशत था) की काफी कम वार्षिक दर से बढ़कर 16,253 करोड़ रु. से 23,742 करोड़ रु. हो गया। पहले भी कहा गया है कि राजस्व की वृद्धि दर में यह गिरावट अल्कोहल से प्राप्त राजस्व कुर्बान कर देने के कारण आई है। वर्ष 2016-17 के दौरान अपने कर राजस्व में 7 प्रतिशत गिरावट के कारण इसकी वृद्धि दर नकारात्मक रही है। हालांकि वर्तमान वित्तवर्ष में इसके लगभग 35 प्रतिशत बढ़कर 32,001 करोड़ रु. पहुंच जाने का अनुमान है। वर्ष 2016-17 में राज्य के कुल कर राजस्व में भी गत वर्ष से 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2012-13 से लेकर 2016-17 तक के पांच वर्षों के दौरान केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से राज्य सरकार को होने वाला अंतरण 17 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा जबकि केंद्रीय अनुदानों में 19 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि दर्ज हुई।

कर राजस्व में वृद्धि के विपरीत, राज्य में करेतर राजस्व के तहत प्राप्तियों में उतार-चढ़ाव रहा है। वर्ष 2009-10 के 1,670 करोड़ रु. स्तर से इसमें वस्तुतः गिरावट ही आती रही है। वर्ष 2012-13 में तो यह मात्र 1,135 करोड़ रु. था। वर्ष 2014-15 में यह उसके पिछले वर्ष से मात्र 13 करोड़ रु. बढ़कर 1,558 करोड़ रु. पर पहुंचा था। वर्ष 2015-16 में इसमें प्रचुर वृद्धि हुई थी और यह 2,186 करोड़ रु. के स्तर पर पहुंचा था जिससे थोड़ा बढ़कर 2016-17 में यह 2,403 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इसका मात्र 472 करोड़ रु. (20 प्रतिशत) रह जाना अनुमानित है। पिछले 5 वर्षों की अवधि में राज्य सरकार का करेतर राजस्व 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है।

बकाया लोक ऋण

राज्य सरकार के लोक ऋण में दो ही घटक शामिल होते हैं – राज्य सरकार द्वारा वित्तीय संस्थाओं सहित बाजार से लिया गया आंतरिक ऋण तथा केंद्र सरकार से लिया गया ऋण। यह दूसरा घटक बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप लगातार घटता गया है। राज्य सरकार लोक लेखा के कुछ मदों के लिए न्यासी के बतौर भी काम करती है जो अन्य देनदारियों में शामिल होते हैं। इन पर बाद में चर्चा की जाएगी।

राज्य सरकार पर बकाया लोक ऋण 2012-13 में 76,503 करोड़ रु. था जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 27 प्रतिशत के बराबर था। वर्ष 2016-17 में बकाया ऋण बढ़कर 1,38,722 करोड़ रु. पहुंच गया और ऋण तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बीच का अनुपात चौदहवें वित्त आयोग द्वारा 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से काफी बढ़कर 31.7 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्ति के साथ व्याज भुगतान का अनुपात भी 2012-13 में 7.4 प्रतिशत था जो 2016-17 में बढ़कर 7.8 प्रतिशत हो गया। हालांकि यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 10 प्रतिशत की उच्च सीमा से नीचे है। इन दोनों शर्तों को पूरा करने तथा राजस्व अधिशेष कायम रखने पर राज्य सरकार वर्तमान वित्तवर्ष में अपना राजस्व घाटा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा तय 3 प्रतिशत के लक्ष्य से आधा प्रतिशत तक ऊपर ले जाने के लिए हकदार होती। बजट अनुमान वस्तुतः यह दर्शाता है कि 2017-18 में नए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 मुंखला) के अनुमान के अनुसार राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.9 प्रतिशत के बराबर होगा। यह स्पष्ट दर्शाता है कि जो ऋण समस्या अभी तक राज्य सरकार के बिल्कुल नियंत्रण में रही है, उस पर निगरानी रखने की जरूरत है ताकि वह खतरनाक स्थिति में नहीं चला जाय।

वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच ऋण सेवा भुगतान लगभग 13 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ते हुए 7,498 करोड़ रु. से बढ़कर 12,405 करोड़ रु. हो गया, वहीं बकाया लोक ऋण इस अवधि में लगभग 23 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। ब्याज भुगतान 2012-13 में 4,428 करोड़ रु. (ऋण सेवा भुगतान का 59 प्रतिशत) था और 2016-17 में 8,191 करोड़ रु. (ऋण सेवा भुगतान का 66 प्रतिशत)। वहीं, इस अवधि में मूलधन की अदायगी 3,070 करोड़ रु. से बढ़कर 4,215 करोड़ रु. हो गई। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में लोक ऋण की बकाया देनदारियों का बढ़कर 1,55,537 करोड़ रु. (सकल राज्य धरेलू उत्पाद का 33.4 प्रतिशत) और ऋण सेवा भुगतान का 14,389 करोड़ रु. पहुंच जाना अनुमानित है।

हाल के वर्षों में ऋण संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। यह सबसे पहले तो यह परिवर्तन केंद्र सरकार के अधिक ब्याज वाले ऋणों को बाजार के कम ब्याज वाले ऋणों से बदल देने के कारण और उसके बाद बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप केंद्र सरकार के ऋणों के समेकन और 7.5 प्रतिशत ब्याज दर पर 20 वर्ष की अवधि में भुगतान हेतु पुनर्वस्थित करने के कारण हुआ। आयोग ने यह भी अनुशंसा की थी कि अगर राज्य सरकारें ऋण लेना चाहती हैं, तो उन्हें जरूरत मुताबिक बाजार से ऋण लेना चाहिए और केंद्र सरकार की मदद अनुदानों तक ही सीमित रहनी चाहिए। फलतः कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के ऋणों का अनुपात काफी घट गया था लेकिन हाल के वर्षों में यह बढ़ता गया है। केंद्रीय ऋण 2012-13 से 2016-17 के बीच 508 करोड़ रु. से बढ़कर 1,512 करोड़ रु. हो गया है और 2017-18 के बजट अनुमान में इसके 2,160 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है। फलतः इस अवधि में कुल लोक ऋण में केंद्रीय ऋणों का हिस्सा 5.3 प्रतिशत से बढ़कर 7.0 प्रतिशत हो गया है।

ऋण देनदारियों के साथ बर्ताव के मामले में 2012-13 से नया दृष्टिकोण अपनाया गया था। यह पूर्व में अपनाए जाने वाले तरीके से भिन्न था जिसमें लघु बचतों, भविष्य निधि और अन्य लेखों की शुद्ध प्राप्तियों को राज्य सरकार की कुल ऋण देनदारियों में शामिल किया जाता था। बहरहाल, नए भारत सरकार लेखाकरण मानक (आइ.जी.ए.एस.) 10 के तहत संचित निधि में ऋण की प्राप्ति और लोक लेखा के कारण राज्य सरकार के पास स्वतः आने वाली देनदारियों में अंतर किया गया है। हालांकि इस मानक को औपचारिक रूप से अपनाया नहीं गया है और यह भी अंतर्विरोधों से रहित नहीं है, लेकिन इसने राज्य सरकार की बकाया देनदारियों को पुनर्परिभाषित कर दिया है। पहले राज्य सरकार के समस्त ऋणों में आंतरिक ऋण, केंद्र सरकार के ऋण और लघु बचतों एवं भविष्य निधि लेखे के ऋण शामिल होते थे। जहाँ पहले दो ऋण राज्य सरकार की भविष्य निधि में होने वाली उधारियों के अंग हैं, वहीं लघु बचतों और भविष्य निधि के लेखों का संधारण राज्य सरकार के लोक लेखा में किया जाता है। नए लेखाकरण मानक के अनुसार अब लोक ऋण में संचित निधि से होने वाली उधारियां ही शामिल हैं। शेष तीन प्रमुख लोक लेखा शेष राज्य सरकार की 'अन्य देनदारियों' में शामिल हैं क्योंकि उन्हें राज्य सरकार के नगद शेष में मिला दिया जाता है। 'अन्य देनदारियों' में भविष्य निधि और अन्य लेखे, आरक्षित निधि, तथा ऋण एवं अग्रिम शामिल होते हैं। राज्य सरकार के लेखों में यह नया वर्गीकरण लोक ऋण और अन्य देनदारियों के मामले में व्यक्त होने लगा है।

भारत में लघु बचत योजनाएं हमेशा परिवारिक बचतों का महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। फरवरी 1999 में लघु बचत समिति की रिपोर्ट के अनुपालन के कारण भारतीय लोक लेखा में राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एन.एस.एस.) की स्थापना की गई थी जो अप्रैल 1999 से प्रभावी है। सारी लघु बचतों के संग्रहण इसी कोष में जमा किए जाते हैं और जमाकर्ताओं द्वारा सारी निकासी इस कोष के अंदर हुए संचय से की जाती है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष द्वारा लघु बचतों के शुद्ध संग्रहणों का केंद्र सरकार द्वारा तय बंटवारे के फार्मूला के अनुरूप राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों (एसएसजीएस) में निवेश किया जाता है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष से राज्य सरकार को दिए जान वाले बकाया ऋण 2016-17 के आरंभ में 24,932 करोड़ रु. हो गए थे। चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष की योजनाओं के संचालन से अलग रखने की अनुशंसा की और अनुशंसा की कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष की योजनाओं में राज्य सरकारों की संलग्नता अभी तक लिए गए ऋणों की देनदारियों को निपटाने तक ही सीमित रखी जानी चाहिए। उसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इन अनुशंसाओं के संबंध में सभी राज्यों से अपने विचार देने को कहा था। बिहार ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष के ऋण व्यवस्था से बाहर होना पसंद किया है। फलतः, 2016-17 में राष्ट्रीय लघु बचत कोष से कोई नया ऋण नहीं लिया गया। बल्कि 1,713 करोड़ रु. का भुगतान ही किया गया जिससे वर्ष के अंत तक बकाया शेष 23,218 करोड़ रु. रह गया।

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम के लागू होते ही 2006-07 बिहार में राजकोषीय अनुशासन शुरू किया गया था। बिहार के सकल राजकोषीय घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बीच के अनुपात को 2006-07 में एक वर्ष पूर्व के 4.43 प्रतिशत से घटाकर 2.92 प्रतिशत पर ले लाया गया था। वर्ष 2009-10 को छोड़ दें, जब यह उससे थोड़ा बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया था, तो उसके बाद से वह 3 प्रतिशत की सीमा में ही रहा। यह एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में संशोधन की जरूरत को दर्शाता था और उसके ठीक अगले साल उसे पलट भी दिया गया था। उस वर्ष भी 3 प्रतिशत से बढ़ना मूलतः 2008-09 की आर्थिक मंदी का परिणाम था। हालांकि वर्ष 2016-17 में यह अनुपात 3.8 प्रतिशत पहुंच गया और वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इसके बढ़कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.9 प्रतिशत पहुंचना अनुमानित है। धनराशि के रूप में देखें तो सकल राजकोषीय घाटा 2012-13 के 6,545 करोड़ रु. से बढ़कर 2016-17 में 16,480 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इसे काफी बढ़कर 18,112 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है। सारांश रूप में कहा जा सकता है कि वित्तीय सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया 2016-17 में थोड़ी कमजोर हुई है जिसे भविष्य में सुदृढ़ करने की जरूरत है।

2.2 राजकोषीय प्रदर्शन

तीन वर्षों (2015-16 से 2017-18) के दौरान विहार और अन्य राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के विश्लेषण के लिए वर्तमान विश्लेषण में इन 8 सूचकों का उपयोग किया गया है - (1) सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व घाटा का अनुपात, (2) सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (3) समूहित संवितरण (एंग्रीगेट डिसबर्समेंट) के साथ विकासेतर व्यय का अनुपात, (4) राजस्व प्राप्ति के साथ विकासेतर राजस्व व्यय का अनुपात, (5) राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात, (6) राजस्व व्यय के

साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात, (7) समूहित संवितरण के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण (ग्रॉस ट्रांसफर) का अनुपात, और (8) केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात।

- (1) **सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व घाटा का अनुपात :** यह अनुपात दर्शाता है कि सकल राजकोषीय घाटा में राजस्व घाटे का किस हद तक योगदान है। आदर्श स्थिति में पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु राजस्व लेखों में अधिशेष होना चाहिए। पहले भी गौर किया गया है कि राज्य के राजस्व लेखों में प्रचुर अधिशेष थे जिसमें 2016-17 में ही गिरावट आई है जिसके चलते पूँजीगत व्यय को लगातार बढ़ाने की इसकी क्षमता प्रभावित हुई है। वर्ष 2015-16 में बिहार का राजस्व अधिशेष सकल राजकोषीय घाटा के 104 प्रतिशत के बराबर था जो 2016-17 में में तेजी से गिरकर 66 प्रतिशत पर रह गया। गत तीन वर्षों के दौरान देश के 17 बड़े राज्यों में बिहार के अलावा 6 राज्यों- छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश - के राजस्व लेखों में ही लगातार यथेष्ट अधिशेष रहा है।
- (2) **सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूँजीगत परिव्यय का अनुपात :** अपने राजस्व लेखों में सुधार के स्वाभाविक परिणामस्वरूप बिहार में पूँजीगत परिव्यय का परिमाण गत तीन वर्षों में काफी रहा है। वर्ष 2016-17 में पूँजीगत परिव्यय सकल राजकोषीय घाटे का लगभग 1.7 गुना था जो 2015-16 के लगभग दूने से कम है। वर्ष 2017-18 में इस अनुपात का बढ़कर 1.8 हो जाना अनुमानित है। पूँजी परिव्यय का ऐसा उच्च स्तर दर्ज करा पाने वाले अन्य प्रमुख राज्य स्वाभाविक रूप से वही राज्य हैं जिन्होंने लगातार राजस्व अधिशेष कायम रखा है। ये राज्य छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं।
- (3) **समूहित संवितरण के साथ विकासेतर राजस्व व्यय का अनुपात :** मुख्यतः प्रशासनिक या सामान्य सेवाओं के लिए होने वाले विकासतर व्यय का कुल व्यय में कम ही हिस्सा रहे तो बेहतर है। बिहार में कुल व्यय में विकासतर राजस्व व्यय का हिस्सा 2016-17 में मात्र 24 प्रतिशत था जो 2015-16 के लगभग 25 प्रतिशत से थोड़ा कम है। वर्ष 2016-17 में सिर्फ दो राज्यों-केरल और तमिलनाडु - का ही अनुपात 30 प्रतिशत से ऊपर था। दूसरी ओर यह अनुपात छत्तीसगढ़ में ही 20 प्रतिशत से नीचे था।
- (4) **राजस्व प्राप्ति के साथ विकासेतर राजस्व व्यय का अनुपात :** यह अनुपात बताता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किस हद तक विकासमूलक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सका। बिहार में 2015-16 में कुल राजस्व प्राप्ति का 29 प्रतिशत हिस्सा विकासतर राजस्व व्यय पर चला गया था। वर्ष 2016-17 में भी यह अनुपात 29 प्रतिशत ही था। वर्ष 2017-18 में इस अनुपात का बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाना अनुमानित है। पंजाब और केरल में यह अनुपात 60 प्रतिशत से भी अधिक था। झारखण्ड, ओडिशा, और छत्तीसगढ़- तीन राज्यों में ही यह अनुपात बिहार से कम था।
- (5) **राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात :** अधिक ऋणग्रस्तता के कारण अधिकांश राज्यों की वित्तव्यवस्था के लिए ब्याज भुगतान स्थायी बोझ बने रहते हैं। हालांकि बिहार में राजस्व व्यय का कम ही हिस्सा ब्याज भुगतान पर खर्च होता है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 में बिहार का अनुपात

व्यवहारत: 9 प्रतिशत के समान स्तर पर था और वर्तमान वित्तवर्ष में इसके और भी घटकर 8.4 प्रतिशत रह जाने की संभावना है। वर्ष 2016-17 में झारखण्ड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ - पांच राज्यों को छोड़कर शेष सभी में यह अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक था। यह अनुपात सबसे अधिक 19 प्रतिशत पंजाब में और उसके बाद 18 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में था।

- (6) **राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात :** कुल राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात राज्य सरकार की राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों के लिहाज से उसकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार की अपनी कर और करेतर राजस्व प्राप्तियां मिलकर उसके कुल राजस्व व्यय का मुश्किल से 24 प्रतिशत हिस्सा ही पूरा कर पाती थीं। उसके बाद से इस अनुपात में सुधार हुआ है और 2016-17 में घटकर 28 प्रतिशत पर आ जाने के पहले 2015-16 में यह लगभग 33 प्रतिशत के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया था। वित्तीय आत्मनिर्भरता के बांधित स्तर को हासिल कर पाना अभी दूर की बात है। इस मामले में अन्य प्रमुख राज्यों की स्थिति काफी अच्छी है। वर्ष 2016-17 में 16 में से 10 राज्यों ने अपना 50 प्रतिशत से अधिक राजस्व व्यय अपने राजस्व से पूरा किया।
- (7) **समूहित संवितरण के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण का अनुपात :** यह अनुपात केंद्रीय संसाधनों पर राज्य सरकारों की निर्भरता को सामने लाता है। बिहार के मामले में ऐसी निर्भरता हमेशा से काफी अधिक रही है। बिहार के कुल व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हमेशा हो केंद्रीय अंतरणों से पूरा हुआ है। हालांकि वर्ष 2007-08 के सर्वोच्च 72 प्रतिशत से गिरकर यह 2016-17 में 64 प्रतिशत पर आ गया। केंद्र सरकार के अंतरणों पर किसी भी अन्य बड़े राज्य की इतनी अधिक निर्भरता नहीं है। अन्य बड़े राज्यों में आठ राज्यों (झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़) के कुल व्यय के 40 प्रतिशत से अधिक हिस्से का वित्तपोषण केंद्रीय अंतरणों से हुआ था। हालांकि केंद्रीय करों में हिस्सा प्राप्त करना किसी भी स्थिति में राज्यों का सर्वैधानिक अधिकार है। इसलिए सिर्फ केंद्रीय अनुदानों पर विचार किया जाय, तब भी बिहार के समूहित संवितरणों में इसका हिस्सा 2015-16 और 2016-17 में 15 प्रतिशत से अधिक था। केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की निर्भरता का यह अधिक उपयुक्त सूचक है।
- (8) **केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात :** वर्ष 2003-04 तक केंद्र सरकार से बिहार को होने वाले सकल अंतरण की 100 प्रतिशत रकम से भी अधिक ऋण सेवा में चला जाता था। हालांकि बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं और बेहतर वित्त प्रबंधन के कारण इस अनुपात को घटाकर 2007-08 में मात्र 27 प्रतिशत के आसपास ले लाया गया था। उसके बाद से यह और भी घटा है और 2016-17 में 17 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में और भी घटकर इसका 14 प्रतिशत ही रह जाना अनुमानित है। इस मामले में बिहार का प्रदर्शन देश के अनेक प्रमुख राज्यों से काफी अच्छा है। पंजाब और हरियाणा के मामले में 2016-17 में स्थिति चिंताजनक थी क्योंकि इन दोनों राज्यों के लिए यह अनुपात 100 प्रतिशत से भी अधिक था। गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल की स्थिति भी बहुत खराब है।

तालिका 2.2 : प्रमुख राजकोषीय सूचक

राज्य	क. राजस्व घाटा : सकल राजकोषीय घाटा (%)			ख. पूँजीगत परिव्यय : सकल राजकोषीय घाटा (%)		
	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)
बिहार	-103.7	-65.7	-80.4	198.7	165.1	177.8
झारखण्ड	-35.5	-85.9	-111.5	70.8	161.9	183.3
पश्चिम बंगाल	42.2	37.4	0.0	57.7	60.1	99.1
ओडिशा	343.4	358.4	-46.4	-241.8	-240.3	143.9
उत्तर प्रदेश	-24.5	-44.5	-28.6	110.2	131.2	123.9
मध्य प्रदेश	-40.7	-5.1	-17.9	119.5	89.6	122.3
राजस्थान	9.4	37.4	54.6	34.8	38.8	103.3
महाराष्ट्र	18.8	28.6	11.6	80.3	60.4	87.2
गुजरात	-7.4	-17.2	-26.1	105.0	116.1	124.6
पंजाब	49.3	19.1	64.0	17.6	10.3	26.7
हरियाणा	37.1	52.3	63.2	21.9	29.9	63.2
कर्नाटक	-9.2	-4.4	-0.4	106.1	102.2	95.8
आंध्र प्रदेश	33.4	24.0	1.8	64.8	74.0	95.2
केरल	54.1	59.4	62.1	42.0	37.3	35.1
तमिलनाडु	36.7	25.2	37.1	58.2	39.4	64.8
हिमाचल प्रदेश	28.2	15.6	44.3	62.5	76.8	49.7
छत्तीसगढ़	-43.5	-63.4	-49.6	145.9	161.8	149.8

राज्य	ग. विकासतर व्यय : समूहित सेवितरण (%)			घ. विकासतर व्यय : राजस्व प्राप्तियां (%)		
	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)
बिहार	24.9	24.2	26.0	29.1	29.0	30.3
झारखण्ड	22.0	21.7	21.5	29.5	25.1	24.8
पश्चिम बंगाल	30.5	26.0	24.9	42.3	39.5	37.1
ओडिशा	20.2	23.1	24.4	19.2	21.7	29.3
उत्तर प्रदेश	27.1	29.9	31.9	36.3	37.8	38.4
मध्य प्रदेश	25.3	23.5	24.6	29.9	30.1	31.8
राजस्थान	18.3	23.4	24.2	30.9	34.4	33.8
महाराष्ट्र	31.2	29.4	30.2	37.8	37.8	37.3
गुजरात	26.4	26.4	29.1	34.3	34.4	37.8
पंजाब	31.3	21.5	31.8	61.2	60.3	62.6
हरियाणा	21.9	24.3	24.2	40.0	36.4	36.0
कर्नाटक	25.9	23.7	24.2	31.0	29.3	31.2
आंध्र प्रदेश	19.2	25.5	24.9	32.4	31.4	31.2
केरल	43.0	42.3	42.0	57.9	60.9	59.8
तमिलनाडु	33.3	30.0	34.0	43.6	45.4	46.5
हिमाचल प्रदेश	29.5	28.1	29.6	40.4	37.3	40.6
छत्तीसगढ़	21.3	19.2	20.6	24.5	22.2	24.3

राज्य	च. ब्याज भुगतान : राजस्व व्यय (%)			छ. राज्य का अपना राजस्व : राजस्व व्यय (%)		
	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)
बिहार	9.1	9.3	8.4	33.0	27.6	28.4
झारखंड	9.1	8.5	8.1	47.4	51.3	53.9
पश्चिम बंगाल	19.7	18.8	18.4	37.3	36.7	40.7
ओडिशा	5.7	6.4	6.1	77.1	71.0	44.1
उत्तर प्रदेश	13.4	15.6	14.8	49.0	48.1	42.3
मध्य प्रदेश	8.1	8.0	8.6	48.9	43.8	46.1
राजस्थान	11.3	13.2	13.7	50.5	44.3	48.1
महाराष्ट्र	14.7	13.4	13.7	73.6	65.6	69.9
गुजरात	17.5	17.5	17.0	76.1	72.6	75.7
पंजाब	19.5	19.1	19.9	58.6	58.2	57.1
हरियाणा	14.4	13.3	14.1	60.2	62.3	66.8
कर्नाटक	10.1	9.7	10.0	69.1	67.8	66.9
आंध्र प्रदेश	10.8	11.4	12.3	46.7	47.9	46.7
केरल	14.1	13.1	12.4	60.3	57.7	59.7
तमिलनाडु	12.6	13.2	14.7	63.4	61.9	63.8
हिमाचल प्रदेश	12.7	12.1	11.3	34.5	31.8	30.9
छत्तीसगढ़	5.4	5.0	5.3	51.0	52.2	50.8

राज्य	ज. सकल अंतरण : समूहित संवितरण (%)			ज. ऋण सेवा : सकल अंतरण (%)		
	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)
बिहार	61.7	64.1	65.2	16.9	16.0	14.4
झारखंड	43.1	47.4	46.2	23.7	20.4	22.2
पश्चिम बंगाल	43.3	40.4	41.2	66.5	84.5	86.6
ओडिशा	48.6	52.0	51.1	16.2	12.0	15.4
उत्तर प्रदेश	40.6	44.9	49.6	37.3	35.1	35.4
मध्य प्रदेश	46.6	45.2	43.5	22.3	20.3	27.0
राजस्थान	28.5	35.6	35.2	35.1	37.4	48.9
महाराष्ट्र	20.3	23.8	23.7	83.5	63.1	71.3
गुजरात	19.6	23.2	21.8	92.4	95.7	99.7
पंजाब	15.3	10.7	15.3	255.8	288.6	275.2
हरियाणा	13.8	17.2	15.8	131.7	102.2	131.2
कर्नाटक	27.5	27.6	26.6	40.7	44.3	45.7
आंध्र प्रदेश	29.8	41.4	42.5	109.7	33.4	35.2
केरल	23.8	23.8	21.9	77.6	87.5	93.3
तमिलनाडु	24.3	22.1	23.1	59.4	60.9	73.4
हिमाचल प्रदेश	46.6	50.8	48.0	47.5	40.0	36.2
छत्तीसगढ़	45.1	46.1	45.6	15.1	14.5	14.5

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

राजकीय वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्रता

पूर्ववर्ती विश्लेषण का विस्तार उन कारकों को चिन्हित करने के लिए किया जा सकता है जो विकासमूलक गतिविधियों को अधिक गुंजाइश देकर राज्य को वित्तीय रूप से स्वस्थ बनाते हैं। इसके लिए यह जानना आवश्यक होगा कि विकासमूलक गतिविधियों के वित्तोषण के साधन टिकाऊ हैं या नहीं, अर्थात् वे ऋण का भार ज्यादा बढ़ाए बिना राज्य सरकार की व्यय संबंधी बढ़ी जरूरतें पूरी करते हैं या नहीं। दूसरे, वित्तोषण के साधनों के लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) की जांच करना भी प्रासंगिक होगा कि वे राजस्व बढ़ाकर पूरे किए जाते हैं या ऋण लेकर। साथ ही, इसकी भी जांच की जानी चाहिए कि गतिविधियों का बढ़ा हुआ स्तर राज्य के लिए अधिक जोखिम तो नहीं पैदा करता है और उसे वित्तोषण के स्रोतों के समक्ष असुरक्षित तो नहीं बना देता है। राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता (सस्टेनेबिलिटी), लचीलापन और सुभेद्रता (वल्नरेबिलिटी) को मापने वाले कुछ कारक तालिका 2.3 में प्रस्तुत किए गए हैं और उन पर नीचे चर्चा की गई है।

- 1. वर्तमान राजस्व शेष (बीसीआर) :** इसकी गणना राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों, केंद्रीय करों में हिस्से तथा योजनेतर अनुदानों के योगफल में से योजनेतर राजस्व व्यय को घटाकर की जाती है। वर्तमान राजस्व शेष का सकारात्मक होना दर्शाता है कि राज्य सरकार के राजस्व में विकासमूलक व्यय को पूरा करने के लिए अधिशेष धनराशि मौजूद है। बिहार में वर्तमान राजस्व शेष काफी धनात्मक रहा है जो पिछले 6 वर्षों से लगातार बढ़ता गया है। वर्ष 2012-13 के 14,128 करोड़ रु. से बढ़कर यह 2016-17 में 27,804 करोड़ रु. हो गया। बजट अनुमान के अनुसार 2017-18 में इसके 31,320 करोड़ रु. तक पहुंच जाने का अनुमान है।
- 2. ब्याज अनुपात :** इसकी गणना ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के अंतर में कुल राजस्व और ब्याज प्राप्ति के अंतर से भाग देकर की जाती है। इसका ऊंचा अनुपात अपनी राजस्व प्राप्तियों से किसी नए ऋण को चुकाने और अपना राजस्व व्यय पूरा करने की राज्य सरकार की कमज़ोर क्षमता दर्शाता करता है। बिहार के लिए यह अनुपात हाल के वर्षों में निम्न स्तर पर रहा है। वर्ष 2012-13 में यह अनुपात 8.7 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के अनुसार इसे थोड़ा बढ़कर 9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।
- 3. पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्ति :** यह अनुपात बताता है कि पूंजीगत प्राप्ति का पूंजी निर्माण में किस हद तक उपयोग किया जा रहा है। 100 प्रतिशत से कम अनुपात दीर्घकालिक आधार पर टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि यह बताएगा कि पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग राजस्व व्यय हेतु किया जा रहा है। बिहार में यह अनुपात 2007-08 में 373 प्रतिशत के स्वस्थ स्तर पर था लेकिन 2016-17 में गिरकर 126 प्रतिशत रह गया। हालांकि वर्तमान वित्तवर्ष में इसका बढ़कर 135 प्रतिशत हो जाना अनुमानित है। इस प्रकार राज्य सरकार की संपूर्ण पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग पूंजीगत परिव्यय हेतु हो रहा है और परिव्यय के एक हिस्से का वित्तोषण राजस्व लेखे के अधिशेष से हो रहा है।
- 4. राज्य की अपनी कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद :** यह राज्य की कर प्राप्ति और उसकी कर क्षमता के बीच मौजूद फासले का एक महत्वपूर्ण सूचक है। निम्न अनुपात से निम्न कर अनुपालन (टैक्स कंप्लाएंस) का भी पता चलता है। बिहार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपनी कुल कर प्राप्ति का अनुपात 2008-09 तक 4 प्रतिशत के आसपास गतिरुद्ध रहा था। लेकिन 2015-16 तक यह

अनुपात सुधरकर 6.7 प्रतिशत हो गया था। हालांकि मद्य निषेध नीति के कारण यह अनुपात गिरकर 2016-17 में 5.4 प्रतिशत रह गया। वर्तमान वित्तवर्ष में इसका 6.9 प्रतिशत पहुंच जाना अनुमानित है। चूंकि यह अनुपात अन्य राज्यों से काफी कम है इसलिए राज्य की अभी तक भी अदोहित कर संभावना के दोहन की अभी काफी गुंजाइश है।

5. **बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद :** यह अनुपात सूचित करता है कि राज्य सरकार कहीं ऋण फांस में तो नहीं जकड़ गई है जिससे अपने बूते निकल पाना उसके लिए संभव नहीं है। उच्च अनुपात से राज्य सरकार के लिए वित्तीय फेरबदल की बहुत कम गुंजाइश बचती है और लचीलापन की कमी व्यक्त होती है। यहां गौरतलब है कि कुल ऋण 2012-13 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 27.01 प्रतिशत के बराबर था जो बढ़कर 2016-17 में 31.7 प्रतिशत हो गया और वर्तमान वित्तवर्ष में इसके और भी बढ़कर 33.3 प्रतिशत पहुंच जाना अनुमानित है। अवहनीय (अनस्टेनेबल) स्तर पर पहुंचने के पहले ऋण भार को निर्यत करने की जरूरत है।
6. **पूंजीगत अदायगी (कैपिटल रिपेमेंट)/ पूंजीगत ऋणग्रहण :** यह अनुपात बताता है कि किस हद तक पूंजीगत प्राप्ति का उपयोग परिसंपत्ति निर्माण के लिए नहीं किया जा सका। उच्च अनुपात से पता चलता है कि पूंजीगत प्राप्ति के अधिक हिस्से का उपयोग अतिरिक्त परिसंपत्ति निर्माण की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर पूंजीगत अदायगी के लिए किया जा रहा है। बिहार के लिए यह अनुपात 2012-13 के 54 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में मात्र 20 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इसके थोड़ा बढ़कर 22 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।
7. **प्राथमिक घाटा :** इसे सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इससे अतीत की देनदारियां पर विचार किए बिना, जिसके लिए अभी ब्याज भुगतान किया जाना है, राज्य सरकार की वर्तमान नीतियों के प्रभाव की माप होती है। ऋण की दीर्घकालिक सुस्थिरता की आवश्यक शर्त यह है कि प्राथमिक लेखे में घाटा नहीं होना चाहिए। वर्ष 2008-09 में बिहार में 1,246 करोड़ रु. का प्राथमिक अधिशेष था लेकिन उसके बाद से 2010-11 को छोड़कर, जिसमें 349 करोड़ रु. का मामूली अधिशेष मौजूद था, बिहार अपने प्राथमिक लेखे में अधिशेष कायम नहीं कर सका। वर्ष 2016-17 में प्राथमिक घाटा 8,289 करोड़ रु. हो गया जो पिछले साल के 4,964 करोड़ रु. का लगभग 1.7 गुणा है। वर्ष 2017-18 में और भी बढ़कर 8,521 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है। यह गंभीर चिंता की बात है।
8. **राज्य के अपने कर और करेतर राजस्वों में उत्फुल्लता :** राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्तियों की उत्फुल्लता (बायोएंसी) में काफी उतार-चढ़ाव दिखता है लेकिन 2014-15 और 2016-17 को छोड़कर हाल के शेष वर्षों में उत्फुल्ल रहा है। वर्ष 2014-15 में यह बहुत निम्न स्तर पर था और 2016-17 में यह ऋणात्मक था। करेतर राजस्व के मामले में इन वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव काफी अधिक रहा है। वर्ष 2014-15 और 2016-17 में कर राजस्व की तरह करेतर राज्य के मामले में भी उत्फुल्लता का स्तर बहुत निम्न था। करेतर राजस्व के मामले में उत्फुल्लता ऐसा व्यापक उतार-चढ़ाव मुख्यतः इसके शीर्षों (जैसे कि खनिजों से रॉयलटी) के आर्थिक चक्रों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होने कारण होता है।

तालिका 2.3 : राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक

सूचक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
क. सुस्थिरता (स्टेनेबलिटी)						
वर्तमान राजस्व शेष (करोड़ रु.)	14128	16242	15483	26027	27804	31320
ब्याज अनुपात (%)	8.67	9.26	9.82	8.57	8.62	9.01
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी कर प्राप्ति की उत्फुल्लता	2.0	1.9	0.5	2.0	-0.5	5.4
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी करेतर प्राप्ति की उत्फुल्लता	1.9	2.9	0.1	3.6	0.7	3.0
बकाया ऋण में वृद्धि (%)	12.9	13.6	13.9	17.7	19.0	12.1
कुल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (%)	16.1	15.7	13.8	22.6	9.8	29.9
राज्य की अपनी राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (%)	28.8	23.7	3.7	23.9	-5.4	33.4
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (%)	14.3	12.3	8.2	11.2	14.8	6.5
ख. लचीलापन (फ्लेक्सिबलिटी)						
पूंजीगत अदायगी/ पूंजीगत ऋणग्रहण (%)	54.0	39.6	28.6	25.8	20.1	22.2
कुल कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	17.1	17.3	16.8	19.5	18.9	20.9
पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्ति (%)	100.1	141.1	117.8	130.2	126.0	134.8
राज्य की अपनी कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	5.8	6.3	6.1	6.7	5.4	6.9
राज्य की अपनी करेतर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
बकाया ऋण/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	27.1	27.4	28.9	30.6	31.7	33.4
ग. सुभेद्यता (वल्नरेबलिटी)						
राजस्व घाटा (करोड़ रु.)	-5101	-6441	-5847	-12507	-10819	-14556
राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)	6545	8352	11179	12062	16480	18112
प्राथमिक घाटा (करोड़ रु.)	2117	2893	5050	4964	8289	8521
प्राथमिक घाटा/ राजकोषीय घाटा (%)	32.3	34.6	45.2	41.2	50.3	47.0
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (%)	-77.9	-77.1	-52.3	-103.7	-65.7	-80.4

पूंजीगत परिव्यय के लिए पूंजीगत प्राप्तियों के बेहतर उपयोग और बेहतर ऋण प्रबंधन के जरिए राज्य सरकार ने अधिक लचीलापन हासिल किया और वह अपने संसाधनों को विकासमूलक व्यय की दिशा में मोड़ने के लिहाज से बेहतर स्थिति में थी। हालांकि ऋण भार बढ़ रहा है जो चिंता की बात है। साथ ही, सुभेद्यता के लिहाज से देखें, तो अपनी व्यय संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार अभी भी केंद्रीय अंतरणों पर अत्यधिक निर्भर है। इस निर्भरता में कमी की जा सकती है क्योंकि अभी भी अपना कर राजस्व बढ़ाने की अप्रयुक्त

संभावना मौजूद है। बेहतर वर्तमान राजस्व शेष, सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रबंधनीय ब्याज अनुपात के कारण राज्य सरकार के लिए अपनी वित्तव्यवस्था के मामले में अभी भी कुछ लचीलापन मौजूद है। सारांश रूप में, गौरतलब है कि जहां सारे प्रमुख सूचक हाल के वर्षों में राज्य सरकार की राजकोषीय स्थिति में सुधार का संकेत देते हैं, वहीं इनमें से कुछ सूचकों का 2016-17 में प्रदर्शन कमजोर रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपने कर का निम्न अनुपात और प्राथमिक लेखे में घाटा जैसे चिंता के कुछ कारण अभी भी मौजूद हैं।

2.3 घाटा प्रबंधन

वर्ष 2015-16 से 2017-18 (बजट अनुमान) तक की अवधि के लिए कुछ प्रमुख राज्यों के राजस्व लेखों और राजस्व एवं पूँजी लेखों की संयुक्त स्थिति तालिका 2.4 में दर्शाई गई है। आर्थिक सुस्ती के कारण 2010-11 के बाद से बिहार के राजस्व अधिशेष में जो गिरावट आ गई थी, उससे उबरते हुए बिहार ने 2015-16 में अपने राजस्व लेखे में सर्वाधिक 12,507 करोड़ रु. का अधिशेष हासिल किया था। लेकिन अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्य निषेध को लागू करने की इसकी नीति के कारण राजस्व में कमी आई। फलतः राजस्व अधिशेष घटकर 2016-17 में 10,820 करोड़ रु. रह गया। हालांकि वर्तमान वित्तवर्ष में इस कमी सुधार की संभावना है और राजस्व अधिशेष 14,556 करोड़ रु. पहुंच जाने का अनुमान है।

तालिका 2.4 : राज्यों की घाटा/ अधिशेष की स्थिति

(करोड़ रु.)

राज्य	राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)			पारंपरिक घाटा (+)/ अधिशेष (-)		
	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)
बिहार	-12507	-10820	-14556	-2197	-883	-953
झारखण्ड	-4086	-5867	-7746	523	399	0
पश्चिम बंगाल	9095	9469	0	-4025	1770	-10069
ओडिशा	-24265	-26882	-6694	-13975	-18639	846
उत्तर प्रदेश	-14340	-24506	-12279	1634	6509	7469
मध्य प्रदेश	-5740	-1535	-4596	-1060	4263	1297
राजस्थान	5954	17838	13528	7031	7909	4364
महाराष्ट्र	5338	14378	4511	448	10204	4837
गुजरात	-1704	-3512	-6066	5723	4157	5336
ਪंजाब	8557	11362	14785	989	9111	12723
हरियाणा	11679	12222	11125	696	122	653
कर्नाटक	-1789	-1063	-137	2207	374	4442
आंध्र प्रदेश	7302	4597	416	6821	-294	1044
केरल	9657	13936	16043	4220	3336	9857
तमில்நாடு	11985	15459	15930	3166	1969	-13430
हिमाचल प्रदेश	1320	757	3143	2501	2110	4062
छत्तीसगढ़	-2367	-4821	-4781	-554	519	580

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

किसी राज्य सरकार का सकल राजकोषीय घाटा उसके वित्तीय प्रदर्शन का एक संवेदनशील सूचक होता है क्योंकि यह कुल संसाधन अंतराल को व्यक्त करता है। तालिका 2.5 में देश के प्रमुख राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। चार राज्यों (उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु) का सकल राजकोषीय घाटा 2016-17 में 50,000 करोड़ रु. से अधिक था। उच्च घाटा वाले अन्य प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान थे जिनका सकल राजकोषीय घाटा 25,000 करोड़ रु. से अधिक था। वर्ष 2016-17 में झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ अपने सकल राजकोषीय घाटा को 10,000 करोड़ रु. के नीचे रखने में सफल रहे जबकि ओडिशा का 7,501 करोड़ रु. का प्रचुर सकल राजकोषीय अधिशेष था। बिहार का 16,479 करोड़ रु. का सकल राजकोषीय घाटा गत वर्ष से 4,000 करोड़ रु. से भी अधिक बढ़ा और वर्तमान वित्तवर्ष में उसके 18,112 करोड़ रु. तक पहुंच जाने का अनुमान है। बढ़ता सकल राजकोषीय घाटा राज्य सरकार के लिए चिंता की बात है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बातौर भी यह एफ.आर.बी.एम. अधिनियम द्वारा अधिदेशित 3 प्रतिशत सीमा से अधिक है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (201-12 ग्रंथिला के आधार पर मापने पर) के 3.8 प्रतिशत के बराबर हैं।

तालिका 2.5 : सकल राजकोषीय घाटा

राज्य	सकल राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)			राज्य	सकल राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)		
	2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)		2015-16	2016-17 (पु.अ.)	2017-18 (ब.अ.)
बिहार	12062	16479	18112	पंजाब	17366	59450	23092
झारखण्ड	11522	6832	6948	हरियाणा	31509	23386	17610
पश्चिम बंगाल	21544	25336	19351	कर्नाटक	19521	24251	33434
ओडिशा	-7067	-7501	14435	आंध्र प्रदेश	21863	19163	23054
उत्तर प्रदेश	58475	55021	42968	कर्नाटक	17846	23469	25835
मध्य प्रदेश	14091	29899	25689	तमिलनाडु	32628	61342	42909
राजस्थान	63094	47671	24777	हिमाचल प्रदेश	4682	4850	7103
महाराष्ट्र	28381	50318	38789	छत्तीसगढ़	5447	7608	9647
गुजरात	23015	20464	23225				

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

तालिका 2.6 में राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे की संरचना दर्शाई गई है। इसमें देखा जा सकता है कि 2015-16 तक राजस्व अधिशेष लगभग आधे पूँजीगत परिव्यय का वित्तीयन करता रहा है। इसके कारण राज्य सरकार के लिए पूँजीगत परिव्यय में प्रचुर वृद्धि करने की गुंजाइश बनी लेकिन 2016-17 में ऐसा नहीं हो पाया। गौरतलब है कि राजस्व अधिशेष को खाली करने के बाद पूँजीगत अधिशेष लगभग पूरे राजकोषीय घाटे के लिए जवाबदेह है, जो यह सूचित करता है कि बिहार में इसका उपयोग अब अत्यंत जरूरी सामाजिक और भौतिक अधिसंरचनाओं के निर्माण में हो रहा है। राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे में शुद्ध ऋणप्रदान का हिस्सा हमेशा ही बहुत कम रहा है और 2016-17 में भी यह नगण्य था।


तालिका 2.6 : बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना

(करोड़ रु.)


रकम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
राजस्व घाटा	-5101	-6441	-5847	-12507	-10819	-14556
पूंजीगत परिव्यय	9585	14001	18150	23966	27208	32196
शुद्ध ऋण-प्रदान	2061	792	-1124	603	91	472
सकल राजकोषीय घाटा	6545	8352	11179	12062	16480	18112
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	282368	317101	342951	381501	438030	466365
सकल राजकोषीय घाटा : सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	2.3	2.6	3.3	3.2	3.8	3.9

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

चार्ट 2.3 : सकल राजकोषीय घाटा : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)



चार्ट 2.4 : सकल राजकोषीय घाटा की संरचना (करोड़ रु.)



तालिका 2.7 में दर्शाया गया है कि हाल के वर्षों में सकल राजकोषीय घाटे का वित्तीयन किस तरह किया गया। शुद्ध ऋणग्रहण में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक बाजार के ऋण और केंद्रीय ऋण शामिल थे। केंद्रीय ऋण का कुल ऋणग्रहण में बहुत कम हिस्सा था। वर्ष 2016-17 में शुद्ध ऋणग्रहण राज्य की सकल राजकोषीय घाटे की जरूरत से 17362 करोड़ रु. (5 प्रतिशत) अधिक था। इसने लोक लेखा में होने वाला लगभग पूरे घाटे को पाट दिया। इस प्रकार, राज्य सरकार का नगद शेष लगभग अपरिवर्तित रहा। लोक लेखा में घाटा मुख्यतः उचंत खात (सस्पेंस एकाउंट) की प्राप्तियों से 5,666 करोड़ रु. अधिक निकाले जाने के कारण हुआ था। ऐसी निकासी का बड़ा हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक में निवेश कर दिया जाता है जिस पर अगले खंड में चर्चा की गई है। यह एक प्रकार का विरूपण है जो तब होता है जब राज्य सरकार नगद शेष बढ़ाने के लिए बाजार से अपेक्षाकृत अधिक दर पर ऋण लेती है जिसके कोषागार विपत्रों (ट्रेजरी बिल्स) में निवेश से अपेक्षाकृत कम दर पर ब्याज मिलता है। यह विरूपण लोक लेखा को ढांचाबद्ध करने के तरीके के कारण होता है जिसमें जरूरत से अधिक उपलब्धता राज्य के जरूरत से अधिक उधार लेने का कारण बन जाती है।

तालिका 2.7 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रु.)

रकम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
शुद्ध ऋणग्रहण	6484	6788	10309	14258	17362	19065
शुद्ध लोक लेखा	343	1606	551	-1983	-893	-2100
नगद शेष में शुद्ध कमी (आर्थिक शेष - अंतिम शेष)	-281	-42	319	-214	10	1147
सकल राजकोषीय घाटा	6545	8352	11179	12062	16480	18112
प्रतिशत संरचना						
शुद्ध ऋणग्रहण	99.1	81.3	92.2	118.2	105.4	105.3
शुद्ध लोक लेखा	5.2	19.2	4.9	-16.4	-5.4	-11.6
नगद शेष में शुद्ध कमी	-4.3	-0.5	2.9	-1.8	0.1	6.3

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

नगद प्रबंधन

31 मार्च 2017 को राज्य सरकार का नगद शेष 17,062 करोड़ रु. था जो 31 मार्च 2016 को 11,717 करोड़ रु. ही था। इसमें से 13,002 करोड़ का निवेश नगद शेष निवेश लेखा में किया गया, 186 करोड़ रु. विभागीय अधिकारियों के पास नगद के रूप में मौजूद थे, 342 करोड़ रु. विभिन्न विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम के बतौर रखे थे और 3,418 करोड़ रु. का निवेश परिशोधन निधि (सिंकिंग फंड) जैसे चिन्हित कोषों में किया गया था। फलतः भारतीय रिजर्व बैंक के पास 115 करोड़ रु. का शुद्ध ऋण नगद शेष रह गया। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार के निवेशों पर 804 करोड़ रु. ब्याज के बतौर प्राप्त हुए जबकि यह रकम उसके पिछले साल 453 करोड़ रु. थी।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जमानतें

वर्ष 2016-17 के अंत में राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त गारंटी 4,721 करोड़ रु. (कुल राजस्व प्राप्ति का 4.5 प्रतिशत) थी जबकि 2015-16 के अंत में यह 4,707 करोड़ रु. थी। इसमें से 3,497 करोड़ रु. की विद्युत क्षेत्र के ऋण के संबंध में, 43 करोड़ रु. की बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के संबंध में, 127 करोड़ रु. की बिहार राज्य वित्त निगम के संबंध में और 456 करोड़ रु. की ऋणमूलक सहकारी समितियों और आवासीय सहयोग समितियों के संबंध में गारंटी दी गई थी। बकाया गारंटियां पिछले तीन वर्षों में लगभग बराबर रही हैं। वर्ष 2015-16 में गारंटी कमीशन के रूप में सिर्फ 63 लाख रु. प्राप्त हुए थे लेकिन 2016-17 में कोई रकम नहीं प्राप्त हुई। जो वर्ष 2016-17 में 2.8 गुणा की वृद्धि कर 175 लाख हो गई।

2.4 ऋण प्रबंधन

तालिका 2.8 में राज्य सरकार की 2012-13 से 2017-18 तक की बकाया ऋण देनदारियों को (गारंटियों को छोड़कर) दर्शाया गया है। इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में बकाया देनदारियों का प्रतिशत 27 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 33 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016-17 के अंत तक राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियां 1,38,722 करोड़ रु. पहुंच गई जिसमें से 77 प्रतिशत देनदारी संचित निधि में होने वाली उधारियों के लिए लोक ऋण संबंधी देनदारी है। यह आंकड़ा विगत ऋणग्रहण का संचित प्रभाव है जो 2012-13 से 16 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ती रही है। लोक ऋण के कारण देनदारी भी 2012-13 से लगभग 17 प्रतिशत की उससे अधिक वार्षिक दर से बढ़ती रही है। तालिका 2.8 यह भी दर्शाती है कि इस बकाया लोक ऋण में 91 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा बाजार से उठाए गए आंतरिक ऋणों का है और शेष 9 प्रतिशत केंद्र सरकार से मिले ऋणों का। केंद्रीय ऋणों का हिस्सा क्रमशः घटते जाने से बकाया ऋणों की संरचना में विगत वर्षों के दौरान ढांचागत परिवर्तन हुआ है। इसका कारण बारहवें वित आयोग की अनुशंसाएं हैं जिनके अनुसार आने वाले वर्षों में केंद्रीय ऋण को राज्य सरकार के ऋण पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं रह जाना चाहिए। हालांकि वर्तमान रुझान को देखने पर बिहार के मामले में ऐसा नहीं लगता है - कम से कम निकट भविष्य में तो नहीं।

तालिका 2.8 : बकाया देनदारियां

(करोड़ रु.)

रकम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
लोक ऋण						
आंतरिक ऋण	48826	55624	65848	79990	96595	114451
केंद्रीय ऋण	8649	8638	8722	8838	9596	10805
योग	57474	64262	74570	88829	106191	125256
अन्य देनदारियां						
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	9346	9048	8865	8792	8891	8776
आरक्षित निधियां	1819	2081	1836	1435	723	723
जमा राशियां एवं अग्रिम	7864	11548	13784	17523	22917	20782
योग	19029	22677	24485	27749	32531	30281
योग (लोक ऋण + अन्य देनदारियां)	76503	86939	99056	116578	138722	15537
बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर	27.1	27.4	28.9	30.6	31.7	33.4

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

राज्य सरकार की कुल देनदारी में अच्छा-खासा हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत लोक लेखा के ऋणों का होता है हालांकि शब्द के वास्तविक अर्थ में यह ऋण नहीं होता है। लेकिन इन संसाधनों का उपयोग राज्य सरकार द्वारा अवश्य किया जाता है और राज्य के इन लेखों में संचित राशि को वापस करने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। गौरतलब है कि आरक्षित निधियों और जमाराशियों एवं अग्रिमों के तहत कुछ देनदारियां व्याजरहित होती होंगी क्योंकि राज्य सरकार के पास इनमें विश्वास वश रकम रखी जाती है। राज्य सरकार की आंतरिक उधारियों में राष्ट्रीय लघु बचत कोष का अच्छा-खासा योगदान रहता था लेकिन राज्य सरकारों को इस योजना से बाहर होने की स्वीकृति मिलने के बाद बिहार ने 2016-17 में इससे कोई नया ऋण नहीं लिया। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार की कुल 20,065 करोड़ रु. की आंतरिक उधारियों (2015-16 में 17,566 करोड़ रु.) में से 17,700 करोड़ रु. बाजार से, 777 करोड़ रु. बांड से और 1,588 करोड़ रु. वित्तीय संस्थाओं से लिए गए थे। राज्य सरकार ने 2016-17 में भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के बतौर कोई रकम नहीं प्राप्त की। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार ने 1,512 करोड़ रु. केंद्रीय ऋण लिया जिसमें से 1,507 करोड़ रु. राज्य योजना की योजनाओं के लिए और 4 करोड़ रु. योजनतर योजनाओं (नन-प्लान स्कीम्स) के लिए लिये गए।

31 मार्च, 2016 को राज्य सरकार की संचित निधि के तहत बकाया देनदारियों की संरचना तालिका 2.9 में दर्शाई गई है। तालिका में दिखता है कि राज्य सरकार के कुल बकाया आंतरिक ऋण में 22 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय लघु बचत कोष का और 61 प्रतिशत हिस्सा बाजार के ऋण का है। लगभग पूरा बकाया केंद्रीय ऋण राज्य योजना की योजनाओं के लिए लिये गए हैं।

तालिका 2.9 : संचित निधि में बकाया देनदारियों की संरचना

उधारियों की प्रकृति	वर्ष में लिया गया		बकाया शेष		2016 से 2017 में प्रतिशत वृद्धि	31.03.17 को बकाया शेष की प्रतिशत संरचना
	2015-16 (करोड़ रु.)	2016-17 (करोड़ रु.)	31.03.2016 (करोड़ रु.)	31.03.2017 (करोड़ रु.)		
क. आंतरिक ऋण	17,566	20,065	79,990	96,595	20.8	91.0
बाजार के ऋण	11,500	17,700	48184	64989	34.9	61.2
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0	0	0	0	0.0	0.0
बांड	1,555	777	1573	2351	49.4	2.2
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,204	1,588	5294	6029	13.9	5.7
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां	3,307	0	24932	23218	-6.9	21.9
अन्य	0	0	7	7	0.0	0.0
ख. केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिम	818	1511.59	8838.31	9595.81	8.6	9.0
योजनतर ऋण	0	4.21	53	54	2.4	0.1
केंद्रीय योजना की योजनाओं के लिए ऋण	818	1507.38	1	1	0.0	0.0
राज्य योजना की योजनाओं के लिए ऋण	0	0	8737	9493	8.7	8.9
केंद्र प्रायोजित योजना की योजनाओं के लिए ऋण	0	0	1	1	0.0	0.0
अन्य ऋण	0	0	47	47	0.0	0.0
योग (क+ख)	18,384	21,577	88,829	106,191	19.5	100.0

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.10 में राज्य सरकार के कर्ज अदायगी संबंधी दायित्व को दर्शाया गया है। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा अकेले संचित निधि के मामले में की जाने वाली मूलधन की कुल अदायगी 50,701 करोड़ रु. थी जबकि ब्याज भुगतान 8,191 करोड़ रु. था। अतीत के भारी ऋणग्रहण के कारण विगत 5 वर्षों में ब्याज का बोझ 3,763 करोड़ रु. बढ़ा है। ऋण सेवा का कुल वार्षिक बोझ 2012-13 में 22,732 करोड़ रु. था जो 13 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2016-17 में 58,892 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इसे 46,316 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है जो गत वर्ष से 21 प्रतिशत कम है।

तालिका 2.10 : लोक ऋण अदायगी संबंधी दायित्व

(करोड़ रु.)

रकम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
आंतरिक ऋण की अदायगी	2585	2559	2975	3423	3460	3846
केंद्रीय ऋणों की अदायगी	485	561	634	702	754	951
अन्य देनदारियों की अदायगी	15234	16694	25463	34384	46487	31927
कुल अदायगी	18304	19813	29072	38508	50701	36725
कुल ब्याज भुगतान	4428	5459	6129	7098	8191	9591
ऋण सेवा का कुल बोझ	22732	25272	35200	45606	58892	46316

टिप्पणी : देनदारियों में लघु बचत और भविष्य निधिकी प्राप्ति और भुगतान की रशियां, आरक्षित निधि और विहार सरकार के लोक लेखा के तहत हुआ जमा शामिल हैं।

उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु उपयोग करने पर लोक ऋण आर्थिक विकास का शक्तिशाली माध्यम हो सकत है। तालिका 2.11 में देखा जा सकता है कि 2013-14 तक राज्य सरकार द्वारा उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए ऋण संसाधनों का अधिक उपयोग नहीं किया जा सका था क्योंकि अधिकांशतः उनका उपयोग मौजूद ऋण देनदारियों की अदायगी के लिए किया गया था। हालांकि उसके बाद से कुल उधारियों से राज्य के खजाने में शुद्ध उद्भवन (एक्रूअल) में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में कुल 21,577 करोड़ रु. उधार लिया गया जिसमें 4,215 करोड़ रु. का उपयोग विद्यमान लोक ऋण का मूलधन चुकाने के लिए और 8,191 करोड़ रु. का उपयोग ब्याज भुगतान के लिए किया गया। अगर राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली और अतीत के बकाया ऋणों पर ब्याज प्राप्तियों की छोटी राशि को भी ध्यान में रखें, तो उसकी परिणति राज्य सरकार के लिए संसाधन के बतौर 10,135 करोड़ रु. के शुद्ध आगमन के रूप में हुई जो प्राप्त शुद्ध ऋण का 47 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 में यह रकम 7,763 करोड़ रु. अर्थात् कुल उधारियों का 42 प्रतिशत थी। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान के अनुसार राज्य सरकार को 10,111 करोड़ रु. का उपयोग अपनी विकास

संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए करने की स्थिति में होना चाहिए जो शुद्ध ऋणग्रहण का 42 प्रतिशत है। हालांकि समग्र परिस्थिति में अभी काफी सुधार हो चुका है, लेकिन इसमें सुधार की अभी भी गुंजाइश है।

तालिका 2.11 : प्राप्त शुद्ध लोक ऋण

(करोड़ रु.)

रकम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (बा.अ.)
प्राप्त सकल केंद्रीय ऋण	508	550	718	818	1512	2160
प्राप्त आंतरिक ऋण	9046	9357	13199	17565	20065	21703
प्राप्त कुल लोक ऋण	9554	9907	13918	18383	21577	23863
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	25	15	1493	19	23	18
ब्याज भुगतान	4428	5459	6129	7098	8191	9591
प्राप्त ब्याज	167	269	345	584	940	619
चुकाया गया ऋण	3070	3120	3609	4125	4215	4797
प्राप्त शुद्धलोक ऋण	2248	1613	6018	7763	10135	10111
प्राप्त शुद्ध ऋण कुल ऋणग्रहण के प्रतिशत के बतौर	23.5	16.3	43.2	42.2	47.0	42.4

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

2.5 कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात


तालिका 2.12 में 2015-16 में विभिन्न राज्यों के अपने कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपातों की तुलना दर्शाई गई है। देखा जा सकता है कि बिहार के मामले में यह अनुपात 6.7 प्रतिशत था जो अनेक अन्य राज्यों के साथ तुलनीय था। हालांकि 2016-17 में यह अनुपात गिरकर 5.4 प्रतिशत रह गया जो अधिकांश अन्य राज्यों से कम है। हालांकि 2017-18 के बजट अनुमान में इसके बढ़ने और 6.9 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल राजस्व के अनुपात की बात करें जिसमें केंद्रीय अंतरण और अनुदान भी शामिल होते हैं, तो 2015-16 में सर्वाधिक 25 प्रतिशत अनुपात बिहार का था और उसके बाद ओडिशा का (24.3 प्रतिशत)। इन राज्यों के उच्च अनुपात करों में राज्यों के हिस्से और केंद्रीय अनुदानों के कारण केंद्र सरकार से होने वाली बड़ी रकम क ही सूचक हैं।

तालिका 2.12 : राज्यों के कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2015-16)

राज्य	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.)	राज्य का अपना कर (करोड़ रु.)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)	राज्य का अपना कर : राजस्व प्राप्ति	राज्य का अपना कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कुल राजस्व : सकल राज्य घरेलू उत्पाद
बिहार	96123	25449	381501	26.5	6.7	25.2
झारखण्ड	40638	11489	231294	28.3	5.0	17.6
पश्चिम बंगाल	109732	42519	921769	38.7	4.6	11.9
ओडिशा	83071	22527	341887	27.1	6.6	24.3
उत्तर प्रदेश	227076	81107	1120836	35.7	7.2	20.3
मध्य प्रदेश	105511	40240	543975	38.1	7.4	19.4
राजस्थान	100285	42713	672707	42.6	6.3	14.9
महाराष्ट्र	185036	126628	2001223	68.4	6.3	9.2
गुजरात	97483	62661	1033791	64.3	6.1	9.4
पंजाब	41517	26689	391543	64.3	6.8	10.6
हरियाणा	47557	30933	399646	65.0	7.7	11.9
कर्नाटक	118817	75566	1016910	63.6	7.4	11.7
आंध्र प्रदेश	88648	39922	609934	45.0	6.5	14.5
केरल	69033	39004	556616	56.5	7.0	12.4
तमினாடு	129008	80476	1161963	62.4	6.9	11.1
हिमाचल प्रदेश	23440	6699	112852	28.6	5.9	20.8
छत्तीसगढ़	46068	17084	260776	37.1	6.6	17.7

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

चार्ट 2.5 : राज्य का कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)



2.6 राजस्व लेखा : प्राप्ति और व्यय

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय का सारांश तालिका 2.13 में दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक राजस्व प्राप्ति 15.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी जबकि राजस्व व्यय 14.8 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ा। अतः 2016-17 को छोड़कर इन पांचों वर्षों में राजस्व अधिशेष साल दर साल बढ़ता गया। हालांकि इस अवधि में कर और करेतर, दोनों मिलाकर राज्य का अपना राजस्व 11 प्रतिशत की अपेक्षाकृत धीमी दर से बढ़ा है। यह 2012-13 के 17,388 करोड़ रु. से बढ़कर 2015-16 में 27,635 करोड़ रु. हो गया था लेकिन 2016-17 में यह घटकर 26,145 करोड़ रु. ही रह गया जिसका कारण पहले ही बताया जा चुका है। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में 2016-17 के स्तर से राजस्व प्राप्ति में 30 प्रतिशत और राजस्व व्यय में तेज 29 प्रतिशत की तेज वृद्धि का अनुमान है जिससे राजस्व अधिशेष 14,556 करोड़ रु. हो जाएगा। राज्य सरकार का अपना राजस्व 2012-13 में अपने राजस्व व्यय के मात्र 31.9 प्रतिशत की पूर्ति करता था जो 2016-17 में और भी घटकर 27.6 प्रतिशत रह गया।

तालिका 2.13 : राजस्व लेखा

(करोड़ रु.)

रकम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्ति	59567	68919	78417	96123	105585	137158
राजस्व व्यय	54466	62477	72570	83616	94765	122603
राजस्व अधिशेष	-5101	-6441	-5847	-12507	-10819	-14556
राज्य का अपना कर + करेतर राजस्व	17388	21505	22308	27635	26145	34876
राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व के प्रतिशत के बतौर	29.2	31.2	28.4	28.7	24.8	25.4
राज्य का केंद्रीय करों का हिस्सा कुल राजस्व के प्रतिशत के बतौर	53.6	50.5	47.1	50.9	55.8	47.6
केंद्रीय अनुदान कुल राजस्व के प्रतिशत के बतौर	17.3	18.3	24.4	20.4	19.5	26.9
राज्य का अपना राजस्व राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	31.9	34.4	30.7	33.0	27.6	28.4

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.13 में राज्य सरकार के कुल कर एवं करेतर राजस्वों के साथ इसके अपने कर एवं करेतर राजस्वों की तुलना करते हुए राज्य सरकार की वित्तव्यवस्था के कुछ और मापदंड प्रस्तुत किए गए हैं। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व और केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से मिलने वाला उसका हिस्सा शामिल होता है। राज्य सरकार के कुल कर राजस्व में इसके अपने कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2012-13 में 33.8 प्रतिशत था जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर 36.0 प्रतिशत के अधिकतम स्तर पर हो गया था। बाद में राज्य सरकार के 2016 मध्य निषेध के कारण वर्ष 2016-17 में 28.07 प्रतिशत हो गया। इन वर्षों के दौरान इसने कुल राजस्व

व्यय के 35 प्रतिशत से कम ही हिस्से का वित्तपोषण किया है। इस कारण राज्य सरकार अभी भी केंद्रीय संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर बनी रहेगी। इन सभी वर्षों में बिहार के कुल राजस्व का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विभाज्य करों के केंद्रीय पूल से आया। कुल राजस्व में शेष हिस्सा केंद्रीय अनुदानों का था। वर्ष 2013-14 से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में केंद्र सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को होने वाले प्रत्यक्ष अंतरण का प्रचलन काफी कम कर दिया गया है और ऐसे अंतरण अब राज्य बजट के जरिए हो रहे हैं। फलतः, 2013-14 में राज्य सरकार के कुल राजस्व में केंद्रीय अनुदानों का हिस्सा 18.3 प्रतिशत था जो 2016-17 में बढ़कर 19.5 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में उसका 26.9 प्रतिशत पहुंच जाना अनुमानित है।

तालिका 2.14 में राज्य सरकार के कुल व्यय का इसके विकासमूलक और विकासतर व्ययों में बंटवारा दर्शाया गया है। राज्य सरकार के कुल व्यय में राजस्व और पूंजीगत, दोनों के संयुक्त लेखों में विकासमूलक व्यय का हिस्सा काफी बढ़ा और वर्ष 2005-06 के 50 प्रतिशत से भी कम से 2012-13 में 68 प्रतिशत और 2016-17 में और भी बढ़कर 72 प्रतिशत हो गया। रकम के रूप में देखें तो 2012-13 से 2016-17 के बीच पांच वर्षों में यह दूने से भी अधिक हो गया है जो इसकी उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

तालिका 2.14 : व्यय पैटर्न

(करोड़ रु.)

रकम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
विकासतर व्यय	21924	25687	30405	34251	35496	47018
विकासमूलक व्यय	47282	54718	64293	78077	90806	113067
कुल व्यय	69207	80405	94698	112328	126302	160086
विकासमूलक व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के बतौर	68.3	68.1	67.9	69.5	71.9	70.6

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

अगर ब्याज भुगतान के महत्वपूर्ण तत्व की बात करें, तो तालिका 2.15 में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिकांशतः घाटे में चलने वाले अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज बहुत कम वसूल होने के कारण सकल और शुद्ध ब्याज भुगतानों के बीच बहुत मामूली अंतर रहता है। पहले भी जोर देकर कहा गया है, जिसे तालिका 2.16 में हम देख सकते हैं कि पूंजीगत परिव्यय काफी बढ़ा है और राजस्व लेख से प्रचुर अधिशेष पाकर और विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रबलित करते हुए यह 2012-13 के 9,585 करोड़ रु. से बढ़कर 2016-17 में 27,208 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इसका बढ़कर 32,196 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है।

तालिका 2.15 : ब्याज भुगतान तथा प्राप्ति

(करोड़ रु.)

रकम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
सकल ब्याज भुगतान	4428	5459	6129	7098	8191	9591
शुद्ध ब्याज भुगतान	4261	5190	5784	6514	7251	8972

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.16 : राजस्व बनाम पूंजीगत परिव्यय

(करोड़ रु.)

रकम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2017-18 (ब.अ.)	
कुल कर राजस्व	48153	54790	57713	74372	82623	97327
अपना कर राजस्व	16253	19961	20750	25449	23742	32001
अपना करतर राजस्व	1135	1545	1558	2186	2403	2875
अपना कर + करतर राजस्व	17388	21505	22308	27635	26145	34876
पूंजीगत परिव्यय	9585	14001	18150	23966	27208	32196
पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के % के बतौर	13.85	17.41	19.17	21.34	21.54	20.11

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

राज्य सरकार केंद्रीय संसाधनों पर किस हद तक निर्भर है, इसे तालिका 2.17 में देखा जा सकता है। इस तालिका में 2012-13 से 2016-17 के बीच बिहार को होने वाले संसाधनों के सकल और निवल अंतरण के आंकड़े प्रस्तुत हैं। संसाधनों के सकल अंतरण में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान तथा केंद्रीय ऋण शामिल होते हैं। राज्य सरकार को होने वाला संसाधनों का शुद्ध अंतरण 2016-17 में इसके कुल व्यय के 63 प्रतिशत के बराबर था। वर्ष 2012-13 में इससे राज्य सरकार की व्यय संबंधी 61 प्रतिशत जरूरतों की पूर्ति हुई थी। वर्ष 2017-18 में इसका हिस्सा 65 प्रतिशत रहना अनुमानित है। पहले भी गौर किया गया है कि राज्य सरकार के कुल व्यय में इसके अपने संसाधनों का योगदान 2012-13 के 25 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 21 प्रतिशत रह गया। शेष की पूर्ति केंद्रीय अंतरणों और उधार से की जाती है। वर्ष 2016-17 में कुल संवितरणों का लगभग 47 प्रतिशत भाग केंद्रीय करों में इसके हिस्से का और 16 प्रतिशत केंद्रीय अनुदानों का था जबकि केंद्र सरकार से मिले ऋणों का हिस्सा सिर्फ 1 प्रतिशत था। बाकी हिस्सा बाजार से ऋण के रूप में जुटाना पड़ा था।

तालिका 2.17 : केंद्र सरकार से होने वाला संसाधनों का अंतरण

(करोड़ रु.)

रकम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
संवितरणों का पूर्णयोग	69207	80405	94698	112328	126302	160086
केंद्रीय करों में हिस्सा	31900	34829	36963	48923	58881	65326
केंद्र से सहायता अनुदान	10278	12584	19146	19566	20559	36956
केंद्र से सकल ऋण	508	550	718	818	1512	2160
संसाधनों का सकल अंतरण	42686	47963	56828	69306	80951	104442
केंद्र से शुद्ध ऋण	23	-11	85	116	758	1209
संसाधनों का शुद्ध अंतरण	42202	47402	56194	68604	80197	103491
अपना कर + करतर राजस्व	17388	21505	22308	27635	26145	34876

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

2.7 संसाधन प्रबंधन

राज्य सरकार को कर और करेतर, दोनों प्रकार के स्रोतों से राजस्व प्राप्त होता है। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व तथा केंद्र सरकार के करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल से मिलने वाला उसका हिस्सा शामिल रहता है। इसी प्रकार, करेतर राजस्व में राज्य सरकार के अपने करेतर राजस्व के साथ-साथ योजना और योजनेतर प्रयोजनों के लिए मिलने वाले केंद्रीय अनुदान शामिल रहते हैं। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में संपत्ति तथा पूँजीगत अंतरणों पर कर, सामग्रियों एवं सेवाओं पर कर और कृषि आय कर शामिल होते हैं। इनमें से दूसरा घटक राज्य सरकार के अपने राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्य सरकार के करेतर राजस्वों का संग्रहण सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत किया जाता है। इनमें विभिन्न सरकारी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र एवं अर्ध-व्यावसायिक उपक्रमों तथा अन्य निकायों को दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियां, उनसे प्राप्त लाभांश एवं मुनाफे, राज्य सरकार के नगद शेष के निवेश से अर्जित ब्याज तथा सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के बतौर वर्गीकृत विभिन्न सेवाओं से होने वाली प्राप्तियां शामिल होती हैं। करेतर राजस्व में अन्य सेवाओं की अपेक्षा आर्थिक सेवाओं का अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है।

केंद्रीय करों के हिस्से में मुख्यतः आय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर और संपदा कर के हिस्से शामिल होते हैं। इनका संग्रहण तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है लेकिन उनकी प्राप्तियों में हर पांच साल पर गठित होने वाले वित्त आयों की अनुशासाओं के तहत राज्यों को भी हिस्सा दिया जाता है। योजना और योजनेतर व्ययों के बीच अंतर समाप्त कर दिया गया है जो वर्तमान वित्तवर्ष से प्रभावी हो गया है। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा योजना और योजनेतर प्रयोजनों के लिए अलग-अलग दिए जाने वाले अनुदान अब अधिकांशतः राज्य सरकार के विवेकाधीन अपनी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च करने के लिए होंगे। इसके अलावा, राज्य के

क्रियान्वयन अभिकरणों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में होने वाला धनराशि का सीधा अंतरण अब अतीत की बात होता जा रहा है जिससे राज्य सरकार अब केंद्रीय अनुदानों का अधिक लचीलापन के साथ उपयोग कर सकती है। चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रतिनिधान और इन संस्थागत परिवर्तनों के कारण राज्य सरकारों के पास और उसके नियंत्रण में अधिक संसाधन उपलब्ध होने लगे हैं।

तालिका 2.18 में 2012–13 से 2017–18 तक के लिए राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों को दर्शाया गया है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि इन वर्षों में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों का लगभग 70–75 प्रतिशत भाग करों के विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से और सहायता अनुदानों के जरिए केंद्र सरकार से आया। वर्ष 2012–13 में इनका हिस्सा राज्य सरकार के कुल राजस्व का 71 प्रतिशत था जो 2016–17 में बढ़कर 75 प्रतिशत से भी अधिक हो गया। कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने संसाधनों का योगदान मात्र 25 प्रतिशत था – 23 प्रतिशत कर राजस्व का और महज 2 प्रतिशत करेतर राजस्व का।

राज्य सरकार का अपना कर राजस्व 2012–13 के 16,253 करोड़ रु. से बढ़कर 2016–17 में 23,742 करोड़ रु. जबकि इसी अवधि में करेतर राजस्व 1,135 करोड़ रु. से बढ़कर 2,403 करोड़ रु. हो गया। हालांकि स्मरणीय है कि करेतर राजस्व में कुछ विशेष अंतरण भी शामिल होते हैं जो हर वर्ष उपलब्ध नहीं होते हैं। बहरहाल, 2015–16 में झारखण्ड सरकार से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान एवं वसूलियों के रूप में 177 करोड़ रु. प्राप्त हुए। यह अंतरण बिहार के विभाजन के पूर्व की अवधि से संबंधित पेंशन देनदारियों की प्रतिपूर्ति के कारण थी। वर्ष 2016–17 में यह रकम मात्र 15 करोड़ रु. थी। इसके अलावा, करेतर राजस्व के एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग के मामले में वृद्धि दर मात्र 2 प्रतिशत थी। लिहाजा, 2016–17 में करेतर राजस्व की वृद्धि दर थम सी गई। एकमात्र महत्वपूर्ण वृद्धि ब्याज प्राप्ति के मामले में हुई जो 61 प्रतिशत बढ़कर 356 करोड़ रु. हो गई।

राज्य सरकार का कुल राजस्व 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हुए 2012–13 के 59,567 करोड़ रु. से 2016–17 में 1,05,585 करोड़ रु. हो गया। इसके मुकाबले राज्य सरकार की अपनी कुल राजस्व प्राप्ति इस अवधि में मात्र 10 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी जिसमें अधिकांश हिस्सा कर राजस्व का था। इस अवधि में केंद्र सरकार के अनुदान भी 19 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़े, हालांकि इसमें 2014–15 में बहुत कम वृद्धि हुई है। बहरहाल, वर्तमान वित्तवर्ष से केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजकीय क्रियान्वयन अभिकरणों को होने वाले अनुदानों का सीधा अंतरण काफी कम हो जाने से अधिकांश अनुदान अब राज्य सरकार के बजट के जरिए ही दिए जाते हैं जिसका पहले भी उल्लेख किया गया है। इस परिवर्तन के कारण 2014–15 से राज्य सरकार को प्राप्त होने वाले केंद्रीय अनुदानों का परिमाण काफी बढ़ गया है। राज्य सरकार के राजस्वों के अन्य सभी घटकों के विकास की तुलना में अपने राजस्वों की वृद्धि दर कम होने के कारण कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने राजस्व का हिस्सा 2012–13 के 29 प्रतिशत से घटकर 2016–17 में 25 प्रतिशत से भी कम रह गया। हालांकि यह हिस्सा 2017–18 में बढ़कर 25 प्रतिशत से अधिक हो जाने का अनुमान है।

तालिका 2.18 : राजस्व प्राप्ति

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
I. राज्य का अपना राजस्व	17388	21505	22308	27635	26145	34876
(क) कर राजस्व	16253	19961	20750	25449	23742	32001
(ख) करेतर राजस्व	1135	1545	1558	2186	2403	2875
II. केंद्र से प्राप्ति	42178	47413	56109	68488	79440	102282
(क) विभाज्य करों का हिस्सा	31900	34829	36963	48923	58881	65326
(ख) सहायता अनुदान	10278	12584	19146	19566	20559	36956
III. कुल राजस्व प्राप्ति	59567	68919	78418	96123	105585	137158
कुल प्राप्तियों में राज्य के अपने राजस्व का प्रतिशत	29.2	31.2	28.4	28.7	24.8	25.4

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में स्टांप एवं निबंधन शुल्क, वाहन कर, विद्युत कर एवं शुल्क, भूमि राजस्व तथा कृषि आय कर शामिल हैं। इनमें से अंतिम कर अपेक्षाकृत महत्वहीन है। प्रत्यक्ष करों से काफी अधिक महत्व वाले अप्रत्यक्ष करों में बिक्री/ व्यापार कर, राज्य उत्पाद शुल्क, माल एवं यात्री कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर कर तथा शुल्क शामिल हैं। वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक इन करों से होने वाली प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.19 में दर्शाया गया है। राज्य उत्पाद कर के तहत होने वाली कुल प्राप्ति में अल्कोहल पर उत्पाद कर का लगभग पूरा योगदान होता था लेकिन जनवरी 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से राज्य उत्पाद कर लगभग शून्य हो गया है।

तालिका 2.19 : विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
बिक्री/ व्यापार कर	8671	8453	8607	10603	11874	24400
माल एवं यात्री कर	1932	4349	4451	6087	6246	0
राज्य उत्पाद शुल्क	2430	3168	3217	3142	30	0
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	2173	2712	2699	3409	2982	4600
वाहन कर	673	837	964	1081	1257	1800
भूमि राजस्व	205	202	277	695	971	600
विद्युत कर एवं शुल्क	103	141	375	298	224	501
अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर/ शुल्क	29	50	105	69	81	0
आय-व्यय पर अन्य कर	37	48	55	65	79	100
योग	16253	19961	20750	25449	23742	32001

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

राज्य सरकार की कर प्राप्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके प्रमुख कर स्रोत बिक्री कर (मूल्यवर्धित कर - वैट), माल एवं यात्री कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क तथा वाहन कर हैं। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार की कुल कर प्राप्ति में इन चारों करों का संयुक्त हिस्सा 94 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 में कुल कर प्राप्ति में अकेले बिक्री कर (11,874 करोड़ रु.) का 50 प्रतिशत हिस्सा था जो उसके पिछले वर्ष 42 प्रतिशत था। उसके बाद माल एवं यात्री कर (26 प्रतिशत), स्टांप एवं निबंधन शुल्क (13 प्रतिशत) तथा वाहन कर (5 प्रतिशत) का स्थान था। ये सभी कर उच्च उत्फुल्लता वाले हैं और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ उनकी प्राप्ति लगातार बढ़ रही है। राज्य सरकार के कर राजस्व की संरचना तालिका 2.20 में दर्शाई गई है और उनकी वृद्धि दरें तालिका 2.21 में।

तालिका 2.20 : कर राजस्व की संरचना

राजस्व के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
बिक्री/ व्यापार कर	53.3	42.3	41.5	41.7	50.0	76.2
माल एवं यात्री कर	11.9	21.8	21.5	23.9	26.3	0.0
राज्य उत्पाद शुल्क	14.9	15.9	15.5	12.3	0.1	0.0
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	13.4	13.6	13.0	13.4	12.6	14.4
वाहन कर	4.1	4.2	4.6	4.2	5.3	5.6
भूमि राजस्व	1.3	1.0	1.3	2.7	4.1	1.9
विद्युत कर एवं शुल्क	0.6	0.7	1.8	1.2	0.9	1.6
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2012-13 से 2017-18 के बजट अनुमान तक प्रमुख कर शीर्षों के बीच सर्वाधिक 31 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत माल एवं यात्री कर में दर्ज की गई है और उसके बाद 30 प्रतिशत विद्युत कर एवं शुल्क में। इस अवधि में स्टांप एवं निबंधन शुल्क की वार्षिक वृद्धि दर मात्र 13 प्रतिशत रही जिसका कारण संभवतः नोटबंदी था जिसका स्थावर संपदा क्षेत्र पर असर पड़ा। वाहन कर और बिक्री कर, दोनों की वार्षिक वृद्धि दर 20 प्रतिशत दर्ज हुई। गौरतलब है कि अधिकांश करों की वार्षिक वृद्धि दरों में व्यापक उतार-चढ़ाव दिखता है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से की अनौपचारिक प्रकृति को दर्शाता है।

तालिका 2.21 : कर राजस्व की वृद्धि दरें (प्रतिशत)

राजस्व के स्रोत	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि					वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2012-18)
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)	
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	-2.5	1.8	23.2	12.0	105.5	20.1
माल एवं यात्री कर	125.1	2.4	36.8	2.6	-100.0	30.8
राज्य उत्पाद शुल्क	30.4	1.5	-2.3	-99.1	-100.0	-58.6
स्टांप एवं निवंधन शुल्क	24.8	-0.5	26.3	-12.5	54.3	13.0
वाहन कर	24.4	15.1	12.2	16.2	43.2	19.5
भूमि राजस्व	-1.8	37.4	150.8	39.7	-38.2	36.9
विद्युत कर एवं शुल्क	37.8	165.2	-20.5	-24.9	123.8	29.6
अन्य कर और शुल्क	48.6	63.5	-16.5	19.4	-37.4	10.1
योग	22.8	4.0	22.6	-6.7	34.8	12.5

तालिका 2.22 में देखा जा सकता है कि 2016-17 में राज्य सरकार के कुल अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का मात्र 23 प्रतिशत योगदान था। शेष 77 प्रतिशत हिस्सा अप्रत्यक्ष करों का था। यह केंद्र की कर प्राप्ति की संरचना में देखे गए रुझान के विपरीत लगता है जो सुधारों का आरंभ होने के बाद काफी हद तक प्रत्यक्ष करों की ओर मुड़ गया है। लेकिन सभी राज्यों के कर ढांचे विषम लगते हैं क्योंकि आय कर अथवा निगम कर जैसे अधिक प्राप्ति वाले प्रत्यक्ष करों की व्यवस्था केंद्र सरकार के ही हाथों में है। इस वितरण में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू के बाद बदलाव आने की संभावना है।

तालिका 2.22 : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा

स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
राज्य के अपने कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%)	80.4	80.3	78.9	78.2	76.8	76.2
राज्य के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%)	19.6	19.7	21.1	21.8	23.2	23.8
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

तालिका 2.23 में राज्य सरकार के प्रमुख करेतर राजस्व दर्शाए गए हैं। तालिका 2.24 में उनकी संरचना को और तालिका 2.25 में उनकी वृद्धि दरों को दर्शाया गया है। राज्य सरकार के करेतर राजस्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हमेशा से ‘अलौह खनन एवं धातु उद्योग’ से प्राप्ति के बतौर वर्गीकृत खानों एवं खनिजों से रॉयलटी रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत व्याज प्राप्ति है। राज्य में उपलब्ध खनिज गौण खनिज हैं जिनमें ईंट की मिट्टी, पत्थर, चूना

पत्थर, बालू आदि शामिल हैं जिनका उपयोग स्थावर संपदा के क्षेत्र में होता है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक लगभग 21 प्रतिशत की वार्षिक दर से इनमें लगातार वृद्धि होती रही है हालांकि 2016-17 में इसमें शायद ही कोई वृद्धि हुई। इसकी तुलना में करेतर राजस्व के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व - ब्याज प्राप्ति में 2016-17 में काफी वृद्धि हुई। हालांकि इन वर्षों के दौरान इसमें काफी उतार-चढ़ाव रहा। ये उतार-चढ़ाव ब्याज प्राप्ति की प्रकृति के कारण होते हैं जो ऋणों और उन पर उपलब्ध राहतों की प्रकृति से जुड़े होते हैं। वर्ष 2016-17 में राज्य के कुल करेतर राजस्व में इन दोनों स्रोतों का संयुक्त हिस्सा 1,938 करोड़ रु. बढ़ा जो पिछले वर्ष से 25 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2016-17 में इस दोनों स्रोतों का संयुक्त हिस्सा कुल करेतर राजस्व का 80 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में नोटबंदी के असर पर काबू पाने के कारण स्थावर संपदा क्षेत्र के पुनरुत्थान की संभावना में खान एवं खनिज की रॉयल्टी से प्राप्ति में 1,350 करोड़ रु. की अच्छी-खासी वृद्धि का अनुमान किया गया है।

तालिका 2.23 : प्रमुख करेतर राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	511	569	880	971	998	1350
ब्याज प्राप्ति	167	269	345	584	940	619
विविध सामान्य सेवाएं	22	0	2	1	6	0
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	10	10	22	73	100	256
पुलिस	25	27	30	66	42	42
वृहत सिंचाई	3	1	1	15	14	38
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	8	14	11	41	17	44
सड़क और पुल	33	41	55	42	42	72
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	41	30	30	40	40	43
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	21	28	29	24	36	15
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1	-1	0	0	0	0
अन्य	294	555	154	328	168	395
योग	1135	1545	1558	2186	2403	2875

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

कुल करेतर राजस्व में ब्याज प्राप्ति का हिस्सा 2015-16 के 27 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 39 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2012-13 में इसका हिस्सा मात्र 15 प्रतिशत था। इस लेखे में प्राप्ति 2012-13 के 167 करोड़ रु. से बढ़कर 2016-17 में 940 करोड़ रु. हो गई थी। हालांकि 2017-18 में ब्याज प्राप्ति में काफी कमी आना अनुमानित है। वर्ष 2012-13 से 2017-18 के बीच राज्य सरकार का करेतर राजस्व 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है लेकिन सार-दर-साल काफी भिन्नता रही है।

तालिका 2.24 : करतर राजस्वों की संरचना

(प्रतिशत)

राजस्व के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	45.0	36.8	56.5	44.4	41.5	47.0
ब्याज प्राप्तियां	14.7	17.4	22.1	26.7	39.1	21.5
विविध सामान्य सेवाएं	1.9	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.9	0.7	1.4	3.3	4.2	8.9
अन्य करतर राजस्व	37.4	45.0	19.9	25.5	14.9	22.6
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.25 : करेतर राजस्वों की वृद्धि दरें

राजस्व के स्रोत	वार्षिक वृद्धि दरें						वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2012-18)
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)	
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	15.3	11.4	54.6	10.4	2.7	35.3	20.9
ब्याज प्राप्ति	-70.9	61.2	27.9	69.3	61.0	-34.1	36.2
विविध सामान्य सेवाएं	-105.7	-98.7	611.0	-48.3	512.0	-95.5	-31.3
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	-12.9	1.7	113.9	233.5	37.6	156.6	100.0
अन्य करतर राजस्व	73.2	63.7	-55.5	79.9	-35.5	80.8	2.1
योग	27.6	36.1	0.9	40.3	9.9	19.7	19.8

टिप्पणी : डैश दर्शाता है कि बहुत पुरानी रकम होने के कारण वृद्धि दर की गणना नहीं की गई है।

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2016-17 के बजट में प्रस्तावित राजस्व अनुमान की उस वर्ष हुए वास्तविक संग्रहण (तालिका 2.26) के साथ तुलना करने पर दिखता है कि राज्य सरकार द्वारा समग्र राजस्व संग्रहण में बजट अनुमान से लगभग 5,943 करोड़ रु. (23 प्रतिशत) की कमी थी। बजट अनुमानों की तुलना में कर राजस्व में 5,988 करोड़ रु. (25 प्रतिशत) कमी आई जिसकी आंशिक पूर्ति करेतर राजस्व में 45 करोड़ रु. (2 प्रतिशत) की मामूली अधिकता से हुई। कर राजस्व में बड़ी गिरावट बिक्रो एवं व्यापार कर (2,148 करोड़), माल एवं यात्री कर (966 करोड़ रु.), स्टांप एवं निबंधन शुल्क (818 करोड़ रु.) तथा राज्य उत्पाद शुल्क (2,070 करोड़ रु.) के मामले में आई। हालांकि, भू राजस्व में अतिरिक्त (641 करोड़ रु.) संग्रह हुआ था।

तालिका 2.26 : कर और करेतर राजस्वों की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2016-17)

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	अंतर अधिकता (-)/ कमी (+)	प्रतिशत अंतर अधिकता (-)/ कमी (+)
अपना कर राजस्व				
बिक्री कर, व्यापार कर	14021	11874	2148	18.1
माल एवं यात्री कर	7212	6246	966	15.5
राज्य उत्पाद शुल्क	2100	30	2070	6979.6
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	3800	2982	818	27.4
वाहन कर	1500	1257	243	19.4
भूमि राजस्व	330	971	-641	-66.0
विद्युत कर एवं शुल्क	590	224	366	163.5
वस्तुओं एवं सेवाओं पर जन्य कर तथा शुल्क	89	81	8	9.7
योग	29730	23742	5988	25.2
करेतर राजस्व				
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	1100	998	102	10.3
ब्याज प्राप्तियाँ	366	940	-574	-61.1
विविध सामान्य सेवाएं	2	6	-4	-66.5
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	23	100	-77	-76.6
पुलिस	32	42	-10	-24.7
वृहद सिंचाई	29	14	15	108.4
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	11	17	-6	-33.2
सड़क एवं पुल	72	42	30	72.4
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	32	40	-8	-19.7
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	31	36	-4	-12.6
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0	0	0	-90.4
अन्य	660	168	491	291.7
योग	2358	2403	-45	-1.9
कुल योग (कर + करेतर)	32088	26145	5943	22.7

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

प्रमुख करों का संग्रहण व्यय तालिका 2.27 में दर्शाया गया है। तालिका में देखा जा सकता है कि यह व्यय वाहन कर के मामले में अपेक्षाकृत अधिक रहा है। दूसरे, अधिसंरचना के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण वाहन कर को छोड़ सभी प्रमुख करों के मामले में कुल संग्रहण के प्रतिशत के बतौर संग्रहण व्यय हाल के वर्षों में घटता गया है।

तालिका 2.27 : कर संग्रहण व्यय

वर्ष	संग्रहण (करोड़ रु.)	संग्रहण व्यय (करोड़ रु.)	व्यय संग्रहण के प्रतिशत में	संग्रहण (करोड़ रु.)	संग्रहण व्यय (करोड़ रु.)	व्यय संग्रहण के प्रतिशत में
	बिक्री कर, व्यापार कर आदि		राज्य उत्पाद शुल्क			
2012-13	8671	78	0.9	2430	43	1.8
2013-14	8453	70	0.8	3168	45	1.4
2014-15	8607	96	1.1	3217	50	1.6
2015-16	10603	90	0.9	3142	50	1.6
2016-17	11874	117	1.0	30	92	310.0
2017-18 (ब.अ.)	24400	129	0.5	0	75	-
	स्टांप एवं निबंधन शुल्क			वाहन कर		
2012-13	2173	45	2.1	673	25	3.8
2013-14	2712	55.0	2.0	837	30	3.6
2014-15	2699	52.0	1.9	964	38	4.0
2015-16	3409	55	1.6	1081	40	3.7
2016-17	2982	48	1.6	1257	46	3.7
2017-18 (ब.अ.)	4600	77	1.7	1800	47	2.6

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.28 में राज्य सरकार के अपने कर और करेतर राजस्वों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर दर्शाया गया है जो संसाधन जुटाने की राज्य की क्षमता की एक माप है। अपने कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात 2012-13 के 5.8 प्रतिशत से धोरे-धीरे बढ़ते हुए 2015-16 में 6.7 प्रतिशत पहुंच गया था लेकिन 2016-17 में घटकर 5.4 प्रतिशत रह गया। इसका कारण पहले बताया जा चुका है। अन्य राज्यों की तुलना में यह अनुपात नीचे है। वर्ष 2012-13 में केंद्रीय अंतरणों एवं अनुदानों सहित कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 21.1 प्रतिशत था जो 2016-17 में बढ़कर 24.1 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इसके 29.4 प्रतिशत तक पहुंच जाने का अनुमान है। बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपने कर का अनुपात देश में लगभग सबसे कम है जबकि राज्य सरकार को होने वाले केंद्रीय अंतरणों की बड़ी मात्रा के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ कुल राजस्व का अनुपात काफी ऊँचा है।

तालिका 2.28 : कर और करेतर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में

सूचक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
अपना कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर	5.8	6.3	6.1	6.7	5.4	6.9
अपना करेतर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर	21.1	21.7	22.9	25.2	24.1	29.4
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले कुल राजस्व की उत्फुल्लता (अनुपात)	1.1	1.3	1.7	2.0	0.7	4.6
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य के अपने करों की उत्फुल्लता (अनुपात)	2.0	1.9	0.5	2.0	-0.5	5.4

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.29 में राज्य सरकार के प्रमुख कर और करेतर राजस्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से उत्फुल्लता अनुपात (बायोएंसी रेशियो) प्रस्तुत किया गया है। हाल के वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अच्छी-खासी वृद्धि दर को देखते हुए इन करों द्वारा और अधिक राजस्व एकत्रित करने की काफी संभावना मौजूद है। हालांकि वर्ष 2016-17 में कोई भी प्रमुख कर उत्फुल्ल नहीं था जो बताता है कि कर राजस्वों के संग्रहण में क्यों कमी आई। करेतर राजस्व के प्रमुख स्रोतों में ब्याज प्राप्ति में 2016-17 में उच्च उत्फुल्लता दिखी।

तालिका 2.29 : महत्वपूर्ण कर और करेतर राजस्व स्रोतों को उत्फुल्लता

राजस्व के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
बिक्री कर, व्यापार कर	1.1	-0.2	0.2	2.1	0.8	16.3
स्थांष एवं निबंधन शुल्क	3.3	2.0	-0.1	2.3	-0.8	8.4
माल एवं यात्री कर	9.4	10.2	0.3	3.3	0.2	-15.5
राज्य उत्पाद शुल्क	1.6	2.5	0.2	-0.2	-6.7	-15.5
वाहन कर	1.3	2.0	1.8	1.1	1.1	6.7
भूमि राजस्व	1.6	-0.1	4.6	13.4	2.7	-5.9
विद्युत कर एवं शुल्क	6.1	3.1	20.3	-1.8	-1.7	19.1
कुल कर राजस्व	1.3	1.1	0.7	2.6	0.7	2.8
अलौह धातु	1.1	0.9	6.7	0.9	0.2	5.5
ब्याज प्राप्ति	-5.0	5.0	3.4	6.2	4.1	-5.3
कुल करतर राजस्व	1.9	2.9	0.1	3.6	0.7	3.0

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.30 में केंद्र सरकार के अनुदानों से मिलने वाले राजस्व का विवरण दर्शाया गया है। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार को 2012-13 के 10,278 करोड़ रु. की तुलना में कुल 20,559 करोड़ रु. अनुदान प्राप्त हुए। वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के 5 वर्षों में कुल अनुदान दूने हो गए हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए बजट के बाहर से होने वाले प्रत्यक्ष अंतरण की समाप्ति के फलस्वरूप बजट के जरिए दिए जाने के बाद 2016-17 में कुल अनुदानों में से 80 प्रतिशत (2015-16 में 82 प्रतिशत) राज्य योजना की योजनाओं के लिए प्राप्त हुए। वर्तमान वित्तवर्ष में केंद्रीय अनुदानों की मात्रा लगभग 80 प्रतिशत बढ़कर 36,956 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है। योजना और योजनेतर व्ययों के बीच फर्क समाप्त कर दिए जाने के बाद राज्य का इन अनुदानों पर अपनी खास जरूरतों के लिए उपयोग के लिहाज से बेहतर नियंत्रण हो गया है।

तालिका 2.30 : केंद्र सरकार से अनुदान तथा अंशदान प्राप्ति

(करोड़ रु.)

स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
राज्य योजना की योजनाओं के लिए अनुदान	5052	6238	14936	13886	16499	31655
केंद्रीय योजना की योजनाओं के लिए अनुदान	36	137	117	2084	93	232
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	2778	2921	822	161	0	0
योजनेतर अनुदान	2413	3288	3271	3434	3968	5069
कुल अनुदान	10278	12584	19146	19566	20559	36956
वर्तमान राजस्व शेष (बीसीआर)	14128	16242	15483	26027	27804	31320

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

महालेखाकार ने 2016-17 के वित्तीय लेखों में जानकारी दी है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अंतरण अभी भी जारी है। लेखा महानियंत्रक के केंद्रीय योजनागत योजना अनुश्रवण समिति (सीपीएसीएमएस) डेटाबेस पोर्टल से लिए गए अंकेक्षित आंकड़े दर्शाते हैं कि 2016-17 में राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को 2,954 करोड़ रु. अंतरित किए गए। यह रकम 2015-16 में 793 करोड़ रु. और 2014-15 में 652 करोड़ रु. थी। वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 5 करोड़ रु. से अधिक ऐसी प्रत्यक्ष धनराशि पाने वाले सरकारी और निजी अभिकरणों को तालिका 2.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.31 : राज्य बजट को दरकिनार करके राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को केंद्रीय धनराशि का प्रत्यक्ष अंतरण

अभिकरण	भारत सरकार की योजना	2016-17
बिहार ग्रामीण विकास समिति	मनरेगा	1619.33
FA & CAO, पूर्व मध्य रेलवे, पटना	अन्य योजनाएं	530.00
जिला योजना अधिकारी	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	201.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), पटना	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	159.57
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), पटना	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सह अध्यापन संस्थानों की स्थापना	140.00
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम	स्वदेश दर्शन - थीम आधारित समेकित पर्यटन परिपथ विकास	34.06
बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम	तीर्थ पुनरुज्जीवन एवं आध्यात्मिकता वर्धन अभियान (प्रसाद)	24.92
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), पटना	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार	5.95
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), पटना	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	63.00
क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र (CRC), पटना	दिव्यांगजन	10.88
बिहार राज्य दुग्ध सहकारी महासंघ	राष्ट्रीय दुग्धशाला विकास योजना	12.87
राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (NIPER), हाजीपुर	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, मोहाली	5.00
महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना	राष्ट्रीय न्याय प्रदान एवं विधि सुधार मिशन	26.41
दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय	राष्ट्रीय शिक्षक एवं शिक्षा मिशन	5.75
विरासत नगर कोष, गया नगर निगम, गया	राष्ट्रीय विरासत शहर योजना	11.53
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO)	28.30
नव नालंदा महाविहार अभिकरण	कला संस्कृति विकास योजना	10.20
डॉ. राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार	44.50
उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान	व्यापक संकुल विकास कार्यक्रम	11.30
सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज (इंडिया) लि.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)	8.94
योग		2953.51

स्रोत : वित्त लेखा

2.8 कर विषयक विभागों का प्रदर्शन

वाणिज्य कर विभाग

वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पूर्व की अवधि में वाणिज्य कर विभाग 8 अधिनियमों के तहत राजस्व संग्रह करता रहा है - 1. बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (वैट), 2. बिहार स्थानीय क्षेत्र उपभोग, उपयोग अथवा बिक्रीजन्य वस्तु प्रवेश कर अधिनियम, 1993 (ई.टी.), 3. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (सी.एस.टी.), 4. बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 (ई.डी.), 5. बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (ई.एन.टी.), 6. होटल विलासिता कर अधिनियम, 1988 (एच.एल.टी.), 7. बिहार विज्ञापन कर अधिनियम, 1981 (एडीवी.) तथा 8. बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं नियोजन अधिनियम, 2011 (पी.टी.)। वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद भी प्रशासनिक विभागों की संरचना में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

तालिका 2.32 में 2012-13 से 2016-17 तक संग्रहित कर दर्शाए गए हैं। बिक्री कर की जगह लेने वाला वैट मुख्य योगदाता है और एक वर्ष पहले की ही तरह 2016-17 में भी बिहार सरकार के कुल वाणिज्य कर संग्रहण में इसका 64 प्रतिशत हिस्सा था। मूल्यवर्धित कर के अलावा, प्रवेश कर वाणिज्य कर विभाग का एकमात्र अन्य प्रमुख स्रोत है जिसका 2016-17 में हुए कुल कर संग्रहण में 34 प्रतिशत योगदान था। इस प्रकार विभाग के कुल कर संग्रहण में इन दो करों का संयुक्त योगदान 98 प्रतिशत है। तालिका 2.33 में राज्य सरकार के राजस्व में वाणिज्यिक करों के वर्षवार हिस्से दर्शाए गए हैं। यह अनुपात 2012-13 में 18 प्रतिशत था और बाद के वर्षों में उसमें कोई खास बदलाव नहीं आया है। वर्ष 2016-17 में यह गत वर्ष के 17.8 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 17 प्रतिशत रह गया। वहीं राज्य सरकार के अपने कुल करों में उनका हिस्सा 2012-13 के 67 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर 2016-17 में 79 प्रतिशत हो गया।

तालिका 2.32 : विभिन्न अधिनियमों के तहत कर संग्रहण

(करोड़ रु.)

वर्ष	बी.एस.टी./ वैट	सी.एस.टी.	ई.एन.टी.	ई.डी.	एडीवी.	एच.एल.टी.	ई.टी.	पी.टी.	योग
2012-13	7391	74	28	102	1	8	3268	40	10911
2013-14	8546	83	39	141	1	10	4283	53	13156
2014-15	8796	71	46	373	1	11	4406	55	13758
2015-16	10726	60	55	297	1	11	6162	66	17378
2016-17	11908	70	70	226	1	11	6389	77	18751

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.33 : कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा

रकम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
राज्य का कुल राजस्व (करोड़ रु.)	59567	68919	78417	96123	105585	137158
राज्य का अपना कर राजस्व (करोड़ रु.)	16253	19961	20750	25449	23742	32001
वाणिज्य करों से राजस्व (करोड़ रु.)	10911	13156	13758	17378	18751	25000
कुल राजस्व में वाणिज्य करों का हिस्सा (%)	18.3	19.1	17.5	18.1	17.8	18.2
राज्य के अपने करों में वाणिज्य करों का हिस्सा (%)	67.1	65.9	66.3	68.3	79.0	78.1

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

कर प्राप्ति के लिहाज से 10 सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियों के लिए बिक्री कर का संग्रहण तालिका 2.34 में प्रस्तुत है। तालिका में देखा जा सकता है कि अकेले पेट्रॉलियम उत्पादों का ब्रिकी कर में हमेशा सर्वाधिक योगदान रहा है। वर्ष 2016-17 में बिक्री कर के कुल संग्रहण में इसका 5,118 करोड़ रु. योगदान था जो बिक्री कर से कुल संग्रहण का लगभग 27 प्रतिशत है। एक वर्ष पूर्व यह अनुपात 25 प्रतिशत था। दूसरे बड़े योगदाता बिजली के सामान (1,374 करोड़ रु.) से इसका लगभग चार गुना योगदान है - एक वर्ष पूर्व बिजली के सामानों का योगदान 1,093 करोड़ रु. था। अपने योगदान के क्रम में अन्य महत्वपूर्ण योगदाता हैं - सीमेंट, अनिवार्धित दूकानदार एवं निर्माण संवेदक, एफ.एम.सी.जी., कच्चा तेल, चारपहिए और वाहनों के चेसिस, दोपहिए-तिपहिए तथा औषधियां और औषधि-द्रव्य।

तालिका 2.34 : बिक्री कर का तुलनात्मक सामग्री आधारित संग्रहण

क्र. सं.	सामग्री का नाम	संग्रहण (करोड़ रु.)					वृद्धि दर (%)			
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	पेट्रॉलियम उत्पाद	2912	3152	3284	4385	5118	8.3	4.2	33.5	16.7
2	बिजली के सामान	341	546	787	1093	1374	60.5	44.0	38.9	25.7
3	सीमेंट	800	929	920	1005	1165	16.1	-0.9	9.2	16.0
4	अनिवार्धित दूकानदार एवं निर्माण संवेदक	490	659	750	912	1118	34.7	13.8	21.5	22.6
5	एफ.एम.जी.जी.	414	492	523	615	820	18.9	6.2	17.6	33.5
6	चारपहिए और वाहनों के चेसिस	515	491	528	596	747	-4.7	7.5	12.9	25.4
7	कच्चा तेल	315	817	635	1350	702	159.4	-22.2	112.5	-48.0
8	कार्य संविदा और टी.डी.एस.	369	334	248	371	605	-9.5	-25.6	49.4	63.1
9	दोपहिए-तिपहिए	272	336	378	452	584	23.4	12.5	19.5	29.1
10	औषधियां और औषधि-द्रव्य	357	408	459	469	544	14.1	12.7	2.1	16.1
अन्य		4122	4991	5237	6133	5974	21.1	4.9	17.1	-2.6
योग		10907	13156	13750	17378	18751	20.6	4.5	26.4	7.9

टिप्पणी : वर्ष 2014-15 और 2016-17 में कच्चे तेल पर करों में ऋणात्मक वृद्धि का कारण उनके पिछले वर्षों में बकाया वसूली के चलते असामान्य उच्च कर संग्रहण था।

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग उत्पाद शुल्क के साथ-साथ स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क के संग्रहण के लिए भी जवाबदेह है। राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2016 में शराबबंदी के पहले राजस्व संग्रहण के मामले में वाणिज्य कर विभाग के बाद इसी का स्थान था।

तालिका 2.35 में 2012-13 से 2016-17 तक स्टांप तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त राजस्व का विवरण दर्शाया गया है। आंकड़ों के रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि स्टांप शुल्क के संग्रहण में लगातार वृद्धि हुई है। यह कुल राजस्व 2012-13 के 2,319 करोड़ रु. से 2015-16 में 3,295 करोड़ रु. पहुंच गया था। लेकिन 2016-17 में इसमें थोड़ी गिरावट आई और यह 3,257 करोड़ रु. रह गया। इसका स्पष्ट कारण नोटबंदी का स्थावर संपदा क्षेत्र पर प्रभाव है। पिछले 5 वर्षों (2012-17) में समग्र वार्षिक वृद्धि दर मात्र 9 प्रतिशत रही है जिसका कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक नन-जूडिशियल स्टांप शुल्क के मामले में वृद्धि है।

तालिका 2.35 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
मुद्रित नॉन-जूडिशियल स्टांप	369	320	330	391	339
बैंक चालान के जरिए जमा नॉन-जूडिशियल स्टांप शुल्क	1340	1856	1750	2024	2064
एंडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप	13	28	30	32	26
स्पेशल एंडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप - फ्रैंकिंग मशीन द्वारा	24	16	18	20	17
राजस्व स्टांप	3	2	2	2	2
न्यायिक (जूडीशियल) स्टांप	12	36	37	40	37
उप योग	1761	2257	2167	2509	2485
अभिलेख निबंधन शुल्क	522	668	646	741	730
भूस्वामी निबंधन शुल्क	27	32	31	34	31
भूस्वामी संबंधी प्रक्रियागत (प्रोसेसिंग) शुल्क	4	4	4	5	4
अभिलेखों तथा अभारित चीजों की खोज के लिए प्राप्त शुल्क	2	4	5	5	5
प्रमाणित प्रतियों के लिए प्राप्त शुल्क	3	2	2	2	2
उप योग	558	711	688	787	772
योग	2319	2968	2855	3296	3257

स्रोत : मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.36 में 2017-18 के लिए सितंबर 2017 तक स्टांप एवं निबंधन शुल्कों से हुआ जिलावार राजस्व संग्रहण दर्शाया गया है। आशानुरूप, पटना जिला इस स्रोत में सर्वाधिक (लगभग 19 प्रतिशत) योगदान करता है - अपने तत्काल बाद वाले जिले से तीनगुने से भी अधिक है।

तालिका 2.36 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व, 2017-18 (सितंबर 2017 तक)

(करोड़ रु.)

जिला	अभिलेखों की सं.	स्टांप और निबंधन शुल्कों से कुल प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति लक्ष्य के % में	प्रति अभिलेख प्राप्ति (रु.)
पटना	36608	318.88	397.29	80.3	87107
नालंदा	14411	45.13	50.54	89.3	31316
भोजपुर	14435	44.8	51.96	86.2	31036
बक्सर	7913	25.10	28.72	87.4	31720
रोहतास	14616	52.36	54.50	96.1	35824
कैमूर	8606	19.71	20.48	96.2	22903
गया	18819	63.75	83.90	76.0	33875
जहानाबाद	5248	16.69	19.57	85.3	31803
अरवल	3396	8.12	8.61	94.3	23910
नवादा	11020	24.00	29.26	82.0	21779
औरंगाबाद	13012	45.55	44.83	101.6	35006
सारण	19368	47.69	60.26	79.1	24623
सीवान	17562	45.95	58.57	78.5	26164
गोपालगंज	14894	42.36	53.00	79.9	28441
पश्चिम चंपारण	32255	85.98	100.11	85.9	26656
पूर्व चंपारण	24195	44.91	50.22	89.4	18562
मुजफ्फरपुर	26408	94.96	117.96	80.5	35959
सीतामढ़ी	19927	43.62	55.71	78.3	21890
शिवहर	3941	6.76	8.96	75.4	17153
वैशाली	19105	58.69	69.26	84.7	30720
दरभंगा	17896	50.12	60.62	82.7	28006
मधुबनी	26183	48.15	58.2	82.7	18390
समस्तीपुर	26146	50.65	62.05	81.6	19372
बिग्रसराय	13736	48.64	53.76	90.5	35411
मुंगेर	4135	17.70	21.98	80.5	42805
शेखपुरा	4212	7.57	8.99	84.2	17972
लखीसराय	4770	14.56	16.60	87.7	30524
जमुई	8435	16.27	18.37	88.6	19289
खगड़िया	6463	15.52	17.20	90.2	24014
भागलपुर	11878	70.00	68.31	102.5	58932
बांका	9562	19.50	22.18	87.9	20393
सहरसा	9821	26.52	33.20	79.9	27003
सुपौल	11977	22.48	26.89	83.6	18769
मधेपुरा	10307	24.01	28.90	83.1	23295
पूर्णिया	18105	47.89	60.34	79.4	26451
किशनगंज	14604	21.30	24.60	86.6	14585
अररिया	17379	28.72	35.17	81.7	16526
कटिहार	17449	37.53	43.68	85.9	21508
योग	558797	1702.14	2024.75	84.1	30461

स्रोत : मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार

2.9 व्यय प्रबंधन

राज्य सरकार के व्ययों को तीन मुख्य कामकाजी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है - सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। इन सेवाओं पर राजस्व व्यय और पूँजीगत परिव्यय के अलावा व्यय के अन्य क्षेत्र पूँजीगत लेखे के ऋणों एवं अग्रिमों की अदायगी, तथा स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान हैं। राज्य सरकार अपने सार्वजनिक उद्यमों, स्थानीय नगर निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण भी देती है। गौरतलब है कि ऋणों के मूलधन की अदायगी जहां पूँजीगत लेखे से होती है, वहीं ब्याज भुगतान सामान्य सेवाओं के तहत व्यय के राजस्व लेखे से होता है।

तालिका 2.37 में 2012-13 से 2017-18 के बजट अनुमान तक राज्य सरकार का विभिन्न शीर्षों के तहत होने वाला व्यय विवरण प्रस्तुत किया गया है। तालिका 2.38 में इस अवधि में राज्य सरकार की व्यय संरचना प्रस्तुत की गई है और तालिका 2.39 में प्रतिशत व्यय संरचना। और तालिका 2.40 में विभिन्न व्यय मदों की वार्षिक वृद्धि दरें वर्णित हैं। इन चारों तालिकाओं से हमें राज्य सरकार के व्यय पैटर्न के बारे में पर्याप्त समझ हासिल हो जाती है।

तालिका 2.37 : संचित निधि से व्यय

(करोड़ रु.)

व्यय शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
सामान्य सेवाएं	18645	22018	26408	27972	30607	41603
सामाजिक सेवाएं	23107	26395	31713	35943	40737	53306
आर्थिक सेवाएं	12710	14060	14445	19696	23417	27688
सहायता अनुदान	4	4	4	4	4	5
पूँजीगत परिव्यय	9585	14001	18150	23966	27208	32196
लोक ऋणों की अदायगी	3070	3120	3609	4125	4215	4797
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	2086	807	369	621	114	490
योग	69207	80405	94698	112328	126302	160086

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2007-08 और 2010-11 के बीच राज्य के कुल व्यय में पूँजीगत परिव्यय का हिस्सा 18 प्रतिशत रहता था जो 2012-13 में घटकर 14 प्रतिशत रह गया था। उसके बाद से उसमें वृद्धि होने लगी और 2016-17 में कुल व्यय में उसका हिस्सा 22 प्रतिशत हो गया जो पिछले वर्षों से थोड़ा अधिक है (तालिका 2.38)। राज्य की अर्थव्यवस्था के भावी विकास के लिए पूँजीगत परिव्यय में लगातार वृद्धि बहुत जरूरी है।

सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय विकासेतर प्रकृति का होता है और 2016-17 में कुल व्यय में इसका हिस्सा 24 प्रतिशत था जो एक वर्ष पहले के 25 प्रतिशत से कम है। वर्ष 2016-17 में अन्य घटकों का हिस्सा इस प्रकार

था : सामाजिक सेवाएं - 32 प्रतिशत, आर्थिक सेवाएं - 18 प्रतिशत, पूँजीगत परिव्यय - 22 प्रतिशत, लोक ऋण की अदायगी -3 प्रतिशत और ऋण एवं अग्रिम - 0.1 प्रतिशत। वर्ष 2014-15 से कुल व्यय में पूँजीगत परिव्यय और आर्थिक सेवाओं का हिस्सा अधिकांशतः सामान्य सेवाओं की कीमत पर बढ़ा है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा लगभग एक जैसा रहा है और विगत वर्षों में व्यय पैटर्न में मामूली ढांचागत परिवर्तन ही होता दिखा है। पिछले 5 वर्षों में पूँजीगत परिव्यय 30 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा और 2012-13 से 2016-17 के बीच इसमें 17,600 करोड़ रु. से भी अधिक की वृद्धि हुई। पूँजीगत परिव्यय में वृद्धि ने राज्य की अर्थव्यवस्था को देश के सभी बड़े राज्यों के बीच सबसे तेज विकास वाले राज्यों में ला खड़ा किया है। सामाजिक सेवाओं के हिस्से में गिरावट भविष्य के लिए स्वागत की बात है क्योंकि यह दर्शाता है कि जिन धनराशियों का उपयोग पहले प्रशासन चलाने के लिए किया जा रहा था, उन्हें अब विकास पर खर्च के लिए और अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के लिए अधिकाधिक उपयोग में लाया जा रहा है।

तालिका 2.38 : सरकारी व्यय की संरचना

(प्रतिशत)

व्यय शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
सामान्य सेवाएं	26.9	27.4	27.9	24.9	24.2	26.0
सामाजिक सेवाएं	33.4	32.8	33.5	32.0	32.3	33.3
आर्थिक सेवाएं	18.4	17.5	15.3	17.5	18.5	17.3
पूँजीगत परिव्यय	13.8	17.4	19.2	21.3	21.5	20.1
लोक ऋणों की अदायगी	4.4	3.9	3.8	3.7	3.3	3.0
ऋण एवं अग्रिम	3.0	1.0	0.4	0.6	0.1	0.3
योग	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.39 में राज्य सरकार के कुल व्यय का ढांचा अधिक विस्तार से प्रस्तुत है। तालिका में दिखता है कि अब व्यय में बड़ा हिस्सा राज्य के विकास हेतु आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का है जो सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। वर्ष 2016-17 में कुल व्यय में 75 प्रतिशत हिस्सा राजस्व लेखे का और 25 प्रतिशत पूँजीगत लेखे का था जो लगभग गत वर्ष जैसा ही है। वर्ष 2016-17 में कुल व्यय का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा विकासमूलक प्रकृति का और 28 प्रतिशत विकासेतर प्रकृति का था। वर्ष 2012-13 में ये हिस्से क्रमशः 68 और 32 प्रतिशत थे। पहले भी देखा गया है कि हाल के वर्षों में राजस्व लेखे में लगातार प्रचुर अधिशेष कायम रखकर राज्य सरकार अपनी ऋण समस्या का अच्छी तरह प्रबंधन करने में सफल रही है। फलतः, कुल व्यय में अब ऋण सेवा का 3 प्रतिशत और ब्याज भुगतान का 6 प्रतिशत के आसपास ही हिस्सा रहता है। ऋण भार को प्रबंधनीय सीमा में रखने के कारण राज्य सरकार अधिसंरचना के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने के सक्षम हो गई जो राज्य के आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है।

तालिका 2.39 : कुल व्यय की संरचना (प्रतिशत)

व्यय शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
राजस्व लेखा	78.7	77.7	76.6	74.4	75.0	76.6
विकासेतर राजस्व व्यय	26.6	26.9	27.5	24.5	23.9	25.6
विकासमूलक राजस्व व्यय	52.1	50.8	49.2	49.9	51.1	51.0
सामान्य सेवाएं (लोक निर्माण)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4
सामाजिक सेवाएं	33.4	32.8	33.5	32.0	32.3	33.3
आर्थिक सेवाएं	18.4	17.5	15.3	17.5	18.5	17.3
पूँजीगत लेखा	21.3	22.3	23.4	25.6	25.0	23.4
विकासेतर पूँजीगत व्यय	5.1	5.0	4.6	6.0	4.2	3.7
सामान्य सेवाएं (लोक निर्माण को छोड़कर)	0.7	1.1	0.8	2.3	0.9	0.7
लोक ऋण की अदायगी (सामान्य सेवाएं)	4.4	3.9	3.8	3.7	3.3	3.0
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम (सामान्य सेवाएं)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
विकासमूलक पूँजीगत व्यय	16.2	17.3	18.7	19.6	20.8	19.7
पूँजीगत परिव्यय (लोक निर्माण, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं)	13.2	16.3	18.4	19.0	20.7	19.4
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम (सामाजिक और आर्थिक सेवाएं)	3.0	1.0	0.4	0.5	0.1	0.3
कुल विकासेतर व्यय	31.7	31.9	32.1	30.5	28.1	29.4
कुल विकासमूलक व्यय	68.3	68.1	67.9	69.5	71.9	70.6
कुल व्यय	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.40 में व्यय के विभिन्न घटकों की वृद्धि दरें दर्शाई गई हैं। इसमें दिखता है कि 2012-13 से 2017-18 के बीच पूँजीगत परिव्यय की वृद्धि दर 30 प्रतिशत के उच्च स्तर पर रही है। सामाजिक सेवा और आर्थिक सेवा पर व्यय भी 15 प्रतिशत से अधिक की उच्च दर से बढ़ रहा है। लेकिन सामान्य सेवाओं पर व्यय 13 प्रतिशत की अपेक्षाकृत धीमी दर से बढ़ा रहा है। कुल मिलाकर राज्य सरकार का कुल व्यय भी 16 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ रहा है।

तालिका 2.40 : व्यय की वृद्धि दरें

व्यय शीर्ष	वार्षिक वृद्धि दरें						वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2012-17)
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)	
सामान्य सेवाएं	5.2	18.1	19.9	5.9	9.4	35.9	13.2
सामाजिक सेवाएं	23.4	14.2	20.1	13.3	13.3	30.9	15.2
आर्थिक सेवाएं	26.6	10.6	2.7	36.4	18.9	18.2	16.5
पूँजीगत परिव्यय	8.3	46.1	29.6	32.0	13.5	18.3	29.8
लोक ऋणों की अदायगी	5.0	1.6	15.7	14.3	2.2	13.8	8.2
ऋण एवं अग्रिम	9.4	-61.3	-54.3	68.5	-81.7	330.1	-51.7
योग	15.0	16.2	17.8	18.6	12.4	26.7	16.2

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

सामान्य सेवाओं में भी कुछ शीर्षों के व्यय को बहुत नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ये मद अधिकांशतः भारित व्यय (चार्ज्ड एक्सपैडिचर) वाले हैं, जैसे पेंशन तथा व्याज भुगतान, न्यायिक सेवा, कारा, पुलिस आदि से संबंधित व्यय जिन्हें राज्य सरकार बहुत जोखिम उठाकर ही कम कर सकती है। इन सभी मदों का खर्च लगातार बढ़ता रहा है। हालांकि राज्य सरकार के कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का हिस्सा घटता गया है लेकिन रकम के रूप में देखें तो 2012-13 से 2016-17 के बीच यह व्यय लगभग 13 प्रतिशत की वार्षिक दर से लगातार बढ़ा है। यह वृद्धि व्याज भुगतान और पेंशन व्यय में तेज वृद्धि के साथ-साथ पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, न्यायपालिका, विधानमंडल, कर संबंधी विभागों तथा लोक निर्माण पर बढ़े व्यय के कारण हुई है। वर्ष 2016-17 में सामान्य सेवाओं पर व्यय गत वर्ष के तुलना में 9 प्रतिशत बढ़ा।

2.10 राजस्व व्यय

तालिका 2.41 में राज्य सरकार के राजस्व व्यय का व्योरा दर्ज है। राजस्व व्यय गतिविधियों का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए किया जाता है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा लगभग 76 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के पांच वर्षों के दौरान वार्षिक औसत वृद्धि दर राजस्व व्यय के मामले में 15 प्रतिशत, पूँजीगत व्यय के मामले में 22 प्रतिशत और कुल व्यय के मामले में 16 प्रतिशत थी।

तालिका 2.41 : राजस्व व्यय का व्योरा

(करोड़ रु.)

व्यय शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
राजस्व व्यय (आर.इ.)	54466	62477	72570	83616	94765	122603
पूँजीगत व्यय (सी.इ.)	14740	17928	22128	28712	31537	37483
कुल व्यय (टी.इ.)	69207	80405	94698	112328	126302	160086
योजनेतर व्यय	40825	46728	50759	58596	65462	78818
राजस्व लेखा (एन.पी.आर.इ.)	37574	43381	47059	53965	61189	73952
पूँजीगत लेखा	3252	3347	3700	4630	4273	4867
योजना व्यय	28381	33678	43939	53732	60840	81267
राजस्व लेखा (पी.आर.इ.)	16892	19096	25511	29651	33576	48651
पूँजीगत लेखा	11489	14581	18428	24082	27264	32616
एन.पी.आर.इ. की वृद्धि दर (%)	10.47	15.46	8.48	14.68	13.39	20.86
पी.आर.इ. की वृद्धि दर (%)	35.28	13.05	33.59	16.23	13.24	44.90
आर.इ./ टी.इ.(%)	78.70	77.70	76.63	74.44	75.03	76.59
एन.पी.आर.इ./ टी.इ.(%)	54.29	53.95	49.69	48.04	48.45	46.20
टी.इ./ जी.एस.डी.पी. (%)	24.51	25.36	27.61	29.44	28.83	34.33
एन.पी.आर.इ./ जी.एस.डी.पी. (%)	13.31	13.68	13.72	14.15	13.97	15.86
राजस्व प्राप्तियां (आर.आर.)/ टी.इ (%)	86.07	85.71	82.81	85.57	83.60	85.68
एन.पी.आर.इ./ आर.आर. (%)	63.08	62.95	60.01	56.14	57.95	53.92
जी.एस.डी.पी. के मुकाबले आर.इ. की उत्कूलता	1.20	1.20	1.98	1.35	0.90	4.54
आर.आर. के मुकाबले आर.इ. की उत्कूलता	1.07	0.94	1.17	0.67	1.35	0.98

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2016-17 में कुल सरकारी व्यय बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 29 प्रतिशत के और राजस्व व्यय 14 प्रतिशत के बराबर था। उत्फुल्लता अनुपातों से दिखता है कि 2012-13 से 2016-17 के बीच 2014-15 और गत वर्ष को छोड़कर शेष सभी वर्षों में राजस्व व्यय की विकास दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विकास दर से अधिक थी। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में भी राजस्व व्यय का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अपेक्षा काफी अधिक तेज दर से बढ़ना अनुमानित है क्योंकि सामान्य और सामाजिक सेवाओं पर काफी अधिक व्यय का अनुमान है।

2.11 वेतन और पेंशन पर व्यय

वेतन और पेंशन सभी सरकारों के लिए व्यय के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद होते हैं। वेतन और पेंशन व्यय के रुझान तालिका 2.42 में प्रस्तुत हैं। एक वर्ष पहले की तरह 2016-17 में भी राज्य सरकार के राजस्व व्यय में वेतन और पेंशन के संयुक्त व्यय का हिस्सा 30 प्रतिशत था जो पांच वर्ष पहले के 40 प्रतिशत से कम है।

तालिका 2.42 : वेतन और पेंशन व्यय

(करोड़ रु.)

शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
वेतन पर व्यय	13558	14037	14607	14924	15784	18657
योजनेतर शीर्ष	12865	13315	13910	14307	15097	18010
योजना शीर्ष	693	721	697	617	687	647
वेतन जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के बतौर	4.8	4.4	4.3	3.9	3.6	4.0
वेतन राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर	22.8	20.4	18.6	15.5	14.9	13.6
वेतन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	24.9	22.5	20.1	17.8	16.7	15.2
पेंशन पर व्यय	8364	9482	11345	11850	12508	19878
वृद्धि दर	7.1	13.4	19.6	4.5	5.5	58.9
पेंशन जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के बतौर	3.0	3.0	3.3	3.1	2.9	4.3
पेंशन राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर	14.0	13.8	14.5	12.3	11.8	14.5
पेंशन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	15.4	15.2	15.6	14.2	13.2	16.2
वेतन और पेंशन पर कुल व्यय	21921	23518	25952	26774	28292	38535
कुल व्यय जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के बतौर	7.8	7.4	7.6	7.0	6.5	8.3
कुल व्यय राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर	36.8	34.1	33.1	27.9	26.8	28.1
कुल व्यय राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	40.2	37.6	35.8	32.0	29.9	31.4

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2012-13 में कुल राजस्व व्यय में अकेले सरकारी कर्मचारियों के वेतन व्यय का हिस्सा 25 प्रतिशत था जो क्रमशः घटते हुए 2016-17 में 17 प्रतिशत रह गया। वर्तमान वित्तवर्ष में इसके और भी घटकर 15 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। इसी प्रकार, 2016-17 में राजस्व व्यय में पेंशन का 13 प्रतिशत हिस्सा था जो पांच वर्ष

पूर्व 15 प्रतिशत था। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच इन दोनों लेखों पर व्यय में लगभग 6,371 करोड़ रु. की बढ़ी वृद्धि हुई है - वेतन के मामले में 2,226 करोड़ रु. की और पेंशन के मामले में 4,144 करोड़ रु. की। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में वेतन एवं पेंशन व्यय में लगभग 10,292 करोड़ रु. की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच वेतन भुगतान 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा और पेंशन भुगतान 11 प्रतिशत की दर से। इस अवधि में दोनों खातों पर कुल व्यय 7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा।

2.12 व्यय की गुणवत्ता

व्यय की गुणवत्ता का निर्णय सामाजिक और भौतिक अधिसंरचना के निर्माण के लिए समर्पित व्यय के अनुपात तथा सामान्य सेवाओं के विकासेतर व्यय की तुलना में सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर विकासमूलक व्यय का अनुपात से किया जाता है। इस लिहाज से व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण मापदंड हैं : (1) कुल व्यय के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (2) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (3) राजस्व व्यय का सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर हो रहे खर्च का अनुपात तथा (4) इन सेवाओं में किए जा रहे गैर-वेतन व्यय का अनुपात। ये अनुपात जितने ऊंचे होंगे, व्यय की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी होगी। तालिका 2.43 में 2012-13 से 2017-18 तक के 6 वर्षों के दौरान इन अनुपातों को दर्शाया गया है।

तालिका 2.43 : व्यय की गुणवत्ता के मापदंड

व्यय शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	9585	14001	18150	23966	27208	32196
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	54466	62477	72570	83616	94765	122603
सामाजिक/ आर्थिक सेवाओं पर व्यय (करोड़ रु.)	35817	40455	46158	55639	64154	80994
(i) वेतन घटक (करोड़ रु.)	9033	9072	9176	9108	9349	9981
वेतन घटक (%)	25.2	22.4	19.9	16.4	14.6	12.3
(ii) गैर-वेतन घटक (करोड़ रु.)	26784	31384	36982	46531	54805	71013
गैर-वेतन घटक (%)	74.8	77.6	80.1	83.6	85.4	87.7
पूंजीगत परिव्यय/ कुल व्यय (%)	13.8	17.4	19.2	21.3	21.5	20.1
राजस्व व्यय/ कुल व्यय (%)	78.7	77.7	76.6	74.4	75.0	76.6
राजस्व व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	19.3	19.7	21.2	21.9	21.6	26.3
पूंजीगत परिव्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	3.4	4.4	5.3	6.3	6.2	6.9

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

इन सारे मापदंडों के आधार पर सोचने पर स्पष्ट हो जाता है कि हाल के वर्षों में बिहार में व्यय की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। विगत वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद और कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा बढ़ा है जबकि राजस्व व्यय को अबाध बढ़ने नहीं दिया गया है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच विकासमूलक राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक 75 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया जो दर्शाता है कि बिहार में लोक वित्त का प्रबंधन विवेकपूर्ण ढंग से किया जा रहा है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है और राज्य के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

2.13 क्षेत्रगत व्यय

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, आवास आदि उपलब्ध कराना आर्थिक विकास और नागरिकों के कल्याण के बीच संपर्क स्थापित करने के लिहाज से बहुत जरूरी है। यह वांछित संपर्क सामाजिक सेवाओं पर पर्याप्त व्यय करके ही स्थापित किया जा सकता है। तालिका 2.44 में 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में तथा 2017-18 के बजट अनुमान में राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले ऐसे व्ययों का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2.44 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय

व्यय शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	14445	15047	16531	19155	20226	26394
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	14080	14344	16267	18605	19152	24696
(क) वेतन घटक (%)	44.5	33.7	30.0	24.0	22.8	19.5
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	55.5	66.3	70.0	76.0	77.2	80.5
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	364	704	263	550	1074	1698
पूंजीगत परिव्यय (%)	2.5	4.7	1.6	2.9	5.3	6.4
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	2398	2574	3604	4571	5493	6535
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	1836	2113	3288	3481	4622	5711
(क) वेतन घटक (%)	79.6	74.8	48.6	52.6	48.3	37.2
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	20.4	25.2	51.4	47.4	51.7	62.8
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	563	460	316	1091	870	824
पूंजीगत परिव्यय (%)	23.5	17.9	8.8	23.9	15.8	12.6
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	2587	3605	4542	4518	8786	13148
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	2304	2967	3639	3694	7463	11099
(क) वेतन घटक (%)	8.9	8.0	6.4	6.4	3.1	2.1
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	91.1	92.0	93.6	93.6	96.9	97.9
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	282	638	903	824	1323	2049
पूंजीगत परिव्यय (%)	10.9	17.7	19.9	18.2	15.1	15.6
योग (सामाजिक सेवाएं)						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	24438	28253	33386	38684	44329	58492
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	23107	26395	31713	35943	40737	53306
(क) वेतन घटक (%)	30.7	26.6	22.4	19.2	17.7	14.2
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	69.3	73.4	77.6	80.8	82.3	85.8
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	1331	1858	1674	2740	3592	5186
पूंजीगत परिव्यय (%)	5.4	6.6	5.0	7.1	8.1	8.9

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

सामाजिक विकास की राज्य सरकार की चिंता इस क्षेत्र हेतु बढ़े आबंटन से काफी हद तक व्यक्त होती है जो 16 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2012-13 के 24,438 करोड़ रु. से 2016-17 में 44,329 करोड़ रु. पहुंच गया। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इसमें 14,163 करोड़ रु. (32 प्रतिशत) की वृद्धि अनुमानित है। बीच में थोड़े-बहुत उतार-चढ़ाव के साथ सामाजिक सेवा क्षेत्र में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 2012-13 के 5 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 8 प्रतिशत पहुंच गया और 2017-18 के बजट अनुमान में बढ़कर 9 प्रतिशत होना अनुमानित है।

सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक (अर्थात् वस्तुतः पहले से निर्मित परिसंपत्तियों के रखरखाव पर खर्च की जाने वाली रकम) 2012-13 में 69 प्रतिशत था जो 2016-17 में 82 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक जलापूर्ति, स्वच्छता, तथा आवास एवं नगर विकास के मामले में वस्तुतः बहुत छोटा हिस्सा (2016-17 में 3 प्रतिशत) लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मामले में कुल राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा (2016-17 में 48 प्रतिशत) रहा है, हालांकि इसके हिस्से में भी साल दर साल कमी आती गई है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच सामाजिक सेवाओं पर कुल पूंजीगत परिव्यय 1,331 करोड़ रु. से बढ़कर 3,592 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में इसका तेजी से बढ़कर 5,286 करोड़ रु. तक पहुंचना अनुमानित है जिसका कारण मुख्यतः इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र पर प्रचुर वृद्धि है। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में पूंजीगत परिव्यय में लगभग 1,600 करोड़ रु. वृद्धि का अनुमान है, वहीं राजस्व व्यय में 12,500 करोड़ रु. से भी अधिक की वृद्धि अनुमानित है।

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 2.45 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय का विश्लेषण दर्शाया गया है जिससे अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त उत्पादक क्षमता सृजित की जाती है। वर्ष 2016-17 में कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा एवं विद्युत, उद्योग एवं खनिज तथा परिवहन का आर्थिक सेवाओं पर होने वाले राजस्व और पूंजीगत, दोनों लेखों के संयुक्त व्यय में 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा था। वर्ष 2016-17 में आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय का लगभग 48 प्रतिशत भाग पूंजीगत खाते में किया गया जो एक वर्ष पहले से थोड़ा अधिक है। आर्थिक सेवाओं के मामले में पूंजीगत परिव्यय 2012-13 के 7,536 करोड़ रु. से काफी बढ़कर 2016-17 में 21,526 करोड़ रु. हो गया। विगत पांच वर्षों के दौरान इसमें व्यवस्थित रूप से वृद्धि हुई और 2016-17 में कुल पूंजीगत परिव्यय (27,208 करोड़ रु.) में इसका 79 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा था। वर्ष 2016-17 में आर्थिक सेवाओं पर कुल परिव्यय में सबसे बड़ा हिस्सा ऊर्जा एवं विद्युत का (5,739 करोड़ रु.) था और उसके बाद परिवहन (5,601 करोड़ रु.) तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का (1,796 करोड़ रु.) था। इस पूरी अवधि में आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का गैर-वेतन घटक सामाजिक सेवाओं की तरह ही ऊंचा बना रहा और 2016-17 में 91 प्रतिशत था। वेतन घटक सिर्फ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के मामले में ऊंचा था; 2016-17 में कुल व्यय का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा इसी मद में था जो 2015-16 में भी इतना ही था। ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र के मामले में राज्य सरकार द्वारा कोई वेतन भुगतान नहीं किया गया। यह वेतन भुगतान विद्युत उत्पादन, संचरण और वितरण से संबंधित कंपनियों द्वारा किया गया।

तालिका 2.45 : आर्थिक सेवाओं पर व्यय

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (बा.आ.)
कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	3262	3670	3615	4120	2414	4376
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	3170	3193	3431	3515	2287	4066
(क) वेतन घटक (%)	14.8	14.7	13.9	14.6	22.7	15.0
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	85.2	85.3	86.1	85.4	77.3	85.0
पूँजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	92	477	185	605	128	310
पूँजीगत परिव्यय (%)	2.8	13.0	5.1	14.7	5.3	7.1
सिंचार्ड एवं बाढ़ नियंत्रण						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	2854	2838	2444	2836	2844	4388
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	914	1039	1020	1151	1048	1290
(क) वेतन घटक (%)	65.9	56.3	58.0	57.0	56.9	54.6
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	34.1	43.7	42.0	43.0	43.1	45.4
पूँजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	1940	1799	1424	1685	1796	3098
पूँजीगत परिव्यय (%)	68.0	63.4	58.3	59.4	63.1	70.6
ऊर्जा एवं विद्युत						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	3374	5133	7948	8945	13437	10575
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	3200	3236	3773	6151	7698	5092
(क) वेतन घटक (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
पूँजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	174	1897	4175	2794	5739	5483
पूँजीगत परिव्यय (%)	5.1	37.0	52.5	31.2	42.7	51.8
परिवहन						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	4138	5471	5194	6130	7388	7556
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	826	1381	996	1712	1787	2023
(क) वेतन घटक (%)	24.6	15.4	21.7	13.9	13.0	14.4
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	75.4	84.6	78.3	86.1	87.0	85.6
पूँजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	3313	4090	4198	4417	5601	5534
पूँजीगत परिव्यय (%)	80.1	74.8	80.8	72.1	75.8	73.2
उद्योग एवं खनिज						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	583	1115	564	1230	1116	1126
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	534	580	561	1201	888	936
(क) वेतन घटक (%)	15.6	11.0	11.5	5.2	7.0	8.7
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	84.4	89.0	88.5	94.8	93.0	91.3
पूँजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	49	535	3	29	228	190
पूँजीगत परिव्यय (%)	8.4	48.0	0.5	2.4	20.4	16.9
योग (आर्थिक सेवाएं)						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	20246	24871	29173	37305	44943	51332
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	12710	14060	14445	19696	23417	27688
(क) वेतन घटक (%)	15.2	14.6	14.4	11.2	9.2	8.7
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	84.8	85.4	85.6	88.8	90.8	91.3
पूँजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	7536	10811	14728	17609	21526	23643
पूँजीगत परिव्यय (%)	37.2	43.5	50.5	47.2	47.9	46.1

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

तालिका 2.46 में 2012-13 से 2016-17 तक तथा 2017-18 के बजट अनुमान लिए सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय 2,297 रु. से बढ़कर 3,806 रु. हो गया वहीं, सेवाओं के मामले में भी काफी वृद्धि हुई - 1,903 रु. से 3,859 रु। इस अवधि में प्रति व्यक्ति पूँजीगत परिव्यय भी 901 रु. से बढ़कर 2,336 रु. हो गया।

तालिका 2.46 : सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
अनुमानित जनसंख्या (करोड़)	10.6	10.9	11.1	11.4	11.6	11.9
कुल व्यय (करोड़ रु.)						
शिक्षा, खेल एवं संस्कृति	14445	15047	16531	19155	20226	26394
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	2398	2574	3604	4571	5493	6535
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2587	3605	4542	4518	8786	13148
सामाजिक सेवाएं	24438	28253	33386	38684	44329	58492
आर्थिक सेवाएं	20246	24871	29173	37305	44943	51332
पूँजीगत परिव्यय	9585	14001	18150	23966	27208	32196
सामान्य सेवाएं	19362	23351	28157	31589	32697	44970
प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)						
शिक्षा, खेल एवं संस्कृति	1358	1383	1485	1682	1737	2215
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	225	237	324	401	472	549
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	243	331	408	397	754	1104
सामाजिक सेवाएं	2297	2596	2999	3397	3806	4910
आर्थिक सेवाएं	1903	2286	2621	3276	3859	4309
पूँजीगत परिव्यय	901	1287	1631	2105	2336	2702
सामान्य सेवाएं	1820	2146	2530	2774	2807	3775

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

2.14 2017-18 के बजट अनुमान और 2016-17 की वास्तविक रकमों की तुलना

इस खंड में 2017-18 के बजट की तुलना 2016-17 में राज्य सरकार की वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय के साथ की जाएगी। वर्ष 2016-17 के लेखों में राज्य सरकार की संचित निधि में 883 करोड़ रु. का अधिशेष दिखा, वहीं 2017-18 के बजट में 953 करोड़ रु. का अधिशेष होता दिखता है। तालिका 2.47 में देखा जा सकता है कि 2017-18 में गत वर्ष की अपेक्षा राजस्व प्राप्ति में लगभग 31,574 करोड़ रु. और राजस्व व्यय में 27,838 करोड़ रु. वृद्धि होने का अनुमान किया गया है। वर्ष 2017-18 में 14,556 करोड़ रु. का राजस्व अधिशेष अनुमानित है जो 2016-17 के 10,819 करोड़ रु. राजस्व अधिशेष से काफी अधिक है।

तालिका 2.47 : वास्तविक रकम (2016-17) और बजट अनुमान (2017-18) का सारांश

(करोड़ रु.)

	2016-17	2017-18 (ब.अ.)		2016-17	2017-18 (ब.अ.)
राजस्व लेखा			पूंजीगत लेखा		
प्राप्ति			प्राप्ति		
कर राजस्व	82623	97327	लोक ऋण	21577	23863
करतर राजस्व	2403	2875	ऋणों और अग्रिमों की वसूली	23	18
अनुदान और अंशदान	20559	36956			
कुल राजस्व प्राप्ति	105585	137158	कुल पूंजीगत प्राप्तियां	21600	23881
व्यय			व्यय		
सामान्य सेवाएं	30607	41603	पूंजीगत परिव्यय	27208	32196
सामाजिक सेवाएं	40737	53306	लोक ऋण	4215	4797
आर्थिक सेवाएं	23417	27688	ऋण और अग्रिम	114	490
अनुदान एवं अंशदान	4	5			
कुल राजस्व व्यय	94765	122603	कुल पूंजीगत व्यय	31537	37483
घाटा : राजस्व लेखा	-10819	-14556	घाटा : पूंजीगत लेखा	9937	13602
संचित निधि की प्राप्ति	127185	161039	संचित निधि से व्यय	126302	160086
निवल संचित निधि (प्राप्ति - व्यय)	883	953			
आकस्मिक निधि					
आय			व्यय		
आकस्मिक निधि का योग			आकस्मिक निधि का योग		
लोक लेखा			लोक लेखा		
प्राप्ति			संवितरण		
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1263	1426	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1163	1541
आरक्षित कोष	1075	1181	आरक्षित कोष	1787	1181
जमा और अग्रिम	49196	27320	जमा और अग्रिम	43803	29305
सस्पेंस तथा विविध	393301	0	सस्पेंस तथा विविध	398968	0
प्रेषण (रेमिटेंस)	9536	0	प्रेषण	9543	0
कुल प्राप्ति : लोक लेखा	454371	29927	कुल संवितरण : लोक लेखा	455264	32027
शुद्ध परिणाम : लोक लेखा (प्राप्ति - व्यय)	-893	-2100			
शुद्ध परिणाम : सभी लेखे (प्राप्ति - व्यय)	-10	-1147			

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2017-18 के बजट अनुमान में पूंजीगत लेखे के तहत व्यय में 2016-17 की अपेक्षा 5,946 करोड़ रु. वृद्धि का अनुमान किया गया है। वर्ष 2017-18 में मुख्यतः लोक ऋण से पूंजीगत प्राप्तियों में मात्र 2,281 करोड़ रु. की वृद्धि अनुमानित है। इससे पूंजीगत लेखे में 13,602 करोड़ रु. का शुद्ध घाटा रह जाता है। वर्ष 2017-18 में ऋण अदायगी में 2016-17 से मात्र 582 करोड़ रु. की और राज्य सरकार द्वारा ऋणप्रदान में 376 करोड़ रु. की कमी अनुमानित है। पूंजीगत परिव्यय में 4,988 करोड़ की अच्छी-खासी वृद्धि का अनुमान है। पूंजीगत लेखे में 13,602 करोड़ रु. के घाटा की भरपाई राजस्व लेखे के 14,556 करोड़ रु. के अधिशेष से पूरी तरह हो जाना अनुमानित है। इसके बाद भी बजट में 954 करोड़ रु. का अधिशेष रह जाएगा। वर्ष 2017-18 में लोक लेखा में 2,100 करोड़ रु. का शुद्ध घाटा रहना अनुमानित है और सभी लेखों का शुद्ध परिणाम 1,147 करोड़ रु. का मामूली घाटा होगा। वर्ष 2016-17 के लेखे में मात्र 10 करोड़ रु. का घाटा मौजूद था।

तालिका 2.48 : संचित निधि का प्रतिशत वितरण : प्राप्ति तथा व्यय

प्राप्ति	2016-17	2017-18 (ब.अ.)	व्यय	2016-17	2017-18 (ब.अ.)
राजस्व लेखा		राजस्व लेखा			
कर राजस्व	65.0	60.4	सामान्य सेवाएं	24.2	26.0
करतर राजस्व	1.9	1.8	सामाजिक सेवाएं	32.3	33.3
सहायता अनुदान और अंशदान	16.1	22.9	आर्थिक सेवाएं	18.5	17.3
पूंजीगत लेखा		पूंजीगत लेखा			
लोक ऋण	17.0	14.9	लोक ऋण की अदायगी	3.5	3.3
ऋणों और अग्रिमों की वसूली			ऋण एवं अग्रिम		
अंतर-राज्य भुगतान			पूंजीगत परिव्यय	21.5	20.1
योग	100.0	100.0	योग	100.0	100.0

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

राज्य सरकार की प्राप्ति और व्यय का ढांचा तालिका 2.48 में प्रस्तुत है। इस तालिका में देखा जा सकता है कि प्राप्ति की संरचना में ढांचागत परिवर्तन हुआ है। वर्ष 2017-18 में संचित निधि में कुल प्राप्ति में कर राजस्व का 60 प्रतिशत हिस्सा है जो एक वर्ष पहले 65 प्रतिशत था। जहां 2017-18 में करतर राजस्व के हिस्से में बहुत कम अंतर दिखता है, वहीं लोक ऋण का हिस्सा लगभग 2 प्रतिशत गिरकर 15 प्रतिशत रह जाना अनुमानित है। वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार के अनुदानों का हिस्सा 2016-17 के 16 प्रतिशत से काफी बढ़कर 23 प्रतिशत हो जाना अनुमानित है। हालांकि व्यय की संरचना दोनों वर्षों में व्यवहारतः समान रही है जिसके घटकों में कुछ मामूली अंतर हुआ है।

2.15 राजकीय सार्वजनिक उपक्रम और निगम

मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार बिहार के सार्वजनिक क्षेत्र में 71 सरकारी कंपनियां और 3 वैधानिक निगम (स्टेट्यूट्री कॉर्पोरेशन) मौजूद हैं। हालांकि इन 71 में से 31 सरकारी कंपनियां ही कार्यशील हैं। राज्य सरकार

द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में मार्च 2012 से मार्च 2016 तक किया गया कुल निवेश तालिका 2.49 में दर्शाया गया है। मार्च 2016 तक ऐसा निवेश 46,694 करोड़ रु. था - 31,394 करोड़ रु. इक्विटी और 15,299 करोड़ रु. दीर्घावधि ऋण के बतौर। इनमें से 729 करोड़ रु. (181 करोड़ इक्विटी और 548 करोड़ रु. दीर्घावधि ऋण के बतौर) का निवेश अकार्यशील कंपनियों में किया गया था (तालिका 2.50)। निवेश में प्रचुर वृद्धि 2013-14 में ही हुई। वर्ष 2012-13 तक कुल निवेश 8,322 करोड़ रु. था जो 2007-08 से लगभग समान स्तर पर था। हालांकि 2013-14 में लगभग 20,000 करोड़ रु. की भारी वृद्धि सांकेतिक वृद्धि ही थी जिसका कारण पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियों का समावेश था जिसको उसके बाद पांच अलग-अलग कंपनियों में बांट दिया गया और इन अस्तियों को ही राज्य सरकार द्वारा बजटीय सहायता विमुक्त की गई (चार्ट 2.6)।

तालिका 2.49 : राज्य सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश

31 मार्च को	कार्यशील सार्वजनिक इकाइयों की सं.	अकार्यशील सार्वजनिक इकाइयों की सं.	वैधानिक निगम	सार्वजनिक कंपनियां/ निगम	इक्विटी (करोड़ रु.)	ऋण (करोड़ रु.)	निवेश (करोड़ रु.)
2012	22	40	4	66	633	11,741	12,374
2013	28	40	3	71	3743	4579	8,322
2014	30	40	3	73	18323	9898	28,221
2015	30	40	3	73	21542	12242	33,783
2016	31	40	3	74	31394	15299	46,694

स्रोत : सार्वजनिक उद्यमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

तालिका 2.50 : सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यशील और अकार्यशील कंपनियों में निवेश (31 मार्च, 2016 तक)


कंपनी/ निगम का प्रकार	सरकारी कंपनियां			वैधानिक निगम			कुल योग
	पूंजी	दीर्घकालीन ऋण	योग	पूंजी	दीर्घकालीन ऋण	योग	
कार्यशील	31028	13657	44685	186	1095	1280	45965
अकार्यशील	181	548	729	—	—	—	729
योग	31209	14205	45414	186	1095	1280	46694

स्रोत : सार्वजनिक उद्यमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

बिहार के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निवेश मुख्यतः विद्युत क्षेत्र में केंद्रित है। वर्ष 2015-16 के अंत में सार्वजनिक उद्यमों में राज्य सरकार के कुल निवेश में इसका लगभग 82 प्रतिशत हिस्सा था। इस क्षेत्र में निवेश 2014-15 के 27,668 करोड़ रु. से बढ़कर 2015-16 में 38,588 करोड़ रु. हो गया था। सेवा क्षेत्र की इकाइयों का कुल निवेश में 14 प्रतिशत (6,733 करोड़ रु.) हिस्सा था। मार्च 2016 तक बिहार के सार्वजनिक उद्यमों में

17,349 कर्मचारी कार्यरत थे – 15,076 कार्यशील कंपनियों में, 923 वैधानिक निगमों में और 1,350 अकार्यशील कंपनियों में। वर्ष 2014-15 के अंत में उनका संचित ऋण 12,242 करोड़ रु. था जो 2015-16 में 15,299 करोड़ रु. हो गया था।

चार्ट 2.6 : सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश (करोड़ रु.)



मार्च 2016 के अंत की स्थिति के अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का क्षेत्रवार व्योरा तालिका 2.51 में प्रस्तुत है। अधिकांश (कुल 19 कंपनियां) कार्यशील कंपनियां बिजली, अधिसंरचना और वित्तीय क्षेत्रों की हैं। शेष 12 कार्यशील कंपनियां कृषि, विनिर्माण, सेवा और अन्य क्षेत्रों की हैं।

तालिका 2.51 : क्षेत्रवार सरकारी कंपनियां और निगम (2015-16)

क्षेत्र	वैधानिक निगमों की सं.	कार्यशील कंपनियों की सं.	अकार्यशील कंपनियों की सं.
कृषि	0	3	12
बिजली	0	9	0
अधिसंरचना	0	6	1
विनिर्माण	0	3	12
सेवा	2	3	1
वित्त	1	4	4
अन्य	0	3	10
योग	3	31	40

ओत : सार्वजनिक उद्यमों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में बिहार के सार्वजनिक उद्यमों पर दी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2016 तक 34 कार्यशील सार्वजनिक उद्यमों में से 3 ने ही अपने लेखे 2015-16 तक फाइनल किए थे। शेष 31 के लेखे फाइनल नहीं हुए थे। कार्यशील कंपनियों का टर्नओवर 2011-12 के 7,811 करोड़ रु. से बढ़कर 2015-16 में 12,880 करोड़ रु. हो गया था। इस अवधि में बिहार के सकल राज्य धरेल उत्पाद में उनका योगदान भी 2.28 प्रतिशत से बढ़कर 2.64 प्रतिशत हो गया था।

वर्ष 2015-16 में 34 कार्यशील सार्वजनिक उद्यमों में से 15 को कुल 545 करोड़ रु. का लाभ हुआ और 14 कंपनियों को 1,145 करोड़ रु. का घाटा हुआ। शेष 5 में से 3 उद्यमों को कोई लाभ या हानि नहीं हुई और 2 कंपनियों ने सितंबर 2016 तक अपना पहला लेखा भी फाइनल नहीं किया था। मुनाफे में योगदान करने वाली प्रमुख कंपनियां बिहार राज्य पेय निगम लि. (133 करोड़ रु.), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. (110 करोड़ रु.), बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लि. (78 करोड़ रु.), बिहार राज्य शैक्षिक अधिसंरचना विकास निगम लि. (71 करोड़ रु.) और बिहार राज्य पथ विकास निगम लि. (59 करोड़ रु.) थीं। वहीं सबसे हाल के अंतिम लेखों के अनुसार भारी घाटा वाली प्रमुख कंपनियां थीं – दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी (748 करोड़ रु.), उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी (297 करोड़ रु.) और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (59 करोड़ रु.)। मुनाफा वाले 15 सार्वजनिक उद्यमों में से सिर्फ 5 कंपनियों ने लाभांश प्रस्तावित किया – बिहार राज्य पेय निगम लि. (5 करोड़ रु.), बिहार राज्य पथ विकास निगम लि. (5 करोड़ रु.), बिहार नगर अधिसंरचना विकास निगम लि. अर्थात ब्यूडको (3 करोड़ रु.) और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. (52.50 लाख रु.)। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (रु. 2 करोड़)।

अध्याय 3

कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी आबादी और उच्चस्तरीय ग्रामीण गरीबी की पृष्ठभूमि में कृषि क्षेत्र बिहार के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार इसका राष्ट्रीय औसत 68.8 प्रतिशत है। बिहार में कुल 1.61 करोड़ जोते हैं जिनका औसत आकार लगभग 0.4 हेक्टेयर है। इनमें से 91 प्रतिशत जोतें लघु और सीमांत प्रकृति की हैं। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का लगभग 18 प्रतिशत हिस्सा है जबकि लगभग 70 प्रतिशत श्रमिक अपनी जीविका के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर है। गंगा के उर्वर मैदान, समृद्ध जल संसाधन, उपयुक्त कृषि-पारिस्थितिक अवदानों और प्रचुर श्रमिकों के कारण बिहार का सशक्त कृषिगत आधार ही इसकी ताकत है। साथ ही, फसल प्रणाली में काफी विविधता है। इसमें खाद्यान, दलहन, रेशेदार फसलें, ईख, फल और सब्जियों सहित अनेक प्रकार की फसलें शामिल हैं जिनमें से अनेक के मामले में निर्यात की भी संभावना है। कृषि रोडमैप-3 (2017-22) ने इस क्षेत्र में सुधार लाने के लिए व्यापक योजनाएं रेखांकित की हैं जिनका लक्ष्य उत्पादकता में वृद्धि और सहवर्ती क्षेत्रों का विकास है। इन दोनों से समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा।

अविभाजित बिहार राज्य के 2000 में विभाजन के बाद से राज्य में कृषि क्षेत्र का महत्व काफी अधिक बढ़ गया क्योंकि समृद्ध खनिज आधार झारखण्ड में चला गया। इसलिए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों के विकास का महत्व काफी अधिक बढ़ जाता है। यह काम बहुत कठिन नहीं है। अनेक प्रकार की उर्वर मिट्टी और जल संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए बिहार के कृषि क्षेत्र में अपनी फसलों और सहवर्ती क्षेत्रों को उत्पादकता का स्तर बदल डालने की अच्छी संभावना है।

93.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले बिहार राज्य में तीन स्पष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं - (1) 13 जिलों वाला उत्तर-पश्चिम जोन जिसमें 1040 से 1450 मि.मी. तक वार्षिक वर्षा होती है और मिट्टी बलुई दोमट है; (2) 8 जिलों वाला उत्तर-पूर्व जोन जिसमें वार्षिक वर्षापात 1200 मिमी से 1700 मिमी के बीच रहता है और मिट्टी दोमट या चिकनी दोमट है; तथा (3) 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन जिसमें 990 से लेकर 1300 मिमी वार्षिक वर्षा होती है और मिट्टी बलुई दोमट, दोमट, चिकनी दोमट और चिकनी मिट्टी है। इस अध्याय में बिहार की कृषि विवरणों इन शीर्षों के तहत प्रस्तुत हैं - वर्षापात (रेनफॉल), भूमि उपयोग, उत्पादन और उत्पादकता, सिंचाई, कृषि लागत सामग्रियां (बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र और प्रसार सेवाएं) तथा कृषि ऋण। बाद में इस अध्याय में तीन सहवर्ती क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी प्रस्तुत की गई है - पशुपालन, मछली पालन और दुग्ध उत्पादन।

3.1 वर्षापात

पर्याप्त और समय से वर्षा बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था की मुख्य जरूरत है। राज्य का सिर्फ 56.4 प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित है इसलिए मॉनसून पर इस क्षेत्र की काफी अधिक निर्भरता रहती है। लिहाजा विभिन्न क्षेत्रों में समय

पर वर्षा नहीं होना, वर्षापात के स्तर में भिन्नता और अनियमित वर्षा का राज्य के कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कृषि रोडमैप-3 में उल्लेख किया गया है कि हाल के वर्षों में जलवायु संबंधी अनियमितताओं में वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र ऐसे जोखिमों का सामने करने के लिए बेहतर तैयारी करने को बाध्य है और राज्य सरकार किसानों को ऐसे प्रयासों में सहायता दे रही है।

तालिका 3.1 : विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात

(वर्षापात मिमी में)

वर्ष	जाड़े की बारिश (जनवरी-फरवरी)	गर्मी की बारिश (मार्च-मई)	दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर)	उत्तर-पश्चिम मानसून (अक्टूबर-दिसंबर)	योग
2001	20.9 (129.3)	86.7 (116)	908.2 (107)	192.2 (319.2)	1208 (120.8)
2002	48.9 (302.6)	66.8 (89.4)	896.9 (105.7)	33.2 (55.1)	1045.8 (104.6)
2003	19.2 (118.8)	93 (124.5)	767.6 (90.5)	128.9 (214.1)	1008.7 (100.9)
2004	23.7 (146.6)	41.4 (55.4)	906.1 (106.8)	60.1 (99.8)	1031.3 (103.2)
2005	0.1 (0.6)	89.5 (119.8)	777.6 (91.6)	30.2 (50.2)	897.4 (89.8)
2006	0.1 (0.6)	90 (120.4)	925.9 (109.1)	27.8 (46.2)	1043.7 (104.4)
2007	28.3 (175.1)	76.4 (102.2)	1360 (160.3)	40.5 (67.3)	1506.1 (150.7)
2008	30.6 (189.3)	61.8 (82.7)	1084 (127.8)	19.3 (32.1)	1196 (119.6)
2009	0.1 (0.6)	98.2 (131.4)	699.2 (82.4)	71.1 (118.1)	868.6 (86.9)
2010	0.7 (4.3)	49.3 (66)	584.4 (68.9)	43.4 (72.1)	677.9 (67.8)
2011	5.2 (32.2)	79.4 (106.3)	1028 (121.2)	0.5 (0.8)	1113.1 (111.3)
2012	11.2 (69.3)	31.3 (41.9)	704.2 (83)	51.2 (85)	797.9 (79.8)
2013	17.1 (105.8)	73.8 (98.8)	518.4 (61.1)	164.3 (272.9)	773.6 (77.4)
2014	33.3 (206)	96.1 (128.6)	788.3 (92.9)	41.9 (69.6)	959.6 (96)
2015	11.7 (72.4)	89.3 (119.5)	690.7 (81.4)	4.3 (7.1)	796 (79.6)
2016	7.5 (46.1)	72.6 (97.2)	937.0 (110.4)	54.5 (90.5)	1071.6 (107.2)
2017 (सितंबर तक)		0.4	103.1	843.2	--
औसत (2001-2016)	16.2	74.7	848.5	60.2	999.7


टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े औसत के प्रतिशत बतौर वास्तविक वर्षापात को व्यक्त करते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 3.1 में बिहार में 2001 से 2016 तक और 2017 के पहले नौ महीनों में चार विभिन्न मौसमों में हुए वास्तविक वर्षापात का विवरण प्रस्तुत है। वर्ष 2001 से 2016 के बीच बिहार में 999.7 मिमी औसत वार्षिक वर्षापात हुआ जो बिल्कुल पर्याप्त है। यह वर्षापात मुख्यतः दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के कारण हुआ जिसका राज्य के कुल वर्षापात में लगभग 87.4 प्रतिशत हिस्सा था। शेष 12.6 प्रतिशत हिस्सा जाड़े की बारिश, गर्मी की

बारिश और उत्तर-पश्चिमी मॉनसून का था। तालिका 3.1 में यह भी दिखता है कि हाल के वर्षों में बिहार में हुआ वार्षिक वर्षापात 2010 के 677.9 मिमी से 2007 के 1,506.1 मिमी तक रहा है। हालांकि उत्तर-पश्चिम मॉनसून से पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध होता है लेकिन वर्षापात में उत्तर-चढ़ाव की परिणति बाढ़ या सूखा में होती है जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैरतलब है कि फसलों की उपज वर्षापात में अनियमितता और चरम उत्तर-चढ़ाव के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। यहां यह भी गैरतलब है कि पर्याप्त जल संरक्षण संरचनाओं के अभाव में खेती के लिए बिहार की वर्षा पर निर्भरता बढ़ जाती है। वर्ष 2017 में बिहार में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून से 843.2 मिमी बारिश हुई जो वार्षिक औसत के काफी करीब है। विवरण सांख्यिकीय परिशिष्ट तालिका सं. 3.1 में दिया गया है।

चार्ट 3.1 : बिहार में वार्षिक वर्षापात (2001 से 2016)



स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

भिन्न-भिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में अवस्थित होने के कारण विभिन्न वर्षों के बीच वर्षा का भारी अंतर होने के अलावा विभिन्न जिलों के बीच वर्षापात के पैटर्न में भी अंतर रहता है। वर्ष 2016 में किशनगंज जिले में 2,267 मिमी वर्षा हुई जबकि सारण जिले में सबसे कम 626 मिमी। 38 में से 16 जिलों में राज्य के औसत से अधिक वर्षा हुई। अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले जिलों में से 11 जिले उत्तर बिहार के मैदानी जिले हैं। दक्षिणी बिहार के जिलों में सामान्यतः कम वर्षा होती है और उनमें अक्सर जल स्तर नीचे चला जाता है जिससे भूजल से सिंचाई की कीमत पर असर पड़ता है। मोटे तौर पर कहें, तो उत्तर बिहार के अधिक वर्षा वाले जिले बाढ़-प्रवण हैं जबकि दक्षिण बिहार के जिले सूखा-प्रवण हैं।

3.2 भूमि उपयोग

बिहार समुद्री सीमा रहित राज्य है और गंगा नदी के जलोढ़ मैदान में अवस्थित है। इसके कारण यहां कृषि कार्यों के लिए अन्य राज्यों के अनुपात में अधिक जमीन उपलब्ध है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94 लाख हे. है। देश की कुल कृषि-योग्य भूमि में इसका हिस्सा मात्र 3.8 प्रतिशत है जबकि आबादी में 8.6 प्रतिशत हिस्सा

है। बिहार के भूमि उपयोग पैटर्न के 2010-11 से 2014-15 तक के आंकड़ा (तालिका 3.2) पर एक नजर डालने से ही पता चलता है कि पैटर्न पिछले पांच वर्षों के दौरान कमोबेश अपरिवर्तित रहा है। वनभूमि (6.6 प्रतिशत), बीरान और अकृष्य भूमि (4.6 प्रतिशत), पेड़-बागान (2.6 प्रतिशत), परती भूमि (1.3 प्रतिशत), कृष्य बंजर भूमि (0.5 प्रतिशत), स्थायी चरागाह (0.2 प्रतिशत) और जल निकाय (3.8 प्रतिशत) के अनुपात भी पिछले 5 वर्षों के दौरान लगभग अपरिवर्तित रहे हैं। फलतः निवल बुआई क्षेत्र भी 56-58 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। राज्य में फसल सघनता 2010-11 के 1.37 से 2014-15 में 1.45 हो गई। फलतः इस अवधि में सकल बुआई क्षेत्र में थोड़ी वृद्धि हुई है जो 2010-11 के 71.94 लाख हे. से 2014-15 में 76.73 लाख हे. हो गया।

तालिका 3.2 : बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न (2010-11 से 2014-15)

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

भूमि उपयोग	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भौगोलिक क्षेत्रफल	9359.57 (100)	9359.57 (100)	9359.57 (100)	9359.57 (100)	9359.57 (100)
(1) वन	621.64 (6.6)	621.64 (6.6)	621.64 (6.6)	621.64 (6.6)	621.64 (6.6)
(2) बंजर एवं अकृष्य भूमि	431.72 (4.6)	431.72 (4.6)	431.72 (4.6)	431.72 (4.6)	431.72 (4.6)
(3) कृषि-भिन्न उपयोग वाली भूमि	1699.74 (18.2)	1702.54 (18.2)	1708.38 (18.3)	1712.28 (18.3)	1712.1 (18.3)
भूमि क्षेत्र	1342.69 (14.3)	1345.57 (14.4)	1352.89 (14.5)	1356.8 (14.5)	1359.77 (14.5)
जल क्षेत्र	357.05 (3.8)	356.97 (3.8)	355.48 (3.8)	355.49 (3.8)	352.33 (3.8)
(4) कृष्य ऊसर भूमि	45.34 (0.5)	45.23 (0.5)	45.02 (0.5)	44.89 (0.5)	44.67 (0.5)
(5) स्थायी चरागाह	15.73 (0.2)	15.7 (0.2)	15.6 (0.2)	15.47 (0.2)	15.33 (0.2)
(6) बागानी भूमि	244.56 (2.6)	244.57 (2.6)	246.34 (2.6)	247.36 (2.6)	247.81 (2.6)
(7) परती भूमि (वर्तमान परती को छोड़कर)	121.88 (1.3)	121.17 (1.3)	121.79 (1.3)	120.49 (1.3)	119.41 (1.3)
(8) वर्तमान परती	920.27 (9.8)	781.26 (8.3)	766.7 (8.2)	913.49 (9.8)	888.59 (9.5)
कुल अकृष्य भूमि (1 से 8)	4100.87 (43.8)	3963.82 (42.4)	3957.17 (42.3)	4107.32 (43.9)	4081.25 (43.6)
निवल बुआई क्षेत्रफल	5258.7 (56.2)	5395.75 (57.6)	5402.39 (57.7)	5252.25 (56.1)	5278.32 (56.4)
सकल बुआई क्षेत्रफल	7194.0	7646.76	7777.52	7580.14	7672.95
फसल सघनता	1.37	1.42	1.44	1.44	1.45

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सार्विकी निदेशालय, बिहार सरकार

विभिन्न जिलों के बीच भूमि उपयोग के पैटर्न में काफी अंतर है। वर्ष 2014-15 में 7 जिलों में निवल बुआई क्षेत्रफल 70 प्रतिशत से भी अधिक था जबकि पूरे राज्य में निवल बुआई क्षेत्र का औसत 60 प्रतिशत से कम

था। बिहार के बहुमूल्य कृषि क्षेत्र वाले ये जिले हैं - बक्सर (86.7 प्रतिशत), शेखपुरा (77.1 प्रतिशत), नालंदा (77.0 प्रतिशत), भोजपुर (74.5 प्रतिशत), सीवान (73.0 प्रतिशत), मुजफ्फरपुर (72.0 प्रतिशत) और गोपालगंज (71.2 प्रतिशत)। दूसरी ओर, 10 जिलों में निवल बुआई क्षेत्र उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत से कम दर्ज किए गए। ये जिले हैं - पटना (49.9 प्रतिशत), नवादा (47.2 प्रतिशत), अररिया (44.7 प्रतिशत), जहानाबाद (44.6 प्रतिशत), कैमूर (42.6 प्रतिशत), गया (37.4 प्रतिशत), बांका (37.2 प्रतिशत), लखीसराय (32.4 प्रतिशत), मुंगेर (28.5 प्रतिशत) और जमुई (15.5 प्रतिशत)। वर्ष 2014-15 में फसल सघनता सबसे अधिक 2.02 अररिया में और सबसे कम 1.13 अरबल में थी। राज्य के कुल वन क्षेत्र में कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, गया और बांका जिलों का संयुक्त हिस्सा 93.3 प्रतिशत था। जमुई, लखीसराय, सुपौल और बांका जिलों में 3 प्रतिशत से अधिक जमीन परती थी और वहां अधिक जमीन पर खेती करने की संभावना है। विवरण सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका सं. 3.2) में दिया गया है।

3.3 फसल पैटर्न

तालिका 3.3 में बिहार में 2012-13 से 2016-17 तक का फसल पैटर्न दर्शाया गया है। बिहार का स्थलाकृति संबंधी लाभ तालिका में प्रस्तुत यहां के विविधता पूर्ण फसल पैटर्न में दिखता है। मोटे तौर पर बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह वाले क्षेत्र की ओर काफी अधिक झुकी हुई है। इसलिए कि 2016-17 में खाद्यान्न उत्पादन का क्षेत्रफल 93.5 प्रतिशत था। बिहार में फसलों के परिदृश्य में अनाजों का वर्चस्व है जिनका क्षेत्रफल में 86.6 प्रतिशत हिस्सा है। दलहन उत्पादन का क्षेत्रफल 2012-13 के 7.1 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 6.9 प्रतिशत रह जाना और दलहनों की कीमत बढ़ना राज्य के खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी परिणामों के लिए उलझन की बातें हैं। अनुकूल जलवायु के बावजूद ईख का क्षेत्रफल 2012-13 के 3.5 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 3.4 प्रतिशत रह जाना भी ध्यान देने की बात है क्योंकि ईख का ऊचा व्यावसायिक मूल्य है और यह राज्य के चीनी मिलों के लिए महत्वपूर्ण लागत सामग्री है।

तालिका 3.3 : बिहार में फसल पैटर्न

फसलों	क्षेत्रफल का प्रतिशत				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
खाद्यान्न	93.02	92.89	93.25	93.27	93.47
अनाज	85.9	85.8	86.14	86.18	86.57
दलहन	7.11	7.08	7.09	7.07	6.90
तिलहन	1.59	1.74	1.63	1.69	1.52
रेशेदार फसलों	1.94	1.71	1.58	1.58	1.66
ईख	3.46	3.66	3.56	3.46	3.35
कुल क्षेत्रफल	100	100	100	100	100

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

3.4 उत्पादन और उत्पादकता

उर्वर भूमि और प्रचुर भूजल संसाधनों की उपलब्धता बिहार के किसानों के लिए खाद्य और अखाद्य, दोनो प्रकार की अनेक फसलें उगाने के लिहाज से वरदान है। प्रमुख अनाजों और दलहनों के अलावा किसान रेशेदार फसलें, तिलहन, फल और सब्जियां उपजाने में भी काफी रुचि रखते हैं। हाल में राज्य में बागवानी और फूलों की खेती भी होने लगी है जिससे राष्ट्रोय-अंतर्राष्ट्रोय बाजारों में बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिली है। विभिन्न श्रेणी की फसलों के उत्पादन और उत्पादकता पर नीचे चर्चा की गई है।

तालिका 3.4 में बिहार में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों के 2011-12 से 2016-17 तक के उत्पादन के रुझान प्रस्तुत हैं। गत वर्ष की अपेक्षा 2016-17 में हुए प्रतिशत परिवर्तन को तालिका के अंतिम कॉलम में दर्शाया गया है। राज्य में अनाजों का कुल उत्पादन 2011-12 के 173.64 लाख टन से बढ़कर 2016-17 में 180.99 लाख टन हो गया। मुख्य अनाजों में मक्के का उत्पादन 2015-16 के 25.17 लाख टन से बढ़कर 2016-17 में 38.46 लाख टन हो गया जो 52.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि का अधिकांश श्रेय 2016-17 में रबी और गरमा मक्का के उत्पादन में वृद्धि को दिया जा सकता है। चावल का उत्पादन 2016-17 में 82.39 लाख टन था जो गत वर्ष से 21.1 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है बिहार को 2013 में चावल उत्पादन के लिए और 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। चावल के उत्पादन में यह वृद्धि राज्य सरकार द्वारा श्री विधि (चावल सघनीकरण प्रणाली) और जीरो टिलेज विधि के जरिए प्रौद्योगिकीय प्रगति के लिए किए गए प्रचुर प्रयासों के कारण हुई है। हालांकि बार-बार आने वाली बाढ़ और जल जमाव के कारण धान की खेती पर दबाव बढ़ा है - खास कर उत्तर बिहार के मैदानी भाग में। राज्य में रबी उत्पादन में मुख्यतः गेहूं का वर्चस्व है। गेहूं का उत्पादन भी 2015-16 के 47.36 लाख टन से 2016-17 में 59.86 लाख टन हो गया जो 26.4 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

बिहार में कुल मोटे अनाजों के उत्पादन में भी प्रचुर वृद्धि हुई जो 2011-12 के 25.95 लाख टन से 2016-17 में 38.75 लाख टन हो गया। दलहन के मामले में भी उत्पादन में वृद्धि का रुझान रहा। दलहनों का उत्पादन 2015-16 के 4.21 लाख टन से थोड़ा बढ़कर 2016-17 में 4.62 लाख टन हो गया। रेशेदार फसलों के मामले में 2016-17 में जूट में गत वर्ष से 3.6 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा जबकि इस अवधि में मेसता के उत्पादन में 33.2 प्रतिशत की कमी आई। तिलहनों के मामले में देखें, तो इसका उत्पादन 2016-17 में थोड़ा घटा है। हालांकि 2016-17 में तिलहनों के बीच गत वर्ष से मूँगफली के मामले में 98.0 प्रतिशत तथा अंडी के मामले में 75.0 प्रतिशत उत्पादन बढ़ा। कुल मिलाकर, कुल खाद्यान्न उत्पादन 27.9 प्रतिशत की प्रचुर वृद्धि दर्ज करते हुए 2015-16 के 145.08 लाख टन से 2016-17 में 185.61 लाख टन हो गया। खाद्यान्नों का अधिक उत्पादन बिहार की खाद्य सुरक्षा के दीर्घकालिक उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिहाज से इसकी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

तालिका 3.4 : बिहार में मुख्य फसलों के उत्पादन स्तर

(हजार टन में)

फसलें	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	गत वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन
कुल अनाज	17363.65	17286.69	15716.30	14321.11	14087.25	18099.11	28.5
कुल चावल	8237.98	8322.01	6649.59	8241.62	6802.22	8238.77	21.1
बोडो चावल	914.23	960.01	798.68	1010.34	725.21	949.37	30.9
अगहनी चावल	7141.12	7076.17	5634.96	7049.73	5876.03	7065.07	20.2
गरमा चावल	182.63	285.83	215.95	181.56	200.98	224.33	11.6
गेहूं	6530.96	6174.26	6134.68	3570.21	4736.45	5985.84	26.4
कुल मक्का	2557.06	2755.95	2904.24	2478.75	2517.10	3845.70	52.8
खरीफ मक्का	622.42	926.32	778.21	825.15	692.70	624.30	-9.9
खबी मक्का	1098.17	791.00	1199.39	913.78	1105.14	2131.51	92.9
गरमा मक्का	836.47	1038.63	926.64	739.82	719.26	1089.89	51.5
कुल मोटे अनाज	2594.71	2790.42	2932.03	2509.28	2548.58	3874.50	52.0
जौ	16.69	15.23	14.25	13.43	13.90	16.29	17.2
ज्वार	2.15	2.82	1.31	1.55	1.71	1.91	11.8
बाजरा	5.01	4.84	3.00	3.73	4.64	4.05	-12.8
रागी	9.39	9.37	7.14	9.84	9.89	3.46	-65.1
कोदो-सावां	4.41	2.21	2.09	1.98	1.34	3.10	131.3
कुल दलहन	521.62	542.74	522.02	428.93	420.78	461.67	9.7
कुल खरीफ दलहन	27.81	29.50	30.96	33.69	28.98	29.30	1.1
ऊङ्ड	11.87	12.15	14.14	14.36	12.05	11.49	-4.6
भदई मूँग	4.70	7.18	7.36	9.23	8.34	8.33	-0.1
कुल्थी	8.23	7.75	7.83	7.96	7.21	7.63	5.8
घघरा	0.57	0.78	0.34	0.43	0.49	0.43	-12.2
अन्य खरीफ दलहन	2.45	1.64	1.29	1.71	0.89	1.43	61.0
कुल खबी दलहन	493.81	513.25	491.06	395.24	391.80	332.69	-15.1
अरहर (तर)	42.06	47.12	36.46	28.54	37.13	33.17	-10.7
चना	76.82	86.19	70.34	57.49	58.55	66.50	13.6
मसूर	171.61	183.24	196.06	140.06	140.44	146.88	4.6
मटर	19.23	19.25	18.35	17.31	17.94	16.74	-6.7
खेसारी	92.07	83.80	70.55	60.06	50.99	55.18	8.2
गरमा मूँग	90.10	92.13	98.01	90.73	86.02	111.55	29.7
अन्य खबी दलहन	1.93	1.53	1.30	1.05	0.73	2.35	221.9
कुल तिलहन	174.47	182.73	157.18	127.01	126.52	125.86	-0.5
अंडी	0.10	0.10	0.15	0.09	0.04	0.07	75.0
कसुप	0.23	0.08	1.32	0.08	0.09	0.09	-0.0
तिल	2.25	1.95	1.99	2.56	2.39	1.78	-25.6
सूर्यमुखी	22.87	22.24	19.79	16.64	16.20	14.69	-9.4
सरसों-राई	127.93	138.52	117.14	92.89	94.39	97.68	3.5
तीसी	20.27	19.05	15.87	14.16	12.91	10.56	-18.2
मूँगफली	0.83	0.78	0.91	0.59	0.50	0.99	98.0
कुल रेशेदार फसलें	1738.81	1717.73	1745.08	1637.12	1630.60	1571.00	-3.7
जूट	1490.70	1490.52	1498.04	1418.71	1308.64	1356.00	3.6
मेसता	248.11	227.49	247.00	218.41	322.00	215.00	-33.2
ईख	17746.48	22219.72	17938.65	21117.43	18175.59	18239.90	0.4

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 3.5 : मुख्य फसलों की उत्पादकता का स्तर

(किंग्रा/ प्रति हे.)

फसलें	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	गत वर्ष से प्रतिशत परिवर्तन
कुल अनाज	2794	2776	2595	2328	2320	2919	25.8
कुल चावल	2458	2523	2110	2525	2104	2467	17.2
बोडो चावल	1603	1776	1454	1739	1321	1705	29.1
अगहनी चावल	2660	2667	2246	2711	2258	2618	15.9
गरमा चावल	1899	2719	2342	2207	2472	2660	7.6
गेहूं	3049	2797	2855	1657	2244	2843	26.7
कुल मक्का	3670	3975	3966	3508	3571	5335	49.4
खरीफ मक्का	2358	3549	2814	2974	2559	2586	1.0
रबी मक्का	4584	3264	4552	3630	4421	7482	69.2
गरमा मक्का	4327	5468	4820	4171	3903	5601	43.5
कुल मोटे अनाज	3566	3868	3877	3425	3491	5194	48.8
जौ	1542	1460	1398	1109	1304	1505	15.4
ज्वार	1065	1071	1065	1068	1063	1065	0.1
बाजरा	1125	1140	1138	1134	1133	1135	0.2
रागी	1214	1181	1015	1474	1429	723	-49.4
कोदो-सावां	761	765	754	757	756	759	0.4
कुल दलहन	989	1052	1044	848	844	936	10.9
कुल खरीफ दलहन	819	871	886	892	821	855	4.1
ऊङ्ड	866	864	912	913	883	885	0.2
भदई मूँग	608	813	805	838	683	782	14.5
कुल्थी	952	968	952	957	929	919	-1.1
अन्य खरीफ दलहन	750	751	752	757	753	753	0.0
कुल रबी दलहन	1001	1065	1056	844	846	879	3.9
अरहर	1901	2132	1667	1438	1577	1581	0.3
चना	1295	1402	1147	958	986	1120	13.6
मसूर	1018	1147	1272	916	932	1005	7.9
मटर	1031	1041	1060	1010	1053	1020	-3.1
खेसारी	1265	1179	1116	990	934	1059	13.4
गरमा मूँग	600	624	672	579	548	690	26.0
अन्य रबी दलहन	1110	1101	1010	1000	1010	1005	-0.5
कुल तिलहन	1308	1431	1279	1093	1059	1155	9.1
अंडी	961	960	956	958	953	961	0.8
कसुम	803	806	805	804	802	813	1.4
तिल	879	882	872	874	868	877	1.0
सूर्यमुखी	1437	1412	1410	1429	1421	1428	0.5
सरसों-राई	1416	1595	1374	1100	1053	1180	12.1
तीसी	865	867	850	861	859	833	-3.1
मूँगफली	1021	1022	1024	1023	1018	1015	-0.3
जूट	2079	2180	2571	2694	2508	2671	6.5
मेसता	2226	2325	2746	2402	3515	2369	-32.6
ईख	69722	81024	63080	67040	68970	69060	0.1

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सार्विकी निदेशालय, बिहार सरकार

बिहार में उपजने वाली विभिन्न फसलों की उत्पादकता के 2011-12 से 2016-17 तक के स्तर तालिका 3.5 में प्रस्तुत हैं। गत वर्ष की अपेक्षा उत्पादकता के स्तर में प्रतिशत परिवर्तन को तालिका के अंतिम कॉलम में दर्शाया गया है। वर्ष 2016-17 में तीन महत्वपूर्ण अनाजों के बीच मक्का की उत्पादकता सर्वाधिक 5,335 किग्रा प्रति हे. थी जबकि चावल की सबसे कम 2,467 किग्रा प्रति हे.। बार-बार आने वाली बाढ़, जल जमाव और उन्नत बीजों का सीमित उपयोग राज्य में चावल की अपेक्षाकृत कम उत्पादकता के कुछ प्रमुख कारण हैं। गत वर्ष की अपेक्षा 2016-17 में उत्पादकता में वृद्धि मक्का के मामले में 49.4 प्रतिशत और चावल के मामले में 17.2 प्रतिशत पाई गई। वर्ष 2016-17 में गेहूं की उत्पादकता 2,843 किग्रा प्रति हे. थी। वर्ष 2016-17 में दलहनों की उत्पादकता 936 किग्रा प्रति हे. थी और उसमें गत वर्ष से 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तिलहनों की उत्पादकता भी 2015-16 के 1,059 किग्रा प्रति हे. से बढ़कर 2016-17 में 1,155 किग्रा प्रति हे. हो गई।

इस प्रकार, बिहार में मुख्य फसलों की उत्पादकता के 2011-12 से 2016-17 तक के रुझान दर्शाते हैं कि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की काफी संभावना है और इसे प्रांगोगिकी के उपयोग, अनुसंधान और प्रसार सेवाओं के जरिए हासिल किया जा सकता है। जिलों के बीच कृषि-जलवायु स्थितियों और मिट्टी की संरचना में अंतर उत्पादित फसलों की प्रजातियों और उनकी उत्पादकता के स्तर को प्रभावित करते हैं। इस पृष्ठभूमि में जिलों की पहचान करना उपयोगी होगा कि कहां उत्पादन सर्वाधिक है और कहां न्यूनतम। तालिका 3.6 में चार प्रमुख फसलों के त्रिवर्षीय आंकड़े लेकर ऐसे जिलों की पहचान प्रस्तुत की गई हैं।

तालिका 3.6 : मुख्य फसलों के उत्पादन/ उत्पादकता के आधार पर जिलों का वर्गीकरण

फसल	उत्पादन/ उत्पादकता	त्रिवर्ष 2014-17	
		विकसित जिले	अल्पविकसित जिले
चावल	उत्पादन	रोहतास, औरंगाबाद, बांका	बेगूसराय, खगड़िया, शिवहर
	उत्पादकता	रोहतास, लखीसराय, अरवल	मधुबनी, पूर्व चंपारण, शिवहर
गेहूं	उत्पादन	रोहतास, सारण, नालंदा	अरवल, मुंगेर, शिवहर
	उत्पादकता	पटना, मधेपुरा, समस्तीपुर	जमुई, पूर्व चंपारण, मधुबनी
मक्का	उत्पादन	कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर	शेखपुरा, कैमूर, रोहतास
	उत्पादकता	कटिहार, अररिया, दरभंगा	बक्सर, शेखपुरा, लखीसराय
दलहन	उत्पादन	पटना, नालंदा, औरंगाबाद	सारण, गोपालगंज, शिवहर
	उत्पादकता	लखीसराय, बक्सर, रोहतास	शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार के आंकड़ों के आधार पर संकलित

चावल का क्षेत्रफल और उत्पादन

चावल के उत्पादन और उत्पादकता के 2015-16 और 2016-17 के जिलावार आंकड़े सांख्यिकीय परिशिष्ट तालिका 3.3 में प्रस्तुत किए गए हैं। कुल क्षेत्रफल और उत्पादन में हर जिले का हिस्सा भी कोष्ठकों में दिया

गया है। हर जिले की उत्पादकता की रैंकिंग भी संबंधित कॉलमों में दर्शाई गई है। त्रिवर्ष 2014-17 के दौरान उत्पादकता के स्तर पर विचार करने पर अग्रणी जिले रोहतास, लखीसराय और अरवल हैं। वहाँ मधुबनी, पूर्व चंपारण और शिवहर में उत्पादकता का न्यूनतम स्तर दर्ज किया गया। 2016-17 में 3,752 किग्रा प्रति हे. की सर्वोच्च उत्पादकता मुंगेर जिले में दर्ज की गई और 1,369 किग्रा प्रति हे. की न्यूनतम उत्पादकता मुजफ्फरपुर जिले में देखी गई। उत्पादन के स्तर पर विचार करने पर अग्रणी जिले रोहतास, औरंगाबाद और बांका हैं।

गेहूं का क्षेत्रफल और उत्पादन

गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के 2015-16 और 2016-17 के जिलावार आंकड़े भी सांख्यिकीय परिशिष्ट तालिका 3.4 में प्रस्तुत किए गए हैं। कुल क्षेत्रफल और उत्पादन के आंकड़ों के साथ उनमें हर जिले का हिस्सा भी कोष्ठकों में दिया गया है। हर जिले की उत्पादकता के साथ उनकी रैंकिंग भी दर्शाई गई है। त्रिवर्ष 2014-17 के दौरान गेहूं की उत्पादकता के स्तर पर विचार करने पर अग्रणी जिले पटना, मधेपुरा और समस्तीपुर हैं। 2016-17 में बेगूसराय 3,779 किग्रा प्रति हे. की सर्वोच्च उत्पादकता बेगूसराय जिले में दर्ज की गई और 1,910 किग्रा प्रति हे. की न्यूनतम उत्पादकता मधुबनी जिले में। उत्पादन के लिहाज से अग्रणी जिले रोहतास, सारण और नालंदा हैं जबकि अरवल, मुंगेर और शिवहर में उत्पादन का न्यूनतम स्तर दिखाया।

मक्का का क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए बिहार के विभिन्न जिलों के मक्का के क्षेत्रफल और उत्पादन में हिस्से सांख्यिकीय परिशिष्ट तालिका 3.5 में प्रस्तुत किए गए हैं। हर जिले की उत्पादकता के साथ उनकी रैंकिंग भी तालिका में दर्शाई गई है। रैंकिंग के अनुसार मक्का की उत्पादकता में तीन शीर्ष जिले कटिहार, अररिया और दरभंगा हैं जबकि बक्सर, शेखपुरा, लखीसराय आदि जिला में उत्पादकता का निम्न स्तर दर्ज हुआ है। 2016-17 के दौरान सर्वाधिक 10,366 किग्रा प्रति हे. की उत्पादकता कटिहार जिले में दर्ज की गई और न्यूनतम 420 किग्रा प्रति हे. की न्यूनतम उत्पादकता लखीसराय जिले में। उत्पादन के लिहाज से अग्रणी जिले कटिहार, खगड़िया और समस्तीपुर हैं।

दलहन का क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए दलहनों का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता सांख्यिकीय परिशिष्ट तालिका 3.6 में प्रस्तुत हैं। उत्पादन के मामले में तीन शीर्ष जिले पटना, नालंदा और औरंगाबाद हैं जबकि निम्न उत्पादन वाले जिले सारण, गोपालगंज और शिवहर हैं। उत्पादकता के लिहाज से अग्रणी जिले लखीसराय, बक्सर और रोहतास हैं जबकि निम्न उत्पादकता वाले जिले शिवहर, वैशाली और मुजफ्फरपुर हैं। 2016-17 में सर्वाधिक 1,314 किग्रा प्रति हे. की सर्वोच्च उत्पादकता लखीसराय जिले में दर्ज की गई और न्यूनतम 460 किग्रा प्रति हे. की न्यूनतम उत्पादकता मुजफ्फरपुर जिले में।

बागवानी

कृषि में विविधता लाना इसके विकास की एक महत्वपूर्ण रणनीति है क्योंकि कृषि-जलवायु स्थितियां और मृदा स्थलाकृति बिहार में ढेर सारे तरह के फलों और सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। अतिरिक्त रोजगार देकर यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मदद करता है और कृषि आधारित उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा देता है जिससे शहरी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। नई प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म-सिंचाई तकनीकों को अपनाने और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्रियों के उपयोग के कारण राज्य में बागवानी उत्पादों का उत्पादन हाल के वर्षों में काफी बढ़ा है। बाद के खंडों में राज्य और जिला, दोनों स्तरों पर फलों और सब्जियों के क्षेत्रफल और उत्पादन पर चर्चा की गई है।

फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन

कृषि-जलवायु स्थितियों और मृदा स्थलाकृति में अंतरों के कारण बिहार के किसान व्यावसायिक स्तर पर फलों का उत्पादन करने में सफल हुए हैं। फलों के मामले में अपनी लीची और आम की प्रजातियों के लिए बिहार की व्यापक ख्याति है। खास कर मुजफ्फरपुर की शाही लीची और मालदह आम अपने स्वाद के लिए मशहूर हैं। लीची का उत्पादन और सुरक्षित उपयोग की अवधि बढ़ाने तथा पोषण संबंधी मान के संरक्षण के लिहाज से अच्छे कृषि कार्यों के समावेश के लिए बिहार में लीची सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है।

तालिका 3.7 में 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के लिए 9 प्रमुख फलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के रुझान प्रस्तुत हैं। वर्ष 2016-17 में फलों की खेती का कुल क्षेत्रफल 2.89 लाख हे. और कुल उत्पादन 40.98 लाख टन था। वर्ष 2016-17 में बिहार में प्रमुख फलों के उत्पादन का स्तर इस प्रकार था : केला - 15.28 लाख टन, आम - 14.72 लाख टन, अमरुद - 3.70 लाख टन, लीची - 1.99 लाख टन, अन्नानास - 1.17 लाख टन, पपीता - 0.44 लाख टन, तरबूज - 0.30 लाख टन , आंवला - 0.14 लाख टन, और खरबूजा - 0.13 लाख टन। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच उत्पादन की सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर अमरुद के मामले में 9.13 प्रतिशत देखी गई। हालांकि लीची, तरबूज, आंवला और खरबूजा में इन पांच वर्षों के दौरान उत्पादन में क्रृत्यात्मक विकास दर्ज हुआ।

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए महत्वपूर्ण फलों के क्षेत्रफल और उत्पादन के जिलावार रुझान संख्यकीय परिशिष्ट तालिका 3.7 में प्रस्तुत हैं। दरभंगा जिला बिहार में आम का मुख्य उत्पादक है। वर्ष 2016-17 में राज्य में आम के क्षेत्रफल में इसका 0.14 लाख हेक्टेयर और उत्पादन में 9.54 प्रतिशत हिस्सा था। मुजफ्फरपुर लीची और केला का मुख्य उत्पादक है जिसका 2016-17 में राज्य के कुल लीची उत्पादन में 20.4 प्रतिशत और केला उत्पादन में 17.8 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं 2016-17 में राज्य में नालंदा जिला अमरुद का मुख्य उत्पादक था जबकि अमरुद के बागानों का सर्वाधिक क्षेत्रफल रोहतास जिले में था।

तालिका 3.7 : बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

वर्ष	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		वार्षिक चक्रवृद्धि दर
	क्षेत्रफल/ उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादन	
आम	135.9	1343.3	148.8	1477.4	148.4	1271.6	149.1	1464.9	150.0	1472.4	1.8
अमरुद	29.7	238.1	30.0	373.7	29.4	370.0	29.3	370.0	29.4	370.4	9.1
तीची	31.1	233.9	32.2	258.7	32.2	197.7	32.1	198.0	32.2	198.6	-5.8
केला	33.6	1414.0	35.3	1723.9	34.6	1526.5	34.8	1535.3	35.1	1527.8	0.4
अनारस	4.2	113.9	4.2	113.9	4.2	116.4	4.3	116.3	4.3	116.6	0.7
पपीता	1.9	48.5	1.8	62.0	1.9	65.3	1.6	53.4	1.6	43.9	-3.4
आंवला	1.6	14.8	1.7	16.0	1.7	15.5	1.5	13.5	0.9	14.2	-2.5
तरबूज	1.4	30.7	1.4	30.7	2.0	29.9	1.4	29.7	1.4	29.7	-1.0
खरबूजा	1.1	14.2	1.1	14.2	1.5	12.8	1.7	12.9	1.7	12.9	-2.8
अन्य	32.1	297.1	32.1	323.6	32.1	310.6	32.4	310.9	32.4	311.0	0.5
योग	272.6	3748.5	288.4	4374.3	288.0	3916.3	288.3	4105.0	288.9	4097.5	1.2

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन

राज्य की कृषि-जलवायु संबंधी स्थितियां अनेक प्रकार की सब्जियों के उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल हैं। बिहार में गंगा की जलोढ़ मिट्टी बहुत उर्वर है और किसानों के लिए कम लागत में सब्जी उत्पादन में मददगार है। इसीलिए इस राज्य का सभी राज्यों के बीच पहला स्थान है और यहां से सब्जियां दूर-दराज के राज्यों तक में भेजी जाती हैं। तालिका 3.8 में 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में बिहार में होने वाली 16 महत्वपूर्ण सब्जियों के क्षेत्रफल और उत्पादन का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। तालिका के आंकड़ों से 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि में आलू, प्याज और पत्तागोभी जैसी प्रमुख सब्जियों के उत्पादन में सामान्य वृद्धि का पता चलता है। इस दौरान आलू का उत्पादन 1.6 प्रतिशत की और प्याज का 2.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। वर्ष 2012-13 और 2016-17 के बीच उत्पादन में सर्वाधिक 38.0 प्रतिशत वृद्धि खीरा/ ककड़ी के मामले में हुई। टमाटर, गोभी, बैंगन और भिंडी जैसी अन्य सब्जियों के मामले में वृद्धि दर नकारात्मक दिखी लेकिन कुल सब्जी उत्पादन 2015-16 के 142.42 लाख टन से बढ़कर 143.62 लाख टन हो गया। वर्ष 2016-17 में सब्जियों के कुल उत्पादन में आलू का हिस्सा 63.78 लाख टन, प्याज का 12.48 लाख टन, टमाटर का 10.09 लाख टन, गोभी का 10.03 लाख टन, पत्तागोभी का 7.26 लाख टन, बैंगन का 11.41 लाख टन, लौकी का 6.35 लाख टन और मूली का 2.47 लाख टन था।

चार प्रमुख सब्जियों (आलू, प्याज, गोभी और बैंगन) के क्षेत्रफल और उत्पादन के जिलावार आंकड़े संख्यकीय परिशिष्ट तालिका 3.8 में प्रस्तुत हैं। तालिका में 2015-16 और 2016-17, दो वर्षों के लिए क्षेत्रफल और उत्पादन के स्तर प्रस्तुत किए गए हैं। उत्पादन स्तर और क्षेत्रफल में हर जिले का हिस्सा कुल आंकड़ों के प्रतिशत

के बतौर कोष्ठकों में दर्शाया गया है। वर्ष 2016-17 में मुख्य आलू उत्पादक जिले नालंदा, पटना और वैशाली थे। प्याज के मामले में अग्रणी उत्पादक जिले नालंदा, कटिहार और मुजफ्फरपुर हैं। इसी प्रकार, गोभी के मामले में अग्रणी जिले वैशाली, नालंदा और मुजफ्फरपुर हैं।

तालिका 3.8 : बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	आलू	प्याज	टमाटर	गोभी	पत्तागोभी	बैगन
2014-15	क्षेत्रफल	318.99	54.30	47.73	65.70	39.00	57.60
	उत्पादन	6345.55	1247.31	1046.44	1003.55	695.33	1141.57
2015-16	क्षेत्रफल	319.13	54.03	45.81	65.71	40.52	57.62
	उत्पादन	6345.52	1247.34	1001.01	1003.90	719.81	1138.05
2016-17	क्षेत्रफल	320.48	54.06	46.21	66.11	41.18	57.88
	उत्पादन	6377.71	1248.96	1009.60	1003.74	725.90	1141.20
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	1.60	2.80	-1.58	-3.98	-0.45	-4.56
वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	भिंडी	मिर्च	लौकी	खीरा/ ककड़ी	पटल	करेला
2014-15	क्षेत्रफल	57.71	44.82	40.27	4.02	6.59	9.71
	उत्पादन	762.90	418.33	631.54	67.04	69.72	67.25
2015-16	क्षेत्रफल	57.90	44.80	40.30	3.60	6.60	9.70
	उत्पादन	763.00	418.30	631.60	67.00	69.60	67.30
2016-17	क्षेत्रफल	58.00	45.24	40.35	3.60	6.83	9.71
	उत्पादन	765.95	476.84	634.73	67.00	72.13	67.32
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	-0.78	-1.38	-1.15	38.03	0.77	-1.17
वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	मटर	मूली	गाजर	शक्करकंद	अन्य	योग
2014-15	क्षेत्रफल	10.24	24.10	9.27	1.03	92.81	883.88
	उत्पादन	65.85	246.55	53.45	8.34	1099.43	14970.15
2015-16	क्षेत्रफल	10.40	24.30	9.10	0.90	29.00	819.41
	उत्पादन	65.70	246.50	53.40	8.40	395.40	14241.82
2016-17	क्षेत्रफल	10.54	24.35	9.15	0.90	29.18	823.75
	उत्पादन	64.24	246.99	53.73	8.40	397.79	14362.22
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	उत्पादन	-1.10	-0.66	-0.94	0.32	-4.34	-0.14

टिप्पणी : * वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गणना 5 वर्षों (2012-13 से 2016-17) के लिए की गई है।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

राज्य में बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि रोडमैप-3 में फलों की जैविक खेती करने और उसका विपणन करने के कार्यक्रम पेश किए गए हैं। ऐसे कार्यक्रमों में कम खर्चीली भंडारण इकाइयों का निर्माण, ताजा फलों और सब्जियों के विपणन के लिए शीतशृंखला का विकास, और छतों पर सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है। सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में केले की खेती के लिए टिस्सू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना ने राज्य में केले के अधिक उत्पादन को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा, औषधीय मशरूमों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिहाज से मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए मशरूम का स्पॉन बनाने की 7 इकाइयां स्थापित की गई हैं। गुणवत्तापूर्ण मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिहाज से मशरूम उत्पादक किसानों, खास कर महिलाओं को पूसा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार देश का प्रमुख मखाना उत्पादक राज्य है और उसके पोषण संबंधी गुणों को देखते हुए मखाना की नई प्रजातियों के विकास का प्रयास किया जा रहा है। बागवानी के विकास को बढ़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए 23 जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के कार्यक्रमों का और शेष 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ईख का क्षेत्रफल और उत्पादन

ईख बिहार की एक महत्वपूर्ण नगदी फसल है जो किसानों को फसल उपजाने पर नगदी संबंधी लाभ हीं नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार संबंधी प्रचुर लाभ भी उपलब्ध कराती है। राज्य में सकल कृष्य भूमि लगभग 76.73 लाख हे. है जिसमें से लगभग 3 लाख हे. पर ईख की खेती होती है। तालिका 3.4 में बिहार में ईख के उत्पादन स्तर के और तालिका 3.5 में उत्पादकता के 2011-12 से 2016-17 तक के आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष 2016-17 में ईख का कुल उत्पादन 182.34 लाख टन था। ईख की उत्पादकता 2015-16 के 68,970 किग्रा प्रति हे. से 0.1 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 69,060 किग्रा प्रति हे. हो गई।

ईख का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन सांख्यिकीय परिशिष्ट तालिका 3.9 में प्रस्तुत है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए हर जिले के क्षेत्रफल और उत्पादन के साथ कोष्ठकों में क्षेत्रफल और उत्पादन में उनका हिस्सा भी दर्शाया गया है। बिहार में ईख के कुल उत्पादन में पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण और गोपालगंज का संयुक्त हिस्सा 77.7 प्रतिशत है जबकि ईख के कुल क्षेत्रफल में 74.7 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार में अनुकूल कृषि-जलवायु स्थितियों के बावजूद उत्पादकता का निम्न स्तर चिंता की बात है। ईख उत्पादन वाले क्षेत्र में मात्र 30 प्रतिशत के लगभग क्षेत्रफल में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होना और ईख के खेतों में बरसात के दिनों में लगातार जल जमाव राज्य में उत्पादकता के निम्न स्तर के कुछ प्रमुख कारण हैं।

ईख का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। जैसे मुख्यमंत्री गना विकास योजना 16 चुनिंदा प्रजातियों में से किसी का भी प्रमाणित बीज खरीदने पर किसानों को 135 रु. प्रति किंवटल (अनुसूचित जाति/ जनजाति को 175 रु. प्रति किंवटल) सब्सिडी देने की योजना है। यह लाभ अधिकतम 2.5 एकड़ जमीन के लिए उपलब्ध है। नई प्रजातियों का गना उपजाने के लिए सब्सिडी लखनऊ स्थित भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान और पूसा स्थित गना अनुसंधान संस्थान जैसे अनुसंधान केंद्रों के जरिए दी जा रही है। इसके अलावा ईख उत्पादकों को पौधा संरक्षण संबंधी रसायन वितरित करने के लिहाज से

कुल खर्च या अधिकतम 2,000 रु. प्रति हे. व्यय पर 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी दी जा रही है। आधार बीज के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करन के लिहाज से राज्य सरकार प्रति हे. 25,000 रु. सब्सिडी उपलब्ध कराती है। योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए तकनीकी प्रचार-प्रसार की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

3.5 सिंचाई

कृषि में विकास के लिए उच्च उपज वाले प्रभेदों के बीजों के साथ-साथ सिंचाई भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण लागत है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई की समय से और सुनिश्चित उपलब्धता अन्यंत जरूरी है। इसीलिए कृषि रोडमैप-3 में राज्य सरकार ने बिहार में सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए अनेक लक्ष्य चिन्हित किए हैं। वर्ष 2016-17 में वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए कुल 29.69 लाख हे. के आसपास सिंचाई क्षमता सृजित की गई जिसमें से 26.72 लाख हे. का वास्तव में उपयोग किया गया। जून 2017 में तीन सिंचाई योजनाएं (उद्देरास्थान बराज योजना, कचनामा बीयर योजना और नसरतपुर बीयर योजना) पूरी हो गई जिनसे जहानाबाद, गया और नालंदा जिलों में 49,130 हे. सिंचाई क्षमता सृजित हुई। राज्य के अधिसंरचनात्मक विकास के तहत सिंचाई और उसकी संभावनाओं पर अध्याय 5 में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

3.6 कृषि लागत सामग्रियां

कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादकता हासिल के लिए लागत सामग्रियां अत्यंत जरूरी हैं। यह देखते हुए कि बिहार में कृषि अपनी विविधतापूर्ण फसल प्रणाली की जरूरतें पूरी करने के लिए वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है, उच्च उत्पादकता हासिल करने के लिए लागत सामग्रियों की समय से उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। कृषि उत्पादन के लिए प्रमुख लागत सामग्रियों में बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र और प्रसार (एक्सटेंशन) सेवाएं शामिल हैं। यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के लिए इन सारी लागत सामग्रियों को कृषि पंचांग के अनुरूप समय पर उपलब्ध कराने की जरूरत पड़ती है।

बीज

कृषि में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए उन्नत बीजों की उपलब्धता एक पूर्वशर्त है। आधुनिक बीज जलवायु संबंधी जोखिमों के लिहाज से काफी प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं और उच्च उपज प्राप्त करने के लिए उर्वरकों के उपयोग का इन पर काफी अच्छा असर पड़ता है। इसीलिए बिहार के कृषि रोडमैप-3 में नए सरकारी कार्यक्रमों के आरंभ के जरिए प्रमाणित बीजों के उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर बल दिया गया है। इन पहलकदमियों में फसलों की नई प्रजातियों के लिए विशेष गुणवत्ता वाले बीजों को बढ़ावा देना ही नहीं, किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देना भी शामिल है। उच्च उत्पादन में सहयोग करने और बीजों के आयात पर निर्भरता घटाने के लिहाज से बीजों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए बिहार राज्य बीज निगम द्वारा अधिसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित की गई हैं।

तालिका 3.9 से स्पष्ट है कि बोजों के उत्पादन और वितरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों ने बीज प्रतिस्थापन दर पर असर डाला है। तालिका में 2014-15 एवं 2015-16 से 2016-17 तक मुख्य अनाजों, दलहनों और तिलहनों की बीज प्रतिस्थापन दरें प्रस्तुत हैं। धान की बीज प्रतिस्थापन दर 2014-15 में 38.8

प्रतिशत थी जो 2016-17 में बढ़कर 42.9 प्रतिशत हो गई। हालांकि कृषि रोडमैप-3 के अनुसार 50 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करना अभी भी शेष है जो बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिहाज से अल्पतं महत्वपूर्ण है। बीज प्रतिस्थापन दर सबसे अधिक रबी मक्का के मामले में रही है जिसके पिछले तीन वर्षों का औसत 85.9 प्रतिशत है। राई/ सरसों के मामले में बीज प्रतिस्थापन दर 2014-15 के 49.0 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 58.7 प्रतिशत हो गई। अन्य फसलों के मामले में बीज प्रतिस्थापन दर उपयुक्त स्तर पर नहीं पहुंची है लेकिन प्रमाणित बीजों की उपलब्धता बढ़ रही है जिससे आने वाले वर्षों में स्थिति में सुधार होना चाहिए।

तालिका 3.9 : प्रमाणित बीजों का वितरण और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें

(आवश्यकता और आपूर्ति हजार किंवंदल में/ बीज प्रतिस्थापन दर प्रतिशत में)

फसल	2014-15			2015-16			2016-17		
	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रति. दर	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रति. दर	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रति. दर
खरीफ फसलें									
धान	324.80	245.09	38.75	324.8	273.96	39.13	431.25	317.54	42.88
मक्का				90.00	9.05	10.45	90.00	11.96	13.82
ऊड़द	1.62	--	25.00	1.73	1.46	27.00	1.78		-
अरहर	5.48	1.06	10.58	5.84	1.5	15.01	6.02	1.05	8.72
मूंग	--	--	--	1.6	0.45	19.18	1.65	0.32	13.50
रबी फसलें									
गेहूं	864.00	728.31	35.58	912.00	616.39	27.12	930.00	465.16	20.30
मक्का	226.45	207.00	90.00	130.00	70.65	80.66	112.50	108.78	87.02
अरहर	5.40	1.05	10.58						
चना	27.6	4.38	5.51	29.44	6.58	8.32	30.36	2.99	3.58
मटर				8.96	1.18	2.70	9.24	0.20	0.76
मसूर	25.8	7.08	11.35	27.52	1.07	1.25	28.38	6.24	7.33
राई/ सरसों	3.46	3.07	49.04	3.59	2.28	36.33	8.21	4.44	58.65

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

उर्वरक

भारत में हरित क्रांति की परिघटना के समय से ही उर्वरकों के उपयोग ने कृष्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी को सही में ही 'बीज, जल और उर्वरक प्रौद्योगिकी' के बतौर जाना जाता था। बिहार में भी कृषि उत्पादकता बढ़ाने में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों और उचित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग ने मुख्य भूमिका निभाई है। फलतः, हाल के वर्षों में राज्य में उर्वरकों का उपयोग लगातार बढ़ा है। तालिका 3.10 में 2014-15 से 2016-17 के बीच उर्वरकों के उपयोग के आंकड़े प्रस्तुत हैं।

वर्ष 2014-15 में बिहार में उर्वरकों की कुल खपत 41.66 लाख टन थी जो तीन वर्षों में 11.4 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 45.83 लाख टन हो गई। गत तीन वर्षों के दौरान नाइटोजन, फॉस्फोरस और पोटाश का अनुपात 2014-15 में 9:2:1, 2015-16 में 12:3:1 और 2016-17 में 7:2:1, रहा है जो यह दर्शाता है कि किसानों

द्वारा उर्वरकों के घटकों का अधिक यक्तिसंगत ढंग से उपयोग किया गया है। तालिका 3.10 से यह भी पता चलता है कि किसानों द्वारा प्रयुक्त उर्वरकों में यूरिया सबसे महत्वपूर्ण है और उर्वरकों की पूरी खपत में इसका लगभग 43.1 प्रतिशत हिस्सा है। यह भी गौरतलब है कि बिहार में खरीफ फसलें अधिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रबी फसलों में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है। वर्ष 2016-17 में किसानों ने जहां खरीफ फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 137.0 किग्रा उर्वरकों का उपयोग किया, वहां रबी फसलों के लिए उससे बहुत अधिक - प्रति हेक्टेयर 205.3 किग्रा का उपयोग किया।

वर्ष 2015-16 और 2016-17 में उर्वरकों की खपत का जिलावार रुझान सांख्यिकीय परिशिष्ट तालिका 3.10 में प्रस्तुत है। बिहार के जिलों के बीच उर्वरकों की खपत के मामले में भारी अंतर है। वर्ष 2016-17 में नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरकों के पूरे राज्य में हुए उपयोग में सर्वाधिक 6.32 प्रतिशत हिस्सा पूर्णिया का था और सबसे कम 0.32 प्रतिशत हिस्सा शिवहर का। इसी प्रकार, पूर्णिया में यूरिया का सर्वाधिक 1.03 लाख टन उपयोग हुआ जबकि शिवहर में सबसे कम 0.07 लाख टन का ही। तालिका से स्पष्ट पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का संतुलित और समेकित उपयोग अधिक कृषि उत्पादन के लिए पोषण की जरूरत पूरी करता है।

नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरकों के अलावा, राज्य सरकार बड़े पैमाने पर जैव उर्वरकों और हरी खाद तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने का समवेत प्रयास कर रही है। सूक्ष्मपोषक तत्वों के उपयोग के लिए केंद्रीय सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार भी अतिरिक्त सब्सिडी दे रही है। जैव उर्वरकों के उपयोग के बारे में जिलावार ब्योरा सांख्यिकीय परिशिष्ट तालिका 3.11 में प्रस्तुत है।

तालिका 3.10 : उर्वरकों की खपत

(हजार टन)

उर्वरक का प्रकार	2014-15			2015-16			2016-17		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
यूरिया	864.3	1076.1	1940.4	954.2	1403.9	2358.1	882.7	1094.8	1977.5
डाइ अमोनियम फास्फेट	128.6	224.1	352.7	186.4	356.4	542.8	148.7	383.1	531.7
सिंगल सुपर फास्फेट	26.1	30.7	56.8	47.6	26.2	73.7	33.3	33.1	66.5
म्यूरिएट ऑफ पोटाश	54.6	99.1	153.7	48.3	105.5	153.7	50.6	179.2	229.8
अमोनियम सल्फेट	1.3	2.4	3.7	2.6	15.8	18.4	6.0	21.4	27.4
मिश्रित	76.0	186.0	262.0	150.3	201.6	351.8	53.4	187.2	240.6
उप-योग	1150.8	1618.5	2769.4	1389.2	2109.3	3498.5	1174.7	1898.7	3073.5
नाइट्रोजन	433.1	567.3	1000.4	499.8	749.9	1249.8	444.0	610.8	1054.8
फासफोरस	82.4	152.8	235.1	128.1	212.8	340.9	85.2	223.6	308.8
पोटाश	39.4	71.8	111.2	35.4	70.7	106.2	31.8	115.0	146.7
योग (एनपीके)	554.8	791.8	1346.7	663.4	1033.4	1696.8	561.0	949.4	1510.4
कुल योग	1705.7	2410.3	4116.0	2052.6	3142.7	5195.3	1735.8	2848.1	4583.9
उर्वरकों की खपत (किग्रा प्रति हे.)	138.1	181.8	160.8	160.4	240.2	201.1	137.00	205.29	173.18

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

कृषि यंत्र

अपेक्षाकृत अधिक कुशलता और किफायतीपन के लाभ के कारण कृषि यंत्रीकरण को बिहार की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। कृषि रोडमैप-3 में लगातार चिन्हित किया गया है कि कृषि यंत्रीकरण के लिए सब्सिडी देना जुताई, फसलों की कटनी और दानी जैसे कृषिकार्यों के लिए यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण जरूरत है। मूल्य गुंबदाको के विभिन्न चरणों में यंत्रीकरण का उपयोग कटनी-दौनी के बाद होने वाले नुकसान में भी कमी ला सकता है। राज्य सरकार ऐसे नुकसानों में कमी लाने के लिए चावल मिलों, दाल मिलों और तेल मिलों को आसानी से प्रसंस्करण में सहयोग देने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराती रही है। इसीलिए कृषि रोडमैप-3 के अनुसार पिछले तीन वर्षों में कुल व्यय में लगभग 6.5 प्रतिशत हिस्सा प्रसंस्करण मशीनों पर व्यय का रहा है। राज्य सरकार ने एक यंत्रीकरण सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो इसे सब्सिडी कार्यक्रम में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। साथ ही, पूरे राज्य में कृषि यंत्रीकरण मेले आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि उपकरणों की खरीद के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

तालिका 3.11 : सब्सिडी पर वितरित कृषि यंत्रों की संख्या

कृषि उपकरण	2015-16	2016-17
टक्टर	4617	शून्य
कंबाइन हार्वेस्टर	177	158
जीरो टिलेज	1537	833
पंपसेट	5788	5080
पावर टिलर	1637	1225
शारीरिक शक्ति से चलने वाले औजार/ उपकरण	46590	16583
थ्रसर	2314	2654
योग	62660	26533

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.11 में राज्य सरकारी की सब्सिडी योजनाओं के आधार पर राज्य स्तर पर अधिग्रहित विभिन्न कृषि यंत्रों की संख्या प्रस्तुत है। तालिका से पता चलता है कि बिहार में यंत्रीकरण अपनाने के मामले में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-10 में बिहार में सब्सिडी का उपयोग करके खरीदे गए ट्रैक्टरों की संख्या 3,672 थी जिनकी संख्या 2015-16 में 4,617 हो गई। इसी प्रकार, कंबाइन हार्वेस्टरों की संख्या 2009-10 में मात्र 42 थी जो 2016-17 में बढ़कर 158 हो गई। 2016-17 में 833 जीरो टिलेज मशीनों का वितरण पूरे राज्य में किया गया। वर्ष 2016-17 में 2,654 थ्रसर खरीदे गए हैं। इस प्रकार, सब्सिडी के प्रावधान से बिहार में कृषि यंत्रीकरण को काफी बढ़ावा मिला है।

कृषि उपकरणों के लिए 2015-16 और 2016-17 में सब्सिडी के जिलावार वितरण के आंकड़े सांख्यिकीय परिशिष्ट तालिका 3.12 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक संख्या में जीरो टिलेज मशीनों का वितरण

भोजपुर जिले में और कंबाइन हॉवेस्टरों का रोहतास जिले में किया गया। वर्ष 2015-16 में राज्य में सब्सिडी का उपयोग करके खरीदे गए टक्टरों में से सबसे अधिक संख्या में टक्टर पश्चिम चंपारण जिले में खरीदे गए थे।

जैविक कृषि

पूरी दुनिया में कृषि वैज्ञानिक अपना ध्यान रासायनिक उर्वरकों से हटाकर हाल में विकसित जैव उर्वरकों पर केंद्रित कर रहे हैं। पाया गया है कि रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण मिट्टी में मौजूद पोषक घटकों का क्षरण होता है। दुनिया के अनेक देशों में रासायनिक उर्वरकों के बड़ी मात्रा में उपयोग के कारण जमीन कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो गई है। इसके विपरीत जैविक कृषि पर्यावरण हितैषी आर स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से मुक्त है। इस मामले में बिहार भी बहुत पीछे नहीं है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने को बिहार के कृषि रोडमैप-3 का अंग बनाया गया है ताकि आने वाले वर्षों के लिए मिट्टी की अंतर्निहित उर्वराशक्ति बरकरार रहे। इस कार्यक्रम पर पांच वर्षों की अवधि में 255 करोड़ रु. व्यय किए जाएंगे। वर्मी-कंपोस्ट उत्पादन के लिए किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है जिससे रासायनिक उर्वरकों पर उनकी निर्भरता घटेगी। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 में लगभग 160 करोड़ रु. व्यय किए गए थे। बीज बोने से लेकर खड़ी फसल तक के लिए कीड़ों-मकोड़ों और रोगों पर नियंत्रण के लिहाज से समेकित पीड़क नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया गया है। जैव सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बुआई के पहले वर्ष में दो बार सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। कृषि उत्पादों के बाजार मूल्य में वृद्धि और उसके जरिए किसानों की आय बढ़ाने में सहयोग के लिए राज्य में बिहार राज्य बीज एवं जैव प्रमाणन अभिकरण (बीएसएसओसीए) द्वारा उत्पाद का जैव प्रमाणन शुरू किया गया है।

प्रसार सेवाएं

राज्य में कृषि की भारी संभावना महसूस करते हुए कृषि रोडमैप-3 में प्रसार सेवाओं पर बल दिया गया था। अभी राज्य के सभी जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) और कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। वैज्ञानिक कृषि की जानकारी से लैश प्रसार सेवा के कर्मियों की दक्ष टीम किसानों को अपने दरवाजे पर ही आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद कर रही है। यह टीम बीज प्रबंधन, मिट्टी की श्रेणी के अनुरूप रासायनिक उर्वरकों के उचित मिश्रण का उपयोग, नया फसल पैटर्न अपनाने और उच्च उत्पादकता वाले बीजों के व्यापक उपयोग के लिए उत्प्रेरक का काम करती है।

प्रखंड स्तर के नीचे विषयवस्तु विशेषज्ञ (सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट) और किसान सलाहकार की नियुक्ति किए जाने से हाल के वर्षों में बिहार में प्रसार सेवाओं कामकाज में कई गुनी वृद्धि हुई है। किसान पाठशालाओं के जरिए किसानों की जानकारी बढ़ाने के लिए चलने वाले सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम ने बिहार में आवेग प्राप्त कर लिया है। वे लोग खेत के स्तर पर मृदा परीक्षण की विधियों, वर्मी कंपोस्ट, और धान की खेती के लिए नई श्री विधि के बारे में जानकारी के लिए इन ‘पाठशालाओं’ में भाग ले रहे हैं। फसल का मौसम शुरू होने के पहले प्रखंड स्तर पर खरीफ महोत्सव और रबी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किसान विकास शिविर और किसान चौपाल विशेषज्ञों और किसानों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के मंच बन गए हैं। ‘मेरा गांव मेरा गौरव’ और ‘किसान चौपाल’ पहलकदमियों के तहत अनेक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खेतिहार आबादी में जानकारी फैलाने के लिए सशक्तीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की दिशा में काम कर रहे हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय को शिक्षण, अनुसंधान, प्रसार और प्रशिक्षण के तहत अपने प्रदर्शन के आधार पर नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आइएसओ प्रमाणन प्राप्त हुआ है।

3.7 कृषि ऋण

कृषिकार्य के लिए बीज, पानी, उर्वरक और कृषि उपकरण जैसी भौतिक लागत सामग्रियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन पर्याप्त ऋण सहायता के बिना आधुनिक कृषि लागत सामग्रियां नहीं खरीदी जा सकती हैं। इसलिए कृषि ऋण बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे उन्हें कार्यशील पूँजी उपलब्ध होती है। राज्य के कृषि ऋण से संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं कि कृषि ऋण की मांग और आपूर्ति के बीच काफी फासला है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए कृषि ऋण संबंधी स्रोत-वार विवरण तालिका 3.12 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 3.12 : कृषि ऋण का प्रवाह

(करोड़ रु.)

वर्ष	व्यावसायिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		केंद्रीय सहकारी बैंक		योग	
	लक्ष्य	उपलब्ध	लक्ष्य	उपलब्ध	लक्ष्य	उपलब्ध	लक्ष्य	उपलब्ध
2012-13	14674	13203 (90.0)	8407	8035 (95.6)	2319	328 (14.2)	25401	21566 (84.9)
2013-14	18709	17786 (95.1)	10777	10676 (99.1)	800	307 (38.4)	30286	28770 (95.0)
2014-15	22191	21260 (95.8)	12809	13058 (101.9)	1000	362 (36.2)	36000	34680 (96.3)
2015-16	26554	24957 (94.0)	14946	15135 (101.3)	1000	1258 (125.8)	42500	41350 (97.3)
2016-17	28317	25004 (88.3)	18682	14247 (76.3)	1000	1825(182.5)	48000	41076 (85.6)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े लक्ष्य के मुकाबले उपलब्ध का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

कृषि ऋण का प्रवाह तीन मुख्य क्षेत्रों से होता है - व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक। वर्ष 2012-13 में कृषि ऋण हेतु उपलब्ध का स्तर लगभग 84.9 प्रतिशत था। हालांकि इसका स्तर 2015-16 में बढ़कर 97.3 प्रतिशत तक पहुंच गया जिसके बाद 2016-17 में गिरकर 85.6 प्रतिशत रह गया। सकल ऋण प्रवाह 2012-13 के 21,566 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 41,076 करोड़ रु. हो गया। हालांकि लागत सामग्रियों की बढ़ती कीमत और वैज्ञानिक कृषि में दिलचस्पी रखने वाले किसानों द्वारा आधुनिक लागत सामग्रियों की बढ़ती खपत के कारण कृषि ऋण का वर्तमान स्तर अपर्याप्त लगता है। वर्ष 2016-17 में तीन प्रमुख ऋण स्रोतों का हिस्सा इस प्रकार था - व्यावसायिक बैंक 60.9 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 34.7 प्रतिशत तथा केंद्रीय सहकारी बैंक 4.4 प्रतिशत। यह दर्शाता है कि बिहार में कृषि ऋण का बड़ा हिस्सा व्यावसायिक बैंक उपलब्ध कराते हैं।

व्यावसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनेक कारणों से पर्याप्त कृषि ऋण में देने में सक्षम नहीं हैं। इसमें समुचित दस्तावेजों और सहवर्ती प्रतिभूति (कॉलेटरल सिक्योरिटी) का अभाव शामिल हैं। इस कारण सहकारी बैंक कृषि ऋण देने में सहयोगी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, यह रणनीति बिहार में असफल हो गई। सहकारी ऋणों के लक्ष्यों और उपलब्धियों की जिलावार स्थिति सांख्यिकीय परिशिष्ट तालिका 3.13 में दर्शाई गई है। तालिका से स्पष्ट है कि 2016-17 में किसी भी जिले में उनके लिए तय लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। वर्ष 2016-17 में बेगूसराय, खगड़िया, पटना और मधुबनी जिलों में सहकारी ऋण आपूर्ति का स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा था। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, दरभंगा और सारण जैसे जिलों में सहकारी ऋण का काम शून्य या नगण्य रहा है।

किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 1998-99 में शुरू किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए लचीले और किफायती तरीके से फसल हेतु ऋण पाने का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है। इस योजना के जरिए कृषि लागत सामग्रियों की खरीद के लिए किसानों को अधिकतम 50,000 रु. ऋण स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2011-12 में अनुमानतः 8.19 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिला था। तब कृषि रोड मैप के अनुसार उपलब्धि का स्तर 55 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 तक राज्य में सभी ऋणदाता अभिकरणों द्वारा किसानों को लगभग 65.51 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए और ऋण प्रवाह 93,827 करोड़ रु. हो गया। राज्य में बैंकिंग क्षेत्र के संबंध में विचार करने के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड के कामकाज पर अध्याय 9 में विस्तार से चर्चा की गई है।

3.8 पशुपालन

पशुपालन, दूध उत्पादन और मछली पालन बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पशुपालन कुल ग्रामीण आय में लगभग पांचवें हिस्से का योगदान करता है और महिलाओं तथा समाज के सीमांत तबके के श्रमिकों को बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराता है। जलवायु और स्थलाकृति संबंधी अनुकूल स्थितियां बिहार में सहवर्ती क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देती हैं। फलतः बिहार को पशुधन और कुकुट संपदा के विशाल संसाधनों का अवदान प्राप्त है जो तालिका 3.13 से स्पष्ट होता है। इस तालिका में पिछले तीन पशुगणनाओं के आधार पर विभिन्न प्रजाति के पशुओं की संख्या प्रस्तुत की गई है। अंतिम गणना 2012 में हुई थी जिससे पता चलता है कि बिहार में पशुधन की कुल आबादी 329.39 लाख है आर मुर्गियों-बत्तखों की 127.48 लाख। पशुधन की संख्या 2003 के 269.57 से बढ़कर 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती इतन तक पहुंची है। हालांकि मुर्गियों-बत्तखों की संख्या 2003 में 139.68 लाख थी जो 8.7 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है। पशुधन की कुल संख्या में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा दुधारू पशुओं का है जिसमें गायों की संख्या 122.32 लाख और भैंसों की संख्या 75.67 लाख है। गरीबों की गाय कही जाने वाली बकरियों की संख्या 121.54 लाख है।

तालिका 3.13 : पशु संपदा (2003, 2007 और 2012)

(आंकड़े हजार में)

पशुधन और पॉल्ट्री	2003	2007	2012	पशुधन और पॉल्ट्री	2003	2007	2012
गाय-बैल	10470	12408	12232	भेड़	346	218	232
3 वर्ष से अधिक के नर	3020	2737	1915	बकरा-बकरी	9606	10167	12154
3 वर्ष से अधिक की मादाएं	3643	4919	5982	सूअर	627	632	650
बछड़े-बछड़ियाँ	3807	4752	4334	घोड़ा-घोड़ी	115	51	49
भैंस-भैंसा	5766	6690	7567	अन्य	0	0	55
3 वर्ष से अधिक के नर	274	329	300	कुल पशुधन	26957	30167	32939
3 वर्ष से अधिक की मादाएं	2901	3546	4017				
बछड़े-बछड़ियाँ	2590	2815	3250	कुल पॉल्ट्री पक्षी	13968	11420	12748

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2012 की पशुगणना के जिलावार आंकड़े सांखियकीय परिशिष्ट तालिका 3.14 में प्रस्तुत हैं। तालिका से स्पष्ट है कि पशुधन की कुल संख्या के लिहाज से विभिन्न जिलों के बीच भारी अंतर है। गायों-भैसों की संख्या के मामले में सर्वाधिक हिस्से वाले जिले गायों के मामले में अररिया, गया, कटिहार, बांका और मधुबनी तथा भैसों के मामले में मधेपुरा, मधुबनी, पूर्व चंपारण, नालंदा और गया हैं। बकरियों और मुर्गियों-बत्तखों के मामले में राज्य के उत्तर-पूर्व भाग में उच्च संकेंद्रण है जहां की स्थिति इन पशु-पक्षियों के पालन के लिहाज से अपेक्षाकृत अनुकूल है। बकरियों के अधिक संकेंद्रण वाले जिले अररिया, पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, भागलपुर और कटिहार हैं। पॉल्ट्री पक्षियों के मामले में प्रमुख जिले कटिहार, मुजफ्फरपुर, वैशाली, किशनगंज और अररिया हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नस्ल संवर्धन और दुधारू पशुओं का बीमा तथा इस क्षेत्र के उत्पादों की बिक्री जैसे कई कदम उठाए हैं। साथ ही, पशुपालन में ग्रामीण श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की गई है।

तालिका 3.14 में 2012-13 से 2016-17 तक के लिए पशुपालन और मछली पालन क्षेत्र के उत्पादों के उत्पादन के रुझान प्रस्तुत हैं। दूध इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है। दूध का उत्पादन 2012-13 के 68.45 लाख टन से 27.2 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 87.10 लाख टन हो गया। अंडों का उत्पादन भी 2012-13 के 83.72 करोड़ से 32.8 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 111.17 करोड़ हो गया।

तालिका 3.14 : बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन

वर्ष	दूध (लाख टन)	अंडे (करोड़)	ऊन (लाख किग्रा)	मांस (लाख टन)	मछली (लाख टन)
2012-13	68.45	83.72	2.67	2.28	4.00
2013-14	71.97	93.08	2.71	2.92	4.32
2014-15	77.75	98.45	2.78	2.94	4.79
2015-16	82.88	100.21	2.40	3.02	5.07
2016-17	87.10	111.17	2.81	3.26	5.09
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	6.43	6.62	-0.19	7.78	6.63

टिप्पणी : वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गणना पिछले पांच वर्षों (2012-13 से 2016-17) के लिए की गई है।

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

पशुपालन क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार की पशुओं की चिकित्सा, टोकाकरण, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और चारा बीजों का मुफ्त वितरण जैसी अनेक योजनाएं हैं। ऐसी पशुधन सेवाओं में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुई प्रगति तालिका 3.15 में प्रस्तुत है। वर्ष 2016-17 में पूरे बिहार में कुल 41.03 लाख पशुओं का इलाज किया गया था जिनकी संख्या 2015-16 के 38.26 लाख से अधिक है। इसके साथ-साथ 2016-17 में 296.45 लाख पशुओं का प्रतिरक्षण भी किया गया। वर्ष 2016-17 में 26.20 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया जिसमें कॉम्फेड का हिस्सा भी शामिल है। दूध उत्पादकों के लाभ के लिए राज्य सरकार ने 3.00 करोड़ रु. के व्यय से कॉम्फेड के माध्यम से 5 मिल्क स्कैनर उपलब्ध कराए हैं।

तालिका 3.15 : बिहार में पशुधन सेवाएं

वर्ष	उपचारित पशु (लाख)	प्रतिरक्षण (लाख)	कृत्रिम गर्भाधान (लाख)
2012-13	28.24	198.78	24.63
2013-14	25.12	147.57	24.14
2014-15	32.99	10.87	3.00
2015-16	38.26	163.31	26.31
2016-17	41.03	296.45	26.20

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

मत्स्य उत्पादन

बिहार में 273.3 हजार हे. में जल क्षेत्र का और 3,200 किमी लंबाई में नदियों का विस्तार है। दोनों का राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 3.8 प्रतिशत हिस्सा है। फलतः राज्य में ग्रामीण मछुआरा परिवारों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मछली पालन की काफी गुंजाइश है। राज्य में गत दशक के दौरान इस क्षेत्र की लगातार वृद्धि होती रही है और गत दशक के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान दूने से भी अधिक हो गया है। वर्ष 2012-13 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 4.00 लाख टन था जो 2016-17 में 5.09 लाख टन हो गया (तालिका 3.14)। हालांकि राज्य में मछली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 7.7 किग्रा है जबकि राष्ट्रीय औसत 10.0 किग्रा है। राज्य में मत्स्यबीजों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए 121 सरकारी मत्स्यबीज फार्म के अलावा 10 निजी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र (हैचरी) भी काम कर रहे हैं। वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक मछली उत्पादन और मत्स्यबीज वितरण के जिलावार आंकड़े सांख्यिकीय परिशिष्ट तालिका 3.15 में प्रस्तुत हैं। मछली उत्पादन में 2016-17 में बिहार के तीन अग्रणी मत्स्य उत्पादक जिले मधुबनी (51.8 हजार टन), पूर्व चंपारण (50.0 हजार टन) और दरभंगा (44.0 हजार टन) थे। मत्स्य बीज के मामले में तीन शीर्ष जिले मधुबनी (1,600 लाख), दरभंगा (1,000 लाख) और पूर्व चंपारण (725 लाख) थे।

लोगों को लाभप्रद रोजगार देने की संभावना वाला क्षेत्र होने के कारण राज्य सरकार ने मछुआरों के कौशल विकास के लिए कदम उठाए हैं। मछुआरों को ऑन-साइट प्रशिक्षण दिलाया गया है और उन्हें खुद देखने के लिहाज से आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न स्थानों पर भेजा गया है। राज्य सरकार ने मत्स्य आहार मिल और मत्स्य बीज प्रजनन इकाइयों की स्थापना तथा तालाबों के जीणोंद्वार के लिए और मछली बेचने के लिए वाहनों के वितरण में सब्सिडी उपलब्ध कराई है।

दूध उत्पादन

दुधारू पशु पालना कृषि का सहवर्ती क्षेत्र है जिसका बिहार में केंद्रीय स्थान है क्योंकि यह लोगों, खास कर छोटे और सीमांत किसानों को प्रचुर जीविका उपलब्ध कराने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हाल में दुग्ध सहयोग समितियां राज्य में दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के महत्वपूर्ण सुगमकर्ता के रूप में उभरी हैं। वर्ष 2016-17 में राज्य में कुल दूध उत्पादन 87.10 लाख टन था। राज्य में दूध उत्पादन की प्रमुख स्रोत गाएं हैं

जिनका कुल दूध उत्पादन में लगभग 58.9 प्रतिशत हिस्सा है। दूसरा स्थान भैंसों का है (38.7 प्रतिशत) और उसके बाद बकरियों का (2.4 प्रतिशत)। राज्य में दूध उत्पादन के 2015-16 और 2016-17 के जिलावार रुझान सांखिकीय परिशिष्ट तालिका 3.16 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2016-17 में समस्तीपुर, पटना और बेगूसराय जिलों का गाय के दूध के उत्पादन में ऊंचा अनुपात था जबकि बकरियों से दूध उत्पादन में अररिया, पूर्व चंपारण और मुजफ्फरपुर का ऊंचा हिस्सा था। अभी बिहार पशु प्रजनन नीति, 2011 के आधार पर कृत्रिम गर्भाधान के प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे पशुओं की नस्ल सुधरेगी और उनकी दूध की उत्पादकता बढ़ेगी। गौशाला विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति इकाई 20.00 लाख रु. की सहायता स्वीकृत की गई है। इसके अलावा, दूध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकारी की पहल कदमियों में संतुलित पशु आहार देना, बचाव लायक रोगों से बचाने के लिए टीके लगाना और प्रजनन योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराना शामिल है।

दूध उत्पादन उद्योग राज्य में बहुत बड़ा है लेकिन राज्य द्वारा संचालित बिहार राज्य दुग्ध उत्पादन महासंघ (कांफेड) दुग्ध उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कांफेड के कार्यों के बारे में उद्यमिता क्षेत्र का विवरण देते समय अध्याय 4 में विस्तृत व्योरा दिया गया है।

अध्याय 4

उद्यम क्षेत्र

आर्थिक विकास के साहित्य में सामान्यतः पाया जाता है कि आर्थिक चरणों में अर्थव्यवस्था के विकास की कुंजी प्राथमिक क्षेत्र में ही निहित होती है। प्राथमिक क्षेत्रों में भी कृषि क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि ज्योंही आर्थिक विकास में तेजी आती है, मांग कृषि क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की दिशा में चली जाती है। अतः अर्थव्यवस्था में और अधिक विकास द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के द्वारा बड़े पैमाने की प्रेरणा से ही संभव होता है। यह प्रत्याशित पैटर्न बिहार में भी दिखता है। पहले अध्याय में भी चर्चा की गई थी कि पिछले 5 वर्षों (2011-12 से 2015-16) के दौरान बिहार की समग्र अर्थव्यवस्था का विकास जहां 4.9 प्रतिशत की दर से हुआ है, वहीं द्वितीयक क्षेत्र का विकास 8.5 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का 5.3 प्रतिशत की दर से हुआ। हालांकि यह दर बहुत ऊँची नहीं है, फिर भी यह बिहार की अर्थव्यवस्था में आए ढांचागत परिवर्तन को दर्शाती है। तालिका 4.1 में हाल के वर्षों में द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर दर्शाई गई है जिसमें देखा जा सकता है कि इसमें काफी उतार-चढ़ाव रहा है – 2012-13 में (-)13.2 प्रतिशत, तो 2013-14 में 27.8 प्रतिशत। यह अंतर खनन/ प्रस्तर खनन, विनिर्माण, निर्माण, और बिजली/ जलापूर्ति/ गैस – चारों उप-क्षेत्रों में दिखता है।

तालिका 4.1 : बिहार में 2011-12 के मूल्य पर द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक विकास दरें

क्षेत्र	वार्षिक विकास दर				
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1. खनन एवं प्रस्तर खनन	8.94	540.62	-58.35	177.92	-5.93
2. विनिर्माण	-33.76	94.49	37.40	9.33	-1.26
3. निर्माण	-5.22	6.46	-4.55	-5.43	-0.13
4. बिजली/ जलापूर्ति/ गैस	9.80	2.76	3.43	-2.61	6.43
संपूर्ण द्वितीयक क्षेत्र	-13.24	27.82	11.86	1.60	-0.21
कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.93	4.98	3.65	7.54	10.32

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

द्वितीयक क्षेत्र में 8.6 प्रतिशत की अच्छी विकास दर के बावजूद बिहार में औद्योगीकरण का स्तर अभी भी बहुत निम्न है और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान अभी भी 20 प्रतिशत से कम है जबकि राष्ट्रीय औसत 31 प्रतिशत से अधिक है (तालिका 4.2)। बिहार में यह अनुपात निस्संदेह सबसे कम है। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड और ओडिशा के मामले में ये अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक हैं। चूंकि बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 19 प्रतिशत के आसपास अपरिवर्तित रहा है इसलिए स्पष्ट है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल में जो भी थोड़ा-बहुत ढांचागत परिवर्तन दिखा है वह इसके तृतीयक क्षेत्र की उच्च विकास दर के कारण है।

तालिका 4.2 : 2011-12 के मूल्य पर सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान

राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17
आंध्र प्रदेश	26.4	26.5	26.2	महाराष्ट्र	34.5	34.4	अनु.
बिहार	21.1	20.4	18.5	ओडिशा	41.6	42.6	41.4
छत्तीसगढ़	49.7	49.5	48.9	पंजाब	25.0	25.1	24.8
गुजरात	47.2	50.2	अनु.	राजस्थान	29.7	29.8	अनु.
हरियाणा	31.2	31.1	30.5	तमिलनाडु	33.6	34.5	34.5
झारखण्ड	41.0	40.4	39.3	उत्तर प्रदेश	26.5	25.9	25.5
कर्नाटक	26.4	26.8	26.1	पश्चिम बंगाल	18.7	अनु.	अनु.
केरल	27.3	26.7	अनु.				
मध्य प्रदेश	27.1	26.7	25.2	भारत	31.2	31.5	31.2

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

4.1 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण भारत में औद्योगिक सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, हालांकि इसमें बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ही आंकड़े शामिल किए जाते हैं। यह सर्वेक्षण उन्हीं विनिर्माण इकाइयों से संबंधित होता है जिनमें विद्युतचालित होने की स्थिति में कम से कम 10 या विद्युतरहित होने की स्थिति में कम से कम 20 श्रमिक काम करते हैं। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के आंकड़े मोटे तौर पर दो वर्ष देर से उपलब्ध होते हैं और सबसे हाल के आंकड़े 2014-15 से संबंधित हैं। वर्ष 2014-15 में बिहार में 3,530 इकाइयां थीं जबकि उससे एक वर्ष पहले उनकी संख्या 3,420 थीं। यह एक वर्ष में 3.1 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है (तालिका 4.3)। संपूर्ण भारत में 2014-15 में 2.30 लाख इकाइयां और उससे एक वर्ष पहले 2.24 लाख इकाइयां थीं। अर्थात् एक वर्ष में 2.6 प्रतिशत वृद्धि हुई जो बिहार से कम है। हालांकि ये सारे कारखाने चालू नहीं थे। बिहार में 2014-15 में 3,530 में से 2,942 (83.3 प्रतिशत) कारखाने चालू थे। वहाँ, संपूर्ण भारत में उस वर्ष 2.30 लाख में से 1.89 लाख (82.2 प्रतिशत) कारखाने चालू थे। चूंकि विभाजन के बाद खनिज संसाधन बिहार के हाथ से निकल गए हैं इसलिए कोई भी यही अनुमान करेगा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की उपस्थिति अपेक्षाकृत अधिक होगी। लेकिन ऐसा मामला नहीं है। तालिका 4.3 से स्पष्ट है कि बिहार में 2014-15 में कृषि आधारित उद्योगों का हिस्सा 34.9 प्रतिशत था जबकि पूरे देश के स्तर पर यह आंकड़ा 41.6 प्रतिशत था। यह वस्तुतः इस बात को रेखांकित करता है कि व्यापक जैव विविधता के कारण बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अच्छी-खासी संभावना है जिसका पूरा उपयोग अभी नहीं हो सका है। बिहार में कृषि आधारित और गैर-कृषि आधारित व्यापक श्रेणियों के तहत विभिन्न प्रकार के कारखानों की संख्या का व्योरा और उनकी बुनियादी विशेषताएं सांख्यिकीय परिशिष्ट में प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.3 : कारखानों और चालू कारखानों की संख्या

वर्ष	कारखानों की संख्या			चालू कारखानों की संख्या		
	कृषि आधारित	गैर-कृषि आधारित	योग	कृषि आधारित	गैर-कृषि आधारित	योग
बिहार						
2005-06	470 (28.2)	1199 (71.8)	1669 (100.0)	440 (31.0)	978 (68.9)	1420 (100.0)
2006-07	278 (17.4)	1323 (82.6)	1601 (100.0)	228 (16.2)	1182 (83.8)	1410 (100.0)
2007-08	466 (26.1)	1319 (73.9)	1785 (100.0)	404 (25.0)	1209 (75.0)	1613 (100.0)
2008-09	437 (24.6)	1340 (75.4)	1777 (100.0)	377 (24.3)	1172 (75.7)	1549 (100.0)
2009-10	510 (26.6)	1409 (73.4)	1919 (100.0)	454 (26.3)	1271 (73.7)	1725 (100.0)
2010-11	918 (32.7)	1889 (67.3)	2807 (100.0)	822 (32.3)	1725 (67.7)	2547 (100.0)
2011-12	1126 (34.8)	2106 (65.2)	3232 (100.0)	1014 (35.3)	1858 (64.7)	2872 (100.0)
2012-13	1141 (34.1)	2206 (65.9)	3347 (100.0)	1005 (34.1)	1941 (65.9)	2946 (100.0)
2013-14	1148 (33.6)	2272 (66.4)	3420 (100.0)	1036 (33.1)	2096 (66.9)	3132 (100.0)
2014-15	1232 (34.9)	2298 (65.1)	3530 (100.0)	1129 (38.4)	1813 (61.6)	2942 (100.0)
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	17.4	8.8	11.1	17.9	8.6	11.1
भारत						
2005-06	61936 (44.2)	78224 (55.8)	140160 (100.0)	57863 (43.5)	75028 (56.5)	132891 (100.0)
2006-07	54902 (37.9)	89809 (62.1)	144711 (100.0)	51681 (37.3)	86937 (62.7)	138618 (100.0)
2007-08	62189 (42.5)	84196 (57.5)	146385 (100.0)	59124 (42.1)	81443 (57.9)	140567 (100.0)
2008-09	67259 (43.3)	88063 (56.7)	155322 (100.0)	64005 (42.6)	86285 (57.4)	150290 (100.0)
2009-10	65409 (41.2)	93469 (58.8)	158878 (100.0)	62299 (40.8)	90336 (59.2)	152635 (100.0)
2010-11	87520 (42.8)	117011 (57.2)	204531 (100.0)	69249 (41.6)	97387 (58.4)	166636 (100.0)
2011-12	93251 (42.9)	124303 (57.1)	217554 (100.0)	72769 (41.4)	102939 (58.6)	175708 (100.0)
2012-13	87803 (39.5)	134317 (60.5)	222120 (100.0)	68698 (38.4)	110403 (61.6)	179101 (100.0)
2013-14	87775 (39.1)	136803 (60.9)	224578 (100.0)	70993 (38.2)	114697 (61.8)	185690 (100.0)
2014-15	95887 (41.6)	134546 (58.4)	230433 (100.0)	77049 (40.7)	112417 (59.3)	189466 (100.0)
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	6.4	7.2	6.8	3.7	4.8	4.3

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योगफल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

बिहार में औद्योगिक क्षेत्र यहां चलने वाले उद्योगों की संख्या के लिहाज से छोटा है। वर्ष 2014-15 में भारत के कुल कारखानों में बिहार के कारखानों का हिस्सा मात्र 1.6 प्रतिशत था जबकि देश की आबादी में इसका 8.6

प्रतिशत हिस्सा है। चालू उद्योगों के आकार की बात करें, तो वे भी राष्ट्रीय औसत से छोटे हैं। यह बात उनके पूँजीगत आधार, रोजगार संबंधी आधार और उत्पाद मूल्य से साफ व्यक्त होती है। 2014-15 में बिहार में सभी उद्योगों की स्थिर पूँजी का आकार (9.94 हजार करोड़ रु.) संपूर्ण भारत के संबंधित आंकड़े (2,474.45 हजार करोड़ रु.) का मात्र 0.4 प्रतिशत है। अन्य सूचकों के मामले में बिहार का हिस्सा इस प्रकार है - कार्यशील पूँजी (0.5 प्रतिशत), नियोजित व्यक्ति (1.1 प्रतिशत), उत्पाद मूल्य (0.9 प्रतिशत) और निवल मूल्यवर्धन (0.6 प्रतिशत)। हालांकि छोटी औद्योगिक इकाइयों की भरमार बिहार के लिए कोई अप्रत्याशित परिघटना है। यहां औद्योगिकरण की प्रक्रिया अभी शुरू ही हुई है और नवजात अवस्था में है। इस अन्यथा प्रतिकूल परिदृश्य में आशा की एकमात्र किरण यही है कि बिहार में गत दशक में कारखानों की वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 11.1 प्रतिशत रही है। अगर यह रुझान जारी रहता है और मजबूत होता जाता है, तो बिहार की औद्योगिक अर्थव्यवस्था सकारात्मक दिखनी चाहिए और देश के अन्य क्षेत्रों में उछाल के साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए।

तालिका 4.4 : बिहार में उद्योग

वर्ष	चालू कारखानों की संख्या (हजार में)		स्थिर पूँजी (हजार करोड़ में)		कार्यशील पूँजी (हजार करोड़ में)	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार
2005-06	133	1.42 (1.1)	606.94	2.92 (0.5)	184.46	1.42 (0.8)
2006-07	139	1.41 (1.0)	715.13	2.95 (0.4)	282.19	1.61 (0.6)
2007-08	141	1.61 (1.1)	845.13	3.01 (0.4)	316.95	1.64 (0.5)
2008-09	150	1.55 (1.0)	1055.97	3.03 (0.3)	311.23	1.47 (0.5)
2009-10	153	1.73 (1.1)	1352.18	4.45 (0.3)	387.75	0.95 (0.2)
2010-11	167	2.55 (1.5)	1607.01	5.26 (0.3)	620.36	2.47 (0.4)
2011-12	176	2.87 (1.6)	1949.55	7.55 (0.4)	588.79	(-)0.24 (-0.04)
2012-13	179	2.95 (1.6)	2180.26	6.47 (0.3)	603.41	2.48 (0.4)
2013-14	186	3.13 (1.7)	2373.72	8.04 (0.3)	1010.84	5.88 (0.6)
2014-15	189	2.94 (1.6)	2474.45	9.94 (0.4)	640.84	3.49 (0.5)
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	4.3	11.1	18.3	16.2	16.9	15.9
वर्ष	नियोजित व्यक्ति (हजार में)		उत्पादों के मूल्य (हजार करोड़ रु.)		निवल मूल्यवर्धन (हजार करोड़ रु.)	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार
2005-06	9112	67 (0.7)	1908.36	16.78 (0.9)	311.86	0.42 (0.1)
2006-07	10328	67 (0.6)	2408.55	19.04 (0.8)	395.73	0.32 (0.1)
2007-08	10453	74 (0.7)	2775.71	21.87 (0.8)	481.59	1.16 (0.2)
2008-09	11327	74 (0.7)	3272.80	29.54 (0.9)	527.77	3.18 (0.6)
2009-10	11792	87 (0.7)	3733.04	2.83 (0.1)	592.11	2.32 (0.4)
2010-11	12695	106 (0.8)	4676.22	36.05 (0.8)	704.58	4.42 (0.6)
2011-12	13430	127 (0.9)	5776.02	60.17 (1)	836.70	5.64 (0.7)
2012-13	12950	116 (0.9)	6025.95	51.68 (0.9)	851.95	1.3 (0.2)
2013-14	13538	114 (0.8)	6555.25	55.3 (0.8)	895.34	5.15 (0.6)
2014-15	13881	146 (1.1)	6883.81	58.76 (0.9)	975.16	5.82 (0.6)
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	4.5	9.4	15.9	18.3	13.1	32.2

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े संपूर्ण भारत के आंकड़ों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

बिहार में औद्योगिक इकाइयों की क्रियाशीलता का अपेक्षाकृत निम्न स्तर भी तालिका 4.5 से स्पष्ट है जिसमें भारत और बिहार में उद्योगों के कुछ संरचना अनुपात दर्शाए गए हैं। बिहार में 2014-15 में प्रति कारखाना स्थिर पूँजी मात्र 3.38 करोड़ रु. थी जो संपूर्ण भारत के संबंधित आंकड़े (13.06 करोड़ रु.) का मात्र एक-चार्थाई है। पहले के दो वर्षों में भी यही पैटर्न दिखता है। वर्ष 2014-15 में बिहार में औद्योगिक इकाइयों की क्रियाशीलता का अपेक्षाकृत निम्न स्तर संरचना संबंधी अन्य विशेषताओं के बिहार और भारत के आंकड़ों के बीच के अनुपातों से भी व्यक्त होता है - प्रति श्रनिक स्थिर पूँजी (38.2 प्रतिशत), प्रति कारखाना श्रमिकों की संख्या (75.2 प्रतिशत), प्रति कारखाना शुद्ध मूल्यवर्धन (38.5 प्रतिशत) और प्रति व्यक्ति शुद्ध मूल्यवर्धन (56.7 प्रतिशत)।

तालिका 4.5 : बिहार और भारत में उद्योगों के संरचना अनुपात

विशेषताएं	2012-13		2013-14		2014-15	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार
प्रति चालू कारखाना स्थिर पूँजी (लाख रु.)	1217	220 (18.1)	1278	257 (20.1)	1306	338 (25.9)
प्रति नियोजित व्यक्ति स्थिर पूँजी (लाख रु.)	16.9	5.6 (33.1)	17.5	7.1 (40.4)	17.8	6.8 (38.2)
प्रति चालू कारखाना श्रमिकों की संख्या	56	34 (60.7)	56	31 (54.6)	57	43 (75.2)
प्रति चालू कारखाना नियोजित व्यक्तियों की संख्या	72	40 (55.6)	73	36 (49.7)	73	50 (67.8)
प्रति चालू कारखाना शुद्ध मूल्यवर्धन (लाख रु.)	476	44 (9.2)	482	165 (34.1)	515	197 (38.5)
प्रति नियोजित व्यक्ति शुद्ध मूल्यवर्धन (लाख रु.)	6.6	1.1 (17)	6.6	4.5 (68.6)	7.0	4.0 (56.7)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े संपूर्ण भारत के आंकड़ों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

बिहार में उद्योगों की एक महत्वपूर्ण सीमाबद्धता अपने उत्पादों के लिए निम्न मूल्यवर्धन है। इसका मुख्य कारण अक्सर निम्न पूँजीगत और रोजगारआधार के कारण उनका निम्न उत्पादन स्तर पर काम करना है (तालिका 4.6)। वर्ष 2014-15 में संपूर्ण भारत के स्तर पर सकल उत्पाद मूल्य में सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा 16.9 प्रतिशत था जबकि बिहार में यह अनुपात मात्र 11.6 प्रतिशत था। राष्ट्रीय औसत (12 प्रतिशत से कम) से निम्न अनुपात वाले अन्य राज्य केरल (11.0 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (9.5 प्रतिशत) थे। हाल में राज्य सरकार ने अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवर्धन अनुपात वाले उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है।

तालिका 4.6 में देखा जा सकता है कि बिहार में वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के दायरे वाले बड़े उद्योगों में कुल रोजगार 2014-15 में 1.46 लाख था जो सभी राज्यों में प्राप्त कुल रोजगार (138.81 लाख) के 1 प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक है। अर्थव्यवस्था के विकसित होने पर औद्योगिक रोजगार का अर्थ श्रमिकों की अधिक उत्पादकता ही नहीं है। इसका अर्थ पहले कम उत्पादकता वाली कृषि में काम करने वाले श्रमिकों के लिए रोजगार का अपेक्षाकृत अधिक अवसर उपलब्ध होना भी है। दुर्भाग्यवश, बिहार अभी औद्योगिक विकास के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है जहां कृषि श्रमिकों का बड़ी मात्रा में जाना संभव हो ताकि उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अल्पनियोजित श्रमिकों के बोझ से मुक्त हो सके। वर्ष 2014-15 में बिहार में श्रमिकों की वार्षिक मजदूरी महज 97.79 हजार रु. थी जो 222.63 हजार के राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। निस्संदेह, मजदूरी का यह स्तर देश के सभी राज्यों के बीच सबसे कम है। बिहार में औद्योगिक श्रमिकों की इतनी कम मजदूरी के दो कारण हो सकते हैं। पहला, बिहार में उद्योगों का प्रौद्योगिकीय आधार अपेक्षाकृत निम्न है इसलिए इसके श्रमिकों के कौशल का स्तर भी निम्न है। और दूसरा, बिहार में बेरोजगारी की उच्च दर जिससे मजदूरी की कम दरों के लिए स्वाभाविक रूप से दबाव बनता है।

तालिका 4.6 : औद्योगिक क्षेत्रों का राज्यवार विवरण (2014-15)

राज्य	चालू कारखानों की संख्या	सकल उत्पाद मूल्य (GVO) (करोड़ रु.)	सकल मूल्यवर्धन(GVA)			नियोजित व्यक्ति			प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी, वेतन और बोनस (रु.)
			रकम करोड़ रु. में	योगफल में प्रतिशत हिस्सा	GVO के प्रतिशत के बतौर	संख्या	योगफल में प्रतिशत हिस्सा	प्रति कारखाना रोजगार	
आंध्र प्रदेश	12905	251919	35021	3.0	13.90	528417	3.8	41	198311
बिहार	2942	58759	6805	0.6	11.58	146109	1.1	50	97790
छत्तीसगढ़	2534	119776	22262	1.9	18.59	179324	1.3	71	305773
गुजरात	17884	1270125	196451	16.9	15.47	1462206	10.5	82	230708
हरियाणा	6611	367485	58783	5.0	16.00	744026	5.4	113	232538
झारखण्ड	2341	121087	26591	2.3	21.96	182085	1.3	78	354744
कर्नाटक	10143	461866	71815	6.2	15.55	974022	7.0	96	246825
केरल	6440	128664	14215	1.2	11.05	384058	2.8	60	164682
मध्य प्रदेश	3664	182530	27290	2.3	14.95	344031	2.5	94	201948
महाराष्ट्र	22783	1119618	239076	20.5	21.35	1883675	13.6	83	320040
ओडिशा	2469	131180	25432	2.2	19.39	262817	1.9	106	251498
पंजाब	10441	189925	25500	2.2	13.43	583316	4.2	56	155277
राजस्थान	8005	221415	39596	3.4	17.88	487520	3.5	61	211309
तमिलनाडु	29081	700381	109990	9.4	15.70	2127703	15.3	73	196236
उत्तर प्रदेश	12327	423098	53056	4.6	12.54	883331	6.4	72	204453
पश्चिम बंगाल	7878	263802	24965	2.1	9.46	632470	4.6	80	185085
भारत	189468	6883812	1164703	100.0	16.92	13881386	100.0	73	222629

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

4.2 छठी आर्थिक गणना, 2013

देश के अन्य भागों की तरह बिहार में भी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत असमानता है और औद्योगिक इकाइयों में अतिलघु से लेकर बड़ी इकाइयां तक मौजूद हैं। दुर्भाग्यवश, सभी इकाइयां निबंधित नहीं हैं। इसलिए किसी भी राज्य में चल रही इकाइयों की कुल संख्या और उनकी विशेषताओं को जानना बहुत कठिन है। इसके अलावा, उनकी कार्यसंचालन संबंधी बातों के बारे में भी जानना संभव नहीं है। इसलिए ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार समय-समय पर आर्थिक गणना कराती है। सबसे हाल की आर्थिक गणना 2013 में की गई थी और उसके परिणाम 2016 में प्रकाशित किए गए थे। तालिका 4.7 में 2005 और 2013 की आर्थिक गणना के आंकड़े दिए गए हैं। दोनों गणना वर्षों में हुआ प्रतिशत परिवर्तन भी उसमें दर्शाया गया है। तालिका से पता चलता है कि 2013 में राज्य में 17.07 लाख आर्थिक उद्यम थे जबकि 2005 में उनकी संख्या 12.25 लाख ही थी। इसका अर्थ 8 वर्षों में 39.4 प्रतिशत अर्थात् 4 से 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है। यह बात उत्साहप्रद है कि आर्थिक उद्यमों की संख्या में वृद्धि शहरी क्षेत्रों (30.3 प्रतिशत) की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में (43.7 प्रतिशत) अधिक है। दोनों गणनाओं से यह भी पता चलता है कि उजरती श्रम वाले उद्यमों (ईएचडब्ल्यू) की वृद्धि दर (35.9 प्रतिशत) स्वश्रम उद्यमों (ओएई) की वृद्धि दर (12.4 प्रतिशत) से अधिक है। यह सकारात्मक रुझान है क्योंकि उजरती श्रम वाले उद्यम आम तौर पर अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले होते हैं जिनके लिए अधिक उद्यमी

गतिविधि और संभवतः उच्चतर पूंजीगत आधार की जरूरत पड़ती है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि उजरती श्रम वाले उद्यमों की वृद्धि दर शहरी क्षेत्रों (20.9 प्रतिशत) की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में (46.1 प्रतिशत) अधिक है। इससे बस्तुतः इस उत्साहवर्धक तथ्य का पता चलता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विविधीकरण हो रहा है। विविधीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्तर में उसके अनुरूप वृद्धि होगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की आर्थिक स्थिति उन्नत करने में मददगार होगी।

तालिका 4.7 : बिहार में आर्थिक उद्यमों की गणना (2005 और 2013)

(संख्या हजार में)

परिवर्त		2005	2013	प्रतिशत वृद्धि
उद्यमों की संख्या	ग्रामीण	835	1200	43.7
	शहरी	389	507	30.3
	योग	1225	1707	39.4
स्वश्रम उद्यम	ग्रामीण	751	850	13.2
	शहरी	280	309	10.3
	योग	1031	1159	12.4
उजरती श्रम वाले उद्यम	ग्रामीण	240	350	46.1
	शहरी	164	198	20.9
	योग	404	549	35.9
कृषि उद्यम	ग्रामीण	30	77	159.2
	शहरी	5	8	57.0
	योग	35	85	144.0
गैर-कृषि उद्यम	ग्रामीण	806	1123	39.4
	शहरी	384	499	29.9
	योग	1190	1622	36.3
नियोजित व्यक्तियों की संख्या	ग्रामीण	1405	2171	54.6
	शहरी	865	1073	24.0
	योग	2270	3244	42.9

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

एक और उल्लेखनीय रुझान यह है कि 2005 से 2013 के बीच कृषि उद्यमों की वृद्धि दर (144.0 प्रतिशत) गैर-कृषि उद्यमों की वृद्धि दर (36.3 प्रतिशत) से काफी अधिक रही है। यह परिघटना ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में दिखती है। इससे लगता है कि बिहार के उद्यमों का रुझान कृषि आधारित उद्योगों के विकास में है जिसमें राज्य स्वाभाविक अनुकूलता की स्थिति में है। गणना के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 2013 में मौजूद आर्थिक उद्यमों ने 32.44 लाख लोगों को रोजगार दिया था और पिछले 8 वर्षों में रोजगार की वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों में 54.6 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 24.0 प्रतिशत और समग्रतः 42.9 प्रतिशत रही है। इससे यह बात उभरकर सामने आती है कि आर्थिक उद्यमों के विस्तार से शहरी रोजगार के परिदृश्य में बहुत सुधार नहीं हुआ है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र इससे काफी लाभान्वित हुए हैं।

तालिका 4.8 : बिहार में प्रतिष्ठानों की कुल जिलावार संख्या

जिला	प्रतिष्ठानों की संख्या			प्रतिष्ठानों में प्रतिशत हिस्सा	जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा
	ग्रामीण	शहरी	योग		
पटना	54678	93294	147972	8.7	5.6
नालंदा	35508	24972	60480	3.5	2.8
भोजपुर	25118	15690	40808	2.4	2.6
बक्सर	23026	7953	30979	1.8	1.6
रोहतास	35299	17520	52819	3.1	2.9
कैमुर	18656	3893	22549	1.3	1.6
गया	41582	18413	59995	3.5	4.2
जहानाबाद	9766	5455	15221	0.9	1.1
अरवल	8743	1676	10419	0.6	0.7
नवादा	36643	11557	48200	2.8	2.1
औरंगाबाद	27383	7891	35274	2.1	2.4
सारण	38613	13785	52398	3.1	3.8
सीवान	36443	8280	44723	2.6	3.2
गोपालगंज	26548	8184	34732	2.0	2.5
पश्चिम चंपारण	42325	20451	62776	3.7	3.8
पूर्व चंपारण	43569	20008	63577	3.7	4.9
मुजफ्फरपुर	49340	19823	69163	4.1	4.6
सीतामढी	32829	7806	40635	2.4	3.3
शिवहर	7899	1841	9740	0.6	0.6
वैशाली	47796	8298	56094	3.3	3.4
दरभंगा	49274	24154	73428	4.3	3.8
मधुबनी	50781	7922	58703	3.4	4.3
समस्तीपुर	76246	11020	87266	5.1	4.1
बेरुसराय	40111	16218	56329	3.3	2.8
मुंगेर	12888	13399	26287	1.5	1.3
शख्पुरा	5704	5832	11536	0.7	0.6
लखीसराय	13300	7790	21090	1.2	1.0
जमुई	22286	6175	28461	1.7	1.7
खगड़िया	28597	5765	34362	2.0	1.6
भागलपुर	26396	28876	55272	3.2	2.9
बांका	29153	4340	33493	2.0	2.0
सहरसा	18023	6347	24370	1.4	1.8
सुपौल	26263	5209	31472	1.8	2.1
मधेपुरा	29164	5483	34647	2.0	1.9
पूर्णिया	38651	14253	52904	3.1	3.2
किशनगंज	19908	6719	26627	1.6	1.6
अररिया	34910	8281	43191	2.5	2.7
कटिहार	37090	12316	49406	2.9	3.0
बिहार	1200509	506889	1707398	100.0	100.0

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

आर्थिक उद्यमों की अवस्थिति के अध्ययन से पता चलता है कि जिलों के बीच काफी विषमता है। ये आंकड़े तालिका 4.8 में प्रस्तुत हैं। तालिका के अंतिम दो कॉलमों में कुल उद्यमों में और राज्य की कुल जनसंख्या में हर जिले का प्रतिशत हिस्सा दर्शाया गया है। अगर किसी जिले का आर्थिक उद्यमों में हिस्सा उसके जनसंख्या में हिस्से से अधिक है, तो उसे अपेक्षाकृत समझ कहा जा सकता है। इस आधार पर तालिका से पता चलता है कि 2013 में 8 जिलों में आर्थिक उद्यमों का संकेंद्रण अधिक था - पटना, नालंदा, नवादा, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और भागलपुर।

4.3 कृषि आधारित उद्योग

बिहार में व्यापक जैव-विविधता और कृषि-जलवायु संबंधी स्थिति में भिन्नता के कारण राज्य के किसान खाद्यान्नों के अलावा भी अनेक प्रकार की फसलें उपजाते हैं। इन फसलों में तिलहन, रेशे, फल, सब्जियां, ईख और चाय शामिल हैं। बिहार में दुधारू पशु भी काफी संख्या में हैं जिससे राज्य को काफी मात्रा में दूध का उत्पादन करने में मदद मिलती है। इस प्रकार बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के लिए जबर्दस्त अवसर उपलब्ध हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

बिहार औद्योगिक नीति 2016 में राज्य में कृषि-आधारित उद्योगों के महत्व पर काफी बल दिया गया है। नीति-पत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को प्राथमिकता वाले 10 क्षेत्रों में शामिल किया गया है। नई नीति से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है। इस नीति के तहत फल, सब्जियां, मछली आदि शीघ्र नष्ट होने वाली चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन चीजों के नुकसान में कमी लाने पर किसानों को बेहतर कीमत हासिल होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। इस क्षेत्र में बुनियादी अधिसंरचना पूरी तरह विकसित नहीं है इसलिए राज्य का लगभग 15-20 प्रतिशत कृषि उत्पाद हर साल नष्ट हो जाता है। वर्ष 2027 तक प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने और उसके जरिए कृषि उत्पादों की बर्बादी में काफी कमी लाना अनुमानित है। इसके कारण किसानों की आमदनी 30 प्रतिशत बढ़ सकती है और इससे 2027 तक 10-15 लाख नए रोजगार के अवसर भी तैयार हो सकते हैं।

चीनी उद्योग

बिहार में लगभग 3 लाख हे. पर ईख की खेती होती है जो कुल कृष्य भूमि का लगभग 6 प्रतिशत है। इसलिए राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और आमदनी तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिहाज से चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है। इस उद्योग से प्रत्यक्ष रोजगार ही नहीं, अनेक संबंधित गतिविधियों के जरिए प्रचुर अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलता है।

अभी राज्य में निजी क्षेत्र में 9 चीनी मिल चल रहे हैं। बिहार राज्य चीनी निगम के तहत 2 नए चीनी मिल भी हैं जिन्हें 2011 में दीर्घकालिक लीज के आधार पर एचपीसील को सौंप दिया गया था। वर्ष 2016-17 में बिहार में 571 लाख किवंटल ईख की पेराई हुई जिससे 52.48 लाख किवंटल चीनी का उत्पादन हुआ (तालिका 4.9)। उत्पादन का यह स्तर 2015-16 से 11 प्रतिशत अधिक है जब 515 लाख किवंटल ईख की पेराई हुई थी। हालांकि 2016-17 में चीनी प्राप्ति की दर 9.2 प्रतिशत थी जो एक वर्ष पहले के 9.8 प्रतिशत से कम है।

तालिका 4.9 : चीनी मिलों का प्रदर्शन

चीनी मिल का नाम	पेरी गई ईख (लाख किवंटल)	उत्पादित चीनी (लाख किवंटल)	चीनी की प्राप्ति (%)	पेरी गई ईख (लाख किवंटल)	उत्पादित चीनी (लाख किवंटल)	चीनी की प्राप्ति (%)	पेरी गई ईख (लाख किवंटल)	उत्पादित चीनी (लाख किवंटल)	चीनी की प्राप्ति (%)
	2014-15		2015-16			2016-17			
बगहा	79.86	7.55	9.4	74.91	7.44	9.9	82.6	7.33	8.9
हरिनगर	125.67	11.52	9.2	115.08	11.51	10.0	126.44	11.6	9.2
नरकटियांगंज	82.08	7.65	9.3	75.84	7.58	10.0	88.06	8.54	9.7
मझौलिया	48.47	4.77	9.8	42.2	4.03	9.5	49.93	4.5	9.0
सासामुसा	18.44	1.55	8.4	12.8	1.16	9.1	16.15	1.32	8.2
गोपालगंज	38.81	3.69	9.5	33.03	3.30	10.0	38.81	3.55	9.1
सिध्वलिया	51.56	4.78	9.3	45.84	4.30	9.4	47.69	4.37	9.2
रीगा	47.95	4.2	8.8	36.45	3.40	9.3	32.7	2.86	8.7
हसनपुर	34.55	3.11	9.0	31.13	3.19	10.2	29	2.88	9.9
लौरिया	25.1	2.00	8.0	27.22	2.58	9.5	32.63	2.96	9.1
सुगौली	21.96	1.85	8.4	20.73	1.84	8.9	27.13	2.57	9.5
योग	574.45	52.67	9.2	515.23	50.33	9.8	571.14	52.48	9.2

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

इस समय चीनी मिलों और ईख उत्पादकों के सहयोग के लिए निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं :

- (क) चीनी मिलों को दी गई रियायतों में ईथेनॉल और विरूपित स्प्रिट पर वैट में कमी (12.5 प्रतिशत से 4.0 प्रतिशत) और ईथेनॉल पर लीटरेज शुल्कों की समाप्ति शामिल हैं।
- (ख) चीनी मिलों द्वारा उन्नत घोषित 16 प्रजातियों के प्रमाणित ईख बीजों की खरीद पर किसानों को 135 रु. प्रति किवंटल (अजा/ अजजा के लिए 135 रु. प्रति किवंटल) की दर से सब्सिडी दी जा रही है। किसी किसान को इस योजना का लाभ अधिकतम 2.5 एकड़ जमीन के लिए मिलेगा।
- (ग) आधारिक बीजों के उत्पादन हेतु चीनी मिलों को भी 25,000 रु. प्रति हे. की दर से सब्सिडी देने का प्रावधान है। इसके अलावा, शोध केंद्रों - भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान (लखनऊ) और ईख अनुसंधान संस्थान (पूसा) - के जरिए प्रजनक बीज के उत्पादन के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है।
- (घ) चुनी गई उन्नत प्रजाति के ईख के उपयोग और उसकी ट्रैच विधि और रिंग-पिट विधि द्वारा रोपाई की जानकारी देने के लिहाज से चुनिंदा किसानों को प्रशिक्षण देने और राज्य के बाहर ईख फार्म दिखाने के लिए रज्य के बाहर ले जाने की सुविधा है।
- (च) ईख के साथ अंतर्वर्ती फसल लगाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के तहत प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है।
- (छ) तकनीकी प्रचार-प्रसार की योजना के लिए भी व्यवस्था है जिनकी सघन निगरानी और अनुश्रवण किया जाता है।
- (ज) योजना के तहत निमना प्रजाति की ईख उपजा रहे ईख उत्पादकों को ईख बीज की आपूर्ति की जा रही है।
- (झ) ईख उत्पादकों को पौध संरक्षण रसायन की कुल कीमत पर 50 प्रतिशत सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 2,000 रु. प्रति हे. है।
- (ट) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाइ) के तहत किसानों को खूंटी (रैटून) प्रबंधन उपकरण, ट्रैचर, और डीजल/ बिजली चालित पंपसेट खरीदने के लिए सब्सिडी दी गई है।

ईख की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी के बावजूद बिहार में उत्पादकता का स्तर कई कारणों से कम है। इस समय ईख की खेती वाली 25-30 प्रतिशत जमीन पर ही सिंचाई सुविधा मौजूद है। और इन सिंचित खेतों की भी औसतन एक-दो बार ही सिंचाई की जाती है क्योंकि अप्रील से जून के बीच नहरों में पानी उपलब्ध नहीं रहता है। खराब जलनिकासी व्यवस्था के कारण वर्षा ऋतु में ईख के खेतों में जल जमाव की समस्या भी रहती है। राज्य ईख के अधिक उपज वाले प्रभेदों के बीजों की कमी का भी सामना कर रहा है। ईख शोध संस्थान और चीनी मिलों के साथ मिलकर राज्य सरकार इन समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है।

दुग्ध उत्पादन उद्योग

कृषिकार्य के साथ सघन संबंध के कारण बिहार में पशुपालन ग्रामीण परिवारों के लिए एक पारंपरिक पेशा है। इसीलिए राज्य में दूध उद्योग काफी बड़ा है। लेकिन राज्य में दुग्ध उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका राज्य द्वारा संचालित बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ (कॉम्फेड) ही निभाता है। वर्ष 1983 में स्थापित कॉम्फेड राज्य में श्वेत क्रांति के मकसद से काम करने वाले ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का क्रियान्वयन अभिकरण है। दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना के लिए कॉम्फेड ने त्रिस्तरीय पैटर्न अपनाया है जिसके तहत ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियां, जिला स्तर पर दुग्ध संघ और राज्य स्तर पर दुग्ध महासंघ स्थापित हैं।

वर्ष 2016-17 में राज्य में 20.7 हजार दुग्ध सहकारी समितियां थीं जिनकी संख्या 2015-16 में 19.5 हजार थी (तालिका 4.10)। इसका अर्थ 6.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि है। हालांकि कुल सहयोग समितियों में से 14.8 हजार (71.4 प्रतिशत) कार्यशील थीं और 6.0 हजार (30.9 प्रतिशत) निर्बंधित थीं। तालिका 4.11 में देखा जा सकता है कि 2016-17 में कुल दैनिक दुग्ध संग्रहण 1,613 हजार किग्रा था और इस मामले में पिछले पांच वर्षों के दौरान वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रही है। सर्वाधिक 28.0 प्रतिशत विकास दर मगध परियोजना में दर्ज हुई और सबसे कम 3.2 प्रतिशत शहाबाद परियोजना में। प्रति कार्यशील दुग्धशाला दूध की खरीद की बात करें, तो इसकी मात्रा 2016-17 में 108.67 किलोलीटर (हजार लीटर) थी (तालिका 4.12)। इसकी मात्रा 2015-16 में 124.2 किलोलीटर थी जो अप्रत्याशित कारणों से 2016-17 में 108.7 किलोलीटर रह गई।

तालिका 4.10 : विभिन्न दुग्ध संघों/ परियोजनाओं के तहत दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों की संख्या

संघ/ परियोजना की अवस्थिति	2016-17			2015-16		
	संगठित समितियां	कार्यशील समितियां	निर्बंधित समितियां	संगठित समितियां	कार्यशील समितियां	निर्बंधित समितियां
वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना	4179	2554	1301	3973	2490	1228
देशरल डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी	2197	2036	1097	2162	1970	1094
मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर	2434	1948	1115	2305	1841	1036
तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर	3329	1941	1003	3181	1904	947
शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा	3327	2301	1256	3206	2432	1205
विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर	1724	1160	300	1616	1027	250
मगध दुग्ध परियोजना, गया	1890	1606	193	1656	1319	183
कोशी दुग्ध परियोजना, पूर्णिया	704	569	36	1384	987	87
रांची दुग्ध परियोजना, रांची	907	670	71	60	46	12
योग	20691	14785	6372	19543	14016	6042

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

तालिका 4.11 : दैनिक दुग्ध संग्रहण में संघों और परियोजनाओं की प्रगति

(हजार किलोग्राम में)

संघ/ परियोजना	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	वार्षिक चक्रवृद्धि दर
वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना	224.85	282.09	318.91	307.73	273.66	5.0
देशरल्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी	343.80	375.2	409.72	457.52	427.33	5.6
मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर	282.99	340.57	354.51	353.67	354.26	5.8
तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर	133.53	181.87	196.87	191.55	205.73	11.4
शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा	176.17	206.24	257.57	258.29	199.53	3.2
विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर	48.34	54.88	70.13	72.94	60.34	5.7
मगध दुग्ध परियोजना, गया	13.19	22.55	39.53	39.82	35.36	28.0
कोशी दुग्ध परियोजना, पूर्णिया	15.55	20.98	29.24	41.48	21.83	8.9
कोशी दुग्ध संघ, सुपौल					16.22	
रांची/ बोकारो/ जमशेदपुर दुग्धशाला	6.48	10.5	13.84	17.43	17.84	28.8
योग	1244.75	1495.02	1690.24	1740.43	1613.43	6.7

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

तालिका 4.12 : प्रति कार्यशील दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति दुग्ध संग्रहण

(किलोलीटर प्रतिदिन में)

संघ/ परियोजना की अवस्थिति	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पटना	97.37	122.17	108.88	123.58	107.15
बरौनी	210.4	229.62	206.2	232.24	209.99
समस्तीपुर	202.28	243.44	177.17	192.1	181.86
मुजफ्फरपुर	87.91	119.73	100.24	100.6	105.99
आरा	90.02	105.39	108.49	106.2	86.72
भागलपुर	74.83	84.95	86.26	71.02	52.02
गया	23.64	40.41	35.08	30.19	22.02
पूर्णिया	34.02	45.9	30.78	42.03	28.51
सुपौल					32.61
रांची दुग्धशाला	140.89	213.55	277.64	347.17	312.98
योग	118.29	141.96	120.59	124.18	108.67

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

तालिका 4.13 : कॉम्फेड की गतिविधियाँ

सूचक	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सहयोग समितियाँ					
संगठित	13691	16675	18385	19543	20769
कार्यशील	10524	12654	14189	14016	14842
निर्बंधित	4943	5420	5754	6042	6384
सदस्यों की संख्या (लाख)	7.59	8.73	9.42	10.04	10.86
दुग्ध संग्रहण					
दुग्ध संग्रहण (लाख किग्रा प्रतिदिन)	12.45	14.95	16.9	17.4	16.13
उत्पादों का विषयन					
खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या	9558	10944	12299	13099	15857
दूध (लाख लीटर प्रतिदिन)	9.2	10.76	11.52	12.18	13.45
घी (टन)	1717	2043	1669	1643	1342
लस्सी (टन)	6426	6747	4385	4103	4975
पेड़ा (टन)	1242	1638	1173	1190	1314
पनीर (टन)	3022	3542	3385	3946	4300
दही (टन)	3132	8595	7498	8088	9110
गुलाबजामुन (टन)	1105	1331	1152	1220	1365
आइसक्रीम (टन)	1083	1248	1702	1743	1375
सेवाएं					
कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या	2329	2897	3117	3275	3436
कृत्रिम गर्भाधान (लाख)	15.66	18.44	20.3	21.37	20.41
टीकाकरण (लाख)	17.73	22.81	15.53	18.05	17.01
क्रमिनाशन (लाख)	12.92	11.67	12.92	16.46	14.30
बीज वितरण (टन)	757.14	885.61	930.93	1016.79	1279.53
पशु आहार वितरण (टन)	61273	54707	56143	62130	53810

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

कॉम्फेड की गतिविधियों में दुग्ध संग्रहण, अनेक प्रकार के दुग्ध उत्पादों के निर्माण के लिए दूध का प्रसंस्करण, उत्पादों का वितरण और पशुपालन क्षेत्र के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करना शामिल है। तालिका 4.13 में पिछले पांच वर्षों के दौरान होने वाली इन सारी गतिविधियों का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। तालिका से पता चलता है कि कॉम्फेड द्वारा पशुपालन क्षेत्र के लिए कुछ सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

चाय

पिछले दो दशकों में बिहार धीरे-धीरे महत्वपूर्ण चाय उत्पादक राज्य के बरौर उभरा है। अभी चाय की खेती किशनगंज जिले में लगभग 50 हजार एकड़ जमीन पर की जाती है जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा पोठिया, 40 प्रतिशत ठाकुरगंज और 10 प्रतिशत किशनगंज प्रखंडों में है। बिहार में चाय का वार्षिक उत्पादन लगभग 4,000 टन है। किशनगंज में 7 चाय प्रसंस्करण संयंत्र मौजूद हैं जिनमें 2,300 टन से भी अधिक चाय का वार्षिक

उत्पादन होता है। किशनगंज में अभी भी अनेक नए चाय प्रसंस्करण संयंत्रों की गुंजाइश है इसलिए राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। इसने नए चाय प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए सब्सिडी और पूरक प्रोत्साहनों की घोषणा की है जिससे राज्य में नए चाय प्रसंस्करण संयंत्र शीघ्र शुरू हो सकें।

4.4 गैर-कृषि आधारित उद्योग

हथकरघा

हथकरघा क्षेत्र में आम तौर पर गरीब कुशल और अकुशल मजदूरों को रोजगार देने की काफी क्षमता है। इसीलिए बिहार के औद्योगिक परिदृश्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अभी बिहार में 32 हजार से भी अधिक बुनकर हैं जो अपनी जीविका के लिए पूरी तरह इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं। राज्य में कोई 1,089 प्राथमिक हथकरघा बुनकर समितियां मौजूद हैं जिनके तहत लगभग 15 हजार हथकरघे चल रहे हैं। उनके अलावा, बुनकर सहकारी समितियों के बाहर रहकर भी बुनकर काम कर रहे हैं। शीर्ष स्तर पर दो विपणन संगठन हैं - बिहार राज्य हथकरघा सहकारी संघ, पटना और बिहार राज्य ऊन एवं भेड़ संघ, पटना। दोनों संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि अपने उत्पादों का विपणन करना गरीब बुनकरों के लिए मुश्किल है। उनके अतिरिक्त, नालंदा, सीतामढ़ी, सीवान, मधुबनी, पूर्णिया और भागलपुर में अवस्थित 6 क्षेत्रीय हथकरघा निगम भी मौजूद हैं। तालिका 4.14 में विभिन्न जिलों में बनने वाले खास प्रकार के हथकरघा उत्पादों के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

तालिका 4.14 : बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले

जिला	उत्पाद
भागलपुर	रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े
बांका	तसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े
गया	सूती और रेशमी कपड़े
नालंदा	सजावटी पर्दे, बिस्तर के खोल, आंतरिक सज्जा सामग्रियां और सजावटी कपड़े
नवादा	तसर रेशम और महिलाओं की पोशाक के सामान
दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी	महीन सूती कपड़ों के थान, धोती, कमीज के कपड़े
औरंगाबाद, रोहतास	ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियां
भूभुआ	ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियां
पटना, सीवान	सूती कपड़े और सजावटी कपड़े,
पूर्णिया, कटिहार	जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियां, आंतरिक सज्जा सामग्रियां

स्रोत : उद्योग विभाग, हथकरघा, बिहार सरकार

राज्य सरकार ने सतरंगी चादर निर्माण में लगे बुनकरों को उन्नत हथकरघे उपलब्ध कराने में काफी रुचि दिखाई है। इस योजना के तहत पात्र बुनकरों को बिहार राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, पटना के जरिए 68 इंच फ्रेम वाले (टेक अप मोशन युक्त) हथकरघे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 में राज्यांश के रूप में कुल 1.50 करोड़ रु. को स्वीकृत रकम में से 1.25 करोड़ रु. क्रियान्वयन अभिकरण को उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस योजना में कुल राज्यांश 90 प्रतिशत है और लाभार्थी का अंशदान 10 प्रतिशत है।

पूत कोष/ बफर कोष योजना के तहत बुनकरों को होने वाली भुगतान में देर से निपटने और प्रदर्शन संबंधी सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्रियान्वयन अभिकरण (बिहार राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, पटना) को 2.00 करोड़ रु. स्वीकृत और विमुक्त किए गए हैं। इसके अलावा, 2017-18 में धागा आपूर्ति के लिए गारंटी रकम के बतौर राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) को 1.00 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं। यह रकम पांच वर्षों के लिए विमुक्त की गई है। इस योजना के तहत निगम शीर्ष/ क्षेत्रीय सहकारी बुनकर संघ को 45 दिनों की ऋण सीमा के साथ धागे उपलब्ध कराएगा।

राज्य सरकार ने चालू हथकरघों का एक सर्वेक्षण भी किया है जिसके लिए संबंधित जिले के जिला उद्योग केंद्रों को चालू हथकरघों के बारे में जानकारी पाने तथा चालू हथकरघों पर अद्वितीय पहचान संख्या (यूआइडी) खुदवाने के लिए 25.00 लाख रु. स्वीकृत और विमुक्त किए गए हैं। इस योजना के तहत सही बुनकरों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के निर्माण के लिए आंकड़ा संबंधी सहयोग उपलब्ध कराने के लिहाज से हर चालू हथकरघे पर अद्वितीय पहचान संख्या (यूआइडी) खुदवा दी गई है। इस योजना के तहत प्रगति तालिका 4.15 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.15 : अद्वितीय पहचान संख्या दिए गए हथकरघों की संख्या

जिला का नाम	स्वीकृत रकम (लाख रु.)	अद्वितीय पहचान संख्या खुदे हथकरघों की सं.	
		हथकरघे	पाटी लूम
औरंगाबाद	3.00	91	489
बांका	3.00	995	-
भागलपुर	5.00	2537	-
गया	1.00	84	477
जहानाबाद	0.01	03	-
कैमूर	1.00	124	86
कटिहार	0.02	02	-
खगड़िया	0.02	01	-
मधुबनी	1.50	89	-
मुजफ्फरपुर	0.01	28	-
नालंदा	1.50	175	-
नवादा	2.00	181	-
पटना	3.72	448	-
रोहतास	1.00	141	566
सीवान	1.10	112	-
समस्तीपुर	0.02	-	-
पश्चिम चंपारण	0.10	51	-
योग	24.00	4882	1618

स्रोत : उद्योग विभाग, हथकरघा, बिहार सरकार

मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना : राज्य सरकार ने हथकरघा बुनकरों और रंगरेज कारीगरों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने के लिहाज से एक वर्ष (2016-17) के लिए मुख्यमंत्री समेकित हथकरघा विकास योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की है - (क) नया करघा/ रंगाई किट खरीदने के लिए हर बुनकर/ रंगरेज को 15,000 रु., (ख) कच्चे माल खरीदने के लिए 5,000 रु. प्रति बुनकर कॉर्पस राशि, तथा (ग) छावनी (वर्कशेड) निर्माण के लिए 40,000 रु।

प्रशिक्षण केंद्र : राज्य के बुनकरों को बुनाई का आधुनिक कौशल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार काफी रुचि ले रही है। इस मकसद से आठ सरकारी संस्थान चल रहे हैं जो चाकंद (गया), ओबरा (औरंगाबाद), काको (जहानाबाद), अंबाबाग (भागलपुर), अमरपुर (बांका), नेपुरा (नालंदा), राजेंद्र नगर (पटना) और बरारी (भागलपुर) में अवस्थित हैं। पांच वर्षों के दौरान इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका 4.16 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.16 : प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य और उपलब्धियां

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लक्ष्य	204	204	204	204	204
उपलब्धि	163	160	167	169	156
उपलब्धि का प्रतिशत	79.9	78.4	81.9	82.8	76.4

स्रोत : उद्योग विभाग, हथकरघा, बिहार सरकार

भागलपुर हथकरघा महासंकुल : भागलपुर और बांका जिलों के बुनकरों के हित में केंद्र सरकार ने भागलपुर हथकरघा महासंकुल स्थापित किया है। आसपास के जिलों के अनेक अन्य कारीगर भी इस संकुल का लाभ ले सकते हैं। बुनकर इसके अनेक घटकों के तहत लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत 10 प्रखंड-स्तरीय संकुल स्थापित किए गए हैं जिनमें से प्रत्येक में एक सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी), दो रंगाई घर, एक डिजाइन स्टूडियो, और एक उत्पाद विकास केंद्र स्वीकृत किया गया है। हर सामान्य सुविधा केंद्र में बुनाई के पहले और बुनाई के बाद की गतिविधियों के साथ-साथ रंगाई और डिजाइनिंग की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), पटना इस योजना के लिए संकुल अनुश्रवण एवं तकनीकी सहायता (सीटीएमए) उपलब्ध कराकर सहायता कर रहो हैं। इस योजना में राज्य सरकार विभिन्न घटकों के लिए 10 से 25 प्रतिशत तक अंशदान करती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाइ) : राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत वाले पैकेज की सूची में वर्णित अधिकांश रोगों के लिए बुनकर प्रति वर्ष 30,000 रु. तक का आच्छादन पाने के हकदार हैं। आच्छादन परिवार के अधिकतम पांच सदस्यों के लिए उपलब्ध है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार 2017-18 में स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए बीमा कंपनी को 1,419 बुनकर परिवारों के आंकड़े भेजे गए हैं।

पावरलूम

पावरलूम निपुण बुनकरों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराता है जिनमें से अधिकांश गरीब परिवारों के होते हैं। अतः राज्य में गरीबी निवारण के लिए पावरलूम के जरिए भी व्यापक गुंजाइश है। राज्य में लगभग 14,000 पावरलूम हैं। उनके मुख्य उत्पाद स्टेपल चादरें (बेडशीट), कपड़ों के थान आदि होते हैं। ये पावरलूम मुख्यतः भागलपुर, बांका और गया जिलों में अवस्थित हैं। बुनकरों के लाभ के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक कुशल प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है जिसके जरिए हर वर्ष 120 पावरलूम बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

बुनकरों के लाभ के लिए उत्पादन व्यय कम करने के लिहाज से राज्य सरकार बिजली की खपत पर प्रति यूनिट 3.00 रु. सब्सिडी उपलब्ध कराती है। सादा पावरलूम का उसी जगह पर उत्क्रमित करने की योजना के तहत उन्हें अर्ध-स्वचालित पावरलूम में बदला जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उदार सहायता के जरिए कमजोर बुनकरों की मदद करना है जिससे कि कम उत्पादन वाले पावरलूम को डॉबी, जैकार्ड, मल्टीपल बॉक्स मोशन आदि अतिरिक्त संयोजनाओं से युक्त नए पावरलूम में बदले जा सकें। इस योजना के तहत 2015-16 में भागलपुर में 320 और गया में 100 इकाइयों का आच्छादन किया गया है। वर्ष 2016-17 में भागलपुर में 208 पावरलूम को उन्नत किया गया है। वर्ष 2017-18 में 25.00 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए सब्सिडी में केंद्र सरकार की 60 प्रतिशत और राज्य सरकार की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी होती है।

रेशम उत्पादन

रेशम कीट पालन बिहार में गैर-कृषि उद्योग का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। राज्य में रेशम उत्पादन के विकास की काफी संभावना है। राज्य में तीन प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जा रहा है - मलबरी, तसर और अंडी। तसर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री तसर विकास योजना (2012-17) का क्रियान्वयन किया गया। इस योजना के तहत तसर के विकास के लिए दक्षिण बिहार के 6 जिलों (बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई और रोहतास) में तथा उत्तर बिहार के कुछ जलजमाव-ग्रस्त क्षेत्रों में, जहां अर्जुन और आसन के पेड़ लगाना संभव है, राज्य योजना के तहत 71.63 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे। इस योजना के तहत मुख्य उपलब्धियों में शामिल हैं - (क) 6,120 हे. जंगल/ रेशम फॉर्म की और 3,384 हे. निजी जमीन पर तसर कीटों को भोजन देने वाले पौधों का रोपण, (ख) बांका जिले के पायलट परियोजना केंद्र इनरावरन और श्याम बाजार में एक प्रशासनिक खंड तथा 5 ग्रेनेज भवनों का निर्माण, (ग) बांका जिले में धागा उत्पादन के लिए 6 सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना, और (घ) बांका जिले के इनरावरन और श्याम बाजार परिसरों में दो कॉकून बैंक भवनों का निर्माण। इसके अलावा, भागलपुर और बांका के जांघ पर कताई करने वाले लोगों के बीच 661 बुनियाद मशीनों का मुफ्त वितरण किया गया। इन सारी गतिविधियों से राज्य में रेशम उत्पादन के विकास को बढ़ावा मिलेगा। तसर विकास के लिए राज्य सरकार की कुछ नई गतिविधियां इस प्रकार हैं - (1) बुनियाद पर तसर की कताई करने के प्रशिक्षण के लिए 11.16 लाख रु. की स्वीकृति, (2) जंगली पेड़ों पर तसर पालन के लिए लगभग 2,000 लोगों के प्रशिक्षण के लिए 62.32 लाख रु. की स्वीकृति, और (3) तसर कीट के भोजन वाले पौधों की देखरेख और तसर कताई किट की खरीद के लिए 497.83 रु. की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के तहत कोशी क्षेत्र के सात जिलों (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया) को मलबरी उत्पादन के प्रोत्साहन के लिहाज से चुना गया है। इस योजना के तहत सिंचाई, कताई किट, कताई घर, विसंक्रामक, प्रशिक्षण और अध्ययन यात्रा के लिए सहायता उपलब्ध कराई

जाती है। इस योजना के लिए 2016-17 में 22.05 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार ने मलबरी विकास के लिए कुछ नई पहलकदमियां शुरू की हैं। इसमें 100 उत्पादन समूहों के लिए चक्रानुसारी कोष (रिवॉल्विंग फंड) के बतौर 8.00 करोड़ रु., 100 नोडल केंद्रों की स्थापना के लिए 3.88 करोड़ रु., और सिंचाई, कराई किट तथा विसंक्रामकों के लिए 14.15 करोड़ रु. सहायता राशि स्वीकृत की गई है। अभी किशनगंज की रेशम कराई इकाइयों को पुनः शुरू करने और सुपौल में न्यू मल्टी एंड रीलिंग यूनिट शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। जीविका को मलबरी परियोजना क्रियान्वित करने की जवाबदेही दी गई है जबकि उद्योग विभाग तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। मलबरी विकास की उपलब्धियां हैं - 6,360 किसानों की पहचान, मलबरी वृक्षारोपण इकाइयां (3,465), 4,548 व्यक्तियों को एकदिवसीय प्रशिक्षण, 4,778 व्यक्तियों को पांच-दिवसीय प्रशिक्षण, एक्सपोजर यात्रा (1,226), ग्राम साधनसेवियों (वीआरपी) की पहचान (118) तथा ग्राम साधनसेवियों को प्रशिक्षण (66)।

बिहार में बेगूसराय एकमात्र जिला है जहां अंडी का उत्पादन होता है। वर्ष 2016-17 में अंडी रेशम का उत्पादन 10.00 टन था। वर्ष 2016-17 में अंडी रेशम पालन और कराई का प्रशिक्षण देने के लिए 226 लाभार्थियों को चुना गया। उनमें से 225 का प्रशिक्षण पूरा भी हो गया है। अंडी विकास परियोजना की जवाबदेही जीविका को सौंपी गई है।

तालिका 4.17 : रेशम क्षेत्र की उपलब्धियां (2013-14 से 2017-18)

वर्ष	रेशम का प्रकार	पौधरोपण (हे.)	रोगमुक्त कीट पालन (लाख)	कुल कॉकून उत्पादन	कच्चा रेशम (टन)
2013-14	मलबरी	117	5.07	122.73 (टन)	15.08
	तसर	608	7.1	386.94 (लाख)	37.89
	अंडी	575	0.81	6.50 (टन)	5.2
2014-15	मलबरी	184	5.04	162.16 (टन)	19.5
	तसर	5198	7.48	293.88 (लाख)	32.95
	अंडी	232	1.19	10.20 (टन)	8.16
2015-16	मलबरी	136	5.78	202.56 (टन)	22.55
	तसर	2325	9.21	466.00 (लाख)	42
	अंडी	161	1.19	9.50 (टन)	7.6
2016-17	मलबरी	340	5.69	191.69 (टन)	23.49
	तसर	1218	8.62	482.20 (लाख)	43.51
	अंडी	232	1.27	12.43 (टन)	9.94
2017-18	मलबरी	355	2.30	71.31 (टन)	10.00
	तसर	-	8.66	316.78 (लाख)	15.45
	अंडी	276	1.00	6.51 (टन)	5.2

स्रोत : उद्योग विभाग, रेशम उत्पादन, बिहार सरकार

जूट पार्क

42.36 करोड़ रु. के व्यय से जूट पार्क की स्थापना पूर्णिया जिले के मरांगा में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत की गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए अपनी इक्विटी के अंश के बतौर 42.36 एकड़ जमीन और अनुदान के बतौर 2.00 करोड़ रु. उपलब्ध कराए हैं। इस पार्क में दो निजी इकाइयों ने काम करना शुरू कर दिया है और दोनों अच्छी स्थिति में हैं। उत्पादित सामग्रियों में जूट धागा, जूट के कपड़े, जूट टिवन और ऐसे अन्य उत्पाद शामिल हैं। इससे 500 लोगों को प्रत्यक्ष और लगभग 1,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है।

चर्म उद्योग

बिहार में चर्म उद्योग के लिए काफी संभावना मौजूद है क्योंकि देश की पशु आबादी में राज्य के पशुओं का अच्छा-खासा हिस्सा है। विभिन्न पशुओं के संबंधित हिस्से इस प्रकार हैं - गाय (8.0 प्रतिशत), बकरी (12.4 प्रतिशत), भैंस (4.2 प्रतिशत) और भेड़ (1.9 प्रतिशत)। ये आंकड़े 2012 की पशुगणना पर आधारित हैं। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआइ), चेन्नई द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में गाय-बैलों की 26.4 लाख खालों और 50.9 लाख चमड़ों का वार्षिक उत्पादन होता है। राज्य बकरों, गायों, भैंसों और बछड़ों के चमड़ों की सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए भी मशहूर है। बकरों के चमड़े सामान्यतः छोटे आकार के होते हैं लेकिन चमकदार चर्म उत्पादों के लिए सर्वोत्तम माल होते हैं जिनकी विदेशी ग्राहकों द्वारा अधिकांशतः मांग की जाती है इसलिए इनका निर्यात कर दिया जाता है।

राज्य में खालों और चमड़ों के लिए सात मंडियां हैं - पटना, आरा, औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, कटिहार और पूर्णिया। भैंसों की खालों के लिए आरा, भैंस के पाड़ों के चमड़ों के लिए मुजफ्फरपुर और बकरों के चमड़ों के लिए पटना प्रमुख बाजार हैं। तमिलनाडु के चर्म उत्पादों के कुछ महत्वपूर्ण उत्पादक अपने एजेंटों के जरिए बिहार की महत्वपूर्ण मंडियों से खालें और चमड़े इकट्ठा कराते हैं। स्थानीय चर्मशोधन उद्योग मुजफ्फरपुर में कुछ कार्यशील चर्मशोधन कारखानों और मोकामा घाट स्थित बाटा टैनरी तक ही सीमित है। फलतः अधिकांश कच्चे माल कोलकाता, कानपुर और चेन्नई की उत्पादन इकाइयों में जगह पाते हैं।

खादी एवं ग्रामोद्योग

पूरे देश में खादी उत्पादक इकाइयों सहित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने वाले खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के काम का पर्यवेक्षण केंद्र सरकार का अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय करता है। राज्य स्तर पर आयोग राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग निदेशालय और खादी एवं ग्रामोद्योग पर्षद के जरिए काम करता है। इसकी प्रोत्साहन-मूलक गतिविधियों में नए कौशलों का विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, शोध एवं विकास शामिल हैं। अपनी राष्ट्रीय बाजार नीति और विज्ञापन के जरिए आयोग राज्य स्तर की इकाइयों को अपने उत्पादों के विपणन में भी सहयोग देता है। आयोग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और पारंपरिक उद्योग पुनर्जीवन कोष योजना (स्फूर्ति -SFRTI) के लिए भी जबाबदेह है। दूसरे वाले कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग के पारंपरिक उत्पादों के लिए संकुल विकास संबंधी गतिविधियां शामिल हैं।

केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) का आरंभ 2008 में उस समय चलने वाले ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना को मिलाकर किया गया था। इस योजना का लक्ष्य लोगों, खास कर पारंपरिक कारीगरों को बैंक ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर पैदा करना है। योजना का

क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, तथा राज्य सरकार के जिला उद्योग केंद्र द्वारा किया जाता है।

तालिका 4.18 : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन

अभिकरण	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	जिला उद्योग केंद्र	योग
2014-15				
लक्ष्य/ मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	2294 (30.0)	2294 (30.0)	3060 (40.0) 7648 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	3321.96 (30.0)	3321.96 (30.0)	4429.27 (40.0) 11073.19 (100.0)
नोडल बैंकों द्वारा वितरित मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	280 (16.1)	130 (7.5)	1324 (76.4) 1734 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	629.73 (14.4)	389.54 (8.9)	3338.79 (76.6) 4358.06 (100.0)
2015-16				
लक्ष्य/ मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	909 (30.0)	909 (30.0)	1211 (40.0) 3029 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	1817.16 (30.0)	1817.16 (30.0)	2422.88 (40.0) 6057.20 (100.0)
नोडल बैंकों द्वारा वितरित मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	189 (7.8)	195 (8.0)	2046 (84.2) 2430 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	544.60 (8.3)	543.00 (8.2)	5500.95 (83.49) 6588.55 (100.0)
2016-17				
लक्ष्य/ मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	1122 (29.9)	1122 (29.9)	1506 (40.2) 3750 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	2244 (29.4)	2248 (30.0)	3008 (40.1) 7500 (100.0)
नोडल बैंकों द्वारा वितरित मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	532 (16.5)	313 (9.7)	2389 (73.9) 3234 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	810.33 (9.7)	995.34 (11.9)	6530.83 (78.3) 8336.5 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े योगफल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान क्रियान्वयन अभिकरणों का प्रदर्शन तालिका 4.18 में प्रस्तुत है। हालांकि 2016-17 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं था लेकिन जिला उद्योग केंद्रों का प्रदर्शन उल्लेखनीय था। 1,506 लोगों के लिए 3,008 लाख रु. मार्जिन मनी के लक्ष्य के मुकाबले जिला उद्योग केंद्र 2,309 लोगों के लिए 6,530 लाख रु. मार्जिन मनी वितरित करा पाने में सफल रहे थे। अतः प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जिला उद्योग केंद्र की भूमिका प्रशंसनीय पाई गई।

बिहार में खादी उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार एक नई योजना लाई है। कताई-बुनाई करने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और आमदनी के नए स्रोत तैयार करने तथा उनका पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार ने खादी क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू की हैं।

आधुनिक चरखा, करघा और कटिया चरखा का वितरण : इस योजना के तहत 2016 में बिहार की खादी संस्थाओं को त्रिपुरारी मॉडल के 1000 चरखे उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा, 2017 में 2,000 आधुनिक

करघों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है और प्रथम चरण में 500 आधुनिक करघे वितरित किए हैं। 176 आधुनिक करघों की खरीद के लिए बिहार की 29 खादी संस्थाओं को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के जरिए वांछित रकम उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही, 17 खादी संस्थाओं के अनुरोध पर उन्हें 2017 में 600 कटिया चरखे उपलब्ध कराए गए हैं और इस कार्यक्रम के जरिए 2018 में उन्हें 318 करघे उपलब्ध कराए जाएंगे।

त्रिपुरारी मॉडल के चरखों और कटिया चरखों के लिए कार्यशील पूँजी : 29 खादी संस्थाओं के लिए 4.31 करोड़ रु. की कार्यशील पूँजी हेतु प्रावधान किया गया है ताकि वे समय पर कच्चे माल खरीद सकें और कताई/बुनाई करने वालों को समय पर दैनिक मजदूरी का भुगतान कर सकें। इसके अतिरिक्त, खादी संस्थाओं को 2.05 करोड़ रु. की कार्यशील पूँजी कॉकून और अन्य कच्चे माल खरीदने के लिए उपलब्ध कराई गई है।

खादी के लिए डिजाइन : बाजार की मांग पूरी करने के लिए निफ्ट द्वारा खादी संस्थाओं को 100 डिजाइन उपलब्ध कराए गए हैं। पायलट आधार पर 2000 रेडीमेड पोशाकों के लिए 50 डिजाइनें लागू कर दी गई हैं और बाजार में उन्हें अच्छा प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है।

खादी का विपणन : खादी के प्रोत्साहन और विपणन के लिए चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर आरा, राजगिर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 'खादी मेला सह प्रदर्शनी' आयोजित की गई जिनके कारण बिक्री बढ़ी है। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग के परिसर में भी 'खादी मेला सह प्रदर्शनी' आयोजित की गई। खादी संस्थाओं के लिए उपयुक्त विपणन मंच उपलब्ध कराने के लिहाज से राष्ट्रीय खादी महोत्सव का भी पटना में आयोजन किया गया है। इस आयोजन के दौरान क्रेताओं और विक्रेताओं की बैठक भी आयोजित की जाएगी। खादी की उचित ब्रांडिंग के लिए एक लोगो विकसित किया गया है जिसका उपयाग खादी के रेडीमेड वस्त्रों पर किया जाता है। इसके कारण खादी के रेडीमेड पोशाकों की बिक्री बढ़ेगी।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए प्रशिक्षण : नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बांका, मुंगेर, मधुबनी और दरभंगा जिलों में जनसूचित जाति/ जनजाति के 280 श्रमिकों को कताई, बुनाई, कालीन निर्माण, बांस की कारीगरी, और जूता-चप्पल, चूड़ियां, मधुमक्खी पालन, खादी साबुन और हैंडवाश जैसे अनेक उत्पादों के लिए उचित कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। खादी संस्थाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन पर 10 प्रतिशत छूट उपलब्ध कराई जा रही है जिसे पहले बिक्री पर उपलब्ध कराया जाता था। आधुनिक करघों के रूप में स्थायी परिसंपत्ति और कार्यशील पूँजी भी संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई है जिससे उत्पादन बढ़ा है। छूट के मद में 2017 में खादी संस्थाओं को 2.25 करोड़ रु. प्रदान किए गए थे।

बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के भवन के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 16.94 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। यह सातमंजिली इमारत होगी जिसमें खादी बोर्ड का कार्यालय, खादी हेतु प्रशिक्षण सुविधा, खादी ब्रांडिंग के मानकों के अनुरूप सिलाई केंद्र, प्रदर्शनी कक्ष और अन्य सुविधाएं होंगी। खादी भवन के वर्तमान शोरूम के नवीकरण के लिए 7.40 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। यह शोरूम पुराने शोरूम से तिगुना बड़ा होगा जिसमें खादी रेशम, ऊनी और सूती कपड़ों के तीन अलग-अलग खंड आर्बिट किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए एक अलग खंड होगा। यह शोरूम खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए एक ही स्थान पर साझा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा।

4.5 सहयोगदाता संस्थाएं

राज्य सरकार का उद्योग विभाग राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने का अधिकाधिक प्रयास कर रहा है। विभाग के उद्योग मित्र, जिला उद्योग केंद्र और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा) जैसे स्कंध राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के काम की देखरेख करते हैं। उद्योग विभाग राज्य के औद्योगिक विकास में गहरी रुचि दिखा रहा है जो इसके व्यय स्तर में वर्द्धि से व्यक्त होती है (तालिका 4.19)। उद्योग विभाग का व्यय 2015-16 में यह 1,230 करोड़ रु. था और 2016-17 में 1,116 करोड़ जबकि 2011-12 में यह मात्र 429 करोड़ रु. था। आर्थिक सेवाओं पर व्यय में उद्योगों का प्रतिशत हिस्सा सर्वाधिक 3.3 प्रतिशत 2015-16 में था।

तालिका 4.19 : उद्योगों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय

(करोड़ रु.)

व्यय	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	वार्षिक चक्रवृद्धि व्यय
उद्योगों पर व्यय						
(a) राजस्व व्यय	534	580	561	1201	888	19.1
(b) पूँजीगत व्यय	49	535	3	29	228	1.6
(c) योग	583	1115	564	1230	1116	15.0
आर्थिक सेवाओं पर व्यय	20246	24871	29173	37305	44943	22.1
उद्योगों पर व्यय आर्थिक सेवाओं पर व्यय के प्रतिशत के बतौर	2.9	4.5	1.9	3.3	2.5	

स्रोत : बिहार बजट

उद्योग मित्र

उद्योग विभाग के तत्वावधान में उद्योग मित्र संस्था की स्थापना स्थानीय उद्यमियों की सहायता के लिए की गई थी। उद्योग मित्र जिला उद्योग केंद्रों के जरिए क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए अनुश्रवण प्रतिवेदन तैयार करने से भी जुड़ा है। तालिका 4.20 में उद्योग मित्र की पिछले पांच वर्षों की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां प्रस्तुत हैं। वर्ष 2016-17 में उद्योग मित्र 110.00 करोड़ रु. की पूरी स्वीकृत रकम का व्यय करने में सक्षम रही जो 100 प्रतिशत उपयोगिता अनुपात दर्शाता है। वर्ष 2016-17 में कुल 1,098 उद्यमी लाभान्वित हुए जबकि लाभान्वित उद्यमियों की संख्या 2015-16 के 906 थी। यह बहुत उत्साहवर्धक बात है।

तालिका 4.20 : उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां

वर्ष	आर्बेटर रकम (लाख रु.)	खर्च रकम (लाख रु.)	लाभान्वित उद्यमियों की सं.	खर्च रकम (प्रतिशत में)
2011-12	100	67.48	753	67.5
2012-13	104	78.73	596	75.7
2013-14	120	101.13	583	84.3
2014-15	98.6	88.94	664	90.2
2015-16	110.29	92.37	906	83.8
2016-17	110.00	110.00	1098	100.0

स्रोत : उद्योग मित्र, बिहार सरकार

उद्योग मित्र ने भू-मानचित्रण के लिहाज से राज्य के सभी जिलों की जिला विवरणी तैयार की है। उसे केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के लिए क्रियान्वयन अभिकरण भी नामित किया गया है। उद्योग मित्र केंद्र सरकार की संकुल विकास योजना के तहत राज्य में 13 संकुलों के विकास के लिए काम कर रहा है। इसके तहत सुविधा केंद्रों की स्थापना, विषणु सहायता और उद्योग मित्र द्वारा उद्यमियों की खास समस्याओं का निराकरण शामिल है। संकुल विकास के इस कार्य के लिए उद्योग मित्र द्वारा एक निजी कंपनी का सहयोग लिया गया है।

जिला उद्योग केंद्र

उद्योग विभाग द्वारा जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना उद्योगों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए नोडल अभिकरण के बतौर की गई थी। ये केंद्र अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर विशेष बल देते हैं। पहले भी कहा गया है कि जिला उद्योग केंद्र प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए भी मुख्य क्रियान्वयन अभिकरण हैं। इस कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्रों की संलग्नता का व्योरा तालिका 4.18 में प्रस्तुत किया जा चुका है। वर्ष 2016-17 में 2,389 इकाइयों को जिला उद्योग केंद्रों के जरिए मार्जिन मनी प्राप्त हुई जबकि लक्ष्य 1,506 इकाइयों का ही था। इसका अर्थ 158 प्रतिशत उपलब्ध दर होता है। वित्तीय उपलब्ध की बात करें, तो 3,008 लाख रु. के लक्ष्य के मुकाबले कुल 6,530 लाख रु. का संवितरण हुआ। यह 217 प्रतिशत की उससे भी अधिक उपलब्ध दर दर्शाता है।

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा)

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत बिआडा का गठन राज्य में विकास के सारे पहलुओं का शामिल करते हुए औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया था। यह औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों को आवंटित करने के लिहाज से भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत है। साथ ही, बियाडा औद्योगिक विकास के लिए सड़क, बिजली और पानी के कनेक्शन जैसी आवश्यक अधिसंरचना भी विकसित करता है। बिआडा के चार क्षेत्रीय कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अवस्थित हैं। सितंबर, 2017 तक बिआडा ने कुल 5,185 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है जिसमें से 587.02 एकड़ जमीन अधिसंरचना, प्रशासनिक खंड आदि के लिए आरक्षित है और 141.51 एकड़ जमीन अभी भी खाली है। शेष जमीन 2,497 औद्योगिक इकाइयों को आवंटित की जा चुकी है।

तालिका 4.21 : सितंबर, 2017 में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की जमीन और इकाइयों का व्योरा

क्षेत्रीय कार्यालय	चालू इकाइयों की संख्या	निर्माणाधीन चालू इकाइयों की संख्या	निर्माण नहीं शुरू करने वाली इकाइयों की संख्या	बंद/ स्थगित की प्रक्रिया के अधीन इकाइयों की संख्या	कुल मौजूद इकाइयां
पटना	666	152	26	337	1181
भागलपुर	284	41	18	32	375
दरभंगा	292	34	4	49	379
मुजफ्फरपुर	364	75	19	104	562
योग	1606	302	67	522	2497

स्रोत : बिआडा, बिहार सरकार

तालिका 4.21 में बिआडा की औद्योगिक इकाइयों का विवरण प्रस्तुत है। तालिका में देखा जा सकता है कि बिआडा के तहत 1,606 चालू इकाइयां हैं, 302 इकाइयां निर्माणाधीन हैं, 67 नई इकाइयों को अभी निर्माणकार्य शुरू करना है, और 522 इकाइयां बंद हो चुकी हैं। तालिका 4.22 में बिआडा के तहत जमीन का वितरण दर्शाया गया है। तालिका दर्शाती है कि कुल 5,184 एकड़ जमीन में से 3,438 एकड़ (66 प्रतिशत) जमीन औद्योगिक इकाइयों को वितरित की जा चुकी है। दुर्भाग्यवश 1,029 एकड़ (20 प्रतिशत) जमीन पर मुकदमा चल रहा है। अगर इन मुकदमों का समाधान निकल जाय, तो बिआडा की जमीन का उपयोग और भी अधिक होगा, और यह राज्य के औद्योगिक विकास में और अधिक योगदान करेगा।

तालिका 4.22 : बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की जमीन और गतिविधियों के विवरण (सितंबर, 2017)

क्षेत्रीय कार्यालय	कल अधिग्रहित जमीन और शेड		अधिसंरचना, प्रशासनिक खंड, सड़क आदि के लिए आवश्यक जमीन (एकड़)	कल आवंटित जमीन और शेड		मुकदमे वाली जमीन (एकड़)	आवंटन लायक कुल खाली जमीन और शेड	
	जमीन (एकड़)	निर्मित शेड (सं.)		जमीन (एकड़)	निर्मित शेड (सं.)		जमीन (एकड़)	निर्मित शेड (सं.)
पटना	2700.38	230	269.86	2294.83	215	81.38	51.59	15
भागलपुर	1347.29	148	105.2	374.15	143	836.14	31.8	5
दरभंगा	725.61	158	156.86	441.79	133	61.1	28.61	23
मुजफ्फरपुर	411.96	144	55.16	327.23	131	49.94	29.51	13
योग	5185.24	680	587.08	3438	622	1028.56	141.51	56

स्रोत : बिआडा, बिहार सरकार

अधिसंरचना विकास प्राधिकार (आइडीए)

बिहार राज्य अधिसंरचना विकास सक्षमीकरण अधिनियम, 2006 राज्य में भौतिक और सामाजिक अधिसंरचना के तेज विकास और राज्य में अधिसंरचना परियोजना की डिजाइनिंग, वित्तपोषण, निर्माण, कार्यसंचालन तथा रखरखाव के लिए एक व्यापक कानून है। अधिनियम में प्रशासनिक और प्रक्रियागत विलंबों में कमी का भी प्रयास किया गया है। इस अधिनियम के तहत, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता और विकास आयुक्त की उपाध्यक्षता वाले अधिसंरचना विकास प्राधिकार (आइडीए) का गठन 27 अप्रैल 2006 को किया गया था। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 के आलोक में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए 28 अगस्त, 2006 को भूमि बैंक स्थापित किया गया था। अधिसंरचना विकास प्राधिकार राज्य में सार्वजनिक-निजी साझीदारी वाली परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी है। शुरू की गई सार्वजनिक-निजी साझीदारी वाली कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं में मेदांता समूह द्वारा पटना के कंकड़बाग में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जयप्रभा हॉस्पीटल का निर्माण और पटना में सूचना प्रौद्योगिकी टावर का निर्माण शामिल हैं। अधिसंरचना विकास प्राधिकार ने पटना के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) और पटना के अरण्य भवन जैसे विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा सौंपी गई कई अधिसंरचनात्मक परियोजनाएं पूरी की हैं। गत दशक में बिहार में औद्योगिक अधिसंरचना के विकास में अधिसंरचना विकास प्राधिकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निवेश आयुक्त कार्यालय

'मेक इन बिहार' को तथा बिहार में आने के लिए निजी निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने निवेश आयुक्त कार्यालय की स्थापना की है जो भारत की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में अवस्थित है। यह कार्यालय कॉर्पोरेट और वित्तीय जगत के घनिष्ठ संपर्क में रहता है। 31 दिसंबर, 2017 तक कार्यालय ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सीमेंट, और खाद्य प्रसंस्करण के लिए महत्वपूर्ण निवेश प्रस्ताव सुनिश्चित किए हैं। कार्यालय को ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए भी प्रचुर प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

4.6 बिहार औद्योगिक निवेश अधिनियम, नियमावली एवं नीति, 2016

पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016, बिहार स्टाट-अप नीति, 2017 और उच्च प्राथमिकता क्षेत्र नीति, 2017 लागू की है। इन अधिनियमों और नीतियों के आरंभ से राज्य में औद्योगीकरण और व्यवसाय में आसानी के नए युग का सूत्रपात हुआ है।

राज्य में नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऑनलाइन समेकित प्रणाली के जरिए अनापत्ति (क्लीयरेंस) के लिए चार चरण होते हैं। पहले चरण की अनापत्ति राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा परियोजना की व्यवहार्यता की जांच और आवश्यक स्वीकृति देने से संबंधित होती है। पहले चरण की अनापत्ति से निवेशक को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत वित्तीय अनापत्ति सहित स्वीकृति के परवर्ती चरणों के लिए आवेदन करने की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। अनापत्ति का दूसरा चरण स्थापना पूर्व के चरण के लिए वांछित सभी प्रकार की अनापत्तियों से संबंधित होता है। इसके बाद अनापत्ति का तीसरा चरण होता है जो कार्यसंचालन पूर्व अर्थात् व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने के पहले के चरण के लिए वांछित सारी अनापत्तियों से संबंधित होता है। और वित्तीय प्रोत्साहन अनापत्ति का संबंध वित्तीय प्रोत्साहन पाने के लिए अनापत्ति के अनुरोध/ दी गई स्वीकृति से होता है।

निवेश के लिए प्राथमिकता वाले 10 क्षेत्र हैं - (1) खाद्य प्रसंस्करण, (2) पर्यटन, (3) लघु मशीन निर्माण, (4) सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवाएं, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण, (5) वस्त्र, (6) प्लास्टिक और रबर, (7) नवीकरणीय ऊर्जा, (8) स्वास्थ्य देखरेख, (9) चमड़ा, और (10) तकनीकी शिक्षा। राज्य सरकार समय-समय पर सूची में उपयुक्त संशोधन कर सकती है।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम एवं नियमावली, 2016 : निवेश प्रोत्साहन, औद्योगिक सहूलियत, नियामक एवं प्रक्रियागत सुधार, उपयुक्त फीडबैक मेकैनिज्म सहित यूजर इंटरफेस का अधिदेश, और राज्य को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने वाले अन्य संबंधित मामलों का बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम एवं नियमावली, 2016 के प्रावधान में केंद्रोंय स्थान है। अधिनियम और नियमावली ने कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए स्वीकृतियों की सशक्त व्यवस्था तैयार की है। अधिनियम में व्यावसायिक प्रस्तावों को समन्वित और समयबद्ध ढंग से अनापत्ति प्रदान करने के लिए सभी संबंधित विभागों के उचित प्रतिनिधित्व वाले राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के गठन का आदेश दिया गया है। किसी निवेशक के लिए वांछित सभी प्रकार की स्वीकृतियां देना, प्रश्नों की हैंडलिंग और शिकायतों के निपटारा एक ही स्थान पर करने के लिए राज्य निवेश

प्रोत्साहन बोर्ड को शक्ति प्रदान की गई है। उद्योग निभाग ने स्वीकृतियों, प्रश्नों की हैंडलिंग और शिकायतों के निपटारे के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्राधिकार में रखा है। किसी निवेश प्रस्ताव पर लगभग 15 विभागों से विभिन्न स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए उन्हें समेकित करने वाली ऑनलाइन सिंगल विंडो अनापत्ति प्रणाली की स्थापना और संचालन, स्व-प्रमाणन और उचित स्वीकृति, समयबद्ध रीति से अपने काम नहीं निपटाने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई आदि प्रावधानों से स्वीकृति की प्रक्रिया में काफी हद तक पारदर्शिता और कुशलता आई है। यह अतिलघु एवं लघु इकाइयों के मामले में खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिनकी मोलतोल की क्षमता सामन्यतः कम होती है। इन प्रावधानों से राज्य में सभी निवेशकों के लिए समान अवसर उपलब्ध हो गए हैं और वे समावेशी औद्योगीकरण के स्पष्ट विचार का पोषण करते हैं। निवेशकों को तात्कालिक आधार पर हाथों हाथ सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक कार्यार्पित कॉल सेंटर सह हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। नीचे की तालिका में अभी तक की उपलब्धियों के सारांश प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.23 : प्रथम चरण की अनापत्ति प्राप्त निवेश प्रस्तावों की क्षेत्रवार संख्या (जनवरी 2018 तक)

क्षेत्र	प्रस्तावित इकाइयों की सं.	प्रस्तावित निवेश (करोड़ रु.)
खाद्य प्रसंस्करण	292	1467.21
विनिर्माण	64	256.66
विद्युत संयंत्र	8	3981.55
छोटे उपकरण निर्माण	9	9.70
पलस्टिक और रबर	54	124.46
वस्त्र	8	43.88
सूचना प्रौद्योगिकी	9	30.94
पर्यटन	14	300.75
तकनीकी संस्थान (अभियंत्रण और चिकित्सा)	7	41.03
स्वास्थ्य देखरेख	11	123.03
निजी औद्योगिक पार्क	1	652.00
अन्य	119	1817.65
योग	596	8848.86

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 : यह नीति राज्य में वांछित स्तर का औद्योगीकरण हासिल करने की नींव तैयार करती है। नीति का फोकस पर्याप्त अधिसंरचना के विकास, प्रतिस्पर्धी लाभ के साथ कोर क्षेत्रों को प्राथमिकता देने, उन्नत प्रौद्योगिकी और कौशल विकास को बढ़ावा देने, सहायता/ प्रोत्साहन का व्यापक और प्रतिस्पर्धी ढंग से निर्मित पैकेज उपलब्ध कराने ओर संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने पर है। नीति में 5 वर्षों की अवधि में सक्षमकारी अधिसंरचना निर्माण के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है। कुछ

मुख्य उपायों में शामिल हैं - नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना और पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार, एयर कार्गो कंप्लेक्स और कंटेनर फ्रेट टर्मिनल, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर को प्रोत्साहन, समेकित विनिर्माण संकुलों को प्रोत्साहन, बिजली की गुणवत्तापूर्ण/ विश्वसनीय आपूर्ति में वृद्धि, गैस पाइपलाइन नेटवर्क की स्थापना, संभावित अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम संकुलों में सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, औद्योगिक भूमि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निजी भागीदारी और निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन शामिल हैं।

राज्य में निवेश के पसंदीदा 10 क्षेत्र, जिनमें विनिर्माण और सेवा, दोनों क्षेत्र शामिल हैं, उचित ही दावा करते हैं कि राज्य सरकार समावेशी और चिरस्थायी औद्योगीकरण को बढ़ावा देने पर स्पष्ट बल दे रही है। प्राथमिकता वाले 10 क्षेत्र वे हैं जिनमें (1) रोजगार देने की सर्वाधिक संभावना है, (2) जमीनों स्तर पर युवा वर्ग के लिए क्षमता निर्माण और कौशल उन्नयन की गुंजाइश है, (3) निम्नतम कार्बन फुट-प्रिंट वाले हैं, और (4) बहुत कम भौतिक अधिसंरचना की जरूरत है। सामान्य सिद्धांत रूप में यह नीति पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी उद्योग की स्थापना को हतोत्साहित करती है।

सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समावेशी और चिरस्थायी औद्योगीकरण के विचार ने राज्य सरकार को प्रोत्साहन ढांचा तय करने के मामले में मार्गदर्शन किया है। यह बात अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों, नवीकरणीय ऊर्जा की इकाइयों, और अजा/ अजजा तथा महिला उद्यमियों के लिए पेश अतिरिक्त प्रोत्साहन से स्पष्ट है। पूरे देश में सबसे अधिक रोजगार पैदा करने वाले अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों को राज्य में बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने समग्र औद्योगिक नीति के हिस्से के रूप में प्राथमिकता आधारित खरीद की नीति भी लागू की है। नीचे की तालिका में इस नीति के तहत स्वीकृत क्षेत्रवार वित्तोय अनापत्ति के विवरण प्रस्तुत हैं।

तालिका 4.24 : बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत स्वीकृत क्षेत्रवार वित्तोय अनापत्ति

क्षेत्र	इकाइयों की सं.
खाद्य प्रसंस्करण	27
पर्यटन	2
विनिर्माण	8
प्लास्टिक और रबर	6
सूचना प्रौद्योगिकी	1
स्वास्थ्य देखरेख	4
सौर ऊर्जा	1
अन्य	23
योग	72

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति में 2017 में एक संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने तीन क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त/ वर्धित लाभों की घोषणा की है। ये क्षेत्र हैं - (क) सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवाएं ओर इलक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम), (ख) खाद्य प्रसंस्करण और (ग) बस्त्र, परिधान तथा चर्म।

राज्य में इन तीनों क्षेत्रों को उनके आर्थिक और रोजगार सृजन क्षमता के आधार पर उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के बतौर चिन्हित किया गया है। ये क्षेत्र जनशक्ति-प्रधान हैं और राज्य में विविधतापूर्ण कृषि सामग्रियों की विशाल उत्पादन क्षमता पर आधारित हैं। उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के बतौर श्रेणीकरण के लिए किसी औद्योगिक इकाई की पात्रता की शर्तें हैं - स्थिर परिसंपत्तियों और संयंत्र एवं मशीनों में (जमीन छोड़कर) निवेश 5.00 करोड़ रु. से अधिक हो और कम से कम 50 श्रमिकों का (डाइवर, गार्ड आदि सहयोगी स्टाफ को छोड़कर) रोजगार मिलता हो। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए रोजगार के मापदंड लागू नहीं हैं।

4.7 बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017

नवाचारों के पोषण और नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मार्च 2017 में बिहार स्टार्ट-अप नीति शुरू की है। नीति में नवांकुर उद्यमों (स्टार्ट-अप) के अनुकूल पारिस्थितिकी के जरिए स्थानीय युवा वर्ग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बिहार को नवांकुर उद्यमों के सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखा गया है। इस नीति की प्रमुख विशेषताओं में नवांकुर व्यवसाय के विभिन्न चरणों के साथ समयबद्ध वित्तपोषण और तकनीकी सहयोग संबंधी प्रोत्साहन शामिल हैं। ये चरण हैं प्रमाणन संबंधी चरण, व्यवसायीकरण संबंधी चरण और विस्तार संबंधी चरण। इस नीति के तहत संभावित अजा/अजजा/ महिला/ दिव्यांग उद्यमियों के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रावधान किया गया है। पहलकदमियों को वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने के लिए राज्य सरकार 500 करोड़ रु. का स्टार्ट-अप जोखिम पूंजी कोष बनाया है।

बिहार स्टार्ट-अप नीति को चार संभाव्य रूप ('युवा') पर आधारित बनाया गया है। इसमें वाइ जागरूकता, नेटवर्किंग और मेंटरिंग अभियान को शामिल करने वाले 'यस टू स्टार्ट-अप्स' (नवांकुर उद्यमों के लिए हाँ) के लिए, यू स्टार्ट-अप के सहयोग के लिए 'अनलीशिंग रेगुलेटरी एनेब्लर्स' (विनियामक सक्षमकर्ताओं को उन्मुक्ति) लिए, वी स्टार्ट-अप के प्रोत्साहन और सुगमीकरण के लिहाज से 'वाइब्रेंसी इन एडुकेशन सिस्टम' (शिक्षा व्यवस्था में उत्साह) के लिए और ए 'एक्सेस टू फाइनांसिंग एंड इनक्यूबेशन सपोर्ट' (वित्तीयन एवं पालन-पोषण संबंधी सहायता की उपलब्धता) के लिए आते हैं।

नवांकुर उद्यमों को पोषित करने वाली पारिस्थितिकी उपलब्ध कराने के लिए, जिसमें आवश्यक भौतिक अधिसंरचना शामिल हों, राज्य सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आइसीएआर), राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफट), केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) आदि अनेक राज्य आधारित प्रमुख संस्थानों को इनक्यूबेटरों की स्थापना के लिए पोषक संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है और इनक्यूबेटरों के लिए भी अनेक प्रोत्साहन सूत्रबद्ध किए हैं। व्यवसाय की सुगमता को आगे बढ़ाने के मुख्य कदम के रूप में नीति में नवांकुर उद्यमों को 5

वर्षों तक (मानव जीवन पर खतरा से संबंधित वैधानिक लाइसेंसों को छोड़कर) कार्यसंचालन के लिए विभिन्न लाइसेंसों, निबंधन और नियामक निरीक्षणों से छूट दी गई है।

नीति को अधिक समावेशी बनाने और युवावर्ग की पहुंच बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के बतौर 'स्टार्ट-अप बिहार' (www.startup.bihar.gov.in) नामक एक समर्पित पोर्टल शुरू किया गया है। इस पर प्रमाणन, नेटवर्किंग, प्रोत्साहन विमुक्ति, शिकायत निवारण और राज्य सरकार में नोडल अधिकारियों के साथ संपर्क-संवाद आदि के लिए एक ही जगह सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, प्रमंडल मुख्यालयों और बड़े शहरों में उद्यमिता विकास कोषांग और उद्यमिता सुगमीकरण केंद्र स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है जो नवांकुर उद्यमों को प्रारंभिक मैटरिंग, व्यवसाय योजना निर्माण संबंधी सहायता, कंपनी निबंधन, बाजार अनुसंधान और व्यवसाय को ढांचाबद्ध करने में सहयोग प्रदान करेंगे। नीचे की तालिका में उद्योग विभाग द्वारा चिह्नित और छांटे गए और राज्य सरकार द्वारा समर्थित इनक्यूबेटरों के साथ जुड़े स्टार्ट-अप की संख्या प्रस्तुत है।

तालिका 4.25 : इनक्यूबेटरों और उनसे जुड़े स्टार्ट-अप की संख्या

इनक्यूबेटर	स्टार्ट-अप की संख्या	इनक्यूबेटर	स्टार्ट-अप की संख्या
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान(IIT), पटना	54	टूल रूम एंड टनिंग सेंटर(TRTC), पटना	01
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), पटना	40	राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय(RAU), पूसा	09
बिहार उद्योग संघ(BIA)	242	उपेंद्र महारथी शिल्प अनुशीलन संस्थान (UMSAS)	21
बिहार उद्यमी संघ(BEA)	51	जे.डी. महिला कॉलेज, पटना	08
चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना	163	पटना वीमन्स कॉलेज	01
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निपट), पटना	26	मगध महिला कॉलेज	02
बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान(BIT), पटना	34	सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI), पटना	44
बिहार कृषि विश्वविद्यालय(BAU), सबौर	59	संजय गांधी दुग्ध प्रौद्योगिकी संस्थान (SGIDT)	04
विकास प्रबंधन संस्थान(DMI)	75	केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), हाजीपुर	02
केंद्रीय विश्वविद्यालय	20	योग	856

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

अभी तक 26 नवांकुर उद्यमों को राज्य सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया गया है, जिनमें से 23 सेवा क्षेत्र के हैं और 3 विनिर्माण क्षेत्र के। कुल सहायता राशि 65.71 लाख रु. थी।

4.8 व्यवसाय करने की सुगमता

व्यवसाय करने की सुगमता (ईओडीबी) किसी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और निवेशकों को व्यवसाय का बेहतर वातावरण सुनिश्चित करने में मददगार है। बिहार में व्यवसाय करने की सुगमता से जुड़े सुधारों का

क्रियान्वयन हमेशा ही राज्य सरकार की प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। राज्य सरकार बिहार में व्यवसाय करने की सुगमता का वातावरण सुधारने के लिए बहुत उत्सुक है ताकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान बढ़े। वर्ष 2016 में व्यवसाय करने की सुगमता में महत्वपूर्ण उछाल (16.41 प्रतिशत से 75.82 प्रतिशत) सूचकांक में सुधार लाने के बिहार सरकार के सतत प्रयासों और व्यवसाय करने के पसंदीदा स्थान के रूप में अपना स्थान मजबूत करने के प्रयत्न को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। राज्य में व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं और पूरे राज्य में व्यावसायिक इकाइयों के आसानी से प्रवेश और काम करने की वर्तमान प्रक्रिया के सरलीकरण और युक्तिकरण पर बल दिया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख पहलकदमियां नीचे वर्णित हैं।

सूचना की उपलब्धता : इसमें शामिल हैं - (क) राज्य सरकार के सभी प्रासंगिक विभागों द्वारा प्रकाशित सभी व्यवसायों और निवेशों से संबंधित अधिनियमों/ नियमावलियों/ नीतियों/ परिपत्रों/ सूचनाओं/ अधिसूचनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए उद्योग संवाद पोर्टल का आरंभ, और (ख) राज्य में कोई व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रक्रिया की जानकारी और आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों और वांछित शुल्कों की व्यापक सूची विभिन्न 'मार्गदर्शिकाओं' की ऑनलाइन उपलब्धता। इससे निवेशकों को विभिन्न आवेदनों को पेश करने में मदद मिलेगी।

श्रम संबंधी सुधार : इसमें शामिल हैं - (क) कारखाना अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों के तहत निबंधन और लाइसेंसों (नवीकरण सहित) के लिए ऑनलाइन आवेदन, (ख) निबंधन प्रमाणपत्र और लाइसेंस जारी करने के लिए स्पष्ट समयसीमा सहित आवेदन की टकिंग की सुविधा, निबंधन प्रमाण और अन्य लाइसेंस डाउनलोड करने की ऑनलाइन सुविधा सहित, (ग) विभिन्न श्रम कानूनों के लिए एकल, संयुक्त निरीक्षण और एकल वार्षिक रिटर्न, (घ) निबंधित और लाइसेंसशुदा इकाइयों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन सुविधा, (च) निरीक्षकों के स्वचालित आबंटन सहित निबंधित इकाइयों का ऑनलाइन, जोखिम आधारित, विभेदित अनुपालन निरीक्षण।

कर से संबंधित सुधार : इसमें (क) मूल्यवर्धित कर, केंद्रोय उत्पाद कर, पेशा कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, और विलासिता कर के तहत निबंधन के लिए ऑनलाइन आवेदन, (ख) प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए स्पष्ट समयसीमा सहित आवेदन की टकिंग की सुविधा, (ग) प्रमाणपत्रों और निरीक्षण प्रतिवेदनों को डाउनलोड करने की ऑनलाइन सुविधा, (घ) निबंधित और रद्द दूकानदारों के सत्यापन की ऑनलाइन सुविधा, और (च) 60 दिनों के अंदर दूकानदारों के खातों में मूल्यवर्धित कर का रिफंड शामिल हैं।

पर्यावरण से संबंधित सुधार : इसमें शामिल हैं - (क) जल एवं वायु अधिनियम के तहत स्थापना सहमति (सीटीई) तथा कार्यसंचालन सहमति (सीटीओ) के लिए ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली, (ख) स्थापना सहमति/ कार्यसंचालन सहमति जारी करने के लिए स्पष्ट समय सीमा और आवेदन टकिंग की सुविधा, (ग) प्रमाणपत्रों को डाउनलोड करने की ऑनलाइन सुविधा, (घ) कार्यसंचालन सहमति (सीटीओ) की वैधता 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना, और (च) अनुपालन निरीक्षण संबंधी जरूरतों में कमी (हरा - 5 वर्ष में एक बार, नारंगी - 3 वर्ष में एक बार और लाल - एक वर्ष में एक बार)।

राज्य सरकार इस अभियान को जारी रखने और राज्य में व्यवसायों के लिए मिशन मोड में सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए कृतसंकल्प है। राज्य सरकार ने आगामी वर्षों में राज्य को व्यवसाय की समग्र सुगमता के मामले में शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है।

4.9 खनन एवं प्रस्तर खनन

भूविज्ञान की दृष्टि से बिहार गंगा के मैदान में अवस्थित है जिसमें फसलों की उपज के लिए अनुकूल जलोढ़ मिट्टी की बहुलता है और इसो कारण राज्य में खनन संबंधी गतिविधियां बहुत सीमित हैं। कैमूर और रोहतास जिला में कुछ-कुछ पहाड़ियां हैं जहां बड़े पैमाने पर पत्थर तोड़ने का काम होता है और खनन विभाग को वहां से प्रमुख आमदनी होती है। जैसा कि अध्याय 1 में उल्लेख किया गया है, खनन क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन 2016-17 में वर्तमान मूल्य पर मात्र 2,551 करोड़ रु. था जो राज्य के कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.6 प्रतिशत है। हालांकि राज्य में कुछ गौण खनिजों की उपस्थिति के कारण राज्य सरकार को इस क्षेत्र से कुछ राजस्व वसूलने में मदद मिलती है जिसे तालिका 4.23 में दर्शाया गया है। वर्ष 2016-17 में राजस्व की रकम 994.10 करोड़ रु. थी जो एक वर्ष पहले के राजस्व 971.0 करोड़ रु. से 2.36 प्रतिशत अधिक है।

तालिका 4.26 : बिहार में खनिजों से प्राप्त राजस्व

(लाख रु.)

स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17
1. मुख्य खनिज	107.3	99.1	57.5
2. गौण खनिज			
(i) इंट	2659.1	4295.6	3639.9
(ii) बालू	50542.1	42806.3	45765.2
(iii) स्टोन क्रशर	7516.9	11097.9	11140.6
(iv) मोरम	0.5	56.4	0.0
(v) मिट्टी	270.3	271.4	833.4
(vi) निर्माण विभाग	24074.5	36413.5	35999.8
(vii) ट्रॉजिट पास	42.4	40.7	25.2
(viii) अन्य	278.7	626.2	1564.9
3. बकाया	443.3	1392.9	383.7
योग	85935.0	97100.0	99410.2

स्रोत : खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार

4.10 पर्यटन

बिहार ऐतिहासिक विरासतों के मामले में समृद्ध है जिनमें राजगिर, नालंदा, वैशाली, सासाराम और गया प्रमुख हैं। पर्यटन के समग्र विकास और संवृद्धि के लिए पर्यटन विभाग 5-वर्षीय पर्यटन रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया में है। इससे आने वाले वर्षों में पर्यटन की संभावना कई गुनी हो जाएगी। अभी बिहार के अनेक ऐतिहासिक,

पुरातात्त्विक और धार्मिक स्थल देशी-विदेशी पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। पर्यटन विभाग ने राज्य में इन 8 पर्यटन परिपथों की पहचान की है - बौद्ध परिपथ, जैन परिपथ, रामायण परिपथ, शिव-शक्ति परिपथ, सूफी परिपथ, सिख परिपथ, गांधी परिपथ और प्रकृति/ बन्यजीव परिपथ। राज्य की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत पर्यटन को भी प्राथमिकता वाले 10 में से एक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। पिछले पांच वर्षों में पर्यटन विभाग का व्यय का विवरण तालिका 4.27 में प्रस्तुत है।

तालिका 4.27 : पर्यटन विभाग का व्यय विवरण

वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	व्यय बजट के प्रतिशत में
2011-12	34.45	34.85	101.2
2012-13	41.81	103.69	248.0
2013-14	105.85	67.37	63.6
2014-15	152.41	84.00	55.1
2015-16	57.01	61.57	108.0
2016-17	67.02	143.05	213.4

स्रोत : बजट दस्तावेज, बिहार सरकार

तालिका 4.28 : बिहार में पर्यटकों का आगमन

वर्ष	पर्यटकों की संख्या (हजार में)		
	देशी	विदेशी	योग
2011	18396	972	19368
2012	21446	1097	22543
2013	21588	765	22353
2014	22544	829	23373
2015	28029	923	28952
2016	28516	1011	29527
2017	32414	1083	33497
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	9.5	1.3	9.1

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार सभी पर्यटकों को आवश्यक जानकारियां, बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के सारे प्रयास कर रही है। तालिका 4.28 में पिछले पांच वर्षों के दौरान बिहार आने वाले देशी और विदेशी, दोनों प्रकार के पर्यटकों की संख्या के आंकड़े प्रस्तुत हैं। वर्ष 2017 में 334.97 लाख पर्यटक बिहार आए थे जिनमें से 10.83 लाख (3 प्रतिशत) विदेशी पर्यटक थे। हालांकि बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या इन वर्षों के दौरान लगभग समान रही है, लेकिन देशी पर्यटकों के मामले में रुझान बहुत सकारात्मक है।

अध्याय 5

अधिसंरचना

अधिसंरचना का विकास औद्योगिक विकास के लिए ही नहीं, कृषि क्षेत्र सहित समग्र अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी जरूरत होती है। नहीं समझने लायक कारणों से बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के लिए इसकी अधिसंरचना संबंधी कमियों को अक्सर जवाबदेह माना जाता है। आजादी के पहले और उसके बाद, दोनों दौर में यह ऐतिहासिक परिघटना रही है। बिहार भी इससे पीड़ित रहा है क्योंकि आजादी के बाद अधिसंरचना में निवेश का अच्छा-खासा हिस्सा झारखंड में किया गया था जो अब अलग राज्य बन गया है। हाल के वर्षों में बिहार में भौतिक अधिसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक पहलकदमियां ली हैं जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर में व्यक्त होती है। परिवहन क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था में समग्र अधिसंरचना का महत्वपूर्ण घटक होता है। इस क्षेत्र के विकास के कारण राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन क्षेत्र का योगदान 2011-12 के 4.65 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 6.41 प्रतिशत हो गया। अधिसंरचना के एक अन्य घटक संचार के क्षेत्र में भी ऐसा ही रुझान दिखता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में संचार क्षेत्र का योगदान 2011-12 के 2.21 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 3.20 प्रतिशत हो गया। पिछले पांच वर्षों के दौरान इन दोनों क्षेत्रों में दो अंकों में विकास दर दर्ज हुई है (तालिका 5.1)।

तालिका 5.1 : 2011-12 के मूल्य पर सकल मूल्यवर्धन में परिवहन और संचार क्षेत्रों का योगदान

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (अनर्तिम)	2016-17 (त्वरित)	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-16)
परिवहन	4.65	5.32	5.90	6.25	6.41	6.41	13.0
रेलवे	1.14	1.33	1.52	1.52	1.45	1.35	10.9
पथ परिवहन	3.48	3.96	4.36	4.71	4.91	5.00	13.7
जल परिवहन	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	-25.4
वायु परिवहन	0.01	0.02	0.01	0.02	0.04	0.05	34.2
संचार	2.21	2.33	2.61	2.89	3.18	3.20	14.6

स्रोत : केंद्रीय सार्थियकी संगठन, भारत सरकार

5.1 सङ्क

सङ्क नेटवर्क व्यापार, परिवहन, सामाजिक एकीकरण और आर्थिक विकास को सुगम बनाने के लिए नस-नाड़ी का काम करता है। इसका उपयोग लोगों और सामानों, दोनों के सुगम आवागमन के लिए किया जाता है। सहज उपलब्धता, संचालन के मामले में लचीलापन, घर-घर तक सेवा और आखिरी छोर तक संपर्क उपलब्ध कराने तथा विश्वसनीयता के कारण पथ परिवहन को परिवहन के अन्य माध्यमों से बरतारी हासिल है। पथ परिवहन सामानों और यात्रियों का आवागमन सुगम बनाने के अलावा राज्य के सभी क्षेत्रों में न्यायोचित सामाजिक-आर्थिक

विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही, पथ परिवहन सार्वजनिक सेवाओं की सर्वव्यापी उपलब्धता में भी सहयोग करता है और व्यापार तथा पिछड़े क्षेत्रों को निवेश के लिहाज से खोलकर उनके विकास को बढ़ावा देता है।

पिछले दशक में बिहार में सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक निवेश लगभग तीन गुना बढ़ा है। राज्य सरकार राज्य में व्यापक सड़क नेटवर्क तैयार करने के लिए कृतसंकल्प है। उसने इस अवधि में अपने बजट की 5 से 8 प्रतिशत रकम सड़कों और पुलों पर खर्च की है। सड़क क्षेत्र पर निवेश 2007-08 के 2,696 करोड़ रु. से बढ़कर 2017-18 में 7,522 करोड़ रु. हो गया है जो 11 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। वर्ष 2017-18 में सड़कों पर व्यय का राज्य सरकार के आर्थिक सेवाओं पर व्यय में 14.7 प्रतिशत, विकासमूलक व्यय में 6.6 प्रतिशत और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 1.5 प्रतिशत हिस्सा था।

तालिका 5.2 : बिहार में सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक निवेश

(करोड़ रु. में)

	2007-08	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2014-18)
सड़कों और पुलों पर कुल व्यय	2696	4842	4114	5458	5168	6112	7696	7522	11.0
सड़कों और पुलों पर राजस्व व्यय	404	786	823	1375	991	1709	2045	2016	16.1
सड़कों और पुलों पर पूँजीगत व्यय	2292	4056	3291	4083	4177	4403	5651	5506	9.4
आर्थिक सेवाओं पर व्यय	9520	17475	20246	24871	29173	37305	51996	51332	22.5
विकासमूलक व्यय	20410	37619	45402	54456	64308	79605	112681	113190	22.4
कुल बजट	31571	60182	69207	80405	94698	112328	154327	160086	20.5
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	113680	247144	282368	317101	342951	381501	438030	488861	11.7

सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक निवेश निम्नलिखित के प्रतिशत के बातौर

आर्थिक सेवाएं	28.3	27.7	20.3	21.9	17.7	16.4	14.8	14.7	-
विकासमूलक व्यय	13.2	12.9	9.1	10.0	8.0	7.7	6.8	6.6	-
कुल बजट	8.5	8.0	5.9	6.8	5.5	5.4	5.0	4.7	-
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.4	2.0	1.5	1.7	1.5	1.6	1.8	1.5	-

स्रोत : राज्य के बजट दस्तावेज, बिहार सरकार

उल्लेखनीय है कि सड़कों पर बढ़े निवेश के कारण बिहार में प्रति 100 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्रफल पर सड़क नेटवर्क का घनत्व 218.8 किमी है जो केरल (501.5 किमी) और पश्चिम बंगाल (333.5 किमी) के बाद सबसे अधिक है और 139.1 किमी के राष्ट्रीय औसत से तो काफी अधिक है। बिहार में प्रति 100 वर्ग किमी

क्षेत्रफल पर राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई 5.0 किमी है जो देश में हरियाणा (5.2 किमी) के बाद सबसे अधिक है। हालांकि राज्य उच्चपथों का घनत्व (4.7 किमी) के मामले में बिहार अन्य विकसित राज्यों से काफी पीछे है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए ग्रामीण सड़कों में निवेश किया है और देखा जा सकता है कि अन्य पथों के नेटवर्क के घनत्व में सुधार हुआ है।

तालिका 5.3 : भारत के प्रमुख राज्यों का सड़क नेटवर्क और पथ घनत्व (मार्च 2015 में)

राज्य	सड़क नेटवर्क (किमी)				पथ घनत्व (किमी प्रति 100 वर्ग किमी)			
	राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	अन्य पथ	योग	राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	अन्य पथ	योग
आंध्र प्रदेश	4670	6485	167867	179022	1.7	2.4	61.0	65.1
बिहार	4701	4426	196883	206010	5.0	4.7	209.1	218.8
छत्तीसगढ़	3079	4374	90081	97534	2.3	3.2	66.6	72.1
गुजरात	4971	18017	159299	182287	2.5	9.2	81.2	92.9
हरियाणा	2307	2128	41852	46287	5.2	4.8	94.7	104.7
झारखण्ड	2632	1358	38715	42705	3.3	1.7	48.6	53.6
कर्नाटक	6432	19721	295655	321808	3.4	10.3	154.2	167.8
केरल	1811	4341	188702	194854	4.7	11.2	485.7	501.5
मध्य प्रदेश	5184	10934	272813	288931	1.7	3.5	88.5	93.7
महाराष्ट्र	7048	40144	560948	608140	2.3	13.0	182.3	197.6
ओडिशा	4645	4109	274938	283692	3.0	2.6	176.6	182.2
पंजाब	2239	1133	101996	105368	4.4	2.2	202.5	209.2
राजस्थान	7886	10941	229329	248156	2.3	3.2	67.0	72.5
तमिलनाडु	5006	11752	244342	261100	3.8	9.0	187.9	200.8
उत्तर प्रदेश	8483	7543	399357	415383	3.5	3.1	165.8	172.4
पश्चिम बंगाल	2910	3697	289390	295997	3.3	4.2	326.1	333.5
संपूर्ण भारत	97991	167109	4307044	4572144	3.0	5.1	131.0	139.1

स्रोत : भारत की बुनियादी पथ संरचिका, 2015-16, भारत सरकार

राज्य के सड़क नेटवर्क में राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ, मुख्य जिला पथ, अन्य लोक निर्माण विभाग (OPWD) पथ, ग्रामीण पथ, शहरी पथ और परियोजना पथ शामिल हैं। तालिका 5.4 में बिहार में 2005, 2010 और 2015 में विभिन्न श्रेणी की सड़कों की लंबाई के मामले में प्रगति दर्शाई गई है। राष्ट्रीय उच्चपथों की कुल लंबाई 2005 के 3,537 किमी से काफी बढ़कर 2015 में 4,701 किमी हो गई। राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई में 2010 और 2015 के बीच 1,059 किमी की वृद्धि हुई जो 2005 से 2010 के बीच हुई मात्र 105 किमी वृद्धि से काफी अधिक है। बिहार के कुल सड़क नेटवर्क में लोक निर्माण विभाग के अन्य पथों और ग्रामीण पथों का संयुक्त हिस्सा लगभग 90 प्रतिशत है। वर्ष 2005 से 2015 के बीच लोक निर्माण विभाग के अन्य पथों और ग्रामीण पथों की लंबाई कुल 1.01 लाख किमी से बढ़कर 1.86 लाख किमी हो गई।

तालिका 5.4 : बिहार में सड़कों की लंबाई

(आंकड़ किमी में)

सड़क का प्रकार	2005		2010		2015	
	कुल	पक्की	कुल	पक्की	कुल	पक्की
राष्ट्रीय उच्चपथ	3537 (2.9)	3537 (6.1)	3642 (2.8)	3642 (6.7)	4701 (2.3)	4701 (4.3)
राज्य उच्चपथ	3767 (3.1)	3767 (6.5)	3989 (3.1)	3989 (7.3)	4426 (2.1)	4426 (4.1)
अन्य लोक निर्माण विभाग पथ	74672 (62.2)	37673 (65.0)	8966 (7.0)	8966 (16.4)	10128 (4.9)	10128 (9.4)
ग्रामीण पथ	25864 (21.6)	7843 (13.5)	98704 (77.1)	32692 (59.9)	175373 (85.1)	84794 (78.3)
शहरी पथ	9790 (8.2)	4428 (7.6)	9883 (7.7)	4514 (8.3)	8823 (4.3)	3699 (3.4)
परियोजना पथ	2328 (1.9)	719 (1.2)	2850 (2.2)	798 (1.5)	2559 (1.2)	508 (0.5)
योग	119958 (100)	57967 (100)	128034 (100)	54601 (100)	206010 (100)	108256 (100)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योगफल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : भारत की बुनियादी पथ सांख्यिकी के विभिन्न अंक

बिहार में पिछले 7 वर्षों के दौरान सड़क नेटवर्क की जिलावार प्रगति सांख्यिकीय परिशिष्ट में प्रस्तुत है। आंकड़ों में राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ, मुख्य जिला पथ और ग्रामीण पथ - चार प्रकार की सड़कों में जिलों के बीच आए अंतर पर प्रकाश डाला गया है। सड़कों (राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ और मुख्य जिला पथ) की कुल लंबाई के मामले में 5.8 प्रतिशत हिस्से के साथ सबसे अग्रणी जिला पटना है और उसके बाद गया (4.9 प्रतिशत), सुपौल (4.3 प्रतिशत), नालंदा (4.1 प्रतिशत) और मुजफ्फरपुर (4.0 प्रतिशत) हैं। वहीं सड़क नेटवर्क के लिहाज से सबसे कमजोर क्षेत्र शिवहर (0.7 प्रतिशत), मुंगेर (0.8 प्रतिशत), शेखपुरा (1.0 प्रतिशत) और लखीसराय (1.0 प्रतिशत) हैं। वर्ष 2010 से 2017 के बीच राष्ट्रीय उच्चपथ में 1,183 किमी वृद्धि हुई है जिसमें सर्वाधिक 83 किमी वृद्धि सुपौल में हुई है। इस अवधि में राज्य उच्चपथ 219 किमी बढ़ा जिसकी सर्वाधिक 118 किमी वृद्धि दरभंगा में हुई। इसी प्रकार, मुख्य जिला पथों की लंबाई 2,180 किमी बढ़ी जिसकी सर्वाधिक 372 किमी वृद्धि गया में हुई।

तालिका 5.5 : बिहार में सड़क नेटवर्क की स्थिति (सितंबर 2017 तक)

सड़कों की श्रेणी	राष्ट्रीय उच्चपथ		राज्य उच्चपथ		मुख्य जिला पथ	
	लंबाई (कि.मी.)	प्रतिशत हिस्सा	लंबाई (कि.मी.)	प्रतिशत हिस्सा	लंबाई (कि.मी.)	प्रतिशत हिस्सा
एक लेन (3.75 मी. चौड़ी)	689.0	14.0	775.3	19.4	6023.4	54.0
मध्यवर्ती लेन (5.50 मी. चौड़ी)	689.8	14.0	573.0	14.3	3413.2	30.6
दो लेन (7.0 मी. चौड़ी)	2090.9	42.5	2633.6	65.8	1542.7	13.8
द्व्याधिक लेन (7.0 मी. से अधिक चौड़ी)	1414.0	28.8	23.6	0.6	165.9	1.5
जानकारी नहीं (मिसिंग लिंक)	33.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
योग	4917.2	100.0	4005.6	100.0	11145.3	100.0

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

सड़क नेटवर्क को चौड़ाई के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। चौड़ाई के अनुसार चार प्रकार की सड़कें हैं - एक लेन (3.75 मीटर), मध्यवर्ती लेन (5.50 मीटर), दो-लेन (7.00 मीटर) और द्वियाधिक-लेन (7.00 मीटर से अधिक)। अधिकांश राष्ट्रीय उच्चपथ (71.3 प्रतिशत) और राज्य उच्चपथ (66.4 प्रतिशत) दो या अधिक लेन वाले हैं। लेकिन मुख्य जिला पथों की बात करें, तो 54.0 प्रतिशत मुख्य जिला पथ एक लेन वाले और 30.6 प्रतिशत मध्यवर्ती लेन वाले थे (तालिका 5.5)। इस पर गैर करना उत्साहवर्धक है कि दो और दो से अधिक लेन वाली सड़कों का हिस्सा बिहार में विगत वर्षों में बढ़ता गया है।

राष्ट्रीय उच्चपथ

राष्ट्रीय उच्चपथ विभिन्न राज्यों के बीच वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ये पूरे देश में आड़े-तिरछे फैले हुए हैं जो देश और राज्य की राजधानियों, मुख्य बंदरगाहों और रेलवे जंक्शनों तथा सीमावर्ती सड़कों और विदेशी उच्चपथों को आपस में जोड़ते हैं। ये सारे राष्ट्रीय उच्चपथ पूरे देश में व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा देते हैं। सितंबर 2017 तक राज्य में कुल 41 राष्ट्रीय उच्चपथ थे जिनकी कुल लंबाई 4,917 किमी थी। वर्ष 2014 में उनकी संख्या 35 और कुल लंबाई 4,321 किमी हो थी। इन तीन वर्षों के दौरान इनमें 6 और उच्चपथों के जुड़ जाने से उनकी कुल लंबाई 4,917 किमी हो गई। राष्ट्रीय उच्चपथों की कुल लंबाई में लगभग 71.3 प्रतिशत हिस्सा दो या द्वियाधिक लेन वाली सड़कों का और 28.0 प्रतिशत हिस्सा एक और मध्यवर्ती लेन वाली सड़कों का है। लगभग 33.5 किमी (0.7 प्रतिशत) सड़कों के बारे में कोई सूचना नहीं थी (तालिका 5.5)।

राष्ट्रीय उच्चपथों का निर्माण और रखरखाव की पूरी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। तालिका 5.6 में राष्ट्रीय उच्चपथ के विकास और रखरखाव पर 2010-11 से 2015-16 के बीच बिहार और संपूर्ण भारत में व्यय दर्शाया गया है। बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों के विकास पर व्यय 2010-11 में 199 करोड़ रु. था जो पूरे देश में व्यय का मात्र 1.2 प्रतिशत था। यह बढ़कर 2015-16 में 708 करोड़ रु. हो गया और संपूर्ण भारत में व्यय में इसका हिस्सा भी बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, राष्ट्रीय उच्चपथ के रखरखाव पर व्यय का हिस्सा भी बढ़कर 2010-11 के 2.5 प्रतिशत से 2015-16 में 4.2 प्रतिशत हो गया। लेकिन उनके विकास और रखरखाव को मिलाकर किए गए कुल व्यय में राज्य का हिस्सा मात्र 1.9 प्रतिशत है जबकि देश की जनसंख्या में राज्य का हिस्सा 8.6 प्रतिशत है। लंबाई की बात करें, तो कुल राष्ट्रीय उच्चपथों में बिहार का हिस्सा कम ही नहीं है, घटा भी है और 2010-11 के 5.1 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 4.9 प्रतिशत रह गया है।

तालिका 5.6 : राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई और उनके विकास तथा रखरखाव पर हुआ व्यय

(करोड़ रु.)

	राष्ट्रीय उच्चपथ (किमी में)		राष्ट्रीय उच्चपथ विकास पर व्यय		राष्ट्रीय उच्चपथ के रखरखाव पर व्यय		राष्ट्रीय उच्चपथ पर कुल व्यय	
	2010-11	2015-16	2010-11	2015-16	2010-11	2015-16	2010-11	2015-16
बिहार	3642	4913	199	708	37	107	236	815
भारत	70934	101009	16869	40317	1488	2525	18357	42842
भारत में बिहार का हिस्सा	5.1	4.9	1.2	1.8	2.5	4.2	1.3	1.9

स्रोत : पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

केंद्र सरकार के पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय ने बिहार में तीन राज्य उच्चपथों को राष्ट्रीय उच्चपथों में बदलने की अधिसूचना जारी की है -4.5 किमी लंबा राष्ट्रीय उच्चपथ 727 क (सीवान में गुठनी मोड़ से मैरवां में रामपुर बुजुर्ग तक), 147 किमी लंबा राष्ट्रीय उच्चपथ 227 क (सीवान के मेहरौना से मोतिहारी के चकिया में राष्ट्रीय उच्चपथ-27 के पास तक) और 145 किमी लंबा राष्ट्रीय उच्चपथ 120 (राष्ट्रीय उच्चपथ-22 गया से डुमरांव में राष्ट्रीय उच्चपथ-922 तक)। राज्य उच्चपथ को राष्ट्रीय उच्चपथ में बदलने के अलावा भी केंद्र सरकार की बिहार में कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं (तालिका 5.7)। इनमें से कुछ योजनाएं विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त हैं और कुछ अन्य वाम अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में पथ विकास को प्रोत्साहित करने की योजनाओं के अंतर्गत हैं।

तालिका 5.7 : राष्ट्रीय उच्चपथों के चौड़ीकरण की स्थिति

परियोजना	लंबाई (किमी)	अभ्युक्ति
राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना (चार/ छ: लेन)		
स्वर्ण चतुर्भुज - 1	206	206 किमी निर्माण पूरा
पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर - 2	487	473 किमी निर्माण पूरा
राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना - 3	1015	452 किमी निर्माण पूरा
राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना - 4	527	116 किमी निर्माण पूरा
राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना उत्तर प्रदेश/ झारखण्ड सीमा पर - 5	206	51 किमी निर्माण पूरा
राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना - 6	65	-
राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना - 7 (पटना रिंग रोड)	-	-
योग	2506	-
राष्ट्रीय परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय के बजट परिव्यय के तहत (दो लेन)	453	2055 करोड़ रु.
विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त योजना के तहत	512	Rs. 3207 करोड़ रु.
वाम अतिवाद पथ विकास योजना (दो लेन)	32	काम पूरा (पुल का काम प्रगति पर)
सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत (चार लेन)	190	5840.5 करोड़ रु.

स्रोत : क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य उच्चपथ

राज्य उच्चपथ राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए बने महत्वपूर्ण पथ होते हैं। राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण नगरों-महानगरों से गुजरने वाले ये उच्चपथ पूरे राज्य में आड़े-तिरछे फैले होते हैं और उन्हें नजदीकी राष्ट्रीय उच्चपथों और राज्य उच्चपथों से जोड़ते हैं। सितंबर 2017 तक बिहार में राज्य उच्चपथों की कुल लंबाई 4,006 किमी थी। लगभग 65.8 प्रतिशत राज्य उच्चपथ दो लेन वाले, 14.3 प्रतिशत

मध्यवर्ती लेन वाले और 19.4 प्रतिशत एक लेन वाले थे। राज्य उच्चपथों की कुल लंबाई में दो से अधिक लेन वाली सड़कों का हिस्सा मात्र 0.6 प्रतिशत था (तालिका 5.5)।

गंगा नदी पर पटना के समीप दीघा और सोनपुर के बीच बने रेल-सह-सड़क पुल ने लोगों की जिंदगी के साथ-साथ परिवहन नेटवर्क को भी बदल दिया है। इससे स्थानीय लोगों के लिए प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आय के अवसर उपलब्ध हुए हैं और यात्रा का समय घटा है। साथ ही, इससे गांधी सेतु का भी बोझ घटा है। नए पुल का कुल व्यय 2,921 करोड़ रु. था। इसके निर्माण में 1,240 करोड़ रु. राज्यांश का भुगतान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत किया गया था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत समर्थित एक अन्य परियोजना पटना में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) (राष्ट्रीय उच्चपथ-98) से दीघाघाट के बीच 11.90 किमी लंबे उत्थित (एलिवेटेड)/अर्ध-उत्थित सड़क कार्रिडोर की है। कुल परियोजना व्यय 1,289.25 करोड़ रु. है। लगभग 80 प्रतिशत परियोजना पूरी हो चुकी है (तालिका 5.8)।

एशियाई विकास बैंक महत्वाकांक्षी बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना के तहत दो चरणों में राज्य में सड़क नेटवर्क के चौड़ीकरण में सहयोग कर रहा है। बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-1 के तहत 2,630 करोड़ रु. के व्यय से कुल 824 किमी लंबाई वाली 9 सड़कों को दो लेन वाली सड़कों में बदला गया है। बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 के तहत 2,547 करोड़ रु. के व्यय से कुल 388 किमी लंबाई (संशोधित लंबाई) में 5 राज्य उच्चपथों को दो लेन में उत्क्रमण का काम चल रहा है। उत्क्रमण के बाद ये सड़कें दो लेन वाली हो जाएंगी। उनका लगभग 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। इसमें एशियाई विकास बैंक के ऋण का हिस्सा 70.75 प्रतिशत और राज्यांश 29.25 प्रतिशत है। एशियाई विकास बैंक ने बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 के तहत 1,659 करोड़ रु. के व्यय से कुल 255 किमी लंबाई वाले चार और उच्चपथों को दो लेन में उत्क्रमित करने के लिए सहमति दी है। 60 प्रतिशत से अधिक काम पूरा भी किया जा चुका है। एशियाई विकास बैंक ने पटना के समीप राष्ट्रीय उच्चपथ-30 पर कच्ची दरगाह से वैशाली में राष्ट्रीय उच्चपथ-103 पर बिदुपुर के बीच 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड पुल के निर्माण के लिए भी सहयोग दिया है। परियोजना का कुल व्यय 4,988 करोड़ रु. है और परियोजना की कुल लंबाई 22.76 किमी है। एशियाई विकास बैंक ने इसके लिए 3,000 करोड़ रु. की सहायता दी है और शेष 1,988 करोड़ रु. का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जीआइसीए - जीका) 92.93 किमी लंबाई में राष्ट्रीय उच्चपथ-82 (गया-हिसुआ-राजगोर-नालंदा-बिहारशरीफ खंड) को चार लेन वाली सड़क में उत्क्रमित करने की पथ परियोजना में सहयोग कर रहा है। केंद्र सरकार इस परियोजना का क्रियान्वयन 1,409 करोड़ रु. के व्यय से कर रही है।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत कुल 1,602.74 करोड़ रु. के व्यय से गंगा नदी पर राष्ट्रीय उच्चपथ-31 के बिख्तियारपुर बाइपास और राष्ट्रीय उच्चपथ-28 स्थित ताजपुर को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड प्ल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 5.5 किमी लंबे पुल और 45.75 किमी लंबे संपर्क पथ का निर्माण शामिल है। अभी तक 50 प्रतिशत से अधिक काम पूरा किया जा चुका है।

राज्य सरकार गंगा नदी के सौंदर्योक्तरण और सफाई के लिए कृतसंकल्प है। अभी पटना में दीघा से दीदारगंज तक चार लेन वाले 21.5 किमी लंबे गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 7.6 किमी लंबाई में विभाजित मालवहन मार्ग सहित चार लेन वाले उत्थित पथ का निर्माण भी शामिल है। इसके 2019 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इस परियोजना का कुल व्यय 3,160 करोड़ रु. है जिसमें आवास एवं नगर विकास निगम (हुड़को) का 2,000 करोड़ रु. का ऋण भी शामिल है।

तालिका 5.8 : राज्य उच्चपथों के चौड़ीकरण कार्य का विवरण

अभिकरण-वार सड़क/ पुल	लंबाई (किमी)	अभ्युक्ति
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (गंगा पुल) दीघा और सोनपुर के बीच पुल तथा संपर्कपथ	गंगा नदी पर	पुल तैयार और संपर्कपथ का काम प्रगति पर (व्यय 2,921 करोड़ रु.)
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पटना एम्स से दीघाघाट)	11.9	80 प्रतिशत काम पूरा (व्यय 1,289.25 करोड़ रु.)
एशियाई विकास बैंक (बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-1) 9 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	824.2	काम पूरा (व्यय 2,629.86 करोड़ रु.)
एशियाई विकास बैंक (बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2) 5 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	387.5	काम प्रगति पर (व्यय 2,547.02 करोड़ रु.)
एशियाई विकास बैंक (बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 हेतु अतिरिक्त वित्तोयन) 4 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	254.5	काम प्रगति पर (व्यय 1,658.69 करोड़ रु.)
एशियाई विकास बैंक (6 लेन गंगा पुल और सड़क परियोजना) (राष्ट्रीय उच्चपथ-82 का 4 लेन की सड़क में बदलना)	9.8 किमी पुल 13.0 किमी सड़क	काम प्रगति पर (व्यय 4,988.40 करोड़ रु.)
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (गया-हिसुआ-राजगिर-नालंदा-बिहारशरीफ खंड का 4 लेन में उत्क्रमण)	92.9	व्यय 1,408 करोड़ रु.
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (राष्ट्रीय उच्चपथ-31 पर बखितारपुर से राष्ट्रीय उच्चपथ-28 पर ताजपुर के बीच गंगा पर ग्रीनफोल्ड पुल)	5.5 किमी पुल 40.2 किमी सड़क	40 प्रतिशत काम पूरा (व्यय 1,602.74 करोड़ रु.)
हुड़को (सड़क)	21.5 किमी गंगा पथ 7.6 किमी उत्थित पथ	काम प्रगति पर (व्यय 3,160.00 करोड़ रु.)

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

मुख्य जिला पथ

मुख्य जिला पथ मुख्यत: जिलों के अंदर आने-जाने के लिए और राज्य तथा राष्ट्रीय उच्चपथों को जोड़ने वाले पथ होते हैं। वे किसी जिले में आड़े-तिरछे फैले होते हैं जो उत्पादन और विपणन के क्षेत्रों को तथा राज्य उच्चपथों और राष्ट्रीय उच्चपथों को आपस में जोड़ते हैं। सितंबर 2017 में राज्य में मुख्य जिला पथों की कुल

लंबाई 11,145 किमी थी जिसमें अधिकांश (54 प्रतिशत) एक लेन वाले थे। हालांकि राज्य में वर्तमान परिवहन घनत्व के लिए यह चौड़ाई नितांत अपर्याप्त है। कुल मुख्य जिला पथों में से 4,956 किमी को मध्यवर्ती या दो लेन चौड़ाई वाली सड़कों में तथा 166 किमी को दो से अधिक लेन वाली सड़कों में बदल दिया गया है (तालिका 5.5)। मुख्य जिला पथों के विभिन्न कार्यों का वित्तपोषण राज्य योजना, नाबार्ड के ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ), केंद्रीय सड़क कोष, वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ संपर्क परियोजना कोष, भारत-नेपाल सीमा पथ विकास कार्यक्रम, आर्थिक महत्ववान पथ, अंतर्राष्ट्रीय महत्ववान पथ और वित्त आयोग के अनुदानों के जरिए किया जा रहा है।

राज्य योजना की योजनाएं

राज्य सरकार ने पथ परिसंपत्ति अनुरक्षण संविदा प्रणाली की नीति अपनाई है जो प्रदर्शन आधारित होगी और पांच वर्ष की लंबी अवधि के लिए होगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिहाज से निर्माण कार्य के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) का और निर्माण-सह-रखरखाव के लिए निर्माण-सह-अनुरक्षण बोली दस्तावेज (सीएमबीडी) का क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य योजना के तहत 4,006 किमी राज्य उच्चपथों और 11,145 किमी मुख्य जिला पथों का रखरखाव और आच्छादन होता है। वर्ष 2016-17 में कुल 3,124.44 किमी मुख्य जिला पथों और 640 किमी राज्य उच्चपथों का उत्क्रमण और सुदृढ़ीकरण कार्य पूरा किया गया। वर्ष 2017-18 में मुख्य जिला पथ क्षेत्र के तहत 1,150 करोड़ रु. और राज्य योजना के अनुसूचित जाति घटक के तहत 913 करोड़ रु. का आबंटन किया गया। योजनाएं चलाने के अलावा, 2017-18 में (सिंतबर 2017 तक) 994.30 किमी मुख्य जिला पथों और राज्य उच्चपथों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य योजना के तहत 2,069.58 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत 2017-18 में (सिंतबर 2017 तक) 369.19 किमी मुख्य जिला पथों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए भी 850.6 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड ने ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव में सहयोग दिया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के 7वें से 12वें टंच के अंतर्गत की सारी परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के 14वें से 21वें टंच तक 9,233.38 करोड़ रु. के कुल व्यय वाली कुल 287 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। नाबार्ड द्वारा इसमें से 5,206 करोड़ रु. ऋण के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के 22वें टंच के तहत 2016-17 में कुल 540.85 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए तथा 23वें ट्रॅच के तहत 2017-18 में कुल 683.75 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना

राज्य के 5 अतिवाद प्रभावित जिलों - अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई और जहानाबाद में पथ आवश्यकता योजना-1 के तहत कुल 616.3 करोड़ रु. के व्यय से कुल 674.3 किमी सड़कों का निर्माण या उत्क्रमण करने के लिए कुल 41 पथ परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके तहत 71.8 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ, 68.1 किमी राज्य उच्चपथ और 534.4 किमी मुख्य जिला पथ शामिल हैं। सिंतबर 2017 तक 40 योजनाओं का काम पूरा हो गया है जिनमें 545.44 करोड़ रु. के व्यय कुल से 659.5 किमी सड़कों का काम पूरा हुआ है - 65.8 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ, 62.7 किमी राज्य उच्चपथ और 531.0 किमी मुख्य जिला पथ। शेष एक परियोजना निर्माणाधीन है और उसका 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। पथ आवश्यकता योजना-1 के अलावा पथ आवश्यकता योजना

के द्वितीय चरण (आरआरपी-2) के तहत, 6 जिलों (औरंगाबाद, गया, जमुई, नवादा, बांका और मुजफ्फरपुर) में 60 पथ परियोजनाओं के प्रस्ताव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत हुए हैं। 863 किमी कुल लंबाई वाली 49 सड़कों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को केंद्र सरकार की अंतर-मंत्रालय शक्तिप्राप्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और शेष के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं।

केंद्रीय सड़क कोष

केंद्रीय सड़क कोष नियमावली, 2014 के अनुसार, आर्थिक महत्व की सड़कों और अंतर-राज्य सहयोग की सड़कों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया क्रियान्वित को गई है। इस कोष के तहत 70 प्रतिशत धनराशि राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुरूप आर्बंटि की जाती है और शेष 30 प्रतिशत राशि राज्य में इंधन की कुल खपत के आधार पर। 85 परियोजनाओं में से 78 पूरी हो चुकी हैं और शेष 7 परियोजनाएं पूरा होने के विभिन्न चरणों में हैं। सितंबर 2017 तक कुल 734.15 करोड़ रु. विमुक्त किए गए जिसमें से 670.68 करोड़ रु. का उपयोग हो चुका है। वर्ष 2017-18 में 197.0 करोड़ रु. का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

भारत-नेपाल सीमा पथ परियोजना

चूंकि बिहार की नेपाल के साथ सीमा लगती है इसलिए स्थानीय लोगों के समुचित आवागमन और सीमा सुरक्षा बल द्वारा खुली सीमा पर पेट्रॉलिंग के लिए सीमा क्षेत्र में दो लेन वाले राज्य उच्चपथों का निर्माण किया जा रहा है। 552.3 किमी लंबाई में दो लेन की सड़कों वाली इस परियोजना का कुल व्यय 4,918.4 करोड़ रु. है। इसमें राज्य सरकार 3,262.4 करोड़ रु. (कुल व्यय का 66.33 प्रतिशत) योगदान कर रही है और शेष 1,656.0 करोड़ रु. (33.67 प्रतिशत) केंद्र सरकार को वहन करना है। चूंकि ये प्रस्तावित सड़कें व्यापक कृषि क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं इसलिए सड़कों से रोजगार और उत्पादों के विपणन के लिहाज से नजदीकी शहरी केंद्रों के साथ उनके संपर्क में सुधार होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। यह सड़क उत्तर प्रदेश की सीमा (गिररहिया-मदनपुर) से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के गलगलिया में समाप्त होती है। बीच में यह नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर बिहार के 7 जिलों से गुजरती है - पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज।

ग्रामीण पथ

ग्रामीण पथ सहायक सड़कों और एक गांव से दूसरे गांव तक आने-जाने के लिए बनी सड़कों का काम करती हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं और गांवों को एक-दूसरे से और उच्चतर श्रेणी वाले जिला पथ, राज्य उच्चपथ और राष्ट्रीय उच्चपथ जैसी सड़कों से जोड़ते हैं। कृषि और सहवर्ती गतिविधियों में उत्पादकता में सुधार के लिए ग्रामीण पथ अधिसंरचना के विकास का बहुत अधिक महत्व है। ये सड़कें कृषि-भिन्न क्षेत्र के लोगों को कुशल मूल्य धूखला प्रबंधन के जरिए बाजार से संपर्क कराने और ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी मदद देती हैं। अतः ग्रामीण अधिसंरचना का निर्माण सार्वजनिक निवेश ही नहीं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक-निजी साझेदारी के जरिए भी करना जरूरी है। इस मामले में राज्य सरकार का रुख सकारात्मक है। राज्य सरकार ने हर संपर्क विहीन गांव-टोले को जोड़ने के लिए 'घर तक पक्की गली-नालिया' को राज्य सरकार के सात निश्चयों में शामिल किया गया है। बिहार में दिसंबर 2005 से सितंबर 2017 तक 34,169 करोड़ रु. के व्यय से 358 पुलों सहित कुल 68,948 किमी ग्रामीण पथों का निर्माण किया गया है। राज्य में ग्रामीण पथों के लिए 66.5 प्रतिशत वित्तपोषण अकेले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा किया गया है (तालिका 5.9)।

तालिका 5.9 : निर्मित ग्रामीण पथों की कार्यक्रम-वार लंबाई (सितंबर 2017 तक)

योजना का नाम	पथ निर्माण (किमी)	पुल निर्माण (सं.)	व्यय (करोड़ रु.)
ग्रामोण टोला संपर्क सात निश्चय योजना (GTSNY)	8	-	6
ग्रामोण अधिसंरचना विकास कोष योजना (नाबांड)	2739	201	2576
विश्व बैंक (कोशी)	256	-	228
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	45865	118	21019
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	6837	-	4665
राज्य योजना की अन्य योजनाएं (बंद)	13242	39	5674
योग	68948	358	34169

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्व में केंद्र सरकार की योजना थी। हालांकि 2015-16 से केंद्रांश को 100 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। योजना के तहत 'समेकित कार्ययोजना' जिलों के नाम से ज्ञात 11 वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों में 250 या अधिक आबादी वाले और शेष 27 जिलों में 500 या अधिक आबादी वाले गांव-टोलों को बारहमासी ग्रामीण पथ संपर्क उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 21,019 करोड़ रु. के व्यय से 45,865 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया है। बहरहाल, इस योजना में वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों में 250 तथा शेष में 500 से कम आबादी वाले गांव-टोलों को पथसंपर्क नहीं उपलब्ध कराने की सीमाबद्धता जारी है। राज्य सरकार सात निश्चय के तहत राज्य के सभी जिलों में असंपर्कित गांव-टोलों को पथ संपर्क उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। इस संदर्भ में समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित तबकों के गांव-टोलों का आच्छादन किया जा रहा है। इन गांव-टोलों को उपग्रह मानचित्रण के आधार पर चुना गया है।

राज्य सरकार ने पथ अनुरक्षण लोक शिकायत निवारण प्रणाली के तहत ऑडियो रिकॉर्डिंग और ह्वाट्ज ऐप मैसेजिंग की व्यवस्था विकसित की है। इसके जरिए आम लोग सड़कों के संबंध में अपनी शिकायतें और सुझाव दर्ज कर सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिहाज से ग्रामीण पथ निर्माण के लिए गुणवत्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण कोषांग, ऑनलाइन अनुश्रवण प्रणाली और नवाचारी प्रौद्योगिकियों जैसी सुवधाओं का भी विकास किया है।

5.2 पुल क्षेत्र

पूरे बिहार से होकर अनेक नदियां बहती हैं जिनमें से कुछ बिहार से निकली हैं और कुछ बाहर से आई हैं। इसके अलावा, बिहार देश का सबसे सघन आबादी वाला राज्य भी है। इन दोनों कारणों से वस्तुओं और यात्री के परिवहन के लिए अनेक पुलों का निर्माण जरूरी हो जाता है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत 2005-26 से 2017-18 तक (सितंबर 2017 तक) 1,115 छोटे-बड़े पुलों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं के तहत भी 684 बहुत बड़े, बड़े और छोटे पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।

गंडक नदी पर दो महापुलों का निर्माण किया गया है - (1) 358.67 करोड़ रु. के व्यय से पश्चिम चंपारण में धनहा और रत्वल के बीच तथा (2) 825.83 करोड़ रु. के व्यय से पश्चिम चंपारण के बेतिया और गोपालगंज

जिले के बिसुनपुर के बीच। दो महापलों का निर्माण कोशी नदी पर भी किया गया है - (1) भागलपुर के नौगछिया में विजय घाट पुल और (2) सहरसा जिले में बलुहा घाट पुल। इन पुलों का परियोजना व्यय क्रमशः 367.81 करोड़ रु. और 531.00 करोड़ रु. है। गंगा नदी पर भी उच्चस्तरीय आरसीसी पुलों का निर्माण किया गया है - (1) 676.00 करोड़ रु. के व्यय से आरा और छपरा के बीच बबुरा-डोरीगंज होकर, और (2) प्रथम चरण में 244.99 करोड़ रु. के व्यय से पटना में दीघा घाट के समीप बने रेल-सह-सड़क पुल का उत्तरी संपर्कपथ (सोनपुर में)। 64.51 करोड़ रु. के व्यय से गंगा में फल्लु नदी पर 6 लेन वाला उच्चस्तरीय आरसीसी पुल बनाया गया है। पटना में 298.70 करोड़ रु. के व्यय से बेली रोड पर शेखपुरा से जगदेव पथ पर फ्लाइओवर, चिरैयाटांड उपरिपुल (ओवरब्रिज) के एक्जीविशन रोड स्कंध के गांधी मैदान तक विस्तार का काम, और मीठापुर उपरिपुल के चिरैयाटांड फ्लाइओवर तक करबिगहिया होकर विस्तार का काम पूरा हो गया है। राज्य योजना के तहत मीठापुर उपरिपुल से भिखारी ठाकुर (यारपुर) फ्लाइओवर और बेली रोड पर ललित भवन से विद्युत भवन के बीच बहुखंडीय परिवर्तन आधारित लोहिया पथ चक्र का काम हाथ में लिया गया है। केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता के तहत मीठापुर सड़क उपरिपुल से चिरैयाटांड उपरिपुल तक फ्लाइओवर निर्माण का काम भी प्रगति पर है।

नाबाड़ के ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत पूर्व चंपारण में गंडक नदी के सत्तर घाट पर और मुजफ्फरपुर तथा सारण के बीच गंडक नदी के बंगरा घाट पर ही महापुल निर्माणाधीन हैं। अन्य निर्माणाधीन पुलों में शामिल हैं - (1) सहरसा में गंडौल से दरभंगा में बिरौल के समीप हाथी कोठी के बीच, (2) सोन नदी पर दाउदनगर (औरंगाबाद) और नासरीगंज (रोहतास) के बीच 4-लेन का पल और (3) गंगा नदी पर अगुआनी घाट (खगड़िया) और सुल्तानगंज (भागलपुर) के बीच उच्चस्तरीय पुल।

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़कों के जरिए संपर्क उपलब्ध कराने के काम पर ध्यान देती है। इसके तहत जिला प्रशासन को 25 लाख रु. तक व्यय वाले कार्यों के क्रियान्वयन की स्वायत्ता दी गई है जबकि उससे अधिक व्यय वाले काम बिहार राज्य पुल निगम द्वारा किए जाते हैं। 183 करोड़ रु. के व्यय से 2016-17 में कुल 60 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है और 63 करोड़ रु. के व्यय से अन्य 17 पुलों का निर्माण कार्य 2017-18 के पहले छ: महीनों के दौरान पूरा किया गया है। प्रमंडलवार आंकड़े तालिका 5.10 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 5.10 : मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत निर्मित पुल (2016-17)

प्रमंडल	परियोजनाओं की संख्या	व्यय (करोड़ रु.)	प्रमंडल	परियोजनाओं की संख्या	व्यय (करोड़ रु.)
पटना	04	14.17	मुंगेर	07	16.09
भागलपुर	01	1.42	पूर्णिया	10	30.81
दरभंगा	09	33.84	सारण	03	7.26
कोशी	04	12.13	तिरहुत	13	39.74
मगध	09	27.16	योग	60	182.62

स्रोत : बिहार राज्य पुल निगम निगम लि., बिहार सरकार

व्यय में हिस्सेदारी के आधार पर राज्य में रेलवे क्रॉसिंग पर बनने वाले 33 उपरिपुलों (ओवरब्रीज) में से 28 का निर्माणकार्य पूरा हो गया है और शेष 5 का काम प्रगति पर है। राज्य योजना के तहत राज्य उच्चपथ-4 पर मानपुर स्टेशन के समीप रेल उपरिपुल का निर्माण कार्य पूरा होने पर है। रेलवे बोर्ड व्यय में हिस्सेदारी के आधार पर राज्य के 47 रेलवे क्रॉसिंग पर रेल उपरिपुलों के निर्माण के लिए भी सहमत हो गया है।

राज्य सरकार द्वारा तीन आरसीसी उपरिपुलों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है - (1) पूर्वी चंपारण जिले में पुरनहिया से झरोखर के बीच, (2) कैमूर में रामगढ़ में कर्मनाशा नदी पर, और (3) बांका में पिंडरौन में ओढ़ानी नदी पर।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत काम करता है। निगम को राज्य में 25 लाख रु. से अधिक व्यय वाले पुलों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया है। निगम ने पिछले पांच वर्षों में 6,697 करोड़ रु. के व्यय से कुल 713 पुलों का निर्माण किया है (तालिका 5.11)। निगम कुशल वित्तीय प्रबंधन दर्शा रहा है और उसके सकल और शुद्ध लाभों में विगत वर्षों लगातार मुनाफा दर्ज हुआ है। निगम हर साल 100 करोड़ रु. से अधिक सकल लाभ अर्जित कर रहा है। निगम का कुल टर्नओवर 2012-13 के 1,273 करोड़ रु. से बढ़कर 2016-17 में 1,840 करोड़ रु. हो गया।

तालिका 5.11 : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. का विवरण

वर्ष	पुलों की सं.	व्यय (करोड़ रु.)	टर्नओवर (करोड़ रु.)	कुल राजस्व (करोड़ रु.)	प्रशासनिक व्यय (करोड़ रु.)	सकल लाभ (करोड़ रु.)	शुद्ध लाभ (करोड़ रु.)
2012-13	136	788	1273	142	35	(+) 107.0	(+) 63.8
2013-14	119	1152	1481	159	39	(+) 120.1	(+) 72.5
2014-15	179	730	1739	183	44	(+) 139.1	(+) 80.9
2015-16	176	2839	1699	151	43	(+) 107.7	(+) 70.3
2016-17	103	1188	1840	147	39	(+) 108.2	(+) 68.8

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., बिहार सरकार

5.3 पथ परिवहन

पथ परिवहन देश और राज्यों, दोना की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राजस्व का भी स्रोत होता है क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर लागू होने से पहले राज्य सरकार को वस्तुओं और यात्रियों पर कर लगाने का अधिकार होता है। बिहार में 2014-15 में 4.41 लाख निबंधित मालवाही वाहन थे जबकि निबंधित गैर-मालवाही वाहनों की संख्या 43.37 लाख थी। देश में कुल निबंधित वाहनों में महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे विकसित राज्यों का अधिक हिस्सा था। इनमें से प्रत्येक राज्य का हिस्सा 10 प्रतिशत से अधिक था। वहीं बिहार का हिस्सा मात्र 2.3 प्रतिशत था।

तालिका 5.12 : भारत के प्रमुख राज्यों में निबंधित मोटर वाहनों की कुल संख्या (2014-15)

(आंकड़े हजार में)

राज्य	मालवाहो				गैर-मालवाहो				कुल योग (मालवाहो + गैर-मालवाहो)
	बस	ट्रैक्सी	हल्के मोटर वाहन (सवारी)	मालवाही वाहन	दोपहिया	कार	जीप	विविध	
आंध्र प्रदेश	38 (2.5)	73 (3.2)	397 (7.9)	313 (3.4)	6148 (4.0)	454 (1.9)	11 (0.4)	256 (2.4)	7882 (3.8)
बिहार	29 (1.9)	85 (3.8)	202 (4.0)	124 (1.3)	3490 (2.3)	236 (1.0)	113 (4.5)	498 (4.8)	4778 (2.3)
छत्तीसगढ़	53 (3.5)	21 (0.9)	33 (0.7)	187 (2.0)	3472 (2.2)	226 (0.9)	20 (0.8)	302 (2.9)	4314 (2.1)
गुजरात	76 (5.0)	108 (4.8)	678 (13.5)	942 (10.1)	13705 (8.9)	2009 (8.4)	181 (7.1)	1021 (9.7)	18721 (8.9)
हरियाणा	50 (3.3)	40 (1.8)	144 (2.9)	517 (5.5)	4989 (3.2)	1421 (6.0)	148 (5.8)	618 (5.9)	7928 (3.8)
झारखण्ड	8 (0.5)	30 (1.3)	64 (1.3)	118 (1.3)	1522 (1.0)	191 (0.8)	62 (2.4)	71 (0.7)	2066 (1.0)
कर्नाटक	81 (5.3)	205 (9.1)	381 (7.6)	606 (6.5)	10644 (6.9)	1742 (7.3)	45 (1.8)	949 (9.1)	14785 (7.0)
केरल	415 (27.2)	150 (6.7)	731 (14.5)	499 (5.3)	5722 (3.7)	1691 (7.1)	138 (5.4)	185 (1.8)	9648 (4.6)
मध्य प्रदेश	46 (3.0)	175 (7.8)	122 (2.4)	297 (3.2)	8832 (5.7)	638 (2.7)	59 (2.3)	973 (9.3)	11141 (5.3)
महाराष्ट्र	121 (7.9)	163 (7.2)	696 (13.8)	1360 (14.6)	18604 (12.1)	3114 (13.1)	496 (19.5)	1008 (9.6)	25562 (12.2)
ओडिशा	25 (1.6)	92 (4.1)	106 (2.1)	303 (3.2)	4126 (2.7)	273 (1.1)	47 (1.9)	246 (2.3)	5219 (2.5)
ਪंजाब	30 (2.0)	19 (0.8)	67 (1.3)	202 (2.2)	4730 (3.1)	617 (2.6)	64 (2.5)	536 (5.1)	6263 (3.0)
राजस्थान	98 (6.4)	123 (5.5)	168 (3.3)	564 (6.0)	9272 (6.0)	814 (3.4)	357 (14)	983 (9.4)	12379 (5.9)
तमिलनाडु	172 (11.2)	349 (15.5)	361 (7.2)	946 (10.1)	18098 (11.7)	1972 (8.3)	60 (2.4)	560 (5.4)	22519 (10.7)
उत्तर प्रदेश	52 (3.4)	98 (4.4)	253 (5.0)	512 (5.5)	17398 (11.3)	1572 (6.6)	491 (19.3)	1259 (12.0)	21636 (10.3)
पश्चिम बंगाल	57 (3.7)	125 (5.5)	84 (1.7)	496 (5.3)	5280 (3.4)	1002 (4.2)	10 (0.4)	349 (3.3) (3.5)	7403 (3.5)
संपूर्ण भारत	1527 (100.0)	2257 (100.0)	5028 (100.0)	9344 (100.0)	154298 (100.0)	23808 (100.0)	2547 (100.0)	10475 (100.0)	210023 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संपूर्ण भारत का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

ग्रात : पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य में 2011-12 से 2016-17 के बीच निबंधित मोटर वाहनों की कुल संख्या 11.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। निबंधित वाहनों की वृद्धि के शीर्ष तीन वाहक हैं - बस (17.0 प्रतिशत), टलर (14.9 प्रतिशत) और टक (14.2 प्रतिशत)। निबंधित वाहनों की कुल संख्या 2011-12 के 4.39 लाख से बढ़कर 2016-17 में 7.64 लाख हो गई। वाहनों के निबंधन के मामले में जिलावार जानकारी सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 5.2) में प्रस्तुत है। वर्ष 2016-17 में लगभग एक-तिहाई नए वाहनों का निबंधन मात्र तीन जिलों में हुआ - पटना (16.0

प्रतिशत), मुजफ्फरपुर (11.1 प्रतिशत) और दरभंगा (4.1 प्रतिशत)। नए वाहनों के निबंधन संबंधी जानकारी का उपयोग विभिन्न जिलों में सापेक्ष आर्थिक समृद्धि के सूचक के बतौर भी किया जा सकता है।

तालिका 5.13 : निबंधित वाहनों की संख्या और राजस्व संग्रहण में वार्षिक वृद्धि

वाहनों का प्रकार	वाहनों की संख्या (हजार में)						वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2011-17)
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	
टक	10	10	11	13	14	20	14.2
बस	1	2	2	2	2	3	17.0
कार	23	24	23	28	31	34	8.7
टैक्सी	9	14	12	7	6	5	-15.8
जीप	9	10	9	9	12	9	1.6
ऑटो	21	30	35	31	37	42	12.0
दुपहिया	331	362	420	477	549	593	13.0
टक्टर	23	30	31	34	35	38	9.2
टलर	11	11	8	12	18	20	14.9
अन्य	1	2	2	2	2	1	0.0
योग	439	496	553	615	704	764	11.9
<hr/>							
राजस्व संग्रहण (करोड़ रु.)	558	669	835	967	1071	1250	17.3

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.13 में परिवहन विभाग द्वारा वाहन कर से राजस्व संग्रहण भी दर्शाया गया है। यह रकम पिछले वर्षों में लगातार बढ़ती रही है और 2011-12 के 558 करोड़ रु. से 2016-17 में 1,250 करोड़ रु. हो गई। इस पर गौर करना उत्साहप्रद है कि सरकार ने तिपहिया, मोटर कैब आर मैक्सी कैब के वाणिज्यिक अनुज्ञाप्ति-धारी दिव्यांग लोगों और महिलाओं के लिए करों में पूरी छूट दे दी है। माल एवं यात्री कर तथा वाहन कर के जरिए राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कुल राजस्व का राज्य के अपने राजस्व में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

राज्य में पथ परिवहन के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। उनमें से कुछ उपाय नीचे वर्णित हैं।

पथ सुरक्षा : सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और पथ परिवहन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पथ सुरक्षा नीति, 2015 अपनाई गई है। तदनुरूप, बिहार पथ सुरक्षा कार्ययोजना और पथ सुरक्षा कोष निर्मित किया गया है। राज्य पथ सुरक्षा परिषद और जिला पथ सुरक्षा समिति को सख्त अनुश्रवण व्यवस्था के जरिए अधिक प्रभावी बनाया गया है। पथ सुरक्षा को कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की पाठ्यचर्चा में शामिल किया गया है और राज्य के आम लोगों के लिए नियमित आधार पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विद्यार्थियों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी परिवहन नीति तैयार की जा रही है। दुर्घटनाओं में कमी के लिए सभी प्रकार के वाहनों में रिफ्लेक्टीव टेप तथा स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सहयोगपूर्ण

नागरिक (गुड समरिटन) तथा दुर्घटना प्रवण स्थल (ब्लैक स्पॉट) नीति तैयार की गई है। बिहार के सभी जिलों के लिए 44 उन्नत जीवनरक्षा सहयोग एंबुलेंस (टॉल फ्री नंबर - 1099) और 744 बुनियादी जीवनरक्षा सहयोग एंबुलेंस (टॉल फ्री नंबर-102) उपलब्ध हैं। राज्य सरकार द्वारा यह एंबुलेंस सेवा मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है।

अंतर-राज्य परिवहन : सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए एक उन्नत और विकसित परिवहन व्यवस्था पिछड़े क्षेत्रों को राज्य के अंदर के शहरों-बाजारों और अन्य राज्यों से भी जोड़ती है। अंतर-राज्य पथ परिवहन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए पढ़ोसी राज्यों के साथ अनेक समझौते किए हैं। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने झारखण्ड के साथ 200 मार्गों के लिए, छत्तीसगढ़ के साथ 28 मार्गों के लिए, ओडिशा के साथ 7 मार्गों के लिए, पश्चिम बंगाल के साथ 45 मार्गों के लिए और उत्तर प्रदेश के साथ 34 मार्गों के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया है।

ई-गवर्नेंस : ई-गवर्नेंस परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना है। यह परियोजना क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय में मानवचालित सेवाओं के कारण समन्वय की समस्या पर काबू पाने में मददगार है। इस परियोजना के तहत एक विशेष पोर्टल पर ई-भुगतान का उपयोग करके सभी प्रकार के लाइसेंस, वाहनों का निबंधन और अनुज्ञा शुल्क (परमिट फी) का भुगतान किया जाता है।

ई-रिक्षा : ई-रिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 50 प्रतिशत रियायत उपलब्ध कराती है। हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ई-रिक्षा के सुगम संचालन के लिहाज से मार्गों की पहचान के लिए एक समिति गठित की गई है। इससे परिवहन व्यय में उल्लेखनीय कमी के साथ-साथ वायु प्रदूषण घटाने में भी मदद मिलेगी।

वाहन करों के ई-भुगतान की व्यवस्था : राज्य सरकार ने बहु विकल्पीय भुगतान प्रणाली (मॉप्स) का उपयोग करके ऑनलाइन ई-भुगतान प्रणाली की सफल शुरुआत की है। इस पोर्टल का उपयोग करके किसी भी वाणिज्यिक वाहन का कर भुगतान कहीं से भी किया जा सकता है।

वाहन सॉफ्टवेयर का उन्नयन : 12 जिलों में वाहन सॉफ्टवेयर का वाहन वेब-4.0 में उन्नयन प्रगति पर है। यह पायलट परियोजना के रूप में लखीसराय जिले में चालू है। भविष्य में इसे सभी 38 जिलों में चालू किया जाएगा। इससे विभाग के कामकाज में अधिक पारदर्शिता आएगी और इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि बिहार में सारे वाहनों का निबंधन राष्ट्रीय ई-रजिस्टर में दर्ज हो जाय। साथ ही, वाहन खरीदने वालों को होने वाली असुविधाओं पर काबू पाने के लिए वाहन निबंधन डीलर के स्थान या शोरूम में ही कराने की सुविधा दी गई है।

लोक सेवा अधिनियम का क्रियान्वयन : अभी परिवहन विभाग की 18 सेवाएं लोक सेवा अधिनियम के तहत शामिल हैं। वर्ष 2016-17 में प्राप्त लगभग 100 प्रतिशत (13.12 लाख आवेदनों में से 13.11 लाख) का निष्पादन कर दिया गया है।

चालक प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान : 25.15 करोड़ रु. के व्यय से औरंगाबाद में आधुनिक चालक (ड्राइवर) प्रशिक्षण-सह-शोध संस्थान का निर्माण किया गया है। इसमें निकट भविष्य में मारुति सुजुकी ईंडिया द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कौशल विकास के जरिए संस्थान चालकों की रोजगार पाने की क्षमता और पथ परिवहन की सुरक्षा बढ़ाएगा। राज्य सरकार की सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत कुछ अन्य जिलों में भी ऐसे संस्थान स्थापित करने की योजना है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बसों का उपयोग करके लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आने-जाने की सुविधा देती है और विभिन्न परिवहन माध्यमों का किफायती विकल्प उपलब्ध कराती है। राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना सार्वजनिक परिवहन के सुदृढ़ीकरण के लिए की गई थी ताकि लोगों को सुरक्षित, पर्याप्त और आरामदेह सेवा उपलब्ध हो सके। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति और वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए निगम सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत 270 बसें चलवा रहा है। इसके अलावा, जवाहरलाल नेहरू नगर नवीकरण मिशन के तहत पटना, छपरा, गया, मजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में बिहार राज्य नगर विकास निगम (ब्यूडको) के साथ मिलकर भी 356 बसें चलाई जा रही है। बसों द्वारा ढोए जाने वाले यात्रियों की दैनिक संख्या 2012-13 के 40,164 से काफी बढ़कर 2016-17 में 50,548 हो गई है जो 2.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाती है (तालिका 5.14)। विगत वर्षों में राजस्व संग्रहण में भी 20.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2016-17 में कुल राजस्व प्राप्ति 61.4 करोड़ रु. थी जबकि एक वर्ष पूर्व यह 24.9 करोड़ रु. ही थी।

तालिका 5.14 : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा ढोए गए यात्रियों की संख्या और राजस्व संग्रहण

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2012-17)
राजस्व संग्रहण (करोड़ रु.)	26.0	21.1	21.6	24.9	61.4	20.7
ढोए गए यात्रियों की संख्या (लाख)	146.6	152.3	110.6	126.6	184.5	2.8

स्रोत : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार सरकार

5.4 रेलमार्ग

भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। मार्च 2016 में इसके रेल मार्गों की कुल लंबाई 66,687 किमी थी। विशाल नेटवर्क पर सामानों और यात्रियों, दोनों के परिवहन के लिए राष्ट्रीय आम वाहक (कॉमन कैरियर) के बतौर भारतीय रेल ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह लाखों यात्रियों के लिए परिवहन का सस्ता और वहनीय माध्यम है। अयस्कों और खनिजों, लोहा और इस्पात, सीमेंट, खनिज तेल, खाद्यान्न, उर्वरक, कंटेनर वाले कार्गो आदि के बड़े पैमाने पर वाहक के रूप में भारतीय रेलवे का महत्व अत्यंत प्रशंसनीय है। वर्ष 2015-16 में रेलवे द्वारा 2.22 करोड़ यात्रियों और 3.03 करोड़ टन माल का दैनिक परिवहन हुआ था। भारत के प्रमुख राज्यों में रेल परिवहन का नेटवर्क तालिका 5.15 में दर्शाया गया है। देश के रेलमार्गों में बिहार का 5.6 प्रतिशत हिस्सा है। प्रति 1000 वर्ग किमी पर रेलमार्ग घनत्व बिहार में 39.6 किमी और संपूर्ण भारत के स्तर पर 20.3 किमी है। हालांकि प्रति लाख आबादी पर रेलमार्ग की लंबाई बिहार में मात्र 4.9 किमी है जो देश में सबसे कम है जबकि 11.7 किमी के साथ झारखंड शीर्ष पर है। रेल ट्रैक के मामले में भी यही रुझान है जो तालिका 5.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.15 : भारत के प्रमुख राज्यों में रेलमार्ग के नेटवर्क का फैलाव (मार्च 2016)

राज्य	कुल रेल रूट (किमी)	कुल रेल ट्रैक (किमी)	कुल रेल रूट		कुल रेल ट्रैक	
			प्रति हजार वर्ग किमी	प्रति लाख जनसंख्या	प्रति हजार वर्ग किमी	प्रति लाख जनसंख्या
आंध्र प्रदेश	3703	7132	13.5	6.6	25.9	8.4
बिहार	3731	6870	39.6	4.9	73.0	6.6
छत्तीसगढ़	1213	2676	9.0	7.4	19.8	10.5
गुजरात	5259	7691	26.8	10.4	39.2	12.7
हरियाणा	1711	3110	38.7	9.4	70.3	12.3
झारखण्ड	2394	5968	30.0	11.7	74.9	18.1
कर्नाटक	3281	5140	17.1	6.7	26.8	8.4
केरल	1045	2042	26.9	5.0	52.5	6.1
मध्य प्रदेश	5000	9337	16.2	10.3	30.3	12.9
महाराष्ट्र	5745	11053	18.7	7.3	35.9	9.8
ओडिशा	2572	5038	16.5	9.2	32.4	12.0
पंजाब	2269	3579	45.1	9.8	71.1	12.9
राजस्थान	5893	8579	17.2	11.1	25.1	12.5
तमिलनाडु	4027	6453	31.0	7.2	49.6	8.9
उत्तर प्रदेश	9077	15291	37.7	6.1	63.5	7.7
पश्चिम बंगाल	4135	10604	46.6	7.9	119.5	11.6
भारत	66687	119630	20.3	7.6	36.4	9.9

स्रोत : भारतीय रेलवे सांख्यिकीय प्रकाशन- 2016-17, भारत सरकार

5.5 वायु मार्ग

आजादी के बाद से देश में केंद्र सरकार द्वारा जून 2016 में पहली बार नागरिक उड़ान नीति स्वीकृत की गई है जिसका लक्ष्य नागरिक उड़ान क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास सुनिश्चित करने वाली समेकित पारिस्थितिकी सुनिश्चित करना है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और क्षेत्रों का संतुलित विकास होगा। नीति का लक्ष्य वायु सेवा को वहनीय तथा सुविधाजनक बनाकर आम जन तक पहुंचाना है। इससे विनियमन, खास कर सरलीकृत प्रक्रियाओं और ई-गवर्नेंस के जरिए व्यवसाय की सुगमता बढ़ाना और पूरे यात्री और माल सहित पूरी उड़ान क्षेत्र में खला को सामंजस्यपूर्ण तरीके से बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, इसमें रखरखाव, संपूर्ण जांच एवं मरम्मत (एमआरओ), सामान्य उड़ान, विमान संबंधित विनिर्माण और कौशल विकास का ध्यान रखा जाएगा। इस दिशा में कदम के बतौर नागरिक उड़ान मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क कोष (आरसीएफ) की शुरुआत की है जो 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगा और इसके लिए असंपर्कित हवाईअड्डों का जोड़ने के लिहाज से होने वाली प्रति घंटे उड़ान के लिए 2,500 रु. किराया की सीमा प्रस्तावित की गई है। इस कोष में नागरिक उड़ान मंत्रालय और राज्य सरकार की 80 और 20 के अनुपात में भागीदारी होगी। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10

होगा। बिहार में वायुयानों का आवागमन 2004-05 के 3,844 से लगभग चौगुना से भी अधिक बढ़ गया और 2016-17 में 15,508 हो गया (तालिका 5.16)। इसी प्रकार, यात्रियों की संख्या भी 2005 के 1.76 लाख से लगभग बारहगुना होकर 2016-17 में 21.12 लाख पहुंच गई जिसका अर्थ इस अवधि में प्रतिदिन 483 यात्री से बढ़कर 5,787 यात्री हो जाना है। माल छुलाई की मात्रा भी 2004-05 के 2.8 टन प्रतिदिन से बढ़कर 2016-17 में 18.1 टन प्रतिदिन हो गई।

तालिका 5.16 : पटना हवाईअड्डा पर वायुयानों की आवाजाही, यात्रियों की संख्या और माल छुलाई

वर्ष	वायुयानों का आवागमन (सं.)	यात्रियों की संख्या (लाख में)	माल छुलाई (हजार टन में)
2004-05	3844	1.76	1.035
2009-10	10734	5.53	2.532
2014-15	11060	11.97	5.198
2015-16	13947	15.84	4.414
2016-17	15508	21.12	6.591
2017-18 (सितंबर 17 तक)	14320	17.34	4.612
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2012-17)	13.0	21.0	22.8

स्रोत : भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, पटना

5.6 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) आधुनिक दौर में किसी अर्थव्यवस्था की नींव है और सामाजिक परिवर्तनों के लिए प्रेरक बल है। सूचना प्राप्त करने की बात आने पर अब दूरी कोई समस्या नहीं रही। जैसे घर से काम करना, दूरस्थ शिक्षा, ई-बैंकिंग, और ई-गवर्नेंस अब इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटिंग उपकरण के जरिए कहीं से भी संभव हैं। प्रौद्योगिकीय प्रगति आर्थिक विकास, नागरिकों की संलग्नता और रोजगार सृजन की प्रेरक शक्ति है। राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए यह विकास की प्रमुख वाहक है और पिछले पांच वर्षों में इसकी विकास दर 14.6 प्रतिशत रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी

राज्य सरकार न्यायोचित विकास के लिए कृत संकल्प है। सुशासन का काम करने के लिए राज्य सरकार ने कंप्यूटरीकरण और कर भुगतान, सूचनाधिकार, नए उद्योगों के निबंधन आदि विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया है।

राज्य सरकार के सात निश्चयों के तहत सुशासन कार्यक्रम के उद्देश्य से मुफ्त वाइ-फाइ सेवा शुरू की गई है। इस योजना के तहत विभिन्न सरकारी शैक्षिक संस्थानों, जैसे कि 16 विश्वविद्यालयों, 273 संघटक महाविद्यालयों, 3 अभियंत्रण महाविद्यालयों, 9 चिकित्सा महाविद्यालयों, 8 कृषि महाविद्यालयों और 10 अन्य शैक्षिक संस्थानों में

वाइ-फाइ हॉटस्पॉट लगाए जा रहे हैं। इस योजना के 2015-20 तक की पंचवर्षीय अवधि में क्रियान्वयन के लिए बेल्टॉन (बिहार राज्य इलक्ट्रॉनिक विकास निगम लि.) को कुल 165.54 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

534 उपस्थिति बिंदुओं (पाइंट ऑफ प्रेजेंस) के जरिए बिहार राज्यव्यापी नेटवर्क (विस्वान) पूरे राज्य में प्रखंड मुख्यालयों से लेकर राज्य मुख्यालय तक स्थापित कर दिया गया है और इसका विस्तार अगली पीढ़ी के विस्वान 2.0 के जरिए 2020 तक कर दिया गया है। इसका परियोजना व्यय 313.39 करोड़ रु. है।

इसके अलावा, सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (सेक्लैन) राज्य में विभागों और सचिवालयों के कामों के लगा है जिससे विभाग समय की पाबंदी, पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में सक्षम हुए हैं। सेक्लैन के आच्छादन में ई-ऑफिस, कोर्ट केस मॉड्यूल, फाइल टकिंग सिस्टम और सारे सचिवालय भवनों में इंटरनेट का उपयोग शामिल हैं। इसके अंतर्गत सचिवालय परिसर के अंदर और आसपास स्थित सरकार के महत्वपूर्ण कार्यालयों में कुल 3,300 डेटा नोड स्थापित किए गए हैं और सभी के सभी काम कर रहे हैं। सेक्लैन की सफलता के बाद सेक्लैन कॉरीडोर योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत बेल्टॉन द्वारा बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए 279 पहुंच बिंदुओं के जरिए वाइ-फाइ सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सेवा केंद्र (एनआइसी) की नोडल एजेंसी की सर्विस प्लस फ्रेमवर्क स्कीम (सेवा-सह-रूपरेखा योजना) के तहत एक ई-डिस्ट्रिक्ट रॉलआउट योजना स्वीकृत की है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए बिहार के नागरिकों को कुल 28 ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं (तालिका 5.17)।

तालिका 5.17 : सर्विस प्लस फ्रेमवर्क की ई-डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत ऑनलाइन सेवाएं

क्र.नं.	सेवाओं के नाम	क्र.नं.	सेवाओं के नाम
(i)	कृषि एवं सहवर्ती सेवा	(ii)	शस्त्रों का लाइसेंस
(iii)	जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र	(iv)	BPL प्रमाणपत्र
(v)	जाति प्रमाणपत्र	(vi)	चरित्र प्रमाणपत्र
(vii)	वाणिज्य कर	(viii)	न्यायालय एवं न्यायिक सेवा
(ix)	आश्रित प्रमाणपत्र	(x)	दिव्यांगता प्रमाणपत्र
(xi)	अधिवासी (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र	(xii)	डाइविंग लाइसेंस
(xiii)	नियोजन प्रमाणपत्र	(xiv)	शिकायत
(xv)	आय प्रमाणपत्र	(xvi)	सूचनाधिकार
(xvii)	भूमि प्रलेख एवं निबंधन	(xviii)	विवाह प्रमाणपत्र
(xix)	अनापत्ति प्रमाणपत्र	(xx)	विधवा प्रमाणपत्र
(xxi)	परमिट और पास	(xxii)	राशन कार्ड
(xxiii)	वरिष्ठ नागरिक वृद्धावस्था पेंशन	(xxiv)	छात्रवृत्ति
(xxv)	विधवा पेंशन	(xxvi)	मतदाता सूची
(xxvii)	यूटिलिटी बिल (उपयोग विपत्र)	(xxviii)	वाहन निबंधन

स्रोत : सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार

बिहार सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन दृष्टि - 2017

राज्य सरकार ऐसा ई-गवर्नेंस देने के लिए कृतसंकल्प है जिसके जरिए सरकार और नागरिकों के बीच सभी कुछ बिना आमने-सामने हुए, बिना कागज और बिना नगद हो सके। इसके तहत सरकारी सेवाओं में दक्षता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता बढ़ाने में प्रौद्योगिकी मुख्य भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार बिहार को सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस उद्देश्य के लिए नालंदा जिले के राजगढ़ में 200 एकड़ जमीन पर सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आईटी सिटी) बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य की राजधानी पटना में सीमारहित इंटरनेट संपर्क और गुणवत्तापूर्ण बिजली की अबाध उपलब्धता के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के टावर लगाए जा रहे हैं। इस दृष्टि के उद्देश्यों में शामिल हैं :

1. राज्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की वृद्धि में तेजी लाना और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक पहुंचाना;
2. शहरी और ग्रामीण बिहार के बीच मौजूद डिजिटल फासले में कमी लाना;
3. अगले पांच वर्षों में बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की न्यूनतम 10 बड़ी देशी या विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए 'ब्रांड बिहार' को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शीर्ष 5 निवेश गंतव्यों में से एक के बतौर विकसित करना;
4. अगले पांच वर्षों में लगभग 10,000 करोड़ रु. का सकल टर्नओवर हासिल करना;
5. अगले पांच वर्षों में न्यूनतम 20,000 युवक-युवतियों का सूचना प्रौद्योगिकी के लिहाज से कौशल विकास और क्षमता निर्माण करना;
6. राज्य में प्रौद्योगिकी सक्षमिता सुधार के साथ सुशासन में सक्षम होना।

राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को 'उच्च प्राथमिकता' प्रदान की है और इसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के अनुसार लक्षित राजकोषीय प्रोत्साहनों के साथ विकसित करना चाहती है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2017 के फोकस वाले क्षेत्रों में शामिल हैं - (क) सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद, सॉफ्टवेयर और सेवाएं, (ख) व्यवसाय प्रक्रिया विषयक आउटसोर्सिंग (बीपीओ), (ग) ज्ञान प्रक्रिया विषयक आउटसोर्सिंग (केपीओ), (घ) कॉल सेंटर, (च) डिजिटल विषयवस्तु विकास, (छ) स्मार्ट प्रौद्योगिकी, (ज) इंटरनेट आंफ थिंग्स, (झ) आंकड़ा केंद्र (डाटा सेंटर) और (ट) बिग डाटा।

दूरसंचार

भारत का दूरसंचार नेटवर्क अब दुनिया में चीन के बाद सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 2015-16 में ही एक अरब से अधिक हो गई थी और सितंबर 2017 में टेलिफोन कनेक्शनों की कुल संख्या अब 1.21 अरब पहुंच गई है। जैसा कि तालिका 5.1 में दर्शाया गया है, पिछले दशक में दूरसंचार क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है और राज्य सरकार की पहलकदमियों ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टेलिफोन कनेक्शनों की संख्या 2001 के 10 लाख से असाधारण रूप से बढ़कर 2010 में 448 लाख हो गई थी। बाद में 2017 में यह संख्या 448 लाख से लगभग दूनी होकर 849 लाख हो गई। फलत: हाल के वर्षों में बिहार में दूरभाष घनत्व में काफी वृद्धि हुई है। यह 2001 में 1.2 था जो 2017 में 61.0 हो गया। दूरभाष घनत्व का तात्पर्य प्रति एक सौ व्यक्ति पर दूरभाष की संख्या से है। हालांकि बिहार में ग्रामीण दूरभाष घनत्व देश के सभी

प्रमुख राज्यों के बीच अभी भी सबसे कम है। लेकिन शहरी क्षेत्रों के मामले में तीन राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल) का ही शहरी दूरभाष घनत्व बिहार से अधिक है। ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों को मिलाकर समग्र दूरभाष घनत्व की बात करें, तो बिहार की स्थिति पुनः सबसे नीचे है - 61 टेलीफोन प्रति 100 व्यक्ति। राष्ट्रीय औसत 93 कनेक्शन है और सर्वाधिक 1.3 कनेक्शन प्रति व्यक्ति तमिलनाडु में है।

तालिका 5.18 : प्रमुख भारतीय राज्यों के दूरभाष घनत्व

राज्य	2001	2005	2010	2015	2016			2017		
	संयुक्त	संयुक्त	संयुक्त	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
आंध्र प्रदेश	4.1	9.5	57.2	84.2	51.4	176.8	86.4	60.4	192.0	97.2
बिहार	1.2 (10)	2.4 (42)	38.0 (448)	51.2 (662)	36.4 (432)	166.2 (336)	54.3 (748)	40.7 (489)	186.9 (360)	61.0 (849)
गुजरात	5.4	12.7	58.5	95.6	67.4	145.4	100.1	75.5	165.9	113.7
हरियाणा	4.3	10.8	59.7	82.7	64.9	122.9	85.9	64.8	136.3	91.0
कर्नाटक	4.7	12.2	67.8	97.5	53.0	178.8	101.9	58.8	198.0	113.4
केरल	7.5	18.8	80.4	95.6	62.2	220.3	102.3	69.5	248.4	114.8
मध्य प्रदेश	1.8	5.2	45.2	60.4	41.5	124.3	64.2	43.5	128.8	67.0
महाराष्ट्र	6.6	10.0	50.3	93.4	65.4	134.7	99.0	70.4	150.5	109.5
ओडिशा	1.5	4.0	39.3	66.9	49.6	159.8	69.1	58.2	183.9	80.7
पंजाब	7.0	21.9	75.4	103.8	72.0	149.8	106.1	80.5	165.5	118.3
राजस्थान	2.6	6.1	52.8	77.8	58.2	162.0	83.3	61.7	186.8	92.0
तमिलनाडु	5.9	11.4	74.3	117.5	85.0	140.4	118.1	93.9	150.6	128.4
उत्तर प्रदेश	1.7	4.1	38.5	60.5	42.2	145.4	65.8	46.1	167.6	74.0
पश्चिम बंगाल	2.7	3.0	34.8	76.1	53.4	145.3	79.8	61.9	168.8	92.7
संपूर्ण भारत	3.5	9.0	52.7	79.4	51.4	154.0	83.4	56.9	171.8	93.0

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े दूरभाष संख्या (लाख में) दर्शाते हैं।

स्रोत : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ)

सार्वजनिक क्षेत्र का होने के नाते दूरसंचार क्षेत्र में भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका नेटवर्क बिहार के सभी 38 जिलों में है। बिहार में सर्वव्यापी सेवा दायित्व (यूएसओ) कोष के तहत कुल 950 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज और 100 ग्राम पंचायतों में नए वाइ-फाइ हॉटस्पॉट लगाने की योजना है। केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 1000 मेगाबाइट प्रति सेकंड (एमबीपीएस) की गति से आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना बनाई है। ई-हेल्थ, ई-एडुकेशन, ई-गवर्नेंस आदि से संबंधित विभिन्न अनुप्रयोग (अप्लीकेशंस) भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

इन सुविधाओं के क्रियान्वयन के लिए भारत संचार निगम लि. बिहार में एकमात्र क्रियान्वयन अभिकरण है। भारत नेट परियोजना के तहत उच्च गति वाले ब्रॉड बैंड संपर्क के लिए कुल 6,043 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिए जोड़ा जाना है। सितंबर 2017 तक इनमें से 2,691 ग्राम पंचायतों में सेवा मिलने लगी है। कुल आच्छादन क्षेत्रफल के लिहाज से 66 प्रतिशत, आबादी के लिहाज से 85 प्रतिशत और राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ तथा रेलमार्ग के लिहाज से 100 प्रतिशत है। बिहार के कुल गांवों में से 62.5 प्रतिशत में भारत संचार निगम लि. की सेवा उपलब्ध है (तालिका 5.19)।

तालिका 5.19 : बीएसएनएल बिहार : दूरसंचार जनसांख्यिकी (सितंबर 2017 में)

मद	कल योग	आच्छादन (%)
क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	94613	66.0
जनसंख्या (करोड़)	10.41	84.7
राजस्व जिले	38	100.0
राजस्व अनुमंडल	102	100.0
प्रखंड मुख्यालय	534	100.0
कल गांव	44874	62.5
राष्ट्रीय उच्चपथ (किमी)	3734	100.0
राज्य उच्चपथ (किमी)	4857	100.0
कल रेलमार्ग (किमी)	3515	100.0

स्रोत : भारतीय दूरसंचार निगम, पटना

डाक संचार

डाक सेवाएं संवाद का सबसे सस्ता माध्यम होती हैं। इंडिया पोस्ट की सेवाएं साल दर साल बढ़ती जा रही हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क संभाल रहा है जिसमें मार्च 2016 में कुल 1.55 लाख डाकघर थे। इसमें से 90 प्रतिशत डाकघर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित हैं। एक डाकघर औसतन 21.22 वर्ग किमी क्षेत्र में और 8,364 लोगों की आबादी को सेवाएं प्रदान करता है। बिहार में कुल 9,037 डाकघर मौजूद थे जिनमें से 8,573 (95 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 464 (5 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में। संपूर्ण भारत के डाक नेटवर्क में हिस्से के लिहाज से देखें, तो बिहार का देश में मात्र 5.8 प्रतिशत हिस्सा है। यह हिस्सा कम है क्योंकि देश की 8.6 प्रतिशत आबादी बिहार में रहती है। पांच राज्यों (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) के डाकघरों का देश के डाकघरों में 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। पत्रपेटियों के मामले में शीर्ष पांच राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं जिनका कुल पत्र पेटियों में लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा है (तालिका 5.20)।

तालिका 5.20 : भारत के प्रमुख राज्यों में डाक सुविधाओं का विस्तार (31 मार्च, 2016 को)

(संख्या में)

राज्य	डाकघर			पत्रपेटियाँ		
	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
आंध्र प्रदेश	9542 (92.4)	780 (7.6)	10322 (6.7)	4636 (15.3)	25568 (84.7)	30204 (6.1)
बिहार	8573 (94.9)	464 (5.1)	9037 (5.8)	3000 (14.3)	18033 (85.7)	21033 (4.2)
छत्तीसगढ़	2888 (91.5)	269 (8.5)	3157 (2.0)	2715 (18.1)	12273 (81.9)	14988 (3.0)
गुजरात	8168 (90.9)	815 (9.1)	8983 (5.8)	5419 (21.4)	19920 (78.6)	25339 (5.1)
हरियाणा	2315 (86.3)	369 (13.7)	2684 (1.7)	1285 (16.5)	6486 (83.5)	7771 (1.6)
झारखण्ड	2839 (91.3)	270 (8.7)	3109 (2.0)	1274 (9.7)	11901 (90.3)	13175 (2.6)
कर्नाटक	8609 (89.1)	1054 (10.9)	9663 (6.2)	5738 (19.4)	23808 (80.6)	29546 (5.9)
केरल	4207 (83.0)	860 (17.0)	5067 (3.3)	3385 (21.8)	12127 (78.2)	15512 (3.1)
मध्य प्रदेश	7475 (90.2)	811 (9.8)	8286 (5.3)	4272 (11.2)	33896 (88.8)	38168 (7.7)
महाराष्ट्र	11570 (90.0)	1289 (10.0)	12859 (8.3)	7871 (16.0)	41347 (84.0)	49218 (9.9)
ओडिशा	7573 (92.7)	596 (7.3)	8169 (5.3)	2595 (12.4)	18325 (87.6)	20920 (4.2)
पंजाब	3409 (88.3)	452 (11.7)	3861 (2.5)	2718 (18.5)	12008 (81.5)	14726 (3.0)
राजस्थान	9675 (93.8)	643 (6.2)	10318 (6.7)	3814 (13.7)	23992 (86.3)	27806 (5.6)
तमில்நாடு	10275 (84.7)	1856 (15.3)	12131 (7.8)	9762 (23.6)	31643 (76.4)	41405 (8.3)
उत्तर प्रदेश	15729 (89.1)	1933 (10.9)	17662 (11.4)	7924 (12.1)	57450 (87.9)	65374 (13.1)
पश्चिम बंगाल	7777 (85.7)	1294 (14.3)	9071 (5.9)	4416 (16.3)	22615 (83.7)	27031 (5.4)
सभी राज्य	138955 (89.7)	15955 (10.3)	154910 (100)	79890 (16.0)	418411 (84.0)	498301 (100)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज ग्रामीण और शहरी कॉलमों के आंकड़े कुल और संपूर्ण भारत में राज्य का हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2016-17, डाक विभाग, भारत

डाक विभाग की मुख्य गतिविधियाँ डाक का प्रसंस्करण और संचरण करना तथा डाक उपलब्ध कराना है। लेकिन विभाग द्वारा अनेक प्रकार की खुदरा सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं जिनमें रुपए भेजना, बैंकिंग और बीमा शामिल हैं। विभाग ने मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं जैसे सामाजिक लाभों के भुगतान का काम भी हाथ में लिया है। तालिका 5.21 में देश के प्रमुख राज्यों के विभिन्न प्रकार के लेखों और उनमें बकाया शेष का ब्योरा दिया गया है। डाक विभाग केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से लघु बचत योजनाएं भी चलाता है। डाकघर बैंक में 271 लाख से अधिक खाताधारी हैं और यह मार्च 2016 में बिहार में 9,037 डाकघरों के नेटवर्क के जरिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहा था। बिहार के कुल 271 लाख खातों का पूरे देश के डाकघर खातों में 7 प्रतिशत हिस्सा है। देश के कुल खातों में पांच राज्यों - आंध्र प्रदेश (15.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (9.3 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (8.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (8.6 प्रतिशत) और बिहार (6.8 प्रतिशत) का संयुक्त हिस्सा लगभग

50 प्रतिशत है। डाक विभाग में किए गए निवेश के लिहाज से देखें, तो तीन विकसित राज्यों का पूरे भारत के निवेश में लगभग एक-तिहाई हिस्सा है – महाराष्ट्र (13.8 प्रतिशत), गुजरात (11.4 प्रतिशत) और पंजाब (9.7 प्रतिशत)। सुकन्या/ महिला समृद्धि योजना के तहत प्रमुख निवेशक जिले तमिलनाडु (15.8 प्रतिशत), कर्नाटक (14.2 प्रतिशत) और महाराष्ट्र (9.2 प्रतिशत) थे और देश के स्तर पर योगफल में इनका संयुक्त हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत था। बिहार में बचत खातों में बकाया शेष 13,232 करोड़ रु. था और सभी खातों को मिलाकर कुल बकाया शेष 22,923 करोड़ रु। संपूर्ण भारत में बिहार का हिस्सा इस प्रकार था – जमा में 5.9 प्रतिशत, निवेश में 3.3 प्रतिशत, मासिक जमा योजना में 3.9 प्रतिशत और कुल बकाया शेष में 4.7 प्रतिशत।

तालिका 5.21 : डाकघरों में खातों और बाकी शेषों की संख्या (मार्च 2016 में)

राज्य	खातों की सं. (लाख में)						बाकी शेष (करोड़ रु. में)				
	जमा	निवेश	मासिक आय योजना	सुकन्या/ महिला समृद्धि योजना	मनरेगा	योग	जमा	निवेश	मासिक आय योजना	सुकन्या/ महिला समृद्धि योजना	योग
आंध्र प्रदेश	354	1	10	7	259	631	10301	1797	10419	637	23154
बिहार	187	1	14	3	67	271	13232	2018	7556	116	22923
छत्तीसगढ़	39	0	1	1	55	97	3799	694	1839	62	6393
गुजरात	147	2	18	2	23	192	14607	6985	16327	164	38083
हरियाणा	61	1	4	3	1	70	7721	2329	3403	264	13717
झारखण्ड	95	0	4	4	40	143	2728	132	5437	136	8433
कर्नाटक	151	1	6	9	7	173	10754	3146	6238	911	21049
केरल	116	0	4	3	5	128	9046	619	2493	282	12439
मध्य प्रदेश	215	1	6	14	20	255	9548	1241	4102	166	15057
महाराष्ट्र	307	6	19	4	36	371	14491	8464	27993	589	51538
ओडिशा	119	0	5	3	17	144	6546	401	3462	193	10602
पंजाब	64	2	7	2	2	78	13532	5963	6357	206	26058
राजस्थान	164	2	7	4	20	197	9914	3955	5643	198	19710
तमिलनाडु	237	2	7	12	0	258	12304	3546	10219	1017	27086
उत्तर प्रदेश	319	2	16	12	4	353	28380	4525	16986	621	50512
पश्चिम बंगाल	213	2	55	6	70	346	27998	3320	47665	277	79259
सभी राज्य	3032	28	195	98	648	4001	224805	61225	193806	6426	486262

टिप्पणी : जमा में बचत खातों, आवर्ती जमा, सावधि जमा और वरिष्ठ नागरिक जमा तथा निवेश में लोक भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत योजनाएं शामिल हैं।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2016-17, डाक विभाग, भारत

नए विकासों और चुनौतियों का सामना करने के लिए विविधतापूर्ण और नई सेवाएं शुरू की जा रही हैं। अभी एक प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। फोकस वाले प्रमुख क्षेत्रव्यवसाय प्रक्रिया पुनः-अभियंत्रण और कार्यसंचालन संबंधो दक्षता हैं। आधुनिक युग में मोबाइल और इंटरनेट से प्रतिस्पर्धा करते हुए डाक नेटवर्क के जरिए संचार को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और डाक विभाग ने इस चुनौती से जूझने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आरआइसीटी) : ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी परियोजना का आरंभ छः पायलट सर्किल - असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में किया गया है। जनवरी 2017 तक ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी संबंधी समाधान (आरआइसीटी सॉल्यूशंस) 4,425 शाखा डाकघरों में पहुंचा दिए गए हैं। इस वर्ष पूरे भारत के 40,000 शाखा डाकघरों में यह समाधान पहुंचा देने की योजना है।

सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना : डाक विभाग को डाकघरों को बहुसेवा केंद्रों के रूप में रूपांतरित करने का काम सौंपा गया है। विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित 1.29 ग्रामीण डाक सेवक डाकघरों सहित सभी 1.54 लाख डाकघरों के डिजिटीकरण का काम कर रही है। डिजिटीकृत डाकघर बहुसेवा केंद्रों के रूप में काम करेंगे और सरकारी नीतियों के लिए सूचना प्रसार, सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण तथा वित्तीय समावेश के लिए नोडल केंद्र होंगे। ये डाकघर डिजिटल माध्यम वाले संवाद पेश करेंगे, भौतिक सामग्रियां पहुंचाएंगे और रूपए अंतरित करेंगे।

कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) : कोर बैंकिंग समाधान परियोजना में डाकघर के बचत बैंक के ग्राहकों के लिए एटीएम बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाओं के साथ-साथ नेफ्ट (नेशनल इलक्ट्रॉनिक मनी टांसफर) और आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) सेवाएं भी शुरू की जा रही हैं।

5.7 सिंचाई

सिंचाई बिहार जैसी कृषिमूलक अर्थव्यवस्था के लिए कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिहाज से बुनियादी अधिसंरचना है। बिहार मुख्यतः कृषि-प्रधान राज्य है। यहां की लगभग 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। व्यापक कृषि विकास के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिहाज से कृषि रोडमैप-3 तैयार किया गया है। कृषि रोडमैप-3 में 2017-22 की अवधि के लिए सिंचाई क्षमता और फसल सघनता में वृद्धि की योजना तैयार की गई है। खेती की जमीन सीमित है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। कृषि भूमि के सीमित होने से अपनी बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले तो फसल सघनता तथा सकल फसल उत्पादन क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए जिसके लिए सिंचाई क्षमता बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। बढ़ा हुआ कृषि उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य सहवर्ती गतिविधियों के लिए भी विकास के दरवाजे खोल देता है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था अधिकांशतः मॉनसूनी वर्षा पर निर्भर है जो नितांत अपर्याप्त है। बिहार को प्रचुर जल संसाधनों का अवदान प्राप्त है और यहां वार्षिक वर्षापात (लगभग 1000 मिमी) भी होता है। हालांकि न तो पूरे राज्य में

वर्षा का वितरण समान है और न ही जल संसाधनों का। अतः बिहार में खेतों को सिंचाई सुविधा की जरूरत पड़ती है। भूजल और भूतल जल संसाधनों के विस्तार से राज्य में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने में मदद मिली है। भूजल और भूतल जल, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं जो राज्य में सिंचित क्षेत्रों के विस्तार में मदद करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कारण सिंचाई संसाधनों के प्रबंधन में लाभार्थी किसानों की भागीदारी की कमी है। सिंचाई और जलछाजन प्रबंधन ग्रामीण अधिसंरचना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हाल के वर्षों में बिहार में सिंचाई के भागीदारीमूलक प्रबंधन के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण दिखे हैं।

सिंचाई क्षमता

सिंचाई सुविधाओं के बेहतर साज-संभाल के कारण बिहार में सिंचाई क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हुई है। सिंचाई योजनाओं को मोटे तौर पर वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई में बांटा जा सकता है (तालिका 5.22)। बिहार की चरम सिंचाई क्षमता 117.54 लाख है। अनुमानित है जिसमें वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई, तीनों शामिल हैं। अभी तक सृजित सिंचाई क्षमता 70.48 लाख है। है जो चरम सिंचाई क्षमता का 60.0 प्रतिशत है। प्रयुक्त सिंचाई क्षमता 63.42 लाख है। है जो सृजित सिंचाई क्षमता का 90.0 प्रतिशत और चरम सिंचाई क्षमता का 54.0 प्रतिशत है। अगर चरम क्षमता का पूरी तरह उपयोग किया जाय तो यह राज्य में सिंचाई के लिए पानी की मांग से काफी अधिक हो सकता है।

तालिका 5.22 : बिहार में चरम, सृजित और उपलब्ध सिंचाई क्षमता

(क्षेत्रफल लाख हे. में)			
सिंचाई क्षमता का प्रकार	चरम क्षमता	सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता
(क) वृहद एवं मध्यम सिंचाई	53.53	29.69	26.72
(ख) लघु सिंचाई	64.01	40.79	36.70
(i) भूतल सिंचाई	15.44	8.14	7.32
(ii) भूजल सिंचाई	48.57	32.65	29.38
योग	117.54	70.48	63.42

टिप्पणी : मार्च, 2017 तक सृजित और प्रयुक्त क्षमता

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

हाल के वर्षों में बिहार में वृहद और मध्यम सिंचाई की बड़ी संख्या में योजनाएं शुरू की गई हैं। वृहद एवं मध्यम सिंचाई के तहत कुल 53.53 लाख हे. चरम सिंचाई क्षमता में से 2016-17 में कुल 22.74 हजार हे. सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। वृहद और मध्यम योजनाओं का लक्ष्य विभिन्न परियोजनाओं सहित दुर्गावती जलाशय परियोजना, चंकेन सिंचाई योजना, बटेश्वरनाथ गंगा पंप नहर योजना एवं पश्चिमी कोशी एवं धाधर परिवाह योजना का क्रियान्वयन कर के 2017-18 तक 66.05 हजार हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना है।

तालिका 5.23 : वृहद एवं मध्यम सिंचाई के तहत सिंचाई क्षमता सूजन (2016-17)

योजना का नाम	सृजित सिंचाई क्षमता (हे. में)	योजना का नाम	सृजित सिंचाई क्षमता (हे. में)
पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	2000	नुसरतपुर वीयर योजना	4000
दुर्गावती जलाशय योजना	1000	सीवान वीयर योजना	2000
लवाइच रामपुर बराज	6550	पूर्वी गंडक नहर द्वितीय चरण	4920
उदेरा स्थान बराज योजना	2250	योग	22740
सोलहंडा वीयर योजना	20		

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

नई सिंचाई क्षमता सृजित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि सृजित सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग हो। सिंचाई नहर प्रणालियों में बड़ी मात्रा में गाद जमने तथा टूट के कारण कभी-कभी सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। अब राज्य सरकार सृजित किंतु हासित सिंचाई क्षमता को पुनःस्थापित करने का प्रयास कर रही है।

वर्ष 2016-17 में पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली, पूर्वी कोशी नहर प्रणाली, सोन नहर प्रणाली और उदेरास्थान बराज योजना जैसी कई योजनाओं का क्रियान्वयन करके 129.37 हजार हे. हासित सिंचाई क्षमता पुनःस्थापित की गई। वर्ष 2017-18 में पूर्वी कोशी नहर प्रणाली, चौसा पंप नहर, ऊपरी क्यूल जलाशय, सोन प्रणाली की पटना नहर, दरियापुर वीयर और कुंदर बराज आदि योजनाओं का क्रियान्वयन करके 99.67 हजार हे. हासित सिंचाई क्षमता पुनःस्थापित करना प्रस्तावित है।

वृहत एवं मध्यम सिंचाई

वर्ष 2016-17 में सकल सिंचित क्षेत्र मामूली वृद्धि दर्शाते हुए 2015-16 के 29.46 लाख हे. से बढ़कर 29.69 लाख हे. हो गया। लेकिन 2016-17 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2015-16 के 21.25 लाख हे. से बढ़कर 26.72 लाख हे. हो गया जो 25.7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

वृहद और मध्यम सिंचाई योजनाओं की उपयोग दक्षता वास्तविक सिंचाई और सृजित सिंचाई क्षमता के अनुपात से व्यक्त होती है। हाल के वर्षों में उपयोग दक्षता 2012-13 के 60.4 प्रतिशत से 2016-17 के 90.0 प्रतिशत के बीच रही है (तालिका 5.24)। पिछले पांच वर्षों में उपयोग दक्षता औसतन 72.3 प्रतिशत रही है।


तालिका 5.24 : बड़ी और मंडोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग दक्षता

(आंकड़े हजार हे. में)

वर्ष	सृजित सिंचाई क्षमता	खरीफ		रबी		गरमा		कुल प्रयुक्ति सिंचाई क्षमता	उपयोग दक्षता (%)
		लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई		
2012-13	2913	1491	1394	439	366	0	0	1760	60.4
2013-14	2921	1865	1614	567	491	15	15	2120	72.6
2014-15	2925	1865	1628	373	314	0	0	1942	66.4
2015-16	2946	1918	1718	485	382	28	26	2125	72.1
2016-17	2969	1982	1931	802	714	29	28	2672	90.0

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 5.1 : बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग दक्षता का पैटर्न



सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने का एक तरीका सहभागी सिंचाई प्रबंधन (पीआइएम) शुरू करना है। केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार बिहार में इसका आरंभ 1997 में किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं में जल संसाधनों और सिंचाई प्रणालियों के प्रति अपनत्व की भावना पैदा करना और उसके जरिए प्रणाली के जल उपयोग में किफायत और संरक्षण को बढ़ावा देना था। सहमति देने वाली राज्य की 81 निर्बंधित समितियों में से 54 समितियों को सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन हस्तांतरित कर दिया गया है और शेष 27 समितियों को हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। अन्य कृषक समितियों की स्थिति तालिका 5.25 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.25 : कृषक समितियों की स्थिति

स्थिति	सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन हस्तांतरित	प्रणाली के हस्तांतरण के लिए तैयार समितियां	निर्बंधन हेतु आवेदन	उत्प्रेरण प्रक्रियाधीन समितियां	योग
संख्या	54	27	30	511	622

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

लघु सिंचाई

लघु सिंचाई की चरम क्षमता लगभग 64.01 लाख है जिसमें से 15.44 लाख हैं भूतल सिंचाई के जरिए हैं और 48.57 लाख हैं भूजल (ग्राउंडवाटर) के जरिए। इस कुल क्षमता में से 40.79 लाख हैं (63.7 प्रतिशत) सृजित की जा चुकी है - 7.32 लाख हैं भूतल (सर्फेस) सिंचाई के तहत और 29.38 लाख हैं भूजल सिंचाई के तहत (तालिका 5.26)। यह भी गौरतलब है कि कुल भूजल सिंचाई में अधिकांश (74 प्रतिशत) हिस्सा निजी नलकूपों का है।

तालिका 5.26 : बिहार में लघु जल संसाधनों की स्थिति

(क्षमता लाख हे. में)

सिंचाई के स्रोत	चरम क्षमता	सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता
1. भूतल सिंचाई	15.44	8.14	7.32
(i) आहर/ पइन/ सिंचाई तालाब		3.47	3.12
(ii) उद्धव सिंचाई		2.64	2.37
(iii) भूतल लघु सिंचाई वीयर/ स्लूइस गेट		2.03	1.83
2. भूजल सिंचाई	48.57	32.65	29.38
(i) राजकीय नलकूप		8.37	7.54
(ii) निजी नलकूप		24.28	21.84
योग	64.01	40.79	36.70

टिप्पणी : मार्च, 2017 तक सृजित और प्रयुक्त क्षमता

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.27 : लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्र

(क्षेत्रफल हे. में)

स्रोत	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
भूतल नहरें	36315	26086	9310	0	2600
तालाब (आहर-पइन सहित)	59407	41591	10934	28631	20500
नलकूप (निजी और सरकारी)	161962	64251	15610	38440	86200
अन्य स्रोत (उद्धव सिंचाई एवं दोन सिंचाई)	24220	9627	2564	5055	18000
योग	281904	141555	38418	72126	127300

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.27 में किए गए उल्लेख के अनुसार लघु सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र 2014-15 के 38.4 हजार हे. से 2012-13 के 281 हजार हे. तक था। सिंचाई नहर प्रणाली में भारी मात्रा में गाद जमने और टूट होने के कारण कभी-कभी उनकी सृजित सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। सिंचाई विभाग द्वारा 2017 तक 10.25 लाख अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया था। इसमें से 7.23 लाख हे. आहर-पइन सिंचाई योजना के तहत, 2.02 लाख हे. भूतल लघु सिंचाई वीयर के तहत और शेष 1.00 लाख हे. उद्धव सिंचाई योजना के तहत अतिरिक्त क्षमता सृजित करनी थी। लघु सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की अन्य दो प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं :

- (1) **बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना** : यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में हर प्रखंड में चल रही है। इस योजना के तहत छिल्ले नलकूप के लिए 15,000 रु. गहरे नलकूप के लिए 35,000 रु. और मोटरपंप के लिए 10,000 रु. की अधिकतम राशि उपलब्ध कराई जाती है।

(2) टेलीमिट्री योजना (स्वचालित डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर) : इस योजना में राज्य के सभी प्रखंड और जिला मुख्यालयों में टेलीमिट्री उपकरण लगाए जाने हैं। अभी तक 298 टेलीमिट्री उपकरण लगाए जा चुके हैं।

राज्य सरकार 2022 तक भूतल और भूजल स्रोतों के जरिए 52.67 लाख हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना चाहती है। इसमें से 6.84 लाख हे. सिंचाई क्षमता 2017 तक सृजित की जा चुकी है। 10.59 लाख हे. (16.6 प्रतिशत) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता भूतल सिंचाई और 42.07 लाख हे. (65.7 प्रतिशत) भूजल सिंचाई के जरिए सृजित करना प्रस्तावित है। इसके अलावा, निर्माण के बाद 4.5 लाख हे. हासित सिंचाई क्षमता पुनःस्थापित की जाएगी।

आहर एवं पइन

आहर-पइन प्रणाली सिंचाई की देशज प्रैद्योगिकी है। सिंचाई की देशज आहर-पइन प्रणाली दक्षिण बिहार में सिंचाई की ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था रही है और आज भी सहभागी सिंचाई प्रबंधन का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस क्षेत्र में सिंचाई के इस माध्यम की व्यापक उपस्थिति के लिए तीन कारक जिम्मेवार रहे हैं - (क) कम वर्षापात, (ख) तीखी ढाल जो पानी को तेजी से बह जाने देती है, और (ग) मिट्टी को प्रकृति जो या तो सख्त चिकनी मिट्टी है या ढीली बलुआही और दोनों ही नमी सोखकर रखने के नाकाबिल होती हैं। दक्षिण बिहार में अधिकांश क्षेत्रों में साल में औसतन 1000 मिमी के आसपास वर्षा होती है जो अन्य फसलों के लिए तो पर्याप्त हो सकती है लेकिन धान की खेती के लिए नहीं। विभिन्न योजनाओं के तहत आहर-पइन प्रणाली को कार्यशील बनाया गया है जिनके विवरण नीचे प्रस्तुत हैं :

- (क) **राज्य योजना:** राज्य योजना के तहत कुल 201 योजनाएं हाथ में ली गई थीं जिनमें से 2016-17 तक 89 पूरी हो चुकी हैं। इससे 87.97 करोड़ रु. के व्यय से 60.7 हजार हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।
- (ख) **ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ)** : अभी कोष के तहत 138 योजनाएं हैं जिनमें से 2016-17 तक 38 पूरी हो चुकी हैं। इससे 54.93 करोड़ रु. के व्यय से 34.1 हजार हे. सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।
- (ग) **त्वरित सिंचाई लाभ योजना** : ये योजनाएं नवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी जिलों में चल रही हैं। इन योजनाओं का काम प्रगति पर है और सितंबर 2017 तक 12.77 करोड़ रु. व्यय करके इनसे 1,367 हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।
- (घ) **जल निकायों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और पुनःस्थापन (आरआरआर)** : इस घटक के तहत केंद्र सरकार के पास अनापत्ति मंजूरी के लिए 27 आहर-पइनों और बीयरों के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव भेजे गए हैं।

इनका प्राक्कलित व्यय 64.93 करोड़ रु. है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद 12.3 हजार हे. सिंचाई क्षमता फिर से बहाल होगी।

(च) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाइ) : इस योजना के तहत 80 आहर-पइनों और वीयरों की योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। इन योजनाओं की अनुमानित लागत 127.19 करोड़ रु. है। इन योजनाओं के पूरा होने पर 28.3 हजार हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी।

कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 'हर खेत को पानी' के तहत किया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना की प्राथमिकता वाली 99 चिन्हित योजनाओं में से 2 योजनाएं बिहार में हैं - दुर्गावती जलाशय योजना और पुनर्पुन बराज योजना। अभी दुर्गावती कमांड क्षेत्र का विकास कार्य किया जा रहा है। प्राथमिकता वाली योजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई अंतराल पूर्ति प्रोत्साहन योजना (आईएसबीआईजी) को केंद्र सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बिहार में कमांड क्षेत्र विकास की मौजूद या प्रस्तावित योजनाओं को शामिल किया जाएगा। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 10 से 30 प्रतिशत कृष्य कमांड क्षेत्र का सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के तहत अनिवार्य आच्छादन किया जाएगा।

बाढ़

बिहार लगभग हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। राज्य का 68.80 हे. क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ के कारण हर साल फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सघन सिंचित खेती के लिए बाढ़ प्रबंधन जरूरी है। जल संसाधन विभाग द्वारा 3,789.96 किमी लंबाई में तटबंधों का निर्माण करके 39.96 लाख हे. क्षेत्र को बाढ़ से संरक्षित किया गया है। नए तटबंधों का निर्माण करके और भी 3.43 लाख हे. क्षेत्र को बाढ़ से संरक्षित करने की योजना है।

नदियों का अंतर्संबंधन

बिहार राज्य पानी के मामले में विरोधाभासी समस्या से पीड़ित है। उत्तर बिहार बाढ़ का सामना करता है, तो दक्षिण बिहार सूखा-प्रवण है। दक्षिण बिहार में सूखे के समाधान और उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए राज्य की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। इसके लिए सबसे पहले जोड़ो जाने वाली नदियों को चिन्हित करने की जरूरत होगी और उसके बाद क्रियान्वयन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने होंगे। इन योजनाओं को इस रूप में सूत्रबद्ध किया जाएगा कि वे अन्य राज्य की या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में प्रवेश नहीं करें। राज्य की प्राथमिकता राज्य के अंदर की नदियों को जोड़ने की है ताकि दक्षिण बिहार के सूखा प्रवण क्षेत्र में सिंचाई में सुविधा हो सके। बरसात के दौरान अधिशेष पानी वाले कुछ नदी बेसिन से दक्षिण बिहार के सूखा-प्रवण क्षेत्र के जल की कमी वाले नदी बेसिन में अतिरिक्त पानी पहुंचाया जाएगा। इससे सृजित और पुनःस्थापित होने वाली सिंचाई क्षमता तालिका 5.28 में दर्शाई गई है।

तालिका 5.28 : वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य के अंदर नदी संर्बंधन का कार्यक्रम

क्र. सं.	योजना का नाम	वित्तीय आवश्यकता (करोड़ रु.)	अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन (लाख हे.)	हासित सिंचाई क्षमता की पुनःस्थापना (लाख हे.)
1	कोशी का पानी महानंदा बेसिन में अंतरित करने के लिए कोशी-मेची लिंक नहर योजना	4900.00	2.10	-
2	सकरी नदी पर बकसोती बराज नहर योजना और सकरी नदी को नाटा नदी से जोड़ना	1300.00	0.20	0.48
योग		6200.00	2.30	0.48

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

इसके अतिरिक्त, दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जल विकास अभियान के स्तर से बूढ़ी गंडक-नून-बाया-गंगा लिंक योजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माण अग्रिम चरण में है।

अध्याय 6

ऊर्जा क्षेत्र

ऊर्जा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए मुख्य लागत संसाधन है और ऊर्जा की उपलब्धता तथा किसी राष्ट्र के विकास के बीच घनिष्ठ संबंध है। बिना बिजली न तो प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन प्रक्रिया चलाना संभव है और न ही जीवन को अधिक आरामदेह और मनोरंजक बनाने वाली सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराना। बिहार की अर्थव्यवस्था अब तीव्र गति से विकसित हो रही है और राज्य सरकार ने विद्युत क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। निस्संदेह, राज्य सरकार की विकास संबंधी सात बुनियादी प्रतिबद्धताओं को व्यक्त करने वाले 'सात निश्चय' में 'हर घर बिजली' इसका तीसरा घटक है। इससे 2018 के अंत तक बिहार के सभी ग्रामीण और शहरी घरों में बिजली के मीटरयुक्त कनेक्शन लगना सुनिश्चित होगा। सभी घरों के विद्युतीकरण का उद्देश्य हासिल करने के लिए विद्युत कंपनियां दिसंबर 2017 की अपनी लक्ष्य अवधि के अंदर ही सभी अविद्युतीकृत गांवों को ऊर्जान्वित करने में सक्षम हुई हैं। विद्युत कंपनियों ने अप्रैल 2017 तक सभी गांव-टोलों के विद्युतीकरण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया था और अब वे दिसंबर 2018 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल करने के रास्ते पर हैं।

6.1 बिजली की उपलब्धता

बिहार में बिजली की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है - 2011-12 के 1712 मेगावाट से 2016-17 में (अक्टूबर 2016 तक) 3769 मेगावाट; अर्थात् पिछले छः वर्षों में बिजली की उपलब्धता में लगभग 120 प्रतिशत वृद्धि हुई है (तालिका 6.1)। तालिका से स्पष्ट है कि 2012-13 तक लगभग 30 प्रतिशत की सर्वोच्च कमी (पीक डेफिसिट) रहती थी। वर्ष 2016-17 तक यह कमी घटकर लगभग 14 प्रतिशत रह गई। बिजली की औसत उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में 6-8 घंटे से बढ़कर 14-16 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 10-12 घंटे से बढ़कर 20-22 घंटे हो जाने के कारण राज्य में बिजली की खपत 2011-12 के 134 किलोवाट आवर से बढ़कर 2016-17 में 272 किलोवाट आवर हो गई। यह पंच वर्षों में लगभग 103 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 6.1 : विद्युत परिदृश्य (2011-12 से 2016-17)

विशेषताएं	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
चरम मांग (मेगावाट)	2500	2650	3150	3500	4112	4405
चरम पूर्ति (मेगावाट)	1712	1802	2335	2831	3459	3769
चरम कमी/ अधिशेष (मेगावाट) (-/+)	-788	-848	-815	-669	-653	-636
चरम कमी/ अधिशेष (%) (-/+)	-31.5	-32.0	-25.9	-19.1	-15.6	-14.4
ऊर्जा की आवश्यकता (करोड़ यूनिट)	1445.4	1532.1	1821.2	2222.6	2555.0	2824.5
ऊर्जा की उपलब्धता (करोड़ यूनिट)	1214.5	1326.7	1504.5	1873.1	2167.9	2397.8
ऊर्जा की कमी/ अधिशेष (करोड़ यूनिट) (-/+)	-230.9	-205.4	-346.4	-349.5	-387.1	-426.7
ऊर्जा की कमी/ अधिशेष (%) (-/+)	-16.0	-13.4	-19.0	-15.7	-15.2	15.10
खपत (किलोवाट आवर)	134	145	160	203	258	272

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

बिजली की खपत के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है (तालिका 6.2)। वर्ष 2015-16 में बिजली की खपत के मामले में शीर्ष तीन जिले थे - पटना (4,197 किलोवाट आवर), गया (1,214 किलोवाट आवर) और मुजफ्फरपुर (916 किलोवाट आवर)। दूसरी ओर, सबसे पीछे के तीन जिले थे - शिवहर (50 किलोवाट आवर), अरबल (95 किलोवाट आवर) और शेखपुरा (136 किलोवाट आवर)।

तालिका 6.2 : जिलावार खपत

जिला	खपत (किलोवाट आवर)		जिला	खपत (किलोवाट आवर)	
	2014-15	2015-16		2014-15	2015-16
पटना	3959	4197	दरभंगा	381	482
नालंदा	672	813	मधुबनी	325	407
भोजपुर	380	494	समस्तीपुर	343	453
बक्सर	276	351	बेगूसराय	370	452
रोहतास	625	785	मुंगेर	255	310
कैमूर	358	432	शेखपुरा	114	136
गया	1003	1214	लखीसराय	171	213
जहानाबाद	216	273	जमुई	167	191
अरबल	69	95	खगड़िया	134	180
नवादा	161	286	भागलपुर	628	714
ओरंगाबाद	321	497	बांका	161	215
सारण	459	605	सहरसा	185	282
सीबान	233	291	सुपौल	185	264
गोपालगंज	195	294	मधेपुरा	165	235
पश्चिम चंपारण	260	402	पूर्णिया	358	382
पूर्वी चंपारण	341	428	किशनगंज	143	188
मुजफ्फरपुर	735	916	अररिया	161	207
सीतामढ़ी	201	270	कटिहार	188	255
शिवहर	33	50			
वैशाली	444	586	बिहार	203	258

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

6.2 बिजली की जरूरत का अनुमान

अपने सभी नागरिकों को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराना निस्संदेह सामाजिक समानता का पर्यायवाची है। इसीलिए पहले भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने 'हर घर बिजली' का संकल्प लिया है। इस संकल्प के जरिए राज्य सरकार जारी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के साथ मिलकर 2018 के अंत तक राज्य के सभी परिवारों को बिजली उपलब्ध कराएगी।

आने वाले वर्षों में राज्य में बिजली की मांग में तेज उछाल आएगा। इसका मुख्य कारण पूर्ण विद्युतीकरण के लिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सेवा कनेक्शन देना, खेतिहर उपभोक्ताओं की संख्या में तेज उछाल, वर्तमान उपभोक्ताओं की मांगों में वृद्धि (बिजली के उपकरणों के व्यापक उपयोग के कारण), और राज्य का औद्योगीकरण है। तालिका 6.3 में 2017-18 और 2018-19 की अवधि में सभी उपभोक्ताओं की बिजली की वार्षिक जरूरत का अनुमान पेश किया गया है।

तालिका 6.3 : ग्रामीण और शहरी घरों के लिए बिजली की वार्षिक आवश्यकता

(आंकड़े करोड़ यूनिट में)

घरों की श्रेणी	2017-18	2018-19
वर्तमान विद्युतीकृत घर	787.445	1034.5
अविद्युतीकृत घर/ नए घर का विद्युतीकरण होने पर	247.055	183.4
कुल घरेलू आवश्यकता	1034.5	1217.9
घरेलू से भिन्न उपभोक्ता	785.9	994.2
नए कृषि कनेक्शन	124.2	3.0
योग	1944.6	2215.1

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 6.4 में वितरण जनित हास और राज्य के अंदर संचरण जनित हास को ध्यान में रखते हुए राज्य के दायरे में बिजली की अनुमानित जरूरत दर्शाई गई है। वर्ष 2018-19 तक बिहार में बिजली की मांग लगभग 5,200 मेगावाट और ऊर्जा की वार्षिक मांग 2806.9 करोड़ यूनिट के आसपास होना अनुमानित है।

तालिका 6.4: राज्य की परिधि में बिजली की चरम और ऊर्जा की वार्षिक मांग

सूचक	2017-18	2018-19
मांग के अनुमान के अनुसार ऊर्जा की जरूरत (करोड़ यूनिट)	1944.6	2215.1
वितरण जनित हास (प्रतिशत)	28	20
अंतर-राज्य संचरण जनित हास (प्रतिशत)	3.92	3.92
राज्य की परिधि में ऊर्जा की जरूरत (करोड़ यूनिट)	2680.9	2806.9
0.734 लोड फैक्टर पर चरम मांग (मेगावाट)	4733	5200
0.734 लोड फैक्टर पर चरम मांग (मेगावाट) (मात्र 50 प्रतिशत तक कृषि लोड सहित)	4268	4689

टिप्पणी : ऊर्जा करोड़ यूनिट में और मांग/ लोड करोड़ यूनिट में लिखा गया है। 10 मेगावाट बिजली की आपूर्ति 1000 घंटे करने पर 1 करोड़ यूनिट ऊर्जा खर्च होती है।

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

मार्च 2017 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 3,904 मेगावाट थी। बढ़ी हुई मांग को पूरी करने के लिए राज्य सरकार 2018-19 तक विभिन्न स्रोतों से 1,659 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना पहले ही बना चुकी है। ये स्रोत हैं - अपने उत्पादन केंद्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, केंद्रीय उत्पादन केंद्र, और प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिए दीर्घकालिक/ मध्यकालिक खरीद समझौते (पीपीए)। इस बढ़ी क्षमता के स्रोतवार विवरण तालिका 6.5 में प्रस्तुत हैं। वर्तमान उत्पादन योजना के अनुसार, 2018-19 तक 1,659 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाने की आशा है (नई या निर्माणाधीन परियोजनाओं अथवा जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण वाली पुरानी परियोजनाओं से)। वर्ष 2018-19 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 5,563 मेगावाट हो जाने की आशा है, जिसमें से 4,593 मेगावाट पारंपरिक बिजली होगी और शेष 970 मेगावाट अपारंपरिक।

तालिका 6.5 : क्षमता विस्तार के वर्षवार और स्रोतवार विवरण

(आंकड़े मेगावाट में)

स्रोत	मार्च 2017	प्रस्तावित संचयी क्षमता	
		2017-18	2018-19
राजकीय क्षेत्र			
राजकीय तापविद्युत	110	220	360
राजकीय लघु जलविद्युत	55	55	55
केंद्रीय उत्पादन केंद्रों का हिस्सा			
केंद्रीय उत्पादन केंद्र – तापविद्युत	2596	2596	2596
केंद्रीय उत्पादन केंद्र – जलविद्युत	469	469	469
स्वतंत्र विद्युत उत्पादक परियोजनाएं (केस 1)	260	260	560
संयुक्त उद्यम/ साझेदारी (तापविद्युत)	220	534	1077
अपारंपरिक ऊर्जा/ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	194	224	446
कुल	3904	4358	5563

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 6.6 : विद्युत और ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (2017-18 से 2019-20)

वर्ष	कुल क्षमता (मेगावाट)	राज्य की परिधि में अनुमानित चरम उपलब्धता (मेगावाट)	राज्य की परिधि में ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (करोड़ यूनिट)
2017-18	4358	4134	2638.4
2018-19	5563	5117	3017.3
2019-20	6766	5646	3590.8

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

हालांकि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की उपलब्धता के बावजूद राज्य को 2017-18 में बिजली की थोड़ी (3.13 प्रतिशत) कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन 2018-19 में 9.12 प्रतिशत अधिशेष बिजली उपलब्ध होगी जो 2019-20 में बढ़कर 17.96 प्रतिशत हो जाएगी। राज्य में 2017-18 में 1.58 प्रतिशत कम ऊर्जा उपलब्ध होगी जिसकी पूर्ति खुले बाजार से बिजली खरीदकर की जाएगी। लेकिन 2018-19 में 7.49 प्रतिशत अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। वर्ष 2019-20 में अधिशेष ऊर्जा और भी बढ़कर 18.00 प्रतिशत हो जाएगी।

तालिका 6.7 : विद्युत और ऊर्जा का अनुमानित अधिशेष/ कमी (2017-18 से 2019-1920)

विद्युत आपूर्ति की स्थिति	2017-18	2018-19	2019-20
मात्र 50 प्रतिशत कृषिगत लोड (**)के साथ अनुमानित चरम आवश्यकता (मेगावाट)	4268	4689	4786
राज्य की उत्पादन योजना के अनुसार अनुमानित चरम उपलब्धता (मेगावाट)	4134	5117	5646
चरम मांग अधिशेष (+)/ कमी (-) (मेगावाट)	(-) 134	(+) 428	(+) 860
चरम मांग अधिशेष/ कमी (प्रतिशत)	(-) 3.13	(+) 9.12	(+) 17.96
राज्य की परिधि में ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता (करोड़ यूनिट)	2680.9	2806.9	3040.1
राज्य की उत्पादन योजना के अनुसार राज्य की परिधि में ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (करोड़ यूनिट)	2638.4	3017.3	3590.8
चरम मांग अधिशेष (+)/ कमी (-) (करोड़ यूनिट)	(-) 42.5	(+) 210.4	(+) 550.7
चरम मांग अधिशेष (+)/ कमी (-) (प्रतिशत)	(-) 1.58	(+) 7.49	(+) 18.00

टिप्पणी : (**) 50% कृषिगत लोड की आपूर्ति बारी-बारी से की जाएगी।

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

6.3 विद्युत क्षेत्र का संस्थागत ढांचा

अप्रैल 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन मूलतः विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद 5 के तहत किया गया था और उसे बिहार में विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण और बिजली संबंधी अन्य गतिविधियों के प्रबंधन के लिए अधिदेशित किया गया था। नई बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना, 2012 के तहत नवंबर 2012 में बोर्ड को पांच कंपनियों में बांट दिया गया –(i) बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.एच.सी.एल.), (ii) बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.जी.सी.एल.), (iii) बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.टी.सी.एल.), (iv) उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एन.बी.पी.डी.सी.एल.) और (v) दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एस.बी.पी.डी.सी.एल.)। नई बनी कंपनियों के दायित्व संक्षेप में नीचे वर्णित हैं।

बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) : इस कंपनी को नई बनी चार कंपनियों – बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार विद्युत

वितरण कंपनी लिमिटेड और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड - के शेयरों का स्वामित्व दिया गया है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियां, संपत्ति के हित, अधिकार और दायित्व भी सुपुर्द किए गए हैं। यह मुख्यतः एक निवेश कंपनी होगी। यह अन्य कंपनियों के कार्यों का समन्वय करेगी, विवादों का निपटारा करेगी तथा उन्हें सारे आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी।

बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. (BSPGCL) : यह कंपनी विद्युत उत्पादन में लगी अनुषंगी कंपनियों सहित अन्य कंपनियों और प्रतिष्ठानों का समन्वय करने और उन्हें सुझाव देने के लिए जवाबदेह है। समन्वय और सुझाव की भूमिकाओं में उत्पादन केंद्रों के निर्माण, संचालन और रखरखाव तथा संबंधित सुविधाओं से संबंधित सारे मामले शामिल हैं। यह इधन की खरीद और विभिन्न स्थलों तक उनके परिवहन तथा लंबित विवादों के निपटारे के लिए भी जवाबदेह है।

बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लि. (BSPTCL) : यह कंपनी विद्युत संचरण के लिए जवाबदेह है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण विषयक परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है तथा संपत्ति के हित, अधिकार और दायित्व सुपुर्द किए गए हैं। योजना निर्माण और समन्वय संबंधी कार्यों के अलावा, उत्पादन केंद्रों से भार केंद्रों (लोड सेंटर) तक जोड़कर बिजली पहुंचाने के लिए अंतर-राज्य संचरण लाइनों की कुशल व्यवस्था विकसित करने की भी आशा कंपनी से आ जाती है।

उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. (NBPDCL) और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. (SBPDCL): ये दोनों कंपनियां सभी उपभोक्ताओं को बिजली का वितरण, बिजली का व्यापार और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना), विशिष्ट पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.), समेकित विद्युत विकास प्रणाली (आइ.पी.डी.एस.), राज्य योजना और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन का काम करती हैं। एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाएं बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी) हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 और नियंत्रक के दिशानिर्देश के अनुसार वितरण की खुली उपलब्धता शुरू करने का काम भी दोनों कंपनियों का दायित्व है। वे विद्युत क्रय समझौतों तथा बिजली की खरीद या बिक्री संबंधी अन्य समझौतों के लिए निविदा जारी करती हैं, उन्हें अंतिम रूप देती हैं और निष्पादित करती हैं।

वर्ष 2013-14 में बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. और इसकी अनुषंगी कंपनियों - बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) और बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) के लिए धनराशि का आवंटन 3,110.92 करोड़ रु. था जो 2016-17 में बढ़कर 7,514.64 करोड़ रु. हो गया था। वर्ष 2017-18 के लिए परिव्यय 8,271.59 करोड़ रु. है। विभिन्न शीर्षों के तहत इसका व्योरा तालिका 6.8 में प्रस्तुत है।

तालिका 6.8 : बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. के तहत धनराशियों का आबंटन

(करोड़ रु.)

वर्ष	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	राज्य योजना					बिहार राज्य जल विद्युत निगम (RIDF)	बाहरी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं	मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना	योग
		बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कं. लि.	उत्पादन	संचरण	वितरण	ब्रेडा				
2013-14	2125.00	367.346	25.00	25.00	215.00	50.00	15.00	63.57	225.00	- 3110.92
2014-15	1650.00	369.214	61.68	661.00	1099.18	20.00	38.93	69.92	220.00	- 4189.92
2015-16	2274.00	64.430	181.01	448.99	486.00	60.00	15.00	67.80	66.26	- 3663.49
2016-17	1329.40	127.51	1155.00	700.00	3126.65	150.00	10.00	67.80	260.91	587.38 7514.64
2017-18	2600.00	1576.10	592.50	510.00	1680.00	249.90	10.00	67.80	235.29	750.00 8271.59

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

6.4 वितरण कंपनियां

वितरण पूरी विद्युत आपूर्ति मुख्यला का अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है क्योंकि यह राजस्व अर्जित करने वाली अकेली शाखा है। इसी राजस्व के बूते राज्य सरकार केंद्रीय क्षेत्र से अधिक बिजली खरीदकर पूरी आपूर्ति मुख्यला में सुधार कर पाती है। इस लिहाज से विद्युत क्षेत्र के सुधारों की प्रमुख चुनौती वितरण क्षेत्र का कुशल प्रबंधन है। बिहार में वितरण व्यवस्था दो वितरण कंपनियों के जिम्मे है - उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि। मार्च 2017 तक ये कंपनियां 103 लाख से भी अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को सेवा दे रही थीं।

तालिका 6.9 : प्रभावी उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या (बिलिंग के आंकड़ों के अनुसार)

वर्ष	प्रभावी उपभोक्ताओं की संख्या								
	घरेलू	व्यावसायिक	औद्योगिक (निम्न विभव)	औद्योगिक (उच्च विभव)	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	ट्रैक्शन	कृषि	सार्वजनिक जल प्रदाय	योग
2012-13	3773077 (91.3)	279879 (6.8)	18816 (0.5)	1317 (0.03)	399 (0.01)	17 (नगण्य)	57838 (1.4)	1098 (0.03)	4132441 (100.0)
2013-14	3900733 (91.9)	273466 (6.4)	15851 (0.4)	1422 (0.03)	389 (0.01)	19 (नगण्य)	51989 (1.2)	1192 (0.03)	4245061 (100.0)
2014-15	5174585 (92.5)	346375 (6.2)	19599 (0.4)	1582 (0.03)	511 (0.01)	19 (नगण्य)	52980 (0.9)	1302 (0.02)	5596953 (100.0)
2015-16	7407609 (92.5)	488690 (6.1)	31405 (0.4)	1922 (0.03)	1237 (0.02)	19 (नगण्य)	75087 (0.9)	1760 (0.02)	8007729 (100.0)
2016-17	9499943 (91.87)	616512 (5.96)	57433 (0.56)	2050 (0.02)	679 (0.01)	22 (नगण्य)	162188 (1.57)	2030 (0.02)	10340859 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

दोनो वितरण कंपनियां अपने वितरण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए पहले से ही कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं। इन जारी योजनाओं में ट्रांसफर्मर बदलना, नए ट्रांसफर्मर खरीदना, उच्च विभव और निम्न विभव वाली मौजूदा लाइनों के पुराने कंडक्टर बदलना और नई उच्च विभव और निम्न विभव लाइनें, पावर सिस्टम स्टैबलाइजर (पीएसएस) और बे निर्मित करना शामिल हैं।

6.5 कार्य संचालन और वित्त संबंधी स्थिति

बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद (केंद्रीय वितरण जनित हास को छोड़कर) 2013-14 के 14,002 करोड़ यूनिट से बढ़कर 2016-17 में 2,302.7 करोड़ यूनिट हो गई (तालिका 6.10)। बिजली की खरीद बढ़ने के साथ राजस्व संग्रहण भी बढ़ा है। पिछले चार वर्षों में लागत वसूली भी उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. के मामले में 90 प्रतिशत से अधिक और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. के मामले में 85 प्रतिशत से अधिक हो गई है। फलतः दोनो कंपनियों का वित्तीय घाटा बहुत कम हो गया है।

तालिका 6.10 : विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति

मद	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी
उत्पादन और खरीद (करोड़ यूनिट)	538.1	862.1	702.9	1038.8	892.9	1274.8	964.7	1338.0
बिक्री (करोड़ यूनिट)	360.5	463.7	500.4	581.4	650.5	719.9	719.5	866.1
हास (प्रतिशत)	33.0	46.2	28.8	44.0	27.4	43.5	25.6	35.6
औसत राजस्व (रु./ यूनिट)	4.17	4.86	4.19	4.37	4.14	4.45	4.02	4.58
बिजली की बिक्री (करोड़ रु.)	1503.66	2254.77	2095.00	2540.28	2696.24	3202.37	2890.80	3971.21
सभ्सडी सहित कुल आय (करोड़ रु.)	2723.69	4190.81	3559.74	4610.37	4475.11	6309.15	4620.48	6621.72
कुल व्यय (करोड़ रु.)	2797.95	4459.50	3856.53	5357.92	4814.55	7043.32	5133.91	7527.08
लागत वसूली (कुल आय/ कुल व्यय) (प्रतिशत)	97.4	94.0	92.3	86.0	92.9	89.6	90.0	88.0
वित्तीय घाटा (प्रतिशत)	2.6	6.0	7.7	14.0	7.1	10.4	10.0	12.0

ग्राह : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

हाल के वर्षों में तेज आर्थिक विकास और जनसंख्या में वृद्धि, दोनो ही कारणों से बिजली की मांग लगातार बढ़ती गई है। इसकी परिणति उच्च सकल संचरण एवं वितरण (एटी. एंड सी.) हास में हुई है, खास कर बड़े

ऐमाने के ग्रामीण विद्युतीकरण के कारण (तालिका 6.11)। वर्ष 2016-17 में यह आंकड़ा 40.6 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 में तो यह आंकड़ा और भी अधिक - 43.5 प्रतिशत था। वितरण कंपनियां सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने के साथ-साथ बिल निर्माण और संग्रहण व्यवस्था में सुधार करके इस समस्या से निपटने का प्रयास कर रही हैं। इन हासों में कमी लाने के लिए फीडर और वितरण ट्रांसफर्मर के स्तर पर लेखाकरण और अंकेक्षण जरूरी हैं और वितरण कंपनियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है।

तालिका 6.11 : बिहार में संचरण एवं वितरण हास (उत्तर + दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनियां)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
संचरण एवं वितरण हास	52.9	54.6	46.3	43.8	43.5	40.6

टिप्पणी : संचरण एवं वितरण हास की गणना पीएफसी फॉर्मूला का उपयोग करके की गई है (नेपाल छोड़कर)

ग्राहक : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

6.6 विद्युतीकरण और वितरण योजनाओं के कार्यक्रम

विद्युत आपूर्ति का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं - समेकित विद्युत विकास योजना (पूर्व में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम - आर-एपीडीआरपी), दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) तथा विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)। इन कार्यक्रमों की प्रगति नीचे प्रस्तुत है :

समेकित विद्युत विकास योजना

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम को नई शुरू की गई समेकित विद्युत विकास योजना (आइपीडीएस)में समाहित कर दिया गया है। इस योजना के कई घटक हैं - वितरण क्षेत्र का सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमीकरण, लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, शहरी क्षेत्रों में उप-संचरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफर्मरों/ फीडरों/ उपभोक्ताओं का मीटरीकरण।

पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के भाग-क के तहत 67 शहरों (4 फ्रैंचाइजी शहरों को छोड़कर) में काम प्रगति पर है। योजना के भाग-ख के तहत 60 शहरों और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजना के तहत 7 शहरों में वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का काम किया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजना के तहत 7 शहरों में काम पूरा हो गया है। कार्यक्रम का लक्ष्य काम के समय अनुश्रवण और नियंत्रण उपलब्ध कराना, हास को न्यूनतम करना, लोड संतुलित करना और वोलटेज संबंधी विवरणी में सुधार लाना है। कार्यक्रम के तहत पूंजीगत व्यय के विवरण तालिका 6.12 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 6.12 : पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम का पूँजीगत व्यय

कार्यक्रम के तहत परियोजना के घटक	परिव्यय (करोड़ रु.)	किया गया व्यय (करोड़ रु.)
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम—भाग क	253.68	103.11
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम—भाग ख	1155.21	995.94
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम—स्काडा	38.00	9.59
योग	1446.89	1108.64

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

ग्रामीण विद्युतीकरण

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को केंद्र सरकार की नई योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाहित कर दिया गया है। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- (1) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना, और कृषि तथा गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए उचित आपूर्ति बहाल करने में सहयोग करना।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफर्मरों/ फीडरों/ उपभोक्ताओं के मीटरीकरण सहित उप-संचरण और वितरण अधिसंरचना का सुदृढ़ीकरण और क्षमतावृद्धि।
- (3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्वीकृत परिव्यय को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में अंतरित करके बारहवां और तेरहवां योजनाओं के तहत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 88.7 प्रतिशत ग्रामीण आबादी वाला बिहार देश का सबसे अधिक ग्रामीणीकृत राज्य बना हुआ है। इस संबंध में राष्ट्रीय औसत 68.9 प्रतिशत है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत ग्रिड के साथ जुड़ाव में सुधार करना अत्यंत जरूरी है। इसे देखते हुए राज्य में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत राज्य के सभी 38 ज़िलों में ग्रामीण विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है। योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति तालिका 6.13 में प्रस्तुत है।

तालिका 6.13 : दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के तहत कार्य की प्रगति

(गांवों की संख्या के आंकड़े)

A				B				
अभिकरण/ लक्ष्य/ उपलब्धि	दसवीं योजना	ग्यारहवीं योजना	योग	ग्यारहवीं योजना चरण-2	बारहवीं योजना	DDG के तहत	UEV में परिवर्तित DDG	योग
अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण (UEV)								
लक्ष्य								
उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	5954	4108	10062	384	1403	59	153	1999
दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	10627	697	11324	757	327	154	68	1306
योग	16581	4805	21386	1141	1730	213	221	3305
उपलब्धि								
उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	5954	4108	10062	384	1403	59	153	1999
दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	10627	697	11324	757	327	154	68	1306
योग	16581	4805	21386	1141	1730	213	221	3305
अंशतः विद्युतीकृत ग्रामों का सघन विद्युतीकरण (PEV)								
लक्ष्य								
उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	-	5969	5969	3510	14067	0	0	17577
दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	-	106	106	9534	7030	0	0	16564
योग	-	6075	6075	13044	21097	0	0	34141
उपलब्धि								
उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	-	5969	5969	3167	10189	0	0	13356
दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	-	106	106	7321	3538	0	0	10859
योग	-	6075	6075	10488	13727	0	0	24215

टिप्पणी : DDG = विकोंप्रित वितरित उत्पादन

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)

केंद्र सरकार की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए बनाई गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित योजना है। इस निधि के जरिए चिन्हित किए गए पिछड़े जिलों में हो रहे विकासमूलक प्रवाहों के पूरक के बतौर तथा उनको एक जगह लाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका लक्ष्य स्थानीय अधिसंरचना में और मौजूदा प्रवाहों के जरिए उपयुक्त ढंग से पूरी नहीं हो रही विकास संबंधी अन्य जरूरतों के मामले में मौजूद गंभीर फासलों को पाटना है। निधि के जरिए स्थानीय तौर पर महसूस की जा रहो जरूरतों के संबंध में भागीदारी आधारित योजना निर्माण, निर्णय लेने, और क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने में सहयोग किया जाता है। इसके जरिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में सुधार लाने में भी मदद की जाती है। इस योजना को चार भागों में बांटा गया है - चरण-1, चरण-2, चरण-2 (भाग-ग) और ग्रामीण विद्युतीकरण। उक्त योजनाओं का अनुमानित व्यय 6,431.86 करोड़ रु. है। दिसंबर 2017 तक लगभग 4,188.10 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके थे।

6.7 संचरण

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति संचरण नेटवर्क के जरिए होती है जिसमें उच्च विभव वाली बिजली का निम्न विभव वाली में बदलना भी शामिल होता है। संचरण नेटवर्क विद्युत उत्पादन और वितरण के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। अतः संचरण प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां अधिकांशतः अन्य दो खंडों - उत्पादन और वितरण - की बढ़ती जरूरतों से संबंधित होती हैं। बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए राज्य के अंदर और राज्यों के बीच, दोनों स्तरों पर सशक्त और विश्वसनीय संचरण नेटवर्क की जरूरत होती है। इसीलिए सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए चौबीसों घंटे बिजली की उपलब्धता की मांग पूरी करने के लिए वर्तमान संचरण व्यवस्था का उचित योजना के साथ सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

बिहार में संचरण व्यवस्था में लगभग 12,441 सर्किट किलोमीटर अति उच्च विभव वाली (ईएचवी) संचरण लाइनें, तथा 220/ 132 केवी स्तर पर कुल 6,590 एमवीए और 132/33 केवी स्तर के 10,980 एमवीए रूपांतरण क्षमता वाले 129 गिड उप-केंद्र हैं। वर्ष 2017-18 में यह क्षमता बढ़कर 13,500 सर्किट किमी संचरण लाइन, तथा 220/132 केवी स्तर पर 9,370 एमवीए और 132/33 केवी स्तर पर 12,540 एमवीए रूपांतरण क्षमता वाले 154 ग्रिड उप-केंद्र हो जाना अनुमानित है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति हेतु वांछित क्षमता का अनुमान किया गया है जो तालिका 6.14 में प्रस्तुत है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक अनुमानित मांग को पूरी करने की कार्ययोजना तालिका 6.15 में दर्शाई गई है। चरम अवधि में बिजली की उपलब्धता 2014-15 में 2,831 मेगावाट थी जो तीन वर्षों में 60 प्रतिशत बढ़कर अक्तूबर 2017 में 4,535 मेगावाट हो गई।

तालिका 6.14 : बिजली की अनुमानित वांछित क्षमता (2017-18 से 2019-20)

मांग/ क्षमता	2017-18	2018-19	2019-20
चरम मांग (मेगावाट)	4733	4904	5308
चरम मांग की पूर्ति के लिए जरूरी संचरण क्षमता (मेगावाट)	8874	9195	9953
उपलब्ध क्षमता (एमवीए)	9370	11090	14510
220/132 केवी स्तर पर	12540	14450	15290
132/33 केवी स्तर पर			

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 6.15 : संचरण के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्ययोजना

वर्ष	नए ग्रिड उप-केंद्रों की संख्या	नई संचरण लाइनें (सर्किट किमी)
2017-18	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400/220 केवी - 0 अदद ■ 220/132/33 केवी - 06 अदद ■ 132/33 केवी - 07 अदद 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400 केवी-0 ■ 220 केवी-240 ■ 132 केवी-330
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400/220/132/33 केवी - 00 अदद ■ 400/220/132 केवी - 1 अदद ■ 220/132/33 केवी - 3 अदद ■ 132/33 केवी - 16 अदद 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400 केवी-00 ■ 220 केवी-132 ■ 132 केवी-405
2018-19	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400/220/132 केवी - 04 अदद ■ 400/220/132/33 केवी - 02 अदद ■ 220/132/33 केवी - 3 अदद ■ 132/33 केवी - 5 अदद 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 400 केवी-390 ■ 220 केवी-500 ■ 132 केवी-231
2019-20		

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

6.8 उत्पादन

राज्य में विद्युत परिदृश्य में सुधार के लिए राज्य सरकार की अनेक योजनाएं हैं। 'सबके लिए चौबीसों घंटे बिजली' नामक दस्तावेज और राष्ट्रीय विद्युत नीति में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों, जलविद्युत उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के जरिए उत्पादन क्षमता के बड़े पैमाने पर विस्तार के लिए कार्य शुरू किए हैं। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. ने अगले कुछ वर्षों में प्रचुर उत्पादन क्षमता बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इसने 2021-22 तक 4,630 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मार्च 2017 तक राज्य में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 3,825 मेगावाट थी। इसमें से 86.4 प्रतिशत कोयला आधारित तापविद्युत, 9.7 प्रतिशत जलविद्युत और शेष 3.9 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से उपलब्ध थी। स्वामित्व के लिहाज से देखें तो सर्वाधिक 77.2 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय क्षेत्र का, 15.6 प्रतिशत निजी क्षेत्र/ स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का और 7.2 प्रतिशत राजकीय क्षेत्र का था। बिहार में विद्यमान उत्पादन क्षमता का व्योरा तालिका 6.16 में प्रस्तुत है।

तालिका 6.16 : विद्यमान उत्पादन क्षमता (मार्च 2017)

(आंकड़े मेगावाट में)

स्वामित्व/ क्षेत्र	तापविद्युत				नाभिकीय	जलविद्युत (नवीकरणीय)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	कुल योग
	कोयला	गैस	डीजल	योग				
राज्य	110	0	0	110	0	55	0	275
निजी/ स्वतंत्र विद्युत उत्पादक	460	0	0	460	0	0	138	598
केंद्र	2627	0	0	2627	0	315	10	2952
योग	3307	0	0	3307	0	370	148	3825

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2000 में झारखण्ड के अलग होने के बाद बिहार में बची तीनों उत्पादन इकाइयों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(1) बरौनी तापविद्युत केंद्र (बीटीपीएस)

हालांकि बरौनी तापविद्युत केंद्र में 7 इकाइयाँ हैं, लेकिन उनमें से 5 का कार्यकारी जीवनकाल समाप्त हो चुका है और वे उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का काम पूरा होने के बाद सातवीं इकाई में उत्पादन आरंभ हो चुका है। छठी इकाई के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का काम भी प्रगति पर है। 250 मेगावाट की दो नई इकाइयों का काम भी विस्तार कार्यक्रम के तहत जारी है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों के फलस्वरूप, इन दोनों नई इकाइयों के लिए कोल लिंकेज और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

(2) कांटी बिजली उत्पादन निगम लि. (केबीयूएनएल)

कांटी बिजली उत्पादन निगम राष्ट्रीय तापविद्युत निगम और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. का संयुक्त उपक्रम है जिनका इक्विटी में 65:35 अनुपात में हिस्सा है। यहां 110 मेगावाट की दो इकाइयाँ हैं। जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के बाद गत वर्ष से दोनों इकाइयों में उत्पादन आरंभ हो गया है। कार्यविस्तार कार्यक्रम के तहत 195 मेगावाट की दो नई इकाइयों का भी निर्माण कार्य जारी है।

(3) कोशी जलविद्युत केंद्र (केएचपीएस)

कोशी जलविद्युत केंद्र (कटैया), बीरपुर में 4.8 मेगावाट की 4 इकाइयों का निर्माण 1970 से 1978 के बीच हुआ था। नवंबर, 2003 में यह परियोजना बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) को हस्तांतरित कर दी गई थी। चार में से तीन इकाइयों के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो गया है और बिजली उत्पादन शुरू हो गया है।

(4) पूर्वी गंडक नहर जलविद्युत परियोजना

पश्चिम चंपारण के बाल्मीकिनगर स्थित पूर्वी गंडक नहर जलविद्युत परियोजना में 5 मेगावाट की 3 इकाइयों का आरंभ 1996-97 हुआ था।

(5) सोन पश्चिमी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना

रोहतास जिले के डेहरी-ऑन-सोन स्थित सोन पश्चिमी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना में 1.65 मेगावाट की 4 इकाइयाँ हैं जिनका आरंभ 1991-92 हुआ था।

(6) सोन पूर्वी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना

औरंगाबाद जिले के बारुन स्थित सोन पूर्वी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना में 1.65 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं जिनका आरंभ 1996-97 हुआ था।

(7) अगनूर जलविद्युत परियोजना

अरवल जिले को अगनूर जलविद्युत परियोजना में 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं जिनका आरंभ 2004-05 हुआ था।

(8) ढेलाबाग जलविद्युत परियोजना

रोहतास जिले की ढेलाबाग जलविद्युत परियोजना में 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयाँ हैं जिनका आरंभ 2006-07 हुआ था।

(9) त्रिवेणी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना

पश्चिम चंपारण जिले की त्रिवेणी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना में 1.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2007-08 हुआ था।

(10) नासरीगंज जलविद्युत परियोजना

रोहतास जिले की नासरीगंज जलविद्युत परियोजना में 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2007-08 हुआ था।

(11) सेबारी जलविद्युत परियोजना

रोहतास जिले की सेबारी जलविद्युत परियोजना में 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2008-09 हुआ था।

(12) जयनगरा जलविद्युत परियोजना

रोहतास जिले की जयनगरा जलविद्युत परियोजना में 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2007-08 हुआ था।

(13) सिरखिंडा जलविद्युत परियोजना

रोहतास जिले की सिरखिंडा जलविद्युत परियोजना में 0.35 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2009-10 हुआ था।

(14) बेलसार जलविद्युत परियोजना

अरवल जिले की बेलसार जलविद्युत परियोजना में 0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2011-12 हुआ था।

(15) अरवल जलविद्युत परियोजना

अरवल जिले की अरवल जलविद्युत परियोजना में 0.5 मेगावाट की 1 इकाई है जिसका आरंभ 2011-12 हुआ था।

अभी बिहार में कुछ और विद्युत उत्पादन इकाइयों का काम प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर केंद्रीय क्षेत्र की बिजली पर राज्य की निर्भरता कम हो जाएगी। इन नई परियोजनाओं के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं :

- (1) **नबीनगर चरण-1 संयंत्र** : यह परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। इस विद्युत परियोजना के लिए 660 मेगावाट की 3 इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार के सतत प्रयासों के कारण केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा राज्य में अपनी उत्पादन इकाई शुरू करने के लिए कोल लिंकेज आर्बटिट कर दिया गया है।
- (2) **बक्सर विद्युत परियोजना** : चौसा में 660 मेगावाट की 2 इकाइयों वाली ग्रीनफोल्ड विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सतलुज जलविद्युत निगम के साथ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था।
- (3) **अतिविशाल विद्युत परियोजना (बांका)** : बांका में लगभग 4000 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसके लिए 2,500 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई

है। केंद्रीय जल आयोग ने गंगा नदी से 120 क्यूसेक पानी देने के लिए सहमति प्रदान की है। परियोजना की कार्यावधि से पहले की गतिविधियां चलाने के लिए विद्युत वित्त निगम ने दो विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) सम्मिलित किए हैं। केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय ने इसके लिए 73.1 करोड़ टन की आरक्षित क्षमता वाला बरहट और धुलिया नाला कोयला ब्लॉक आबंटित किया है। बिहार को इस परियोजना से 2,000 मगावाट बिजली आबंटित की गई है।

तालिका 6.17 : विद्युमान और योजना वाली उत्पादन इकाइयों के विवरण

तापविद्युत संबंधी योजना	2015-16	2016-17	2017-18 (प्रगति पर)	2018-19	2022तक (आगामी परियोजनाएं)	2022के बाद
कांटी तापविद्युत परियोजना (2x110 मेगावाट) (2x195 मेगावाट)	220 मेगावाट	195 मेगावाट की यूनिट 3	195 मेगावाट की यूनिट 4 का काम पूरा	—	—	—
बरौनी तापविद्युत परियोजना (2x110 मेगावाट) (2x250 मेगावाट)	—	110 मेगावाट की यूनिट 7, नवंबर 16	500 मेगावाट की यूनिट 8, जनवरी 18 यूनिट 9, फरवरी 18 (प्रत्येक 250 मेगावाट की) यूनिट 6, जनवरी 18 (110 मेगावाट)	—	—	—
नवीनगर तापविद्युत परियोजना (3x660 मेगावाट) 1980 मेगावाट	—	—	—	1320 मेगावाट यूनिट 1 : मई-18 यूनिट 2 : नवंबर-18 (प्रत्येक 660 मेगावाट की)	660 मेगावाट यूनिट 3 : मई-19	—
बक्सर तापविद्युत परियोजना (2x660 मेगावाट) सतलुज जलविद्युत निगम लि.	—	—	—	—	1320 मेगावाट 20.11.15 को समझौता-पत्र हस्ताक्षरित	—
बांका अतिविशाल विद्युत परियोजना (4000 मेगावाट)	—	—	—	—	—	4000 मेगावाट
कुल स्थापित क्षमता	220 मेगावाट	525 मेगावाट	1330 मेगावाट	2650 मेगावाट	4630 मेगावाट	8,630 मेगावाट

टिप्पणी : कजरा परियोजना के लिए राष्ट्रीय तापविद्युत निगम और पीरपेंटी परियोजना के लिए राष्ट्रीय जलविद्युत निगम के साथ समझौतों का नवीकरण प्रक्रियाधीन है।

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

6.9 नई योजनाएं/ परियोजनाएं

समेकित विद्युत विकास योजना

इस परियोजना के तहत चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति करने और संचरण एवं वितरण हास में कमी सुनिश्चित करने के लिए वितरण फ्रैंचाइजी वाले 6 क्षेत्रों को छोड़कर बिहार के 133 वैधानिक शहरों में नेट-मीटिंग, फीडरों/ वितरण ट्रांसफर्मरों/ उपभोक्ताओं के मीटिंगों के संबंधित काम शामिल हैं। इससे चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति और संचरण एवं वितरण हास में कमी सुनिश्चित होगी। योजना का कुल स्वीकृत व्यय 2,100.50 करोड़ रु. है। पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम की जारी योजना को इसमें समाहित कर दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार परियोजना व्यय का 60 प्रतिशत भाग अनुदान के बतौर देगी और शेष 40 प्रतिशत हिस्से की व्यवस्था राज्य सरकार/ वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा की जाएगी। निविदा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम सौंप दिया गया है और प्रगति पर है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार ने किया है जिसके उद्देश्यों का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। काम प्रगति पर है और पूरा होने का लक्षित समय दिसंबर 2018 है। परियोजना का कुल स्वीकृत व्यय 5,827.23 करोड़ रु. है। केंद्र सरकार परियोजना व्यय का 60 प्रतिशत भाग अनुदान के बतौर देगी और शेष 40 प्रतिशत हिस्से की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी है।

मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना

विकसित बिहार के लिए सात में से एक संकल्प ‘हर घर बिजली’ की प्राप्ति के लिए गरीबी रेखा से नीचे के सारे परिवारों को ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं, गरीबी रेखा से ऊपर के (एपीएल) सारे ग्रामीण परिवारों को मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिसंबर 2018 तक सभी परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध करा देने का लक्ष्य है। इस परियोजना का अनुमानित व्यय 1,897.50 करोड़ रु. है।

उच्चल विद्युत वितरण सुनिश्चय योजना (उदय)

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के संचालनात्मक और वित्तीय कायापलट के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने उदय योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत संचालनात्मक और वित्तीय कुशलताओं में सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं जिनका अंतिम लक्ष्य 2019-20 तक (क) संचरण एवं वितरण हास को घटाकर 15 प्रतिशत तक लाना, और (ख) आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और औसत वसूल राजस्व (एआरआर)

के बीच अंतर को घटाकर शून्य के स्तर तक लाना है। इस संबंध में 22 फरवरी, 2016 को बिहार सरकार, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और वितरण कंपनियों (उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी) के बीच त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। इस योजना में अगले दो वर्षों में वितरण कंपनियों के 75 प्रतिशत ऋण को राज्य सरकार द्वारा अपने जिम्मे ले लेने का प्रावधान किया गया है (50 प्रतिशत 2015-16 में आर 25 प्रतिशत 2016-17 में)। उदय योजना के तहत बिहार की दोनों वितरण कंपनियों के कुल 3,109.05 करोड़ रु. ऋण में से 2,332.01 करोड़ रु. को राज्य सरकार द्वारा अपने जिम्मे ले लिया गया है।

अभी उदय के वेबसाइट पोर्टल (www.uday.gov.in)के जरिए संचरण एवं वितरण हास तथा आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूल राजस्व के बीच फासले में कमी लाने के लिए लक्षित सारे पैरामीटर ऑनलाइन कर दिए गए हैं जिस पर हर भागीदार कंपनी को अपनी प्रगति की रिपोर्ट मासिक/ त्रैमासिक आधार पर अपलोड करनी है। हर गतिविधि के लिए प्राप्तांक तय किए गए हैं और मासिक/ त्रैमासिक उपलब्धि के आधार पर भागीदार राज्यों की वितरण कंपनियों की रैंकिंग तय होती है। बिहार की दोनों वितरण कंपनियों ने 2016-17 में संचरण एवं वितरण हास 2015-16 के 43.5 प्रतिशत से घटाकर 40.60 प्रतिशत पर ले लाया है। इस अवधि में आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूल राजस्व के बीच का अंतर भी 89 पैसे प्रति इकाई से घटाकर 61 पैसे प्रति यूनिट तक ले लाया गया है।

6.10 विद्युत क्षेत्र में हुए विकास

स्पॉट बिलिंग : राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एंड्रॉयड मोबाइल और ब्लू टूथ प्रिंटर के जरिए उन्हों की जगह पर बिल तैयार करना शुरू कर दिया गया है।

टैरिफ युक्तिकरण : बिहार ‘टैरिफ युक्तिकरण’ (रैशनलाइजेशन) को लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के उपाय के बतौर 2017-18 के लिए टैरिफ आदेश ‘शून्य सब्सिडी’ के आधार पर जारी किया गया है ताकि वह आपूर्ति का सही व्यव्य, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली अपफॉन्ट सब्सिडी और वितरण कंपनियों को दी जाने वाली सहायता (अगर दी जाती है, तो) को व्यक्त करे।

वी-वैलेट : राज्य में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में वी-वैलेट के जरिए राजस्व संग्रहण का काम भी ग्रामीण राजस्व फ्रैंचाइजी सहित बिल निर्माण एवं संग्रहण अभिकरणों को सौंप दिया गया है। हालांकि कंपनी के अपने पॉस काउंटरों द्वारा शहरी क्षेत्रों में संग्रहण का काम जारी रहेगा।

हाट्जेप के जरिए बिजली चोरी के मामले में सुधार : उपभोक्ताओं द्वारा पूरे राज्य में बिजली की चोरी के मामले में सूचना देने के लिए एक अलग और खास नंबर इसी मकसद से जारी किया गया है।

परियोजना अनुश्रवण ऐप : राज्य में विद्युत वितरण कंपनियों की विभिन्न जारी परियोजनाओं के सघन और उसी समय अनुश्रवण के लिए 'डीसी-नाइन' नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के जरिए परियोजना की ताजातरीन स्थिति और उसके निरीक्षण से संबंधित जानकारी को परियोजना के क्षेत्र में स्थित अधिकारियों द्वारा उसी स्थान से अपलोड किया जा सकता है। मुख्यालय में मौजूद अधिकारियों को सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआइएस) से यह जानकारी मिल जाती है जिसके चलते परियोजना का लगातार अनुश्रवण होता रहता है।

टॉल फ्री नंबर 1912 : उपभोक्ताओं की शिकायतें दूर करने के लिए चौबीसों घंटे काम करने वाला शुल्करहित नंबर 1912 शुरू किया गया है। इस नंबर पर शिकायत दर्ज करने पर उपभोक्ता को उनकी शिकायत के संबंध में कॉल या एसएमएस किया जाएगा। उपभोक्ताओं के साथ उच्च प्रबंधन के समय-समय पर संवाद के लिए भी व्यवस्था की गई है।

रिमोट मीटर रीडिंग : उच्च विभव और निम्न विभव औद्योगिक उपभोक्ताओं के मीटरों का मुख्यालय से ही पठन ले लिया जा रहा है।

प्रीपेड मीटरिंग : पटना में मीटर संबंधी बेहतर व्यवस्था के लिए विद्युत बोर्ड कॉलोनी में प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू किया गया है जिसका विस्तार चरणबद्ध ढंग से दूसरे उपभोक्ताओं तक भी किया जाएगा।

संचरण प्रणाली में नई तकनीकें : संचरण प्रणाली की नई परियोजनाओं में उप-कंट्र स्वचालन प्रणाली (एसएएस), ऑप्टीकल ग्राउंड वायर (ओपीजीडब्ल्यू), उच्च तापमान पर कम झोल वाले (एचटीएलएस) कंडक्टर और गैस इनसुलेटेड सिस्टम (जीआइएस) जैसे बिजली क्षेत्र की सबसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग शुरू किया गया है।

जीआइएस मानचित्रण : 33 केवी, 132 केवी, 220 केवी और 400 केवी स्तर पर बिजली लाइनों, विद्युत उप-कंट्रों और ग्रिड उप-कंट्रों के जीआइएस मानचित्रण का काम पूरा हो गया है।

6.11 बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा)

बिहार की अधिकांश स्थापित क्षमता तापविद्युत संयंत्रों में संकेंद्रित है। इससे बिजली के स्वच्छ उत्पादन के संबंध में ही चिंता नहीं पैदा होती है, बल्कि कोयला के अत्यंत उत्तर-चढ़ाव भरे मूल्य को देखते हुए वह राज्य के लिए आर्थिक बोझ भी बन जाता है। अतः जलविद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ, राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) नामक अभिकरण भी बनाया है जो राज्य में बिजली उत्पादन के लिए गैर-परंपरागत स्रोतों के उपयोग वाली परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार ब्रेडा को योजनाओं के लिए सम्बिंदी देने और स्थापना व्यय के मकसद से धनराशि उपलब्ध कराती है।

तालिका 6.18 : ब्रेडा की उपलब्धियां

योजना	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु.)
2012-13		
A. सोलर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) योजना		
सौर लालटेनों का वितरण (सभी जिलों में)	2000 अदद	0.30
सौर लालटेनों का वितरण (सभी जिलों में जनसूचित जातियों/जनजातियों के बीच)	4000 अदद	0.60
B. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की योजनाएं		
पटना नगर निगम द्वारा पटना में विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना	240 अदद	0.72
नेपुरा, पिल्ही, सारिलचक और जहानाबाद (नाहुब) गांवों में एलईडी बल्ब और स्ट्रीट लाइट लगाना	1152 अदद	0.13
2013-14		
A. सोलर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) योजनाएं		
बिहार सौर क्रांति की सिंचाई योजना के तहत सोलर बाटर पॉर्पिंग सिस्टम लगाना	493 अदद	16.30
माननीय मुख्यमंत्री के आवास, जनता दरबार और आवासीय कार्यालय का सौर विद्युतीकरण	100 किवापा	4.50
सौर लालटेनों का वितरण (सभी जिलों में)	5000 अदद	0.99
सोलर होमलाइट का वितरण	4900 अदद	2.94
B. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की योजनाएं		
पटना नगर निगम द्वारा पटना में विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना	366 अदद	0.31
बोधगया नगर पंचायत द्वारा बोधगया में विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना	200 अदद	16.68
2014-15		
A. सोलर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) योजनाएं		
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सिंचाई योजना के तहत सोलर बाटर पॉर्पिंग सिस्टम लगाना	989 अदद	29.39
बक्सर खुली जेल का सौर विद्युतीकरण	100 किवापा	1.55
अभिलेख भवन का सौर विद्युतीकरण	50 किवापा	0.78
विद्युत भवन का सौर विद्युतीकरण	50 किवापा	0.67
मुख्य न्यायाधीश आवास का सौर विद्युतीकरण	40 किवापा	0.62
जिला समाहरणालय, अस्पताल, अतिथिगृह का 25 किवापा सौर विद्युतीकरण	34 अदद (850 किवापा)	15.02
जिला समाहरणालय, अस्पताल, अतिथिगृह का 8-25 किवापा सौर विद्युतीकरण	02 अदद (50 किवापा)	0.84
बाबा भीमराव अंबेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर का सौर विद्युतीकरण	100 किवापा	1.55
B. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की योजनाएं		
पटना नगर निगम द्वारा पटना में विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना	400 अदद	0.32
पटना, बिहारशरीफ, दरभंगा और गया में विभिन्न स्थानों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना	1023 अदद	1.36
2015-16		
सोलर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) योजनाएं		
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सिंचाई योजना के तहत सोलर बाटर पॉर्पिंग सिस्टम लगाना	1000 अदद	29.40
बिहार सौर क्रांति की सिंचाई योजना के तहत सोलर बाटर पॉर्पिंग सिस्टम लगाना	527 अदद	15.21
मुख्य न्यायाधीश भवन का सौर विद्युतीकरण	43 अदद (1075 किवापा)	19.00
जिला समाहरणालय, अस्पताल, अतिथिगृह का 25 किवापा सौर विद्युतीकरण	23 अदद (459 किवापा)	7.71
जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा का सौर विद्युतीकरण	100 किवापा	1.55
अपना घर, पटना का सौर विद्युतीकरण	50 किवापा	0.59
राज्यपाल भवन, पटना का सौर विद्युतीकरण	60 किवापा	1.10
राजधानी वाटिका में सौर विद्युतीकरण	50 किवापा	1.15
कटिहार में सौर लालटेनों का वितरण	5280 अदद	0.90

ब्रेडा की उपलब्धियां 2016-17 और 2017-18 (अक्टूबर 2017 तक)		
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु.)
A. सोलर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) योजनाएं		
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सिंचाई योजना के तहत सोलर वाटर पॉपिंग सिस्टम लगाना	320 अदद	9.83
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सिंचाई योजना के तहत 1 किवापा का सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट सिस्टम लगाना	1622 अदद	24.31
जिला समाहरणालय, अस्पताल, अतिथिगृह का 25 किवापा सौर विद्युतीकरण	78 अदद (1950 किवापा)	34.44
जिला शेखपुरा और जिला जहानाबाद में दीवानी और सत्र न्यायालय भवनों में ई-कोर्ट मोड मिशन परियोजना के तहत 25 किवापा के 2 सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट सिस्टम लगाना	2 अदद (50 किवापा)	0.88
जिला समाहरणालय, अस्पताल, अतिथिगृह का 8-25 किवापा सौर विद्युतीकरण	24 अदद (484 किवापा)	8.14
जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत कटिहार जिले में सोलर स्ट्रोट लाइटिंग सिस्टम	1256 अदद (50.25 किवापा)	1.94
सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगाना	85 अदद	0.15
B. ऊर्जा दक्षता व्यूरो (बीईई) की योजनाएं		
विद्यालयों में ऊर्जा क्लबों की स्थापना	13 अदद	0.046
समस्तीपुर और सारण जिलों के चुनिंदा 8 गावों में एलईडी बल्बों का वितरण	8 अदद	0.059
आदर्श किफायती ऊर्जा उपयोगकर्ता ग्राम परियोजना	1 अदद	0.055

ग्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

6.12 बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड

ताप विद्युत के अलावा, बिहार में जल संसाधनों से जल विद्युत उत्पादन की भी संभावना मौजूद है और अभी कुछ हद तक इसका दोहन भी किया जा रहा है। बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि. की स्थापना राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के विस्तार का प्रेक्षण करने के लिए की गई थी। दसवाँ योजना के दौरान निगम ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अपने पूर्ववर्ती अधिकार के अंतर्गत, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं का भी अन्वेषण शुरू किया। राज्य में अभी 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। अभी निगम राज्य में और अधिक लघु जल विद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं के अन्वेषण में लगा है। ऐसी 17 योजनाओं में अन्वेषण का काम प्रगति पर है।

अध्याय 7

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास बिहार के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां की लगभग 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। ग्रामीण विकास का लक्ष्य जारी सुविधाओं के प्रावधान के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता को समद्ध करना है। सफल ग्रामीण विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों की कृषि पर निर्भरता कम करने वाली आर्थिक गतिविधियों का विविधीकरण और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के लिए सामाजिक अधिसंरचना उपलब्ध कराना होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर ग्रामीण विकास महज कृषि विकास होकर रह जाता है। इस अध्याय में चार महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण विकास को त्वरित करने वाली राज्य सरकार की पहलकदमियों को ही मुख्य रूप से फोकस किया गया है। ये कार्यक्रम हैं - बिहार राज्य ग्रामीण जीविका मिशन (जीविका), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना और जन वितरण प्रणाली। बाद में, इस अध्याय में पंचायती राज योजनाओं के कामकाज और गृहभूमि वितरण, आपदा प्रबंधन प्रणाली, तथा पर्यावरण संबंधी प्रासंगिक जानकारी भी प्रस्तुत की गई है। बाद में इस अध्याय में पंचायती राज संस्थाओं का प्रदर्शन दर्शाया गया है और गृहभूमि का वितरण, आपदा प्रबंधन प्रणाली तथा पर्यावरण के संबंध में भी प्रासंगिक जानकारी दी गई है।

7.1 गरीबी

गरीबी मापने के लिए समाप्त कर दिए गए योजना आयोग ने 1993-94 और 1999-2000 के लिए लकड़ावाला समिति के अनुमानों को स्वीकार किया था और 2004-05 तथा 2011-12 के लिए तेंदुलकर समिति के अनुमानों का उपयोग किया था। तालिका 7.1 में बिहार और भारत के लिए गरीबी अनुपात दर्शाएं गए हैं - दो अनुमान राज्य के विभाजन के पहले के और दो उसके बाद के वर्षों के लिए हैं। खुशी की बात है कि बिहार में गरीबी अनुपात 2004-05 के 54.4 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 33.7 प्रतिशत रह गया है अर्थात् इस बीच 20.7 प्रतिशत अंकों की कमी हई है। इस अवधि में संपूर्ण भारत के स्तर पर 15.3 प्रतिशत अंकों की ही कमी आई थी - 37.2 प्रतिशत से 21.9 प्रतिशत। साथ ही यह भी गौरतलब है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात में आई कमी (21.6 प्रतिशत अंक) शहरी क्षेत्रों में आई कमी (12.5 प्रतिशत अंक) से अधिक है। इस पर गौर करना भी दिलचस्प है कि शहरी क्षेत्रों में बिहार और भारत के बीच का अंतर (17.5 प्रतिशत अंक) ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में अंतर (8.4 प्रतिशत अंक) से काफी कम है। सांख्यिकी परिशिष्ट (तालिका 7.1) में देश के विभिन्न राज्यों में ग्रामीण, शहरी और समग्र गरीबी अनुपातों के स्तर प्रस्तुत हैं।

विभिन्न राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखाओं में अंतर रहता है। वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर की प्रविधि का उपयोग करके राष्ट्रीय गरीबी रेखा का अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति 816 रु. प्रति माह और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति 1,000 रु. प्रति माह उपभोग व्यय के स्तर पर किया गया था। इस लिहाज से पांच लोगों के परिवार के लिए संपूर्ण भारत के स्तर पर गरीबी रेखा का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 4,080

रु. प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 5,000 रु. प्रति माह उपभोग व्यय ठहरता है। इसी प्रकार, बिहार के मामले में 2011-12 में गरीबी रेखाएं इस प्रकार निर्धारित थीं - ग्रामीण क्षेत्रों में 778 रु. और शहरी क्षेत्रों में 923 रु. मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। इसका अर्थ हुआ कि यहां पांच लोगों के परिवार के लिए मासिक उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 3,890 रु. और शहरी क्षेत्रों में 4,615 रु. होगा (तालिका 7.1)। बिहार में निम्न गरीबी रेखा शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में कीमतों के कम स्तरों को व्यक्त करती है।

तालिका 7.1 : बिहार और भारत में गरीबी अनुपात

क्षेत्र		1993-94	1999-00	2004-05	2011-12	2004-05 से	गरीबी रेखा	
						2011-12 के बीच गरीबी में कमी	2004-05	2011-12
बिहार	ग्रामीण	58.2	44.3	55.7	34.1	21.6	433	778
	शहरी	34.5	32.9	43.7	31.2	12.5	526	923
	संयुक्त	55.0	42.6	54.4	33.7	20.7	—	—
भारत	ग्रामीण	37.3	27.1	41.8	25.7	16.1	447	816
	शहरी	32.1	23.6	25.7	13.7	12.0	579	1000
	संयुक्त	36.0	26.1	37.2	21.9	15.3	—	—

टिप्पणी : गरीबी रेखा = मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार

7.2 ग्रामीण विकास कार्यक्रम

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं सहित सारी ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। उनका लक्ष्य ग्रामीण गरीबी में कमी लाना, रोजगार पैदा करना और भूख तथा कुपोषण समाप्त करना और इस प्रकार मानव जीवन की बेहतर गुणवत्ता की दिशा में बढ़ना होता है। इस खंड में राज्य में चल रहे ऐसे चार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

बिहार ग्रामीण जीविका प्रमोशन सोसाइटी (जीविका)

बिहार ग्रामीण जीविका प्रमोशन सोसाइटी बिहार में ग्रामीण आबादी के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के प्रति कृतसंकल्प है। वर्ष 2007 में अपने आरंभ के बाद से समिति राज्य और केंद्र द्वारा प्रायोजित अनेक गरीबी निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। यह राज्य में ग्रामीण राष्ट्रोय ग्रामीण जीविका मिशन के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। इसका आरंभ पहले छह जिलों में किया गया था लेकिन चरणबद्ध ढंग से इसका विस्तार अब राज्य के सभी 38 जिलों के सभी 534 प्रखंडों में कर दिया गया है।

10 वर्षों की अवधि में जीविका ने स्वयं सहायता समूहों के जरिए सशक्त और टिकाऊ संस्थाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। इन समूहों को ग्राम संगठनों और संकुल स्तरीय संगठनों में संघबद्ध किया जाता है। स्वयं सहायता समूह निर्माण की गति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मिशन सितंबर 2017 तक 79.12 लाख परिवारों को 6.76 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर चुका है। इस अवधि तक 41,660 ग्राम संगठनों और 577 संकुल स्तरीय संघों का भी गठन किया जा चुका है। साथ ही, वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2017 तक 4.55 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंकों के साथ जोड़ा गया है और वे कुल 3,729 करोड़ ऋण प्राप्त करने में सफल हुए हैं (तालिका 7.2)। जीविका के बारे में तालिका 7.2 में प्रस्तुत वार्षिक जानकारी से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में कार्यक्रम की बहुत तेज प्रगति हो रही है।

तालिका 7.2 : जीविका की प्रगति

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 सितंबर 17 तक
गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या	91785	157157	365150	470220	610808	675744
गठित ग्राम संगठनों की संख्या	5069	7452	14363	31229	35681	41,660
गठित संकुल स्तरीय संघों की संख्या	71	150	231	318	415	577
बैंकों के साथ ऋण-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों की संख्या	46251	69778	121181	221261	391314	454532
बैंक ऋण की रकम (करोड़ रु.)	227	376	659	1300	2993	3729

टिप्पणी : तालिका 7.2 में दिए गए संख्यों आंकड़े हैं।

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

जीविका के समर्पित काम के कारण केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने 2016-17 में बिहार को दो सूचकों के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कृत किया है। ये सूचक हैं बैंकों द्वारा स्वयं सहायता संगठनों के साथ ऋण संपर्क और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) का प्रदर्शन। मंत्रालय ने 2016-17 में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में से एक होने के लिए गया के ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान को भी पुरस्कृत किया है। यह संस्थान पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संचालित है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवक-युवतियों के लिए टिकाऊ रोजगार पैदा करने के लिए नियोजन से जुड़ी कौशल विकास योजना है। राज्य के ग्रामीण गरीबों के सामने आधुनिक बाजार से प्रतिस्पर्धा करने से रोकने वाली अनेक चुनौतियां हैं जैसे कि औपचारिक शिक्षा और विपणन योग्य कौशलों की कमी। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लक्ष्य वैश्विक मानकों के लिहाज से चिन्हित प्रशिक्षण परियोजनाओं का वित्तपोषण करके इस कमजोरी को दूर करना है। नियोजन के अलावा इस कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण श्रमिकों के लिए काम में लगे रहना, और कैरियर में प्रगति सुनिश्चित करने के भी प्रयास किए जाते हैं।

योजना के क्रियान्वयन के लिए 47 साझीदार क्रियान्वयन अभिकरणों को चिन्हित किया गया था और इन अभिकरणों द्वारा बिहार में 90 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए थे। इस कार्यक्रम के तहत सितंबर 2017 तक 1.70 लाख युवक-युवतियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 0.89 लाख का उचित नियोजन भी हो गया (तालिका 7.3)। विश्व बैंक परियोजना और प्रत्यक्ष नियोजन के जरिए अतिरिक्त 0.99 लाख युवक-युवतियों के नियोजन को भी ध्यान में रखें तो लाभार्थियां की कुल संख्या लगभग 1.87 लाख हो जाती है।

तालिका 7.3 : सितंबर 2017 तक कौशल विकास और नियोजन की स्थिति

कार्यक्रम	प्रशिक्षित	नियोजित
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	38608	23252
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान	131838	65580
अन्य	—	98554
योग	170446	187386

टिप्पणी : अन्य में विश्व बैंक परियोजना और सीधी नियुक्ति शामिल हैं।

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी योजना (मनरेगा)

मनरेगा जीविका की सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और लोकतांत्रिक सशक्तीकरण पर अपने प्रभाव के जरिए ग्रामीण भारत में समावेशी विकास सुनिश्चित करने का एक सशक्त साधन है। इससे आपदाजनित प्रवास में कमी आने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुगुणक प्रभाव होने की भी आशा की जाती है। यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः प्रायोजित सर्वोत्कृष्ट (फ्लैगशिप) कार्यक्रम है। सितंबर 2005 में अधिसूचित इस योजना का अधिदेश अकुशल शारीरिक काम करने के लिए तैयार वयस्क सदस्यों वाले हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तवर्ष में 100 दिनों का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराना है। यह योजना सर्वप्रथम 206 में देश के 200 जिलों में लागू हुई थी। बाद में 2007-08 में इसका विस्तार 130 और जिलों में भी कर दिया गया था। लेकिन अभी यह पूर्णतः शहरी जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में चल रही है।

वर्ष 2011-12 से 2016-17 के बीच मनरेगा के प्रदर्शन के प्रासंगिक आंकड़े तालिका 7.4 में प्रस्तुत है। वर्ष 2016-17 में 142.2 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए और उस वर्ष 16.4 प्रतिशत जॉब कार्ड-धारकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया। हालांकि जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, उनमें से 0.6 प्रतिशत लोगों को ही 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2015-16 में यह आंकड़ा 4.0 प्रतिशत था। धनराशि का उपयोग विगत वर्षों के दौरान बढ़ता गया है और पिछले दो वर्षों में देखें तो 2015-16 में यह 82.0 प्रतिशत और 2016-17 में 88.4 प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 में कुल 873.4 लाख व्यक्ति-दिवस रोजगार सृजन हुआ जबकि 2015-16 में यह आंकड़ा 671.8 लाख व्यक्ति-दिवस था। इसका अर्थ 30.0 प्रतिशत वृद्धि है। कुल मिले रोजगार में महिलाओं का हिस्सा 2016-17 में 43.9 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 में उनका हिस्सा 40.8 प्रतिशत था। मिले रोजगार में वृद्धि के बावजूद पूरे हुए कार्यों की संख्या 2016-17 में सिर्फ 0.72 लाख थी जबकि एक वर्ष पूर्व यह आंकड़ा 1.09 लाख था। इससे लगता है कि 2016-17 में शुरू हुए कुछ काम अपेक्षाकृत बड़े थे जो अगले

वर्ष ही पूरे हो सकते थे। वर्ष 2016–17 में मनरेगा के तहत अर्जित मजदूरी भुगतान के लिए 45.1 लाख बैंक खाते खोले गए और अपडेट करके नरेगा सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि किए गए हैं। कुल मिलाकर, 2015–16 में मनरेगा का प्रदर्शन उसके पिछले वर्ष से काफी अच्छा रहा है।

तालिका 7.4 : मनरेगा का प्रदर्शन

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
जारी जॉबकार्ड की संख्या (लाख)	133.8	133.5	131.9	126.5	131.7	142.2
रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (लाख)	26.8 (20.1)	24.7 (18.5)	20.6 (15.6)	10.4 (8.2)	15.1 (11.5)	23.4 (16.4)
100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (लाख)	1.4 (5.1)	1.6 (6.3)	1.2 (6.0)	0.3 (2.9)	0.6 (4.0)	0.2 (0.6)
रोजगार सृजन (लाख व्यक्ति-दिवस)	866.4	965.4	862.2	352.7	671.8	873.4
कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा	28.2	29.9	35.0	37.3	40.8	43.9
प्रति परिवार औसत रोजगार (व्यक्ति-दिवस)	32.3	39.2	41.9	34.1	45.2	37.5
पूरे हुए कार्यों की संख्या	54589	64846	104832	115055	109394	72693
धनराशि का उपयोग (प्रतिशत)	65.0	82.9	81.8	60.8	82.0	88.4
खुले खातों की संख्या (लाख)	107.6	110.7	111.0	49.3	34.2	45.1

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अपने पूर्ववर्ती रो (आड़ी पर्कित) के लिहाज से प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

सांख्यिकी परिशिष्ट (तालिका 7.2) में मनरेगा के प्रदर्शन में विभिन्न जिलों के बीच काफी अंतर देखा जा सकता है। वर्ष 2016–17 में 9 जिलों में 5 लाख से अधिक जॉब कार्ड जारी किए गए थे जिनमें से सर्वाधिक 6.48 लाख जॉबकार्ड पूर्व चंपारण में, 6.28 लाख मुजफ्फरपुर में और 5.85 लाख गया में जारी किए गए। एक लाख से कम जॉबकार्ड छोटे जिलों – शिवहर (0.90 लाख) और शेखपुरा (0.95 लाख) में जारी किए गए। जॉबकार्ड पाने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति के परिवारों का हिस्सा 25.2 प्रतिशत था। वर्ष 2016–17 में वैशाली (16.2 प्रतिशत), पटना (16.9 प्रतिशत) और मुजफ्फरपुर (17.4 प्रतिशत) में 20 प्रतिशत से कम जॉब कार्ड-धारियों ने रोजगार की मांग की। इसके विपरीत 2016–17 में शिवहर (60.1 प्रतिशत), अरवल (52.4 प्रतिशत) और जहानाबाद (49.9 प्रतिशत) में 50 प्रतिशत से अधिक परिवारों ने रोजगार की मांग की। रोजगार मांगने वालों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में 2.1 प्रतिशत के साथ सारण पहले स्थान पर था और उसके बाद औरंगाबाद (1.6 प्रतिशत) और जहानाबाद (1.6 प्रतिशत)। हालांकि पिछले वर्ष 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने वाले शीर्ष 3 जिले जहानाबाद, बक्सर और मुंगेर थे। 8 जिलों- बेगूसराय, खगड़िया, गया, शेखपुरा, नवादा, मधुबनी, नालंदा और सहरसा में महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक थी। प्रदर्शन की ही तरह धनराशि के उपयोग में भी जिलां के बीच काफी अंतर था सांख्यिकी परिशिष्ट (तालिका 7.3)। अरवल, शेखपुरा, जमुई और सहरसा में धनराशि का उपयोग 97 प्रतिशत से अधिक पाया गया। दूसरी ओर पटना जिले में धनराशि का उपयोग सबसे कम मात्र 45.5 प्रतिशत था।

तालिका 7.5 : मनरेगा के तहत पूरे हुए कार्य

श्रेणियाँ	2014-15	2015-16	2016-17
जल संरक्षण	2433 (2.1)	3191 (2.9)	3524 (4.8)
सूखा अवरोधन	31857 (27.7)	42185 (38.6)	15796 (21.7)
सूक्ष्म-सिंचाई संबंधी कार्य	2237 (1.9)	3783 (3.5)	5133 (7.1)
व्यक्तिगत भूमि पर कार्य	4202 (3.7)	6558 (6.0)	6108 (8.4)
पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार	775 (0.7)	1012 (0.9)	1234 (1.7)
भूमि विकास	4216 (3.7)	6821 (6.2)	8008 (11.0)
बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ से बचाव	379 (0.3)	629 (0.6)	614 (0.8)
ग्रामीण संपर्क पथ	13508 (11.7)	19725 (18.0)	21072 (29.0)
कोई अन्य गतिविधि	53808 (46.8)	24143 (22.1)	9534 (13.1)
पूरे हुए कुल कार्यों की संख्या	115055 (100.0)	109394 (100.0)	72693 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूरे हुए कुल कार्यों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.5 में मनरेगा के तहत पिछले तीन वर्षों में पूरे किए गए कार्यों का विभिन्न श्रेणियों के तहत वितरण प्रस्तुत है। मनरेगा के तहत ग्रामीण पथ-संपर्क और अकाल-रोधी कार्यों की ओर लक्षित परियोजनाओं के जरिए ग्रामीण अधिसंरचना में काफी सुधार हासिल किया गया है। वर्ष 2016-17 में पूरी हुई कुल परियोजनाओं की संख्या 72693 थी जिसमें 29.0 प्रतिशत परियोजनाएं ग्रामीण पथ-संपर्क से और 21.7 प्रतिशत परियोजनाएं अकाल-रोधी कार्यों से संबंधित थीं। तीसरी महत्वपूर्ण श्रेणी भूमि विकास की थी जिसका परियोजनाओं में 11.2 प्रतिशत हिस्सा था। हालांकि विभिन्न श्रेणी के कार्यों के हिस्सा में विभिन्न वर्षों में काफी अंतर रहा है।

यहाँ गौरतलब है कि जीविका अनिवार्यतः प्रोत्साहनकारी योजना है जिसका लक्ष्य क्षमता निर्माण और उत्पादक जीविका में सहयोग करना है। दूसरी ओर, मनरेगा परिवारों को आमदनी की गारंटी करके उन्हें गरीबी में जकड़ने से रोकने की योजना है। ग्रामीण गरीबी में कमी लाने के मामले में दोनों योजनाएं वस्तुतः एक-दूसरे की पूरक हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

ग्रामीण आवास की कमियों को दूर करने और 2022 तक 'सबके लिए आवास' का सरकार का संकल्प पूरा करने के लिहाज से 1 अप्रैल, 2016 से इंदिरा आवास योजना का 'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण' के रूप में पुनर्गठित किया गया है। इस योजना का लक्ष्य गृहविहीन या कच्चे अथवा जीर्ण-शोर्ण मकानों में रहने वाले सभी

परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम का तात्कालिक लक्ष्य 2016-17 से 2018-19 तक, तीन वर्षों में 1.0 करोड़ परिवारों को इसके दायर में लाना है। इस कार्यक्रम के तहत मकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर से बढ़ाकर रसोई के स्वास्थ्यकर स्थान समेत 25 वर्गमीटर कर दिया गया है। हर इकाई को दी जाने वाली सहायता मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रु. और पहाड़ी क्षेत्रों, कठिनाई वाले क्षेत्रों और समेकित कार्ययोजना वाले जिलों में 1,30,000 रु. है। राज्य के 11 जिलों (अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, जमुई, नवादा, मुंगेर, कैमूर, सीतामढ़ी, रोहतास और पश्चिम चंपारण) को समेकित कार्ययोजना वाले जिलों के बतौर चुना गया है। मकान निर्माण के लिए लाभार्थियां को वित्तीय सहायता के अलावा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रु. की भी सहायता मिलेगी। आय संबंधी सहायता के मकसद से लाभार्थियों को मनरेगा के तहत मैदानी क्षेत्रों में 90 व्यक्ति-दिवस का और पहाड़ी क्षेत्रों, कठिनाई वाले क्षेत्रों/ समेकित कार्ययोजना वाले जिलों में 95 व्यक्ति-दिवस का रोजगार भी मिलेगा। इस योजना के तहत पाइप से जलापूर्ति, बिजली कनेक्शन और रसोई गैंस जैसे अन्य सरकारी कार्यक्रमों को भी कनवर्ज करने की कोशिश की जा रही है। इस प्रमुख योजना के व्यय का केंद्र और राज्य द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्तपोषण किया जाता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता वास्तव में वंचित लोगों को लक्षित है और उनका चुनाव वस्तुपरक तथा सत्यापन करने योग्य है, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों का चुनाव सामाजिक-आर्थिक जाति गणना (2011) के आंकड़ों के आधार पर ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2016-17 में इसमें 89.0 प्रतिशत भौतिक उपलब्धि हासिल हुई जबकि 2015-16 में यह मात्र 21.0 प्रतिशत थी (तालिका 7.6)। तालिका से यह भी पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए पूरे हुए मकानों का हिस्सा 60 प्रतिशत के अधिकेशित मानक से नीचे रहा है। अपवाद 2014-15 का वर्ष था जब यह आंकड़ा 90.2 प्रतिशत था। धनराशि के उपयोग की बात करें, तो इसमें गिरावट आई है जो वर्ष 2011-12 के 68.0 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 54.6 प्रतिशत रह गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत धनराशि का कुल व्यय 2017-18 में अभी तक 2,313.78 करोड़ रु. है।


तालिका 7.6 : प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रदर्शन

वर्ष	वार्षिक भौतिक लक्ष्य (लाख)	पूरे हो चुके आवास (लाख)		धनराशि उपयोग का प्रतिशत
		समस्त	अजा एवं अजजा	
2011-12	7.37	4.50 (61.1)	2.00 (44.5)	68.0
2012-13	8.36	8.40 (100.4)	3.72 (44.3)	75.9
2013-14	6.06	6.95 (114.8)	3.12 (51.6)	66.4
2014-15	2.75	4.99 (181.5)	2.48 (90.2)	66.2
2015-16	2.33	1.06 (21.2)	0.29 (11.7)	54.6
2016-17	6.37	5.67 (89.0)	अनु.	अनु.

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्ववर्ती कॉलम के लिहाज से प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

आरेख 7.1 : प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रदर्शन



जन वितरण प्रणाली

जन वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्तक्षेपों में से एक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की सफलता काफी हद तक जन वितरण प्रणाली के कुशल कामकाज पर निर्भर है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दूकानों के नेटवर्क के जरिए सम्बिद्धशुदा दर पर निश्चित मात्रा में मूल खाद्य और अखाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं। समय के साथ जन वितरण प्रणाली के आच्छादन और कामकाज में काफी बदलाव आए हैं लेकिन यह अनिवार्यतः खाद्य सुरक्षा बढ़ाने का साधन रहा है। जन वितरण प्रणाली के दो मुख्य फोकस रहे हैं – एक तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए किसानों को लाभप्रद मूल्य उपलब्ध कराना और दूसरा, गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। जन वितरण प्रणाली की दूकानों के जरिए चार अत्यावश्यक सामग्रियां वितरित की जाती हैं – गेहूं, चावल, चीनी और किरासन तेल।

राज्य में 2017 में जन वितरण प्रणाली के कुल 41,483 दकानदार थे जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का सारांश तालिका 7.7 में प्रस्तुत है। इसके जिलावार वितरण सांख्यिकी परिशिष्ट (तालिका 7.4) में प्रस्तुत हैं। जन वितरण प्रणाली के दकानदारों में पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों का हिस्सा लगभग 36.7 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.3 प्रतिशत और सामान्य जातियों का हिस्सा 20.0 प्रतिशत है। इसमें पूर्व सैनिकों का भी 10.6 प्रतिशत हिस्सा है। हतोत्साहित लगने वाली बात है कि कुल दकानों में महिला स्वयं सहायता समूहों सहित महिलाओं का हिस्सा मात्र 8.5 प्रतिशत है। जन वितरण प्रणाली की दकानों में स्वामित्व का पैटर्न जिला स्तर पर भी राज्य जैसा ही है।

तालिका 7.7 : जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि

दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि	दूकानों की संख्या				प्रतिशत हिस्सा			
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017
अनुसूचित जाति	6857	6891	6905	6773	16.2	16.4	16.4	16.3
अनुसूचित जनजाति	323	327	331	336	0.8	0.8	0.8	0.8
पिछड़ी जाति	12445	12463	12337	11897	29.3	29.6	29.3	28.7
अति पिछड़ी जाति	3068	3109	3203	3298	7.2	7.4	7.6	8.0
अल्पसंख्यक	3036	2812	2806	2659	7.2	6.7	6.7	6.4
महिला	3387	3361	3344	3340	8.0	8.0	8.0	8.1
महिला स्वयं सहायता समूह	202	209	204	184	0.5	0.5	0.5	0.4
अन्य स्वयं सहायता समूह	118	105	102	108	0.3	0.2	0.2	0.3
सहकारी समिति (पूर्व सैनिक)	4579	4494	4469	4406	10.8	10.7	10.6	10.6
दिव्यांग	177	180	178	181	0.4	0.4	0.4	0.4
सामान्य	8259	8190	8180	8301	19.5	19.4	19.4	20.0
योग	42451	42141	42059	41483	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

हर व्यक्ति को खाद्य और पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के बाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को अंत्योदय और प्राथमिकता-प्राप्त परिवार (पीएचएच) परिवारों में बांटा गया है। इस प्रकार जन वितरण प्रणाली की दो योजनाएं चलती हैं : (1) अंत्योदय-जिसमें सभी परिवारों को हर महीने 21 कि.ग्रा. चावल और 14 कि.ग्रा. गेहूं को मिलाकर 35 कि.ग्रा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है तथा (2) प्राथमिकता-प्राप्त परिवार (पीएचएच) योजना - जिसके तहत किसी परिवार के हर पात्र लाभार्थी को हर महीने 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न (2 कि.ग्रा. गेहूं और 3 कि.ग्रा. चावल) उपलब्ध कराया जाता है।

बिहार में जन वितरण प्रणाली के विगत चार वर्षों के कामकाज का ब्योरा तालिका 7.8 में प्रस्तुत है। आबंटन के प्रतिशत में उठाव वाले खाद्यान्नों की मात्रा जन वितरण प्रणाली के कामकाज का एक महत्वपूर्ण सूचक है। आबंटन की मात्रा की बात करें, तो 2013-14 में यह गेहूं के मामले में 10.6 हजार टन था जो बढ़कर 2016-17 में लगभग दूना (21.6 हजार टन) हो गया। चावल के मामले वृद्धि और भी अधिक थी - 2013-14 में 13.4 हजार टन से लगभग 143 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 32.5 हजार टन। आबंटन की तरह ही दोनो अनाजों के मामले में उठाव में भी वृद्धि हुई है। फलतः, चारों वर्षों में गेहूं और चावल, दोनों के उठाव का प्रतिशत 100 प्रतिशत के आसपास रहा है।

तालिका 7.8 : बिहार में जन वितरण प्रणाली के तहत चावल और गेहूं का आबंटन और उठाव

वर्ष	गेहूं			चावल			(टन)
	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	
2013-14	10566	10021	94.8	13407	12919	96.4	
2014-15	19660	18637	94.8	29489	27919	94.7	
2015-16	20965	20536	98.0	31446	29704	94.5	
2016-17	21643	20622	95.3	32465	30685	94.5	

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

गेहूं और चावल के आबंटन तथा उठाव संबंधी जिलावार जानकारी सांख्यिकी परिशिष्ट (तालिका 7.5) में प्रस्तुत है। गेहूं और चावल, दोनों के मामले में उठाव का प्रतिशत 90 प्रतिशत से कम सिर्फ पटना, भोजपुर, दरभंगा और भागलपुर जिलों में रहा है। अन्य जिलों में उठाव का प्रतिशत लगभग एक जैसे ऊंचे स्तर पर है।

जन वितरण प्रणाली की ऑनलाइन निरीक्षण प्रबंधन प्रणाली

ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुरू करने के लिए विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली की ऑनलाइन निरीक्षण प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए एंडायड ऐप विकसित किए गए हैं जिनका प्रबंधन राज्य आंकड़ा केंद्र (एसडीसी) द्वारा किया जाता है। इस काम के लिए सारे अधिकारियों को बंद उपभोक्ता समूह (सीयूजी) वाले सिम और एंडायड मोबाइल उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाइयां की जा रही हैं :

- रेंडम आधार पर जन वितरण प्रणाली की दूकानों का चुनाव
- सरकारी अधिकारियों द्वारा जन वितरण प्रणाली की दूकानों का निरीक्षण
- उसी दिन निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करना
- विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट का मूल्यांकन

7.3 पंचायती राज संस्थाएं

आजादी के बाद पंचायती राज संस्था (पीआरआइ) के औपचारिक आरंभ का संकेत राष्ट्रव्यापी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के शुभारंभ में पाया जा सकता है जब विकास की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए प्रभावी संस्थागत तंत्र की जरूरत महसूस की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं की वर्तमान नीति बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर विकसित हुई। संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज संस्था अब अनिवार्य संगठन में आ गई है।

बिहार पंचायत अधिनियम, 2016 के अनुसार, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को मुखिया, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है। अभी बिहार में 38 जिला परिषदों के अलावा 534 पंचायत समितियां और 8,391 ग्राम पंचायत नौजूद हैं। औसत सदस्य संख्या ग्राम पंचायतों के मामले में 14 है जबकि पंचायत समितियों के मामले में 22 और जिला परिषदों के मामले में 31 है। तीनों में से प्रत्येक स्तर पर सदस्यों के चुनाव के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत और अति पिछड़ी जातियों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। दूसरे, हर जातिगत श्रेणी (सामान्य, अति पिछड़ी जातियां, और अनुसूचित जातियां) में महिला सदस्यों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है। पंचायती राज संस्थाओं का सबसे हाल का चुनाव अप्रैल-मई 2016 में हुआ था जिसमें बिहार राज्य चुनाव आयोग की निगरानी में 2.16 लाख सदस्य चुने गए थे (तालिका 7.9)।

तालिका 7.9 : बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

विवरण	संख्या	सदस्यों/ अधिकारियों की संख्या	प्रति पंचायत सदस्यों की औसत संख्या
जिला परिषद	38	1161	31
पंचायत समिति	534	11497	22
ग्राम पंचायत	8391	114733	14
ग्राम पंचायत सचिव	—	3701	—
न्याय मित्र	—	6947	—
ग्राम कचहरी सचिव	—	7474	—
जिला पंचायती राज अधिकारी	—	38	—
प्रखंड पंचायती राज अधिकारी	—	528	—

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

राज्य में 2020 तक सुशासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने सात निश्चय किए हैं। इनमें से दो निश्चयों का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। यह निश्चय हैं :

- (1) **मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना** : इस योजना का क्रियान्वयन उन वाडों में किया जाता है जहां पानी आर्सेनिक, फ्लोराइड या आयरन से अत्यंत संक्रमित ह, या जहां लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) पेयजल आपर्टी की योजनाओं का पहले से ही क्रियान्वयन कर रही है। पानी को ऐसी जरूरत 70,182 वाडों में महसूस की गई है और इसकी पूर्ति बोरिंग, सबमर्सिबल पंप और वितरण पाइपलाइन के जरिए की जाएगी। इसके लिए 2016-17 में 1794 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2016-17 तक 14,036 वाडों के आच्छादन का लक्ष्य था जिनमें से अभी तक 12101 (86 प्रतिशत) वाडों का आच्छादन हुआ है।
- (2) **मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नालियां पक्कीकरण निश्चय योजना** : इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा गांवों में पक्की नालियों और गलियों का निर्माण वार्ड इम्प्लीमेंटेशन एवं मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा कराया जाएगा। योजना का लक्ष्य 2019-20 तक सारे गांव-टोलों का आच्छादन करना है। इसका क्रियान्वयन 8,391 ग्राम पंचायतों के 1,14,732 वाडों में किया जाएगा। इस वित्तवर्ष में 22,946 वाडों में निर्माण कार्य के लिए 3,053 करोड़ रु. निर्धारित किए गए हैं। अभी तक 22395 वाडों में काम पूरा किया जा चुका है।

पांचवें राज्य वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20) की अनुशंसाओं के अनुसार हर वर्ष विगत वर्ष में हुए कुल वास्तविक व्यय के 2.75 प्रतिशत और राज्य के अपने कर राजस्व के 8.30 प्रतिशत भाग का अंतरण पंचायती राज संस्थाओं को किया जाएगा। कुल अंतरित राशि का तीनों स्तरों पर इस रूप में बंटवारा किया जाएगा : ग्राम पंचायतों को 70 प्रतिशत, पंचायत समितियां को 10 प्रतिशत और जिला परिषदों को 20 प्रतिशत। पंचायतों को होने वाला कुल अंतरण (प्रतिनिधान + अनुदान) 2016-17 में 1,081.11 करोड़ रु. था और 2017-18 में स्वीकृत बजट अनुमान के अनुसार 2,162.31 करोड़ रु. है।

पंचायती राज संस्थाओं के पिछले चार वर्षों के व्यय स्तर तालिका 7.10 में प्रस्तुत हैं। पंचायती राज संस्थाओं के वित्तपोषण के अनेक स्रोत हैं और उनमें साल दर साल काफी अंतर भी होता है। इसके कारण पंचायती राज संस्थाओं के व्यय स्तर का कोई निश्चित रुझान नहीं होता है। जैसे, ग्राम पंचायतों द्वारा व्यय 2014-15 में 1,883

करोड़ रु. था था जो 2015-16 में बढ़कर 3,517 करोड़ रु. हो गया था। व्यय स्तर में ऐसा उतार-चढ़ाव पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मामले में भी दिखता है। वर्ष 2016-17 के अनुमान के आंकड़ों से पता चलता है कि पंचायती राज संस्थाओं के व्यय स्तरों में प्रचुर वृद्धि मुख्यतः मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना और राज्य वित्त आयोग के तहत धनराशि आबंटन के कारण हुई थी।

तालिका 7.10 : पंचायती राज संस्थाओं का व्यय स्तर

(लाख रु.)

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
	(वास्तविक)	(वास्तविक)	(वास्तविक)	(ब.अ.)
ग्राम पंचायत				
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	38860	27821	0	0
2. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	0	0	5252	5123
3. मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना	15533	1084	0	0
4. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	73193	107105	229445	355465
5. राज्य वित्त आयोग के अनुदान	61324	0	75307	145174
6. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	0	0	0	67000
7. पंचायत सरकार भवनों का निर्माण	0	36863	12400	45400
8. आकस्मिक अनुदान	0	0	1072	815
8. ग्राम पंचायत सदस्यों/ अधिकारियों का वेतन और भत्त	163010	15383	28270	31025
योग	351920	188256	351746	650003
पंचायत समिति				
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	11103	7949	0	0
2. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	0	0	503	429
3. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	20907	30662	3424	0
4. राज्य वित्त आयोग के अनुदान	13249	0	17491	32686
5. पंचायत समिति सदस्यों कोभत्त	1614	1946	2287	1929
6. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	-	-	0	500
योग	46873	40557	23705	35544
जिला परिषद				
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	5551	3975	0	0
2. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	0	0	400	304
3. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	10450	15287	1658	0
4. राज्य वित्त आयोग के अनुदान	6940	5026	8910	51696
5. पंचायत समिति सदस्यों कोभत्त	207	431	468	455
6. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	-	-	0	501
योग	23148	24719	11436	52957
कुल योग	421941	253532	386887	738504

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

7.4 गृहभूमि वितरण

भूमि एवं सुरक्षित स्वामित्व अधिकार ग्रामीण क्षेत्रों में किसी घर के स्वामित्व की मुख्य चीज है। ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए जमीन की उपलब्धता में ये चीजें अनिवार्यतः शामिल होती हैं : (1) भूमिहीन गरीबों ने जिस जमीन पर घर बनाया है, उस बासगीत जमीन पर उनको मालिकाना अधिकार देना, और (2) भूमिहीन लोगों को आवासीय भूखंड आबंटित करना।

ग्रामीण आवासन को सबसे पहले 1980 के दशक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत मुख्य गतिविधि के बतौर शामिल किया गया था। वर्ष 1985 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत एक खास अनुपात में धनराशि को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूर परिवारों के लिए आवास निर्माण हेतु कर्णांकित किया गया था। इस योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना गया जो 1989 से 1995 तक जवाहर रोजगार योजना की उपयोजना के रूप में जारी रही। जनवरी 1996 में इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना से अलग करके स्वतंत्र योजना बना दिया गया। उसके बाद से इंदिरा आवास योजना ग्रामीण गरीबों के लिए मुफ्त आवास निर्माण के लिहाज से भारत सरकार को मुख्य आवास योजना बन गई। अप्रैल 2016 से इंदिरा आवास योजना को 'प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण' के रूप में पुनर्गठित किया गया जिसका लक्ष्य सभी गृहविहीन लोगों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। लेकिन अनेक गरीब परिवारों के पास घर की अपनी जमीन भी नहीं है जिस पर वे अपना मकान बना सकें। इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार महादलित, अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति, और पिछड़ी जाति के भूमिहीन परिवारों को 5 डिसिमल जमीन वितरित करती रही है। वर्ष 2015-16 से इस मकसद वाली तीन योजनाओं - महादलित विकास योजना (बिहार रैयती जमीन खरीद नीति, 2010), गृहस्थल योजना (बिहार रैयती जमीन खरीद नीति, 2011) और जनजातीय उप-योजना को एक मुख्य योजना 'अभियान बसेरा' में समाहित कर दिया गया है।

पुनर्वितरणीय न्याय वर्तमान सरकार का एक मुख्य मुद्दा है। हाल के वर्षों में इस मामले में राज्य के राजस्व प्रशासन का विशेष फोकस बासगीत भूमिरहित महादलित एवं उपर्युक्त श्रेणी के अन्य परिवार को मकान के लिए 5 डिसिमल जमीन उपलब्ध कराने पर रहा है। विभाग ने लक्ष्य समूह को चार प्रकार की जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है - (क) गैर-मजरुआ मालिक/ खास जमीन, (ख) गैर-मजरुआ आम जमीन, (ग) बिहार विशेषाधिकृत व्यक्ति गृहभूमि काश्तकारी अधिनियम, 1947 के तहत जमीन, और उक्त प्रकार की जमीनों की अनुपस्थिति में (घ) बिहार रैयती जमीन खरीद नीति, 2010 के तहत खरीदी हुई रैयती जमीन।

अभियान बसेरा के तहत कुल 1.11 लाख परिवारों को भूमिहीन के रूप में चिन्हित किया गया। इन परिवारों को 5 डिसिमल बासगीत जमीन दी गई। नवंबर 2017 तक 1.11 लाख महादलित परिवारों में से 41,591 (64 प्रतिशत) परिवारों को और उसके बाद पिछड़ी जाति के 15,444 (24 प्रतिशत), अनुसूचित जाति के 6,295 (10 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति के 2,134 (3 प्रतिशत) परिवारों को बासगीत जमीन दी गई। कुल सर्वेक्षित परिवारों में से 0.46 लाख परिवार अभी भी बासगीत जमीन पाने से वंचित हैं। कार्यक्रम का विवरण तालिका 7.11 में प्रस्तुत है।

तालिका 7.11 : अभियान बसेरा कार्यक्रम की नवंबर 2017 तक स्थिति

विवरण	महादलित	अनसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति		योग
				अनुसूची-1	अनुसूची-2	
सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों की सं.	66949 (60.3)	12852 (11.6)	3937 (3.5)	17204 (15.5)	10096 (9.1)	111038 (100.0)
जमीन पाने वाले परिवारों की सं.	41591 (63.5)	6295 (9.6)	2134 (3.3)	10200 (15.6)	5244 (8.0)	65464 (100.0)
जमीन पाने से वर्चित परिवारों की सं.	25358 (55.6)	6557 (14.4)	1803 (4.0)	7004 (15.4)	4852 (10.6)	45574 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योगफल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

बासगीत जमीन के लिए उक्त कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किया जाता है। भूमि प्रशासन में सुधार के लिए इस विभाग ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं :

- (क) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती अधिनियम, 2011 के तहत विभाग ने सभी 38 जिलों में एरियल फोटोग्राफी का काम पूरा कर लिया है। वास्तविक जमीन पर जाकर दस्तावेजों के सत्यापन का काम प्रगति पर है। सभी 38 जिलों के कैडेस्ट्रल मानचित्रों और 28 जिलों के पुनरीक्षण मानचित्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है।
- (ख) अंचल कार्यालय जमीन के दस्तावेजों का मुख्य स्रोत होता है। इसलिए अंचल कार्यालयों और अनुमंडल कार्यालयों के बीच संपर्क बनाए रखना अनिवार्य होता है। ऐसा संपर्क सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 534 में से 457 अंचल कार्यालयों में डेटा इंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति कर दी है। इसके अलावा, 531 अंचल कार्यालयों में नेटवर्किंग सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी गई हैं।


तालिका 7.12 : बिहार में जोतें

श्रेणी का आकार	कार्यशील जोतों की संख्या (हजार में)		कार्यशील जोतों का क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर में)		कार्यशील जोतों का औसत आकार (हेक्टेयर में)	
	2005-06	2010-11	2005-06	2010-11	2005-06	2010-11
सीमांत	13139 (89.6)	14744 (91.1)	3313 (53.0)	3669 (57.4)	0.25	0.25
लघु	979(6.7)	948 (5.9)	1224 (19.6)	1186 (18.6)	1.25	1.25
अर्ध-मध्यम	438(3.0)	414 (2.6)	1135 (18.2)	1073 (16.8)	2.59	2.59
मध्यम	97(0.7)	81 (0.5)	505(8.1)	415(6.5)	5.21	5.12
बृहद	4(0.03)	4 (0.02)	74(1.2)	45(0.7)	18.5	11.25
योग	14657 (100.0)	16191 (100.0)	6251 (100.0)	6388 (100.0)	0.43	0.39

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योगफल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि गणना (सेंसस) 2005-06 और 2010-11

आरेख 7.2 : कार्यशील जोतों का औसत आकार (हेक्टेयर)



कृषि गणना (सेंसस) 2010-11 के अनुसार, राज्य में कार्यशील जोतों की कुल संख्या 2005-06 के 146.6 लाख से बढ़कर 161.9 हो गई जो 10.5 प्रतिशत की वृद्धि है। वहीं 2010-11 में कार्यशील जोतों के क्षेत्रफल में 2005-06 के मुकाबले कुल वृद्धि मात्र 2.2 प्रतिशत थी। गौरतलब है कि कार्यशील क्षेत्रफल में सीमांत किसानों के जोतों का हिस्सा 2005-06 के 53.0 प्रतिशत (33.1 लाख हे.) से बढ़कर 2010-11 में 57.4 प्रतिशत (36.7 लाख हे.) हो गया। यह भी पता चला कि सभी वर्गों में जोतों का आकार इस अवधि में या तो घटा है या स्थिर रहा है। सभी वर्गों में जोतों का औसत आकार 2005-06 में 0.43 हे. था जो 2010-11 में 0.39 हे. रह गया। विवरण तालिका 7.12 में प्रस्तुत है।

7.5 आपदा प्रबंधन

पूरा बिहार प्राकृतिक और मानव-निर्मित, दोनों प्रकार की आपदाओं के लिहाज से असुरक्षित है। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़प्रवण हैं और 33 जिले सिस्मिक जोन 3, 4 और 5 में आते हैं। दक्षिण बिहार के जिले (गया, नवादा, जमुई, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और बांका) अत्यंत सूखाप्रवण हैं। इनके अलावा, राज्य के विभिन्न जिलों में अक्सर चक्रवाती आंधी/ तेज आंधी/ शीतलहर और मानवजनित आपदाएं भी आती रहती हैं। साथ आगलगी भी आम बात है जिससे आम तौर पर झोंपड़ियों में रहने वाली गरीबी रेखा के नीचे की आबादी खास तौर पर प्रभावित होती है। अतः आपदाओं का कुशल प्रबंधन राज्य सरकार के लिए चिंता की मुख्य बात है।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना दा हिस्सों में विभाजित है –आपदा जोखिम प्रबंधन और आपदा संकट प्रबंधन। आपदा जोखिम प्रबंधन बचाव, दुष्प्रभाव न्यूनीकरण और तैयारी से संबंधित है। दूसरी ओर, आपदा संकट प्रबंधन अनुक्रिया और राहत, पुनर्निर्माण और पुनःस्थापन, तथा सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के दायित्वों से संबंधित है।

बाढ़ और चक्रवात आपदा के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए राज्य ने पिछले दो वर्षों में काफी रकम आवंटित की है। वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों पर 1701.63 करोड़ रु. आवंटित किए जो 2015-16 में 1,288.85 करोड़ रु. थे (तालिका 7.13)। इस आवंटन का बड़ा भाग (959.7 करोड़ रु.) नगद सहायता के लिए था। पिछले छः वर्षों में सबसे कम 60.18 करोड़ रु. बजट 2012-13 में था। कुशल आपदा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार ने सेनदाई फ्रेमवर्क एंगीमेंट का पालन करते हुए 15-वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) रोडमैप तैयार किया है और बिहार यह अभ्यास पूरा करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार ने कुशल आपदा प्रबंधन के लिए बैंकॉक स्थित एशियन डिजैस्टर प्रीपरेयर्डनेस सेंटर के साथ भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्य आपदा प्रबंधन बल का गठन किया गया है जो पूरी तरह काम कर रहा है।

तालिका 7.13 : बाढ़ और चक्रवात के लिए आवंटित रकम

(लाख रु.)

कार्यक्रम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राहत एवं बचाव उपकरण	—	—	761.0	1397.8	0.0	0.0
सूखे खाद्य पदार्थों की आपूर्ति	10279.2	1475.0	29357.0	12200.3	6115.3	3037.6
नगद सहायता	2976.7	1053.0	18792.9	9945.3	5266.8	95967.8
कपड़ों और बर्तनों का वितरण	39.0	171.7	109.1	334.0	7615.5	888.5
पेयजल की आपूर्ति	35.5	59.7	41.8	—	24.1	150.0
सड़कों और पुलों की मरम्मत	—	260.2	280.2	—	14.5	0.0
सुरक्षित जगह ले जाने संबंधी कार्य	1774.4	2061.4	3712.8	1830.3	1660.6	5835.0
सार्वजनिक भवनों की मरम्मत	—	197.9	103.1	471.3	4441.7	0.0
कृषि लागत सामग्रियां	1021.2	46.7	12116.2	3981.6	100670.8	15191.2
नावों की मरम्मत	684.3	584.7	713.5	633.0	541.4	490.4
तटबंधों तथा सिंचाई प्रणाली की मरम्मत	—	—	—	500.0	1416.2	30465.6
मानव हेतु दवाएं	21.9	0.0	—	—	0.0	0.0
बाढ़जनित दुर्घटनाओं के मामले में सहायता	275.0	107.1	349.6	363.4	287.4	1816.8
प्राकृतिक आपदा जनित दुर्घटनाओं के मामले में सहायता (बाढ़ छोड़कर)	—	—	—	—	831.1	16320.6
योग	17107.2	6017.5	66337.1	31657.0	128885.5	170163.2

स्रोत : आपदा प्रबंधन विभाग : बिहार सरकार

7.6 पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

दीर्घकालिक से लेकर तात्कालिक जोखिमों तक पर्यावरण संबंधी कारक बड़ी संख्या में मृत्यु, रोग और विकलांगता का मूल कारण है, खास कर विकासशील देशों में। उपलब्ध साक्ष्य सुझाते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता और तीव्रता बढ़ने की काफी आशंका है। बिहार समुद्र के स्तर में वृद्धि को छोड़कर जलवायु परिवर्तन के शेष सभी मुख्य जोखिमों के लिहाज से अत्यंत असुरक्षित स्थिति

में है। बिहार में जलवायु परिवर्तन के प्रमाणों का अभी दिखना शुरू हुआ है लेकिन संपूर्ण भारत के मामले में प्रमाणों से पता चलता है कि बाढ़ और सूखा, दोनों ही की बारंबारता बिहार में बढ़ेगी और वर्षापात के पैटर्न में अनिश्चितता भी बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्यों से भी पता चलता है कि वर्षापात में अंतर के कारण बाढ़ और सूखा के दौर लगातार जल्दी-जल्दी आएंगे और 2050 तक इनकी तीव्रता लगभग दूनी हो जाएगी।

इस पृष्ठभूमि में बिहार ने हाल में बिहार जलवायु परिवर्तन विषयक कार्ययोजना 2015 में (बीएपीसीसी) बनाई है जिसमें जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों की पहचान की गई है और 10 क्षेत्रों में प्राथमिकता वाली 320 कार्रवाइयों को सूचीबद्ध किया गया है। इस दस्तावेज से राज्य को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलित होने और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वैश्विक कमी में योगदान करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, 2016 में वित्तोयन रूपरेखा हेतु राज्य कार्ययोजना (सैपफिन) भी तैयार की गई थी। इस दस्तावेज में राज्य में मौजूदा राजकोषीय गुंजाइश (स्पेस) और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और दुष्प्रभाव शमन के लिए उपलब्ध हो सकने वालों विस्तारित राजकोषीय गुंजाइश की संभावना की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। सैपफिन (वित्तोयन रूपरेखा हेतु राज्य कार्ययोजना) की समीक्षा का सुझाव है कि जलवायु संबंधी भावी वित्तपोषण का 60 प्रतिशत हिस्सा राज्य द्वारा, 7 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा और 17 प्रतिशत केंद्रीय जलवायु कोषों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से उपलब्ध कराया जाय। निजी क्षेत्र भी थोड़ा योगदान कर सकता है लेकिन वित्तपोषण के मामले में कमी रह जाती है जिसकी सैपफिन लो पूरी तरह लागू करने के लिहाज से पूर्ति करने की जरूरत होगी।

सैपफिन संबंधी आर्थिक दस्तावेज के बाद जलवायु परिवर्तन संबंधी उन कार्रवाइयों पर फोकस करने के लिए सैपफिन-2 भी तैयार किया गया है जो बजट और संबंधित विभागों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके योजना व्यय में पहले से ही मौजूद हैं। इसमें अनेक महत्वपूर्ण टूल और मूल्यांकन के परिणाम शामिल हैं। निष्कर्षतः, यह जलवायु परिवर्तन हेतु राज्य कार्ययोजना में मौजूद आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, कृषि रोडमैप और सुस्थिर विकास लक्ष्य (एसडीसी) जैसी विभिन्न क्षेत्रीय और विकासमूलक कार्ययोजनाओं को समेकित करने की गुंजाइश उपलब्ध कराता है।

अध्याय ४

नगर विकास

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर अधिक ध्यान आकर्षित होता है। इसका कारण तो समझ में आता है कि अभी भी देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। यह प्रवृत्ति बिहार में और भी अधिक मौजूद है जहाँ ग्रामीण आबादी का कुल आबादी में लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा है। लेकिन विकास के प्रति संतुलित दृष्टिकोण की मांग है कि शहरी आबादी की जरूरतों को भी पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए। साथ ही, यह बात भी गौरतलब है कि आम तौर पर विकास प्रक्रिया में अधिक योगदान करने वाली द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की अधिकांश गतिविधियां पूरी तरह से शहरी क्षेत्रों में अवस्थित होती हैं। बिहार में नगर विकास की चुनौती के दो घटक हैं – पहला, वर्तमान शहरों और नगरों में पर्याप्त नगरीय सेवाएं उपलब्ध कराना, और दूसरा, शहरीकरण की गति बढ़ाना जिसका आशय वर्तमान शहरों के भौगोलिक विस्तार या बड़े ग्रामीण वासस्थलों के नए शहरों में क्रमिक रूपांतरण से है। बिहार की अर्थव्यवस्था में, खास कर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अनेक घटकों के मामले में हाल के दशक में तेज विकास दिखा है। इसके कारण राज्य में अधिक शहरीकरण होना चाहिए था, लेकिन 2001 और 2011 की जनगणना से ऐसे रुझान का पता नहीं चलता है। राज्य सरकार इस चुनौती को अनेक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के जरिए पूरा करने की कोशिश कर रही है जिनमें से कुछ का क्रियान्वयन केंद्र सरकार के साथ मिलकर किया जा रहा है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार नगर विकास के लिए अधिक संसाधन भी आर्बंटित करती रही है।

8.1 शहरीकरण का स्तर

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर महज 11.3 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 31.2 प्रतिशत है (तालिका 8.1)। बिहार निस्संदेह देश के सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य है। देश की कुल आबादी में बिहार का हिस्सा 8.6 प्रतिशत है लेकिन कुल शहरी आबादी में 3.1 प्रतिशत ही हिस्सा है। बिहार में शहरीकरण का ‘स्तर’ तो निम्न है ही, शहरीकरण की ‘गति’ भी धीमी दर्ज हुई है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत में शहरीकरण के स्तर में 3.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई और शहरी आबादी 2001 के 27.8 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31.2 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत, बिहार में इस बीच इसमें 0.8 प्रतिशत अंकों की ही वृद्धि हुई और यह 2001 के 10.5 प्रतिशत से 2011 में 11.3 प्रतिशत तक ही पहुंची। बिहार में शहरीकरण की यह धीमी गति निस्संदेह एक दीर्घकालिक परिघटना है। वर्ष 1961 से 2011 के बीच आधी सदी में बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र 3.9 प्रतिशत बढ़ा है और 1961 से 7.4 प्रतिशत से 2011 में 11.3 प्रतिशत हुआ है। वहीं, इस अवधि में देश में शहरीकरण के स्तर में 13.2 प्रतिशत अंकों से कम वृद्धि नहीं हुई है जो 1961 से 18.0 प्रतिशत से 2011 में 31.2 प्रतिशत हो गया है।

वर्ष 2001 और 2011 के बीच बिहार में शहरों की संख्या 130 से बढ़कर 199 हो गई (तालिका 8.2)। एक दशक में 69 अतिरिक्त शहरों का उद्भव निस्संदेह एक सकारात्मक विकास है लेकिन इनमें से अनेक नए शहर वस्तुतः बहुत छोटे हैं जिनकी आबादी 10 हजार से भी कम है। बिहार के 199 में से 26 शहरों की ही न्यूनतम आबादी 1 लाख है जहाँ द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों के विकास की आशा की जा सकती है। राज्य की शहरी प्रणाली में राजधानी पटना ने अपनी प्रमुखता बनाए रखी है क्योंकि राज्य की कुल शहरी आबादी में अकेले 21.4 प्रतिशत हिस्सा पटना का है और उसके बाद 5.1 प्रतिशत भागलपुर का।

तालिका 8.1 : बिहार और भारत में शहरीकरण का रुझान

वर्ष	शहरी आबादी (लाख)		शहरीकरण का स्तर	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार
1961	789.4	25.8	18.0	7.4
1971	1091.1	32.4	18.2	7.7
1981	1594.6	50.1	23.3	9.6
1991	2171.8	64.9	25.7	10.0
2001	2853.5	86.6	27.8	10.5
2011	3771.1	117.6	31.2	11.3

स्रोत : भारत की जनगणना

तालिका 8.2 : शहरी आबादी का उनके आकार आधारित श्रेणीकरण के अनुसार वितरण

आकार आधारित श्रेणी	संख्या		आबादी (लाख)		आबादी की विकास दर
	2001	2011	2001	2011	
10 लाख से अधिक	1	1	14.3	16.8	1.6
1 लाख से 10 लाख	18	25	34.2	50.7	3.9
50,000 से 100,000	19	29	13.7	18.8	3.1
20,000 से 50,000	67	75	21.0	24.9	1.7
10,000 से 20,000	19	22	03.1	03.3	0.8
5,000 से 10,000	6	38	00.4	02.6	18.2
5,000 से कम	-	9	-	00.3	-
योग	130	199	86.8	117.6	3.06

स्रोत : भारत की जनगणना

बिहार के जिलों में शहरीकरण के स्तर के मामले में काफी अंतर है (तालिका 8.3)। स्पष्टतः राज्य की राजधानी वाला जिला होने के नाते पटना जिले में शहरीकरण सर्वाधिक 43.1 प्रतिशत है। उसके बाद 5 जिलों में ही शहरीकरण 15 प्रतिशत से अधिक है। ये जिले हैं - मुंगेर (27.8 प्रतिशत), भागलपुर (19.8 प्रतिशत), बेगूसराय

(19.2 प्रतिशत), शेखपुरा (17.1 प्रतिशत) और नलंदा (15.9 प्रतिशत)। दूसरी ओर, कम से कम 7 जिलां-कैमूर, शिवहर, मधुबनी, समस्तीपुर, बांका, सुपौल और मधेपुरा - में शहरीकरण का स्तर 5 प्रतिशत से भी कम है। शहरीकरण के जिलावार आंकड़ों से बिलकुल स्पष्ट है कि उत्तर बिहार में शहरीकरण का स्तर दक्षिण बिहार से बहुत कम है।

तालिका 8.3 : बिहार में जिलावार शहरीकरण (2001 और 2011)

जिले	शहरीकरण		जिले	शहरीकरण	
	2001	2011		2001	2011
पटना	41.6	43.1	दरभंगा	8.1	9.7
नालंदा	14.9	15.9	मधुबनी	3.5	3.6
भोजपुर	13.9	14.3	समस्तीपुर	3.7	3.5
बक्सर	9.2	9.6	बेगूसराय	4.6	19.2
रोहतास	13.3	14.5	मुंगेर	27.9	27.8
कैमूर	3.3	4.0	शेखपुरा	15.6	17.1
गया	13.7	13.2	लखीसराय	14.7	14.3
जहानाबाद	12.1	12.0	जमुई	7.4	8.3
अरवल	—	7.4	खगड़िया	5.9	5.2
नवादा	7.7	9.7	भागलपुर	18.7	19.8
औरंगाबाद	8.4	9.3	बांका	3.5	3.5
सारण	9.2	8.9	सहरसा	8.3	8.2
सीवान	5.5	5.5	सुपौल	5.1	4.7
गोपालगंज	6.1	6.4	मधेपुरा	4.5	4.4
पश्चिम चंपारण	10.2	10.0	पूर्णिया	8.7	10.5
पूर्व चंपारण	6.4	7.9	किशनगंज	10.0	9.5
मुजफ्फरपुर	9.3	9.9	अररिया	6.2	6.0
सीतामढ़ी	5.7	5.6	कटिहार	9.2	8.9
शिवहर	4.1	4.3	वैशाली	6.8	6.7
बिहार				10.5	11.3

स्रोत : भारत की जनगणना

शहरीकरण के एजेंडा को बढ़ावा देने के अलावा, राज्य सरकार का एक अन्य एजेंडा शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं में सुधार करना है। इसलिए कि बिहार में निम्न शहरीकरण का एक कारण शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और जलनिकासी प्रणाली जैसी पर्याप्त बुनियादी सेवाओं की अनुपस्थिति है। यह बात 2011 की जनगणना से साफ तौर

पर प्रकट होती है (तालिका 8.4)। कुल शहरी परिवारों में से 16.7 प्रतिशत को ही परिसर में पाइप से जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। यहां तक कि राजधानी पटना में भी यह सुविधा लगभग आधे परिवारों को ही उपलब्ध थी। छोटे शहरों में तो यह अनुपात बहुत ही कम था। इसी प्रकार, पाइप आधारित मलजल निकासी व्यवस्था से जुड़े शौचालयों वाले घरों का प्रतिशत भी 7.2 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है। ढंकी नालियों की उपलब्धता की सुविधा व्यापक तो है लेकिन सभी जगह नहीं है। बिहार में पूरे शहरी क्षेत्रों में नालियों का आच्छादन लगभग 30 प्रतिशत था। सर्वाधिक 61 प्रतिशत आच्छादन पटना में था।

तालिका 8.4 : बिहार में शहरों के आकार के अनुसार बुनियादी शहरी सेवाओं की उपलब्धता (2011)

शहर का आकार	परिसर में नल से पानी की उपलब्धता वाले परिवार (%)	पाइप सीवर से जुड़े शौचालयों की उपलब्धता वाले परिवार (%)	ढंकी नालियों से जुड़े घरों वाले परिवार (%)
10 लाख से अधिक	50.8	19.6	61.3
1 लाख से 10लाख	13.1	6.1	29.2
50,000 से 100,000	8.7	3.3	18.8
20,000 से 50,000	4.1	3.0	16.3
10,000 से 20,000	5.1	2.9	13.1
5,000 से 10,000	3.1	3.4	17.3
5,000से कम	5.1	2.1	12.9
शहरी बिहार	16.7	7.2	29.9

स्रोत : भारत की जनगणना, 2011

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा हाल में कराए गए सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने अनेक योजनाओं के जरिए शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास किया है। इस सर्वेक्षण में बुनियादी शहरी सेवाओं के चार घटकों को शामिल किया गया था - पाइप से जलापूर्ति, शौचालय, सड़क और जलनिकासी। ये आंकड़े अब तीन प्रकार के शहरी केंद्रों के लिए उपलब्ध हैं - नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। इस सर्वेक्षण में 19.08 लाख परिवारों को नमूना के बतौर लिया गया था (तालिका 8.5 और 8.6)।

पाइप से जलापूर्ति की बात करें, तो तीनों प्रकार के शहरी बसाहटों को ध्यान में रखने पर इसका आच्छादन महज 18 प्रतिशत के निम्न स्तर पर है। यहां तक कि नगर निगम वाले अपक्षाकृत बड़े शहरों में भी एक-तिहाई घरों तक ही पाइप से पानी पहुंचता है (तालिका 8.5)। हालांकि शौचालयों के मामले में बुनियादी सेवाओं की स्थिति काफी बेहतर है क्योंकि उसका आच्छादन लगभग 58 प्रतिशत था। बड़े शहरों में यह आच्छादन 77 प्रतिशत था।

तालिका 8.5 : बिहार के शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी और शौचालय की उपलब्धता

विवरण	शहरों का प्रकार			
	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पंचायत	योग
सर्वेक्षित परिवारों की संख्या (हजार)	727.2	652.4	528.6	1908.2
पाइप से जलापूर्ति वाले परिवारों का प्रतिशत	33.7	10.9	3.8	17.6
शौचालय वाले परिवारों का प्रतिशत	76.7	57.8	34.1	58.4

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

शहर के अंदर आसानी से आने-जाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली पर्याप्त सड़कों की जरूरत पड़ती है। तालिका 8.6 में बिहार के शहरों में सड़कों की स्थिति प्रस्तुत की गई है। कंक्रीट की सड़कों, ब्लॉक बिछाकर बनी सड़कों और डब्ल्यूबीए (वाटर बाउंड मकादम) वाली सड़कों को किसी शहर में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क माना जा सकता है और शहरी क्षेत्रों की कुल सड़कों में उनका 69 प्रतिशत हिस्सा है। बिल्कुल आशानुरूप, गुणवत्तापूर्ण सड़कों का आच्छादन बड़े शहरों में उससे भी अधिक (77 प्रतिशत) है। हालांकि नगर परिषद और नगर पंचायत वाले शहरों में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का हिस्सा कम है - 60 प्रतिशत से भी कम। इस स्थिति में सुधार की जरूरत है। जल निकासी सुविधा (तालिका 8.6) की बात करें, तो उसमें भी दिखता है कि आच्छादन एक जैसा नहीं है यहां तक कि बड़े शहरों में भी, जहां लगभग 30 प्रतिशत सड़कों के किनारे नालियां हैं ही नहीं या कच्ची नालियां हैं।

तालिका 8.6 : बिहार के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और नालियों की स्थिति

	शहरों का प्रकार			
	नगर निगम	नगर परिषद	नगर पंचायत	योग
प्रकार के अनुसार सड़कों का प्रतिशत वितरण				
कच्ची सड़कें	11.0	25.0	24.0	16.0
अलकतरा वाली सड़कें	5.0	11.0	16.0	8.0
कंक्रीट वाली सड़कें	72.0	58.0	50.0	65.0
ब्लॉक बिछी सड़कें	4.0	1.0	1.0	3.0
WBM वाली सड़कें	1.0	1.0	1.0	1.0
ईंट बिछी सड़कें	7.0	4.0	9.0	7.0
योग	100.0	100.0	100.0	100.0
नालियों के अस्तित्व के लिहाज से सड़कों का प्रतिशत वितरण				
बिना नालियों वाली	21.5	49.6	68.4	36.0
कच्ची नालियों वाली	9.4	8.5	5.5	8.4
पक्की नालियों वाली	67.4	41.4	25.9	54.4
ह्यूम पाइप वाली	1.7	0.5	0.2	1.2
योग	100.0	100.0	100.0	100.0

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

8.2 नगर विकास पर व्यय

शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी सेवाओं की अनुपस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार हाल के वर्षों में नगर विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। वर्ष 2015-16 में नगर विकास एवं आवास पर राज्य सरकार का कुल व्यय 3,134 करोड़ रु. था जो 2010-11 में मात्र 1,290 करोड़ रु. था। इसका अर्थ 21.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर होता है (तालिका 8.7)। कुल व्यय का आवास और नगर विकास के बीच अलग-अलग बंटवारा करने पर भी दिखता है कि नगर विकास पर व्यय में उससे भी अधिक - 28.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है जो हाल के वर्षों में इस क्षेत्र पर राज्य सरकार के गंभीर ध्यान होने को दर्शाता है। तालिका 8.7 से यह भी पता चलता है कि नगर विकास एवं आवास पर बजट आबंटन के प्रतिशत के बतौर वास्तविक व्यय का स्तर हाल के वर्षों में ऊँचा अनुपात रहा है। वर्ष 2015-16 में यह 86.2 प्रतिशत के संतोषजनक स्तर पर था। अकेले नगर विकास के लिए यह अनुपात उससे भी अधिक - 94.9 प्रतिशत था।

तालिका 8.7 : बिहार में नगर विकास एवं आवास का व्यय का पैटर्न

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट आबंटन			वास्तविक व्यय		
	आवास	नगर विकास	योग	आवास	नगर विकास	योग
2010-11	796	1744	2541	785 (98.6)	505 (29.0)	1290 (50.8)
2011-12	846	1233	2079	823 (97.3)	572 (46.4)	1395 (67.1)
2012-13	967	1336	2303	827 (85.5)	1139 (85.3)	1966 (85.4)
2013-14	1064	1784	2849	927 (87.1)	1364 (76.4)	2291 (80.4)
2014-15	3826	2108	5934	1598 (41.8)	1455 (69.0)	3053 (51.5)
2015-16	1897	1737	3634	1486 (78.3)	1649 (94.9)	3134 (86.2)
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	29.2	5.5	15.9	16.3	28.9	21.9

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उपयोग का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

8.3 नगर विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)

शहरी क्षेत्रों में जीवन दशा में सुधार के लिए अभी राज्य सरकार अनेक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इस खंड में राज्य योजना के तहत क्रियान्वित होने वाले कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना : इन सातों निश्चयों में से तीन शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं - 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान', 'हर घर नल का जल' और 'हर घर पक्की गली एवं नालियाँ'। नगर विकास एवं आवास विभाग इन तीनों संकल्पों का ध्यान रख रही है।

(क) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना : राज्य सरकार ने 'हर घर नल का जल' योजना की शुरुआत 2019-20 तक शहरी क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइनों के जरिए सभी परिवारों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इस योजना के तहत सारे चापाकलों को हटाने का लक्ष्य है जिन पर शहरी आवादी अपनी पानी संबंधी जरूरतों के लिए निर्भर है। एक मोटा अनुमान है कि लगभग 15.72 लाख परिवारों को इस कार्यक्रम से लाभ होगा। योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार नगर अधिसंरचना विकास निगम (ब्लूडको), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, और स्थानीय नगर निकायों के जरिए किया जा रहा है। सभी नगर निकायों को निम्नलिखित मानकों के अनुसार धनराशि आवंटित की गई है - कुल आवश्यक धनराशि का 30 प्रतिशत हिस्सा पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत अनुदान में आएगा, 2.30 प्रतिशत चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत आएगा और शेष रकम की व्यवस्था राज्य योजना शीर्ष से की जाएगी। योजना की मुख्य विशेषताएं तालिका 8.8 में दर्शाई गई हैं और जिलावार प्रगति तालिका 8.9 में दी गई है।

तालिका 8.8 : मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की मुख्य विशेषताएं

सूचक	परिवारों की संख्या
परिवारों की कुल संख्या	19,08,164
पाइप से जलापूर्ति वाले परिवारों की संख्या	3,36,521
पाइप से जलापूर्ति के लिए आच्छादित परिवारों की संख्या	15,71,643
रणनीति	बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजना के तहत 32 शहरों में 99,079 परिवारों के लिए क्रियान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा अमृत योजना के तहत 21 शहरों में 6,05,148 परिवारों के लिए क्रियान्वयन ब्लूडको द्वारा एशियाई विकास बैंक की 2 योजनाओं और JnNURM की 3 योजनाओं के तहत 1,44,504 परिवारों के लिए क्रियान्वयन स्थानीय नगर निकायों द्वारा निश्चय योजना के तहत 116 निकायों में 7,22,912 परिवारों के लिए क्रियान्वयन
वार्डों की संख्या जिनमें निविदा जारी की गई	3,377 में से 1,176 वार्ड
वार्डों की संख्या जिनमें काम शुरू हुआ	760
कनेक्शन पाने वाले परिवारों की संख्या	64,461

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 8.9 : योजना की जिलावार प्रगति

जिला	कुल शहरी (सं.)		परिवारों की संख्या			
	वार्ड	परिवार	पाइप से जलापूति वाले	नल का पानी पाने वाले (2016-17)	नल का पानी पाने वाले (2017-18)	कुल नल का पानी पाने वाले (2016-18)
पटना	363	333594	159448	18131	9981	28112
नालन्दा	143	71349	21542	1908	1753	3661
भोजपुर	119	57265	4551	2667	1110	3777
बक्सर	60	21875	2261	584	1037	1621
रोहतास	159	66905	12625	771	609	1380
कैम्बूर	41	12796	1663	0	0	0
गया	105	86716	36897	4550	100	4650
जहानाबाद	52	27040	1718	3437	2054	5491
अरबल	25	8685	0	0	500	500
नवादा	70	31374	2458	944	2968	3912
ओरंगाबाद	86	33738	261	0	615	615
सारण	162	72218	7889	1	0	1
सिवान	65	30883	76	35	1053	1088
गोपालगंज	78	26014	0	85	167	252
पूर्व. चम्पारण	170	69525	582	1917	1467	3384
पौश्चम चम्पारण	137	67884	217	1015	1955	2970
मुजफ्फरपुर	91	84836	24251	0	1980	1980
सेतामढ़ी	103	36389	1088	670	1715	2385
शिवहर	15	6344	36	36	755	791
वेशाला	97	36207	4473	2110	100	2210
दरभंगा	77	75852	5182	505	0	505
मधुबनी	71	30899	425	0	0	0
समस्तीपुर	61	23375	1671	0	0	0
बंगसराय	144	87882	2426	100	0	100
मौंगर	99	54716	6370	0	0	0
शखुपुरा	53	19977	3252	0	0	0
लखोसराय	57	28459	6896	1183	0	1183
जमुइ	52	25497	0	0	0	0
खगड़िया	46	18426	338	0	0	0
भागलपुर	116	87368	27241	451	934	1385
बंका	36	12851	49	0	0	0
सहरसा	55	40032	62	510	970	1480
सुपौल	53	22731	91	586	1151	1737
मधेपुरा	41	20293	6	163	623	786
पर्णवा	80	68697	373	0	0	0
किशनगंज	64	33896	0	0	350	350
अररिया	73	34201	103	1154	973	2127
कटिहार	77	41375	0	0	0	0
बिहार	3396	1908164	336521	43513	34920	78433

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

(ख) मुख्यमंत्री शहरी नली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना : संकल्प लिया गया है कि राज्य में शहरी क्षेत्रों के हर वार्ड में सभी सड़कें कंक्रोट की बनाई जाएंगी। इसके अलावा हर शहरी बसाहट को कंक्रोट की सड़कों से जोड़ा जाएगा। हर घर को जल निकासी व्यवस्था और कंक्रोट की सड़कों से जोड़ने के लिए विभाग ने 'घर तक पक्की गली-नलिया' योजना शुरू की है। योजना की शुरुआत शहरी क्षेत्र में अवस्थित हर घर को स्थायी नाली और सड़क से जोड़ने का लक्ष्य लेकर की गई है। वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय नगर निकायों ने दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की और जिनका क्रियान्वयन अब पार्थमिकता सूची के आधार पर किया जा रहा है।

पक्की नली-गली योजना के तहत 2019-20 तक 3,65,490 मकान आच्छादित होगा। धनराशि की जरूरत पूरी करने के लिए 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार अनुदान के तहत धनराशियों के लिए आरक्षित रखा गया है और शेष की पूर्ति राज्य योजना की धनराशि से की जाएगी। वर्षवार लक्ष्य तालिका 8.10 में और योजना की मुख्य विशेषताएं तालिका 8.11 में प्रस्तुत हैं। वहीं जिलावार लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका 8.12 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 8.10 : घर तक पक्की गली नाली योजना का वर्षवार लक्ष्य

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	योग
लक्ष्य (परिवारों की संख्या)	73098 (20)	109647 (30)	109647 (30)	73098 (20)	365490 (100)

टिप्पणी : कोष्टकों में दी गई संख्या प्रतिशत में है।

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 8.11 : घर तक पक्की गली नाली योजना की मुख्य विशेषताएं

सूचक	परिवारों की संख्या
परिवारों की कुल संख्या	19,08,164
निश्चय योजना के तहत आच्छादित परिवारों की संख्या	3,65,490
स्थिति	2016-17 में 73,098 के लक्ष्य में से 66,697 घरों को और 2017-18 के 1,15,049 के लक्ष्य में से 28,691 को (17.07.2017 के 22,379 से अधिक) घरों को (बैकलॉग सहित) आच्छादित किया गया है।
प्राथमिकता सूची सहित दीर्घकालिक कार्ययोजना	वार्ड सभाएं करके सारे वाडों में तैयार की गई और विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया
वाडों की संख्या जिनमें निविदा जारी की गई	3,377 में से 2,916 वाडों में
निविदा वाली योजनाओं की संख्या	6397
वाडों की संख्या जिनमें काम शुरू हुआ	3,377 में से 2,183 वाडों में
वाडों की संख्या जिनमें योजनाएं पूरी हो गई	1786
पूरी हुई गलियों की लंबाई	423.040 (कि.मी.)
पूरी हुई नालियों की लंबाई	323.501 (कि.मी.)

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 8.12 : घर तक पवकी गली नाली योजना का जिलावार लक्ष्य और उपलब्धि

जिला का नाम	कुल शहरी (सं.)		संख्या में	
	परिवार	वार्ड	आच्छादन वाले परिवारों	आच्छादित परिवार
पटना	333594	363	51911	3662
नालंदा	71349	143	11306	8610
भोजपुर	57265	119	8948	7003
बक्सर	21875	60	5469	885
रोहतास	66905	159	16223	4612
कैमूर	12796	41	3103	1243
गया	86716	105	11591	4396
जहानाबाद	27040	52	6627	483
अरवल	8685	25	2171	825
नवादा	31374	70	7586	785
ओरंगाबाद	33738	86	8219	1753
सारण	72218	162	12700	2715
सीवान	30883	65	7553	178
गोपालगंज	26014	78	6177	1520
पश्चिम चंपारण	67884	137	16633	3441
पूर्व चंपारण	69525	170	16619	5265
मुजफ्फरपुर	84836	91	11226	844
सीतामढ़ी	36389	103	8680	1611
शिवहर	6344	15	1459	275
वैशाली	36207	97	8840	1069
दरभंगा	75852	77	11226	3096
मधुबनी	30899	71	7431	5473
समस्तीपुर	23375	61	5609	330
बेगूसराय	87882	144	14368	11909
मुंगेर	54716	99	8931	5766
शेखपुरा	19977	53	4994	268
लखीसराय	28459	57	6959	2850
जमुई	25497	52	6232	7015
खगड़िया	18426	46	4442	602
भागलपुर	87368	116	13336	5301
बांका	12851	36	2956	3626
सहरसा	40032	55	9870	0
सुपौल	22731	53	5516	2299
मधेपुरा	20293	41	4932	1584
पूर्णिया	68697	80	9200	3292
किशनगंज	33896	64	8221	2366
अररिया	34201	73	8398	1996
कटिहार	41375	77	5276	897
योग	1908164	3396	360938	109845

ग्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

वित्तीय प्रबंधन : नली गली पक्कीकरण योजना पूरी करने के लिए कुल धनराशि में से 20 प्रतिशत का उपयोग पाचवें वित्त आयोग द्वारा आर्बेटित धनराशि से किया जाएगा। इसके अलावा, वाँछित धनराशि राज्य योजना से शहरों की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।

8.4 नगर विकास कार्यक्रम (केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित)

शहरी क्षेत्रों में जीवन दशा में सुधार के लिए राज्य सरकार अनेक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। अधिकांश कार्यक्रमों का वित्तपोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस खंड में महत्वपूर्ण नगर विकास कार्यक्रमों के विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये कार्यक्रम हैं - (1) नमामि गंगे योजना, (2) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, (3) स्वच्छ भारत मिशन, (4) प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास, (5) अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), (6) स्मार्ट सिटी मिशन, तथा (7) विरासत नगर विकास एवं विस्तार योजना (हृदय)।

नमामि गंगे योजना : यह केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में अग्रणी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत समेकित संरक्षण मिशन है। 20,000 करोड़ रु. बजट परिव्यय से इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण पर प्रभावी कमी, संरक्षण और पुनर्जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के

तालिका 8.13 : नमामि गंगे योजना के तहत परियोजनाओं की संक्षिप्त स्थिति

क्र.नं.	घटक/ श्रेणियां	उप-परियोजना का स्वीकृत व्यय (लाख रु. में)	नवंबर 2017 तक कुल व्यय (लाख रु. में)
1	पटना में गंगा नदी घाट विकास	26,273.16	19,724.11
2	पटना की सैदपुर मलजल नेटवर्क	42,671.29	4,000.00
3	पटना में सैदपुर मलजल उपचार संयंत्र और समीपवर्ती नेटवर्क	20,157.37	4,556.34
4	पटना के करमालीचक में मलजल निकासी योजना	27,742.11	2,500.00
5	बैगूसराय में मलजल निकासी और मलजल उपचार संयंत्र *	21,946.00	1,094.32
6	बक्सर में मलजल निकासी और मलजल उपचार संयंत्र	7,494.87	2,027.54
7	हाजीपुर में मलजल निकासी और मलजल उपचार संयंत्र *	36,720.00	3,391.84
8	मुग्रे में मलजल निकासी और मलजल उपचार संयंत्र *	38,435.00	324.72
9	पटना के करमालीचक में मलजल उपचार संयंत्र	8,397.36	1,375.00
10	पटना के बेडर में मलजल उपचार संयंत्र	7,429.44	1,407.75
11	पटना में पहाड़ी जोन 5 में मलजल निकासी योजना	21,431.00	1,500.00
12	पटना में पहाड़ी (दक्षिणी) जोन 4क में मलजल निकासी प्रणाली	13,364.00	900.00
13	पटना में पहाड़ी में 6 करोड़ ली. प्रतिदिन का मलजल उपचार संयंत्र	12,730.00	900.00
14	पटना के बेडर में मलजल निकासी नेटवर्क	39,489.28	9,166.02
15	मोकामा मलजल निकासी परियोजना	5,381.00	400.00
16	बाढ़ मलजल निकासी परियोजना	5,827.00	400.00
17	नौगंधिया मलजल निकासी परियोजना	6,079.00	400.00
18	सुल्तानगंज मलजल निकासी परियोजना	6,022.00	400.00
19	भागलपुर मलजल निकासी परियोजना	26,849.00	-
20	दीघा मलजल निकासी परियोजना	82,400.00	-
21	कंकड़बाग मलजल निकासी परियोजना	57,889.00	-
	योग	514,727.88	54,468.37

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

मुख्य घटक हैं (क) मलजल उपचार क्षमता निर्माण (मलजल प्रबंधन परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के अंतर्गत है), (ख) नदी घाट विकास एवं निर्माण (पटना में नदी घाट विकास की परियोजनाएं अग्रिम चरणों में हैं) और (ग) नदी सतह की सफाई (घाटों पर और नदी में सतह पर तैरते ठोस अपशिष्टों को इकट्ठा करने के लिए नदी सतह की सफाई और उनका निपटान जारी और सेवाधीन है)। योजना का प्रबंधन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, इस योजना में बनरोपण और जागरूकता वृद्धि के घटक भी शामिल हैं।

नमामि गंगा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए गंगा नदी के किनारे 20 शहरों की पहचान की गई थी। नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति तालिका 8.13 में प्रस्तुत है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

इस कार्यक्रम के 5 घटक हैं - (1) सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास (एसएमआइडी), (2) कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती के जरिए रोजगार (ईएसटीपी) (3) वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम (एफआइएसइपी- फाइसेप), (4) शहरी पथ विक्रेता हेतु सहायता (एसयूएसवी), और (5) शहरी गृहविहीन हतु आश्रय (एयूएच- सुह)।

सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास (एसएमआइडी) : शहरी गरीब परिवारों को उनके अपने संस्थान बनाने के लिए गोलबंद करना प्रभावी और टिकाऊ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण निवेश है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में शहरी गरीबों के स्वयं सहायता समूहों और अपने संघों में व्यापक सामाजिक गोलबंदी की बात सोची गई है। हर शहरी गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को समयबद्ध ढंग से स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में लाया जा रहा है। सदस्य अगर महिला हो तो और भी बेहतर बात है। ये समूह गरीबों की वित्तीय और सामाजिक जरूरतों की पूर्ति के लिए सहयोगमूलक व्यवस्था के बतौर सेवा प्रदान करते हैं।

तालिका 8.14 : 2016-17 में सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास के तहत उपलब्धियां

कार्यक्रम/ अनुश्रवण की कसौटियां	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की सं.	6500	3319
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की सदस्य सं.	65000	31189
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित क्षेत्र-स्तरीय संघों की सं.	250	107
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित शहर-स्तरीय संघों की सं.	30	21
चक्रानुसारी कोष (रिवॉल्विंग फंड) संबंधी सहायता	4400	2247

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती के जरिए रोजगार (ईएसटीपी) : इस कार्यक्रम की शुरुआत बिहार के 42 शहरी केंद्रों में की गई है जिनमें से 38 जिला मुख्यालय हैं और 4 अन्य शहर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीपीएल युवक-युवतियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें सर्वेतनिक रोजगार या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और बिहार कौशल विकास मिशन (बीडीएसएम) के जरिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संचालनात्मक दिशानिर्देशों में सुधार और बिहार कौशल विकास मिशन की प्रक्रिया और व्यय संबंधी मानकों के आरंभ के कारण 16 में से 7 मॉड्यूलर नियोजनीयता योजना (एमईएस) पाठ्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण हुए। पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) के मापदंडों का पालन किया जाता है। विभाग ने राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीबीटी) के साथ मिलकर प्रशिक्षित लाभार्थियों के मूल्यांकन और प्रमाणन की व्यवस्था की है।

तालिका 8.15 : 2016-17 में कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती के जरिए रोजगार के तहत उपलब्धियाँ

लाभार्थियों की श्रेणी	वार्षिक लक्ष्य	व्यक्तियों की संख्या	
		प्रशिक्षण लेने वाले	प्रशिक्षण पूरा करने वाले
अनुसूचित जाति	6516	216	2650
अनुसूचित जनजाति	420	121	361
अन्य	62064	1253	11299
योग	69000	1590	14310

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम (फाइसेप) : इस घटक के तहत शहरी गरीब व्यक्तियों या समूहों को उनके कौशल, सहज रुझान और स्थानीय स्थितियों के अनुरूप लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देने पर फोकस किया गया है। नगर स्थानीय निकाय शहरी गरीब व्यक्ति के ऋण आवदेन की प्रोसेसिंग के लिए सहायता देते हैं। निकाय लाभार्थियों की कौशल संबंधी जरूरतों का मूल्यांकन करने और उन्हें ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रूसेटी) के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ जोड़ने में भी सहयोग करते हैं।

तालिका 8.16 : 2016-17 में वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत उपलब्धियाँ

क्र.नं.	कार्यक्रम/ अनुश्रवण की कसौटियाँ	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि
1	स्वरोजगार कार्यक्रम-1 : व्यक्तिगत	10000	1229
2	स्वरोजगार कार्यक्रम : समूह	500	10
3	स्वयं सहायता समूह ऋण संपर्क	1000	238
	योग	11500	1477

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

शहरी पथ विक्रता हेतु सहायता (एसयूएसवी) : इस कार्यक्रम का लक्ष्य बिहार के कुल 142 शहरी केंद्रों में शहरी पथ विक्रताओं की गतिविधियों को संगठित करना है। सबसे पहले तो इसमें पथ विक्रताओं का सर्वेक्षण करना, उन्हें पहचान-पत्र जारी करना और विभिन्न कल्याण योजनाओं के साथ उनको जोड़ने में सहयोग करना है। खास कर कार्यक्रम पूरे राज्य में चिन्हित पथ विक्रताओं के वित्तोंय समावेश, प्रशिक्षण और बीमा आच्छादन को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम के तहत 2016-17 में हुई प्रगति का विवरण नीचे प्रस्तुत है :

राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने पथ विक्रता (पथ विक्रय जीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधान सूत्रबद्ध और क्रियान्वित किए हैं। अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और शहरी स्थानीय निकायों तथा नगर विक्रय समितियों के साथ परामर्श करके राज्य सरकार ने फरवरी 2017 में (1) बिहार पथ विक्रता (पथ विक्रय जीविका संरक्षण एवं विनियमन) योजना, 2017 तथा (2) बिहार पथ विक्रता (पथ विक्रय जीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2017 सूत्रबद्ध की है। अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बिहार के सभी शहरों में नगर विक्रय समितियों (टीवीसी) का गठन किया गया है। इस नियमावली और योजना के अनुसार सर्वेक्षित पथ विक्रताओं को परिचय-पत्र दिए जा रहे हैं। नगर विक्रय समितियों के परामर्श से स्थानीय नगर निकायों द्वारा नगर पथ विक्रय योजना विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। मोतिहारी शहर में विक्रय जोन के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

तालिका 8.17 : 2016-17 में पथ विक्रता सहायता के तहत उपलब्धियाँ

क्र. सं.	कार्यक्रम/ अनुश्रवण की कसौटियाँ	वार्षिक लक्ष्य	प्रगति
		2016-17	
1	पथ विक्रताओं का संरक्षण		
i	पथ विक्रता सर्वेक्षण के लिए आच्छादित शहरों की संख्या	42	42
ii	पथ विक्रता सर्वेक्षण शुरू करने वाले शहरों की संख्या	42	42
iii	पथ विक्रता सर्वेक्षण पूरा कर चुके शहरों की संख्या	42	42
iv	(वायोमेट्रिक सर्वेक्षण द्वारा) सर्वेक्षित शहरों में चिन्हित पथ विक्रताओं की संख्या	1,00,000	56613
v	पथ विक्रताओं के लिए जारी पहचान-पत्रों की संख्या	1,00,000	0
2	अन्य		
vi	पथ विक्रताओं के लिए खुले बुनियादी बचत खातों की संख्या	15,000	2032
vii	पथ विक्रताओं के लिए आयोजित वित्तोंय साक्षरता शिविरों की संख्या	42	29
viii	पथ विक्रताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	125	29
ix	क्षमता विकास के तहत प्रशिक्षित पथ विक्रताओं की संख्या	10,000	623
x	पथ विक्रताओं को जारी क्रेडिट कार्डों की संख्या	10,000	6
xi	बीमा योजना के साथ जुड़े पथ विक्रताओं की संख्या	5000	1600

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय (एयूएच - सुह) : इस योजना का लक्ष्य शहरी गृहविहीन लोगों को जलापूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ी बुनियादी अधिसंरचना सुविधाओं से युक्त स्थायी आश्रयों की उपलब्धता और उन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। शहरी गरीब लोगों के खास तौर पर असुरक्षित हिस्से (निर्भर बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग, मानसिक बीमार और गंभीर बीमारी से उबर रहे लोगों) की जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार गृहविहीनों के आश्रयों में विशेष खंड बना रही है और उनके लिए विशिष्ट सेवा संपर्क उपलब्ध करा रही है। विभाग ने 48 शहरों में 50 शव्याओं वाले 48 नए आश्रयों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। नए निर्माण के अलावा 66 मौजूदा आश्रयों की साज-सज्जा और संचालन एवं रखरखाव का काम भी इस योजना के तहत हाथ में लिया गया है।

तालिका 8.18 : शहरी स्थानीय निकायों के आश्रयों के निर्माण के लिए धन के वर्षावार आबटन

वर्ष	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	राज्य योजना शीर्ष (नागरिक सुविधा)	योग	(करोड़ रु. में)
2014-15	14.07	3.70	17.77	
2015-16	3.96	0.00	3.96	
2016-17	0.00	0.00	0.00	
2017-18	2.99	0.00	2.99	

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 8.19 : 2016-17 में शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय (सुह) के तहत स्थिति

आश्रयों की स्वीकृति/ योजना	कार्यशील	निर्मित/ नवीकृत और कार्यशील होने की प्रक्रिया में	निर्माण/ नवीकरण की प्रक्रिया में
48 (नए निर्माण)	1	18	29
66 (कार्यसंचालन एवं रखरखाव सहित नवीकरण)	31	13	22
योग (114)	32	31	51

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

स्वच्छ भारत मिशन

यह देश में स्वच्छता के मानकों में सुधार के लिए केंद्र सरकार की 2014 में शुरू की गई पर्याप्ति योजना है। बिहार खुले में शौच की तीक्ष्ण समस्या का सामना कर रहा है इसलिए राज्य सरकार ने इस समस्या की समाप्ति के लिए केंद्र सरकार से हाथ मिलाया है। बिहार ने शहरी क्षेत्रों में 6.33 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य तय किया है। चार वर्षों के लिए अनुमानित व्यय 759.60 करोड़ रु. है।

तालिका 8.20 : दिसंबर 2017 तक प्रगति

विवरण	निर्मित	निर्माणाधीन
व्यक्तिगत शौचालय	1,45,995	1,56,521
सामुदायिक शौचालय	672	1140
सार्वजनिक शौचालय	75	22

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

दिसंबर 2017 तक राज्य के 140 शहरों में 300.00 करोड़ रु. वितरित किए जा चुके हैं। व्यक्तिगत शौचालयों के लिए राज्य सरकार हर परिवार को 4,000 रु. की केंद्रीय सहायता के अलावा 8,000 रु. देती है। अभी तक 140 में से 4 शहरी केंद्र और कुल 3,341 में से 593 वार्ड खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए घर

प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन का आरंभ जून 2015 में हुआ था। मिशन की अवधि 2022 तक है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आय वर्ग के गृहविहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का विवरण तालिका 8.21 में प्रस्तुत है।

तालिका 8.21 : प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए घर के तहत प्रगति

सूचक	संख्या/ रकम
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण का कुल लक्ष्य	10 लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में अभी तक आवासों की कुल मांग	4.5 लाख
कुल शामिल शहर	140
कुल स्वीकृत परियोजनाएं	213 – लाभार्थी द्वारा निर्माण के तहत
कुल स्वीकृत आवासीय इकाइयां	1,13,445
कुल परियोजना व्यय	524074.215 लाख रु.
कुल केंद्रांश	170167.50 लाख रु.
कुल राज्यांश	56722.50 लाख रु.
विमुक्त केंद्रांश	42704.20 लाख रु.
विमुक्त राज्यांश	13156.30 लाख रु.
नवंबर 2017 तक कुल व्यय	29379.00 लाख रु.

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

राज्य सरकार ने इस योजना के तहत जलापूर्ति योजनाएं और पार्क स्वीकृत किए हैं। मिशन के तहत स्वीकृत योजनाओं के विवरण तालिका 8.22 और 8.23 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 8.22 : जलापूर्ति, जल निकासी और पार्क परियोजनाओं के विवरण

2015-16 के लिए राज्य वार्षिक कार्ययोजना		2016-17 के लिए राज्य वार्षिक कार्ययोजना		शेष वर्षों के लिए राज्य वार्षिक कार्ययोजना	
राज्य वार्षिक कार्ययोजना की रकम	केंद्र, राज्य, स्थानीय नगर निकाय	राज्य वार्षिक कार्ययोजना की रकम	केंद्र, राज्य, स्थानीय नगर निकाय	राज्य वार्षिक कार्ययोजना की रकम	केंद्र, राज्य, स्थानीय नगर निकाय
664.20	332.10 199.26 132.84	775.20	387.60 232.56 155.04	1030.37	445.10 282.64 181.94 120.69
जलापूर्ति – 14 पार्क परियोजनाएं – 26		जलापूर्ति – 07 जल निकासी परियोजनाएं – 2 पार्क परियोजनाएं – 20		जलापूर्ति – 17 मलजल परियोजना – 1 जल निकासी परियोजना – 1 पार्क परियोजनाएं – 20	

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 8.23 : स्वीकृत जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति

विवरण	परियोजनाओं की संख्या	रकम (करोड़ रु. में)	अभ्युक्ति
शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत	38	2184.2	
राज्य-स्तरीय उच्च शक्ति-प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) द्वारा स्वीकृत	19	1168.9	
निविदा के अंतर्गत	10	794.0	
संविदा प्रदत्त	9	408.3	
कार्य प्रगति पर	9	408.3	व्यय 106.9319 करोड़ रु.
राज्य-स्तरीय उच्च शक्ति-प्राप्त संचालन समिति द्वारा स्वीकृति के लिए SLTC द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुशंसित	13	782.6	
राज्य वार्षिक कार्ययोजना के तहतविस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माणाधीन – राज्य वार्षिक कार्ययोजना के तहत	3	177.7	मुंगेर, जमालपुर, औरंगाबाद
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट निर्माणाधीन –राज्य वार्षिक कार्ययोजना के तहत नहीं	1	—	पूर्णिया – द्वितीय चरण
परियोजनाओं की जरूरत नहीं लेकिन –राज्य वार्षिक कार्ययोजना के तहत स्वीकृत	3	200.7	डेहरी, बेतिया और दरभंगा

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

स्मार्ट सिटी मिशन

इस योजना के तहत बिहार में तीन शहरों को चुना गया है -पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। राज्य सरकार ने योजना के तहत बिहारशरीफ को चुनने की भी अनुशंसा की है। चौंकि भागलपुर का चुनाव पहले चरण में ही हो गया था इसलिए भागलपुर के लिए 286 करोड़ रु. कर्णाकित किए गए हैं। पटना और मुजफ्फरपुर के लिए भी योजना बजट पर राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी जा चुकी है।

विरासत नगर विकास एवं विस्तार योजना (हृदय)

इस कार्यक्रम के विवरण तालिका 8.24 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 8.24 : हृदय का विवरण

परियोजना का नाम	गतिविधियां	स्वीकृत परियोजना व्यय (लाख रु. में)	विमुक्त रकम (लाख रु. में)	स्थिति पर
बैतरणी और ब्रह्मसत सरोवरों का विकास (जोन 4)	पथ, चहारदीवारी, बिजली के पोल, साइनेज, शौचालय, बैंच, गेट, सफाई और फिल्टर संयंत्र, कूड़ेदान	586.67	117.31	कार्य प्रगति पर
विष्णुपद मंदिर और घाटों का विकास (जोन 1)	दृश्यावली, पथ, चहारदीवारी, गेट-ख, बैठने का प्लेटफॉर्म, साइनेज, फव्वारा और सिविल कार्य	878.35	351.34	मूल्यांकन के लिए निविदा दिसंबर 2017 में प्राप्त हो गई है
अक्षयवट परिसर का विकास (जोन 2)	दृश्यावली, शौचालय, ब्लॉक, पेयजल स्थल, साइनेज, शूरैक और गेट	161.72	64.69	कार्य प्रगति पर
दुर्गेश्वरी पहाड़ी से बोधगया के महाबोधि मंदिर संपर्क पथ का विकास (जोन 6)	फर्श निर्माण, उद्यान पथ और पुल, सूचना कियोस्क, फूड स्टॉल, साइनेज	1842.10	736.83	दुबारा निविदा, मूल्यांकन के लिए निविदा दिसंबर 2017 में प्राप्त हो गई है
योग		3468.13	1270.18	

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

8.5 नगरपालिकाओं की वित्तव्यवस्था

राज्य सरकार उन 35 स्थानीय नगर निकायों के आंकड़े संग्रहित करती रही है जिनमें 2015-16 तक दुहरी प्रविष्टि लेखाकरण प्रणाली (डीईएस) शुरू हो गई है। प्रासंगिक आंकड़े तालिका 8.25 में प्रस्तुत हैं। नगरपालिका निकायों की कुल राजस्व आय में राजस्व अनुदानों का बड़ा हिस्सा होता है। जैसे 2015-16 में उनकी कुल 144.11 करोड़ रु. की आय में राजस्व अनुदानों का हिस्सा 111.93 करोड़ रु. (77 प्रतिशत) था। जब तक नगरपालिका निकायों की स्वयं अर्जित आय तेजी से नहीं बढ़ती है, तब तक राजस्व अनुदानों पर उनकी निर्भरता काफी समय तक बनी रहेगी। हाल के वर्षों में स्थानीय निकायों की स्वयं अर्जित आय मामूली दर से ही बढ़ी है। व्यय के मामले में मुख्य घटक स्थापना व्यय है। वर्ष 2015-16 में उनका स्थापना व्यय 52.70 करोड़ रु. था जो

196.08 करोड़ रु. के कुल व्यय से 26.8 प्रतिशत से कम नहीं है। सामान्यतः बिहार के नगरपालिका निकाय देश के अन्य भागों की तरह ही बाहरी सहायता पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह बात कुछ मुख्य वित्तीय सूचकों से स्पष्ट होती है जिन्हें तालिका 8.25 के निचले भाग में प्रस्तुत किया गया है। जैसे, उनकी स्वयं अर्जित आय उनकी कुल राजस्व आय का मुश्किल से 15.1 प्रतिशत है। फलतः, ऐसी स्वयं अर्जित आय से नगरपालिका निकायों का स्थापना व्यय भी आधा से कम ही निकल पाता है।

तालिका 8.25 : बिहार के 35 शहरों में नगरपालिका की वित्तीय स्थिति

(रकम लाख रु. में)		
	योग	
सूचक	2014-15	2015-16
राजस्व आय		
(a) स्वयं-अर्जित आय	1522.07	2179.63
(i) होलिडंग कर	418.23	452.96
(ii) अन्य कर	209.69	331.51
(iii) करेतर आय	894.16	1395.161176
(b) दत्त आय	284.66	176.31
(c) राजस्व अनुदान	11885.73	11192.65
(d) अन्य आय/ प्राप्तियाँ	361.97	863.26
योग	14054.43	14411.86
राजस्व व्यय		
(a) स्थापना	4206.79	5270.40
(b) कार्यक्रम	1811.09	2936.65
(c) संचालन/ रखरखाव	1095.85	1925.97
(d) वित्त/ ब्याज	0.68	0.55
(e) अन्य	7330.70	9474.68
योग	14445.10	19608.25
पूँजीगत अनुदान	32216.58	34418.31
मुख्य सूचक		
स्वयं अर्जित आय/ राजस्व आय (प्रतिशत)	10.83	15.12
स्वयं अर्जित आय/ स्थापना व्यय (प्रतिशत)	36.18	41.36

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

अध्याय 9

बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र

08 नवंबर, 2016 को भारत सरकार ने 1000 रु. और 500 रु. के उच्च मूल्य वाले बैंक नोटों के लिए नोटबंदी की घोषणा की थी जिससे मौजूद करेंसी का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा प्रचलन से बाहर हो गया था। इसका मुख्य मकसद काला धन समाप्त करना और नकली नोटों के बढ़ते खतरे पर काबू पाना था। यह उपाय लंबे समय से नहीं किया गया था और इसके कारण मौद्रिक संग्रह में काफी कमी आई। 31 मार्च 2017 को प्रचलन वाली करेंसी में 19.7 प्रतिशत और आरक्षित मुद्रा भंडार में 12.9 प्रतिशत कमी आ गई थी। लेकिन इस उपाय ने आर्थिक विकास को अल्पकालिक रूप से प्रभावित किया है और केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (खंड 2) ने संकेत किया है कि बैंकों की बढ़ी ऋणग्रस्तता के साथ जुड़कर अर्थव्यवस्था को धीमे विकास दर ने बैंकों की परिसंपत्ति संबंधी गुणवत्ता पर असर डाला है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों (एससीबी) के सकल अनिष्टादित अग्रिमों (जीएनपीए) का अनुपात सितंबर 2016 के 9.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2017 में 9.5 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016-17 के दौरान ऋण के विकास का भी अवत्वरण हुआ और सकल बकाया बैंक ऋण लगभग 7 प्रतिशत की दर से बढ़ा जबकि उद्योगों को दिए जाने वाले औसत सकल बैंक ऋण में 0.2 प्रतिशत कमी आई। हालांकि मुद्रास्फीति का अच्छी तरह प्रबंधन किया गया और वर्ष के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की मुद्रास्फीति में काफी कमी आई जो जून 2017 में 1.5 प्रतिशत के अपने न्यूनतम स्तर पर आ गई। इसका कारण सारे वस्तु समूहों, खास कर खाद्यान्नों के मूल्य में व्यापक आधार पर आई कमी थी। वैश्विक विकास में धीमापन और आर्थिक विकास पर नोटबंदी के दुष्प्रभाव की आशंका तथा सकल पूंजी निर्माण में धीमापन के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में 2015-17 में मध्यम स्तर का विस्तार हुआ है और निम्न मुद्रास्फीति तथा चालू खाते में सुधार दर्ज करने के जरिए उल्लेखनीय लचीलापन दिखा।

जहां तक वित्तीय क्षेत्र की बात है, तो मुद्रारहित अर्थव्यवस्था में भारत के संक्रमण की गति बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय प्रस्तावित किए हैं जिनमें 2.00 लाख रु. से अधिक को नगद लेनदेन पर रोक, नगदीरहित अधिसंरचना के निर्माण पर कर संबंधी प्रोत्साहन, मुद्रारहित भुगतानों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा, और आधार आधारित भुगतानों को बढ़ावा देना शामिल हैं। साथ ही, वित्तीय समावेश ने भी आवेग प्राप्त किया और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत शून्यशेष रकम वाले खातों की संख्या मार्च 2015 के लगभग 58 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2016 में लगभग 24 प्रतिशत रह गई। वस्तुतः डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और ग्रामीण तथा बैंकरहित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार के लगातार प्रयास और प्रोत्साहन के कारण मोबाइल और इंटरनेट आधारित बैंकिंग सेवाओं का काफी व्यापक उपयोग होने लगा है। 30 दिसंबर 2016 को भारत सरकार के देशी डिजिटल भुगतान ऐप भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) का शुभारंभ किया गया। भारत को नगदीरहित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने और सरकारी भुगतानों के पूर्ण डिजिटाइजेशन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं, संवेदकों या संस्थानों को किए जाने वाले इलक्ट्रॉनिक भुगतान की सीमा 10,000 रु. से घटाकर 5,000 रु. कर दी गई।

बैंकिंग क्षेत्र को परिसंपत्ति की गुणवत्ता 2016-17 में तेजी से घटी और मार्च 2017 के अंत तक दिए गए 12.1 प्रतिशत अग्रिमां पर दबाव बन गया जिससे बैंकों का मुनाफा घट गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वर्ष के दौरान कुल मिलाकर शुद्ध आटे में रहना जारी रहा और अनेक बैंकों की पूँजीगत स्थिति का क्षरण हुआ। इससे बैंकों की ऋण देने की क्षमता और भी घटी जो हाल के वर्षों में ऋण-वृद्धि घटने में नजर आती रही है। इस रुझान ने उन्हें अपेक्षाकृत जोखिम वाले आद्योगिक क्षेत्र को ऋण देने से ब्रिमुख करके आवास, व्यक्तिगत ऋण और सेवाओं जैसे कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर धकेला।

वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विकास मौद्रिक नीति के लिए नए संस्थागत ढांचे का निर्माण था। लचीले मुद्रास्फीति को लक्षित करने वाले ढांचे को रेखांकित करने के अलावा, एक छः-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का भी गठन किया गया। नीतिगत दर तय करने के अलावा, समिति मौद्रिक नीति और भारतीय रिजर्व बैंक की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और स्वतंत्रता में भी सुधार लाएगी। फरवरी 2017 में मौद्रिक नीति समिति ने विकास को समर्थन देन के दौरान 2 प्रतिशत कमी या अधिकता के साथ 4 प्रतिशत के अपने मध्यकालिक मुद्रास्फीति दर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि की।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक, निजी क्षेत्र के 27 बैंक, 46 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1,574 शहरी सहकारी बैंक, और 93,913 ग्रामीण सहकारी बैंक हैं और इनके अलावा सहकारी ऋणदाता संस्थान हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भारत में बैंकिंग प्रणाली की परिसंपत्तियों के 70 प्रतिशत से भी अधिक हिस्से पर नियंत्रण है जबकि निजी क्षेत्र के बैंक बैंकिंग क्षेत्र में अपेक्षाकृत छोटी भूमिका निभाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में उससे भी अधिक है।

पूँजी बाजार की लगभग अनुपस्थिति में बिहार जैसे राज्य में वित्तीय क्षेत्र लगभग पूरी तरह अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों (SCB) द्वारा संचालित है। इसलिए अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को प्रभावित करने वाले राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग परिदृश्य में किसी भी प्रतिकूल विकास से बिहार के वित्तीय क्षेत्र का भी प्रभावित होना तय है। वित्तीय व्यवस्था बैंक, बीमा कंपनी, प्रतिभूति कंपनी, म्यूचुअल फंड, वित्तीय कंपनी और पेंशन कोष जैसे मध्यस्थों - बचतकर्ताओं के संसाधनों को निवेशकों की ओर दिशाबद्ध करने वाले सभी संस्थानों - के जरिए होने वाले वित्त के प्रवाह द्वारा चालित होती है। हालांकि यहां पर बिहार के वित्तीय क्षेत्र के विश्लेषण में राज्य में कार्यरत बैंकिंग संस्थाओं का ही जायजा लिया जाएगा जिसमें शामिल हैं - (1) बैंक, जिसमें व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ-साथ अन्य सहकारी संस्थाएं भी शामिल हैं, (2) राजकीय वित्तीय संस्थाएं तथा (3) राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं।

9.1 बैंकिंग अधिसंरचना

व्यावसायिक बैंक

तालिका 9.1 में बिहार में 2012 से 2017 तक बिहार में व्यावसायिक बैंकों को शाखाओं की संख्या और उनको अवस्थिति का पैटर्न दर्शाया गया है। मार्च 2017 में बिहार में स्थित व्यावसायिक बैंकों की कुल 6,844 शाखाएं थीं। वर्ष 2013-14 में अप्रत्याशित रूप से खुलने वाली 638 नई शाखाओं की तुलना में 2016-17 में मात्र 183 नई शाखाएं खुलीं। उनका वितरण दर्शाता है कि 51.0 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 28.5 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 20.5 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण शाखाओं के प्रतिशत में गिरावट इस कारण है कि अपनी आबादी बढ़ने के कारण कुछ ग्रामीण क्षेत्र अर्ध-शहरी क्षेत्रों में तब्दील हो गए हैं। फलतः अर्ध-शहरी शाखाओं की

संख्या में 3.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कुल शाखाओं की संख्या में वृद्धि की दर 2015-16 के 5.8 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 2.8 प्रतिशत रह गई है। वर्ष 2013-14 में हुई 12.1 प्रतिशत वृद्धि दर से तो यह काफी कम है जो पिछले छः वर्षों के दौरान सबसे ऊंची वृद्धि दर थी।

तालिका 9.1 : व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण (2012-17)

वर्ष (अंतिम मार्च)	योग	वृद्धि दर	अवस्थिति के अनुसार शाखाओं का प्रतिशत वितरण			
			ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	समस्त
2012	4860	6.8	59.6	22.0	18.4	100.0
2013	5270	8.4	59.6	21.8	18.6	100.0
2014	5908	12.1	58.7	23.0	18.3	100.0
2015	6297	6.6	57.9	23.1	19.0	100.0
2016	6661	5.8	55.4	25.2	19.4	100.0
2017	6844	2.8	51.0	28.5	20.5	100.0

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति

वर्ष मार्च 2016 तक निजी अराष्ट्रीयकृत बैंकों की 354 शाखाएं शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रही हैं और मात्र 54 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि मार्च 2015 में ये आंकड़े ये क्रमशः 261 और 20 थे। ये बैंक स्वभावतः शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मौजूद अपेक्षाकृत अधिक क्रय शक्ति का फायदा उठाते हैं। उनकी अवस्थिति के तौर-तरीके से वित्तीय समावेशिता का मकसद हासिल नहीं होता है।

तालिका 9.2 में देखा जा सकता है कि मार्च 2017 में देश की कुल बैंक शाखाओं में बिहार का हिस्सा 4.8 प्रतिशत ही था जबकि देश की जनसंख्या में राज्य का 8.6 प्रतिशत हिस्सा है। यह हिस्सा गत कुछ वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहा है।

तालिका 9.2 : विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का वितरण (मार्च 2017 तक)

राज्य	शाखाओं की सं.	पूरे भारत की शाखाओं में प्रतिशत हिस्सा	पूरे भारत की जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा	राज्य	शाखाओं की सं.	पूरे भारत की शाखाओं में प्रतिशत हिस्सा	पूरे भारत की जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा
आंध्र प्रदेश	6752	4.9	7.0	महाराष्ट्र	12191	8.8	9.3
बिहार	6600	4.8	8.6	ओडिशा	4702	3.4	6.0
छत्तीसगढ़	2402	1.7	2.1	पंजाब	6343	4.6	2.3
गुजरात	7656	5.6	5.0	राजस्थान	6938	5.0	4.4
हरियाणा	4711	3.4	2.1	तमिलनाडु	10405	7.6	6.0
हिमाचल प्रदेश	1546	1.1	0.5	उत्तर प्रदेश	16576	12.0	16.5
झारखण्ड	2901	2.1	2.7	उत्तराखण्ड	2010	1.5	0.8
कर्नाटक	9941	7.2	5.0	पश्चिम बंगाल	7822	5.7	3.5
केरल	6337	4.6	2.8				
मध्य प्रदेश	6324	4.6	6.0	भारत	137770	100.0	100.0

टिप्पणी : व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं की संख्या के बारे में जानकारी तालिका 9.1 और तालिका 9.2 में थोड़ी भिन्न है। इसका कारण कुछ बैंकों द्वारा अपने कार्यसंचालन की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं देना है।

स्रोत : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा और ऋण राशियों पर त्रैमासिक सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक

सहकारी बैंक

राज्य और जिला केंद्रीय सरकारी बैंकों के आंकड़े तालिका 9.3 में दर्शाए गए हैं। तालिका से पता चलता है कि 2016 में देश में राज्य सहकारी बैंकों की संख्या सिर्फ 37 बढ़ी जबकि 2015 में उनकी संख्या में 72 की वृद्धि हुई थी। वहीं, बिहार में 2016 में राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 2015 के 12 से घटकर 11 रह गई जबकि जिला सहकारी बैंकों की संख्या दोनों वर्षों में एक समान रही। देश के स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या में दो वर्षों के दौरान 181 की वृद्धि हुई। वर्ष 2015 में बिहार में सहकारी बैंकों के शाखाओं की कुल संख्या 324 थी जो 2016 में 323 रह गई।

तालिका 9.3 : राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या (31 मार्च को)

राज्य	राज्य सहकारी बैंक			जिला केंद्रीय सहकारी बैंक			योग		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
आंध्र प्रदेश	36	37	7	334	611	378	370	648	385
बिहार	11	12	11	277	312	312	288	324	323
गुजरात	7	10	16	1234	1313	1322	1241	1323	1338
हरियाणा	13	14	14	604	621	621	617	635	635
हिमाचल प्रदेश	190	214	227	219	255	261	409	469	488
झारखण्ड	5	-	-	95	122	122	100	122	122
कर्नाटक	42	42	42	652	701	715	694	743	757
केरल	20	21	24	701	751	792	721	772	816
मध्य प्रदेश	25	25	25	838	856	857	863	881	882
महाराष्ट्र	53	48	48	3721	3750	3755	3774	3798	3803
ओडिशा	14	15	15	315	338	349	329	353	364
पंजाब	19	20	19	800	816	816	819	836	835
राजस्थान	16	17	17	425	453	454	441	470	471
तमिलनाडु	47	47	47	782	782	812	829	829	859
उत्तर प्रदेश	29	29	29	1336	1394	1406	1365	1423	1435
उत्तराखण्ड	15	16	16	235	250	255	250	266	271
पश्चिम बंगाल	43	48	48	287	304	313	330	352	361
भारत	1059	1131	1168	13246	14060	14241	14305	15191	15409

स्रोत : राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लि. (NAFSCOB)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के प्रख्यापन के जरिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आए। इनमें केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक की इक्विटी क्रमशः 50, 15 और 35 के अनुपात में है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में कृषि एवं ग्रामीण ऋण के लिए एक बहु-अभिकरण पहुंच (मल्टी-एजेंसी अप्रोच) उपलब्ध कराते हैं।

बिहार के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आंकड़े तालिका 9.4 में दर्शाए गए हैं। सितंबर 2017 के अंत में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 2,106 शाखाएं थीं जबकि सितंबर 2016 इनकी संख्या 2,092 थी। बिहार के तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाओं में अकेले उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का लगभग आधा हिस्सा है।

तालिका 9.4 : बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या (सितंबर 2017 के अंत में)

	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	योग
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	547	105	46	698
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	263	98	15	376
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	639	349	44	1032
योग	1449	552	105	2106

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

मार्च 2016 के अंत में बिहार में सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में कुल ग्रामीण जमा 61,850 करोड़ रु. था (तालिका 9.5)। देश के सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा में बिहार का लगभग 6.1 प्रतिशत हिस्सा था। यह अनुपात हाल के वर्षों में प्रायः अपरिवर्तित रहा है। बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल ग्रामीण जमा का बड़ा हिस्सा (64 प्रतिशत) बचत बैंक की जमा राशि का था। यह आंकड़ा भी अपरिवर्तित रहा है। बिहार में ग्रामीण जमा में इस वर्ष 12.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जबकि इस मामले में संपूर्ण भारत का औसत 10.2 प्रतिशत है।

तालिका 9.5 : जमा के प्रकार के अनुसार अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ग्रामीण जमा (मार्च 2016 के अंत में)

राज्य	शाखाओं की सं.	चालू खाता		बचत जमा		सावधि जमा		योग	
		खातों की सं. (लाख)	रकम (करोड़ रु.)	खातों की सं. (लाख)	रकम (करोड़ रु.)	खातों की सं. (लाख)	रकम (करोड़ रु.)	खातों की सं. (लाख)	रकम (करोड़ रु.)
आंध्र प्रदेश	2,313	4.31	1,233	231.11	13,662	19.47	16,815	254.89	31,710
बिहार	3,389	14.92	2,337	412.27	39,776	28.81	19,737	455.99	61,850
छत्तीसगढ़	1,062	2.30	1,103	135.43	11,952	8.04	6,666	145.77	19,721
गुजरात	2,601	3.06	2,020	187.26	21,323	30.21	38,346	220.53	61,689
हरियाणा	1,662	7.13	1,511	101.94	14,565	8.81	13,886	117.87	29,962
हिमाचल प्रदेश	1,129	6.56	1,172	59.12	13,517	20.63	24,477	86.31	39,166
झारखण्ड	1,339	2.18	986	165.11	15,340	14.73	13,088	182.02	29,414
कर्नाटक	3,436	5.13	3,078	269.21	20,960	32.97	30,203	307.30	54,241
केरल	350	0.51	207	20.11	3,074	3.73	5,274	24.35	8,556
मध्य प्रदेश	2,308	4.42	1,212	272.21	17,015	19.16	13,518	295.79	31,745
महाराष्ट्र	3,212	5.04	3,689	291.56	27,052	23.36	30,719	319.96	61,459
ओडिशा	2,444	3.20	1,746	247.59	25,858	27.75	20,809	278.54	48,412
पंजाब	2,487	13.48	1,674	132.94	25,248	21.33	34,955	167.75	61,878
राजस्थान	2,817	7.34	1,492	259.55	20,994	18.15	17,078	285.04	39,565
तमिलनाडु	2,946	5.12	2,188	284.97	22,546	26.12	29,767	316.21	54,501
उत्तर प्रदेश	7,742	25.42	4,251	1,019.80	97,799	61.18	47,181	1,106.40	149,231
उत्तरखण्ड	936	2.92	1,154	61.47	11,285	10.57	9,234	74.96	21,673
पश्चिम बंगाल	3,162	8.29	2,765	495.43	43,507	62.90	49,568	566.62	95,840
संपूर्ण भारत	50,102	131.68	41,565	5,146.81	496,171	483.22	471,205	5,761.71	1,008,941

स्रोत : बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ शिड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया 2016-17, भारतीय रिजर्व बैंक

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मचारी

तालिका 9.6 में देखा जा सकता है कि मार्च 2016 में बिहार में बैंककर्मियों की कुल संख्या मार्च 2015 के 44,600 की तुलना में 42,500 थी। उनमें से 49.3 प्रतिशत बैंककर्मी अधिकारी श्रेणी के थे जिनका अनुपात पिछले वर्ष के 46.2 प्रतिशत से अधिक है। मार्च 2016 में भारत में कार्यरत अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के समस्त कर्मियों की कुल संख्या का 3.3 प्रतिशत हिस्सा ही बिहार में कार्यरत था। तालिका में यह भी दिखता है कि बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के महिला कर्मियों का कुल हिस्सा 13.0 प्रतिशत था जो राष्ट्रीय औसत (22.1 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम है।

तालिका 9.6 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों का वितरण (मार्च, 2016)

(संख्या हजार में)

राज्य	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	योग	महिला कर्मचारियों की सं. और प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	27.7 (53.8)	16.2 (31.5)	7.6 (14.7)	51.4 (100.0)	11.3 (21.9)
बिहार	20.9 (49.3)	14.7 (34.5)	6.9 (16.2)	42.5 (100.0)	5.5 (13.0)
छत्तीसगढ़	9.8 (57.3)	5.3 (31.2)	2.0 (11.5)	17.0 (100.0)	2.9 (17.3)
गुजरात	41.7 (60.1)	18.7 (26.9)	9.0 (13.0)	69.4 (100.0)	11.2 (16.1)
हरियाणा	27.1 (63.3)	10.9 (25.4)	4.9 (11.4)	42.8 (100.0)	9.2 (21.4)
हिमाचल प्रदेश	4.9 (47.8)	3.4 (33.0)	2.0 (19.3)	10.3 (100.0)	1.8 (17.4)
झारखण्ड	10.8 (50.3)	7.4 (34.5)	3.3 (15.2)	21.4 (100.0)	4.2 (19.6)
कर्नाटक	59.6 (59.3)	27.5 (27.3)	13.4 (13.4)	100.5 (100.0)	24.6 (24.5)
केरल	31.4 (53.2)	20.5 (34.8)	7.1 (12.0)	58.9 (100.0)	25.2 (42.8)
मध्य प्रदेश	27.2 (55.8)	14.4 (29.5)	7.2 (14.7)	48.8 (100.0)	8.5 (17.5)
महाराष्ट्र	146.4 (71.9)	39.3 (19.3)	18.0 (8.8)	203.6 (100.0)	53.7 (26.4)
ओडिशा	18.8 (53.9)	11.1 (31.8)	5.0 (14.3)	34.8 (100.0)	5.5 (15.9)
पंजाब	30.4 (58.0)	14.6 (27.8)	7.4 (14.2)	52.4 (100.0)	11.3 (21.5)
राजस्थान	31.3 (58.0)	14.8 (27.5)	7.8 (14.5)	53.9 (100.0)	7.3 (13.5)
तमिलनाडु	59.0 (57.6)	32.2 (31.5)	11.1 (10.9)	102.3 (100.0)	30.7 (30.0)
उत्तर प्रदेश	65.2 (53.1)	38.6 (31.5)	18.9 (15.4)	122.8 (100.0)	17.8 (14.5)
उत्तराखण्ड	7.3 (49.6)	4.9 (33.2)	2.5 (17.2)	14.8 (100.0)	2.8 (18.8)
पश्चिम बंगाल	44.1 (56.3)	21.4 (27.3)	12.8 (16.3)	78.3 (100.0)	12.2 (15.6)
संपूर्ण भारत	771.1 (59.3)	361.5 (27.8)	168.3 (12.9)	1300.9 (100.0)	286.9 (22.1)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े पंक्तिवार प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ शिड्यूल कॉर्मशियल बैंक्स इन इंडिया 2016-17, भारतीय रिजर्व बैंक

9.2 जमा और ऋण

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का प्रति व्यक्ति जमा और ऋण

तालिका 9.7 में देश के प्रमुख राज्यों में 2014-15 और 2015-16 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा एवं ऋण राशियों को दर्शाया गया है। इस तालिका में दिखता है कि बिहार में 2015-16 में कुल जमा राशि में गत वर्ष की तुलना में 12.1 प्रतिशत (26,263 करोड़ रु.) की अच्छी-खासी वृद्धि हुई। इसके साथ-साथ, 2015-16 में ऋण में भी 8,348 करोड़ रु. की वृद्धि हुई है जो 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। हालांकि यह गत वर्ष की 16.7 प्रतिशत वृद्धि से कम और 2013-14 में हुई 25.6 प्रतिशत वृद्धि से तो काफी कम है। वर्ष के दौरान संबंधित राष्ट्रीय औसत के आंकड़े जमा के मामले में 7.5 प्रतिशत और ऋण के मामले में 9.4 प्रतिशत हैं। देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा में बिहार के कुल जमा का हिस्सा 2015-16 में 2.5 प्रतिशत था जो गत वर्ष के 2.4 प्रतिशत के लगभग बराबर है। वहीं, इस अवधि में ऋण में कुल हिस्सा दोनों वर्षों में 1.1 प्रतिशत था। देश आबादी में बिहार का लगभग 8.6 प्रतिशत हिस्सा है लेकिन उसकी तुलना में देश के कुल जमाका 2.5 हिस्सा कम और कुल ऋण में 1.1 प्रतिशत हिस्सा उससे भी कम है।

तालिका 9.7 : भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च)

राज्य	जमा (करोड़ रु.)		ऋण (करोड़ रु.)		ऋण-जमा अनुपात	
	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
आंध्र प्रदेश	193349 (2.2)	210237 (2.2)	198614 (2.9)	222921 (3.0)	105.3	106.0
बिहार	216810 (2.4)	243073 (2.5)	72862 (1.1)	81270 (1.1)	32.8	33.4
गुजरात	477758 (5.4)	518453 (5.4)	347117 (5)	390758 (5.2)	74.7	75.4
हरियाणा	222685 (2.5)	252602 (2.6)	168893 (2.5)	176542 (2.3)	78.0	69.9
हिमाचल प्रदेश	59876 (0.7)	66350 (0.7)	21115 (0.3)	21800 (0.3)	35.8	32.9
झारखण्ड	142111 (1.6)	159622 (1.7)	42029 (0.6)	47180 (0.6)	31.8	29.6
कर्नाटक	634292 (7.1)	696063 (7.3)	429225 (6.2)	488117 (6.5)	71.0	70.1
केरल	328399 (3.7)	366137 (3.8)	212161 (3.1)	227364 (3)	67.7	62.1
मध्य प्रदेश	279342 (3.1)	282590 (2.9)	153034 (2.2)	172929 (2.3)	60.4	61.2
महाराष्ट्र	2150010 (24.1)	2181769 (22.7)	1977298 (28.7)	2244286 (29.8)	89.8	102.9
ओडिशा	190074 (2.1)	209215 (2.2)	79696 (1.2)	85436 (1.1)	44.6	40.8
पंजाब	261972 (2.9)	290178 (3)	196644 (2.9)	202471 (2.7)	79.1	69.8
राजस्थान	235479 (2.6)	258998 (2.7)	202956 (3)	187559 (2.5)	87.1	72.4
तमिलनाडु	545317 (6.1)	600035 (6.3)	649164 (9.4)	682047 (9.1)	121.8	113.7
उत्तर प्रदेश	672530 (7.5)	742274 (7.7)	305463 (4.4)	330923 (4.4)	44.6	44.6
पश्चिम बंगाल	553692 (6.2)	609984 (6.4)	320091 (4.7)	335847 (4.5)	61.6	55.1
भारत	8922111 (100.0)	9599531 (100.0)	6878473 (100.0)	7522645 (100.0)	79.0	78.4

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े राज्यों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2016-17, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 9.7 में यह भी गौर किया जा सकता है कि विगत वर्षों की ही तरह 2015-16 में भी बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 33.4 प्रतिशत था जो देश के सभी प्रमुख राज्यों के बीच झारखंड (29.6 प्रतिशत) और हिमाचल प्रदेश (32.9 प्रतिशत) को छोड़कर सबसे कम था। तमिलनाडु (113.7 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (106.0 प्रतिशत) या महाराष्ट्र (102.9 प्रतिशत) की बात तो छोड़ ही दें, यह राष्ट्रीय औसत (78.4 प्रतिशत) के पास भी नहीं फटकता है। बिहार का ऋण-जमा अनुपात 2014-15 के 32.8 प्रतिशत से थोड़ा सुधरकर 2015-16 में 33.4 प्रतिशत हो गया है।

राज्यस्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के ऋण-जमा अनुपात के 2012-13 से अब तक के आंकड़े तालिका 9.8 में प्रस्तुत हैं। सितंबर 2017 के अंत में बिहार में सभी बैंकों का कुल जमा 2,89,017 करोड़ रु. था और कुल ऋण 1,28,904 करोड़ रु। इससे ऋण-जमा अनुपात 44.6 प्रतिशत हुआ जो मार्च 2017 के ऋण-जमा अनुपात 46.4 प्रतिशत से थोड़ा कम है। हालांकि ऋण-जमा अनुपात में हाल के वर्षों में थोड़ा सुधार हुआ है लेकिन इसकी निम्न वृद्धि दर से बिहार का बैंकिंग परिदृश्य लगातार पीड़ित है।

तालिका 9.8 : बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात


	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18(सितंबर 2017 तक)
जमा (करोड़ रु.)	161036	183458	211302	240288	280370	289017
ऋण (करोड़ रु.)	65364	85334	100261	103238	129969	128904
ऋण-जमा अनुपात	40.6	46.5	47.4	43.0	46.4	44.6

टिप्पणी : तालिका 9.7 में दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2016 में ऋण-जमा अनुपात 33.4 प्रतिशत था जबकि इस तालिका में प्रस्तुत राज्यस्तरीय बैंकर समिति का आंकड़ा 43.0 प्रतिशत है। अंतर मुख्यतः आरआईएफ योजना (खंड 9.5 में विचारित) के तहत बैंकों द्वारा दी गई ऋण राशि के समावेश के कारण है। फिर तालिका 9.7 में शामिल आंकड़े बिहार के व्यावसायिक बैंकों के ही हैं जबकि तालिका 9.8 के आंकड़े बिहार के सभी बैंकों के हैं जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक भी शामिल हैं।


स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

रकम के रूप में देखें तो निम्न ऋण-जमा अनुपात का अर्थ यह हुआ कि राज्य के वर्तमान ऋण-जमा अनुपात को लगभग 78 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत तक बढ़ाने पर राज्य में निवेश काफी अधिक बढ़ जाता जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों को अतिवाहित बल प्रदान करती। ऋण का कम वितरण यह भी दर्शाता है कि या तो औद्योगिक गतिविधियां गतिरुद्ध हैं या उद्यमों की ऋण संबंधी जरूरतें निजी ऋणदाता अभिकरणों के उच्च व्याज दरों वाले ऋणों के जरिए हो पूरी हो रही है जो उनका मुनाफा हड़प जा रहे हैं। यह राज्य में औद्योगिक विकास के लिए स्वाभाविक रूप में एक गंभीर बाधा है। इसके अलावा, यह पहले से ही अभावग्रस्त राज्य से पूंजी के पलायन को भी सूचित करता है। हालांकि उल्लेखनीय है कि ऋण-जमा अनुपात में सुधार ऋणों की मांग पर निर्भर करेगा जो खुद अधिसंरचना की उपलब्धता, बाजार, उद्यमिता कौशल और व्यावसायिक वातावरण जैसे अनेक अन्य कारकों पर निर्भर है जिनमें से अधिकांश के मामले में स्थिति गंभीर रूप से प्रतिकूल है।

चार्ट 9.1 : भारत के प्रमुख राज्यों के ऋण-जमा अनुपात (2015-16)



चार्ट 9.2 : बिहार का ऋण-जमा अनुपात



वर्ष 2016-17 में बैंक समूहों और उनकी अवस्थिति के अनुसार बिहार में ऋण-जमा अनुपात तालिका 9.9 में दर्शाया गया है। सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात सहकारी बैंकों का (124.8 प्रतिशत) था और उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का (50.3 प्रतिशत) तथा अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का (34.9 प्रतिशत)। कुल जमा में उनके हिस्से इस प्रकार थे - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 10.2 प्रतिशत, सहकारी बैंक 1.1 प्रतिशत आर अनुसूचित व्यावसायिक बैंक 88.7 प्रतिशत। वहीं, कुल ऋण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 13.7 प्रतिशत, सहकारी बैंकों का 3.5 प्रतिशत और

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का 82.8 प्रतिशत हिस्सा था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की संयुक्त ऋण और जमा राशियां अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल ऋण और जमा राशियों का अंश मात्र थीं। फलतः जब तक अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में सुधार नहीं होता है, राज्य में समग्र ऋण-जमा अनुपात में सुधार नहीं होने वाला है।

तालिका 9.9 : बैंक समूह और क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात (2016-17)

बैंक समूह	क्षेत्र	जमा (करोड़ रु.)	ऋण (करोड़ रु.)	ऋण-जमा अनुपात	निवेश (करोड़ रु.)	निवेश सह ऋण-जमा अनुपात
व्यावसायिक बैंक	ग्रामीण	46431	19393	41.8	--	--
	अर्ध-शहरी	64028	21167	33.1	--	--
	शहरी	138347	46321	33.5	--	--
	योग	248807	86881	34.9	6373	37.5
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ग्रामीण	18641	10539	56.5	--	--
	अर्ध-शहरी	6025	2586	42.9	--	--
	शहरी	3976	1294	32.5	--	--
	योग	28642	14418	50.3	361	51.6
सहकारी बैंक	ग्रामीण	1168	1658	141.9	--	--
	अर्ध-शहरी	922	1075	116.6	--	--
	शहरी	831	913	109.9	--	--
	योग	2921	3646	124.8	44	126.3
सभी बैंक	ग्रामीण	66241	31590	47.7	--	--
	अर्ध-शहरी	70975	24827	35.0	--	--
	शहरी	143154	48527	33.9	--	--
	योग	280370	104945	37.4	6778	39.8

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

निवेश सह ऋण-जमा अनुपात

बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण देकर ही सहायता नहीं करते। वे राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में और राज्य सरकार के उपक्रमों, अर्धसरकारी निकायों तथा संयुक्त पूँजी कंपनियों के शेयरों और बांडों में निवेश करके भी सहायता करते हैं। अतः किसी राज्य की आर्थिक गतिविधियों में बैंकों की पूरी संलग्नता वस्तुतः अकेले ऋण-जमा अनुपात से नहीं, निवेश सह ऋण-जमा अनुपात (आइसीडी रेशियो) से अभिव्यक्त होती है। तालिका 9.9 में देखा जा सकता है कि निवेश सह ऋण-जमा अनुपात को ध्यान में रखने पर सभी श्रेणी के बैंकों की स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाती है।

स्वीकृति और उपयोगिता आधारित ऋण-जमा अनुपात

पारंपरिक रूप से ऋण-जमा अनुपात की गणना किसी राज्य में हुई ऋण स्वीकृतियों के आधार पर होती है। ऋण स्वीकृति पर आधारित निम्न ऋण-जमा अनुपात से किसी राज्य से दूसरे राज्य को हुआ जमा राशियों का पलायन सूचित होता है। वहीं दूसरी ओर, ऋण उपयोग आधारित ऋण-जमा अनुपात में उस जगह को ध्यान में रखा जाता है जहां ऋण का वास्तव में उपयोग हुआ हो और यह ऋण के पलायन का सूचक है। इसलिए राज्यों के बीच तुलना के परिप्रेक्ष्य में दोनों प्रकार के अनुपातों की तुलना महत्वपूर्ण हो जाती है। पूरे देश के मामले में ये दोनों अनुपात स्पष्टतः एक होंगे। लेकिन कुछ राज्यों के मामले में उपयोग अनुपात अधिक हो सकता है। बिहार के मामले में भी ऐसा ही था क्योंकि 2014, 2015 और 2016, तीनों वर्षों में उपयोग आधारित ऋण-जमा अनुपात ऋण स्वीकृति आधारित ऋण-जमा अनुपात से थोड़ा अधिक था (तालिका 9.10)।

तालिका 9.10 : मार्च के अंत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

	2014		2015		2016	
	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार
आंध्र प्रदेश	111.3	115.9	105.3	108.3	106.0	109.6
बिहार	32.8	34.8	33.6	34.3	33.4	34.5
गुजरात	74.7	81.0	72.7	79.0	75.4	82.4
हरियाणा	78.1	88.5	75.8	85.2	69.9	82.6
हिमाचल प्रदेश	35.8	37.8	35.3	36.6	32.9	33.6
झारखण्ड	31.8	33.0	29.6	30.6	29.6	30.7
कर्नाटक	71.0	76.5	67.7	72.6	70.1	75.4
केरल	67.7	67.8	64.6	65.4	62.1	63.0
मध्य प्रदेश	60.4	63.3	54.8	57.6	61.2	63.5
महाराष्ट्र	89.8	81.3	92.0	82.7	102.9	91.4
ओडिशा	44.6	46.2	41.9	43.9	40.8	43.3
पंजाब	79.1	81.3	75.1	76.8	69.8	71.7
राजस्थान	87.1	91.4	86.2	90.1	72.4	76.3
तमिलनाडु	121.8	120.6	119.0	117.5	113.7	112.4
उत्तर प्रदेश	44.6	48.0	45.4	48.9	44.6	49.6
उत्तराखण्ड	35.6	36.7	34.5	35.2	34.9	35.8
पश्चिम बंगाल	61.6	63.9	57.8	60.3	55.1	57.3
भारत	79.0	79.0	77.1	77.1	78.4	78.4

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रैंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया 2016-17, भारतीय रिजर्व बैंक

जिलों के ऋण-जमा अनुपात

तालिका 9.11 में बिहार के सभी 38 जिलों में सभी व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पिछले 2016-17 और 2017-18 (सितंबर तक) में ऋण-जमा अनुपात दर्शाया गया है। तालिका में देखा जा सकता है कि ऋण-जमा अनुपात के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है। सितंबर 2017 में यह सारण के लिए मात्र 26.7 प्रतिशत है तो कैमूर के लिए 69.9 प्रतिशत। राज्य के 38 में से कम से कम 5 जिलों (मुंगेर, भोजपुर, गोपालगंज, सारण और सीवान) में यह अनुपात 30 प्रतिशत से कम था। वहीं, बेहतर प्रदर्शन करने वाले (50 प्रतिशत से अधिक ऋण-जमा अनुपात वाले) जिले रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, खगड़िया, सुपौल पूर्णिया, किशनगंज और अररिया थे। हालांकि कई बार कई जिलों में उच्च ऋण-जमा अनुपात सहकारी बैंकों सहित अनेक बैंकों की उच्च अनिष्पादित परिसंपत्तियों के कारण अधिक होते हैं। वे जिलों में बैंकों द्वारा बढ़े ऋण प्रवाह को अनिवार्यतः व्यक्त नहीं करते।

तालिका 9.11 : ज़िलावार ऋण-जमा अनुपात

ज़िला	2016-17	2017-18 (सितंबर 17)	ज़िला	2016-17	2017-18 (सितंबर 17)
पटना	34.0	33.0	दरभंगा	30.5	30.6
नालंदा	34.6	35.3	मधुबनी	33.6	31.6
भोजपुर	29.1	28.2	समस्तीपुर	43.0	43.7
बक्सर	37.6	38.5	बेगूसराय	53.6	52.6
रोहतास	50.8	52.2	मुंगेर	28.5	28.4
कैमूर	62.3	69.9	शेखपुरा	37.7	37.8
गया	32.3	33.2	लखीसराय	36.2	36.1
जहानाबाद	34.6	32.8	जमुई	40.6	41.5
अरवल	36.6	37.8	खगड़िया	55.8	54.1
नवादा	39.1	40.7	भागलपुर	32.6	32.7
औरंगाबाद	39.1	42.9	बांका	44.6	44.2
सारण	26.5	26.7	सहरसा	41.2	40.6
सीवान	26.8	26.7	सुपौल	51.3	51.4
गोपालगंज	29.9	27.2	मधेपुरा	42.2	42.4
पश्चिम चंपारण	50.6	50.1	पूर्णिया	64.0	61.4
पूर्वी चंपारण	45.2	43.1	किशनगंज	57.3	54.9
मुजफ्फरपुर	41.6	42.8	अररिया	52.6	48.1
सीतामढ़ी	40.5	38.7	कटिहार	45.1	41.4
शिवहर	50.7	48.8			
वैशाली	35.6	35.4	बिहार	46.4	44.6

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बिहार में व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात

तालिका 9.12 में बिहार में राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात दर्शाया गया है। सितंबर 2017 में अग्रणी (लीड) बैंकों के बीच यूनियन बैंक का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 45.4 प्रतिशत था और उसके तत्काल बाद यूको बैंक (42.7 प्रतिशत) और कनारा बैंक (42.2 प्रतिशत)।

तालिका 9.12 : राष्ट्रीयकृत व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

बैंक	शाखाओं की सं.	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर 2017 तक)
अग्रणी (लीड) बैंक						
भारतीय स्टेट बैंक	1013	37.5	40.0	30.8	35.5	31.2
संट्रल बैंक ऑफ इंडिया	440	37.2	33.0	34.5	35.2	34.3
पंजाब नेशनल बैंक	571	40.6	41.9	40.8	34.4	38.9
कनारा बैंक	241	40.2	43.7	44.7	40.0	42.2
यूको बैंक	230	39.3	40.7	46.0	42.8	42.7
बैंक ऑफ बड़ौदा	238	34.8	41.6	41.2	40.2	40.2
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	158	41.1	42.1	43.1	45.7	45.4
अन्य बैंक						
बैंक ऑफ इंडिया	345	38.5	40.3	40.7	40.2	40.3
इलाहाबाद बैंक	244	41.8	42.8	40.9	38.2	36.5
आंध्र बैंक	46	16.8	20.7	49.1	63.0	32.9
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	13	32.5	67.4	69.0	50.2	62.5
कॉर्पोरेशन बैंक	43	89.2	72.0	89.3	90.9	70.0
देना बैंक	45	30.3	33.1	41.1	40.0	-
इंडियन बैंक	61	68.8	79.4	79.2	70.6	44.2
इंडियन ओवरसीज बैंक	60	60.00	73.0	73.3	54.1	47.1
अरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	51	39.9	47.3	50.5	47.0	40.3
पंजाब एंड सिंध बैंक	16	108.7	21.8	24.7	9.8	10.3
सिंडिकेट बैंक	63	40.9	41.0	27.3	26.4	33.3
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	92	53.9	52.1	50.4	50.9	48.1
विजया बैंक	37	29.2	41.4	44.6	47.4	59.1
सभी बैंक	4501	41.9	43.0	41.7	39.9	38.8

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में सर्वाधिक ऋण-जमा अनुपात कॉर्पोरेशन बैंक का (70.0 प्रतिशत) था और उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र (62.5 प्रतिशत) और विजया बैंक (59.1 प्रतिशत)। वर्ष 2017-18 में 22 में से मात्र 7 बैंकों ने अपने अनुपातों में गत वर्ष से सुधार किया है। आंश्वा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इंडियन बैंक जैसे कुछ बैंकों के अनुपातों में तेज गिरावट आई है।

बिहार में निजी व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपातों के बारे में अलग से उल्लेख की जरूरत है (तालिका 9.13)। मार्च 2017 के अंत में बिहार में 11 निजी बैंकों की 408 शाखाएं थीं जबकि मार्च 2016 में 10 निजी बैंकों की 281 शाखाएं थीं। उनके ऋण-जमा अनुपात शून्य से 219 प्रतिशत तक थे। इन बैंकों का संयुक्त ऋण-जमा अनुपात 55.6 प्रतिशत था। मात्र पांच बैंकों (बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक और इंडसइंड बैंक) की 54 ग्रामीण शाखाओं के सिवा निजी व्यावसायिक बैंकों की सारी शाखाएं अर्ध-शहरी या शहरी क्षेत्रों में ही मौजूद थीं। बंधन बैंक का आरंभ सूक्ष्मवित्त कंपनी के रूप में 2001 में हुआ था और उसने बैंक के रूप में 2015 से काम करना शुरू किया, लेकिन लगता है कि उसने ग्रामीण क्षेत्रों पर अन्य बैंकों से काफी अधिक ध्यान केंद्रित किया है।

तालिका 9.13 : निजी व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (2016-17)

बैंक	ग्रामीण			शहरी एवं अर्ध-शहरी			योग			
	शाखाओं की सं.	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	शाखाओं की सं.	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	शाखाओं की सं.	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	ऋण-जमा अनुपात
आइसीआइसीआइ बैंक	8	42727	18379	88	470022	202176	96	512749	220555	43.0
फेडरल बैंक	0	0	0	8	30960	5749	8	30960	5749	18.6
जम्मू कश्मीर बैंक	0	0	0	1	7782	3323	1	7782	3323	42.7
साउथ इंडियन बैंक	0	0	0	1	0	0	1	0	0	-
एक्सिस बंक	9	9946	2986	78	501061	208004	87	511007	210990	41.3
एचडीएफसी बैंक	3	1186	24	91	794284	329931	94	795470	329955	41.5
इंडसइंड बैंक	6	5918	10034	18	55681	87379	24	61599	97413	158.1
कर्नाटक बंक	0	0	0	1	2603	614	1	2603	614	23.6
कोटक महिंद्रा	0	0	0	13	39765	23004	13	39765	23004	57.8
यस बैंक	0	0	0	2	3339	4557	2	3339	4557	136.5
बंधन बैंक	28	16183	69625	53	103804	193450	81	119987	263075	219.2
सभी निजी बैंक	54	75960	101048	354	2009301	1058187	408	2085261	1159235	55.6

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात

बिहार में तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं - पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक द्वारा प्रायोजित

बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इनमें से प्रत्येक किसी खास क्षेत्र में सेवा प्रदान करते हैं। तालिका 9.14 में इन तीनों बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात दर्शाए गए हैं। सितंबर 2017 में बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 74.9 प्रतिशत और मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात सबसे कम 41.8 प्रतिशत रहा है। सितंबर 2017 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समग्र निवेश सह ऋण-जमा अनुपात 51.8 प्रतिशत था जो गत वर्ष के अनुपात (51.6 प्रतिशत) के लगभग समान ही है। बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर शेष के ऋण जमा अनुपातों और निवेश सह ऋण-जमा अनुपातों में कोई अधिक अंतर नहीं था।

तालिका 9.14 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ऋण-जमा अनुपात				निवेश सह ऋण-जमा अनुपात			
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर 17)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (सितंबर 17)
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	43.4	41.0	40.1	41.8	43.4	41.0	40.1	41.8
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	75.4	71.6	67.5	67.5	83.5	79.6	75.1	74.9
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	56.8	57.8	52.2	51.5	56.8	57.8	52.2	51.5
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	54.9	53.9	50.3	50.6	56.2	55.2	51.6	51.8

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

9.3 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राप्त अग्रिमों में क्षेत्रवार हिस्सा

वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अंतर्गत उपलब्धियां

तालिका 9.15 में 2015-16 और 2016-17 में ऋण वितरण की क्षेत्रगत विवरणी प्रस्तुत की गई है। वर्ष 2016-17 में राज्य में बैंकों द्वारा दिए गए कुल अग्रिमों में 75 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अग्रिमों का था। कुल अग्रिमों में कृषि का हिस्सा 48 प्रतिशत था जो गत वर्ष 52 प्रतिशत था। दखा जा सकता है कि 2016-17 में कुल वितरित ऋण में जहां कृषि की प्रधानता थी, वहीं लघु और मध्यम उद्योगों को दिए गए अग्रिमों का हिस्सा मात्र 15 प्रतिशत था जो 2015-16 में दर्ज 16 प्रतिशत से थोड़ा कम है। बिहार में उद्योग को मिलने वाले ऋण का यह निम्न परिमाण निश्चय ही चिंता की बात हैं। इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए अधिसंरचनाओं का विकास करना आवश्यक होगा जिसमें औद्योगिक प्रांगणों को पुनर्जीवित करना भी शामिल है। वर्ष 2015-16 में वार्षिक ऋण योजना के तहत समग्र उपलब्ध 87.9 प्रतिशत थी जो 1915-16 में हासिल उपलब्ध (95.3 प्रतिशत) से काफी थी। लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों के मामले में उपलब्ध 99.1 प्रतिशत थी और यह गत वर्ष दिखे रुझान जैसी ही थी। यह साफ तौर लघु और मध्यम उद्यमों में ऋण की बढ़ती मांग का संकेत देती है और इस क्षेत्र के लिए आबंटन बढ़ाने की जरूरत है। वार्षिक ऋण योजना के तहत उपलब्धियों के जिलावार आंकड़े साँख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 9.1) में प्रस्तुत हैं।

तालिका 9.15 : वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत अग्रिमों का क्षेत्रवार हिस्सा (2015-16 और 2016-17)

क्षेत्र	वार्षिक ऋण योजना तक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)	अग्रिमों में हिस्सा (%)
2015-16				
कृषि	42500	41350	97.3	51.6
लघु एवं मध्यम उद्योग	12000	13097	109.1	16.4
अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	7500	6399	85.3	8.0
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम	62000	60846	98.1	76.0
गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	21999	19238	87.5	24.0
योग	83999	80084	95.3	100.0
2016-17				
कृषि	48000	41077	85.6	48.0
लघु एवं मध्यम उद्योग	15000	14862	99.1	15.0
अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	12000	8968	74.7	12.0
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम	75000	64907	86.5	75.0
गैर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	25000	23002	92.0	25.0
योग	100000	87909	87.9	100.0

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

विगत छ: वर्षों के दौरान बिहार में हुआ कुल ऋण प्रवाह तालिका 9.16 में दर्शाया गया है। बिहार में बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के तहत राज्य में कुल ऋण प्रवाह 2015-16 के 80,084 करोड़ रु. से 9.8 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 87,909 करोड़ रु. हो गया है। यह वृद्धि दर गत वर्ष पहले दर्ज 16 प्रतिशत वृद्धि दर से कम है। उपलब्धि का प्रतिशत 2011-12 के 75.0 प्रतिशत से लगातार बढ़कर 2015-16 में 95.3 प्रतिशत हो गया था जिसके बाद 2016-17 में यह गिरकर 87.9 प्रतिशत रह गया। यह भी दिखता है कि विभिन्न बैंक समूहों के बीच उपलब्धि दरों के मामले में कुछ अंतर था लेकिन सबने अच्छा प्रदर्शन किया है। (तालिका 9.17)। सहकारी बैंकों (182.5 प्रतिशत) ने लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल की, वहीं अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की उपलब्धि दर भी काफी ऊँची (89.7) प्रतिशत थी। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में उपलब्धि की दर 77.7 प्रतिशत थी जो गत वर्ष के 101.4 प्रतिशत से काफी कम है।

तालिका 9.16 : वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धियां - सभी बैंक

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्ध (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2011-12	43200	32416	75.0
2012-13	51400	44521	86.6
2013-14	62000	57007	92.0
2014-15	74000	68797	93.0
2015-16	83999	80084	95.3
2016-17	100000	87909	87.9

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

तालिका 9.17 : वार्षिक ऋण योजनागत उपलब्धियों का अभिकरण-वार विश्लेषण

अभिकरण	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्ध (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2015-16			
व्यावसायिक बैंक	65032	60610	93.2
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	17968	18217	101.4
सहकारी बैंक	1000	1258	125.8
योग	83999	80084	95.3
2016-17			
व्यावसायिक बैंक	76540	68632	89.7
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	22460	17452	77.7
सहकारी बैंक	1000	1825	182.5
योग	100000	87909	87.9

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

बकाया कृषि अग्रिम

वर्ष 2011-12 से 2016-17 के बीच छ: वर्षों के दौरान बिहार में कृषि में ऋण प्रवाह की मात्रा तालिका 9.18 में प्रस्तुत की गई है। इन वर्षों के दौरान कृषि ऋण प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में सभी बैंकों के मामले में समग्र उपलब्धि दर 85 प्रतिशत से भी अधिक रही। निस्संदेह, कुल ऋण प्रवाह में व्यावसायिक बैंकों का ही बड़ा हिस्सा था जो गत वर्ष की ही तरह 2016-17 में 60 प्रतिशत से अधिक था। बकाया कृषि अग्रिम (आउटस्टैंडिंग एंग्रीकल्चरल एडवांसेज) 2016-17 के अंत में 41,830 करोड़ रु. था (तालिका 9.19)। इसका अर्थ हुआ कि कृषि हेतु कुल बकाया ऋण में गत वर्ष से 17.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।

तालिका 9.18 : कृषिगत ऋण प्रवाह

(करोड़ रु.)

वर्ष	व्यावसायिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		केंद्रीय सहकारी बैंक		योग	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2011-12	12241	9689 (79.2)	7013	4882 (69.6)	1848	387 (20.9)	21102	14958 (70.9)
2012-13	14674	13203 (90.0)	8407	8035 (95.6)	2319	328 (14.2)	25401	21566 (84.9)
2013-14	18709	17786 (95.1)	10777	10676 (99.1)	800	307 (38.4)	30286	28770 (95.0)
2014-15	22191	21260 (95.8)	12809	13058 (101.9)	1000	362 (36.2)	36000	34680 (96.3)
2015-16	26554	24957 (94.0)	14946	15135 (101.3)	1000	1258 (125.8)	42500	41350 (97.3)
2016-17	28317	25004 (88.3)	18682	14247 (76.3)	1000	1825 (182.6)	48000	41076 (85.6)

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े उपलब्धियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

तालिका 9.19 : बकाया कृषिगत अग्रिम

(करोड़ रु.)

वर्ष	बकाया कृषिगत अग्रिम				वार्षिक वृद्धि दर
	व्यावसायिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी तथा भूमि विकास बैंक	योग	
2011-12	12426	3445	2418	18290	30.8
2012-13	15422	4219	2824	22538	23.2
2013-14	19231	5101	1047	25380	12.6
2014-15	23130	6311	1212	30652	20.8
2015-16	25281	8856	1536	35673	16.4
2016-17	27256	10938	3636	41830	17.3

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स)

तालिका 9.20 में मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) के कामकाज के कुछ चुनिंदा सूचक दर्शाए गए हैं। बिहार में 8,463 पैक्स हैं जिनका संपूर्ण भारत के पैक्स में 9.1 प्रतिशत हिस्सा है। लेकिन जमा और ऋणग्रहण के मामले में बिहार के पैक्स अन्य राज्यों से बहुत पीछे हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य के कुल 8,463 पैक्स में से 3,962 घाटे में चल रहे हैं जिनका कुल घाटा 94 लाख रु. पहुंच गया है जबकि 1,180 पैक्स ने कुल 6 करोड़ रु. लाभ अर्जित किया है। सारे पैक्स का कुल जमा महज 175 करोड़ रु. था और उन पर कुल बकाया ऋण 501 करोड़ रु. हो गया था।

तालिका 9.20 : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के चुनिंदा सूचक (31 मार्च, 2016)

राज्य	पैक्स की संख्या	जमा (करोड़ रु.)	ऋणग्रहण (करोड़ रु.)	बकाया ऋण एवं अग्रिम (करोड़ रु.)		लाभ वाली समितियां		घाटा वाली समितियां	
				कृषि	गैर-कृषि	संख्या	रकम (लाख रु.)	संख्या	रकम (लाख रु.)
आंध्र प्रदेश	2050	1343	6878	5641	2187	1287	18186	679	25837
बिहार	8463	175	501	अनु.	अनु.	1180	604	3962	94
छत्तीसगढ़	1333	470	2356	1640	278	912	7582	421	13823
गुजरात	8804	783	9198	8533	605	6013	5192	1820	4565
हरियाणा	711	505	8134	10809	368	99	1231	612	35583
हिमाचल प्रदेश	2135	2283	100	586	11	1718	26	343	3
कर्नाटक	5337	5860	10631	9951	3344	3867	3203	1470	4596
केरल	1647	72724	6053	6955	49011	1033	82691	514	63125
मध्य प्रदेश	4457	817	10524	3400	482	2153	13124	2129	17824
महाराष्ट्र	21094	175	11196	10836	774	8924	411	11739	792
ओडिशा	2701	1532	16606	4781	606	739	1851	1861	26301
पंजाब	1609	434	1555	1183	65	925	19856	472	82891
राजस्थान	6365	2522	9942	-	10191	4919	109433	1256	37208
तमिलनाडु	4436	7992	11932	7176	11019	2289	110860	2001	304838
उत्तर प्रदेश	8929	68	971	800	831	4536	1774	1968	153
उत्तराखण्ड	759	849	828	611	123	604	1248	146	411
पश्चिम बंगाल	7402	1891	1799	1387	530	2344	2040	4036	1445
भारत	93367	101065	112690	75211	83289	45241	405165	36695	645213

स्रोत : राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक संघ लि. (NAFSCOB)

पैक्स के कमजोर संसाधन आधार, उनका अकुशल प्रबंधन और उनके सदस्यों की भागीदारी का निम्न स्तर पैक्स के जरिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के मामले में प्रमुख बाधक हैं। नाबार्ड ने स्पष्ट किया है कि सीमित क्षमता के कारण पैक्स अपने सदस्यों की ऋण संबंधी जरूरतों की आंशिक पूर्ति ही कर पाते हैं। उनके कामकाज और वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि अपने सदस्यों को सहायक सेवाएं उपलब्ध कराने और गतिविधियों के विविधीकरण में मदद करने के लिए उन्हें बहु-सेवा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाय।

राजकीय सहकारी बैंक

तालिका 9.21 में देश के प्रमुख राज्यों के राजकीय सहकारी बैंकों के 2013-14 से 2015-16 तक - तीन वर्षों के कार्य परिणाम दर्शाए गए हैं। बिहार में इन बैंकों द्वारा ऋण वसूली के प्रतिशत में वस्तुतः काफी सुधार आया

जो 2013-14 के 22.5 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 45.5 प्रतिशत हो गया। बिहार में कुल बकाया ऋणों में अनिष्टादित परिसंपत्तियों का हिस्सा 2015-16 में 10.3 प्रतिशत था जो 2013-14 12.4 प्रतिशत और 2014-15 के 12.2 प्रतिशत से बेहतर स्थिति है।

तालिका 9.21 : राजकीय सहकारी बैंकों के कार्य परिणाम

राज्य	लाभ/ हानि (करोड़ रु.)			अनिष्टादित परिसंपत्तियां बकाया ऋणों के प्रतिशत में			वसूली बकाया ऋणों के प्रतिशत में		
	2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16	2013-14	2014-15	2015-16
आंध्र प्रदेश	1365.1	125.18	5076	2.3	अनु.	0.4	97.3	87.0	68.2
बिहार	241.2	63.52	3597	12.4	12.2	10.3	25.1	22.5	45.5
गुजरात	139.3	अनु.	2436	2.3	2.2	2.4	98.5	56.5	66.3
हरियाणा	219.8	16.23	2380	0.1	0	0	100.0	100.6	108.8
हिमाचल प्रदेश	406.8	59.85	5390	10.4	8.6	6.6	86.0	12.3	10.1
कर्नाटक	-23.3	अनु.	3145	55.5	अनु.	3.3	69.1	अनु.	60.1
केरल	345	30.3	34133	4.2	3.8	35.7	98.0	51.9	133
मध्य प्रदेश	-635.9	-354.17	5799	24.7	28.1	4.2	86.2	98.1	0
महाराष्ट्र	655.9	76.37	24285	0.8	1.4	9.3	97.7	0.0	0
ओडिशा	4005.1	410.6	1666	14.7	11.7	2.4	83.8	61.1	71.7
पंजाब	140.5	15.61	1253	3.8	2.9	0.8	97.3	65.8	88.9
राजस्थान	172.9	21.28	5149	0.8	0.8	0.3	97.3	73.9	99.7
तमिलनाडु	151.3	56.93	4331	0.3	0.3	3.1	98.5	86.8	99
उत्तर प्रदेश	322.2	41.38	2006	4.3	4.7	4.1	99.5	127.9	58.4
उत्तराखण्ड	402.4	80.59	0	5.1	4.8	3.1	95.5	62.1	0.5
पश्चिम बंगाल	71.4	अनु.	1003	3.1	3.1	3.1	94.8	0.5	0.7
भारत	-106.3	10.03	109655	7.6	3.1	4.4	53.3	0.8	53.4

स्रोत : राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक संघ लि. (NAFSCOB)

राजकीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

तालिका 9.22 में देश के प्रमुख राज्यों में राजकीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) के कार्य परिणाम दर्शाए गए हैं। बिहार में 2014-15 में वसूली का प्रतिशत अत्यंत कम, मात्र 7.8 प्रतिशत था जबकि राष्ट्रीय औसत 46.7 प्रतिशत था। बिहार में 2014-15 में कुल बकाया ऋण अनिष्टादित परिसंपत्तियों में बदल गए थे (2015-16 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 46.7 प्रतिशत था। बिहार में इन बैंकों का कुल घाटा 2014-15 में 20.5 करोड़ रु. था।

तालिका 9.22 : राजकीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के कार्य परिणाम

राज्य	30 मार्च 2016 को शाखाओं की सं.	लाभ/ हानि (करोड़ रु.)		अनिष्टादित परिसंपत्तियां बकाया ऋणों के प्रतिशत में		वसूली मांग के प्रतिशत में	
		2014-15	2015-16	2014-15	2015-16		
बिहार	-	-20.54	-	100	-	7.75	-
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-
गुजरात	181	24.06	20.87	46.54	49.21	43.16	42.53
हरियाणा	-	-43.15	-25.71	63.44	73	28.23	28.23
हिमाचल प्रदेश	33	9.59	13.87	37.22	21.4	53.42	46.32
कर्नाटक	25	0.1	0.1	23.28	23.5	42.14	38.18
केरल	14	23.41	24.32	1.11	0.5	98.67	98.67
मध्य प्रदेश	-	-197.64	-	86.31	-	3.69	-
महाराष्ट्र	-	-204.76	-	99.9	-	0.03	-
ओडिशा	-	-0.31	-	100	-	-	-
पंजाब	-	24.93	25.42	1.4	3.6	84.23	86.24
राजस्थान	-	3.7	5.23	39.72	38.6	39.08	38.83
तमिलनाडु	-	2.67	6.58	9.11	8.4	74.93	83.14
उत्तर प्रदेश	323	20	15.16	38.09	42.56	60.06	38.89
पश्चिम बंगाल	2	-24.21	0.6	26.88	25.02	57.21	38.14
संपूर्ण भारत	635	-389.45	77.43	30.34	23.48	46.73	56.04

स्रोत : राष्ट्रीय राजकीय सहकारी बैंक संघ लि. (NAFSCOB)

किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 1998-99 में आरंभ की गई किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का लक्ष्य किसानों को लचीले और किफायती ढंग से फसल ऋण उपलब्ध कराना रहा है। इस योजना का क्रियान्वयन सारे व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राजकीय सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड सह पासबुक जारी किया जाता है जिसमें ऋणग्रहण सीमा और वैधता अवधि का उल्लेख रहता है। ऋण सीमाओं का निर्धारण पूरे एक वर्ष के लिए उनकी पूरी उत्पादन संबंधी ऋण की जरूरतों और फसल उत्पादन संबंधी आनुषंगिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऋणदाता बैंकों के विवेकाधीन ऋणों की उप-सीमाएं भी तय की जाती हैं। फसल ऋण चक्रानुसारी नगद ऋण (रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट) सुविधा के रूप में होता है जिसमें निर्धारित सीमा के अंदर किसी भी संख्या में निकासी और भुगतान की स्वीकृति होती है।

बिहार में बैंकों द्वारा 2011-12 से 2016-17 के बीच जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या तालिका 9.23 में दर्शाई गई है। सभी बैंकों के मामले में कुल लक्ष्य के मुकाबले उपलब्ध का प्रतिशत 2013-14 में बढ़कर 71.6

प्रतिशत हो गया था जिसके बाद से गिरावट का रुझान रहा है। वर्ष 2016-17 में उपलब्धि मात्र 38.7 प्रतिशत थी। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों ने 2016-17 में अपने लक्ष्य का मात्र 46.9 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की जबकि एक वर्ष पहले उपलब्धि दर 52.7 प्रतिशत थी। वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धि दर तेज गिरावट आई जो 2015-16 के 51.0 प्रतिशत से गिरकर 28.4 प्रतिशत रह गई। केंद्रीय सहकारी बैंक भी अपने लक्ष्यों से काफी पिछड़े रहे और 2016-17 में उनकी उपलब्धि दर 2015-16 के 18.7 प्रतिशत की तुलना में महज 14.1 प्रतिशत थी। राज्यस्तरीय बैंकर समिति के अनुसार 2016-17 में घटे लक्ष्य के बावजूद निम्न उपलब्धि का कारण यह है कि अनेक मामलों में आवदेकों के जमीन के दस्तावेज अद्यतन नहीं होने के कारण उन्हें नए किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिए जा सके। किसान क्रेडिट कार्ड के मामले में उपलब्धियों के जिलावार आंकड़े सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 9.2) में दर्शाए गए हैं।

तालिका 9.23 : बैंकों द्वारा जारी (नए) किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या

	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
	व्यावसायिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			
2011-12	811209	579456	71.4	467080	204488	43.8
2012-13	811207	600343	74.0	467081	246987	52.9
2013-14	909186	675107	74.3	535348	387658	72.4
2014-15	903944	628370	69.5	537590	353841	65.8
2015-16	918912	484543	52.7	527226	269047	51.0
2016-17	873362	409441	46.9	576187	163919	28.4
	केंद्रीय सहकारी बैंक			योग		
2011-12	221711	34946	15.8	1500000	818890	54.6
2012-13	221712	16492	7.4	1500000	863822	57.6
2013-14	55466	11325	20.4	1500000	1074090	71.6
2014-15	58466	13057	22.3	1500000	995268	66.4
2015-16	53860	10093	18.7	1500000	763683	51.0
2016-17	50451	7087	14.1	1500000	580447	38.7

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

9.4 वित्तीय संस्थाएं

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

नाबार्ड को कृषि, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण शिल्पों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं के पुनर्वित्तीयन के जरिए ऋण प्रवाह के सुगमीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। यह ग्रामीण ऋणदाता संस्थाओं के कामकाज का समन्वय करता है और उन्हें प्रशिक्षण एवं शोध सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। साथ ही, यह व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि के लिए ऋण देने में रह गई कमी को पूरा करने के लिहाज से निर्मित ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ) का प्रबंधन भी करता है। नाबार्ड

राज्य सरकारों को सिंचाई, मृदा संरक्षण, जलछाजन (वाटरशेड) प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, शीतगृह शृंखला तथा ग्रामीण अधिसंरचना संबंधी अन्य परियोजनाओं के लिए ऋण भी उपलब्ध कराता है।

नाबाड़ द्वारा मार्च 2017 तक किए गए क्षेत्रवार पुनर्वित्तीयन के विवरण तालिका 9.24 में प्रस्तुत हैं। नाबाड़ द्वारा 2016-17 में दिया गया वित्तीय सहयोग 5,449 करोड़ रु. था जो 2015-16 के 6,778 करोड़ रु. से कम है। फसल ऋण पुनर्वित्तीयन और निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन (इनवेस्टमेंट क्रेडिट रिफाइनांसिंग) में काफी कमी आई थी जिसकी आंशिक क्षतिपूर्ति ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष और अन्य ऋणों में वृद्धि द्वारा हुई थी। वर्ष के दौरान विभिन्न घटकों के हिस्से इस प्रकार थे - फसल ऋण पुनर्वित्तीयन (31.6 प्रतिशत), निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन (40.3 प्रतिशत) और ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के ऋण (28.1 प्रतिशत)।


तालिका 9.24 : नाबाड़ द्वारा क्षेत्रवार पुनर्वित्तीयन

(करोड़ रु.)

वर्ष	फसल ऋण पुनर्वित्तीयन	निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन	ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष + भंडार अधिसंरचना कोष + खाद्य प्रसंस्करण कोष ऋण (स्वीकृत)	कुल वित्तीय सहायता
2010-11	409.7	285.9	640.0	1335.6
2011-12	700.0	376.5	638.0	1714.5
2012-13	1077.0	521.4	903.0	2501.4
2013-14	2338.0	370.6	1325.0	4033.6
2014-15	4370.0	2157.4	1128.0	7655.4
2015-16	2377.6	3219.7	1181.0	6778.3
2016-17	1720.7	2194.7	1533.5	5448.9

स्रोत : नाबाड़

चार्ट 9.3 : नाबाड़ द्वारा पुनर्वित्तीयन (करोड़ रु.)



निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा अनेक गतिविधियां चलाई जाती हैं। तालिका 9.25 में विगत सात वर्षों के दौरान उनमें से प्रत्येक गतिविधि के लिए पुनर्वित्तीयन की मात्रा दर्शाई गई है। तालिका से पता चलता है कि 2,194.7 करोड़ रु. के कुल पुनर्वित्तीयन में पांच सूचीबद्ध गतिविधियों के हिस्से इस प्रकार थे - लघु सिंचाई (1.6 प्रतिशत), कृषि यंत्रीकरण (37.1 प्रतिशत), दुग्धशाला (3.2 प्रतिशत), स्वयं सहायता समूह (3.6 प्रतिशत) और गैर-कृषि क्षेत्र (4.5 प्रतिशत)। शेष 49.9 प्रतिशत ऋण का उपयोग अन्य कार्यों के लिए हुआ। वर्ष 2016-17 में पुनर्वित्तीयन का स्तर पिछले वर्ष से लगभग एक-तिहाई घट गया।

तालिका 9.25 : नाबार्ड द्वारा बिहार में क्षेत्रवार निवेश ऋण पुनर्वित्तीयन के विवरण

(करोड़ रु.)

क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
लघु सिंचाई	39.38	32.72	46.57	17.89	25.25	43.44	34.99
कृषि यंत्रीकरण	81.92	97.76	250.84	67.27	295.60	164.77	815.07
दुग्धशाला	92.56	70.62	-	31.11	104.59	333.68	69.95
स्वयं सहायता समूह	40.57	43.66	-	63.38	114.24	92.15	80.00
गैर-कृषि क्षेत्र	22.84	97.80	53.56	21.26	298.06	67.88	99.51
अन्य	8.72	33.98	170.46	169.73	1319.30	2517.75	1095.16
योग	285.99	376.54	521.43	370.64	2157.36	3219.66	2194.68

स्रोत : नाबार्ड, बिहार

9.5 ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ)

केंद्र सरकार द्वारा 1995-96 में ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष की स्थापना जारी ग्रामीण अधिसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों और सरकारी स्वामित्व वाले निगमों को निम्न लागत वाली धनराशि सहायता उपलब्ध कराने के लिहाज से की गई थी। इस कोष का प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। अनुसूचित व्यावसायिक बैंक जिस हद तक कृषि के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र हेतु अनुबद्ध (स्टीपुलेटेड) ऋण देने के मामले में पीछे रह जाते हैं, इस कोष में वे उस हद तक योगदान करते हैं। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष का निर्माण निम्नलिखित लाभ उपलब्ध कराने के लिए किया गया था : (1) राज्य सरकारों द्वारा पहले से किए गए निष्कल निवेश को सफल बनाना, (2) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करना, (3) ग्रामीण लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन करना, (4) राज्य की आर्थिक संपदा में योगदान करना, (5) गांवों और विपणन केंद्रों के बीच पथसंपर्क में सुधार करना तथा (6) शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल आपूर्ति सुविधाओं के जरिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। अभी ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत व्यापक विस्तार वाली 36 गतिविधियां शामिल हैं जिन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है - (i) कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, (ii) सामाजिक क्षेत्र और (iii) ग्रामीण पथ संपर्क। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों को परियोजना व्यय की 95 प्रतिशत तक राशि ऋण के बतौर उपलब्ध कराई जाती है। सामाजिक क्षेत्रों के मामले में यह सीमा उत्तर-पूर्वी अंचल के लिए 90 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के लिए 85 प्रतिशत है। वहीं ग्रामीण पथ संपर्क के लिए यह सीमा उत्तर-पूर्वी अंचल के लिए 90 प्रतिशत तथा अन्य राज्यों के लिए 80 प्रतिशत है। नाबार्ड के 2017 के वार्षिक प्रतिवेदन में दावा किया गया है कि ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष ग्रामीण अधिसंरचना में निवेश बढ़ाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को मोड़ने और इस प्रकार देश के कम विकसित क्षेत्रों में

ग्रामीण वित्तोय बाजारों का विस्तार करने तथा समावेशी विकास करने में सक्षम बनाने के लिहाज से राज्य सरकारों के लिए वित्तोयन के आकर्षक विकल्प के रूप में उभरा है।

मार्च 2017 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के 22 ट्रैंच जारी किए गए हैं। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष द्वारा पहले ट्रैंच से 22वें ट्रैंच तक संचयी आबंटन 2,67500 करोड़ रु. पहुंच गया जिसके मामले में कुल स्वीकृति 2,87,129 करोड़ रु. की थी और कुल संवितरण 2,15,605 करोड़ रु. का। इसमें ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के बारहवें से पंद्रहवें ट्रैंच तक भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए जारी 18,500 करोड़ रु. की धनराशि भी शामिल है। संचयी धनराशि में सर्वाधिक 43 प्रतिशत हिस्सा कृषि और संबंधित क्षेत्रों का रहा है और उसके बाद 41 प्रतिशत ग्रामीण पथ एवं ग्रामीण पुल सहित ग्रामीण पथसंपर्क का तथा 16 प्रतिशत सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं का। 86,000 करोड़ रु. के वित्तोपेषण के साथ ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के पहले से चौदहवें ट्रैंच तक बंद कर दिए गए जिनकी 91 प्रतिशत राशि का समग्रतः उपयोग किया गया।

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के 22 ट्रैंचों के तहत बिहार हेतु किया गया कुल ऋण संवितरण तालिका 9.26 में दर्शाया गया है। कई ट्रैंचों में स्वीकृति और संवितरण के बीच भारी अंतर रहा है। मार्च 2017 तक कुल संवितरण 8,834 करोड़ रु. था जो 13,596 करोड़ रु. की कुल स्वीकृति का 65.0 प्रतिशत है। ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के संवितरण में स्वीकृति के मुकाबले ऐसा अंतर बिहार के लिए चिंता का विषय है।

तालिका 9.26 : मार्च 2017 तक ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत बिहार में स्वीकृति और वितरण

(करोड़ रु.)

ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के ट्रैंच	स्वीकृति	संवितरण	संवितरण का प्रतिशत
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष 1 से 10	508.0	351.0	69.1
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 11	459.4	418.3	91.0
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 12	308.5	231.0	74.9
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 13	569.1	512.5	90.1
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 14	752.2	732.6	97.4
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 15	673.9	637.5	94.6
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 16	1089.9	850.2	78.0
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 17	1034.1	780.4	75.5
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 18	1490.2	1238.0	83.1
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 19	1764.3	1382.6	78.4
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 20	1085.2	500.2	46.1
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 21	2024.9	605.7	29.9
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष - 22	1836.3	594.1	32.4
योग मार्च 2014 तक	8671.0	5290.0	61.0
योग मार्च 2015 तक	9756.0	6418.0	65.8
योग मार्च 2016 तक	11781.0	7599.0	64.5
योग मार्च 2017 तक	13596.0	8834.0	65.0

स्रोत : नाबार्ड, बिहार

9.6 बिहार में सूक्ष्मवित्त

पारंपरिक सरकारी गरीबी निवारण योजनाएं सेवा प्रदान सबंधी समस्याओं से ग्रस्त होती हैं और गरीबी पर गंभीर असर डालने में प्रायः असफल रहती हैं – खास कर वैसी गरीबी पर जो गरीब परिवारों के लिए ऋण सहायता नहीं उपलब्ध होने से उत्पन्न होती है। बिहार के लिए यह बात खास तौर पर सच है। इस परिदृश्य में, समाज के गरीब लोगों को समय पर पर्याप्त ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवाओं की किफायती खर्च पर उपलब्धता के मामले में सूक्ष्मवित्त (माइक्रो-फाइनांस) गरीबी निवारण का एक सक्षम विकल्प है। इस पृष्ठभूमि में, स्वयं सहायता समूह और अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्मवित्त कार्यक्रम के बताए उभरे हैं।

तालिका 9.27 में 2016-17 तक बैंकों के साथ ऋण-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों की संख्या के लिहाज से कुछ चुनिंदा राज्यों में हुआ स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क दर्शाया गया है। मार्च 2017 तक देश में 86 लाख स्वयं सहायता समूह औपचारिक बैंक व्यवस्था से जुड़े थे। उनकी बचत का शेष गत वर्ष के 11,060 करोड़ रु. के मुकाबले 16,114 करोड़ रु. था। वर्ष 2016-17 में इन समूहों के बीच कुल वितरित ऋण 38,781 करोड़ रु. था। दूसरे शब्दों में, अभी तक पहुंच से दूर रहे गरीबों के वित्तीय समावेश के लिए स्वयं सहायता समूह-बैंक ऋण संपर्क कार्यक्रम सबसे पसंदीदा और सक्षम मॉडलों में से एक बन गया है। बिहार में 2016-17 के अंत तक 4.41 लाख स्वयं सहायता समूह थे जो देश के कुल स्वयं सहायता समूहों का लगभग 5.1 प्रतिशत ठहरते हैं। वर्ष 2016-17 में इनका हिस्सा 3.5 प्रतिशत ही था। इन समूहों द्वारा कुल 626.6 करोड़ रु. की बचत की गई थी और इन्हें वर्ष 2016-17 में इन्हें लगभग कुल 1,323.1 करोड़ रु. का कुल बैंक ऋण प्राप्त हुआ था।

तालिका 9.27 : भारत के चुनिंदा राज्यों में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क (मार्च 2017)

राज्य	बैंक संपर्क वाले समूहों की सं. (हजार)	समूहों की बैंकों में बचत (करोड़ रु.)	वर्ष में वितरित बैंक ऋण (करोड़ रु.)	राज्य	बैंक संपर्क वाले समूहों की सं. (हजार)	समूहों की बैंकों में बचत (करोड़ रु.)	वर्ष में वितरित बैंक ऋण (करोड़ रु.)
आंध्र प्रदेश	849	5291.2	10347.1	महाराष्ट्र	885	1103.4	1255.1
बिहार	441	626.6	1323.1	ओडिशा	431	627.5	961.0
छत्तीसगढ़	179	200.9	225.3	पंजाब	31	31.4	25.0
गुजरात	247	262.5	214.7	राजस्थान	317	346.4	406.5
हरियाणा	41	34.3	58.5	तमिलनाडु	909	1065.8	4625.9
हिमाचल प्रदेश	46	50.6	50.1	उत्तर प्रदेश	384	321.5	133.7
झारखण्ड	130	149.9	103.7	उत्तराखण्ड	47	43.5	24.4
कर्नाटक	1032	1311.8	5722.0	पश्चिम बंगाल	945	1952.7	2335.8
केरल	280	512.7	2226.5				
मध्य प्रदेश	238	273.1	296.2	योग	8577	16114.2	38781.2

स्रोत : स्टेट्स ऑफ माइक्रोफाइनांस इन इंडिया, 2016-17, नाबार्ड

धीमी शुरुआत करने वाला बिहार अब स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करने और उनका बैंक के साथ संपर्क सुनिश्चित करने, दोनों मामलों में अन्य राज्यों के समकक्ष पहुंच रहा है। बिहार में स्वयं सहायता समूहों का 2016-17 तक का प्रदर्शन तालिका 9.28 में दर्शाया गया है। मार्च 2017 तक ग्रामीण बिहार के 57.33 लाख परिवार बैंक-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़े थे जिनकी संख्या एक वर्ष पूर्व 36.21 लाख ही थी। बिहार में प्रति स्वयं सहायता समूह 14,198 रु. की औसत बचत राशि राष्ट्रीय बचत औसत 18,787 रु. से काफी कम थी। वर्ष 2016-17 में यह फासला और भी बढ़ गया है। प्रति स्वयं सहायता समूह 85 हजार रु. का औसत ऋण भी 2.04 लाख रु. के राष्ट्रीय औसत से काफी कम था। वर्ष 2016-17 में बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के बीच वितरित कुल ऋण राशि 1,323 करोड़ रु. थी जो गत वर्ष वितरित 611 करोड़ रु. से काफी अधिक थी। वर्ष 2016-17 के अंत तक उन पर बकाया कुल ऋण राशि 1,584.86 करोड़ रु. थी जो एक वर्ष पूर्व के संबंधित आंकड़े (1,002.48 करोड़ रु.) से ढंगुनी से भी अधिक है। अनुत्पादक परिसंपत्तियां 2015-16 के 132.8 करोड़ रु. से काफी बढ़कर 2016-17 में 207.0 करोड़ रु. पहुंच गईं। वर्ष 2016-17 में ऐसी अनुत्पादक परिसंपत्तियां कुल बकाया ऋण राशि का 13.1 प्रतिशत थी जो गत वर्ष दर्ज प्रतिशत के लगभग बराबर है।

तालिका 9.28 : बिहार में स्वयं सहायता समूहों का प्रदर्शन

सूचक	मार्च 2014	मार्च 2015	मार्च 2016	मार्च 2017
शामिल ग्रामीण परिवार (स्वयं सहायता समूह : बचत संपर्कित) (लाख)	32.4	29.18	36.21	57.33
बैंक में बचत खाता वाले स्वयं सहायता समूहों की सं. (लाख)	2.69	2.24	2.78	4.41
बिहार में प्रति स्वयं सहायता समूह औसत बचत (रु.)	6127	13216	12924	14198
भारत में प्रति स्वयं सहायता समूह औसत बचत (रु.)	13321	14368	17324	18787
बैंक ऋण पाने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	190171	189341	267338	364169
बकाया बैंक ऋण राशि (लाख रु.)	89814	102676	100248	158486
वर्ष में बैंक ऋण पाने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या	40036	65122	98608	156165
बैंक ऋण राशि (लाख रु.)	28400	47101	61056	132306
बिहार में प्रति स्वयं सहायता समूह औसत बैंक ऋण (लाख रु.)	0.7	0.72	0.62	0.85
भारत में प्रति स्वयं सहायता समूह औसत बैंक ऋण (लाख रु.)	1.75	1.69	2.03	2.04
सकल अनिष्टित परिसंपत्ति (लाख रु.)	7058	7130	13280	20700
बिहार में कुल बकाया ऋण में अनिष्टित परिसंपत्तियों का प्रतिशत	7.86	6.94	13.25	13.06

स्रोत : नाबार्ड, बिहार

मुख्यतः प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों की अनुपस्थिति और हितधारकों के बीच स्वयं सहायता समूहों द्वारा ऋण प्रदान के लाभ के बारे में जागरूकता की कमी के कारण बिहार में स्वयं सहायता समूह आंदोलन की प्रगति संतोषजनक नहीं है। कुछ बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों के खाते खोलने और पहला ऋण शीघ्र चुका देने के बाद भी ऋण दने के प्रति अनिच्छा से यह समस्या और भी बढ़ जाती है। हालांकि नाबार्ड द्वारा संवेदनीकरण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ली गई पहलकदमियों से निकट भविष्य में स्वयं सहायता समूहों के परिदृश्य में सुधार आने की आशा है।


अध्याय 10

मानव विकास

मानव विकास का स्तर किसी क्षेत्र या देश में मानवों के समग्र कल्याण को सूचित करता है। अर्थिक स्थिति के अलावा, इन सूचकों में शिक्षा, स्वास्थ्य जीवन दशा, महिलाओं की स्थिति आदि कल्याण के अनेक अन्य आयाम भी शामिल होते हैं। महज आर्थिक विकास की चर्चा को किसी भी क्षेत्र में मानव विकास तय करने के लिहाज से आम तौर पर अपर्याप्त समझा जाता है। इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए वर्तमान अध्याय में बिहार के मानव विकास पर सात आयामों के तहत चर्चा की गई है - स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा (कला, संस्कृति और युवा कार्य सहित), समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण, श्रम संसाधन एवं कल्याण तथा वृद्धों और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा।

बिहार में अर्थव्यवस्था की विकास दर हाल के वर्षों में ऊँची रही है और कुछ वर्षों में तो विकास दर दो अंकों में भी रही है। साथ ही, राज्य में मानव विकास में सतत वृद्धि दर्ज हुई है, खास कर मानव विकास के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयामों - शिक्षा और स्वास्थ्य - के क्षेत्र में। राज्य के प्रति व्यक्ति विकास व्यय (PCDE) में 2011-12 से 2016-17 के बीच लगातार ऊपर जाने का रुझान रहा है। वर्ष 2011-12 में यह व्यय 1,878 रु. था जो 2016-17 में 14.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2016-17 में 3,767 रु. हो गया जबकि इस अवधि में पूरे देश के स्तर पर प्रति व्यक्ति विकास व्यय की वार्षिक वृद्धि दर 15.6 प्रतिशत थी जो बिहार से थोड़ा अधिक है (तालिका 10.1)। गौरतलब है कि राज्य सरकार के सीमित संसाधन आधार के कारण बिहार में प्रति व्यक्ति विकास दर राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा रहा है। जैसे 2016-17 में बिहार का प्रति व्यक्ति विकास दर मात्र 3,737 रु. है जबकि राष्ट्रीय औसत 7,656 रु. है।

चार्ट 10.1 : सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय का रुझान



तालिका 10.1 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान

वर्ष	सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय (करोड़ रु.)		कुल व्यय (करोड़ रु.)		कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत हिस्सा		सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)	
	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार
2011-12	459980	19536	1245816	60182	36.9	32.5	3801	1878
2012-13	528655	24438	1424883	69207	37.1	35.3	4296	2292
2013-14	600231	28253	1600303	80405	37.5	35.1	4796	2586
2014-15	696207	33386	1909198	94698	36.5	35.3	5470	2981
2015-16	900746	38684	2371351	112328	38.0	34.4	6959	3370
2016-17	1007782	44329	2680282	126302	37.6	35.1	7656	3767

स्रोत : स्टेट फिनांसेज, ए स्टडी ऑफ बजट्स, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बिहार सरकार के बजट दस्तावेज

10.1 स्वास्थ्य

बिहार ने गत दशक में महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हासिल किया है जिसके चलते लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। वर्ष 2001 से 2015 के बीच जन्म के समय जीवन संभाव्यता में 4 वर्ष से अधिक की वृद्धि हुई है, शिशु मृत्यु दर 62 से घटकर 42 रह गई है, कुल प्रजनन दर 4.4 से गिरकर 3.2 पर आ गई है और मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर 400 से घटकर 208 रह गई है। स्वास्थ्य राज्य सरकार के लिए हमेशा ही प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। हाल के वर्षों में मानक स्वास्थ्य सेवाओं में बिहार ने महत्वपूर्ण प्रगति की है जिसका श्रेय स्वास्थ्य पर बढ़े व्यय, स्वास्थ्य अधिसंरचना में सुधार, और स्वास्थ्य सेवाओं के सतत अनुश्रवण को दिया जा सकता है। हालांकि प्रचुर सुधार के बावजूद, राज्य के सभी जिलों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के लिहाज से काफी अंतर है। इस खंड में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलकदमियों पर प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख की प्रमुखता जिनके जरिए राज्य की पूरी आबादी को सेवा देने का प्रयास किया जाता है। सम्प्रगतापूर्ण प्रकृति का होने के नाते इसका लक्ष्य पुनर्वास्मूलक सेवाओं के अलावा बचाव केंद्रित और रोग निवारक, दोनों प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है। बचाव केंद्रित स्वास्थ्य देखरेख में खानपान, स्वास्थ्यप्रद वातावरण, स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता आदि शामिल हैं। दूसरी ओर, रोग निवारक स्वास्थ्य देखरेख के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता शामिल होती है जो सफल स्वास्थ्य सुधार सुनिश्चित करे। इस खंड में स्वास्थ्य देखरेख के दोनों पक्षों पर चर्चा की जाएगी।

बिहार में स्वास्थ्य संबंधी चुनिंदा सूचक

बिहार में हाल के वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी सूचकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (एलईबी) से मरणशीलता की प्रचलित स्थिति के तहत किसी व्यक्ति की जीवित रहने की संभावना के औसत वर्षों को मापा जाता है। तालिका 10.2 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता बिहार और भारत, दोनों के लिए

2001-05 और 2011-15 के मान प्रस्तुत हैं। वर्ष 2011 से 2015 के बीच बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पुरुषों के लिए 68.5 वर्ष और महिलाओं के लिए 68.3 वर्ष रहो है। बिहार में जीवन संभाव्यता में इस दौरान 2001-05 की अपेक्षा पुरुषों के मामले में 4.3 वर्षों की ओर महिलाओं के मामले में 4.2 वर्षों की वृद्धि हुई है। संपूर्ण भारत से तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि 2001-05 में भारत और बिहार के बीच जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के मामले में 0.1 वर्ष का फासला था जो 2011-15 की अवधि में नकारात्मक (-0.1 वर्ष) हो गया। यह बिहार में अपेक्षाकृत अधिक जन्मकालीन जीवन संभाव्यता को दर्शाता है। पुरुषों और महिलाओं की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता की तुलना करने पर सामान्यतः पाया जाता है कि जीववैज्ञानिक कारणों से यह महिलाओं के मामले में अधिक रहती है। भारत के मामले में यह पैटर्न 2001-05 और 2011-15, दोनों अवधियों में देखा गया। बिहार में महिलाओं की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 2001-05 में पुरुषों से 0.1 वर्ष कम थी जो लैंगिक विषमता को दर्शाती है। दुर्भाग्यवश, 2011-15 में यह फासला और भी बढ़ गया। संपूर्ण भारत के मामले में दिखता है कि 2011-15 में महिलाओं की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में पुरुषों की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई।

तालिका 10.2 : जन्मकालीन जीवन संभाव्यता

राज्य/भारत	2001-05			2011-15		
	पुरुष	महिला	संयुक्त	पुरुष	महिला	संयुक्त
बिहार	64.2	64.1	64.2	68.5	68.3	68.4
भारत	63.1	65.6	64.3	66.9	70.0	68.3

स्रोत : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली (एसआरएस), भारतीय महानिबंधक कार्यालय, भारत सरकार

जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के अलावा, स्वास्थ्य संबंधी चार अन्य चुनिंदा सूचकों के तुलनीय आंकड़े भी मौजूद हैं। वे हैं – अशोधित जन्म दर (सीबीआर), शिशु मृत्यु दर (आइएमआर), बाल मृत्यु दर (सीएमआर) और कुल प्रजनन दर (टीएफआर)। तालिका 10.3 में इन सूचकों के लिए बिहार और भारत, दोनों के 2012 से 2015 तक के प्रासंगिक आंकड़े प्रस्तुत हैं। अशोधित जन्म दर के मामले में बिहार के आंकड़े लगातार ऊंचे रहे हैं। वर्ष 2015 में बिहार का आंकड़ा 26.3 और भारत का आंकड़ा 20.3 था जिसके कारण दोनों के बीच 5.5 अंकों का फासला था। यह बिहार में जनसांख्यिक संक्रमण की अनुपस्थिति दर्शाता है। हालांकि 2012 से 2015 के बीच बिहार और भारत के बीच शिशु मृत्यु दर के मामले में अंतर थोड़ा घटा है। शिशु मृत्यु दर के मामले में तुलना करने पर पता चलता है कि राज्य का आंकड़ा 2012 के 43 से घटकर 2015 में 42 रह गया है। लेकिन भारत के स्तर पर यह गिरावट अपेक्षाकृत अधिक है (2012 के 42 से घटकर 2015 में 37)। बाल मृत्यु दर की बात करें, तो बिहार में यह 2012 के 11 से थोड़ा बढ़कर 2015 में 12 हो गया जबकि भारत में थोड़ा घटा और 2012 के 11 से 2015 में 10 रह गया। यह सचमुच चिंता की बात है। वहीं, कुल प्रजनन दर के मामले में तुलना करने पर दिखता है कि बिहार में इसमें लगातार गिरावट आई है और आंकड़ा 2012 के 3.5 से घटकर 2015 में 3.2 रह गया है जो प्रति महिला 0.3 बच्चे की गिरावट को दर्शाता है। भारत के स्तर पर गिरावट बिहार की अपेक्षा कम है 2012 में 2.4 से 2015 में 2.3 बच्चे प्रति महिला जो मात्र 0.1 बच्चे की गिरावट दर्शाता है। अगर बिहार में कुल प्रजनन दर में गिरावट जारी रहती है, तो राज्य में निकट भविष्य में अतिवांछित जनसांख्यिक संक्रमण घटित हो पाएगा।

तालिका 10.3 : बिहार और भारत के चुनिंदा स्वास्थ्य विषयक सूचक

	सूचक	अशोधित जन्म दर	शिशुमृत्यु दर	बाल मृत्यु दर	5 वर्ष के पहले मृत्युकीदर	नवजातमृत्यु दर	कुल प्रजनन दर	कुल वैवाहिक प्रजनन दर
भारत								
2015	संयुक्त	20.8	37	10	43	25	2.3	4.6
	ग्रामीण	22.4	41	12	48	29	2.5	4.7
	शहरी	17.3	25	7	28	15	1.8	4.2
2014	संयुक्त	21.0	39	11	45	26	2.3	3.9
	ग्रामीण	22.7	43	12	51	30	2.5	4.0
	शहरी	17.4	26	6	28	15	1.8	3.5
2013	संयुक्त	21.4	40	11	49	28	2.3	4.4
	ग्रामीण	22.9	44	12	55	31	2.5	4.5
	शहरी	17.3	27	6	29	15	1.8	4.2
2012	संयुक्त	21.6	42	11	52	29	2.4	4.4
	ग्रामीण	23.1	46	13	58	33	2.6	4.5
	शहरी	17.4	28	7	32	16	1.8	3.9
बिहार								
2015	संयुक्त	26.3	42	12	48	28	3.2	5.2
	ग्रामीण	27.1	42	12	48	29	3.3	5.2
	शहरी	20.6	44	11	47	20	2.5	5.0
2014	संयुक्त	25.9	42	12	53	27	3.2	4.3
	ग्रामीण	26.9	43	13	54	29	3.3	4.4
	शहरी	19.9	37	9	43	13	2.4	3.9
2013	संयुक्त	27.6	42	11	54	28	3.4	5.7
	ग्रामीण	28.3	42	12	56	29	3.5	5.7
	शहरी	21.5	33	8	37	11	2.5	4.9
2012	संयुक्त	27.7	43	11	57	28	3.5	5.4
	ग्रामीण	28.4	44	12	58	29	3.6	5.5
	शहरी	21.6	34	8	39	12	2.5	4.6

स्रोत : भारतीय महानिबंधक कार्यालय, भारत

स्वास्थ्य अधिसंरचना

बिहार में स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के तीन स्तर हैं - प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख अधिसंरचना लोगों और स्वास्थ्य देखरेखकर्ताओं के बीच पहले स्तर का संपर्क होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख अधिसंरचना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), उप-केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एपीएचसी) शामिल हैं। द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली में वैसे अस्पताल आते हैं जहां प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के रोगियों को विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा के लिए भेजा जाता है। द्वितीयक स्तर की देखरेख के केंद्रों में जिला स्तरीय

अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल आर प्रखंड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। तृतीयक स्वास्थ्य देखरेख तीसरे स्तर की स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली होती है जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली से भेजे गए रोगियों को विशेषीकृत देखरेख उपलब्ध कराया जाता है। विशेषीकृत सघन देखरेख इकाइयां, उन्नत रोग निदान, सहयोग सेवाएं और विशेषीकृत चिकित्सा कर्मचारी तृतीयक देखरेख प्रणालियों का मुख्य अवयव होते हैं।

निम्न आय के कारण बिहार के अधिकांश लोग लोक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। राज्य में लोक स्वास्थ्य सेवाओं के कामकाज में सधार के लिए राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में कई कदम उठाए हैं। बिहार में स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था के कामकाज में सुधार हर महीने सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत संख्या से व्यक्त होती है (तालिका 10.4)। अभी सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या 10,496 है जो 2012 में 9,863 ही थी। यह 6.4 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर्शाती है। यह व्यवस्था के बेहतर अनुश्रवण और बड़ी संख्या रोगियों को मुफ्त में दवा देने के प्रावधान का परिणाम है। राज्य सरकार लोगों में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित कर रही है।

तालिका 10.4 : सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या

वर्ष	2012	2013	2014	2015	2016	2017, (सितंबर)
सरकार अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की मासिक संख्या	9863 (5.9)	10476 (6.2)	9871 (-5.8)	9778 (-0.9)	10294 (5.3)	10496 (2.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वार्षिक वृद्धि दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकार के लिए उतनी स्वास्थ्य अधिसंरचना निर्मित करना संभव नहीं हुआ है जो राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी लोगों को वांछित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिहाज से पर्याप्त हो। हालांकि बिहार का दृष्टिकोण व्यावहारिक रहा है जिसमें अतिरिक्त स्वास्थ्य अधिसंरचना के निर्माण के बजाय विद्यमान सुविधाओं का कामकाज सुनिश्चित करने पर अधिक जोर रहा है। अभी राज्य में 36 जिला अस्पताल, 70 रेफरल अस्पताल, 55 अनुमंडल अस्पताल, 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 9,949 उप-केंद्र और 1,366 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। अंतिम तीन श्रेणियों वाले स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या मिलकर 11,848 हो जाती है। इस प्रकार राज्य में प्रति लाख आबादी पर लगभग 11 स्वास्थ्य केंद्र हैं (तालिका 10.5)। स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में मौजूद कमी की समस्या के निराकरण के लिए 2017 में 533 में से 202 प्रखंडस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 30 शाय्याओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया और उनमें से 131 अभी इस रूप में काम कर रहे हैं। 70 रेफरल अस्पतालों में से 67 में वाह्यरोगी विभाग (ओपीडी) और भर्ती रोगी विभाग (आइपीडी) की सुविधा है जबकि शेष में सिर्फ ओपीडी की सुविधा है। इसी प्रकार, 55 अनुमंडलीय अस्पतालों को राज्य द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है जिनमें से 46 पूरी तरह काम कर रहे हैं और शेष 9 तेघरा और बखरी (बेगूसराय), हवेली खड़गपुर (मुंगेर), बेनीपट्टी (मधुबनी), मढ़ौरा (सारण), बेलसंड (सीतामढ़ी), मनहर (वैशाली), पीरो (भोजपुर) और बैसी (पूर्णिया) में खोले जा रहे हैं।

तालिका 10.5 : स्वास्थ्य अधिसंरचना की समग्र स्थिति

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	जिला अस्पताल	रेफरल अस्पताल	अनुमंडल अस्पताल	स्वास्थ्य केंद्र				परि 10 लाख आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र
				प्राथमिकस्वा स्थ्य केंद्र	उप-केंद्र	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	योग	
2011	36	70	55	533	9696	1330	11559	11
2012	36	70	55	533	9696	1330	11559	11
2013	36	70	55	533	9696	1330	11559	11
2014	36	70	55	533	9729	1350	11612	11
2015	36	70	55	533	9729	1350	11612	11
2016	36	70	55*	533**	9729	1350	11612	11
2017	36	70	55*	533**	9949	1366	11848	11

टिप्पणी : * 202 प्रा. स्वा. केंद्र 30 शय्याओं वाले सामुदायिक स्वा. केंद्र में उत्क्रमित किएगए हैं जिनमें से 131 चालू हैं।

* 46 अनुमंडल अस्पताल चालू हैं और 9 अन्य खोले जा रहे हैं

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

स्वास्थ्य देखरेख सेवा में समग्रतः कमी के अलावा जिलों के बीच भी स्वास्थ्य संस्थानों की उपलब्धता के लिहाज से काफी अंतर है। प्रति स्वास्थ्य संस्थान द्वारा सेवित औसत जनसंख्या के लिहाज से सितंबर 2017 में 3 शीर्ष जिले जमुई (5,589), शेखपुरा (5,785) और शिवहर (5,966) हैं। दूसरी ओर सबसे पीछे के जिले पूर्व पटना (16,263), सीतामढ़ी (12,871) और दरभंगा (12,004) हैं। जिलावार आंकड़े सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 10.1) में दिए गए हैं।

सामान्यतः लोक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभुत्व को वाह्य रोगियों और भर्ती रोगियों की प्रकृति के लिहाज से देखा जा सकता है। वर्ष 2016-17 में अस्पताल पहुंचने वाले वाह्यरोगियों की सर्वाधिक औसत दैनिक संख्या के मामले में शीर्ष तीन जिले खगड़िया (555), पूर्णिया (503) और मुजफ्फरपुर (497) थे। वहाँ, अस्पताल पहुंचने वाले वाह्यरोगियों की सबसे कम दैनिक संख्या वाले निचले पायदान के तीन जिले शिवहर (135), नवादा (171) और जमुई (179) थे। शय्याओं की उपलब्धता किसी राज्य में अस्पतालों के संसाधनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचक होती है। भर्ती रोगियों के लिए ऐसी सेवाओं के परिमाण का निर्णय अस्पतालों की शय्याओं के लिए शय्या अधिभोग दर (ऑक्यूपैसी रेट) से किया जा सकता है। बिहार में शय्या अधिभोग दर का 2015-16 के 84 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 69 प्रतिशत रह जाना दर्शा सकता है कि अधिक लोग निजी स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं की ओर जा रहे हैं। जिलों में शय्या अधिभोग दर अररिया के 146 प्रतिशत से मुजफ्फरपुर के 20 प्रतिशत के बीच थी। वर्ष 2016-17 में सर्वोच्च शय्या अधिभोग दर वाले तीन जिले अररिया (146 प्रतिशत), भागलपुर (134 प्रतिशत) और मधेपुरा (131 प्रतिशत) हैं जबकि तीन सबसे निम्न प्रदर्शन वाले जिले मुजफ्फरपुर (20 प्रतिशत), गया (25 प्रतिशत) और अरवल (29 प्रतिशत) हैं। 8 जिलों में शय्या अधिभोग दर 100 प्रतिशत से अधिक है जो लोक स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च मांग को दर्शाती है। तालिका 10.6 में पूरे राज्य और सभी 38 जिलों में तीन वर्षों - 2015-16, 2016-17 और 2017-18 (सितंबर तक)- के लिए भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दरें दर्शाई गई हैं।

तालिका 10.6 : एक दिन में अस्पताल पहुंचने वाले वाहा-रोगियों की जिलावार औसत संख्या

जिले	एक दिन में पहुंचने वाले वाहा-रोगियों की औसत संख्या			भर्ती रोगियों की शव्या अधिभोग दर		
	2015-16	2016-17	2017-18*	2015-16	2016-17	2017-18*
पटना	235	305	305	73	75	31
नालंदा	391	390	390	119	125	106
भोजपुर	275	270	270	33	70	64
बक्सर	213	209	209	62	52	43
रोहतास	290	258	258	70	70	62
कैमर	301	312	312	82	63	33
गया	348	338	338	87	25	23
जहानाबाद	377	358	358	72	50	42
अरबल	321	247	247	76	29	29
नवादा	167	171	171	77	81	75
औरंगाबाद	501	483	483	74	52	33
सारण	420	465	465	89	92	74
सीवान	292	323	323	99	76	75
गोपालगंज	318	370	370	76	66	63
पश्चिम चंपारण	255	258	258	52	43	34
पूर्व चंपारण	357	400	400	84	83	70
मुजफ्फरपुर	502	497	497	60	20	14
सीतामढी	240	225	225	94	88	74
शिवहर	159	135	135	78	51	43
वैशाली	402	430	430	101	94	87
दरभंगा	355	342	342	89	44	31
मधुबनी	301	361	361	58	57	53
समस्तीपुर	420	353	353	124	126	100
बेरुसराय	250	265	265	62	75	60
मुंगेर	306	338	338	104	85	80
शैखपुरा	200	179	179	60	62	66
लखीसराय	266	245	245	70	76	63
जमुई	199	219	219	46	41	36
खगड़िया	401	555	555	130	118	125
भागलपुर	310	330	330	130	134	115
बांका	350	439	439	76	66	65
सहरसा	229	213	213	71	110	106
सुपौल	379	370	370	106	85	39
मधेपुरा	328	407	407	143	131	121
पूर्णिया	523	503	503	122	101	70
किशनगंज	290	319	319	94	100	77
अररिया	450	485	485	99	146	92
कटिहार	306	354	354	78	83	70
बिहार	323	335	335	84	69	57

* सितंबर, 2017 तक

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

स्वास्थ्य अधिसंरचना का एक महत्वपूर्ण आयाम स्वास्थ्य-कर्मियों - चिकित्सक, नर्से, एएनएम (सहायक परिचारिका सह धाई) और आशा (मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्मी) - की उपलब्धता होती है। पूरे राज्य में इन कर्मियों की उपलब्धता के आंकड़े तालिका 10.7 में प्रस्तुत हैं। जिलावार आंकड़े सांख्यिकीय परिशिष्ट में (तालिका 10.2 से 10.5 तक) प्रस्तुत हैं। डॉक्टरों की बात करें, तो अभी बिहार में 7,249 स्वीकृत पद हैं लेकिन 3,146 नियमित डॉक्टर ही कार्यरत हैं जो 57 प्रतिशत रिक्त अनुपात दर्शाता है। साथ ही, संविदाधीन डॉक्टरों के 2,479 पद भी स्वीकृत हैं जिनमें से 709 पद ही भरे हुए हैं और यह 71 प्रतिशत का और भी अधिक रिक्त अनुपात दर्शाता है। भोजपुर, शिवहर, बक्सर, मुगेर, लखीसराय, जहानाबाद और शेखपुरा ऐसे 7 जिले हैं जहां हर सरकारी डॉक्टर को 5 लाख से भी अधिक लोगों को सेवा देनी पड़ती है। यह भी पाया गया कि सरकार 'ए' श्रेणी की नसों के सारे स्वीकृत पद भी नहीं भर पाई है, चाहे पद नियमित हों या संविदाधीन। नियमित पदों के मामले में सितंबर 2017 तक उनके 4,704 स्वीकृत पदों में से 2,096 पद ही भरे थे जो 45 प्रतिशत रिक्त अनुपात दर्शात है। 'ए' श्रेणी की संविदाधीन नसों के मामले में तो स्थिति और भी खराब है जहां 2,550 स्वीकृत पदों में से 166 ही भरे हैं जो 93 प्रतिशत रिक्त अनुपात दर्शाते हैं। एएनएम के मामले में भी ऐसी ही स्थिति है जिनके 21,859 नियमित स्वीकृत पदों में से मात्र 12,134 भरे हुए हैं जिसका अर्थ 44 प्रतिशत रिक्त अनुपात है। एएनएम के 12,659 स्वीकृत संविदाधीन पदों में से भी 5,758 ही भरे हैं जो 55 प्रतिशत रिक्त अनुपात दर्शाते हैं। हालांकि संविदाधीन आशा कर्मियों के मामले में स्थिति बेहतर है। उनके 93,686 स्वीकृत पद हैं जबकि कार्यरत कर्मियों की संख्या 86,893 हजार है जो मात्र 7 प्रतिशत रिक्त अनुपात दर्शाती है। लेकिन जिलावार स्थिति की तुलना करने पर एएनएम और आशा के मामले में कम अंतर दिखता है जबकि डॉक्टरों और नसों के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है। अतः स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में भौतिक अधिसंरचना और कर्मचारियों की संख्या अभी भी बिहार की बड़ी और जरूरतमंद आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां निजी चिकित्सा सेवाएं अत्यंत सीमित हैं।

तालिका 10.7 : स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या

पद का नाम	नियमित			संविदाधीन		
	स्वीकृत पद	कार्यरत		स्वीकृत पद	कार्यरत	
		2015-16	2016-17		2015-16	2016-17
डॉक्टर	7249	2052	3183	3146	2479	1488
ग्रेड-ए नर्स	4704	1700	2032	2096	2550	505
ए.एन.एम.	21859	8974	12205	12134	12659	9711
आशा	-	-			93687	85502
					85708	86893

टिप्पणी : 2017-18 के आंकड़े सितंबर 2017 तक के ही हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

संस्थागत प्रसव

संस्थागत प्रसव का अर्थ प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों की पूरी तरह देखरेख में किसी चिकित्सा संस्थान में बच्चे को जन्म देना है जहां मां और बच्चे का सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हों। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच बिहार में संस्थागत प्रसवों की संख्या तेजी से बढ़ी है (तालिका 10.3)। संस्थागत प्रसवों की संख्या 2012-13 में 14.69 लाख थी जो 2016-17 में बढ़कर 15.45 लाख हो गई।

वर्ष 2005 में में संस्थागत प्रसव की बाधाओं से निपटने के लिए आशा कर्मियों की सेवा शुरू करने के साथ केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुरक्षित मातृत्व के लिए हस्तक्षेप है। इसका क्रियान्वयन गरीब महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु और नवजात मृत्यु में कमी लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन सभी राज्यों में किया जा रहा है लेकिन निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों पर इसका विशेष फोकस है। योजना में निम्न पदर्शन वाले राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए 1,400 रु. नगद सहायता दी जाती है जबकि हर महिला को प्रसवपूर्व जांच और संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करने के लिए आशा को प्रदर्शन से जुड़ा 600 रु. शुल्क भुगतान किया जाता है। इसो प्रकार, निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों के शहरी क्षेत्रों में मां को 1,000 रु. और आंगनवाड़ी सेविका को 400 रु. दिए जाते हैं। आशा कर्मियों को मातृ एवं शिशु देखरेख के विभिन्न पहलुओं पर तीन सप्ताह का आरंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत आशा कर्मियों के लिए गर्भवती महिलाओं की पहचान करना, उन्हें कम से कम चार बार प्रसव-पूर्व देखरेख उपलब्ध कराने में सहायता देना और उन्हें संस्थागत प्रसव चुनने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। उन्हें प्रसव के सात दिनों के अंदर जच्चा-बच्चा की प्रसवोत्तर जांच के लिए उनक पास जाना और शुरू से ही स्तनपान कराने के लिए परामर्श भी देना होता है। अब इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) की भी सुविधा है इसलिए जननी सुरक्षा योजना के लिए पात्र महिलाएं लाभ की रकम सीधे अपने बैंक खाते में पाने की हकदार हैं।

विभिन्न जिलों में जननी सुरक्षा योजना के आंकड़े सार्विकीय परिशिष्ट (तालिका 10.6) में प्रस्तुत हैं। तालिका में देखा जा सकता है कि समस्तीपुर (89 हजार), पूर्णिया (71 हजार) और पश्चिम चंपारण (68 हजार) जिलों में संस्थागत प्रसवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। गौरतलब है कि तीनों जिले उत्तर बिहार के हैं। इसके विपरीत, शिवहर (10 हजार) को छोड़कर सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले दो जिले अरबल (9 हजार) और शेखपुरा (12 हजार) दक्षिण बिहार के हैं।

तालिका 10.8 : जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों की संख्या

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
संस्थागत प्रसव (लाख)	14.69	16.48	14.94	15.33	15.45

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

प्रतिरक्षण

प्रतिरक्षण लोक स्वास्थ्य के मामले में सबसे किफायती हस्तक्षेप है क्योंकि इसमें रुग्णता और मृत्यु से बचाव के लिए प्रत्यक्ष और प्रभावी संरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार ने भी हाल के

वर्षों में सर्वव्यापी टीकाकरण के मामले में काफी प्रगति की है। प्रासंगिक आंकड़े तालिका 10.9 में प्रस्तुत हैं। ये आंकड़े बीसीजी, खसरा, पोलियो की तीन खुराकें और डीपीटी से संबंधित हैं। तालिका के अनुसार राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-3 से राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-८ के बीच प्रतिरक्षण दरों में 29 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि बिहार की वृद्धि दर तालिका में वर्णित 12 राज्यों के बीच सर्वाधिक रही ही है पूरे देश से भी अधिक है। बिहार में इसका प्रमुख योगदान 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने में है जो पिछले पांच वर्षों में 2011 के 59 से घटकर 2015 में 48 रह गया। हालांकि राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के 50 प्रतिशत बच्चों की मौत अभी भी टीकों से बचाव लायक रोगों के कारण होती है। यह प्रतिरक्षण कार्यक्रम के और भी सुदृढ़ीकरण की जरूरत को रेखांकित करता है। भारत का प्रतिरक्षण कार्यक्रम प्रयुक्त टीकों की मात्रा, लाभार्थियों की संख्या, आयोजित प्रतिरक्षण सत्रों की संख्या, और आच्छादित भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। कार्यक्रम में टीकों का उपयोग बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नौ रोगों से बचाने के लिए किया जाता है। ये रोग हैं - यक्ष्मा, डिफ्थेरिया, कुकुरखांसी, पोलियो, खसरा, टेटनस, हिपेटाइटिस, हिमोफिलिस इनफ्लुएंजा टाइप बी और जापानी एनसेफेलाइटिस।

तालिका 10.9 : 12 से 23 महीने उम्र के पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत

राज्य	12 से 23 महीने उम्र के पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत (बीसीजी, खसरा, पोलियो तथा डीपीटी की 3-3 खुराकें)		प्रतिशत अंकों की वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि के अनुसार दर्जा
	राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3	राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3		
	(2005-06)	(2015-16)		
आंध्र प्रदेश	46	65.3	19.3	3
बिहार	32.8	61.7	28.9	1
गोवा	78.6	88.4	9.8	8
हरियाणा	65.3	62.2	-3.1	11
कर्नाटक	55	62.6	7.6	7
मध्य प्रदेश	40.3	53.8	13.5	4
मेघालय	32.9	61.5	28.6	2
सिक्किम	69.6	83	13.4	6
तमिलनाडु	80.9	69.7	-11.2	12
त्रिपुरा	49.7	54.5	4.8	9
उत्तराखण्ड	60	57.7	-2.3	10
पश्चिम बंगाल	64.3	84.4	20.1	5
भारत	43.5	62	18.5	

स्रोत : राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

तालिका 10.10 प्रतिरक्षण के छः घटकों से संबंधित है - टीटी (टेटनस-रोधी), बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, पेंटा और खसरा (मीजल्स)। सबसे हाल (2017-18) के आंकड़ों पर नजर डालने पर देखा जा सकता है कि हाल के वर्षों में टीकों का आच्छादन काफी बढ़ा है। हीमोफिलस इनफ्ल्यूएंजा टाइप बी, कुकुरखांसी, टेटनस, हिपेटाइटिस बी और डिप्थेरिया - पांच सांघातिक रोगों से रक्षा करने वाले पेंटावैलैंट टीके के मामले में उपलब्धि 73 प्रतिशत से अधिक है। बीसीजी के मामले में भी आच्छादन काफी (80.3 प्रतिशत) है। दुर्भाग्यवश ओपीवी के मामले में आच्छादन अपेक्षाकृत कम (56 प्रतिशत) है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के समय से प्रतिरक्षण का आच्छादन काफी बढ़ा है। उस समय मात्र 33 प्रतिशत बच्चे पूर्णतः प्रतिरक्षित थे। आशा है कि निकट भविष्य में राज्य पूर्ण प्रतिरक्षण हासिल कर लेगा।

तालिका 10.10 : एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन

एंटीजेन का नाम	2015-16		2016-17		2017-18 (नितंबर 2017 तक)	
	लक्ष्य (हजार)	उपलब्धि (हजार)	लक्ष्य (हजार)	उपलब्धि (हजार)	6 महीनों के लिए लक्ष्य (हजार)	उपलब्धि (हजार)
टीटी ² + बूस्टर(पी.डब्ल्यू)	3184	2407 (75.6)	3261	2467(75.6)	1670	1438(86.1)
बीसीजी	3000	2712 (90.4)	3080	2749(89.2)	1579	1268(80.3)
ओपीवी 0	3000	1836 (61.2)	3080	1836 (59.6)	1579	892(56.4)
ओपीवी 1	3000	2640 (88.0)	3080	2733(88.7)	1579	1169(74.0)
ओपीवी 2	3000	2584 (86.2)	3080	2708(87.9)	1579	1204(76.2)
ओपीवी 3	3000	2515 (83.9)	3080	2682(87.0)	1579	1239(78.4)
डीपीटी 1	3000	14 (0.5)	3080	2 (0.06)	1579	-
डीपीटी 2	3000	90 (3.0)	3080	2 (0.06)	1579	-
डीपीटी 3	3000	253 (8.4)	3080	48 (1.5)	1579	-
पंटा-1	3000	2637 (87.9)	3080	2750 (89.2)	1579	1169(74.0)
पंटा-2	3000	2534 (84.5)	3080	2736 (88.8)	1579	1203(76.1)
पंटा-3	3000	2328 (77.6)	3080	2712 (88.0)	1579	1241(78.5)
खसरा	3000	2548 (85.0)	3080	2714 (88.1)	1579	1338(84.7)

टिप्पणी : 1. 2015-16 में डीपीटी की जगह पेंटावैलैंट ने ले ली है।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उपलब्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

मुख्य रोगों की व्यापकता

तेज सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ बिहार महामारी विषयक मुख्य संक्रमण से भी गुजर रहा है। राज्य में रोग संबंधी बोझ और जोखिम संबंधी कारकों के रुझानों की विविधतापूर्ण समझ के कारण लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने वाली प्रभावी स्वास्थ्य व्यवस्था निर्मित हुई है। बिहार में मुख्य रोगों से संबंधित जानकारी तालिका 10.11 में प्रस्तुत है। तालिका में देखा जा सकता है कि 2016-17 में बिहार में सर्वाधिक मामले श्वसन तंत्र के तीव्र संक्रमण (एआरआइ) के थे जिसके 6.9 लाख रोगी थे। दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी अज्ञात कारणों से

बुखार (एफयूओ) की थी जिसके 5.1 लाख रोगी था। व्यापकता के लिहाज से 2016-17 में अन्य महत्वपूर्ण रोग थे - तीव्र अतिसार अर्थात् डायरिया (2.7 लाख) और पेचिस/ आंत्र ज्वर (1.4 लाख)। इन रोगों के साथ-साथ कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज के रोगियों की भी बड़ी संख्या (1.9 लाख) थी। तालिका से यह भी पता चलता है कि लोक स्वास्थ्य देखरेख की उचित सुविधाओं के कारण रोगियों की कुल संख्या 2014-15 के 52.4 लाख से घटकर 2016-17 में 20.4 लाख रह गई जो 61 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। जिलावार आंकड़े सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 10.7) में प्रस्तुत हैं।

तालिका 10.11 : बिहार में मुख्य रोगों की व्यापकता

(रोगियों की संख्या लाख में)

रोग	2014-15	2015-16	2016-17
तीव्र अतिसार (डायरिया)	6.9 (13.1)	5.1 (13.0)	2.7 (13.2)
खूनी पेचिश	3.6 (6.9)	2.8 (7.2)	1.4 (6.9)
वायरल हिपेटाइटिस	0.3 (0.5)	0.3 (0.7)	0.2 (1)
आंत्र ज्वर	3.1 (5.9)	2.6 (6.7)	1.4 (6.9)
मलरिया	0.3 (0.6)	0.3 (0.8)	0.2 (1.0)
अज्ञात मूल का बुखार (एफयूओ)	13.2 (25.2)	10.3 (26.6)	5.1 (25.0)
तीव्र श्वास संक्रमण (एआरआइ)	17.3 (33.0)	13.5 (34.7)	6.9 (33.8)
न्यूमोनिया	0.5 (0.9)	0.4 (1.1)	0.2 (1.0)
कुत्ता काटना	6.3 (12.0)	2.7 (7.0)	1.9 (9.3)
राज्य में होने वाला कोई अन्य खास रोग	0.3 (0.6)	0.3 (0.8)	0.2 (1.0)
ऊपरवर्णित रोगों से भिन्न असामान्य लक्षण	0.7 (1.4)	0.6 (1.5)	0.2 (1.0)
योग	52.4(100.0)	38.8 (100.0)	20.4 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योगफल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM), जिसे अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के नाम से जाना जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। यिछले छः वर्षों में मिशन के तहत विभिन्न जिला स्वास्थ्य समितियों के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख के साथ लोक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 6,263.6 करोड़ रु. संवितरित किए गए हैं। मिशन की रकम जिलों को स्वास्थ्य समितियों के जरिए सात घटकों के तहत विमुक्त की गई हैं। ये घटक हैं - प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) फ्लेक्सी पूल (NRHM-A), मिशन फ्लेक्सी पूल (NRHM-B), प्रतिरक्षण (पोलियो सहित) (NRHM-C), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NRHM-D), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) (NRHM-E), समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (ISDP) (NRHM-F) और संशोधित राष्ट्रीय यक्षमा नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP) (NRHM-G)। वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक 58 प्रतिशत आबंटन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) फ्लेक्सी पूल (NRHM-A) के लिए किया गया था और उसके बाद 32 प्रतिशत मिशन फ्लेक्सी पूल (NRHM-B) के लिए। शेष सभी शीर्षों पर कुल आबंटन मात्र 10 प्रतिशत था। विवरण तालिका 10.12 में प्रस्तुत हैं। स्वास्थ्य समितियों को किया गया जिलावार धनराशि वितरण सांख्यिकीय परिशिष्ट (10.8) में प्रस्तुत है।

तालिका 10.12 : स्वास्थ्य समितियों को संवितरित धनराशि

(लाख रु.)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन A	43853.5	60305.2	68535.1	67011.5	72371.2	77868.9
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन B	24994.7	29520.9	17995.8	25135.5	21000.1	42949.9
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन C	8792.1	7948.0	9045.7	9243.1	11251.0	7869.8
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन D				192.0	2.0	15.5
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन E		141.8	178.7	61.5	552.3	282.3
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन F		2590.1	1774.7	2785.1	5694.1	3542.0
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन G	525.5		92.7	542.6	860.9	834.4
योग	78165.8	100506.1	97622.6	104971.2	111731.5	133362.7

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का लक्ष्य सभी को सुनिश्चित ढंग से स्वास्थ्य देखरेख उपलब्ध कराना है और यह वर्तमान तथा सतत परिवर्तनशील सामाजिक-आर्थिक, प्रौद्योगिकीय और महामारी विज्ञान संबंधी परिदृश्यों में उभरने वाली चुनौतियों से निपटने पर ध्यान देगी। इसकी कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं निम्नलिखित हैं :

- **सुनिश्चय आधारित दृष्टिकोण** : बचावमूलक और तत्परतामूलक स्वास्थ्य देखरेख पर फोकस वाला सतत वर्धनशील सुनिश्चय आधारित दृष्टिकोण।
- **स्वास्थ्य कार्ड से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं** : स्वास्थ्य कार्ड को देश में कहीं भी सेवाओं के निर्धारित पैकेज के लिए प्राथमिक देखरेख सुविधा के साथ जोड़ना।
- **रोगी केंद्रित दृष्टिकोण** : देखरेख की गुणवत्ता, सेवाओं के मूल्य, लापरवाही और गलत आचरणों के संबंध में विवादों/ शिकायतों पर ध्यान देने के लिहाज से त्वरित समाधान के लिए एक अलग, शक्तिप्राप्त चिकित्सा पंचाट की स्थापना। इसमें प्रयोगशाला और इमेजिंग केंद्रों, विशेषीकृत आपात सेवाओं आदि के लिए मानक नियामक रूपरेखा भी शामिल है।
- **सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी** : सभी क्षेत्रों में सूक्ष्मपोषक तत्वों की पर्याप्तता के मामले में विविधता पर ध्यान देने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाकर सूक्ष्मपोषण जनित कुपोषण में कमी पर फोकस।
- **देखरेख की गुणवत्ता** : सार्वजनिक अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का नियतकालिक मूल्यांकन और सेवाओं की गुणवत्ता के मामले में प्रमाणन होगा।
- **भारत में निर्माण संबंधी पहल** : भारतीय लोगों को दीर्घकालिक आधार पर कस्टमाइज्ड देशी उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय विनिर्माण का प्रोत्साहित करने की जरूरत है।
- **डिजिटल स्वास्थ्य का उपयोग** : इसका लक्ष्य स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली की दक्षता और परिणामों में सुधार लाने तथा सभी हितधारकों की जरूरतें पूरी करने वाली समेकित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए डिजिटल उपकरणों की सघन तैनाती। दोनों मिलकर स्वास्थ्य देखरेख के मामले में दक्षता, पारदर्शिता, और नागरिकों के अनुभव में सुधार लाएंगे।
- **रणनीतिक खरीद, गंभीर कमियों को दूर करने, और स्वास्थ्य के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र की संलग्नता को बढ़ावा दिया जाएगा।**

समेकित बाल विकास योजना (आइसीडीएस)

समेकित बाल विकास योजना बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की एक अग्रणी योजना है। राष्ट्रीय बाल नीति के अनुपालनस्वरूप समेकित बाल विकास योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 1975 को प्रायोगिक आधार पर देश के 33 प्रखंडों में किया गया था जिनमें से 3 प्रखंड बिहार के थे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी में 0 से 6 वर्ष उम्र के बच्चों का 18.3 प्रतिशत हिस्सा है और उनकी कुल जनसंख्या 1.91 करोड़ के आसपास है। ये बच्चे राज्य के लिए भावी मानव संसाधन हैं। उनकी सहायता के लिए समेकित बाल विकास योजना छः सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराती है – पूरक पोषाहार, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं तथा माताओं के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। योजना के लक्ष्य समूह तक आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए पहुंच होती है। समेकित बाल विकास योजना के कर्मचारियों में बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), महिला पर्यवेक्षक (LS), आंगनवाड़ी सेविका (AWW) और आंगनवाड़ी सहायिका (AWH) शामिल हैं। योजना के लाभार्थी 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं होती हैं।

अभी समेकित बाल विकास योजना राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। सभी 91,677 आंगनवाड़ी केंद्र चालू हैं जो 6 महीने से 6 वर्ष तक उम्र के 71.2 लाख बच्चों और 14.2 लाख गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं की जरूरतें पूरी करते हैं। वर्ष 2015-16 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिहार के लिए 23,041 नए आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गए थे। इन नए स्वीकृत केंद्रों के लिए परियोजना अधिकारियों द्वारा की गई मांगों के आधार पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्ष 2015-16 की अपेक्षा 2016-17 में आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या बढ़ी है लेकिन बाल विकास परियोजना अधिकारियों और महिला पर्यवेक्षकों की संख्या थोड़ी घटी है। तालिका 10.13 के अनुसार 2016-17 में रिक्त अनुपात इस प्रकार थे – बाल विकास परियोजना अधिकारी (18.8 प्रतिशत), महिला पर्यवेक्षक (26.2 प्रतिशत), आंगनवाड़ी सेविका (5.3 प्रतिशत) और आंगनवाड़ी सहायिका (6.9 प्रतिशत)।

तालिका 10.13 : समेकित बाल विकास योजना में कर्मियों की संख्या

वर्ष	पद	बाल विकास परियोजना अधिकारी	महिला पर्यवेक्षक	आंगनवाड़ी सेविका	आंगनवाड़ी सहायिका
	स्वीकृत पदों की संख्या	544	3288	91677	86337
2012-13	कार्यशील	507	2916	75183	67753
	रिक्त पदों का प्रतिशत	6.8	11.3	18.0	21.4
2013-14	कार्यशील	504	2859	82177	78076
	रिक्त पदों का प्रतिशत	7.4	13.0	10.4	9.5
2014-15	कार्यशील	458	2499	85936	80176
	रिक्त पदों का प्रतिशत	15.8	24.0	6.3	7.0
2015-16	कार्यशील	458	2499	85944	80178
	रिक्त पदों का प्रतिशत	15.8	24.0	6.3	7.1
2016-17	कार्यशील	442	2427	86800	80373
	रिक्त पदों का प्रतिशत	18.8	26.2	5.3	6.9

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

समेकित बाल विकास योजना के लिए बजट प्रावधान लगातार बढ़ा है और 2012-13 के 1,393.30 करोड़ रु. से 19 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में 1,494.10 करोड़ रु. हो गया है। वर्ष 2016-17 में केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त रकम बजट प्रावधान का मात्र 66 प्रतिशत थी जो एक वर्ष पहले से कम है। ऐसा व्यय में भागीदारी का पैटर्न बदलने के कारण हुआ है जो पूरक पोषाहार कार्यक्रम (SNP) में 50:50 है और शेष सभी में 90:10 से घटकर 60:40 हो गया है। यह भी गौरतलब है कि 91 प्रतिशत विमुक्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया है जो राज्य सरकार द्वारा धनराशि के कुशल उपयोग को दर्शाता है। पिछले पांच लगातार वर्षों में समेकित बाल विकास योजना के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंशदान के विवरण तालिका 10.14 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 10.14 : समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग

वर्ष	बिहार में समेकित बाल विकास योजना का बजट (करोड़ रु.)	केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त कुल राशि (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	विमुक्त राशि बजट के प्रतिशत के बतौर	व्यय विमुक्त धन के प्रतिशत के बतौर
2012-13	1393.3	1094.0	1075.3	78.5	98.3
2013-14	1714.3	1153.5	1310.1	67.3	113.6
2014-15	2238.3	1281.5	1236.4	57.3	96.5
2015-16	1409.7	1062.2	983.4	75.3	92.6
2016-17	1494.1	987.3	893.5	66.1	90.5

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना - सबला

किशोरावस्था स्वस्थ वयस्क जीवन की तैयारी के लिए अवसरों के संक्रमण काल को व्यक्त करती है। अनेक किशोरियों से स्कूल छुड़ा दिया जाता है, जल्दी शादी कर दी जाती है और उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सेवाएं पाने में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। किशोरियों की जरूरतें पूरी करने के लिहाज से किशोरियों के लिए व्यापक हस्तक्षेप के बतौर राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना (सबला) का आरंभ नवंबर 2010 में किया गया जिसका विशेष फोकस पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियां थीं। इस कार्यक्रम को किशोरी पोषण कार्यक्रम और किशोरी शक्ति योजना की जगह लाया गया था।

समेकित बाल विकास योजना के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाली यह योजना देश को लगभग 953.5 लाख और बिहार की 83.0 लाख किशोरियों के हित में काम करती है। अपने आरंभ के समय यह केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत समर्थित योजना थी। हालांकि 2015-16 में 40 प्रतिशत राज्यांश की शुरुआत करके इसके दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया। योजना के तहत किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्रों में ‘सूखा राशन’ या ‘गर्म पके राशन’ की शक्ति में 600 किलो कैलोरी ऊर्जा देने वाला पूरक पोषाहार और 18-20 ग्राम प्रोटीन तथा सूक्ष्म पोषक तत्व प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाते हैं। 11 से 14 वर्ष की पढ़ाई छोड़ देने वाली किशोरियों तथा 14 से 18 वर्ष की सभी किशोरियों के लिए यह सेवा वर्ष में 300 दिनों के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, पढ़ाई छोड़ देने वाली किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा सहित अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा कार्य एवं खेल-कूद और पंचायती राज संस्थाओं के तहत चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के कनवर्जेंस पर भी जोर दिया जाता है।

पायलट कार्यक्रम के बतौर सबला योजना का आरंभ देश के 200 जिलों में किया गया था जिनमें से 12 जिले बिहार के थे - पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका और मुंगेर। वर्ष 2017-18 के लिए केंद्र सरकार ने योजना के लिए 40.0 करोड़ रु. विमुक्त किए हैं जबकि राज्य ने इसके लिए 12.77 करोड़ रु. कर्णांकित किए हैं।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

बिहार में हर तीसरी महिला कुपोषित है और हर दूसरी महिला खून की कमी से ग्रस्त है। कुपोषित मां निरपवाद रूप से कम वजन वाले बच्चे को जन्म देती है। कुपोषण और रक्ताल्पता के मुद्दे के समाधान पर ध्यान देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना चलाई जा रही है जिसे पूर्व में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था। अभी यह योजना बिहार के सभी जिलों में चल रही है जो जनवरी 2017 से प्रभावी है। इस योजना के तहत निर्बंधित गर्भवती महिलाओं को हर किश्त के लिए कुछ खास शर्त पूरी करने पर तीन किश्तों में 5,000 रु. मिलेंगे। 1000 रु. की पहली किश्त का भुगतान अंतिम मासिक के 150 दिन के अंदर गर्भावस्था का निबंधन कराने पर दिया जाता है। 2,000 रु. की दूसरी किश्त कम से कम एक बार प्रसवपूर्व जांच कराने पर गर्भावस्था के छः महीने बाद दी जाती है। और 2,000 रु. की तीसरी किश्त बच्चे का पहले दौर का टीकाकरण पूरा हो जाने के बाद दी जाती है। इन तीन किश्तों के अलावा, सरकारी संस्थान या स्वास्थ्य विभाग के मातृत्व लाभ योजना के तहत निर्बंधित निजी संस्थान में पसव हो, तो 1,000 रु. की अतिरिक्त धनराशि भी लाभार्थी को मिल सकती है। इस प्रकार पात्र लाभार्थी को योजना के स्वीकृत मानकों के अनुसार कुल 6,000 रु. की नगद प्रोत्साहन राशि प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार द्वारा व्यय में 60:40 अनुपात में भागीदारी की जाती है (उत्तर-पूर्वी राज्यों और तीन हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90:10 है)। योजना का क्रियान्वयन समेकित बाल विकास योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किया जा रहा है। योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है जबकि राज्य स्तर पर संबंधित राज्य को समाज कल्याण विभाग या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित करने का विकल्प दिया गया है। सितंबर 2017 तक केंद्र सरकार ने सहायता अनुदान के केंद्रांश के बतौर कुल 160.50 करोड़ रु. विमुक्त किए थे।

10.2 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

बचावमूलक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्यप्रद स्वच्छता की उपलब्धता पर निर्भर है। इसलिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के प्रावधान को लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के एक प्रधान कारक के रूप में देखा जाता है।

वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार 4.4 प्रतिशत परिवारों को ही नलके का पानी उपलब्ध था जो 2001 में तो 3.7 प्रतिशत को ही उपलब्ध था। पेयजल के लिए 2011 में राज्य के 89.6 प्रतिशत परिवार चापाकल/ नलकूल/ बोरिंग के पानी पर निर्भर थे जबकि 2001 में ऐसे परिवार 82.9 प्रतिशत थे। इसके अलावा, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार सिर्फ 4.4 प्रतिशत परिवार कुओं के पानी का उपयोग करते थे और 1.7 प्रतिशत परिवार अन्य जलस्रोतों पर निर्भर थे। यह भी पता चला कि नलके का पानी का उपयोग करने वाले 4.4 प्रतिशत परिवारों में से 3.1 प्रतिशत परिवार ही उपचारित स्रोतों के नलके का पानी उपयोग में लाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार

राज्य में 76.9 प्रतिशत परिवारों के पास शौचालय नहीं थे जबकि 2001 में उनका अनुपात 80.8 प्रतिशत था। एक दशक में मात्र 3.9 प्रतिशत अंकों की कमी बहुत कम है और चिंता की बात है।

पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य लेकर 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2022 तक देश में हर ग्रामीण परिवार को उसके परिसर में या अधिकतम 50 मीटर के अंदर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध हो जाय। इसके साथ-साथ एक उप-मिशन कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है जिसका लक्ष्य 2020 तक आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित लगभग 28,000 बसाहटों में पानी की गुणवत्ता की समस्या दूर करना है। अगले चरण में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय नाइट्रट, लवणता और आयरन जैसे अन्य प्रदूषकों पर फोकस किया जाएगा।

बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'हर घर नल का जल' और 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' राज्य सरकार द्वारा किए गए 'सात निश्चय' में से दो निश्चय हैं। पहले लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने चार योजनाएं शुरू की हैं जिनमें से तीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं और एक शहरी क्षेत्र के लिए। इनमें से दो योजनाएं - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र से भिन्न) क्रियान्वित की जा रही हैं। पहली योजना उन क्षेत्रों के लिए है जहां का पानी आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से प्रदूषित होने के कारण पीने के लिए अच्छा नहीं है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जरिए किया जा रहा है। यह कार्यभार 8,391 ग्राम पंचायतों और 140 नगरपालिकाओं के संयुक्त प्रयासों से पूरा किया जाएगा। बिहार के 38 में से 33 जिले आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से प्रदूषित हैं। तालिका 10.15 में जनवरी 2015 की स्थिति में प्रदूषण का जिलावार मानचित्रण दर्शाया गया है।

तालिका 10.15 : प्रदूषण वाले जिलों का मानचित्रण

प्रदूषक	प्रभावित जिले
आर्सेनिक	बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, समस्तीपुर, सारण, पटना, भागलपुर, भोजपुर, वैशाली (13 जिले)
फ्लोराइड	औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, रोहतास, शेखपुरा, नवादा (11 जिले)
आयरन	अरंगिया, बेगूसराय, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल (9 जिले)

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

स्वच्छता की जरूरत पूरी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन नामक व्यापक जनांदोलन शुरू किया गया है जिसका लक्ष्य 2019 तक स्वच्छ भारत सुनिश्चित करना है। राष्ट्रिय महात्मा गांधी हमेशा सफाई पर जोर देते थे क्योंकि यह स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कुंजी है। इसे ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। मिशन देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित होगा। इसके शहरी घटक का क्रियान्वयन नगर विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और ग्रामीण घटक का क्रियान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। इसी प्रकार, बिहार में स्वच्छता संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा दो योजनाएं शुरू की गई हैं - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और शहरी क्षेत्रों के लिए शौचालय निर्माण (शहरी) योजना।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

खुले में शौच बिहार में लोक स्वास्थ्य, साफ-सफाई और पोषण की स्थिति में सुधार की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। राज्य सरकार का लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण के क्रियान्वयन के लिए गठित है। मिशन का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों द्वारा और राज्य स्तर पर जीविका के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के सारे अधिकारियों-कर्मचारियों का मिशन के लक्ष्यों के बारे में उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण दे दिया गया है जिससे सामूहिक व्यवहार परिवर्तन के लिए अभियान को बल मिलेगा। बिहार में अभी समग्र स्वच्छता आच्छादन 39.95 प्रतिशत है और 38 जिलों में 13 प्रखंड तथा 2,646 गांव खुले में शौच से मुक्त घोषित हैं। राज्य में स्वच्छता की प्रगति को नुकसान पहुंचाने वाली जुलाई 2016 और 2017 की बाढ़ों के बावजूद, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बनने वाले शौचालयों की कुल संख्या संख्या 14.3 लाख थी जिसके लिए 597.91 करोड़ रु. खर्च हुए।

जलापूर्ति एवं स्वच्छता के तहत कार्यों की प्रगति तालिका 10.16 में प्रस्तुत है। वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत 6.4 हजार चापाकल लगाए गए हैं और 1.3 हजार छूटे हुए टोलों को शामिल किया गया है। वर्ष 2016-17 में प्रमुख उपलब्धि व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आइएचएचएल) के निर्माण के मामले में दर्ज की गई है। कुल 8.72 लाख बने व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों में से 5.5 लाख (63.3 प्रतिशत) गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए हैं और 3.2 लाख (36.7 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए। केंद्रीय योजनाओं के जरिए जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिहाज से गांव-टोलों का जिलावार आच्छादन सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 10.9 और तालिका 10.10) में प्रस्तुत है। वर्ष 2016-17 में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जिले दरभंगा (4.9 प्रतिशत), पूर्व चंपारण (4.5 प्रतिशत) और भोजपुर (4.4 प्रतिशत) थे जबकि अरबल (0.6 प्रतिशत), लखोसराय (0.7 प्रतिशत) और किशनगंज (1.0 प्रतिशत) सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिले थे।

तालिका 10.16 : जलापूर्ति एवं स्वच्छता के तहत उपलब्धियाँ

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	लगे चापाकलों की सं.	छूटे/ जल की खराब गुणवत्ता वाले वासस्थलों का आच्छादन	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण		
			गरीबी रेखा के ऊपर	गरीबी रेखा के नीचे	योग
2011-12	28286	11243	193875	646052	839927
2012-13	31926	10960	236021	560678	796699
2013-14	34289	12787	63190	98456	161646
2014-15	24287	12236	47056	118401	165457
2015-16	26691	7189	145766	281268	427034
2016-17	6373	1289	551999	320332	872332

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.17 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 2011-12 से 2016-17 के बीच धनराशि का उपयोग दर्शाया गया है। धनराशि का उपयोग लगातार बढ़ता गया है और 2011-12 के 82.6 प्रतिशत से 2016-17 में 84.9 प्रतिशत हो गया है। धनराशि के उपयोग में इस प्रचुर वृद्धि का भौतिक प्रगति पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ा है। 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' के लक्ष्य के तहत पूरे राज्य में स्वास्थ्यप्रद स्वच्छता सुविधाओं के आच्छादन के लिए इस रुझान को बरकरार रखा जाना चाहिए।

तालिका 10.17 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति

(करोड़ रु.)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
परिव्यय	440.8	351.02	353.8	426.35	296	338
व्यय	364.22	283.5	299.02	375.38	269	287
उपयोग का प्रतिशत	82.6	80.8	84.5	88.0	90.9	84.9

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

राज्य योजना के तहत जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं की वित्तीय प्रगति तालिका 10.18 में प्रस्तुत है और भौतिक प्रगति तालिका 10.19 में धनराशि का उपयोग 2012-13 में कम (54.6 प्रतिशत) था लेकिन उसके बाद से इसमें वृद्धि हुई और 2016-17 में यह आंकड़ा 97.6 प्रतिशत तक पहुंच गया। पिछले पांच वर्षों में व्यय में वार्षिक वृद्धि की दर (20.8 प्रतिशत) परिव्यय में वृद्धि की दर (7.8 प्रतिशत) से काफी अधिक थी। सभी राज्य योजनाओं के तहत भौतिक प्रगति के आंकड़े तालिका 10.19 में प्रस्तुत हैं। इन वर्षों के दौरान उपलब्धि की दरों में विविधता रही है। पाइप आधारित ग्रामीण जलापूर्ति योजना के मामले में दरें 2014-15 के 16.7 प्रतिशत से 2012-13 के 36.4 प्रतिशत के बीच रही है। इसी प्रकार नए चापाकल लगाने के मामले में उपलब्धि दर 2012-13 के 24.0 प्रतिशत से 2014-15 के 41.4 प्रतिशत के बीच थी। वहीं अनाच्छादित वासस्थलों के मामले में उपलब्धि की दर 2016-17 के 16.6 प्रतिशत को छोड़कर शेष सभी वर्षों में 70 प्रतिशत से अधिक थी।

तालिका 10.18 : राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में वित्तीय प्रगति

(करोड़ रु.)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
परिव्यय	554.1	745.6	793.7	679.8	844.9
व्यय	302.5	645.9	604.9	574.2	825.0
परिव्यय व्यय के प्रतिशत के बतौर	54.6	86.6	76.2	84.5	97.6

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.19 : राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में भौतिक प्रगति

वर्ष/ योजनाएं	ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना	पुराने चापाकलों को बदलना	अनाच्छादित टोले
2012-13	लक्ष्य	22	50492
	उपलब्धि	8 (36.4)	12114 (24.0)
2013-14	लक्ष्य	14	94526
	उपलब्धि	3 (21.4)	44066 (46.6)
2014-15	लक्ष्य	12	105688
	उपलब्धि	2 (16.7)	43783 (41.4)
2015-16	लक्ष्य	14	127449
	उपलब्धि	3 (21.4)	49331 (38.7)
2016-17	लक्ष्य	11	72012
	उपलब्धि	2 (18.2)	33820 (47.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े उपलब्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

बिहार में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार के कुछ महत्वपूर्ण हस्तक्षेप इस प्रकार हैं :

- राज्य सरकार के ‘सात निश्चय’ के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर एक नल वाले कनेक्शन के जरिए सभी परिवारों को सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करने के लिहाज से आयरन और फ्लोराइड से प्रभावित 21,300 गांव-टोलों के आच्छादन के लिए 7,439.25 करोड़ रु. के व्यय वाली एक योजना स्वीकृत की गई है।
- आर्सेनिक से प्रभावित 961 गांव-टोलों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 391.61 करोड़ रु. के व्यय वाली एक योजना स्वीकृत की गई है।
- वर्ष 2016 में पेयजल के लगभग 16,200 घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं।
- 12,676 पुराने और बंद पड़े चापाकलों को बदलकर नए चापाकल लगा दिए गए हैं।
- अभी बाढ़/ सूखा के दौरान और आपात स्थिति में तत्काल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20 चलांत जल शोधन इकाइयां (जलदूत) उपलब्ध हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत दिसंबर 2016 से मई 2017 के बीच 4.47 लाख शौचालय बनाए गए।

10.3 शिक्षा, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य

किसी समाज में शिक्षा प्राप्ति समाज विकास का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली तीन मुख्य स्तरों में विभाजित है - प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक उम्र के बच्चे प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के हिस्से हैं जिनमें कक्षा 1 से 8 तक शामिल है और शिक्षाधिकार अधिनियम 2010 के अधिदेश के तहत ये बच्चे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने के लिए हकदार हैं। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा दो उप-श्रेणियों में विभाजित है - प्राथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के बाद बच्चे चार वर्षों (कक्षा 9 से 12) के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा भी माध्यमिक (कक्षा 9 और 10) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 और 12) - दो स्तरों में विभाजित है। उच्च शिक्षा का अंतिम चरण भी दो धाराओं में विभाजित है - अकादमिक धारा और व्यावसायिक धारा। व्यावसायिक धारा का मकसद विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने के लिए तैयार करना है। वहीं, व्यावसायिक धारा का मकसद आगे की व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयार करना है। इस खंड में साक्षरता दर, नामांकन अनुपात, छीजन अनुपात, विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या, शिक्षा पर व्यय, मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान तथा कुछ अन्य संबंधित गतिविधियों के लिहाज से राज्य में शिक्षा की स्थिति प्रस्तुत की गई है।

साक्षरता दर

राज्य ने गत दशक में साक्षरता दर के मामले में काफी सुधार किया है जो 2001 के 47.0 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 61.8 प्रतिशत हो गई। यह एक दशक में 14.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाती है। गौरतलब है कि यह

दशकीय वृद्धि बिहार में 1961 से हुई सारी दशकीय वृद्धि दरों से ही अधिक नहीं है, 2001 से 2011 के दशक में सारे राज्यों के बीच भी सर्वाधिक है। भारत में 2011 में साक्षरता दर 72.9 प्रतिशत थी जिसमें पुरुष साक्षरता दर 80.9 प्रतिशत थी और महिला साक्षरता दर 64.6 प्रतिशत। वहीं बिहार में यह काफी कम - 61.8 प्रतिशत थी जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2 प्रतिशत थी और महिला साक्षरता दर 51.5 प्रतिशत। हालांकि 2001 और 2011 के बीच बिहार में महिला साक्षरता दर में 17.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई जबकि पूरे देश के स्तर पर 10.9 प्रतिशत अंकों की ही वृद्धि हुई। इस प्रकार बिहार में पूरे भारत की तरह शिक्षा में लैंगिक अंतराल में भी कमी आई है। तालिका 10.20 में 1961 से भारत और बिहार की साक्षरता दरों के रुझान दर्शाएँ गए हैं।

तालिका 10.20 : भारत और बिहार में साक्षरता दरों के रुझान

वर्ष/ दशक	भारत			बिहार		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
	साक्षरता दरों					
1961	40.40	15.40	28.30	35.20	8.20	22.00
1971	46.00	22.00	34.50	35.80	10.20	23.20
1981	56.40	29.80	43.60	43.80	15.80	32.30
1991	64.10	39.30	52.20	52.50	22.90	37.50
2001	75.30	53.70	64.80	60.30	33.60	47.00
2011	80.90	64.60	72.90	71.20	51.50	61.80
दशकीय वृद्धि						
1961-71	5.6	6.6	6.2	0.6	2.0	1.2
1971-81	10.4	7.8	9.1	8.0	5.6	9.1
1981-91	7.7	9.5	8.6	8.7	7.1	5.2
1991-01	11.2	14.4	12.6	7.8	10.7	9.5
2001-11	5.6	10.9	8.1	10.9	17.9	14.8

स्रोत : भारत की जनगणना

प्रारंभिक शिक्षा

बिहार जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े राज्य के लिए प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र को ही सर्वाधिक महत्व हासिल है क्योंकि यही क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को भेजता है और माध्यमिक क्षेत्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भेजता है। प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति का अर्थ यह भी है कि यह प्रक्रिया समावेशी है क्योंकि समाज के वर्चित तबकों से आने वाले पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों की बड़ी संख्या के लिए यह अधिक प्रासंगिक है। प्रारंभिक शिक्षा की सफलता के दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उच्च नामांकन अनुपात और निम्न छीजन दर। इन दोनों

सूचकांकों पर अधिकांशतः विद्यालयों, शिक्षकों आदि शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता का प्रभाव पड़ता है। बिहार जैसे के मामले में यह खास तौर पर सच है जहां अधिकांश परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और अपनी शैक्षिक जरूरतों के लिए सरकारी विद्यालयों पर निर्भर हैं।

नामांकन अनुपात

तालिका 10.21 में 2011-12 से 2015-16 तक बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन दर्शाया गया है। इस अवधि में प्राथमिक स्तर पर नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत थी। वर्ष 2011-12 में प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 156.36 लाख था जो 2015-16 में बढ़कर 163.36 लाख हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी नामांकन में बढ़त का रुझान दिखा है। इस स्तर पर 2011-12 के 50.55 लाख की तुलना में कुल नामांकन 2015-16 में 72.31 लाख था जो 8.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर दर्शाता है। समग्रतः, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों को मिलाकर कुल नामांकन 2011-12 के 207.25 लाख से 3.3 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़कर 2015-16 में 235.67 लाख पहुंच गया। साथ ही, इस अवधि में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का नामांकन 4.4 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का नामांकन 9.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

इन वर्षों के दौरान प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल भी घटता गया है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 के बीच लड़कियों के नामांकन की वार्षिक वृद्धि दर 3.8 प्रतिशत थी जबकि लड़कों की 2.8 प्रतिशत। वर्ष 2015-16 में प्रारंभिक स्तर पर लड़कों का कुल नामांकन (121.5 लाख) लड़कियों के नामांकन (114.2 लाख) से थोड़ा ही अधिक था। लड़कियों की नामांकन की अधिक वृद्धि दर और विद्यार्थियों के कुल नामांकन में लड़कियों के थोड़ा ही कम हिस्से का यह रुझान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनों प्रकार के विद्यालयों में दिखता है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों को मिलाकर देखने पर कुल नामांकन में लड़कों के नामांकन का हिस्सा 2015-16 में 51.5 प्रतिशत था।

समस्त, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में जिलावार कुल नामांकन के आंकड़े सांख्यकीय परिशिष्ट में (तालिका 10.11 से तालिका 10.13 तक) प्रस्तुत हैं। वर्ष 2015-16 में नामांकन के मामले में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनों स्तरों पर जिलों के बीच काफी अंतर मौजूद था। वर्ष 2015-16 में दोनों स्तरों पर सर्वाधिक 14.83 लाख नामांकन मुजफ्फरपुर में दर्ज हुआ और उसके बाद 12.29 लाख पूर्व चंपारण में। दूसरी ओर, उस वर्ष दोनों स्तरों पर सबसे कम नामांकन शिवहर (1.18 लाख) और शेखपुरा (1.36 लाख) में दर्ज हुआ। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के मामले में दोनों स्तरों पर सर्वोत्तम प्रदर्शन वाला जिला गया (3.35 लाख) और सबसे कमजोर प्रदर्शन वाला जिला शेखपुरा (0.22 लाख) था। वहीं, 2015-16 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में सर्वोत्तम प्रदर्शन वाला जिला पश्चिम चंपारण (0.76 लाख) था। सामान्यतः उच्च वार्षिक वृद्धि दर उन जिलों में देखी गई जहां साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम है। बिहार में 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक स्तर पर सर्वव्यापी आच्छादन लगभग हासिल किया जा चुका है। उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिक वृद्धि दर का यह एक बड़ा कारण है। अब विद्यार्थियों को विद्यालयों में टिकाए रखने और छोजन दर घटाने पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

तालिका 10.21 : प्राथमिक तथा उच्च पाठ्यक्रम स्तरों पर कुल नामांकन

(संख्याएं ताख में)

विद्यार्थियों का स्तर/ प्रकार	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	वार्षिक चक्रवृद्धि दर
प्राथमिक						
लड़के	संयुक्त	82.29	79.74	83.34	83.72	84.4
	अजा	16.1	14.5	15.81	15.58	16.01
	अजजा	1.34	1.59	1.64	1.7	1.81
लड़कियाँ	संयुक्त	74.21	74.77	77.86	77.63	78.96
	अजा	13.29	13.21	14.47	14.39	14.8
	अजजा	1.14	1.33	1.36	1.4	1.5
सभी	संयुक्त	156.5	154.51	161.2	161.35	163.36
	अजा	29.39	27.71	30.29	29.97	30.81
	अजजा	2.48	2.92	3.01	3.11	3.31
उच्च प्राथमिक						
लड़के	संयुक्त	27.04	31.34	33.66	34.77	37.08
	अजा	4.26	4.81	5.59	6.12	6.47
	अजजा	0.36	0.55	0.58	0.61	0.72
लड़कियाँ	संयुक्त	23.51	29.02	31.75	33.14	35.23
	अजा	3.37	4.23	5.11	5.47	5.92
	अजजा	0.3	0.46	0.48	0.53	0.64
सभी	संयुक्त	50.55	60.36	65.41	67.91	72.31
	अजा	7.63	9.04	10.71	11.59	12.39
	अजजा	0.66	1.01	1.07	1.15	1.36
योग						
लड़के	संयुक्त	109.33	111.08	117	118.49	121.48
	अजा	20.36	19.31	21.4	21.7	22.48
	अजजा	1.7	2.14	2.22	2.31	2.53
लड़कियाँ	संयुक्त	97.92	103.79	109.61	110.77	114.19
	अजा	16.66	17.44	19.58	19.86	20.72
	अजजा	1.44	1.79	1.84	1.93	2.14
सभी	संयुक्त	207.25	214.87	226.62	229.26	235.67
	अजा	37.02	36.75	41.01	41.56	43.2
	अजजा	3.14	3.93	4.08	4.26	4.67

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

छीजन दर

बिहार में शिक्षा के उच्च स्तरों पर पहुंचते समय अच्छी-खासी छीजन दरें दिखती हैं। छीजन की समस्या शिक्षा के सभी चरणों में व्याप्त है। विद्यालय में प्रवेश करने वाले अनेक बच्चे गरीबी, माता-पिता के कम शैक्षिक स्तर, परिवार की कमज़ोर संरचना, भाई-बहनों की शिक्षा के पैटर्न और विद्यालय के पहले के अनुभवों की कमी जैसे अनेक कारणों से माध्यमिक शिक्षा नहीं पूरी कर पाते हैं। इसके अलावा, सौहार्दरहित वातावरण, कमज़ोर समझ, अनुपस्थित रहने की आदत, शिक्षकों की मानसिकता, और अनुत्तोष होने या एक ही कक्षा में कई बार रहने जैसे विद्यालय संबंधी अनेक कारकों के चलते भी विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देते हैं। जब छीजन दर अधिक हो, तो विद्यार्थियों के उच्च नामांकन दर का कोई बहुत महत्व नहीं है। बचाव और हस्तक्षेप के उपाय सावधानी से विकसित करने की जरूरत है जिन्हें अपनाने पर पढ़ाई छोड़ने की आशंका वाले सभी विद्यार्थियों को मदद मिले।

तालिका 10.22 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें

वर्ष		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
प्राथमिक	लड़के	30.7	26.3	23.6	24.0	24.2
	लड़कियां	38	36	33.6	29.2	25.6
	संयुक्त	34.8	31.7	29.1	26.8	25.0
उच्च प्राथमिक	लड़के	51.1	38.7	34.7	38.9	36.3
	लड़कियां	58.6	52.4	52.4	49.9	47.0
	संयुक्त	55.5	46.7	46.5	45.1	42.2
माध्यमिक	लड़के	62.7	59.5	57.6	53.9	52.5
	लड़कियां	66.9	65.2	64.7	61.2	61.5
	संयुक्त	65.2	62.8	61.8	58.2	57.7
उच्च माध्यमिक	लड़के	64.7	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
	लड़कियां	68.4	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
	संयुक्त	67	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

बिहार में 2011-12 से 2015-16 तक शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों की छीजन दरें तालिका 10.22 में प्रस्तुत हैं। इस अवधि में सभी स्तरों पर छीजन दरों में लगातार गिरावट आई है। प्राथमिक स्तर पर छीजन दर 2011-12 में 34.8 प्रतिशत थी जो 2015-16 में 25.0 प्रतिशत रह गई। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह 2011-12 के 55.5 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 42.2 प्रतिशत हो गई। इसका अर्थ हुआ कि लगभग आधे विद्यार्थी अभी भी माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश के पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। हालांकि शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियां की छीजन दरें लड़कों की अपेक्षा कम हैं।

पहले भी कहा गया है कि उच्च छीजन दरों के लिए अनेक कारक जिम्मेवार हैं और नामांकित विद्यार्थियों को टिकाए रखने के लिए लगातार अनुश्रवण की जरूरत है। इसके लिए समाज के वंचित तबकों, खास कर

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तालिका 10.23 में बिहार में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 2011-12 से 2015-16 तक की छोजन दरें प्रस्तुत की गई हैं। इस अवधि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छोजन दरां में उत्तरोत्तर कमी आई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनों स्तरों पर अनुसूचित जाति की लड़कियों की छोजन दरें पूरी अवधि में लड़कों से कम रही हैं। यहां तक कि माध्यमिक स्तर पर भी लड़कियों की छोजन दर लड़कों से कम थी।

तालिका 10.23 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छोजन दरें

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक		
	लड़कियां	लड़के	संयुक्त	लड़कियां	लड़के	संयुक्त	लड़कियां	लड़के	संयुक्त
	अनुसूचित जाति								
2011-12	30.6	36.7	34.1	60.5	67.2	64.6	72.7	75.9	74.7
2012-13	24.3	36.3	31.2	49.0	61.4	56.5	65.1	70.6	68.4
2013-14	13.3	30.4	23.2	40.5	54.7	48.9	64.3	69.8	67.7
2014-15	25.5	32.9	29.6	39.7	47.1	44	61.5	67.8	65.3
2015-16	25.3	28	26.7	38.5	50.1	45.2	53.4	62.9	59.1
	अनुसूचित जनजाति								
2011-12	अनु.	14.4	अनु.	22.7	43.5	35.7	32.6	49.3	43.5
2012-13	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	23.8	13.1	26.6	38.2	33.9
2013-14	अनु.	23.8	10	अनु.	21.7	12.7	23.5	37.6	32.3
2013-14	15.1	23.8	10	2.0	21.7	12.7	23.5	37.6	32.3
2014-15	21.2	0.9	8.3	3.2	27.8	18	31.8	45.7	40.5
2015-16	2.8	2.3	2.6	-	19.9	19.9	22.7	41.1	34.1

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

विद्यालयों की संख्या

बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या सांख्यिकीय परिशिष्ट तालिका 10.14 में प्रस्तुत है। वर्ष 2015-16 में बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2011-12 के 68,323 से बढ़कर 72,530 हो गई। इस अवधि में अनेक प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किया गया है। वर्ष 2015-16 में विद्यालयों की संख्या के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले जिले पूर्व चंपारण (3,389), पटना (3,365) और मुजफ्फरपुर (3,359) थे। दूसरी ओर, विद्यालयों की सबसे कम संख्या वाले तीन जिले शिवहर (417), अरवल (526) और शेखपुरा (580) थे।

शिक्षा पर व्यय

बिहार में वर्ष 2016-17 में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय 2013-14 के 14,946 करोड़ रु. से बढ़कर 19,713 करोड़ रु. हो गया। हालांकि राज्य के बजट में शिक्षा पर व्यय का हिस्सा इन चार वर्षों में थोड़ा घटा है। तालिका 10.24 में शिक्षा पर व्यय के साथ-साथ कुल बजट में और सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय में इसका हिस्सा दर्शाया गया है। इस अवधि में शिक्षा पर व्यय की वृद्धि दर 10.0 प्रतिशत रही है। कुल व्यय में शिक्षा व्यय के हिस्से की बात करें, तो वर्ष 2016-17 में यह 2013-14 के 18.6 प्रतिशत से घटकर 15.6 प्रतिशत रह गया। इन चारों वर्षों में शिक्षा पर कुल व्यय में उसके तीनों घटकों (प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा) के हिस्सों का व्योरा देखने से स्पष्ट होता है कि शिक्षा पर कुल व्यय में प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा अन्य दो श्रेणियों की अपेक्षा अधिक है। वर्ष 2016-17 में प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय का हिस्सा 70.4 प्रतिशत था। शेष 29.4 प्रतिशत रकम का व्यय माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर किया गया।

तालिका 10.24 : शिक्षा पर व्यय

वर्ष	शिक्षा पर व्यय (करोड़ रु.)				शिक्षा पर व्यय (प्रतिशत)	
	पाठ्यमिक	माध्यमिक	उच्च	योग	कुल बजट का	सामाजिक सेवाओं पर व्यय का
2013-14	7764	2987	4195	14946	18.6	52.9
2014-15	12140	3368	2325	17833	18.8	53.4
2015-16	13327	3677	2382	19386	17.3	50.1
2016-17	13880	3507	2326	19713	15.6	44.5

स्रोत : राज्य सरकार के वित्तीय आंकड़े, बिहार सरकार

मध्याह्न भोजन योजना

विद्यार्थियों का नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने के साथ-साथ उनके पोषण की स्थिति में सुधार के लिए केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा जनित पोषण सहायता कार्यक्रम (एनपीएनएसपीई) का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया था। वर्ष 2008-09 में इसका आच्छादन उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाने के लिए योजना का विस्तार किया गया था और योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय विद्यालय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कर दिया गया था। मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) का आच्छादन सर्व शिक्षा अभियान के तहत आने वाले सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी), मद्रसों और मकानों तक है। वर्ष 2015-16 से मध्याह्न भोजन योजना के व्यय में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का पैटर्न 60:40 हो गया है।

प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन में 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम पोटीन उपलब्ध कराने के लिए 100 ग्राम अनाज (चावल/ गेहूं/ पोषण के मामले में समृद्ध अनाज), 20 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल/ वसा होती है। उच्च प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन में 700 कैलोरी

ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराने के लिहाज से 150 ग्राम अनाज (चावल/ गेहूं/ पोषण के मामले में समृद्ध अनाज), 30 ग्राम दाल, 75 ग्राम सब्जियाँ और 7.5 ग्राम तेल/ वसा होती है। योजना के आच्छादन के संबंध में 2012-13 से 2016-17 तक की समग्र स्थिति तालिका 10.25 में वर्णित है। वर्ष 2012-13 में प्राथमिक स्तर पर योजना का आच्छादन 57.7 प्रतिशत था जो 2016-17 में बढ़कर 63.3 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में योजना का आच्छादन 2012-13 और 2016-17, दोनों वर्षों में लगभग 57 प्रतिशत रहा। कुल मिलाकर, दोनों ही स्तरों पर योजना का आच्छादन हाल के वर्षों में बढ़ा है हालांकि हस्तक्षेप वाले वर्षों के दौरान आच्छादन में कमी भी आई।

तालिका 10.25 : मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कक्षा 1 से 5					
कुल नामांकन (लाख में)	147.7	141.62	143.18	144.68	141.70
रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या (लाख में)	85.22	94.89	94.35	99.28	89.70
आच्छादन का प्रतिशत	57.7	67.0	65.9	68.6	63.3
कक्षा 6 से 8					
कुल नामांकन (लाख में)	52.87	57.57	60.58	62.67	66.27
रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या (लाख में)	30.32	38.57	36.99	40.02	37.80
आच्छादन का प्रतिशत	57.3	67.0	61.0	63.9	57.0

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना, बिहार सरकार

मध्याह्न भोजन योजना का प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर जिलावार आच्छादन सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 10.15 और तालिका 10.16) में दर्शाया गया है। वर्ष 2016-17 में 16 जिलों में प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन राज्य के औसत (63.3 प्रतिशत) से अधिक था। उसके पिछले वर्ष ऐसे जिलों की संख्या 19 थी। मध्याह्न भोजन योजना का 70 प्रतिशत से अधिक आच्छादन सिर्फ पश्चिम चंपारण जिले में था (73.9 प्रतिशत)। वहाँ सबसे कम 54.9 प्रतिशत आच्छादन पूर्णिया जिले में दर्ज किया गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर 18 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन राज्य के औसत (57.0 प्रतिशत) से अधिक था। आच्छादन के लिहाज से तीन सर्वोत्तम जिले थे - शिवहर (67.4 प्रतिशत), पश्चिम चंपारण (66.9 प्रतिशत) और सारण (63.2 प्रतिशत)। वहाँ, सबसे कम आच्छादन अररिया (47.2 प्रतिशत), अरवल (48.2 प्रतिशत) और पूर्णिया (48.3 प्रतिशत) में दर्ज किया गया।

मध्याह्न भोजन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन शिक्षा का सर्वव्यापी आच्छादन सुनिश्चित करने में, खास कर बिहार जैसे गरीब राज्यों में, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मध्याह्न भोजन योजना के उचित क्रियान्वयन में अनेक चिंताजनक बातें हैं। उनमें से कुछ हैं - नामांकन और उपस्थिति में काफी अंतर, भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर अपर्याप्त नियंत्रण, खाद्यान्नों की अनियमित आपूर्ति, आदि। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए अनुश्रवण और मूल्यांकन की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है।

सर्व शिक्षा अभियान

प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ 2010 तक 6 से 14 वर्ष उम्र के सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से किया गया था। यह संकल्प 2010 में शिक्षाधिकार अधिनियम के लागू होने से और भी प्रबलित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार, 6 से 14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों का अपने पढ़ोस में 8 वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान एक अग्रणी कार्यक्रम है जिसका वित्तपोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जाता है। सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने निम्नलिखित उद्देश्य तय किए हैं : (1) शिक्षकों का क्षमता निर्माण, (2) पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराना और शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को बांधित स्तर पर लाना, (3) विद्यालय की अधिसंरचना का सुदृढ़ीकरण करना, और (4) ग्राम शिक्षा समिति (वीईसी) का गठन करके समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन बोईपी के नाम से लोकप्रिय बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के जरिए किया जा रहा है। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में 6 से 14 वर्ष उम्र समूह वाले लगभग 2.6 करोड़ बच्चे आते हैं।

लड़कियों की शैक्षिक जरूरतों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय प्रारंभिक-स्तरीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) का क्रियान्वयन भी बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा किया जाता है। यह सर्व शिक्षा अभियान का विशेष मॉड्यूल है जो अभियान के सामान्य हस्तक्षेपों के अलावा बालिका शिक्षा हेतु अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में हर संकुल में एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है जिसमें समुदाय की अधिक सघन गोलबंदी और पर्यवेक्षण के जरिए विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना का क्रियान्वयन शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (ईबीबी) में किया जाता है जिसका चयन दो मापदंडों के आधार पर किया जाता है -जहां गामीण महिला साक्षरता का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम हो और दूसरे, साक्षरता में तैंगिक अंतराल राष्ट्रीय औसत से अधिक हो। इस योजना को 2015-16 से केंद्र सरकार की सहायता से अलग कर दिया गया है और उसे राज्य सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन उन प्रखंडों में भी किया जाता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंड नहीं हों लेकिन जहां अनुसूचित जाति/ जनजाति की न्यूनतम 5 प्रतिशत आबादी हो और उनकी महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत नीचे हो। इसका क्रियान्वयन चुनिंदा शहरी मलिनबस्तियों में भी किया जाता है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुसलमान और बीपीएल तबकों की लड़कियों के लिए स्थापित आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनकी स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में की जाती है जहां लंबी दूरी पर विद्यालयों के होने के कारण लड़कियों की सुरक्षा में समस्या आती है जिनके कारण लड़कियां अक्सर पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य होती हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जद में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए नियमित स्कूल नहीं जा पाने वाली किशोरियां और कठिन क्षेत्रों की प्रवासी आबादी की छोटी लड़कियां भी आती हैं। विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत सीट पर आरक्षण उपलब्ध कराया जाता है। शेष 25 प्रतिशत सीट गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों के लिए होती है। वर्ष 2007 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को एक अलग घटक के रूप में सर्व शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया है। सितंबर 2017 में राज्य में 535 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे थे जिनमें 50,569 लड़कियां नामांकित थीं।

माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) का आरंभ 2009 में हुआ था। योजना में आवास से उचित दूरी पर माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराकर बच्चों का माध्यमिक स्तर पर नामांकन बढ़ाने की बात सोची गई है। इसका लक्ष्य 2017 तक 1000 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात और 2020 तक सर्वव्यापी प्रतिधारण सुनिश्चित करना है। अन्य उद्देश्यों में (क) सभी माध्यमिक विद्यालयों को विहित मानकों के अनुरूप बनाकर दी जाने वाली माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, (ख) लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और दिव्यांगता से संबंधित सारे अवरोध समाप्त करना शामिल हैं। धनराशि का कुशल उपयोग और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिहाज से माध्यमिक शिक्षा के अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया है। ये हैं (1) विद्यालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) योजना, (2) दिव्यांग हेतु माध्यमिक स्तरों समावेशी शिक्षा योजना (आईईडीएसएस), व्यावसायिक शिक्षा (वीई) तथा (4) बालिका छात्रावास। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का वित्तपोषण पैटर्न सामान्य राज्यों के लिए केंद्र सरकार के 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत अंशदान पर आधारित है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 है। योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य क्रियान्वयन समिति (एसआइएस) द्वारा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) 2013 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका लक्ष्य राज्यों में उच्च शैक्षिक संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण उपलब्ध कराना है। केंद्रीय वित्तपोषण (सामान्य श्रेणी के राज्यों में 65 प्रतिशत और विशेष श्रेणी के राज्यों में 90 प्रतिशत) मानक आधारित और परिणाम-निर्भर, दोनों होगा। चिन्हित संस्थानों तक पहुंचने के पहले धनराशि का प्रवाह केंद्रीय मंत्रालय से राज्य सरकारों को और उनसे राज्य उच्च शिक्षा परिषदों को होगा। राज्यों को धनराशि राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के गंभीर मूल्यांकन के आधार पर होगी जिसमें उच्च शिक्षा में समानता, पहुंच और उत्कृष्टता के मामलों पर काम करने की हर राज्य की रणनीति को ध्यान में रखा जाएगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा मौजूदा स्वायत्त महाविद्यालयों का उत्क्रमण और एक संकुल के महाविद्यालयों का रूपांतरण करके नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। यह नए आदर्श डिग्री महाविद्यालयों और नए पेशेवर महाविद्यालयों का निर्माण करेगा और विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अधिसंरचनात्मक सहयोग प्रदान करेगा। संकाय सदस्यों की भर्ती में सहयोग, संकाय सुधार कार्यक्रम और शैक्षिक प्रशासकों का नेतृत्व विकास भी योजना के महत्वपूर्ण घटक हैं। कौशल विकास में वृद्धि के लिए पॉलीटेक्निक की मौजूदा केंद्रीय योजना को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में समाविष्ट कर दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा की उच्च शिक्षा के साथ सहक्रिया के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में एक अलग घटक भी शामिल किया गया है। इन सबके अलावा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भागीदार राज्यों में संस्थानों के सुधार, पुनर्गठन और क्षमता निर्माण को भी सहयोग करता है।

तालिका 10.26 में 2015-16 और 2016-17 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के लिए स्वीकृत बजट और कुल व्यय दर्शाया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि चारों कार्यक्रमों के व्यय में सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य हिस्सा है। वर्ष 2015-16 में सर्व शिक्षा अभियान का व्यय 5,619 करोड़ रु. था जो कुल व्यय का लगभग 97 प्रतिशत था। बजट के प्रतिशत के बतौर वास्तविक व्यय भी सर्व शिक्षा अभियान के मामले में सर्वाधिक 78.5 प्रतिशत था।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दोनों के लिए यह अनुपात बहुत कम - लगभग 25 प्रतिशत था। व्यय और उपयोग का यही पैटर्न 2016-17 में भी दिखता है।

तालिका 10.26 : विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि और किए गए व्ययों की स्थिति

(करोड़ रु.)

कार्यक्रम	स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	धनराशि विमुक्त			कुल व्यय	व्यय वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रतिशत में
		भारत सरकार	बिहार सरकार	योग		
2015-16						
रा.उ.शि.अ.	144.1	22.2	14.8	37.0	37.0	25.7
रा.मा.शि.अ.	125.8	36.0	23.5	59.5	34.7	27.6
स.शि.अ.	7155.6	2436.7	2839.3	5276.0	5619.0	78.5
क.गा.बा.वि.	231.6	78.9	52.2	131.1	135.5	58.5
योग	7657.0	2573.8	2929.8	5503.6	5825.7	76.1
2016-17						
रा.उ.शि.अ.	120.0	6.6	4.4	11.0	11.0	9.2
रा.मा.शि.अ.	1523.2	200.7	123.3	323.9	171.3	11.3
स.शि.अ.	9445.1	2649.1	3866.8	6515.9	6504.5	68.9
क.गा.बा.वि.	220.2	57.8	37.8	95.6	78.0	35.5
योग	11308.4	2914.1	4032.3	6946.4	6764.9	60.4

टिप्पणी : रा.उ.शि.अ. =राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान; रा.मा.शि.अ. =राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान; स.शि.अ. =सर्व शिक्षा अभियान; क.गा.बा.वि. = कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार सरकार

असर की रिपोर्ट के निष्कर्ष

हाल के वर्षों में बिहार ने शिक्षा के मामले में अच्छी-खासी प्रगति की है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी समस्या बनी हुई है। सीखने के स्तरों के मूल्यांकन के लिए प्रथम नामक एक प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन बिहार सहित विभिन्न राज्यों में सीखने के मूल्यांकन के लिए जांच परीक्षाएं संचालित करता रहा है। इन जांच परीक्षाओं के आधार पर प्रथम द्वारा शिक्षा प्रतिवेदन की वार्षिक स्थिति (असर) प्रस्तुत की जाती है जो बच्चों के वास्तविक शिक्षण स्तरों पर केंद्रित सबसे बड़ा वार्षिक सर्वेक्षण होता है।

तालिका 10.27 में 2010, 2012, 2014 और 2016 के अधिगम परिणामों को दर्शाया गया है। हाल के वर्षों में साक्षरता के आंकड़ों में सुधार के बावजूद देश के अधिकांश अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी सीखने की गुणवत्ता का स्तर ऊँचा नहीं है। यह गुणवत्ता निस्संदेह बिहार और भारत, दोनों में ही विगत वर्षों के दौरान वस्तुतः घटती गई है। अधिगम परिणामों की बात करें, तो 2016 की रिपोर्ट में कहा गया है कि कक्षा 3 के पढ़ने से संबंधित संतोषजनक कौशल वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बिहार में राष्ट्रीय औसत से कम है जबकि गणितीय

कौशल के मामले में लगभग समान है। कक्षा 5 के मामले में भी पढ़ने से संबंधित संताष्जनक कौशल वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बिहार में भारत की तुलना में कम है। हालांकि गणितीय कौशल के मामले में बिहार के आंकड़े भारत की अपेक्षा काफी ऊंचे हैं। यह भी गैरतलब है कि निजी विद्यालयों में अधिगम परिणाम अपेक्षाकृत ऊंचे हैं लेकिन उन विद्यालयों में भी उनके स्तर संतोषजनक नहीं हैं। ये परिणाम बिहार सहित पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की जरूरत पर बल देते हैं।

तालिका 10.27 : असर की रिपोर्ट के आधार पर अधिगम परिणामों का प्रतिशत

वर्ष	विद्यालय का प्रकार	कक्षा 3				कक्षा 5			
		कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ना		साधारण घटाव		कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ना		साधारण भाग	
		बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत
2010	सरकारी	22.8	16.8	43.5	33.2	57.9	50.7	51.0	33.9
	निजी	42.6	29.7	60.8	47.8	70.9	64.2	68.2	44.2
	सभी	23.7	19.6	44.3	36.3	58.4	53.7	51.7	36.2
2012	सरकारी	14.2	16.7	25.1	19.8	43.1	41.7	30.0	20.3
	निजी	52.7	33.8	68.4	43.4	74.8	61.2	60.6	37.8
	सभी	16.8	21.5	28.1	26.4	44.4	46.9	31.3	24.9
2014	सरकारी	15.6	17.2	18.0	17.2	44.6	42.2	31.4	20.7
	निजी	66.1	37.8	68.0	43.4	87.8	62.6	72.4	39.3
	सभी	21.9	23.6	24.2	25.4	48.2	48.0	34.9	26.1
2016	सरकारी	13.9	19.3	20.0	20.2	38.0	41.6	28.9	21.1
	निजी	62.5	38.0	72.0	44.0	82.6	62.9	72.5	37.9
	सभी	20.8	25.2	27.3	27.7	41.8	47.8	32.6	26.0

स्रोत : असर रिपोर्ट

उच्च शिक्षा

विकास प्रक्रिया में ज्ञान के बढ़ते महत्व के साथ समग्र शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा का महत्व काफी अधिक बढ़ जाता है। पाठ्यक्रम, प्रबंधन संबंधी व्यवहार और भौगोलिक आच्छादन के लिहाज से उच्च शिक्षा क्षेत्र के बढ़ते आकार और विविधता के कारण उच्च शिक्षा का ठोस आंकड़ा आधार विकसित करना जरूरी हो गया है। बिहार में उच्च शिक्षा क्षेत्र में सामान्य और तकनीकी, दोनों धाराओं के महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शामिल हैं (तालिका 10.28)। अभी राज्य में 23 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं जिनमें से 22 पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं और एक मुक्त विश्वविद्यालय है। राज्य में 15 शोध संस्थान भी हैं। वर्ष 2016 में राज्य में कुल 276 राजकीय महाविद्यालय और 478 स्थानीय निकाय महाविद्यालय थे। संभावित स्कूल शिक्षकों को पेशेवर प्रशिक्षण उपलब्ध कराना भी उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अन्य घटक है। वर्ष 2016 में राज्य में 60 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान थे जबकि वर्ष 2013 में इनकी संख्या 42 ही थी। वर्ष 2016 में राज्य में 28 अभियंत्रण महाविद्यालय थे जबकि 2013 में इनकी संख्या 10 थी। अभी राज्य में 87 महाविद्यालयों और 7 विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की मान्यता प्राप्त ह।

तालिका 10.28 : उच्च शिक्षा के संस्थान

संस्थानों का प्रकार/ वर्ष	2013	2014	2015	2016
विश्वविद्यालय				
केंद्रीय विश्वविद्यालय	1	2	2	4
राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय	14	14	14	13
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	3	3	3	3
राज्यपोषित मुक्त विश्वविद्यालय	1	1	1	1
राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत संस्थान	1	1	1	1
समकक्ष विश्वविद्यालय	1	1	1	1
योग	21	22	22	23
शोध संस्थान	15	15	15	15
महाविद्यालय				
सरकारी महाविद्यालय/ अंगीभूत महाविद्यालय	278	278	276	276
स्थानीय निकाय महाविद्यालय/ संबद्ध महाविद्यालय	387	416	468	478
स्नातकोत्तर केंद्र/ परिसरेतर केंद्र	9	9	9	9
मान्यता-प्राप्त केंद्र	13	13	16	18
योग	687	716	769	781
शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र/ अभियंत्रण महाविद्यालय				
शिक्षा/ शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (प्राथमिक)	42	43	60	60
अभियंत्रण महाविद्यालय	10	24	23	28
योग	52	67	83	88

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक चार वर्षों के संबद्ध और अंगीभूत (कंस्टीट्यूएंट) महाविद्यालयों का जिलावार व्योरा सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 10.17 और 10.18) में प्रस्तुत है। उच्च शिक्षा की जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य में हाल के वर्षों में अच्छी-खासी संख्या में तकनीकी (चिकित्सा + अभियंत्रण) और व्यावसायिक, दोनों शिक्षा धाराओं के निजी शैक्षिक संस्थान स्थापित किए गए हैं।

कला, संस्कृति एवं युवा कार्य

युवा वर्ग किसी क्षेत्र या देश के सबसे ऊर्जावान और जोशीले हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है जहां की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। देश की आबादी में 15 से 29 वर्ष उम्र समूह के लोगों का 27.5 प्रतिशत हिस्सा है। यह जनसांख्यिक लाभ है क्योंकि विश्व के उन्नत देशों में युवा आबादी का हिस्सा कम है। इसी प्रकार, बिहार में 15 से 29 वर्ष उम्र समूह के लोगों का 24.2 प्रतिशत हिस्सा है। इस जनसांख्यिक प्रतिफल को हासिल करने के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में युवा वर्ग की उपयुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और अन्य सक्षमकारी चीजों को सहयोग

देने की क्षमता हो ताकि वे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में योगदान कर सकें। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की चर्चा पहले ही की जा चुकी है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में राज्य सरकार की कुछ पहलकदमियां नीचे प्रस्तुत हैं :

- (1) कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग का 2017-18 में कुल परिव्यय 122.80 करोड़ रु. है जिसमें से खेल सम्मान पुरस्कार के लिए 2.50 करोड़ रु., विभाग द्वारा आयोजित आओ खेलें और अन्य खेलों के लिए 7.00 करोड़ रु., अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेलों के लिए 2.00 करोड़ रु., खेल प्रशिक्षण के लिए 7.00 करोड़ रु. और खिलाड़ी कल्याण कोष के लिए 0.30 करोड़ रु. निर्धारित हैं। शेष रकम खेलों और क्रीड़ाशालाओं (जिम) के उपकरण, क्रीड़ाशालाओं के निर्माण, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत स्टेडियम निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण और क्रीड़ा अकादमी के लिए ह।
- (2) 18 अक्टूबर 2016 से 17 अक्टूबर 2017 की अवधि को बिहार कला वर्ष के रूप में मनाया गया।
- (3) पुरावस्तुओं/ कलाकृतियों को दर्शने वाली चार दीर्घाओं वाला मुंगेर संग्रहालय सार्वजनिक रूप से दर्शकों के लिए खोल दिया गया था। भागलपुर में संग्रहालय भवन के लिए एक नया भवन बनाया और चालू कर दिया गया है। पटना संग्रहालय के 1764 ई. से पहले की पुरावस्तुओं/ कलाकृतियों को अब पटना के बेली रोड स्थित नवनिर्मित बिहार संग्रहालय की चार नई दीर्घाओं में प्रदर्शित करने की तैयारी की जा रही है। दीर्घाओं को आगंतुकों के लिए शीघ्र ही खोल दिया जाएगा।
- (4) राज्य सरकार जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय, पटना और बोधगया के ताराडीह पुरातात्त्विक स्थल में थीम पार्कों के निर्माण की योजना बना रही है। वैशाली में बुद्ध स्मृति स्तूप और सम्प्रक दर्शन संग्रहालय के विकास की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। योजना के लिए 152.37 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं और भवन निर्माण के लिए 72.94 एकड़ जमीन आबंटित कर दी गई है।
- (5) फिल्म उद्योग और संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजगिर में फिल्म सिटी की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
- (6) पटना में पाटलिपुत्र स्टेडियम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, दोनो प्रकार के आउटडोर और इनडोर खेलों के आयोजन के लिहाज से उत्क्रमित किया गया है। आवास और प्रशिक्षकों के लिए क्वार्टर की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- (7) लगभग 15 स्थलों का उनकी पुरातात्त्विक संभावनाओं के लिहाज से निरीक्षण और मूल्यांकन किया गया है। इनमें शामिल हैं - जमालुद्दोन चक (पटना), अलधन्ना (नालंदा), एकसारा (नालंदा), पास्तन नावटोली (मधुबनी), लोरिकडीह (दरभंगा), राज परिसर (दरभंगा), राजनगर (मधुबनी), भौंरागढ़ी (मधुबनी), काली मंदिर (गया), उमगा (औरंगाबाद), सीताथापा (औरंगाबाद), शतचंडी (औरंगाबाद), जैन मंदिर, पाचर पहाड़ (औरंगाबाद), छक्का (दरभंगा) और महेसिया (सीतामढ़ी)।
- (8) बिहार के लिए गौरव की बात है कि प्राचीन नालंदा महाविहार के पुरातात्त्विक स्थल को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है।

10.4 समाज कल्याण

समाज कल्याण समाज के गरीब, असुरक्षित और सीमांतकृत तबकों की खैरियत से संबंधित है। इस वंचित आबादी के लिए सामाजिक और मानव विकास के बहुत कम अवसर उपलब्ध होते हैं और यह गरीबी के दुष्क्र में जकड़ी होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक विकास समावेशी हो, राज्य सरकार के लिए समाज कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन जरूरी हो जाता है। बिहार में ऐसे समाज कल्याण कार्यक्रमों में अभी दलितों, महादलितों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य कमजोर तबकों के लिए कार्यक्रम शामिल हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

बिहार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समावेशी विकास के लिए राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2007 को एक अलग विभाग का गठन किया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति के बतौर सूचीबद्ध 22 जातियों का 15.9 प्रतिशत हिस्सा है। वहाँ, अनुसूचित जनजातियों के बतौर सूचीबद्ध समुदायों का राज्य की आबादी में 1.3 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए 2016-17 में चलने वाली मुख्य योजनाएं नीचे सूचीबद्ध हैं :

- वर्ष 2016-17 में छात्रवृत्ति योजना के तहत विभिन्न जिलों में 805.88 करोड़ रु. वितरित किए गए। इस योजना से 32.8 लाख अजा/ अजजा विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2017-18 में इसके लिए 622.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2008-09 में शुरू हुई मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हर अजा/अजजा विद्यार्थी को 10,000 रु. दिए जाते हैं। वर्ष 2014-15 से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हर अजा/अजजा विद्यार्थी को भी 8,000 रु. छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 15,000 रु. और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 10,000 रु. मेधावृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत 2016-17 में 93.30 करोड़ रु. आवंटित किए गए और योजना से 73,598 अजा/अजजा विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
- बिहार में उत्पीड़न के शिकार लोगों को राहत देने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निवारण) अधिनियम, 1989 का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में इस पर 18.20 करोड़ रु. व्यय किया गया है जिससे 3,372 लोग राहत अनुदान से लाभान्वित हुए हैं।
- अभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 7 परीक्षापूर्व कोचिंग केंद्र (पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण और आरा में एक-एक) चल रहे हैं जिनमें विभिन्न परीक्षाओं के लिए लगभग 1,000 प्रत्याशियों को कोचिंग दी जा रही है। मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में स्थापना के लिए 3 और परीक्षापूर्व कोचिंग केंद्रों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2016-17 में इन केंद्रों के संचालन के लिए 2.00 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।
- समेकित थरुहट विकास परियोजना के तहत, 2015-16 तक अनुसूचित जाति के 1,651 युवक-युवतियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए 2016-17 में 25.10 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।
- अभी राज्य सरकार द्वारा अजा विद्यार्थियों के लिए 65 और अजजा विद्यार्थियों के लिए 15 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। आवासीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में परिणत करने का निर्णय लिया

गया है। हर आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 17.605 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2017-18 में अभी तक 91.80 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं और 23,513 अजा/अजजा विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

- राज्य सरकार ने गायघाट (पटना), मोतीहारा (किशनगंज), फार्बिसगंज (अररिया), सुगांव (पूर्व चंपारण), बक्सर, औरंगाबाद, सिधाव (पश्चिम चंपारण), चौतरवा (पश्चिम चंपारण), पोखरिया (मुजफ्फरपुर), रामनगर (मधुबनी) और कुदरा (कैमूर) में कुल 11 नए आवासीय विद्यालयों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, राज्य सरकार ने पश्चिम चंपारण के कदमहवा (बगहा-2), मधुबनी (रामनगर), विरविरिया (मैनाटांड़), बेलसंडी (गौनाहा) और धमौरा (गौनाहा) में 5 नए जनजातीय विद्यालयों को भी स्वीकृति प्रदान की है।
- वर्ष 2017-18 में भीमराव अंबेदकर कल्याण छात्रावास योजना के तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 100 शश्याओं वाले 5 छात्रावासों और 200 शश्याओं वाले 6 छात्रावासों तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 100 शश्याओं वाले 4 छात्रावासों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इसके लिए 20.61 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

तालिका 10.29 में अजा/ अजजा कल्याण का 2015-16 और 2016-17 के लिए कुल बजट प्रस्तुत किया गया है। यह बात परेशान करने वाली है कि अजा/ अजजा कल्याण का कुल बजट 2015-16 के 1973.80 करोड़ रु. से घटकर 2016-17 में 1743.90 करोड़ रु. रह गया (तालिका 10.29)। दुर्भाग्यवश, 2016-17 में बजट की राशि के मुकाबले वास्तविक व्यय भी 2015-16 के 88 प्रतिशत से घटकर 74 प्रतिशत रह गया। हालांकि अजा/अजजा कल्याण का पूँजीगत परिव्यय 2015-16 के 88.49 करोड़ रु. से बढ़कर 2016-17 में 121.03 करोड़ रु. हो गया। राज्य की प्रमुख अजा/ अजजा कल्याण योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के जिला स्तरीय आंकड़े सांख्यिकीय परिशिष्ट (तालिका 10.19) में प्रस्तुत हैं। इन आंकड़ों से पता लता है कि विभिन्न जिलों के बीच भौतिक और वित्तीय, दोनों प्रकार की प्रगति के बीच काफी अंतर है।

तालिका 10.29 : अजा एवं अजजा कल्याण हेतु परिव्यय आवंटन का अवलोकन

(करोड़ रु.)

मद	2015-16			2016-17		
	बजट	वास्तविक व्यय	प्रतिशत उपयोग	बजट	वास्तविक व्यय	प्रतिशत उपयोग
अजा एवं अजजा	1840.28	1644.79	89.4	1563.63	1154.22	73.8
सचिवालय सेवाएं	4.15	3.39	81.7	4.87	3.56	73.1
पूँजीगत परिव्यय	119.42	88.49	74.1	165.44	121.03	73.2
सहकारी समितियों पर पूँजीगत परिव्यय	9.97	4.00	40.1	9.89	9.89	100.0
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.0	0.05	0.00	0.0
योग	1973.82	1740.67	88.2	1743.88	1288.70	73.9

स्रोत : अजा/ अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

महादलित

राज्य महादलित आयोग की रिपोर्टों के अनुरूप महादलितों की उनति के लिए कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिहाज से बिहार महादलित विकास मिशन संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत निर्बंधित है। आयोग ने पाया कि बिहार की 22 में से 21 अनुसूचित जातियां आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित हैं। इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए चलो सकारात्मक कार्रवाइयों से अधिक लाभ नहीं हुआ। इसलिए महादलित विकास मिशन का विचार विशेष योजनाओं के जरिए सभी महादलित जातियों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने का है। मिशन की कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं :

- राज्य सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हर पंचायत/ वार्ड में विकास मित्रों का चयन किया गया है जो राज्य सरकार और महादलित समुदाय के बीच संपर्कसूत्र का काम करते हैं। विकास मित्रों के चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।
- बिहार महादलित विकास मिशन सभी महादलित परिवारों का ऑनलाइन आंकड़ा आधार तैयार कर रहा है। अभी तक 9,683 विकास मित्रों द्वारा 8,440 पंचायतों के 29.7 लाख परिवारों का निबंधन किया गया है।
- दशरथ मांझी कौशल विकास योजना की शुरुआत विभिन्न कार्यों के कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उनकी रोजगार प्राप्ति की क्षमता बढ़ाने के जरिए महादलित समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से की गई है। श्रम विभाग इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन अभिकरण है।
- सामुदायिक कक्ष सह कार्य-शेड योजना के तहत 2010-11 से 2015-16 के बीच 3,144 इकाइयों का निर्माण किया गया। वर्ष 2017-18 में 500 और इकाइयों के निर्माण का लक्ष्य है।
- विशेष विद्यालय सह छात्रावास योजना के तहत पटना में 150 और गया में 100 महादलित छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। लाभार्थियों को औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय की राष्ट्रोय स्तर पर सराहना हो रही है।
- महादलित विकास मिशन द्वारा विभिन्न महादलित टोलों में सामाजिक जागरूकता अभियान संगठित किया जा रहा है। इसके तहत दर्शकों को शराब के दुष्प्रभाव से संबंधित फिल्में दिखाई जा रही हैं।

वर्ष 1978 में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पटना की स्थापना अनुसूचित जाति के लोगों के चतुर्दिक विकास के लिए की गई थी। निगम के जिला कार्यालय राज्य के 36 जिलों में काम कर रहे हैं। वित्तवर्ष 2016-17 में इसकी सब्सिडी से 2,827 लोग लाभान्वित हुए हैं। दी गई कुल सहायता 8.20 करोड़ रु. की थी जिसमें से 2.82 करोड़ रु. सब्सिडी थी। सूक्ष्म ऋण वित्तपोषण योजना के तहत 240 लोगों के बीच 0.72 करोड़ रु. वितरित किए गए। वर्ष 2016-17 में निगम द्वारा लाभार्थियों के बीच 3,356 करोड़ रु. वितरित किए गए। विवरण तालिका 10.30 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 10.30 : बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम की उपलब्धियाँ (2016-17)

(रकम लाख रु. में)

योजना का नाम	लाभान्वितों की सं.	सावधि ऋण	बैंक ऋण	मार्जिन मनी	सब्सिडी	योग
महिला समृद्धि योजना (0.30) (NSFDC)	16	3.20	-	-	1.60	4.80
लघु व्यवसाय योजना (0.50) (NSFDC)	8	3.04	-	0.16	0.80	4.00
महिला समृद्धि योजना (0.30) (NSKFDC)	227	45.40	-	-	22.70	68.10
महिला समृद्धि योजना (0.50) (NSKFDC)	5	2.00	-	-	0.50	2.50
सूक्ष्म ऋण वित्तपोषणयोजना (0.30) (NSKFDC)	240	48.00	-	-	24.00	72.00
सूक्ष्म ऋण वित्तपोषणयोजना (0.50) (NSKFDC)	19	7.60	-	-	1.90	9.50
सावधि ऋण योजना (0.50) (NSKFDC)	10	4.00	-	-	1.00	5.00
सावधि ऋण योजना (1.00) (NSKFDC)	4	3.10	-	0.30	0.40	3.80
सब्सिडी योजना (बैंक के जरिए लागू)	2827	-	537.75	-	282.70	820.45
योग	3356	116.34	537.75	0.46	335.60	990.15

टिप्पणी : NSFDC – राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम

NSKFDC – राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योजनाओं की ऊपरी सीमा दर्शाते हैं

स्रोत : अजा/ अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़ी जातियाँ वे जातियाँ समुदाय हैं जिन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार में 130 पिछड़ी जातियों का बिहार की आबादी में लगभग 62.5 प्रतिशत हिस्सा है। इन समुदायों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने 2007-08 में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया था। पिछड़ा और अतिपिछड़ा समुदाय के कल्याण हेतु वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की वित्तीय प्रगति का सारांश तालिका 10.31 में प्रस्तुत है। पिछले पांच वर्षों के दौरान पिछड़े वर्गों के कल्याण पर व्यय लगातार बढ़ा है। वर्ष 2012-13 में व्यय 817.48 करोड़ रु. था जो 2015-16 में तिगुना से भी अधिक बढ़कर 2,695.07 करोड़ रु. हो गया। इन वर्षों के दौरान कल्याण योजनाओं के लिए उपयोग का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक रहा है। हालांकि वर्ष 2016-17 में पिछले वर्षों की तलना में उपयोग के प्रतिशत में गिरावट आई है।

तालिका 10.31 : पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की वित्तीय प्रगति

(करोड़ रु.)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कुल परिव्यय	825.92	1375.79	1477.97	2975.3	1927.8
कुल अनुमोदित राशि	825.92	1193.1	1477.97	2781.45	1680.0
कुल व्यय	817.48	1193.1	1445.4	2695.07	1459.6
उपयोगिता का प्रतिशत	99.0	86.7	97.8	90.6	75.7

स्रोत : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग और अतिपिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कल्याणकारी उपाय इस प्रकार हैं :

- वर्ष 2016-17 में पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग के प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के 76.6 लाख विद्यार्थियों को कुल 1,286.50 करोड़ रु. की छात्रवृत्ति दी गई।
- मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावृत्ति योजना के तहत 2016-17 में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के 26,967 विद्यार्थियों को कुल 13.60 करोड़ रु. की छात्रवृत्ति दी गई। वर्ष 2017-18 के लिए 150.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।
- वर्ष 2016-17 में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के प्रवेशिका-पूर्व और प्रवेशिकोत्तर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 221.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। इस छात्रवृत्ति के लिए 2017-18 के बजट में 1,081.40 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।
- जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास योजना के तहत 16 जिलों में छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है आर वे काम करने लगे हैं। इस योजना के उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए 2016-17 में 10.00 करोड़ रु. और 2017-18 में 4.60 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।
- वर्ष 2016-17 में 12.20 करोड़ रु. का व्यय किया गया जिससे अति पिछड़ा वर्ग की 2,642 लड़कियां लाभान्वित हुईं। इन विद्यार्थियों को उच्च विद्यालयों में मुफ्त पोशाक, भोजन, आवसीय सुविधाएं आदि उपलब्ध कराई गईं। इसके लिए 2017-18 में 9.50 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।
- वर्ष 2015-16 में परीक्षा-पूर्व कोचिंग की एक नई योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 2015-16 में 8 केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 2016-17 में भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में 7 नए केंद्र स्थापित किए गए हैं। अभी विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए 1,403 विद्यार्थी मुफ्त कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं।

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा समुदायों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए किए गए आवंटन के भौतिक और वित्तीय विवरण तालिका 10.32 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 10.32 : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के भौतिक और वित्तीय विवरण

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)	लाभान्वितों की संख्या	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)	लाभान्वितों की संख्या	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)
	प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के विद्यार्थियों का वजीफे	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	12 अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय			
02011-12	323313	2517	126938	15206.9	3080	485
2012-13	4300000	58696	225000	24628.2	800	100
2013-14	9800000	116824	36368	5815	2019	585
2014-15	12200000	105470	244121	36997	2499	726
2015-16	20227834	223376	25098	1055	2642	977
2016-17	7662260	128653		22100	2642	1216
	अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मंधावृत्ति योजना	तकनीकी पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए वजीफे	अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 38 जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रवासों का निर्माण			
2011-12	53000	5300	850	17		160
2012-13	42000	4200	1650	30		187
2013-14	35000	3500	1500	30		935
2014-15	40000	4000	1500	30		-
2015-16	68020	6802	3750	75		500
2016-17	26967	8725				1000

स्रोत : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण

समाज के वंचित समूहों को जिन ऐतिहासिक बाधाओं और भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनकी पहचान करते हुए भारत के संविधान में उनके अधिकारों की रक्षा करने तथा विकास संबंधी जरूरतों पर ध्यान देने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक अक्सर सामाजिक रूप से ऐसे ही वंचित समूह होते हैं। बिहार की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का 17.3 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें 16.9 प्रतिशत मुसलमान तथा 0.4 प्रतिशत बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई जैसे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। कुल आबादी में मुसलमानों का किशनगंज में 68.0 प्रतिशत, कटिहार में 44.5 प्रतिशत, अररिया में 42.9 प्रतिशत और पूर्णिया में 38.5 प्रतिशत हिस्सा है। इन अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बिहार में 1991 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। हाल के वर्षों में विभाग की उपलब्धिया इस प्रकार है :

- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत दिसंबर 2017 तक 9,337 अल्पसंख्यक लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुल 98.16 करोड़ रु. आवंटित किए गए। अल्पसंख्यकों के स्वरोजगार के लिए वर्ष 2017-18 में गत वर्ष के 25 करोड़ रु. के स्थान पर अगले पांच वर्षों के लिए 100.00 करोड़ रु. वार्षिक स्वीकृत किए गए हैं।
- मुसलमान तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला सहायता कार्यक्रम के तहत अभी तक 12,396 तलाकशुदा/ परित्यक्ता मुसलमान महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई है। इसके लिए अभी तक कुल 12,396 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2017-18 में तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिलाओं को प्रति लाभार्थी 10,000 रु. की जगह 25,000 रु. सहायता दिए जा रहे हैं।

- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 43.34 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे जिससे 2017-18 में 38,518 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2017-18 में मद्रसों के बिहार राज्य मद्रसा परीक्षा बोर्ड से फौकानिया और मौलवी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा है।
- अल्पसंख्यक बालक छात्रावास योजना के तहत अभी तक 37 छात्रावासों का निर्माण कराया गया है जिनमें से 32 काम कर रहे हैं।
- वर्ष 2017-18 तक मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना के तहत 120 अल्पसंख्यक प्रत्याशियों को हाजीपुर स्थित केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण संस्थान (सीपेट) में प्रशिक्षित किया गया है। अभी 300 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को प्लास्टिक प्रसंस्करण के विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षित किया जाना है। रेमंडस लिमिटेड के तहत सिलाई कार्य का प्रशिक्षण ले रहे हैं। राष्ट्रीय इलक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT), पटना में 400 विद्यार्थियों को कंप्यूटर से संबंधित कार्यों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के संस्थान टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (TRTC), पटना द्वारा 800 प्रशिक्षुओं को विभिन्न तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाना है। इसी प्रकार, अनेक जिलों में विभिन्न कार्यों का कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए बिहार कौशल प्रशिक्षण मिशन के साथ निर्बंधित विभिन्न प्रशिक्षण प्रदाता अभिकरणों के साथ समझौता-पत्र हस्ताक्षरित हुए हैं।
- बिहार लोक सेवा आयोग, रेलवे, बैंकिंग, कर्मचारी चयन आयोग आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अल्पसंख्यक प्रत्याशियों को कोचिंग देने के लिए मजहरुल हक अरबी-फारसी विश्वविद्यालय को नोडल अभिकरण नियुक्त किया गया है। वर्ष 2016-17 तक 328 प्रत्याशियों को बिहार लोक सेवा आयोग (प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा), रेलवे, बैंकिंग, सिपाही, पुलिस ड्राइवर, जेल वार्डन, उत्पाद सिपाही, और कर्मचारी चयन आयोग आदि के लिए कोचिंग उपलब्ध कराई गई थी। वर्ष 2017-18 के लिए 500 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
- हज के लिए मक्का और मदीना जाने वाले हजयात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बिहार हज समिति को दिया जाने वाला वार्षिक अनुदान 40.00 लाख रु. से बढ़ाकर 60.00 लाख रु. कर दिया गया है। वर्ष 2017 में एक सुपरवाइजर के नेतृत्व में 6,963 हज यात्रियों और 27 खादिम-उल-हज्जाज को सऊदी अरब भेजा गया।
- बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MSDP) के तहत 2017-18 में 55 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। इसके अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान निर्माण, अतिरिक्त वर्गकक्ष निर्माण, अगरबत्ती केंद्र, स्वास्थ्य उप-केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि परियोजनाओं की कुल 369 इकाइयां केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई हैं।

10.5 महिला सशक्तीकरण

सेविधान महिलाओं को समानता ही नहीं देता है, राज्य को महिलाओं के हित में सकारात्मक भेद-भाव अपनाने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) के आंकड़ों के अनुसार एक वर्ष में 15 से 49 वर्ष उम्र समूह की 20 प्रतिशत महिलाएं ही नियोजित थीं जबकि उसी उम्र समूह के पुरुषों का

हिस्सा 76 प्रतिशत था। इसके अलावा, नियोजित महिलाओं में भी 62 प्रतिशत ही नगद उपार्जन करती थीं जिसमें 15 प्रतिशत नगद और सामग्री के रूप में उपार्जन भी शामिल है। वहीं, 22 प्रतिशत महिलाओं को कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता था। इसके विपरीत नियोजित पुरुषों में से 87 प्रतिशत को नगद भुगतान किया जाता था और 10 प्रतिशत को ही कोई भुगतान नहीं किया जाता था। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 34 प्रतिशत महिलाएं ही अपने पति के बराबर या उनसे अधिक कमाती थीं। नीति और व्यवहार के बीच में मौजूद भारी फासले को पाटने के लिए राज्य को उपयुक्त हस्तक्षेप करने की जरूरत है। इस खंड में बिहार में महिलाओं की स्थिति और उनके सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहल कदमियों पर चर्चा की गई है।

बिहार में लिंग अनुपात में गिरावट दिखी जो 2001 के 919 से 2011 में 916 रह गया है। इसकी तुलना में भारत का लिंग अनुपात 2001 के 933 से सुधरकर 2011 में 940 हो गया। लिंग अनुपात में यह गिरावट राज्य सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि महिला साक्षरता दर में काफी सुधार हुआ है जो 2001 के 33.6 प्रतिशत से 17.9 प्रतिशत अंक उछलकर 2011 में 51.5 प्रतिशत पहुंच गया है लेकिन लैंगिक असमानता अभी भी मौजूद है। सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं से उत्पन्न लैंगिक असमानता से अब मानसिकता और महिलाओं के प्रति धारणा बदलने वाले प्रयासों के जरिए प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से निपटा जा रहा है। राज्य सरकार 2008-09 से ही जेंडर बजट प्रकाशित करती रही है। हाल ही में महिला विकास निगम को समाज कल्याण विभाग द्वारा जेंडर बजट निर्माण के लिए नोडल अभिकरण नामित किया गया है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के जेंडर बजट का संक्षिप्त विवरण तालिका 10.33 में प्रस्तुत है। प्रशासा की बात है कि इन पांच वर्षों में महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर परिव्यय 92 प्रतिशत बढ़ा है और 2012-13 के 7,836 करोड़ रु. से 2016-17 में 15,077 करोड़ रु. हो गया है। राज्य के कुल बजट में महिलाओं पर परिव्यय का हिस्सा साल दर साल थोड़े परिवर्तन के साथ लगभग 12 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार, महिलाओं के लिए परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लगभग 3 प्रतिशत के बराबर रहा है।

तालिका 10.33 : जेंडर बजट का सारांश

(रकम करोड़ रु. में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
महिलाओं के लिए श्रेणी-1 की योजनाएं (100% लाभार्थी)	2293.8	2740.2	3920.1	2996.1	5564.80
महिलाओं के लिए श्रेणी-2 की योजनाएं (30% लाभार्थी)	5541.8	7008	8658.3	8130.9	9512.22
महिलाओं के लिए कुल परिव्यय	7835.6	9748.2	12578.3	11127.0	15077.0
संबंधित विभागों के लिए कुल परिव्यय	34615.4	19003.5	33703.7	31010.8	36411.5
संबंधित विभागों के कुल परिव्यय में महिला हेतु परिव्यय का प्रतिशत	22.6	51.0	37.2	35.9	41.4
राज्य बजट का कुल आकार	69206.6	80405.3	94698	112327.8	126302
राज्य बजट में परिव्ययों का हिस्सा (%)	11.3	12.1	13.3	9.9	11.9
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	282368	317101	342951	381501	438030
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महिला हेतु परिव्ययों का हिस्सा (%)	2.8	3.1	3.7	2.9	3.4

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.34 में विभिन्न विभागों के तहत जेंडर बजट संबंधी आंकड़े प्रस्तुत हैं। यहां नजर आता है कि श्रेणी-1 और श्रेणी-2, दोनों प्रकार की योजनाओं में 2016-17 के परिव्यय से 2017-18 में वृद्धि हुई है। श्रेणी-1 की परियोजनाएं पूरी तरह महिलाओं के लिए होती हैं। श्रेणी-2 की परियोजनाएं लिंग-निरपेक्ष होती हैं और मानकर चला जाता है कि उनमें 30 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं होंगी। तालिका से स्पष्ट है कि 2016-17 और 2017-18 के बीच परिव्ययों में काफी वृद्धि हुई है। आज की स्थिति में श्रेणी -2 में सूचीबद्ध परियोजनाओं के मामले में महिला लाभार्थियों के वास्तविक अनुपात के सत्यापन की कोई प्रक्रिया नहीं है। तालिका से यह भी पता चलता है कि ग्रामीण विकास, शिक्षा, समाज कल्याण जैसे विभागों में परिव्यय काफी बढ़ा है। वहीं श्रम संसाधन, नगर विकास एवं आवास जैसे विभागों में 2016-17 के मुकाबले 2017-18 में परिव्यय घटा है।

तालिका 10.34 : जेंडर बजट का विवरण

(करोड़ रु.)

विभाग का नाम	2016-17				2017-18 (BE)			
	कुल बजट	महिलाओं के लिए व्यय			कुल बजट	महिलाओं के लिए व्यय		
		श्रेणी-1 के तहत	श्रेणी-2 के तहत	योग		श्रेणी-1 के तहत	श्रेणी-2 के तहत	योग
समाज कल्याण	4780.85	436.10	1925.83	2361.93	5591.17	280.77	2697.21	2977.98
अजा एवं अजजा कल्याण	1568.80	0.00	465.51	465.51	1181.69	0.00	364.55	364.55
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	1326.37	0.00	397.91	397.91	2001.39	0.00	600.42	600.42
अल्पसंख्यक कल्याण	56.21	2.00	16.26	18.26	116.03	22.00	28.21	50.21
शिक्षा विभाग	15809.63	309.36	4436.70	4746.06	17681.46	283.04	5325.10	5608.14
स्वास्थ्य	2176.63	1890.14	0.00	1890.14	1457.68	1332.36	14.93	1347.29
ग्रामीण विकास	5059.42	2889.82	650.88	3540.70	9272.97	6377.64	868.60	7246.24
नगर विकास एवं आवास	12.15	0.00	6.08	6.08	8.00	0.00	4.00	4.00
पंचायती राज	335.00	0.00	167.50	167.50	375.00	0.00	187.50	187.50
श्रम संसाधन	11.80	5.50	0.12	5.62	10.43	4.50	0.00	4.50
पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	1954.19	10.16	583.43	593.59	1493.24	10.73	445.95	456.68
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	20.75	20.75	0.00	20.75	26.07	26.07	0.00	26.07
कला, संस्कृति एवं युवा कार्य	38.75	0.00	11.62	11.62	48.45	0.00	14.54	14.54
उद्योग विभाग	582.09	0.00	63.87	63.87	572.64	0.00	171.49	171.49
कृषि विभाग	2179.81	0.00	646.92	646.92	2207.12	0.00	662.14	662.14
सूचना एवं प्रौद्योगिकी	2.10	0.99	0.89	1.88	4.01	0.99	2.42	3.40
भवन निर्माण	317.44	0.00	77.23	77.23	592.00	0.00	193.00	193.00
गृह विभाग	151.99	0.00	61.48	61.48	141.53	0.00	57.25	57.25
पर्यटन विभाग	27.51	0.00	0.00	0.00	71.47	0.00	21.44	21.44
योग	36411.49	5564.82	9512.22	15077.04	42852.35	8338.10	11658.74	19996.84

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

तालिका 10.35 : लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली प्रमुख योजनाएं

(करोड़ रु.)

योजना	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (ब.अ.)
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	106.43	41.06	32.51	39.9	85.48	30.00
नारी शक्ति योजना	30	0	0	0	0.00	14.00
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	59.88	82.43	108.83	134.91	18.88	20.19
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	100	6.56	0	89.99	0.00	6.15
योग	296.31	130.05	141.34	264.8	104.36	70.34

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

लैंगिक असमानता से निपटने के लिए किए जाने वाले राज्य सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों में दो मुख्य शीर्ष हैं : बाल रक्षा (कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कन्या सुरक्षा योजना) तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा (लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कन्या विवाह योजना और नारी शक्ति योजना) (तालिका 10.35)। महिलाओं का सशक्तीकरण करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से नारी शक्ति योजना का शुभारंभ 2007-08 में किया गया था। कार्यक्रम का लक्ष्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महिलाओं का समग्र सशक्तीकरण है। इन फ्लैगशिप योजनाओं के तहत कुल व्यय में विगत वर्षों के दौरान विविधता रही है। वर्ष 2011-12 और 2014-15 में यह अधिक था लेकिन पिछले दो वर्षों में यह काफी कम था -2015-16 में 104.36 करोड़ रु. और 2016-17 में 70.34 करोड़ रु।

आर्थिक सशक्तीकरण

- पटना जिल के फुलवारीशरीफ में महिलाएं भारती ब्रांड नाम से सैनिटरी नैपकिन की उत्पादन इकाई सफलतापूर्वक चला रही हैं।
- पटना जिले में मनेर प्रखण्ड की महादलित महिलाओं ने व्यावसायिक उद्यम के रूप में मसाला इकाई शुरू की है। आर्थिक चरण में उद्यम ने विपणन के लिए स्थानीय बाजार को पकड़ा है।
- चार निबंधित महिला उत्पादक कंपनियों ने विपणन के लिए प्रचुर कृषि उत्पाद तैयार किए हैं। ये कंपनियां हैं - आर्यक एग्री प्रोड्यूसर कंपनीज, पूर्णिया (3,479 छोटे किसानों द्वारा 13,944 टन मक्का), समर्पण जीविका महिला किसान प्रोड्यूसर्स कंपनी, मुजफ्फरपुर (130 किसानों द्वारा उत्पादित 31.9 टन लीची और 28 किसानों द्वारा उत्पादित 9.92 टन आम) तथा सहयोग वीमन जीविका एग्री प्रोड्यूसर कंपनी, नालंदा (368 किसानों द्वारा उत्पादित 1,230 टन आलू)।
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत महिला विकास निगम ने सेवा-उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं और लगभग 23,000 प्रशिक्षुओं को रोजगार लायक कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया है। उनके लिए नालंदा जिले के बिहारशरीफ में हथकरघा सामान्य सुगमीकरण केंद्र शुरू किया गया है। नारी सशक्तीकरण नीति, 2015 के हिस्से के बतौर बाल विवाह और दहेज विरोधी अभियान भी शुरू किया गया है। अभी शिवहर छोड़कर रोष 37 जिलों में महिला सशक्तीकरण कार्यालय भवन निर्माणाधीन हैं।

- जीविका महिला एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स कंपनी लि., खगड़िया ने सितंबर 2017 तक 966 स्वयं सहायता समूहों से 1,625 मै. टन मक्का की खरीद की है।
- सात निश्चय कार्यक्रम के तहत एक निश्चय 'आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार' भी एक निश्चय है और 2016 से राज्य सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं को नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।
- लगभग 18 हजार स्वयं सहायता समूहों को सहयोग देने के लिए कुल 375 कृषोत्तर उत्पादक समूह गठित किए गए हैं और स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत 393 उद्यमों को सहयोग दिया गया।

सामाजिक सशक्तीकरण

- हिंसा और सामाजिक-मनोवैज्ञानिक तनाव से पीड़ित महिलाओं के लिए राज्य सहायता प्रणाली को संस्थाबद्ध स्वरूप देने के लिए जिला मुख्यालयों में महिला हेल्पलाइन (WHL) और अल्पावास गृह (SSH) स्थापित किए गए हैं और राज्य की राजधानी में एक संरक्षण गृह स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं, मानव व्यापार की शिकार महिलाओं तथा किशोरियों को मुफ्त मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता दी गई। इसके अलावा, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भी हिंसा और दुर्व्यवहार से पीड़ित महिलाओं को चौबीसों घंटे सहायता प्रदान करने के लिए 7 जिलों में सर्वसुविधा केंद्र (वन स्टॉप सेंटर) स्थापित करने के लिए सहयोग किया है।
- राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, पोषण और जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई (वाश) पर एक सघन व्यवहार परिवर्तन संवाद (BCC) अभियान चलाया गया है। ग्राम वार्ता के तहत 101 प्रखंडों में लगभग 1.85 लाख स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इन प्रशिक्षणों का लक्ष्य स्वास्थ्य, पोषण और जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई (वाश) के विभिन्न पहलुओं पर समुदाय का संवेदनीकरण करना है। ये प्रशिक्षण बेहतर सेवाओं की मांग बढ़ाने के मामले में काफी पभावी साबित हुए हैं।
- 25 सितंबर, 2017 को 'गड़ा खोदो दिवस' के अवसर पर स्वयं सहायता समूह से जुड़े 2.45 लाख परिवारों ने गड्ढे खोदे। 26 जनवरी, 2018 को इन सारे गड्ढों को शौचालयों में बदल दिया जाएगा।
- अक्टूबर 2014 से सितंबर 2017 तक 1,65,612 शौचालयों का निर्माण किया गया है और स्वयं सहायता समूह से जुड़े 1.34 लाख परिवारों की सेवा के लिए 70 ग्रामीण स्वच्छता बाजार निर्मित किए गए।
- बाल विवाह रोकने और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लड़की के परिवार को उसके विवाह के समय वित्तोय सहायता दी जाती है। हर लड़की को विवाह के समय 5,000 रु. दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उन लड़कियों को दिया जाता है जिनका विवाह निर्बंधित होता है और जिनकी पारिवारिक आय 60,000 प्रति वर्ष से अनधिक होती है।
- जन्म निबंधन और लिंग अनुपात में संतुलन को बढ़ावा देने तथा बालिका भ्रूण हत्या में रोक के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के तहत बीपीएल परिवार की अधिकतम दो लड़कियों के लिए लड़की के नाम से बैंक में 2,000 रु. का निवेश कर दिया जाता है। इससे 2017-18 में 2,82,574 लड़कियां लाभान्वित हुई हैं।

- हिंदू समाज में जाति प्रथा की समाप्ति के लिए अंतर्जातीय कन्या विवाह योजना के तहत दूसरी जाति के वर से विवाह करने वाली वधु के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में 1.00 लाख रु. का सावधि जमा कर दिया जाता है। सावधि जमा की अनिकासी अवधि तीन वर्ष होती है।
- आसरा योजना के तहत 50 शश्याओं वाले आवासीय विशिष्ट गृह के लिए वार्षिक संचालन व्यय 50.00 लाख रु. से बढ़ाकर 76.70 लाख रु. कर दिया गया है। साथ ही, मंत्रिमंडल द्वारा दो 50 शश्याओं वाले दा आवासीय विशिष्ट गृह खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दो गई है।

तालिका 10.36 : सामाजिक सशक्तीकरण के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या

मामलों के प्रकार	2015-16		2016-17	
	दर्ज	निष्पादित	दर्ज	निष्पादित
घरेलू हिंसा	4090	3370 (82.4)	3990	3284 (82.3)
दहेज उत्पीड़न	578	459 (79.4)	629	469 (74.6)
दहेज हत्या	55	53 (96.4)	6	5 (83.3)
दूसरा विवाह	118	114 (96.6)	88	92 (104.5)
परिसंपत्ति संबंधी	95	102 (107.4)	10	26 (260.0)
बलात्कार और मानव व्यापार के मामले	44	44 (100)	23	15 (65.2)
कार्यालय/ अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न	86	85 (98.8)	98	72 (73.5)
अन्य	1773	1586 (89.5)	1339	1152(86.0)
कुल मामले	6839	5813 (85.0)	6183	5115 (82.7)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े निष्पादित मामलों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बिहार राज्य महिला विकास निगम, बिहार सरकार

तालिका 10.36 में महिला उत्पीड़न से संबंधित दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाई है। इनमें सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा के दर्ज हुए। गौरतलब है कि 2015-16 और 2016-17, दोनों वर्षों में 83 प्रतिशत से अधिक मामलों का निपटारा कर दिया गया।

सामूहिक सशक्तीकरण

- 'सपनों को चली छूने' शुरू हुई महिला विकास निगम की एक परियोजना है जिसका लक्ष्य कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों में नारी सशक्तीकरण और लैंगिक समानता से संबंधित मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट करना है। इसे 2009 में जागरण पहल और 2011 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से सहयोग प्राप्त हुआ। अभी कार्यक्रम अपने क्रियान्वयन के तीसरे चरण में है और इसका क्रियान्वयन राज्य के 18 महाविद्यालयों में किया जाएगा।

- 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विकेंद्रित रूप से मनाया गया और 17 जिला मुख्यालयों में इसे जिला प्रशासन के सहयोग से मनाया गया। कार्यक्रम में बिहार में महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में राज्य के प्रयासों को प्रमुखता से दर्शाया गया।

10.6 श्रम संसाधन एवं कल्याण

बिहार में श्रमशक्ति मुख्यतः: असंगठित है और मुख्य रूप से कृषि और अन्य सहयोगी गतिविधियों में लगी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 70 प्रतिशत मुख्य श्रमिक कृषि और सहायक कार्यों में लगे हैं जो देश में सर्वोच्च अनुपात है। संपूर्ण भारत के लिए यह अनुपात 50.2 प्रतिशत है। वर्ष 2001 और 2011 के बीच कृषि श्रम और घरेलू काम में लगी श्रमशक्ति के हिस्से में अधिक बदलाव नहीं आया ह। हालांकि किसानों के हिस्से में गिरावट आई और अन्य श्रमिकों का हिस्सा बढ़ा। यह एक क्षेत्र से दूसरे में श्रम के जाने को सूचित करता है जो विकास के लिए सकारात्मक संकेत है क्योंकि कृषि क्षेत्र के श्रमिक गैर-कृषि क्षेत्र में जा रहे हैं। लेकिन औद्योगीकरण और शहरीकरण की निम्न दर के कारण बिहार श्रम शक्ति के संगठित क्षेत्र में विविधीकरण से कोसों दूर है। तालिका 10.37 में देश के प्रमुख राज्यों में श्रमशक्ति की संरचना की झलक पेश की गई है।

तालिका 10.37 : भारत के प्रमुख राज्यों में मुख्य श्रमिकों की संरचना (2011)

(प्रतिशत में)

राज्य	श्रमिकों की कल संख्या (लाख)	किसान	कृषि श्रमिक	गृह उद्योगों में संलग्न श्रमिक	अन्य श्रमिक	योग
आंध्र प्रदेश	330.4	18.4	40.0	3.5	38.1	100.0
बिहार (2011)	213.6	25.3	44.7	3.6	26.4	100.0
बिहार (2001)	210.5	32.2	42.8	3.6	21.4	100.0
छत्तीसगढ़	82.4	36.9	30.4	1.7	31.1	100.0
गुजरात	203.7	23.3	22.1	1.2	53.4	100.0
हरियाणा	70.2	28.0	12.7	2.9	56.4	100.0
झारखण्ड	68.2	29.4	18.2	3.7	48.8	100.0
कर्नाटक	234.0	25.8	21.9	3.0	49.3	100.0
केरल	93.3	5.8	9.9	2.1	82.2	100.0
मध्य प्रदेश	227.0	36.2	29.2	2.9	31.8	100.0
महाराष्ट्र	437.6	26.2	25.3	2.3	46.2	100.0
ओडिशा	107.1	30.6	22.6	4.1	42.6	100.0
पंजाब	84.5	21.3	13.8	3.6	61.3	100.0
राजस्थान	210.6	46.8	10.4	2.4	40.4	100.0
तमिलनाड	279.4	13.8	25.9	4.0	56.3	100.0
उत्तर प्रदेश	446.4	34.9	21.8	5.4	37.9	100.0
पश्चिम बंगाल	256.9	16.4	22.9	5.9	54.9	100.0
भारत	3624.5	26.4	23.8	3.4	46.4	100.0

स्रोत : प्रारंभिक जनगणना सार, 2011, भारत की जनगणना

तेज और समावेशी विकास के लिए श्रमिकों पर, खास कर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगे श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए राज्य सरकार इन श्रमिकों के कल्याण के लिए ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों, बाल श्रम पुनर्वास, बीमा योजनाओं, श्रम कानूनों के क्रियान्वयन आदि अनेक कार्यक्रमों के जरिए विशेष प्रयास करती है। श्रमिक कल्याण के लिए राज्य सरकार की ऐसी कुछ पहलकदमियां नीचे वर्णित हैं।

- रोजगार के अवसरों के विकास और राज्य सरकार से सात में से एक निश्चय 'आर्थिक हल युवाओं का बल' का लक्ष्य पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर, 2016 को कौशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत 15 से 25 वर्ष उम्र समूह के युवाओं को संवाद कौशल (हिंदी और अंग्रेजी), सॉफ्टवेयर कौशल और बुनियादी कंप्यूटर कौशल का प्रशिक्षण मिलता है। पूरा प्रशिक्षण 240 घंटों का होता है जिसमें 80 घंटों का संवाद कौशल, 120 घंटों का बुनियादी कंप्यूटर कौशल और 40 घंटों का अन्य सॉफ्टवेयर कौशल होता है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- बाल एवं किशोर श्रम (उन्मूलन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सितंबर 2016 तक 26 जिलों में 1,430 निरीक्षण किए गए। निरीक्षणों के बाद 184 बाल श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं से मुक्त कराया गया और दोषी नियोक्ताओं के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। अभी बाल श्रमिकों के पुनर्वास के कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इस कार्यक्रम को पंचायत स्तर तक विस्तारित करने की योजना है।
- बाल श्रम पहचान प्रणाली (सीएलटीएस) के तहत अभी तक 3,200 बच्चों को एकत्र किया गया है और 804 बच्चों का खोज एवं पुनर्वास किया गया है।
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1984 के तहत प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी सामान्य श्रमिकों के लिए 242 रु. और कृषि श्रमिकों के लिए 232 रु. होनी चाहिए। वर्ष 2016-17 में इस अधिनियम के तहत 31 दोषी नियोक्ताओं की पहचान को गई।
- केंद्र सरकार द्वारा संशोधित बीड़ी श्रमिक समेकित आवास योजना, 2016 का संचालन किया जा रहा है जिसके तहत घर बनाने के लिए बीड़ी श्रमिकों को 3 किश्तों में 1.50 लाख रु. अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में योजना के लिए 40.0 लाख रु. आर्बाटित किए गए जिससे 1,000 बीड़ी श्रमिक प्रति मकान 4,000 रु. से लाभान्वित हुए।
- बिहार प्रवासी दुर्घटना अनुदान योजना के तहत 2016-17 में 220 लाख रु. 220 मृत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों के बीच और 37,500 रु. दिव्यांग प्रवासी मजदूरों के बीच वितरित किए गए।
- बंधुआ मजदूरी पुनर्वास योजना के तहत 2016-17 में 453 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास कराया गया।
- विद्यमान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए ट्रेड शुरू करने के लिए 2016-17 में 19.80 लाख रु. व्यय किया गया और शेष 30 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उत्क्रमण के लिए 2017-18 में 50.00 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।
- हाल में बिहार कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है जो राज्य के हर प्रखंड में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा। कौशल विकास कार्यक्रम के अवसरों के विस्तार के लिए 149 नए पाठ्यक्रम मिशन द्वारा चुने गए हैं और राज्य सरकार के 15 विभागों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मिशन के लिए 2016-17 में 188.12 करोड़ रु. और 2017-18 में 102.77 करोड़ रु. आवंटन था।

चूंकि रोजगार समवर्ती सूची का विषय है इसलिए रोजगार को प्रोत्साहित करने का दायित्व राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों ही पर है। नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों, मानकों और दिशानिर्देशों का निर्माण केंद्र सरकार का दायित्व है जबकि श्रमिक नियोजन केंद्रों का प्रशासन संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार ने बेरोजगार युवक-युवतियां के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिहाज से अनेक पहलकदमियां ली हैं। व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के तहत जिला और राज्य स्तर पर रोजगार-सह-मार्गदर्शन मेले आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 में सभी 38 जिलों में नियोजनालयों द्वारा 'रोजगार-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला' आयोजित किए गए। ये मेले जिला, प्रमंडल और विश्वविद्यालय के स्तर पर आयोजित किए गए। वर्ष 2016-17 में कुल 138 रोजगार मेले आयोजित किए गए थे और विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा नौकरी के लिए कुल 54,355 उम्मीदवारों को चुना गया। केंद्र प्रायोजित योजना मॉडल कैरियर सेंटर के तहत पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में उप-क्षेत्रीय नियोजनालयों में ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं। दरभंगा, गया और छपरा में भी ऐसे केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। तालिका 10.38 में राज्य सरकार द्वारा नियोजनालयों में नियोजन सेवाओं और ऑन-लाइन सुविधाओं के विस्तार के लिए ली गई पहलकदमियां दर्शाई गई हैं। वर्ष 2016-17 में व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के सुदृढीकरण के मामले में वित्तीय उपलब्धि बजट परिव्यय का 92.2 प्रतिशत रही जो कार्यक्रमों के समय से पूरा होना दर्शाती है।

तालिका 10.38 : नियोजन कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति

(रकम लाख रु. में)

कार्यक्रम	2015-16		2016-17	
	बजट परिव्यय	वित्तीय उपलब्धि	बजट परिव्यय	वित्तीय उपलब्धि
नियोजन सेवाओं का विस्तार	90	43.8	250	143.8
नियोजन सेवा संचालन की ई-प्रक्रिया	150	103.5	50	17.2
व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का सुदृढीकरण	185	110.8	100	92.2
पारदेशीय ब्यूरो का स्थापना व्यय	3000	0	400	
कमज़ोर तबकों के विकास की योजना	15	13.4	40	23.1
उप-याग	3440	271.5	840	276.3
संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	1000	283.4	1000	84.2
योग	4440	554.9	1840	360.5

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

10.7 वृद्धों और दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की 10.41 करोड़ आबादी में 23.3 लाख व्यक्ति दिव्यांग हैं जो कुल आबादी के 0.02 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार 60.7 लाख लोग बुजुर्ग हैं जो आबादी के 0.06 प्रतिशत हैं। जिस दौर में समावेशी विकास पर बल दिया जा रहा है, उसमें वृद्धों और दिव्यांगों का कल्याण जरूरी है। अतः राज्य सरकार अभी वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों के लिए अनेक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है। पेंशन योजनाओं पर कुल व्यय 2005-06 के 98.34 करोड़ रु. से बढ़कर 2016-17 में 2,806.72 करोड़ रु. हो गया।

तालिका 10.39 में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित इन योजनाओं का सारांश प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2016-17 में वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए चलने वाली योजनाओं का कुल व्यय उनके कुल बजट परिव्यय का 95 प्रतिशत रहा और इन योजनाओं से 56 लाख लोग लाभान्वित हुए।

तालिका 10.39 : वृद्धों, विधवाओं और निःशक्त जनों के लिए पेंशन योजनाएं

योजना का नाम	2015-16			2016-17		
	बजट परिव्यय (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)	लाभार्थियों की सं. (हजार)	बजट परिव्यय (लाख रु.)	व्यय (लाख रु.)	लाभार्थियों की सं. (हजार)
				126351		
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	126351	97146.98	4478	168750	120703.31	3698
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		18305.77	560			469
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना		2920.65	93			96
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		6550	33			35
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (राज्यांश)	113221.8	113221.8		93740	93740	
लक्ष्मीबाई पेंशन योजना	35848	35748	552	21436	21386	481
बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना	32205.25	32205.25	634	25557	25557	590
राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	3493.6	3493.6	82	2986	2986	58
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना	1400	1400	47	5000	5000	167
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	150	150	1	650	650	3
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	1000	990	6	1500	1500	8
मुख्यमंत्री निःशक्तजन सुदृढोकरण योजना (संबल)	900	900	0	950	950	0
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	550	50	0	850	850	0
वृद्धावास	100	100	0	100	100	0
वृद्धावास निर्माण	200	0	0	100	100	0
बिहार एड्स पीड़ित कल्याण योजना	100	100	0	1100	1100	0
बिहार रणनीतिक समेकित योजनाएं	16236.49	1780	0	8780	6000	0
मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह अनुदान योजना	0	0	0	50	50	0
योग	331756.14	315062.05	6485	331549	280672.31	5604

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

उक्त योजनाओं के अलावा राज्य सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक निःशक्तता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कुछ नई पहलकदमियां भी ली जा रही हैं :

- प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना के तहत 2016-17 से पेंशन की रकम लाभार्थियों के बैंक खाते में अंतरित की जा रही है। नवंबर 2017 तक 63.19 लाख में से 61.40 लाख पेंशनधारियों के बैंक खाते खुलवाए जा चुके हैं। इन 61.40 लाख बैंक खातों में से 57.62 लाख को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा सत्यापित किया जा चुका है।

- ई-लाभार्थी पोर्टल पर 46.64 लाख पेंशनधारियों की आधार संख्या अपलोड कर दी गई है।
 - बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र कर्मचारी एवं कारीगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, 2011 के तहत राज्य के असंगठित श्रमिकों और कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा देने के मकसद से बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति का गठन किया गया है।
 - जुलाई 2014 से सभी पेंशन योजनाओं में हर पेंशनधारी के लिए पेंशन की रकम 400 रु. प्रति माह करके उनमें समरूपता ला दी गई है। राज्य सरकार भी अपने आंतरिक संसाधनों से राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में अंशदान करती है – राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 200 रु. राष्ट्रीय विधवा पेंशन में 100 रु. और राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन में 100 रु। इस अंशदान पर राज्य सरकार द्वारा 2016-17 में 937.40 करोड़ रु. व्यय हुआ।
 - राज्य सरकार ने 2012-13 से मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना की शुरुआत की है। इसके तहत दुर्घटना या आपराधिक घटना से मृत्यु की स्थिति में परिवार को 20,000 रु. का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत 2016-17 में 6.50 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।
 - पटना, पूर्णिया और गया में वृद्धावास के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। पटना में निर्माण कार्य शुरू हो गया है और गया तथा पूर्णिया में शुरू होने वाला है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और भागलपुर में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रबोधित सहारा वृद्धावास काम कर रहे हैं। रोहतास, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर और बेगूसराय में भी चार नए वृद्धावास खोले जा रहे हैं।
-

© Copyright 2018 Finance Department, Govt. of Bihar

PRINTED AT SARASWATY PRESS LTD. (GOVT. OF WEST BENGAL ENTERPRISE), KOLKATA-700056